35वीं वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

विद्युत उत्पादन हमारी कटिबद्धता... समाज का विकास हमारी प्रतिबद्धता...

GENERATING POWER... TRANSMITTING PROSPERITY...



ईएल 830.00 मी. पर टिहरी जलाशय

अभिदृष्टि / VISION

- एक एकीकृत वैश्विक ऊर्जा संगठन जो भारत की शुद्ध–शून्य (नेट–जीरो) आकाँक्षाओं की अभिप्राप्ति के लिए सतत समाधान प्रदान करे।
- *"An integrated global energy entity delivering sustainable solutions to meet India's net-zero ambitions"*

मिशन / MISSION

- विविध स्रोतों से स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खोज करना एवं सुचारु परिवर्तन को सक्रिय करने के लिए गुणवत्तापरक स्थायी समाधान प्रदान करना।
- व्यक्तियों को सक्षम एवं विकसित करते हुए परिवर्तन को अंगीकार करने हेतु संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करना।
- व्यावसायिक गतिविधियों में उच्चतम नैतिक मानकों एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहकर कार्य करना एवं पर्यावरण एवं व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करना।
- उच्च उत्पादकता और दक्षता को हासिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना।

- *Making available clean and affordable energy from diverse sources.*
- *Explore emerging energy technologies and deliver sustainable solutions of scale to enable smooth transition.*
- *Building organizational capabilities to embrace change through enablement and development of people.*
- *Conforming to the highest ethical standards and integrity in business activities.*
- *Acting in a socially responsible manner, committed to the cause of environment and people*
- *Adopting best practices and state-of-the-art technology for higher productivity and efficiency.*
- *Promoting creativity and innovation for optimal utilization of resources.*



1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी का ऊर्जा द्वार

माननीय विद्युत, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री, **श्री मनोहर लाल** टीएचडीसीआईएल प्रबंधन के साथ 2400 मेगावाट के टिहरी हाइड्रो पॉवर काम्प्लेक्स के दौरे पर



टिहरी जलाशय का ड्रोन से लिया गया दृश्य



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सदस्य



1320 मेगावाट खुर्जा एसटीपीपी का कुलिंग टावर

विषय–सूची

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन

- निदेशक मंडल 6
- कॉर्पोरेट जानकारी 8
- परियोजना पोर्टफोलियों 9
- अध्यक्ष का अभिभाषण 12
- टीएचडीसीआईएल की 36वीं वार्षिक आम बैठक का नोटिस 17
- हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति 29
- प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं 32
- निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल 37
- व्यवसाय सततता रिपोर्ट – सतत रीति में पूंजी सृजन – 2023–24 40

वित्तीय पूंजी 41
सामाजिक और संबंध पूंजी 44
प्राकृतिक पूंजी 46
बौद्धिक पूंजी 49
मूर्त पूंजी 56
मानव पूंजी 60

निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24 और इसके अनुलग्नक

- निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24 65

एमजीटी–7 का सार (वार्षिक विवरणी) लिंक 96

- कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) 100

सीईओ / सीएफओ प्रमाणन 125
कॉर्पोरेट सुशासन संबंधी प्रमाणपत्र 126

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–II) 127
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक–III) 147
- ऊर्जा सरंक्षण के उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन, समामेलन और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय (अनुलग्नक–IV) 165
- व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (अनुलग्नक–V) 173
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक–VI) 206

वित्तीय विवरण 2023–24

एकल (स्टैंडअलोन)

- वित्तीय विवरण 2023–24 210
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 274
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 285

समेकित

- वित्तीय विवरण 2023–24 288
- स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट 359
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां 366

कॉर्पोरेट सिंहावलोकन



निदेशक मंडल

कॉर्पोरेट जानकारी

परियोजना पोर्टफोलियो

अध्यक्ष का अभिभाषण

हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति

प्रमुख वित्तीय निष्पादन विशेषताएं

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल

व्यवसाय सततता रिपोर्ट 2023–24
सतत रीति में पूंजी सृजन

निदेशक मंडल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यात्मक निदेशक



श्री शैलेन्द्र सिंह
निदेशक (कार्मिक)



श्री भूपेन्द्र गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)



श्री सिपन कुमार गर्ग
निदेशक (वित्त)

नामित निदेशक



श्री पीयूष सिंह
भारत सरकार के नामित निदेशक



श्री अनिल गर्ग
उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक



श्री एस. एन. त्रिपाठी
एनटीपीसी के नामित निदेशक



श्री वीरेंद्र मलिक
एनटीपीसी के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक



श्रीमती सजल झा
स्वतंत्र निदेशक



डॉ जय प्रकाश नाईक बी.
स्वतंत्र निदेशक

वर्ष के दौरान नेतृत्व परिवर्तन



श्री अजय तिवारी
अपर सचिव (हाइड्रो),
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के नामित निदेशक
20.02.2024 से 31.05.2024 तक



श्री जीतेश जॉन
आर्थिक सलाहकार,
विद्युत मंत्रालय
भारत सरकार के नामित निदेशक
30.11.2023 तक



श्री जे. बेहेरा
निदेशक (वित्त)
29.02.2024 तक



श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य
एनटीपीसी के नामित निदेशक
30.11.2023 तक



श्री जयकुमार श्रीनिवासन
एनटीपीसी के नामित निदेशक
31.07.2024 तक



श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला
स्वतंत्र निदेशक
11.07.2023 तक

कॉर्पोरेट जानकारी

पंजीकृत कार्यालय

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
भागीरथी भवन (टॉप टेरेस)
भागीरथी पुरम, टिहरी गढ़वाल–249001
संपर्क नं. (0135) 2473403, 2439309
वेबसाइटः www.thdc.co.in

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड,
सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर–बी, प्लॉट नं. 31–32,
फाइनेन्सियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा,
सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, तेलंगाना
दूरभाष : +91–40–33211000
ई–मेलः srinivas.sudheer@kfintech.com

डिपोजिटरी

सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड
नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड

डिबेंचर ट्रस्टी

विस्त्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड
छठां तल, दि आईएलएंडएफएस फाइनेंसियल सेंटर,
प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा ईस्ट, मुम्बई – 400051

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

सुश्री रश्मि शर्मा

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एचसीओ एंड कंपनी
(पूर्ववर्ती मैसर्स हबीबुल्लाह एंड कंपनी), देहरादून

लागत लेखापरीक्षक

- मैसर्स बंद्योपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोलकाता
- मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, चंडीगढ़
- मैसर्स रमानाथ अय्यर एंड कंपनी, नई दिल्ली
- मैसर्स नर्शिमा मूर्ति एंड कंपनी, हैदराबाद
- मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, पुणे
- मैसर्स आर.जे. गोयल एंड कंपनी, नई दिल्ली

सचिवालयी लेखापरीक्षक

मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, दिल्ली

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी

केयर रेटिंग्स लिमिटेड
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
आईसीआरए लिमिटेड

बांड सूचीबद्धता

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
बीएसई लिमिटेड

बैंकर्स

पी एफ सी PFC
pnb
इंडियन बैंक Indian Bank
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
Union Bank of India
J&K Bank
SBI
HDFC BANK
THE WORLD BANK

परियोजना पोर्टफोलियो

कार्यशील परियोजनाएं (1587 मेगावाट)

जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी एचपीपी • उत्तराखंड में 400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी • उत्तर प्रदेश में 24 मेगावाट की ढुकवां लघु एचईपी
पवन ऊर्जा	• गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट की परियोजना • गुजरात के द्वारका में 63 मेगावाट की परियोजना
सौर ऊर्जा	• केरल के कासरगोड में 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना

निर्माणाधीन परियोजनाएं (2764 मेगावाट)

जल विद्युत	• उत्तराखंड में 1000 मेगावाट की टिहरी पीएसपी • उत्तराखंड में 444 मेगावाट की विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी परियोजना
ताप विद्युत	• उत्तर प्रदेश में 1320 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी
कोयला खदान	• मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान (खुर्जा एसटीपीपी के लिए कोयला लिंकेज) 5.6 एमटीपीए

संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

टुस्को लिमिटेड	• झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • ललितपुर में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क • चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क
ट्रैडको राजस्थान लिमिटेड	• राजस्थान में 1292 मेगावाट का बोडाना सौर ऊर्जा पार्क

संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से जल विद्युत परियोजनाओं का विकास

टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड	निम्नलिखित परियोजना का अन्वेषण किया जा रहा है • उत्तरकाशी में मोरी हनोल जल विद्युत परियोजना (63 मेगावाट)



1320 मेगावाट का खुर्जा एसटीपीपी



टिहरी गढ़वाल में आयोजित, टिहरी वाटर स्पोर्टस कप का रोमांचक दृश्य

अध्यक्ष का अभिभाषण



प्रिय शेयरधारकगण,

मुझे, 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष रखते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मुझे वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं के साथ वर्ष 2023–24 के लिए लेखापरीक्षकों और निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

पिछले दो दशकों में, मैंने सीखा है कि विकास के साथ–साथ इसकी चुनौतियां भी सामने आती है। हमारे सामने आई हर चुनौती ने हमें मजबूत बनाया है। हमने नए मानक स्थापित किए हैं तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी पर जिम्मेदार, सक्रिय और केंद्रित दृष्टिकोण के साथ विकास के नए अवसरों की खोज की है। हमने नवाचार, दक्षता, विश्वसनीयता और स्थिरता के उच्च मानक भी स्थापित किए हैं। आपकी कंपनी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुँच गई है – एक ऐसा क्षण जब इसका पोर्टफोलियो, व्यावसायिक कार्यनीतियाँ, संस्कृति और उद्देश्य उस तरह से संरेखित हैं जैसे इन्हें बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे।

प्रगति के एक उल्लेखनीय वर्ष के बाद आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023 आपकी कंपनी के लिए विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन का एक और वर्ष रहा।

हम अपने स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने पर त्वरित और गम्भीर रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अपने ग्राहकों और भागीदारों के सहयोग से नई तकनीक को अपनाकर इस स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बना रहे हैं। हम नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में और भी बड़े अवसरों को हासिल करने और नए उपभोक्ता केंद्रित व्यवसायों – रूफटॉप सोलर, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पंप स्टोरेज संयंत्र आदि में अपनी नेतृत्व स्थिति बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

आपके हार्दिक सहयोग से साथ, आपकी कंपनी लगातार अपने बुनियादी सिद्धांतों को मजबूत कर रही है और तेजी से बढ़ते संगठनों में से एक के रूप में उभर रही है।

मैं अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके लगातार उच्च स्तरीय प्रदर्शन, कंपनी के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके टीम प्रयास के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

विकास दृष्टिकोण:

विद्युत, राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत की ऊर्जा संस्थापित क्षमता की वृद्धि दर 6.23% है।

भारत सरकार विद्युत क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन और जीवाश्म ईंधन से गैर–जीवाश्म ईंधन–आधारित ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो स्वच्छ, सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और अधिक सतत है।

नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (एनडीसी), भारत ने 2030 तक अपनी संस्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर–जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता की थी।

देश में हरित क्रांति लाने के लिए, भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावॉट संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मई 2024 में 193.5 गीगावॉट तक पहुंच गई है। वर्तमान में, देश में कुल संस्थापित उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत है।

आपका संगठन आपके सहयोग से हर नई तकनीक का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है जो सरकार के 2070 तक नेट जीरो जीएचजी–उत्सर्जन प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी उद्देश्य को बढ़ावा दे सकती है। टीएचडीसीआईएल ने सभी के लिए विश्वसनीय, आर्थिक और गुणवत्तापूर्ण बिजली पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2006–07 से भारतीय विद्युत क्षेत्र की निरंतर वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारत के महत्वाकांक्षी ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में रोडमैप के हिस्से के रूप में, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि टीएचडीसीआईएल ने विभिन्न ग्राउंड माउंटेड, रूफ टॉप और फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्र, पीएसपी, हाइब्रिड सहित कुल 3270 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक विविध श्रृंखला के लिए नवंबर 2023 में 'कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड' (केपीसीएल) और 'कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी

डेवलपमेंट लिमिटेड' (केआरईडीएल) के साथ एक विविध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टीएचडीसीआईएल ने सौर/फ्लोटिंग सौर संयंत्रों के विकास के लिए पीएफआर/डीपीआर तैयार करने और भूमि अभिचिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके अतिरिक्त, नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की भावी संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से, 05.12.2023 को देहरादून में उत्तराखंड एनर्जी कॉन्क्लेव–2023 के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने टीएचडीसीआईएल– यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को उत्तराखंड में कुल 1719 मेगावाट की पांच जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और कमीशनिंग की जिम्मेदारी दी है।

टीएचडीसीआईएल ने उत्तर प्रदेश में कुल 464 मेगावाट क्षमता की तीन फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं की डीपीआर भी तैयार की है और इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की जा रही है।

स्वच्छ कल के लिए, हमारा लक्ष्य हाइब्रिड, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाना और पूरे भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशनों को मजबूत करना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्य निष्पादन विशेषताएं

मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लगातार परिणाम दिए हैं और अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों में सुधार किया है। हमें पूरा भरोसा है कि हम भविष्य में और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होंगे।

(क) टीएचडीसीआईएल की टीम के त्वरित प्रयासों से, आपकी कंपनी ने रु. 4100.41 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले रु.5168 करोड़ का पूंजीगत व्यय करके वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का लगभग 26% से अधिक प्राप्त कर लिया है।

(ख) सभी प्रचालनात्मक संयंत्रों से ऊर्जा उत्पादन असाधारण रूप से अच्छा है। 2023–24 के दौरान सभी संयंत्रों से प्राप्त कुल संचयी उत्पादन 4830.63 एमयू था।

(ग) टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए क्रमशः 80.274% और 69.516% का संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) हासिल किया गया, जबकि मानक आंकड़े क्रमशः 80% और 68% थे।


निर्माण चरण के दौरान टिहरी पीएसपी (4x250 मेगावाट) का मशीन हाल


खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) कोयला स्टॉक यार्ड

(घ) टिहरी पीएसपी की दूसरी इकाई (4x250 मेगावाट) को 26.12.2023 को सफलतापूर्वक बॉक्स अप किया गया था।

(ङ) खुर्जा एसटीपीपी की दूसरी इकाई का बॉयलर हाइड्रो परीक्षण 02.11.2023 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

(च) खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई का बॉयलर लाइट अप 21.03.2024 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

(छ) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अमेलिया कोयला खदान से 1.25 मिलियन टन (एमटी) कोयला निकाला गया है।

(ज) टीएचडीसीआईएल ने 2 अगस्त 2023 को टिहरी एचपीपी से एक दिन में अधिकतम बिजली (25.8 एमयू) उत्पन्न की।


अमेलिया कोल माइन 139.48 मि.ट.

(झ) 8 जून 2023 को 400 केवी खुर्जा एसटीपीपी स्विचयार्ड को 400 केवी खुर्जा–अलीगढ़ लाइन–1 और लाइन–2 के साथ सफलतापूर्वक चार्ज किया गया।

(ञ) वीपीएचईपी परियोजना में टीबीएम द्वारा एक महीने में अधिकतम एचआरटी उत्खनन 431.1 आरएम था।

(ट) टीएचडीसीआईएल ने 18 जनवरी 2024 को वीपीएचईपी परियोजना में बांध की कंक्रीटिंग (बाएं किनारे में नॉन–ओवर फ्लो ब्लॉक) शुरू कर दी गई है।

(ठ) उत्तराखंड में बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए दिसंबर 2023 में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल के बीच 'टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निगमन किया गया है।

(ड) जीएमवीएन के पर्यटक विश्राम गृहों/बंगलों के चिन्हित

स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अक्टूबर 2023 में टीएचडीसीआईएल और जीएमवीएन (गढ़वाल मंडल विकास निगम) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ढ) कर्नाटक में पंप स्टोरेज परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए नवंबर 2023 में टीएचडीसीआईएल और कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट लिमिटेड (केआरईडीएल), बेंगलुरु के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ण) दिसंबर 2023 में अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में 1200 मेगावाट की कलाई–द्वितीय जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(त) छत्तीसगढ़ में गोधना थर्मल पावर संयंत्र (2x800 मेगावाट) लेने के लिए फरवरी 2024 में एक जेवी कंपनी के गठन के लिए 'मैसर्स केपीसीएल' (कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कर्नाटक सरकार) के साथ एमओएम पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(थ) माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा क्रमशः 18.12.2023 और 04.03.2024 को चित्रकूट और ललितपुर में सौर पीपी की आधारशिला रखी गई।

(द) राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य में योगदान करते हुए, टीएचडीसीआईएल, ऋषिकेश में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। संयंत्र का औपचारिक उद्घाटन 26 जनवरी 2024 को किया गया था।

(ध) वर्ष 2023–24 के दौरान सकल बिक्री रु.1967.24 करोड़ है। निवल लाभ रु.589.34 करोड़ है।

चल रही परियोजनाएं:

टीएचडीसीआईएल 2030 तक लगभग 8750 मेगावाट की उल्लेखनीय संचयी क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल अपने नवीकरणीय ऊर्जा पदचिह्न का विस्तार करने और हरित भविष्य में योगदान देने के लिए समर्पित है। इस वर्ष के दौरान हमने साथ मिलकर जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उन पर मुझे गर्व है और मैं आगे के अवसरों को लेकर और भी अधिक आशावादी हूं। टीएचडीसीआईएल ने 2027 तक कम से कम 4362 मेगावाट की संस्थापित क्षमता की परिकल्पना की है।

टिहरी पीएसपी और खुर्जा एसटीपीपी में, सभी मोर्चों पर काम कमीशनिंग के अंतिम चरण में हैं। टिहरी पीएसपी और खुर्जा एसटीपीपी की पहली इकाई क्रमशः सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 तक चालू होने की संभावना है।

परियोजना (वीपीएचईपी) के हित में विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बाद, टीएचडीसीआईएल ने 18 जनवरी 2024 को बांध कंक्रीटिंग (बाएं किनारे में नॉन–ओवर फ्लो ब्लॉक) शुरू कर


वीपीएचईपी (4x111 मेगावाट) में प्रचालन में टीबीएम

दिया है और पहली इकाई मार्च 2026 तक चालू होने की संभावना है।

अमेलिया कोयला खदान में 18.02.2023 से, निर्धारित समय यानी अगस्त 2023 से पहले, कोयला निकासी शुरू हो गई है और मार्च 2024 तक 1.29 मीट्रिक टन कोयला भेजा जा चुका है।

सामाजिक सततता के लिए प्रणालियां:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में, हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के महत्व को समझते हैं और हमने अपनी कंपनी–प्रायोजित सोसायटी, सेवा–टीएचडीसी के माध्यम से अपने प्रचालन क्षेत्रों में व्यापक गतिविधियां शुरू की हैं। कुछ उल्लेखनीय सीएसआर पहलों में टिहरी जिले के दूरदराज के इलाके में एलोपैथी औषधालय चलाना, वंचित बच्चों के लिए स्कूल संचालित करना, स्वास्थ्य उपकरण वितरित करना, शौचालयों का निर्माण करना, स्कूलों में परिवेशी जल कियोस्क स्थापित करना, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, स्ट्रीट लाइट स्थापित करना, वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण करना, टिहरी झील में ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चौम्पियनशिप और क्वालीफायर 37वें राष्ट्रीय खेल (गोवा 2023) की मेजबानी करना शामिल है।


उत्तराखंड में टिहरी जलाशय में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2023 का दृश्य

कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियां

टीएचडीसीआईएल में, सुशासन हमारी मूल मान्यताओं में निहित है और हमारे व्यवसाय के ईमानदारीपूर्ण, पारदर्शी और जवाबदेह संचालन में मदद करता है। हमारा बोर्ड कंपनी के लिए अच्छे

कॉर्पोरेट सुशासन का केंद्र बिंदु और संरक्षक है और सतत विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक कार्यनीति निर्धारित करता है। कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों में निगरानी और सामरिक दिशा प्रदान करने के लिए एक विविध और स्वतंत्र निदेशक मंडल की स्थापना करना, मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे को लागू करना और सभी प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के साथ अखंडता और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। सटीकता और विश्वसनीयता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए वित्तीय और प्रचालन प्रक्रियाओं की नियमित लेखापरीक्षा और मूल्यांकन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों और समुदाय के साथ निर्बाध संचार सुनिश्चित कर हितधारक जुड़ाव को प्राथमिकता देती है, यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनके हितों और चिंताओं पर विचार किया जाए।

अनुसंधान एवं विकासः

अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में, टीएचडीसीआईएल परियोजनाएं शुरू करने और भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में भाग लेने के लिए प्रयासरत है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 'ग्रीन हाइड्रोजन' (इलेक्ट्रोलाइज़र और ईंधन–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड सिस्टम) की एक पायलट परियोजना स्थापित की गई है।



कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन

इस पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन और संचालन से प्राप्त अनुभव का उपयोग वाणिज्यिक पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र के कार्यान्वयन में किया जाएगा।

सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना को लागू करने की प्रतिबद्धताः

'पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना' एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह योजना फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी। योजना के तहत, परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

इस योजना का उद्देश्य रूफ टॉप सौर पैनल स्थापित करके घर की बिजली की लागत को कम करना और देश भर में रूफ टॉप सौर ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने को बढ़ावा देना है। इस संबंध में, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को आवासीय भवनों के साथ–साथ राज्य सरकार के स्वयं के भवनों पर रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित करने और समन्वय करने के लिए तीन राज्यों नामतः उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में कार्य सौंपा है।

इस योजना के तहत, घरों और संस्थानों को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने, बिजली बिल कम करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए रूफ टॉप सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। टीएचडीसीआईएल पीएम सूर्य घर योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।

तदनुसार, टीएचडीसीआईएल ने सौर पीवी मॉड्यूल, ग्रिड टाईड सोलर इनवर्टर के निर्माण और आपूर्ति और बीओएस की आपूर्ति के साथ रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए इच्छुक प्रतिष्ठित विनिर्माताओं के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) तैयार कर प्रस्तुत की है।

दायरे का विस्तार : टीएचडीसीआईएल का भविष्य

भारत विश्व में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। विद्युत, अवसंरचना के बुनियादी घटकों में से एक है, जो देश के आर्थिक विकास को परिभाषित करती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और नीतियों को लागू करने की प्रतिबद्धता देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक रही है।

भारत के विद्युत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, देश ने 30.05.2024 को 250 गीगावॉट की रिकॉर्ड अधिकतम बिजली की मांग को पूरा किया है। देश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। सीईए द्वारा तैयार राष्ट्रीय विद्युत योजना 2022 के मसौदे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026–27 में अधिकतम मांग और ऊर्जा मांग क्रमशः 272 गीगावॉट और 1,852 बिलियन किलोवाट–घंटा (रूफ टॉप सौर ऊर्जा उत्पादन को छोड़कर) होगी। देश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए संस्थापित उत्पादन क्षमता में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि टीएचडीसीआईएल की समर्पित और अनुभवी टीम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समय पर चालू करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

टीएचडीसीआईएल वैश्विक मंच पर सस्ती, सुलभ और टिकाऊ यूनिट हासिल करने में अग्रणी संस्थान बनेगा। टीएचडीसीआईएल के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने अगले पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 2028–29 तक 8000 मेगावाट की समग्र क्षमता हासिल करने के लिए त्वरित और गम्भीर नीति तैयार की है।

आपकी कंपनी ने अपने दायरे का विस्तार किया है और ऊर्जा के सभी प्रकार के पारंपरिक और गैर–पारंपरिक रूपों में पूरी तरह से विविधता लाई है।

आपकी कंपनी पूरे देश में और अधिक पंप स्टोरेज परियोजनाएं शुरू करने पर पूरी तरह केंद्रित है। कंपनी के सतत आर्थिक विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी प्रमुख एजेंडे में हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कर्नाटक के वरही में 1500 मेगावाट के पंप स्टोरेज संयंत्र के विकास के लिए 'टीएचडीसीआईएल' और 'केपीसीएल' के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। टीएचडीसीआईएल ने महाराष्ट्र में 7390 मेगावाट पंप भंडारण परियोजनाओं और तमिलनाडु में 2700 मेगावाट नल्लार पीएसपी की भी खोज की है। यह भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 1200 मेगावाट पीएसपी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी टीएचडीसीआईएल को सौंपी जा सकती है।

आभार

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से, मैं अपने सभी हितधारकों, व्यापार भागीदारों, ग्राहकों, एनटीपीसी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), लोक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), राज्य सरकारों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय, को उनकी ओर से प्रदान किए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और हमारे प्रयासों में सहायता के लिए आभार व्यक्त करता हूं।

मैं कंपनी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के बहुमूल्य योगदान और सुझावों के लिए उन्हें विशेष धन्यवाद देता हूँ और सराहना करता हूँ। मैं कंपनी को विद्युत क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनाने के लिए पूरी समर्पित टीएचडीसीआईएल टीम के अथक प्रयासों, प्रतिबद्धता, ऊर्जा और उत्साह के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी ओर से, मैं आने वाले समय में भी इसी उत्साह के साथ आपका निरंतर समर्थन चाहता हूँ।

टीएचडीसीआईएल परिवार की ओर से, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आपकी कंपनी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास और प्रतिबद्धता जारी रखेगी। टीम टीएचडीसीआईएल के बेजोड़ ज्ञान भंडार और कौशल के साथ, मैं एक बार फिर आपको आश्वस्त करता हूं कि कंपनी का प्रत्येक कर्मचारी आने वाले वर्षों में प्रदर्शन में सुधार के लिए 'पावर सोल्जर' के रूप में काम करेगा।

मैं आपके निरंतर विश्वास, भरोसे और समर्थन के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी कंपनी के विकास में योगदान और समर्थन के लिए हमारे संविदाकारों और आपूर्तिकर्ताओं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भी धन्यवाद देता हूं।

मैं आपके साथ कार्य करने का अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अंत में, हम अपने शेयरधारकों को हमारी विकास कार्यनीतियों और नेतृत्व में दिखाए गए विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूँ।

शुभकामनाओं सहित

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27.09.2024


कोटेश्वर विद्युत गृह

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सीआईएनः
सीआईएनः यू45203यूआर1988जीओआई009822
पंजीकृत कार्यालयः भागीरथी भवन (शीर्ष तल), भागीरथीपुरम, टिहरी गढ़वाल – 249001
दूरभाषः 0135–2439309, वेबसाइटः www.thdc.co.in, ई–मेलः csrksh@thdc.co.in

सूचना

एततद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य संव्यवहार के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को सांय 05:30 बजे टीएचडीसीआईएल, नई दिल्ली कार्यालय में की जानी निर्धारित है :

सामान्य व्यवसाय

1. **31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   ''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और नियंत्रण एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएलोन और समेकित वार्षिक लेखाओं, सभी अनुसूचियों और अनुलग्नकों, जो वार्षिक लेखाओं का भाग है, और कॉर्पोरेशन की लेखांकन नीतियों, नकदी प्रवाह विवरण, और सभी अनुलग्नकों सहित निदेशकों की रिपोर्ट को बैठक के समक्ष रखा गया और एततद्वारा अनुमोदित और अंगीकार किया जाता है।

2. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना तथा, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   ''संकल्प लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु, कंपनी के निदेशक मंडल को कंपनी के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का उचित पारिश्रमिक नियत करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

3. **अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2023–24 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा करना, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन (संशोधनों) के साथ या बिना, साधारण संकल्प के रूप में पारित करना।**

   "इक्विटी शेयरधारको अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में वितीय वर्ष 2023–24 के लिए ₹227.34 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश को अनुमोदित करने का **संकल्प लिया जाता है**।"

   "इक्विटी शेयरधारको अर्थात एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 27.03.2024 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में वितीय वर्ष 2023–24 के लिए ₹300 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करने का **संकल्प लिया जाता है**।"

विशेष व्यवसायः–

4. **श्री पीयूष सिंह (डीआईएनः 07492389) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

   ''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत

बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री पीयूष सिंह (डीआईएनः 07492389), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11 जून, 2024 के आदेश संख्या 14–37/38/2023–एचआई (270636) के माध्यम से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

5. **श्री एस. एन. त्रिपाठी (डीआईएनः 10428360) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री एस. एन. त्रिपाठी (डीआईएनः 10428360), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31 जुलाई, 2024 के आदेश संख्या 14–37/38/2023–एचआई (270463) के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

6. **श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएनः10427762) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएनः 10427762), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31 जुलाई, 2024 के आदेश संख्या 14–37/38/2023–एचआई (270463) के माध्यम से एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।

7. **श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएनः10746205) को कंपनी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और, यदि उचित समझा जाए तो, साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों, यदि कोई हो, और इसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएनः 10746205), जिन्हें 17 अगस्त, 2024 की कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अगस्त, 2024 के आदेश संख्या 14–11/2/2023–एचआई (266870) के माध्यम से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया जाता है।

8. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और और यदि उचित समझा जाए, एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः**

''कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियम, 2014, यथासंशोधित, के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के उपबंधों और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए, निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में यथाअनुमोदित, लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की निम्नानुसार अभिपुष्टि करने का **संकल्प लिया जाता है**:–

क्र. सं.	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	मैसर्स बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता	टिहरी एचपीपी	रु. 75,000/– और लागू कर
02	मैसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	रु.75,000/– और लागू कर
03	मैसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन विद्युत परियोजनाएं	रु.70,000/– और लागू कर
04	मैसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	ढुकवां एसपीपी	रु.40,000/– और लागू कर
05	मैसर्स धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर विद्युत संयंत्र	रु.40,000/– और लागू कर
06	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	सभी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के समेकन के लिए प्रमुख लागत लेखापरीक्षक	रु.75,000/– और लागू कर

उपरोक्त के अलावा, मूल रसीद/वाउचर की प्रस्तुति के अध्यधीन कंपनी के नियमों के अनुसार यात्रा, आवास और भोजन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

9. **निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु. 2500 करोड़ तक के कॉरपोरेट बॉन्ड निर्गत करने की मंजूरी देना, जिन्हें उपयुक्त किश्तों में जारी किया जाएगा और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 (1) और किसी भी अन्य लागू वैधानिक उपबंध (किसी भी वैधानिक संशोधन या उसके पुनः अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 और अन्य लागू उपबंधों के अनुसार, और कंपनी के अंतर्नियमों के उपबंधों के अध्यधीन, कंपनी के निदेशक मंडल को निर्गम के समय, विचरण, निर्गम से हुए आय के उपयोग और उससे संबंधित या परिणामी अन्य सभी संबद्ध मामलों सहित ऐसी शर्तों और निबंधनों, जो कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाए और कंपनी के हित में हो, पर निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रतिभूत / अप्रतिभूत कॉर्पोरेट बांड जारी करने के माध्यम से रु. 2500 करोड़ तक की धनराशि जुटाने के लिए अधिकृत करने के लिए सदस्यों का अनुमोदन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, यह भी **संकल्प लिया जाता है कि** बोर्ड को समय–समय पर, ऐसे बांडों के निजी प्लेसमेंट को प्रभावी करने के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य और चीजें, जो आवश्यक समझे जाए, जिनमें अंकित मूल्य, निर्गम मूल्य, निर्गम आकार, अवधि, समय, राशि, प्रतिभूति, कूपन/ब्याज दर, प्रतिलाभ, सूचीकरण, आबंटन और बांड जारी करने के अन्य नियम और शर्तें, जो यह अपने पूर्ण विवेक के अनुसार आवश्यक समझे, निर्धारित करना शामिल है, किंतु इन तक ही सीमित नहीं है, करने या प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

10. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम के आधिक्य में बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करना और, इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधनों के साथ या बिना, एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:**

"संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जो निदेशक मंडल उचित समझे, समय–समय पर कोई धनराशि या धनराशियां, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ, कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि एवं प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक हो सकती है, उधार लेने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि किसी भी समय दिनांक 31.03.2024 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम अर्थात् रु. 25546 करोड़ से रु. 15000 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के लिए और बोर्ड के आदेश द्वारा

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

दिनांकः 27.09.2024
स्थानः नई दिल्ली

सेवा में:

- टीएचडीसीआईएल के सभी शेयरधारकगण
- टीएचडीसीआईएल के सभी निदेशक
- सांविधिक लेखा परीक्षक – मैसर्स एचसीओ एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
- सचिवीय लेखा परीक्षक– मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
- डिबेंजर ट्रस्टी – विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विशेष व्यवसाय के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसके साथ संलग्न है ।
2. सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 भी कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर उपलब्ध होगी।
3. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार कोई सदस्य स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने का हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो। प्रभावी होने के लिए, विधिवत पूर्ण किए गए प्रॉक्सी फॉर्म को वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से कम–से–कम कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। रिक्त प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।
4. कंपनी की बैठक में या उसमें पेश किए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर मतदान देने का हकदार प्रत्येक सदस्य, बैठक के शुरू होने के निर्धारित समय से चौबीस घंटे पहले और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए, कंपनी के कार्य–समय के दौरान किसी भी समय दर्ज किए गए प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा, बशर्ते कंपनी को निरीक्षण करने के आशय के लिए कम से कम तीन दिन का लिखित नोटिस दिया गया हो।
5. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधियों को एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करने वाले बोर्ड के संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
6. निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 27.03.2024 की स्थिति के अनुसार उनकी इक्विटी शेयरधारिता के अनुपात में इक्विटी शेयर धारकों को रु. 300 करोड़ के अंतरिम लाभांश की घोषणा की, जिसे अंतिम लाभांश माना जाएगा।
7. सभी स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता (लिस्टिंग) शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही, डिपॉजिटरी अर्थात् सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड दोनों को वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया गया था।
8. कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है।
9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कार्यसाधक संख्या (कोरम) का अभिनिश्चय करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।
10. 36वीं एजीएम के आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए दिशा–निर्देश दर्शाने वाल मार्ग मानचित्र (रूट मैप) इसके साथ संलग्न है।



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में वार्षिक आम बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

निम्नलिखित विवरण में सूचना में दिए गए विशेष व्यवसायों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट किया गया है:

मद संख्या 4:

श्री पीयूष सिंह (डीआईएनः 07492389) को कंपनी के अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार के नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करना।

श्री पीयूष सिंह (डीआईएनः 07492389) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 11 जून, 2024 के आदेश के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री पीयूष सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच से हैं और उनके पास आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री है। उन्होंने जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न पदों पर काम किया। उन्होंने उत्तराखंड में नियोजन विभाग, देहरादून में भी कार्य किया। वह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (थर्मल और कोयला, वितरण) हैं।

श्री पीयूष सिंह को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 5:

श्री एस. एन. त्रिपाठी (डीआईएनः 10428360) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

श्री एस. एन. त्रिपाठी (डीआईएनः 01220828) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31 जुलाई, 2024 के आदेश संख्या 14–37/38/2023– एच.आई (270463) के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री एस. एन. त्रिपाठी एनटीपीसी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (हाइड्रो) हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्हें बिजली उद्योग में 35 से अधिक वर्षों का अनुभव है, श्री त्रिपाठी संचालन और अनुरक्षण के साथ–साथ परियोजना प्रबंधन और निर्माण दोनों में विशेषज्ञता रखते हैं। उनके पास एनटीपीसी बाढ़–I और मेजा सहित जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने का एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है, और वर्तमान में निर्माणाधीन 10 गीगावॉट से अधिक और 60 गीगावॉट एफजीडी परियोजनाओं के परियोजना पोर्टफोलियो का पर्यवेक्षण कर रहे हैं।

श्री एस. एन. त्रिपाठी को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 6:

श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएनः 10427762) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना

श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएनः 10427762) को विद्युत मंत्रालय के दिनांक 31 जुलाई, 2024 के आदेश संख्या 14–37/38/2023– एच.आई (270463) के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री वीरेंद्र मलिक एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (वित्त) हैं। वह भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और ईआरपी एवं प्रणाली विकास, लागत, कराधान, परियोजना वित्तपोषण और वाणिज्यिक गतिविधियों सहित वित्त–संबंधी मामलों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं।

श्री वीरेंद्र मलिक को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 7:

श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएनः 10746205) को कंपनी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना

श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएनः 10746205) को दिनांक 17 अगस्त 2024 की कार्यभार ग्रहण करने की रिपोर्ट के साथ पठित विद्युत मंत्रालय के दिनांक 16 अगस्त, 2024 के आदेश संख्या 14–11/2/2023– एच.आई (266870) के तहत टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

निदेशक (वित्त) के रूप में श्री सिपन कुमार गर्ग की नियुक्ति को विनियमित करने वाले नियम और शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया गया था।

श्री सिपन कुमार गर्ग ने 17 अगस्त 2024 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (वित्त) की भूमिका संभाली। विद्युत क्षेत्र में 23 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर, श्री गर्ग वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं में व्यापक विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स (ऑनर्स), एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है, और वह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इससे पहले, श्री गर्ग अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी सहित प्रमुख पदों पर रहे और एनटीपीसी लिमिटेड में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री सिपन कुमार गर्ग को छोड़कर कंपनी का कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित और हितबद्ध नहीं हैं।

मद संख्या 8:

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों (कोस्ट ऑडिटर्स) के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना

बोर्ड ने 06 अगस्त, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया और वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को संदेय पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने की सिफारिश की। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित पारिश्रमिक पर निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया और अनुमोदित किया गया और तदोपरांत, शेयरधारकों द्वारा इसकी अभिपुष्टि की जाएगी।

बोर्ड ने लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निम्नानुसार अनुशंसित किया है:

क्रमांक	लेखापरीक्षक का नाम (मैसर्स)	लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तावित इकाई	शुल्क
01	बंधोपाध्याय भौमिक एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता	टिहरी एचपीपी	रु. 75,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
02	बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़	कोटेश्वर एचईपी	रु.75,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
03	रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	पवन विद्युत परियोजनाएं	रु.70,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
04	नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद	ढुकवां एसएचपी	रु.40,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
05	धनंजय वी. जोशी एंड एसोसिएट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स, पुणे	सौर ऊर्जा संयंत्र	रु.40,000/– और कर एवं यात्रा व्यय
06	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, कोस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली	सभी लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को समेकन करने के लिए प्रमुख लागत लेखा परीक्षक	रु.75,000/– और कर एवं यात्रा व्यय

उक्त संकल्प को पारित करने में निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों को कोई सरोकार या हित, वित्तीय या अन्यथा, नहीं है।

मद संख्या 9:

निजी प्लेसमेंट के आधार पर रु. 2500 करोड़ के कॉर्पोरेट बांड्स को उपयुक्त किश्तों में निर्गत करने के लिए अनुमोदन:

1. कंपनी के निदेशक मंडल ने 06 अगस्त, 2024 को आयोजित अपनी 246वीं बैठक में उपयुक्त अंशों में दस से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय बांड जारी करके रु. 2500 करोड़ तक की राशि जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित अधिकतम सीमा के अध्यधीन, विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख से शुरू होकर एक वर्ष के पूरा होने तक की अवधि के दौरान या वित्तीय वर्ष 2024–25 में अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक, जो भी पहले हो, उपयुक्त अंशों में 10 से 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके रु. 2500 करोड़ तक की राशि जुटाने के लिए कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन प्रार्थित है।

3. निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी हिस्सेदारी की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई सरोकार या हित नहीं है। एक एकीकृत व्यापार की योजना के रूप में, कंपनी द्वारा हाइड्रो, थर्मल और नवीकरणीय क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि के लिए सभी अवसरों की खोज की गई है। कंपनी की विभिन्न परियोजनाओं प्रचालनाधीन, निर्माणाधीन और जांचाधीन हैं। वित्तीय व्यवस्था इस प्रकार हैं:

1. **प्रचालनात्मक परियोजनाएं –**

कंपनी की इस प्रकार की छह प्रचालनात्मक परियोजनाएं – टिहरी चरण–I 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट, ढुकवां एसएचईपी 24 मेगावाट, पवन परियोजनाएं – पाटन 50 मेगावाट, द्वारका 63 मेगावाट और कासरगोड सौर परियोजना 50 मेगावाट हैं। परियोजना–वार बकाया ऋण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	वित्तीय संस्था का नाम	30.06.2024 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	अनुसूचित चुकौती
1	पाटन	बॉन्ड सीरीज–I	64.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
2	द्वारका	बॉन्ड सीरीज–I	152.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
3	ढुकवां	बॉन्ड सीरीज–I	111.00	03.10.2026 को बुलेट भुगतान
		बांड सीरीज–II	80.00	05.09.2029 को बुलेट भुगतान
4	कासरगौड सौर परियोजना	बॉन्ड सीरीज– IV	93.00	20.01.2031 को बुलेट भुगतान

प्रचालन से उत्पन्न नकदी का उपयोग मौजूदा ऋण की बकाया चुकौती के साथ–साथ चल रही के लिए इक्विटी की ओर वित्तपोषण के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने पीएनबी / एसबीआई / बीओबी / एचडीएफसी बैंक से ओडी सीमा / डब्ल्यूसीएल /एसटीएल का लाभ उठाया है।

2. **निर्माण परियोजनाएं –**

क. **टिहरी पीएसपी** – टिहरी पीएसपी को पूरा करने की अनंतिम अनुमानित लागत रु. 6856.05 करोड़ है (23 जून के मूल्य स्तर पर आरसीई–III, अनुमोदन के लिए सीईए को प्रस्तुत किया गया) जिसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित किया जाएगा। अब तक अर्थात् 30.06.2024 को पीएसपी का कुल पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) रु. 6562.90 करोड़ है। ऋण भाग के लिए, निधियों की व्यवस्था बांड इश्यू श्रृंखला II से X तक प्राप्त निधियों से की गई है, जिनकी कुल राशि रु. 4573.00 करोड़ है।

इक्विटी घटक के लिए, कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से रु. 372.95 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से रु. 124.32 करोड़ का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

ख. **वीपीएचईपी परियोजना** – फरवरी 2019 के मूल्य स्तर पर वीपीएचईपी की संशोधित लागत रु. 3860.36 करोड़ है और इसे 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात में वित्तपोषित किया जाना है। इसे पूरा करने की अनंतिम लागत लगभग रु. 5800 करोड़ हो सकती है। 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) रु. 3826.76 करोड़ है। परियोजना के ऋण हिस्से के लिए, विश्व बैंक से 648 मिलियन अमरीकी डालर के वित्तपोषण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वर्ष 2019–20 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने उच्च डॉलर की परिवर्तन दर के कारण 100 मिलियन अमरीकी डालर का अभ्यर्पण किया है और वित्त वर्ष 2021–22 में अन्य 100 मिलियन अमरीकी डालर का भी अभ्यर्पण किया है, जिसे विश्व बैंक ने स्वीकार कर लिया। दिनांक 30.06.2024 स्थिति के अनुसार विश्व बैंक का बकाया ऋण 279.31 मिलियन यूएसडी है।

इसके अलावा, बॉन्ड सीरीज IX से प्राप्त रु. 100 करोड़ की निधियों और पीएनबी से रु. 400 करोड़ के मध्यम अवधि ऋण की बकाया राशि का उपयोग उपरोक्त परियोजना के लिए किया गया है।

इक्विटी घटक के लिए, कंपनी को निवेश अनुमोदन के अनुरूप भारत सरकार (अब मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड) से रु. 188.00 करोड़ और उत्तर प्रदेश सरकार से रु. 71.36 करोड़ का इक्विटी योगदान प्राप्त हुआ था। शेष इक्विटी का वित्तपोषण नई इक्विटी / आंतरिक उपार्जन के माध्यम से किया जा रहा है।

ग. **खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान** – दिसंबर 2017 के मूल्य स्तर पर रु. 12676.58 करोड़, जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निर्धारित प्रचालन के साथ खुर्जा एसटीपीपी के कार्यान्वयन के लिए रु. 11089.42 करोड़ और अमेलिया कोयला खदान के विकास के लिए रु. 1587.16 करोड़ शामिल हैं, के व्यय के लिए दिनांक 08.03.2019 के पत्र के माध्यम से 1320 मेगावाट की खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के निवेश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा मंजूरी और संसूचना दी गई थी। 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) क्रमशः रु. 10745.50 करोड़ और रु. 1262.36 करोड़ है।

टीएचडीसीआईएल ने पहली निकासी की तारीख अर्थात् 11.01.2022 से 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए कंपनी की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से रु. 2500 करोड़ का सावधि ऋण लिया है। इसके अलावा, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा

निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय के लिए रु. 2500 करोड़ का सावधि ऋण–II भी स्वीकृत किया गया है। ऋण की चुकौती अवधि पहली निकासी की तारीख अर्थात् 21.02.2023 से 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि के बाद 10 वर्ष है। इन ऋणों से प्राप्त निधियों का उपयोग उपरोक्त परियोजनाओं के लिए किया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न बांड निर्गम श्रृंखला से प्राप्त निधि में से कुल रु. 3369 करोड़ का उपयोग खुर्जा परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया है।

खुर्जा और अमेलिया कोयला खदान के इक्विटी हिस्से को आंतरिक उपार्जन के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।

3. बॉन्ड उधारियां –

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 से 2024–25 के दौरान कुल रु. 9142 करोड़ की श्रृंखला I से XI निर्गत की है। उपरोक्त बांड श्रृंखला के सापेक्ष निधि का उपयोग इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

बांड श्रृंखला	ब्याज दर	बांड का आकार	बांड निर्गम की तारीख	बांड चुकौती की तारीख
I	7.59%	600.00	03.10.2016	03.10.2026
II	8.75%	1500.00	05.09.2019	05.09.2029
III	7.19%	800.00	24.07.2020	24.07.2030
IV	7.45%	750.00	20.01.2021	20.01.2031
V	7.39%	1200.00	25.08.2021	25.08.2031
VI	7.60%	800.00	14.09.2022	14.09.2032
VII	7.88%	600.00	27.12.2022	27.12.2032
VIII	7.76%	763.00	13.09.2023	13.09.2033
IX	7.93%	779.00	16.01.2024	16.01.2034
X	7.76%	750.00	29.05.2024	29.05.2034
XI	7.72%	600.00	03.09.2024	03.09.2034
	कुल	**9142.00**		

4. केपेक्स आवश्यकता:

बजट अनुमान 2024–25 के अनुसार पूंजीगत व्यय की अनुमानित राशि रु. 3440.96 (सहायक कंपनियों के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को छोड़कर) है। संशोधित बजट अनुमान 2024–25 और बजट अनुमान 2025–26 को अंतिम रूप देने और अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। हालाँकि, अनुमानित संशोधित बजट अनुमान 2024–25 और बजट अनुमान 2025–26 क्रमशः रु. 6289 करोड़ और रु. 2630 करोड़ (सहायक कंपनियों के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय को छोड़कर) है। निर्माणाधीन परियोजनाओं (विश्व बैंक के साथ टाइड–vi वीपीएचईपी को छोड़कर) की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ऋण घटक लगभग रु.4500 करोड़ है।

रु. 4500 करोड़ की उपरोक्त ऋण आवश्यकता के सापेक्ष, रु. 750 करोड़ के लिए बॉन्ड सीरीज X जारी किया गया है तथा चालू वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान अब तक रु. 50.00 करोड़ का दीर्घावधि बैंक सावधि ऋण प्राप्त किया गया है। इसके अलावा, रु. 1500 करोड़ का नया सावधि ऋण प्रक्रियाधीन है।

प्रस्ताव

1. ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जारी निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं भावी योजनाओं की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दस से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए निजी प्लेसमेंट के आधार पर, उपयुक्त अंशों में प्रतिभूत/अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय बांड जारी करके रु. 2500 करोड़ तक की राशि जुटाने का प्रस्ताव है। बांड की प्रकृति अर्थात् प्रतिभूत/अप्रतिभूत का निर्णय जारी करने के समय प्रतिभूति की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। अनंतिम निबंधन पत्र अनुलग्नक निम्नानुसार है:

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के प्रस्तावित बांड के लिए अनंतिम निबंधन पत्र*

निर्गमकर्ता	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
लिखत का प्रकार	डिबेंचरों की प्रकृति में प्रतिभूत / अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांड।
लिखत की प्रकृति	प्रतिभूत/अप्रतिभूत
जारी करने का तरीका	निजी प्लेसमेंट
सूचीकरण (स्टॉक एक्सचेंजों जहां इसे सूचीबद्ध किया जाएगा के नाम सहित सूचीकरण के लिए समयसीमा)	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) लिमिटेड के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) खंड पर प्रस्तावित।
निर्गम का आकार	उपयुक्त किश्तों में रु. 2500 करोड़ तक
ओवरसब्सक्रिप्शन प्रतिधारित करने के विकल्प (राशि)	हाँ, ग्रीन शू विकल्प के साथ
निर्गम के उद्देश्य	पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करने सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करना।
पुट कॉल ऑप्शन	आवश्यकता के आधार पर
कूपन दर	निर्धारित की जानी है
कूपन भुगतान आवृत्ति	वार्षिक
कूपन भुगतान तिथियां	आवंटन तिथि की वर्षगांठ की तिथि
कूपन प्रकार	नियत
कूपन रीसेट प्रक्रिया (दरों, स्प्रेड, प्रभावी तिथि, ब्याज दर कैप और फ्लोर आदि सहित)	कोई नहीं
दिन गणना आधार	वास्तविक
निर्गम राशि	रु. 1,00,000 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर
अवधि	10 से 15 वर्ष
प्रतिदान राशि	रु. 1 लाख प्रत्येक के सममूल्य पर
प्रतिदान प्रीमियम / छूट	शून्य
लिखत जारी करने का तरीका	डीमैट
लिखत व्यापार का तरीका	डीमैट

*उपरोक्त निबंधन समय–समय पर जारी किए जाने वाले सेबी विनियमनों के अध्यधीन हैं।

2. बांडों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग निर्माणाधीन परियोजनाओं की ऋण आवश्यकताओं को आंशिक रूप से पूरा करने के लिए किया जाएगा, जिसमें पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति और मौजूदा ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करना शामिल है।

मद संख्या 10:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम के आधिक्य में बोर्ड की उधार लेने की शक्तियों को अनुमोदित करना

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180(1)(ग) के अनुसार, किसी कंपनी का निदेशक मंडल ऐसी स्थिति में धनराशि उधार लेने की शक्ति का प्रयोग करेगा, जहां उधार ली जाने वाली धनराशि और कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि, किसी विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी की सहमति से व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त अस्थायी ऋण के अलावा, उसकी संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम के कुल योग से अधिक होगी।

उपरोक्त खंड के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार 'अस्थायी ऋण' पदों से मांग पर या ऋण की तारीख से छह महीने के भीतर चुकाए जाने वाले ऋण जैसे कि अल्पकालिक ऋण, नकद ऋण व्यवस्था, बिलों की छूट और सीजनल प्रकृति के अन्य अल्पकालिक ऋण जारी करना अभिप्रेत हैं,

लेकिन इसमें पूंजीगत प्रकृति के वित्तीय व्यय के उद्देश्य से जुटाए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

इस संबंध में, 25.09.2023 को आयोजित 35वीं एजीएम में कंपनी के शेयरधारकों ने निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित किया है:–

''संकल्प लिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और अन्य लागू उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे नियम और शर्तों पर और ऐसी प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जो निदेशक मंडल उचित समझे, समय–समय पर कोई धनराशि या धनराशियां, जो कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई धनराशि (व्यवसाय के सामान्य क्रम में कंपनी के बैंकरों से प्राप्त या प्राप्त किए जाने वाले अस्थायी ऋणों के अलावा) के साथ, कंपनी की तत्समय संदत्त पूंजी के और इसकी मुक्त आरक्षित निधि के कुल योग से अधिक हो सकती है, उधार लेने के लिए कंपनी की सहमति दी जाए, परंतु बोर्ड द्वारा उधार ली गई कुल धनराशि किसी भी समय दिनांक 31.03.2024 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि अर्थात् रु. 20428 करोड़ से रु. 10000 करोड़ की सीमा से अधिक नहीं होगी।"

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 180 (1)(ग) के अनुरूप, दिनांक (15.09.2024) को चालू उधारियां इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण	15.09.2024 की स्थिति के अनुसार शेष
1.	बांड (श्रृंखला I से IV के माध्यम से निर्गत)	9,142.00
2.	पंजाब नेशनल बैंक (टीएल–2)	375.00
3.	पंजाब नेशनल बैंक (एलटीएल)	500.00
4.	विश्व बैंक (आईबीआरडी)	2,465.18
5.	बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–1)	2,187.50
6.	बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–2)	2,500.00
7.	पंजाब नेशनल बैंक (टीएल–3)	700.00
8.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसटीएल)	500.00
	कुल	**18,369.68**

15.09.2024 की स्थिति के अनुसार कुल बकाया उधारी रु. 18369.68 करोड़ है। हमारी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित उधार पर विचार करते हुए, 25.09.2023 को हुई बैठक में शेयरधारकों द्वारा पहले से स्वीकृत उधार सीमा आने वाले वर्षों में समाप्त हो सकती है।

वर्तमान में 31.03.2024 तक कंपनी का निवल मूल्य (संदत्त पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि) रु. 10546.68 करोड़ है।

उपरोक्त के मद्देनजर सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) और अन्य लागू प्रावधानों के तहत उधार की सीमा को बढ़ाकर रु. 25546 करोड़, अर्थात् 31.03.2024 तक टीएचडीसीआईएल की संदत्त शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक रु. 15000 करोड़ तक, करने के प्रस्ताव पर विचार करें।

निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त विशेष संकल्प के पारित होने में कोई सरोकार या हित, वित्तीय या अन्यथा, नहीं है।

प्रॉक्सी फॉर्म

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)

सदस्य का नाम	:	
पंजीकृत पता	:	
ईमेल	:	
फोलियो नम्बर / क्लाइंड आईडी	:	
डीपीआईडी	:	

मैं/हम, ... टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का/के सदस्य होने के नाते, जिसमें मेरे/हमारे ..... शेयर हैं,

(1) नाम ..... ई–मेल आईडी .....

हस्ताक्षर ..... या उनके न हो सकने पर;

(2) नाम ..... ई–मेल आईडी .....

हस्ताक्षर ..... या उनके न हो सकने पर;

(3) नाम ..... ई–मेल आईडी .....

हस्ताक्षर ..... या उनके न हो सकने पर;

को शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2024 को सायं 05:30 बजे आयोजित की जाने वाली कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक और इसके किसी स्थगन के संबंध में नीचे उल्लिखित निम्नलिखित संकल्पों में भाग लेने और मतदान करने के लिए एतदद्वारा अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ।

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण, निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उन पर विचार करना और अंगीकार करना।
2. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना।
3. अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और वर्ष 2023–24 के लिए इसे अंतिम लाभांश माना जाना।

विशेष व्यवसाय

4. श्री पीयूष सिंह (डीआईएन:07492389) को कंपनी का अंशकालिक निदेशक (भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक) के रूप में नियुक्त करना।
5. श्री एस.एन. त्रिपाठी (डीआईएन:10428360) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना।
6. श्री वीरेंद्र मलिक (डीआईएन:10427762) को कंपनी में एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करना
7. श्री सिपन कुमार गर्ग (डीआईएन:10746205) को कंपनी में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त करना।
8. वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करना।
9. निजी प्लेसमेंट आधार पर उपयुक्त किश्तों में रु. 2500 करोड़ तक के कॉरपोरेट बांड के निर्गम को मंजूरी देना
10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1)(ग) के तहत संदत्त पूंजी, मुक्त आरक्षित निधि और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक में बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करना।

मैंने दिनांक ..... 2024 को साक्षी के रूप में इस पर हस्ताक्षर किए।

₹1 का राजस्व टिकट लगाएं

हितधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर

टिप्पणी: इस प्रॉक्सी फॉर्म के प्रभावी होने के लिए, इसे बैठक के आरम्भ होने से पहले कम–से–कम 48 घंटे पूर्व विधिवत भरा जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कोई व्यक्ति अधिकतम पचास (50) से अधिक सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है जो कंपनी की कुल शेयर पूंजी का कुल मिलाकर 10% से अधिक हिस्सा नहीं रखते हों। कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक हिस्सा रखने वाला सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या शेयरधारक के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

टीएचडीसीआईएल की 36वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन स्थल का मार्ग मानचित्र (रूट मैप)
37, शहीद भगत सिंह मार्ग, शिवाजी स्टेडियम,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001



हमारी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति



1 उत्तराखंड

- टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट
- कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट
- टिहरी पीएसपी 1000 मेगावाट
- विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी 444 मेगावाट
- मोरी हनोल एचईपी 63 मेगावाट

2 उत्तर प्रदेश

- ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट
- खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 1320 मेगावाट
- संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

  निम्नलिखित 3 फ्लोटिंग सौर परियोजना पर कार्य चल रहा है:
- माताटीला बांध और जलाशय 400 मेगावाट
- जामिनी बांध और जलाशय 37 मेगावाट
- अर्जुन सागर बांध और जलाशय 27 मेगावाट

3 राजस्थान

संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से 10000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों का विकास

4 मध्य प्रदेश

अमेलिया कोयला खदान, सिंगरौली

5 गुजरात

- पाटन पवन ऊर्जा परियोजना 50 मेगावाट
- देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना 63 मेगावाट

6 छत्तीसगढ़

- विभिन्न डब्ल्यूआरडी जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर संयंत्र
- डंगारी पीएसपी 1400 मेगावाट
- रौनी पीएसपी 2100 मेगावाट
- गोधना ताप विद्युत परियोजना (1600 मेगावाट)

7 महाराष्ट्र

कुल 6 पीएसपीएस – मालशेज घाट पीएसपी (700 मेगावाट), मोरावाडी माजारेवाडी पीएसपी (690 मेगावाट), अरुणा कोलंब पीएसपी (1200 मेगावाट), अरुणा पीएसपी (1950 मेगावाट), खरारी पीएसपी (1250 मेगावाट), हुंबर्ली बिरमानी पीएसपी (1000 मेगावाट) और विभिन्न डब्ल्यूआरडी जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर संयंत्र का कार्य किया जा रहा है।

8 अरुणाचल प्रदेश

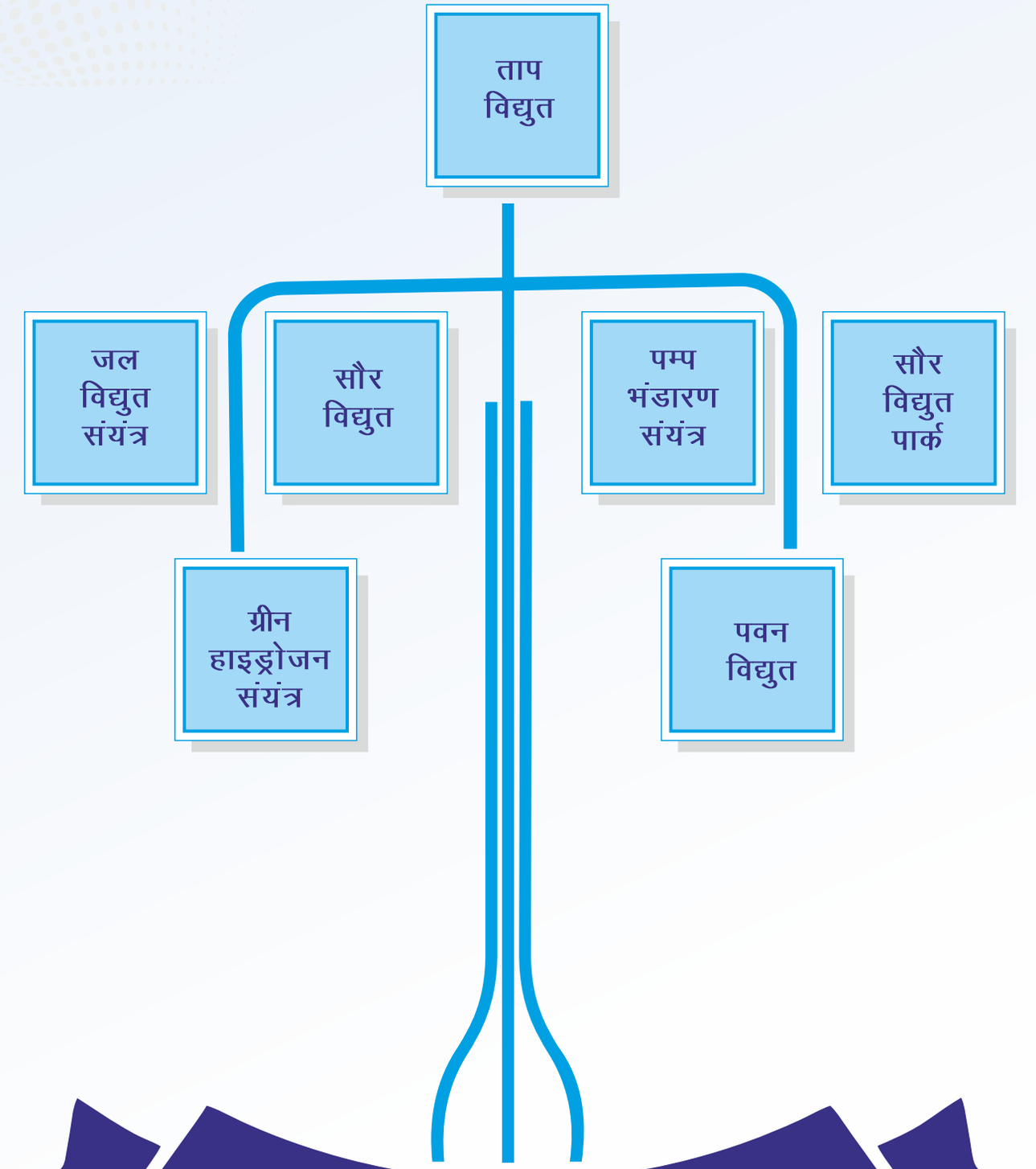
- कलई–II एचईपी 1200 मेगावाट
- डेमवे लोअर एचईपी 1750 मेगावाट
- अंजाव एचईपी 270 मेगावाट
- डेमवे चरण–1 एचईपी (270 मेगावाट), चरण–2 (270 मेगावाट) और चरण–3 (202.5 मेगावाट)
- हटोंग 1200 मेगावाट
- कलाई–I 1352 मेगावाट
- राजगम 141 मेगावाट

9 कर्नाटक

- केपीसीएल संयंत्रों के परिसर में ग्राउंड माउंटेड और रूफ टॉप सोलर पीवी संयंत्र 170 मेगावाट
- कद्रा बांध पर फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्र 100 मेगावाट
- कर्नाटक राज्य में पीएसपी का विकास (एमओयू)

10 केरल

- 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगोड



विद्युत उत्पादन में विविधीकरण

विद्युत उत्पादन में विविधीकरण

नवीकरणीय ऊर्जा की हमारी हिस्सेदारी बढ़ाने की अकांक्षा के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ, हरित और किफायती विद्युत द्वारा संचालित ऊर्जा विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। टीएचडीसीआईएल देश के कुछेक ऐसे पीएसयू में से एक है, जिनके परियोजना पोर्टफोलियो में हाइड्रो, हाइड्रो (पम्प स्टोरेज संयंत्र), ताप, सौर, पवन ऊर्जा परियोजनाएं हैं।

टीएचडीसीआईएल, सस्ती कीमतों पर 24X7 बिजली उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। पिछले कुछ वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा को लगातार बढ़ाने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं। टीएचडीसीआईएल क्रमशः संयुक्त उद्यम कंपनियों टुस्को और ट्रेडको के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी और राजस्थान में 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी विकसित कर रहा है। टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड में अप्रयुक्त विद्युत क्षमता के तेजी से विकास के लिए यूजेवीएन के साथ एक और संयुक्त उद्यम कंपनी टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड का भी गठन किया है। उपरोक्त के अलावा टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन प्रायोगिक परियोजना भी शुरू की है।

टीएचडीसीआईएल ने सक्रिय कदम उठाते हुए दो उच्च क्षमता वाली जलविद्युत परियोजनाओं, अर्थात् 1200 मेगावाट कलाई–II और 1750 मेगावाट डेमवे–लोअर और 3705.50 मेगावाट की संचयी क्षमता वाली 07 अन्य जलविद्युत परियोजनाओं के आबंटन के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ बातचीत की है। टीएचडीसीआईएल महाराष्ट्र राज्य में छह पंप स्टोरेज पावर संयंत्र (पीएसपी) और छत्तीसगढ़ राज्य में दो पंप स्टोरेज पावर संयंत्र (पीएसपी) पर भी कार्य कर रहा है, जबकि उत्तराखंड राज्य में मोरी हनोल एचईपी (63 मेगावाट) की डीपीआर तैयार की जा रही है। टीएचडीसीआईएल कर्नाटक में विभिन्न प्रकार की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य में गोधना थर्मल पावर संयंत्र (1600 मेगावाट) नामक एक थर्मल पावर परियोजना भी विकसित कर रहा है।

464 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 3 फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाएं व्यवहार्य पाई गई हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न जलाशयों पर विकास के लिए शुरू की जा रही हैं। टीएचडीसीआईएल महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

जल विद्युत संयंत्र	टिहरी एचपीपी 1000 मेगावाट, कोटेश्वर एचईपी 400 मेगावाट और ढुकवां एसएचपी 24 मेगावाट प्रचालनात्मक जलविद्युत परियोजनाएं हैं।
	विष्णुगाड़ पीपलकोटी (444 मेगावाट) की पहली इकाई के मार्च–2026 तक चालू होने की उम्मीद है।
पंप स्टोरेज संयंत्र	टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) की पहली इकाई के सितम्बर–2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
पवन ऊर्जा	63 मेगावाट द्वारका और 50 मेगावाट पाटन प्रचालनात्मक पवन ऊर्जा संयंत्र हैं।
सौर ऊर्जा पार्कों का विकास	संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में तीन सौर ऊर्जा पार्क (2000 मेगावाट) निर्माणाधीन हैं।
	संयुक्त उद्यम कंपनी ट्रेडको लिमिटेड के माध्यम से राजस्थान राज्य में 1292 मेगावाट का बोडाना सौर पार्क निर्माणाधीन है।
ताप विद्युत	खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) की पहली इकाई के अक्टूबर–2024 तक चालू होने की उम्मीद है।
सौर ऊर्जा	50 मेगावाट कासरगोड सौर संयंत्र, प्रचालनात्मक सौर परियोजना है।
ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र	1मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन विद्युत संयंत्र क्रियाशील है।

मुख्य वित्तीय निष्पादन विशेषताएं

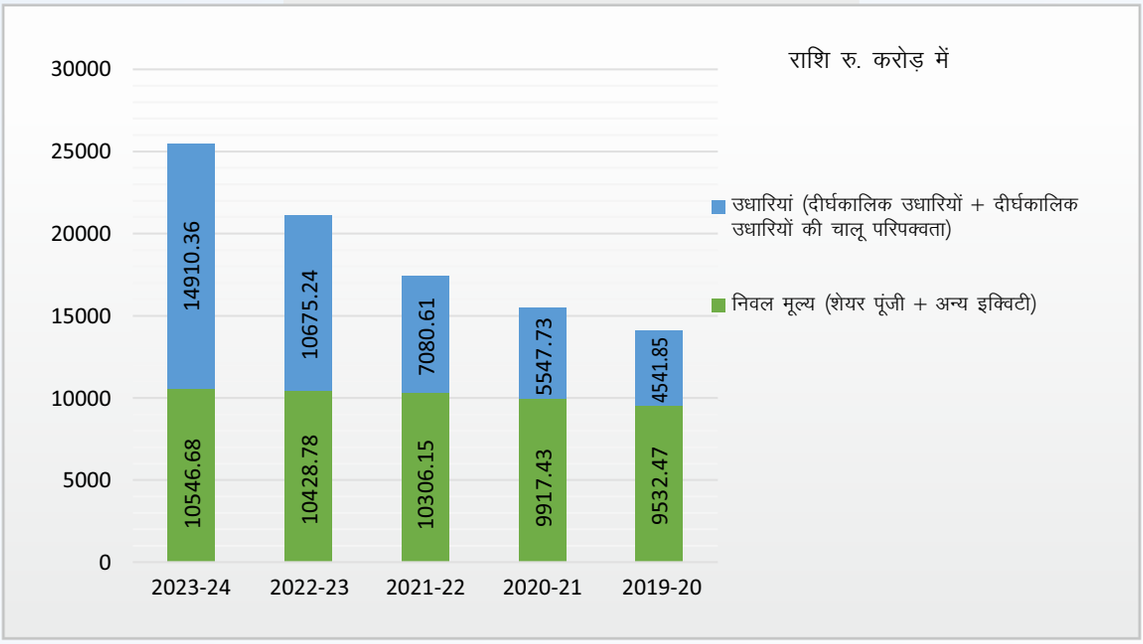
(राशि रु. करोड़ में)

			2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20
क		**राजस्व**					
	1	प्रचालन से राजस्व	1967.24	1974.30	1921.49	1796.01	2123.10
	2	अन्य आय	44.85	29.35	305.85	705.92	282.26
	3	सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	20.65	10.47	16.24	18.80	63.74
	4	घटाएः सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	20.65	10.47	16.24	18.80	63.74
	5	**कुल राजस्व**	**2012.09**	**2003.65**	**2227.34**	**2501.93**	**2405.36**
ख		**व्यय**					
	6	कर्मचारी हितलाभ व्यय	341.17	336.74	354.11	388.78	360.30
	7	उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय	611.92	428.20	287.06	230.33	239.33
	8	प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00
	9	असाधारण मदें	0.00	0.00	0.00	35.65	0.00
	10	**कुल व्यय**	**953.09**	**764.94**	**641.17**	**655.01**	**599.63**
	11	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी) (5–10)	**1059.00**	**1238.71**	**1586.17**	**1846.92**	**1805.73**
	12	मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन	300.05	273.90	302.65	317.33	576.10
	13	**सकल लाभ (पीबीआईटी) (11–12)**	**758.95**	**964.81**	**1283.52**	**1529.59**	**1229.63**
	14	वित्त लागत	158.65	181.37	134.11	181.93	240.34
	15	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष लाभ में निवल संचलन और कर पूर्व लाभ (13–14)**	**600.30**	**783.44**	**1149.41**	**1347.66**	**989.29**
	16	आय कर	103.62	136.55	189.34	229.60	163.12
	17	आस्थगित कर परिसंपत्ति	(185.43)	17.10	35.57	68.48	(53.02)
	18	**विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन से पूर्व अवधि के लिए लाभ (15–16–17)**	**682.11**	**629.79**	**924.50**	**1049.58**	**879.19**
	19	विनियामक आस्थगित लेखा शेष आय / (व्यय) में निवल संचलन	(83.03)	43.30	(29.72)	42.83	41.06
	20	**सतत प्रचालन अवधि के लिए लाभ (18+19)**	**599.08**	**673.09**	**894.78**	**1092.41**	**920.25**
	21	अन्य व्यापक आय	(7.22)	(1.87)	1.59	0.23	(12.47)
	22	ओसीआई पर आय कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता	(2.52)	(0.65)	0.55	0.08	(4.35)
	23	**कुल व्यापक आय (20+21+22)**	**589.34**	**670.57**	**896.92**	**1092.72**	**903.43**
ग		**परिसंपत्तियां**					
	24	मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति (निवल ब्लॉक)	6202.63	6183.15	6343.72	6562.21	6592.19
	25	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	18898.53	13990.63	9447.39	6414.30	4989.80
	26	उपयोगाधिकार परिसंपत्तियां	641.69	404.53	411.72	410.50	380.71
	27	दीर्घावधि ऋण और अग्रिम	28.13	32.00	36.12	39.25	38.90
	28	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	1001.45	818.54	836.29	871.31	939.71
	29	गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	59.04	17.56	43.21	32.49	24.55
	30	अन्य गैर–चालू परिसंपत्ति	1905.20	2125.68	2042.24	1906.22	1582.89
	31	चालू परिसंपत्तियां	2314.02	1531.11	1823.72	2303.52	2813.65
	32	विनियामिक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	215.72	133.42	98.69	169.72	186.22
	33	सहायक कंपनी में निवेश	40.70	25.90	14.80	7.40	
	34	कुल परिसंपत्तियां	31307.11	25262.52	21097.90	18716.92	17548.62

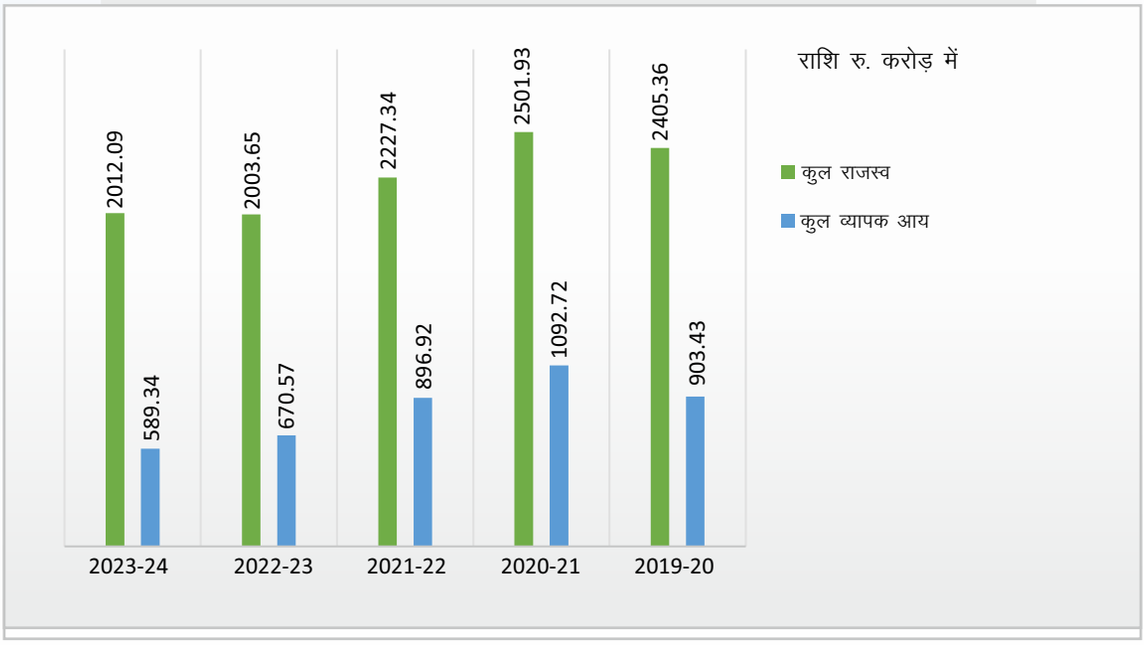
घ		**देयताएं**					
	35	इक्विटी शेयर पूंजी	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88	3665.88
		अन्य इक्विटी					
	36	आरक्षित और अधिशेष	6908.56	6780.92	6655.77	6269.19	5884.53
	37	अन्य व्यापक आय	(27.76)	(18.02)	(15.50)	(17.64)	(17.94)
	38	कुल अन्य इक्विटी	6880.80	6762.90	6640.27	6251.55	5866.59
	39	दीर्घ अवधि उधारियां	14578.80	10289.09	6653.98	5014.22	3946.70
	40	गैर–चालू पट्टा देयताएं	33.65	35.73	29.99	9.19	10.26
	41	अन्य दीर्घ अवधि देयताएं और प्रावधान	970.41	1343.97	1155.09	1015.01	1038.20
	42	लघु अवधि उधारियां	1777.04	948.32	926.10	700.00	1115.06
	43	दीर्घ अवधि ऋण की चालू परिपक्वता	331.56	386.15	426.63	533.51	595.15
	44	पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता	3.20	3.39	4.17	4.06	5.62
	45	अन्य चालू देयताएं	2385.40	1329.63	1080.59	973.27	686.53
	46	विनियामक अस्थागित लेखा क्रेडिट शेष	680.37	497.46	515.20	550.23	618.63
	47	कुल देयताएं	31307.11	25262.52	21097.90	18716.92	17548.62
	48	निवल मूल्य (35+38)	10546.68	10428.78	10306.15	9917.43	9532.47
	49	नियोजित पूंजी (48+43++42+39–28)	26232.63	21233.80	17476.57	15293.85	14249.67
	50	लाभांश	471.44	547.94	508.20	707.75	126.00
	51	मूल्य वर्धित (11)	1059.00	1238.71	1586.17	1846.92	1805.73
	52	कर्मचारियों की संख्या	1782	1563	1644	1736	1835
	53	शेयरों की संख्या (राशि करोड़ में) (प्रति शेयर रु. 1000/– के सम मूल्य पर)	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67
ड़		**अनुपात**					
		प्रति शेयर अर्जन (रू.1000/– शेयर की कीमत) जिसमें विनियामक अस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन शामिल है। (रु. में)	163.42	183.61	244.08	297.99	251.22
		चालू अनुपात {31/(41+43+44+45)}	0.51	0.57	0.75	1.04	1.17
		इक्विटी पर ऋण (39+42+43)/48)	1.58	1.11	0.78	0.63	0.59
		नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (पीबीआईटी/ नियोजित पूंजी) (13+9)/49)	2.89%	4.54%	7.34%	10.23%	8.63%
		निवल मूल्य पर प्रतिलाभ	5.71%	6.49%	8.85%	11.23%	10.05%
		कुल व्यापक आय का प्रचालनों से राजस्व से अनुपात (23/1)	29.96%	33.96%	46.68%	60.84%	42.55%
		प्रति शेयर अंकित मूल्य (रु. में) (48/53)	2876.98	2844.82	2811.37	2705.33	2600.32
		मूल्य वर्धित प्रति कर्मचारी (करोड़ रु. में) (51/52)	0.60	0.80	0.97	1.06	0.98
		प्रति शेयर लाभांश (रु. में) (प्रत्येक रु. 1000 का शेयर)	128.60	149.47	138.63	193.06	34.37
च		प्रचालन निष्पादन					
		उत्पादन (एम. यू.)	4830.63	4936.28	4670.80	4565.36	4526.85

प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन चार्ट

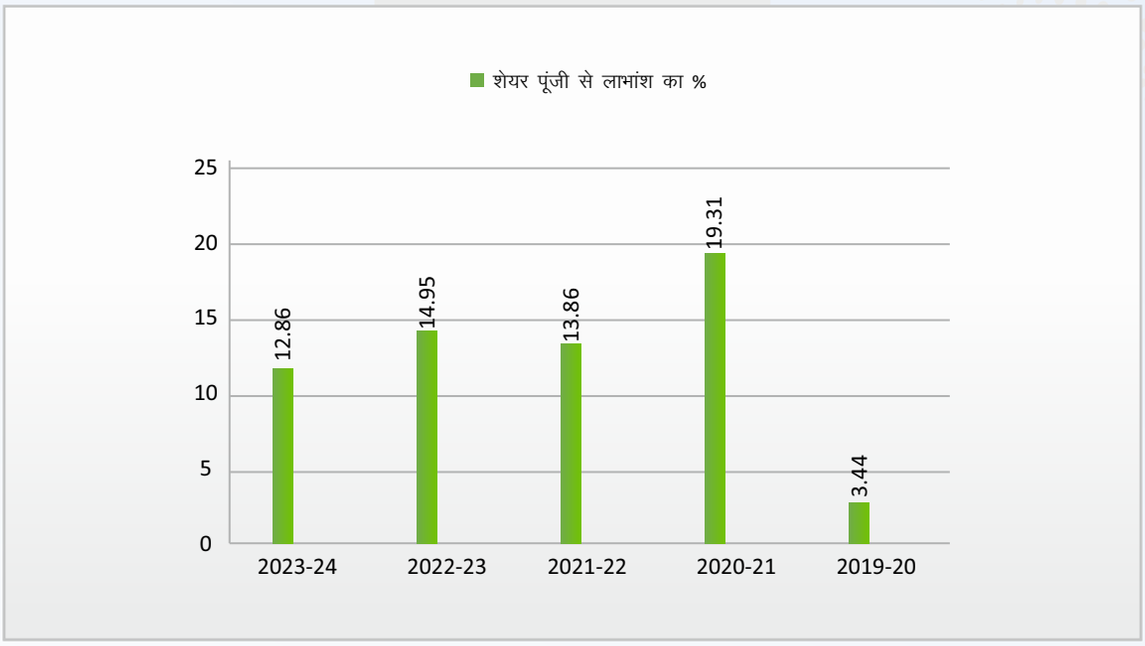
निवल मूल्य की तुलना में उधारियां



कुल राजस्व की तुलना में कुल व्यापक आय



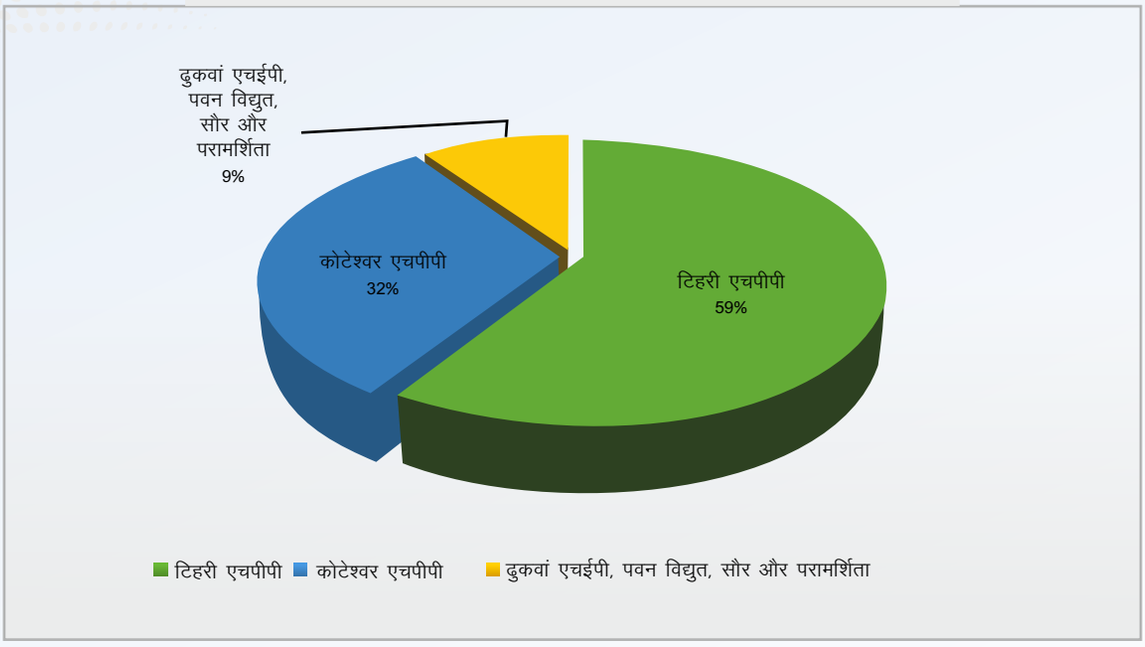
लाभांश भुगतान



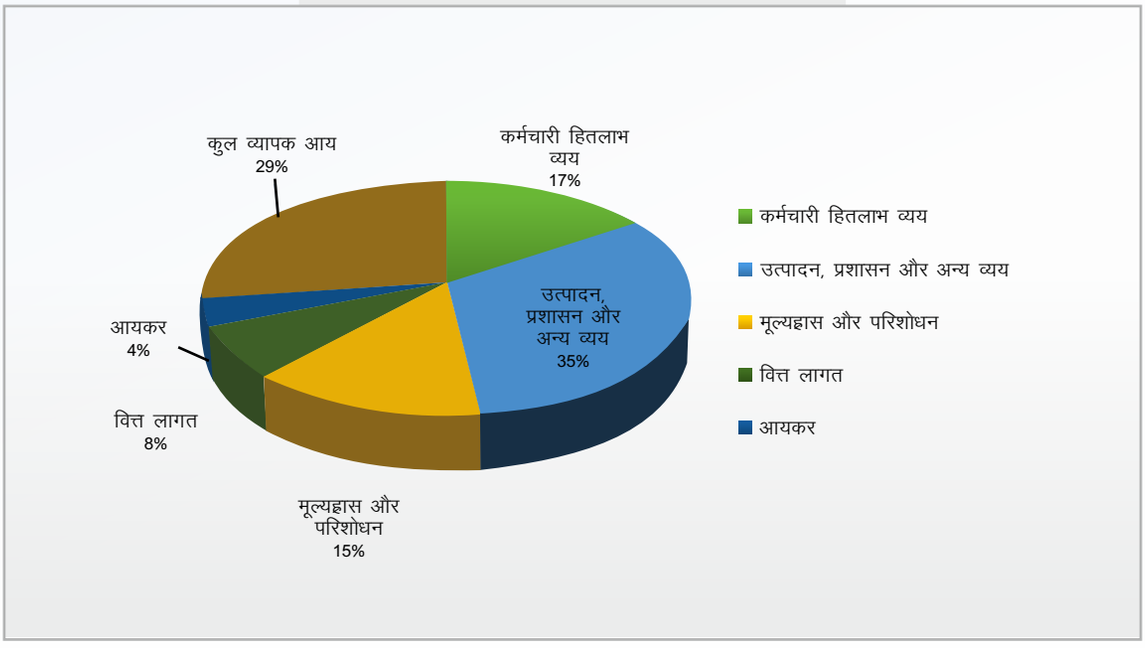


400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी के डाउनस्ट्रीम का दृश्य

प्रचालन से राजस्व का ब्यौरा



राजस्व का वितरण



निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफाइल



श्री राजीव कुमार विश्नोई

श्री राजीव कुमार विश्नोई दिनांक 06.08.2021 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है। इससे पूर्व, श्री विश्नोई दिनांक 01.09.2019 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। आपने यह रेखांकित किया है कि टीएचडीसीआईएल को गतिशील समकालीन विद्युत परिदृश्य में विद्युत क्षेत्र की एक समयोचित/अनुभवी कंपनी के रूप में परिवर्तित करना उनकी पहली और सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपने प्रचालनात्मक के साथ–साथ निर्माणाधीन परियोजनाओं में संस्थागत नूतन हस्तक्षेपों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। आपको दिनांक 01.09.2022 से एनएचपीसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया।

श्री विश्नोई को हाइड्रो पावर स्ट्रक्चर के डिजाइन, अभियांत्रिकी एवं निर्माण में 37 वर्षों से भी अधिक का व्यापक अनुभव है। आप वर्ष 1989 में अभियंता के रूप में टीएचडीसी में शामिल हुए और विभिन्न पदों पर कार्य किया और वर्ष 2013 में आप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नत हुए और इसके बाद वर्ष 2016 में आप कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। डिजाइन विभाग के प्रमुख के साथ–साथ आपने विष्णुगाड़–पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट के कार्यपालक निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला। टिहरी, कोटेश्वर और विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजनाओं में कार्य करते हुए आपने विभिन्न प्रतिष्ठित उपलब्धियां हासिल की हैं।

श्री विश्नोई, बिट्स पिलानी से सिविल अभियांत्रिकी में ऑनर्स ग्रेजुएट हैं और आपके पास एमबीए की योग्यता भी है। आपने मास्को विश्वविद्यालय रूस से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एवं हाइड्रो पावर कंस्ट्रक्शन के डिजाइन एवं निर्माण में प्रोफेशनल अपग्रेडेशन कार्यक्रम में भी भाग लिया है।

आप, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम (आईकोल्ड) की बांधों की भूकंपीय सुरक्षा पर बनी तकनीकी समिति में वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आपने स्पोकेन (यूएस), वाशिंगटन डीसी (यूएस), पीटर्सबर्ग (रूस), चेंगुडु (चीन), बीजिंग (चीन), पोर्टो केर्रेस (ग्रीस), एंटेल्या (टर्की), ओट्टावा (कनाडा), सिंगापुर और नेपाल जैसे विभिन्न देशों में उल्लेखनीय व्याख्यान दिए हैं।



श्री शैलेन्द्र सिंह

श्री शैलेन्द्र सिंह ने 06 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) का पदभार ग्रहण किया। इससे पहले, आप विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न अनुसूची 'ए' पीएसयू, एसजेवीएनएल के कॉर्पोरेट कार्यालय, शिमला में मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन) और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख का पद संभाल रहे थे।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा शिमला के प्रतिष्ठित सेंट एडवर्ड स्कूल से पूरी की। आपने सरकारी कॉलेज, शिमला से अंग्रेजी (ऑनर्स) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सिंह ने वर्ष 1989 में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री पूरी की।

श्री शैलेन्द्र सिंह ने वर्ष 1992 में कार्यपालक प्रशिक्षुओं के पहले बैच में एसजेवीएनएल में अपने करियर की शुरुआत की। आपके पास मानव संसाधन के सभी क्षेत्रों में 31 से अधिक वर्षों का समृद्ध और विविध अनुभव है। आपने दो प्रमुख हाइड्रो पावर स्टेशन, 1500 मेगावाट एनजेएचपीएस और 412 मेगावाट आरएचपीएस में एक साथ कॉर्पोरेट कार्यालय के साथ–साथ मानव संसाधन प्रमुख के रूप में भी काम किया है। विभिन्न उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे एमिटी, न्यूयॉर्क (यूएसए) में आयोजित ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लंदन (यूके) में मानव संसाधन कार्यों का आधुनिकीकरण और एएससीआई, हैदराबाद आदि में विभिन्न नेतृत्व और प्रबंधन कार्यक्रमों में आपका विशाल अनुभव है।

एसजेवीएनएल में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने पूरे संगठन में एसएपी ईआरपी आधारित एचआर मॉड्यूल का कार्यान्वयन, सामरिक हस्तक्षेप के रूप में संतुलित स्कोर कार्ड का कार्यान्वयन, विभिन्न एल एंड डी हस्तक्षेपों के माध्यम से पूरे संगठन के लिए कर्मचारी विकास को आगे बढ़ाना जैसी बहुत–सी एचआर पहलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया और संगठन के मीडिया आउटरीच में वृद्धि की है।



श्री भूपेन्द्र गुप्ता

श्री भूपेन्द्र गुप्ता ने 09 जून, 2023 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। टीएचडीसीआईएल में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आप भूटान में पुनातसांगचू जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण में निदेशक (तकनीकी) के पद पर थे। इससे पहले, आपने आरईसी की दो सहायक कंपनियों, नामतः आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड और आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में प्रचालन प्रमुख के रूप में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया। आरईसी में अपने कार्यकाल के दौरान, आप विद्युत क्षेत्र परियोजनाओं के निष्पादन, परियोजना प्रबंधन, संविदा प्रबंधन और परामर्श की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

श्री गुप्ता के पास लगभग 33 वर्षों का समृद्ध और विशाल कार्य अनुभव है, जिसमें से लगभग 30 वर्षों तक आपने विद्युत क्षेत्र में काम किया है और बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं के साथ–साथ पारेषण/वितरण परियोजनाओं की योजना/डिजाइन/निष्पादन/संविदा और परियोजना प्रबंधन और ओ एंड एम की जिम्मेदारी संभाली।

श्री गुप्ता ने ऑपरेशन मैनेजमेंट में एमबीए के साथ इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वर्ष 2007 में आरईसी लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, आपने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) में 12 वर्षों तक विभिन्न पदों पर काम किया और 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर संयंत्र के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल उपकरणों की योजना, निर्माण और कमीशनिंग की जिम्मेदारी निभाई। यह भारत में अब तक संचालित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है। आपने पहले लगभग 3 वर्षों (2002 से 2005 तक) के लिए 1020 मेगावाट ताला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के साथ प्रतिनियुक्ति पर भूटान में भी कार्य किया था।



श्री सिपन कुमार गर्ग

श्री सिपन कुमार गर्ग ने 17 अगस्त, 2024 को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यभार संभाला। एक प्रतिष्ठित वित्त पेशेवर, श्री गर्ग वाणिज्य स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री के धारक हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीए), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (सीएमए) और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (सीएस) के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, आपने एलएलबी किया है और कंपनी सेक्रेटरी परीक्षा में रैंक होल्डर रहे।

विद्युत क्षेत्र में वित्त, लेखा, कराधान और वाणिज्यिक पहलुओं में 23 वर्षों से अधिक के व्यापक अनुभव के साथ, श्री गर्ग टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में अपनी भूमिका में गहन विशेषज्ञता लाते हैं। आपके पिछले अनुभव में एनटीपीसी लिमिटेड की दोनों समूह कंपनियों अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के रूप में कार्य करना शामिल है। आपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स ग्रुप और कोल्डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सामरिक भूमिकाओं सहित विभिन्न क्षमताओं में एनटीपीसी लिमिटेड में भी योगदान दिया है।

एनटीपीसी में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री गर्ग ने अपनी जिम्मेदारी, नैतिकता और कंपनी के प्रति अटूट समर्पण की भावना के माध्यम से पेशेवर सीढ़ी चढ़ी। एक उत्कृष्ट वित्त पेशेवर के रूप में पहचाने जाने वाले, श्री गर्ग ने एनटीपीसी में अपने द्वारा निभाई गई हर भूमिका में उत्कृष्टता हासिल की। वित्त में आपके नेतृत्व में, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की और दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज की महत्वपूर्ण बचत प्राप्त की।

श्री गर्ग ने भारत और विदेशों में प्रतिष्ठित संस्थानों में कई कार्यशालाओं और सेमिनारों में भाग लेकर अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाया है। लेखा मानकों और इंड एएस पर एक अनुभवी वक्ता के रूप में, आपने वर्षों से अपने अंतर्दृष्टि को व्यापक रूप से साझा किया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बहुत–सी समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे हैं, जिनमें 'सार्वजनिक वित्त और सरकारी लेखांकन समिति', 'लेखांकन मानक अध्ययन समूह' और 'उद्योग समूह (पीएसयू) में सदस्यता' शामिल हैं।



श्री पीयूष सिंह

विद्युत मंत्रालय के संयुक्त सचिव (थर्मल), श्री पीयूष सिंह को 11.06.2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में भारत सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप महाराष्ट्र कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 बैच के हैं और आप आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री धारक हैं। आप भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव (थर्मल और कोयला, वितरण) हैं। आपने जिला प्रशासन, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। आपने उत्तराखंड में देहरादून के योजना विभाग में भी कार्य किया है। आपको लोक प्रशासन और योजना के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।



श्री अनिल गर्ग

श्री अनिल गर्ग, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को दिनांक 26.04.2022 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं। प्रधान सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में नियुक्ति से पहले आप यूपीएसआईडीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे।

श्री गर्ग थापर विश्वविद्यालय, पटियाला से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक हैं। वर्ष 1996 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद, आपने इलाहाबाद में संयुक्त मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट, आबकारी आयुक्त, राजमार्ग विभाग, गौतमबुद्धनगर, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ और आयुक्त, राजस्व विभाग, लखनऊ के रूप में और अन्य प्रतिष्ठित कार्यालयों में कार्य किया है। श्री अनिल गर्ग को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में विज्ञान, प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, आपको मनरेगा कार्यों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह और एक जिला एक उत्पाद, राजस्व संग्रह आदि के लिए अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। श्री अनिल गर्ग को राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है।



श्री एस. एन. त्रिपाठी

एनटीपीसी लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक (हाइड्रो) श्री एस. एन. त्रिपाठी को 31 जुलाई, 2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी के नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और विद्युत उद्योग में 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, श्री त्रिपाठी प्रचालन और अनुरक्षण, साथ ही परियोजना प्रबंधन और निर्माण दोनों में विशेषज्ञता लाते हैं। आपके पास एनटीपीसी बाढ़–। और मेजा सहित जटिल परियोजनाओं को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, और वर्तमान में आप निर्माणाधीन 10 गीगावाट से अधिक और 60 गीगावाट की एफजीडी परियोजनाओं के परियोजना पोर्टफोलियो का पर्यवेक्षण करते हैं।



श्री वीरेंद्र मलिक

एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यपालक निदेशक (वित्त) श्री वीरेंद्र मलिक को 31 जुलाई, 2024 से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में एनटीपीसी के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य के रूप में, श्री मलिक वित्त से संबंधित मामलों में तीन दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं, जिसमें ईआरपी और सिस्टम डेवलपमेंट, लागत निर्धारण, कराधान, परियोजना वित्तपोषण और वाणिज्यिक गतिविधियाँ शामिल हैं।



श्रीमती सजल झा

श्रीमती सजल झा को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप मगध विश्वविद्यालय, बिहार से विधि में स्नातक हैं। आप वर्ष 2010 से पटना उच्च न्यायालय में एक अधिवक्ता हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिहार राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। आप पटना में सामाजिक कार्य और महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों से भी जुड़ी हुई हैं। आप बिहार में भाजपा की राज्य सचिव हैं।



डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.

डॉ. जयप्रकाश नाईक बी को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में 10 नवंबर 2021 से 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आपने कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि विज्ञान में पीएचडी पूरी की है। आपको जेनेटिक्स और संयंत्र ब्रीडिंग के क्षेत्र में 31 से अधिक वर्षों का एक विशाल अनुभव है। आप केरल कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट निदेशक और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान स्टेशन के प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त हुए। आपने केरल कृषि विश्वविद्यालय में रिसर्च कोकोनट मिशन के एसोसिएट निदेशक और संयंत्र ब्रीडिंग विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान अनुकरणीय है।



400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी का विद्युत गृह

व्यवसाय सततता रिपोर्ट 2023–24



सतत रीति में पूंजी सृजन

वित्तीय पूंजी

टीएचडीसीआईएल अपने सभी हितधारकों के वित्तीय हितों को महत्व देता है और अपने आपको मात्र सांविधिक रूप से न्यूनतम आवश्यकताओं तक ही सीमित न रखते हुए अपने सामाजिक दायित्व पूरा करने के साथ–साथ लाभ अर्जित कर अपनी वित्तीय पूँजी में मूल्य वृद्धि को इष्टतम करने का पूरा प्रयास करता है।



सकल आय

रु. 2012.09 करोड़



कुल व्यापक आय

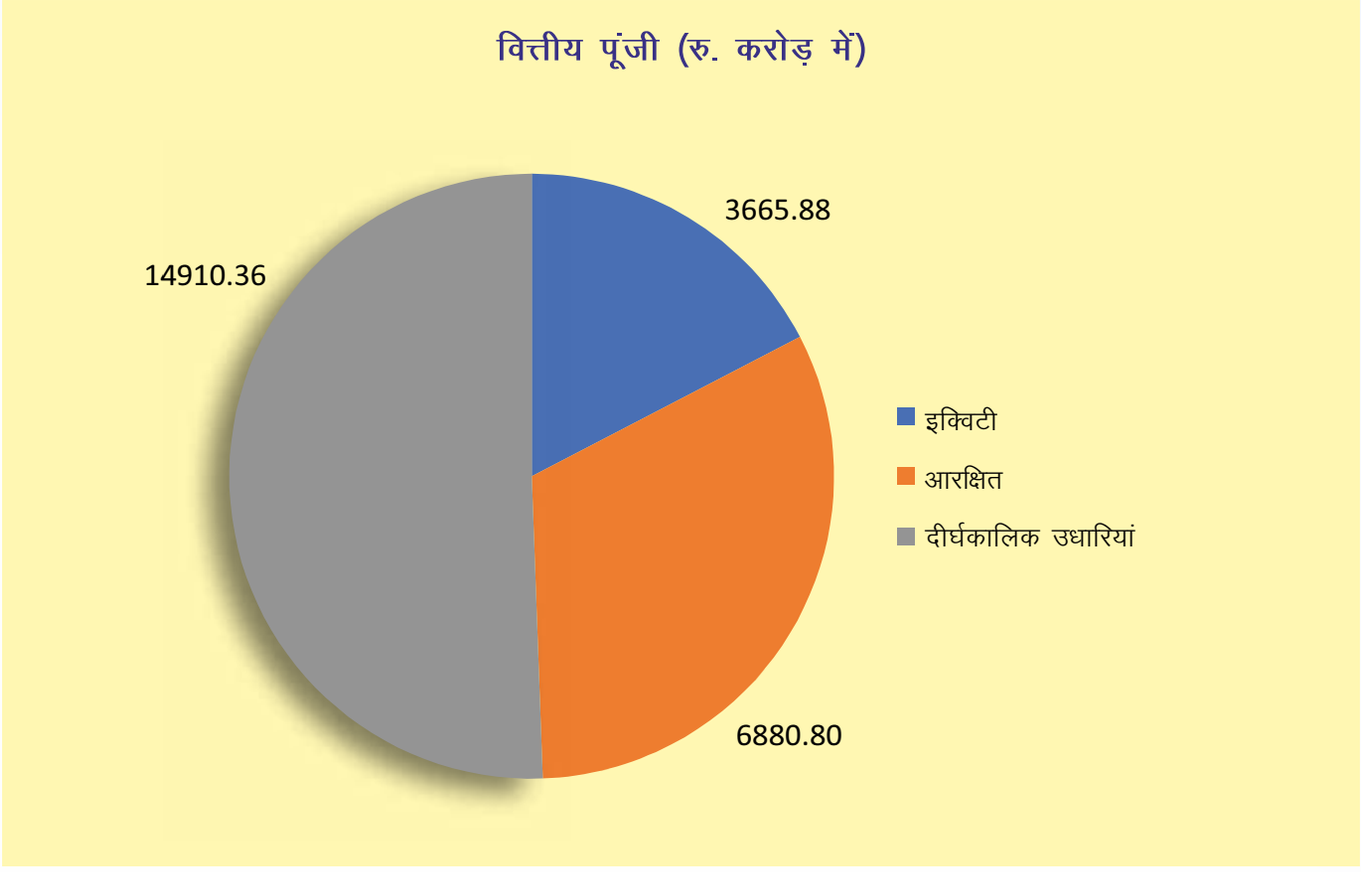
रु. 589.34 करोड़



निवल मूल्य

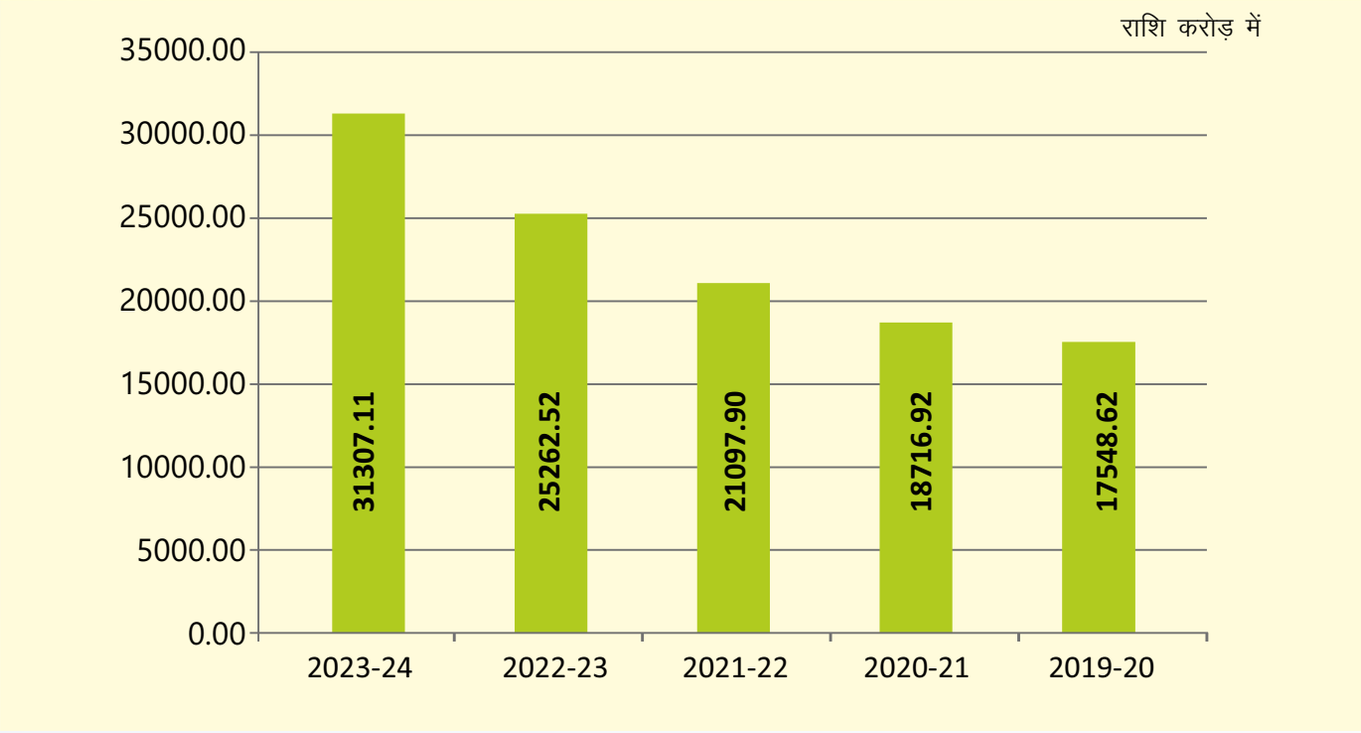
रु. 10546.68 करोड़

दिनांक 31.03.2024 को टीएचडीसीआईएल की संदत्त इक्विटी पूंजी रु. 3665.88 करोड़ है, 31.03.2024 तक आरक्षित निधि रु. 6880.80 करोड़ है और दीर्घकालिक उधारी रु. 14910.36 करोड़ है।



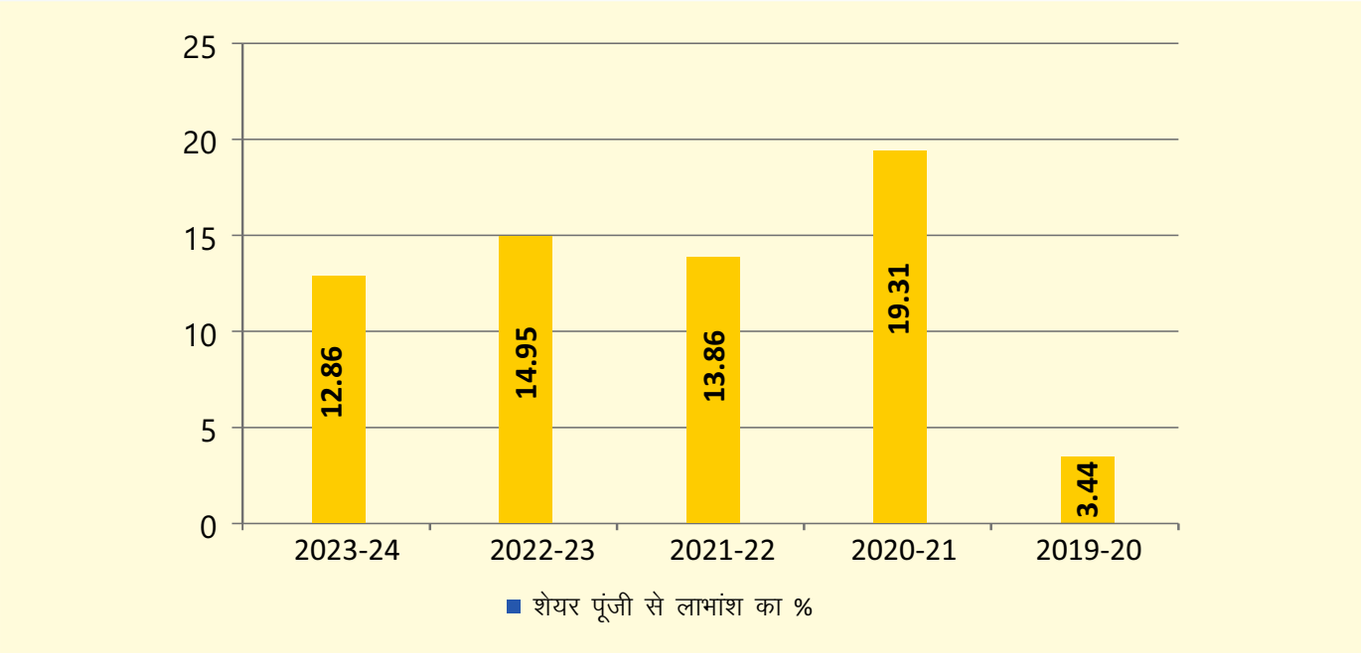
दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार लाभ के संचय के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचालन के बाद उत्पन्न वित्तीय पूंजी रु. 11,555.54 करोड़ है, जिसमें से 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार कर सहित वितरित लाभांश रु. 4,674.74 करोड़ है, और प्लो बैक के लिए आरक्षित निधि रु. 6,880.80 करोड़ है।

तुलन पत्र का आकार



लाभांश का भुगतान

कंपनी ने अपने शेयरधारकों को लगातार लाभांश का भुगतान किया है, जो इसकी शेयरधारिता के अनुपात में वृद्धि का रुझान दर्शाता है। लाभांश भुगतान अनुपात वित्त वर्ष 2019–20 में 3.44% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 12.86% हो गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



वित्त वर्ष 2023–24 के लाभांश भुगतान में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए दिनांक 31.03.2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में घोषित रु. 300.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश शामिल है, जिसका भुगतान दिनांक 03.04.2024 को किया गया था।

क्रेडिट रेटिंग और वार्षिक निगरानी

टीएचडीसीआईएल के बांड और ऋणों की प्रारंभिक क्रेडिट रेटिंग, वार्षिक वित्तीय रेटिंग निगरानी के साथ, प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसियों द्वारा की जाती है। ये मूल्यांकन कंपनी को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण पूंजी जुटाने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमारे हितधारकों को कंपनी के क्रेडिट जोखिम प्रोफाइल के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान जारी किए गए बांड के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रारंभिक रेटिंग मेसर्स केयर रेटिंग्स लिमिटेड और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (स्टेबल) है। वार्षिक निगरानी के दौरान, टीएचडीसीआईएल की क्रेडिट रेटिंग को मेसर्स केयर रेटिंग्स द्वारा एए (स्टेबल) के रूप में पुष्टि की गई और मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एए (पॉजिटिव) में अपग्रेड किया गया, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

श्रृंखला	रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछली समीक्षा	रेटिंग की तारीख
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला I	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	03.10.2016
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला II	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	06.09.2019
	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	29 दिसंबर, 2023	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला III	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	29 दिसंबर, 2023	24.07.2020
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IV	आईसीआरए	एए (स्टेबल)	29 दिसंबर, 2023	20.01.2021
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला V	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	25.08.2021
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VI	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	14.09.2022
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VII	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	27.12.2022
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला VIII	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	13.09.2023
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला IX	इंडिया रेटिंग्स	एए (पॉजिटिव)	07 मई, 2024	16.01.2024
	केयर	एए (स्टेबल)	08 मई, 2024	

वाणिज्यिक और वित्त का केंद्रीकरण और एकीकरण

एक नया वाणिज्यिक मॉड्यूल विकसित किया गया है और मौजूदा वेब–आधारित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) मॉड्यूल के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है, जिससे मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता काफी कम हो गई है। यह मॉड्यूल वाणिज्यिक और वित्त विभागों के संचालन को सुव्यवस्थित करता है। इसके अतिरिक्त, यह वाणिज्यिक और वित्त विभागों के कार्यों को केंद्रीकृत करने के कंपनी के कार्यनीतिक निर्णय का समर्थन करता है, जिससे समग्र दक्षता और निर्णय लेने में वृद्धि होती है।

टीएचडीसीआईएल बांड श्रृंखला VIII और IX का निर्गम

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने 7.76% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ रु. 763 करोड़ की राशि के टीएचडीसीआईएल बॉन्ड सीरीज VIII (अप्रतिभूत) और 7.93% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ रु. 779 करोड़ की राशि के बॉन्ड सीरीज IX (अप्रतिभूत) को सफलतापूर्वक जारी किया। दोनों बॉन्ड निर्गमों को आधार के आकार से अधिक अभिदान मिला, जो निवेशकों और हितधारकों के टीएचडीसीआईएल में अत्यधिक विश्वास और भरोसे को दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 में वित्तीय करार

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी परियोजना की कैपेक्स आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए रु. 500 करोड़ के सावधि ऋण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक करार किया। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने अपने संचालन और अनुरक्षण (ओ एंड एम) परियोजनाओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रु. 700 करोड़ के सावधि ऋण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक और करार किया।

इसके अलावा, उसी वित्त वर्ष में, टीएचडीसीआईएल ने कोटेश्वर एचईपी परियोजना की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रु. 500 करोड़ के अल्पकालिक/मांग ऋण के लिए पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के साथ करार किए।

उत्कृष्ट ग्राहक फीडबैक

टीएचडीसीआईएल निरंतर सुधार और अपने लाभार्थियों और डिस्कॉम्स को असाधारण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को सभी लाभार्थियों ने मान्यता दी है, जिन्होंने वार्षिक प्रतिक्रिया फॉर्म में 'उत्कृष्ट' रेटिंग के साथ अपनी संतुष्टि व्यक्त की है।

सामाजिक और संबंध पूंजी

सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने सदैव दीर्घकालिक समग्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर, छोटे स्तर पर हितधारकों की आवश्यकताओं के समाधान के बजाय समग्र विकास दृष्टिकोण से संबंधित सीएसआर कार्यक्रमों को अपनाया है। इन कार्यक्रमों में सतत आजीविका के लिए ग्रामीण समुदायों का सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण और पारिस्थितिकीय बहाली शामिल है। सभी सीएसआर हस्तक्षेप सामाजिक, आर्थिक पारिस्थितिकीय विकास और लक्षित समुदाय के जीवन में सतत परिवर्तन क्षेत्रों पर विचार कर किए गए थे। यह टीएचडीसीआईएल के सीएसआर अभिचिह्नित प्रक्षेत्रों, जो उन उद्देश्यों के नाम पर हैं, जिन्हें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) और उसके बाद की कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियमावली, 2014 के अनुपालन में तैयार की गई इसकी सीएसआर एवं सततता नीति, 2021 में "टीएचडीसी सहृदय" (मानव हृदय वाला कॉर्पोरेट) शीर्षक वाले अपने सीएसआर कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया जाना अपेक्षित है, से स्पष्ट है। सीएसआर से जुड़े 7 चिन्हित क्षेत्रों में मोटे तौर पर वे गतिविधियां शामिल हैं जो अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध हैं, इस प्रकार हैं:

(क) टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य स्वच्छता और पेय जल परियोजनाएं

(ख) टीएचडीसी जागृति (उज्ज्वल भविष्य के लिए पहलें) – शिक्षा संबंधी पहलें

(ग) टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – आजीविका सृजन और कौशल विकास संबंधी पहलें

(घ) टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास

(ङ) टीएचडीसी समर्थ (सशक्तता) – सशक्तता से जुड़ी पहलें

(च) टीएचडीसी सशक्त (सक्षम) – बुजुर्गों और भिन्न रूप से समर्थ व्यक्तियों की देखभाल


सेवा–टीएचडीसी मोबाइल मैडिकल वैन/एंबुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए

(छ) टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण संबंधी पहलें

(ज) टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन गतिविधियां

(झ) टीएचडीसी क्रीड़ा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन गतिविधियां

सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में नियमित रूप से संवाद और संप्रेषण करने के लिए टीएचडीसीआईएल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संप्रेषण रणनीति है।

सीएसआर पर हमारा व्यय:

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना बहुत पहले से बनाई जाती है, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा के पूर्वानुमान के साथ और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समयावधि वाले विभिन्न उपलब्धि–चरण (माइलस्टोन) पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सांविधिक अनुपालन के अनुसार वित्त वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली कुल राशि, पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत है :

- पूर्ववर्ती 03 वित्त वर्षों का औसत निवल लाभ रु. 111752.00 लाख
- वित्त वर्ष 2023–24 का सीएसआर बजट (सांविधिक) रु. 2235.00 लाख
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वास्तविक सीएसआर व्यय रु. 3447.21* लाख

*वित्त वर्ष 2021–22 में किए गए रु. 20.00 लाख के अतिरिक्त सीएसआर व्यय को सेट–ऑफ करने सहित

प्रमुख पहलें

क. स्वास्थ्य

अच्छा स्वास्थ्य लगभग हर उस चीज़ को प्रेरित करता है जो लोग चाहते हैं जैसे– रोग–मुक्त होना और गरीबी, भूख से छुटकारा पाना, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कार्य करना, शिक्षा प्राप्त करना, सीखना, बिना किसी भेदभाव के व्यवहार, अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम होना और एक सुरक्षित वातावरण में रहना। टीएचडीसीआईएल प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थाओं के साथ विभिन्न औषधालय एवं चिकित्सा

शिविरों के माध्यम से लगातार समाधान और स्वास्थ्य सेवा सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में टीएचडीसीआईएल के समुदायोन्मुख कुछ प्रमुख प्रयास इस प्रकार हैं:

(क) एलोपैथिक औषधालय का संचालनः टीएचडीसीआईएल, हंस फाउंडेशन के सहयोग से एलोपैथिक औषधालय का संचालन कर रहा है जो टिहरी जिले के दूरस्थ क्षेत्र में दीनगांव में अवस्थित है। इसमें नाममात्र शुल्क पर परामर्श व निःशुल्क औषधियां प्रदान की जाती हैं। सभी बुनियादी सुविधाओं (यथा एमबीबीएस डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बुनियादी पैथोलॉजिकल टेस्ट, एक्स–रे, ईसीजी, कॉल करने पर एम्बुलेंस सुविधा और माइनर ओटी) उपलब्ध हैं। यह एलोपैथिक औषधालय आसपास के लगभग 40 गांवों की लगभग 15000 आबादी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।





एलोपैथी औषधालय, दीनगांव, टिहरी गढ़वाल

(ख) चिकित्सा अवसंरचनाः स्वास्थ्य सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों और उन्नत तकनीकों में निवेश करके, हम अपने समुदायों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार चिकित्सा सुविधा मिले। चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि सभी को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने और बनाए रखने का अवसर मिले, जो हमारे समाज की समग्र भलाई में योगदान दे। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने विवेकानंद अस्पताल, देहरादून में नए ऑपरेशन थियेटर के लिए ज़ीस माइक्रोस्कोप मॉडलरू ओपीएमआई ल्यूमेरा 700 सिस्टम जैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण का समर्थन किया है और एम्स, ऋषिकेश के साथ मोबाइल वैन के माध्यम से घर–घर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह एकीकरण त्वरित निदान, अधिक कुशल उपचार योजनाओं और बेहतर अनुवर्ती देखभाल की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अंततः रोगी की संतुष्टि और स्वास्थ्य परिणामों में वृद्धि होती है।



टीएचडीसीआईएल ने एम्स, ऋषिकेश के साथ चिकित्सा उपकरणों की खरीद एवं वितरण में सहयोग किया।

ख. शिक्षा और आजीविका विकास

वंचित/अल्प सुविधाप्राप्त समुदायों को शिक्षा प्रदान करने उच्च और तकनीकी शिक्षा केन्द्र स्थापित करने और व्यावसायिक शिक्षा, अवसंरचनात्मक सहायता देने के लिए कारगर हस्तक्षेप किए गए हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र में किए गए मुख्य हस्तक्षेपों में से कुछ निम्नलिखित हैः

(क) वंचित/कमजोर वर्गों के लिए स्कूलः

टीएचडीसीआईएल, वंचित/कमजोर वर्गों के लिए टिहरी जिले के भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो स्कूल तथा देहरादून जिले के ऋषिकेश में एक स्कूल का संचालन कर रहा है। इन स्कूलों में लगभग 900 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनमें 50 प्रतिशत लड़कियां हैं जिन्हें निःशुल्क वर्दी, किताबें और लेखन सामग्री, बस सेवा आदि तथा रु. 6–7 करोड़ के वार्षिक व्यय वाली ''नैवेद्यम'' स्कीम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन दिया जाता है।





टिहरी गढ़वाल में टीएचडीसीआईएल का स्कूल

(ख) कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना: स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल बहुत–सी गतिविधियां जैसे (i) आईटीआई, एएनएम, जीएनएम, प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा आदि जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रायोजित करना। (ii) ब्यूटीशियन और सिलाई पर महिलाओं/किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करता है।



टीएचडीसी–सेवा द्वारा निःशुल्क ब्यूटीशियन कोर्स प्रशिक्षण

ग. पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा

टीएचडीसी, पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के शमन के प्रयासों में सहायता हेतु बहुत–सी सीएसआर गतिविधियों को का भी कार्यान्वयन करता है। टीएचडीसी ने सौर आधारित स्ट्रीट लाइट और एलईडी स्ट्रीट लाइटें संस्थापित की। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल ने टिहरी गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक छतों पर वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण किया है। भारत सरकार के अभिसरण में, टीएचडीसीआईएल ने



जिला हरिद्वार के छोटे सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में सहायता करने के लिए कृषि मशीनरी के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के विकास में समुदाय को सहयोग दिया है।

प्राकृतिक पूंजी

विश्व में प्राकृतिक सम्पतियों के ई–भंडार को प्राकृतिक पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें भूगर्भ विज्ञान, मृदा, हवा, पानी तथा सभी सजीव प्राणी आते हैं। यह हमारे बाहरी और आंतरिक



हितधारकों के साथ–साथ व्यापक समुदाय के लिए मूल्य निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग या संरक्षण का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के हमारे प्रयास शामिल हैं।

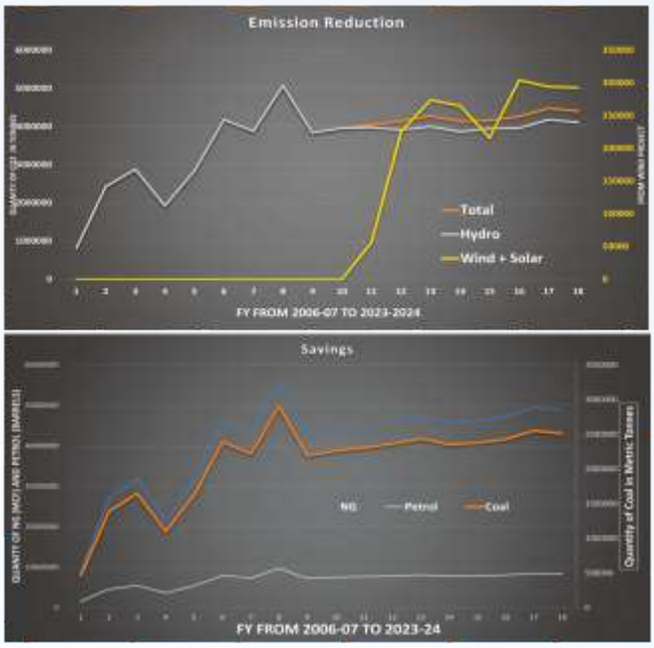
अपनी स्थापना के बाद से, टीएचडीसीआईएल ने प्रमुख फोकस क्षेत्र के रूप में प्राकृतिक पूंजी को प्राथमिकता दी है। हमारे प्रयासों में पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनमें वायुमंडलीय उत्सर्जन, विशेष रूप से ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, हमने मिट्टी और जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, स्रोत पर अपशिष्ट में कमी, अपशिष्ट का पुनरू उपयोग और पुनर्चक्रण, और हरित स्थानों के विकास के लिए कार्यनीतियाँ अपनाई हैं।

क. विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और देश के आर्थिक विकास में योगदान

वर्ष 2006–07 से 2023–24 तक, टीएचडीसीआईएल ने हमारे जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से कुल 72033.62 मिलियन यूनिट (एमयू) स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करके देश की बिजली आपूर्ति में लगातार योगदान दिया है। इन पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों ने देश की पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमारी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके, टीएचडीसीआईएल ने राष्ट्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इन परियोजनाओं ने बिजली की समतुल्य मात्रा उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम दहन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए

गए आंकड़ों से तुलना करने पर, टीएचडीसीआईएल की नवीकरणीय ऊर्जा पहल ने संभावित रूप से 2023–24 तक लगभग 37496421.92 मीट्रिक टन कोयला, 729016972.40 हजार क्यूबिक फीट (एमसीएफ) प्राकृतिक गैस या 124747711. 40 बैरल पेट्रोलियम की बचत की है।



ख. कार्बन सिंक का सृजनः हरित पट्टी

प्राथमिक प्राकृतिक कार्बन सिंक में पादप, महासागर और मिट्टी शामिल हैं। वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और जीवनदायी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और विघटित हो जाते हैं, तो एकत्रित कार्बन का कुछ हिस्सा मृदा वातावरण में स्थानांतरित हो जाता है।

प्राकृतिक प्रणालियों में वृक्षों के महत्व को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल वनों और वृक्षों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ऐसे मामलों में जहां परियोजना गतिविधियों के लिए वन मंजूरी आवश्यक है, टीएचडीसीआईएल वर्ष 1980 के वन संरक्षण (संरक्षण) अधिनियम में उल्लिखित प्रतिपूरक वनीकरण दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करता है।

टीएचडीसीआईएल द्वारा शुरू की गई कुछेक प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैंः

(क) हरित पट्टी विकासः आज तक, हमने टिहरी जलविद्युत संयंत्र (एचईपी) के आसपास 1,138 हेक्टेयर भूमि और कोटेश्वर जलविद्युत संयंत्र (केएचईपी) के आसपास 450 हेक्टेयर भूमि पर एक हरित पट्टी विकसित की है।

(ख) प्रतिपूरक वनीकरणः टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि के सापेक्ष लागू आवश्यकताओं के अनुसार, ललितपुर जिले, उत्तर प्रदेश में 3,959 हेक्टेयर भूमि, उत्तर प्रदेश के झाँसी में 638.22 हेक्टेयर भूमि और खानपुर वन रेंज, हरिद्वार, उत्तराखंड में 2,716.40 हेक्टेयर निम्नीकृत वन भूमि और चोपड़ा डंप यार्ड के लिए 9.33 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है। राज्य वन विभाग द्वारा वीपीएचईपी के लिए 120.27 हेक्टेयर में से 105.583 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) जलग्रहण क्षेत्र उपचारः टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में 52,204 हेक्टेयर (44,157 हेक्टेयर वन भूमि और 8,047 हेक्टेयर कृषि भूमि) को कवर करने वाली एक व्यापक जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना कार्यान्वित की गई है और वीपीएचईपी में 6002 हेक्टेयर को कवर करते हुए एक जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना कार्यान्वित की गई है।

इसके अतिरिक्त, हम खुर्जा थर्मल पावर संयंत्र (केएसटीपीपी) में 400 एकड़ क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें से लगभग 172 एकड़ भूमि के लिए हरित पट्टी विकास कार्य पूरा हो चुका है। हरित पट्टी में बहुस्तरीय व्यवस्था में प्रति हेक्टेयर 2000–2500 वृक्ष होंगे, जिनकी ऊंचाई वृक्षारोपण के समय 6–10 फीट होगी।

वित्त वर्ष 2023–24 तक, परियोजना परिसर के आसपास वीपीएचईपी की हरित पट्टी विकास योजना के अंतर्गत संचयी रूप से 8900 पौधे लगाए गए हैं।

ग. जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलनः औषधीय उद्यान, मत्स्य प्रबंधन, वन्यजीव संरक्षण।

टीएचडीसीआईएल जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिकीय संतुलन के लिए प्रतिबद्ध है और हमने निम्नलिखित गतिविधियां कार्यान्वित की हैंः



(क) हर्बल गार्डनः विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी) में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में औषधीय उद्यान विकसित किया गया है। औषधीय उद्यान का विकास किया गया है और इसका अनुरक्षण कार्य हर्बल रिसर्च एंड डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से किया जाता है। इसमें औषधीय गुण वाले विभिन्न पौधे हैं, जिनमें हरड़ (टर्मिनेलिया चेबुला), लेमन ग्रास (सिम्बोपोगन फेलक्सुसस), सर्पगंधा (रौवोल्फियासर्पेंसिआ) और एलोवेरा आदि शामिल हैं। औषधीय उद्यान में विकास और अनुरक्षण के लिए, मार्च, 2024 तक रु. 21.64 लाख का व्यय किया गया है।

- **फिश हैचरी:** शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय (डीसीएफआर), भीमताल की अनुशंसाओं के अनुसार, वीपीएचईपी में मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला के निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स में महाशीर मछलियों के लिए ऐसी ही एक मत्स्य उत्पत्ति अंडजशाला पहले से ही कार्यशील है।

(ख) पर्यावरण प्रबंधन: आसपास के प्राकृतिक संसाधनों, वन्य जीवों और पुरातात्विक संपत्तियों की रक्षा और संरक्षण के लिए टीएचडीसीआईएल के संपूर्ण परियोजना स्थल में एक पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन किया गया है।

(ग) खुर्जा एसटीपीपी में हरित पट्टी विकास: खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (एसटीपीपी) के लिए 400 एकड़ क्षेत्रफल को कवर करते हुए हरित पट्टी विकास योजना का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना को राज्य वन विभाग, उ0प्र0 के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। हरित पट्टी के लिए वृक्षारोपण कार्य प्रगति पर है और परियोजना के बाहरी परिधीय क्षेत्र में लगभग 70 हेक्टेयर क्षेत्रफल (लगभग 172 एकड़) में वृक्षारोपण सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। वीपीएचईपी की जीबीडी योजना के अंतर्गत परियोजना परिसर के चारों ओर संचयी रूप से 8900 (लगभग) पौधे लगाए गए हैं।

(घ) कोटी में वनस्पति उद्यान: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुसार, टिहरी झील के आसपास 14.28 हेक्टेयर क्षेत्र में एक वनस्पति उद्यान विकसित किया गया है। टिहरी बांध जलाशय में डूब चुकी वनस्पति प्रजातियों को वनस्पति उद्यान में संरक्षित किया गया है। उद्यान में औषधीय, सजावटी, इमारती लकड़ी, ईंधन और चारे सहित कुल 274 विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। वनस्पति उद्यान का रखरखाव और देखरेख वन विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2011 से किया जा रहा है, जबकि वित्तीय व्यय टीएचडीसीआईएल द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा, वनस्पति उद्यान की देखरेख और निगरानी के लिए वन विभाग, टिहरी बांध प्रभाग–I, नई टिहरी के साथ 02 वर्ष (2023–24 और 2024–25) की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ङ) टिहरी परियोजना क्षेत्र में हरित पट्टी का विकास: हनुमन्था राव समिति (एचआरसी) द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुसार जलाशय रिम क्षेत्र के साथ हरित पट्टी का विकास वन विभाग (उत्तराखंड सरकारप के माध्यम से किया गया। 2100 हेक्टेयर भूमि पर रु. 820 लाख की अनुमानित लागत से 200 मीटर चौड़ी हरित पट्टी (840 आरएल से 1040 आरएल तक) विकसित की जानी थी। 2100 हेक्टेयर में से 1138 हेक्टेयर वन भूमि का पूर्ण रूप से विकास किया जा चुका है, जबकि 962 हेक्टेयर कृषि भूमि का विकास किया जाना बाकी है। वन विभाग, उत्तराखंड सरकार को भूस्वामियों की सहमति की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं ली गई है।

(च) महाशीर मछली हैचरी: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, टीएचडीसीआईएल ने क्षेत्र में वनस्पतियों और जीवों के लिए अध्ययन किया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने संबंधित नदियों के जीवों के लिए एक व्यापक अध्ययन किया और 1993 में अपनी सिफारिशों के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी। जेडएसआई की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय शीत जल मत्स्य अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसीडब्ल्यूएफ), भीमताल के परामर्श से जुरासी नाला कोटेश्वर के पास प्रति वर्ष 3 लाख बीज की क्षमता वाली महाशीर मछली हैचरी का निर्माण किया गया। मछली हैचरी के विकास में रु. 110 लाख का व्यय हुआ। मछली हैचरी का संचालन किया जा रहा है और इसे महाशीर मछली के बीज के उत्पादन और मछली हैचरी के रखरखाव के लिए नवंबर 2015 में 29 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर राज्य मत्स्य विभाग, उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया है।

कचरा प्रबंधन प्रथाएं

ई–कचरा निपटान: टीएचडीसीआईएल ने ई–कचरे के निपटान के लिए प्राधिकृत तृतीय पक्ष ई–कचरा हैंडलर के साथ साझेदारी की है जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा ई–कचरे के निस्तारण के लिए अनुमोदित किया गया है।

कैंटीन और बागवानी अपशिष्ट का उपयोग: ऋषिकेश टाउनशिप में कैंटीन और बागवानी गतिविधियों से उत्पन्न कचरे का उपयोग बायोगैस संयंत्र में कुशलतापूर्वक किया जाता है। यह संयंत्र टीईआरआई की पेटेंट तकनीक पर आधारित है जिसे टीम (टेरी एन्हांस्ड एसिडिफिकेशन एंड मिथेनेशन) प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है।

मलबा प्रबंधन

जिम्मेदार मलबा निपटान: मलबे को उच्च बाढ़ स्तर से काफी ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्रों में डंप किया जा रहा है। पर्यावरण के अनुकूल तरीके से गंदगी को संभालने के लिए साइटों पर इंजीनियरिंग और जैविक दोनों उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं।

वेटीवर घास रोपण: वीपीएचईपी के डंपिंग यार्ड में ढलानों को स्थिर करने के लिए, वेटीवर (क्राइसोपोगोन ज़िज़ानियोइड्स) घास का रोपण सितंबर 2018 से शुरू किया गया था। यह ढलान स्थिरीकरण के लिए एक उपाय के रूप में कार्य करता है।

पर्यावरणीय निगरानी

नियमित निगरानी: वायु, जल और शोर की गुणवत्ता की समय–समय पर निगरानी की जाती है। वर्तमान में, वायु, जल और शोर की गुणवत्ता से संबंधित सभी पैरामीटर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्देशित अनुमेय सीमा के भीतर हैं।

वन्य जीव संरक्षण

पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण: टीएचडीसीआईएल आस–पास के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वीपीएचईपी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक समर्पित अनुभाग शामिल है।

वनों पर निर्भरता से बचना: टीएचडीसीआईएल श्रमिक शिविरों को एलपीजी गैसें और मेस सुविधाएं प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य ईंधन के लिए वनों पर उनकी निर्भरता को कम करना और वन्यजीवों के अवैध शिकार को कम करना है।

जागरूकता कार्यक्रम: वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर हितधारकों को शिक्षित करने और संलग्न करने के लिए परियोजना स्थल पर वन्यजीव संरक्षण पर केंद्रित नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

घ. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

(क) खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (एसटीपीपी):

विद्युत परियोजना से उत्पन्न होने वाला मुख्य ठोस अपशिष्ट राख होता है। प्रभावी राख प्रबंधन के लिए, टीएचडीसीआईएल राख प्रबंधन योजना कार्यान्वित करेगा। इस योजना में फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण, उपयोग के लिए उद्यमियों को राख की आपूर्ति और अधिकतम सीमा तक राख के उपयोग को बढ़ावा देना और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करना शामिल है। टीएचडीसीआईएल ने इन गतिविधियों को सुकर बनाने के लिए खुर्जा पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) के लिए व्यापक फ्लाई ऐश प्रबंधन योजना विकसित की है।

(ख) विष्णुगाड़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (वीपीएचईपी):

i. घरेलू/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट:

वीपीएचईपी में श्रमिक शिविर में प्रतिदिन लगभग 30 किलो से भी कम कचरा उत्पन्न होता है। कचरे का पृथक्करण स्रोत पर किया जाता है और ठोस कचरे को लगभग 317 संग्रह डिब्बों में एकत्र किया जा रहा है, जिन्हें श्रमिक शिविर और निर्माण स्थलों पर रखा गया है, जिनमें से 265 डिब्बे बायोडिग्रेडेबल कचरे के संग्रह के लिए हैं और गैर–बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए 52 डिब्बे हैं। बाद में कचरे को अंतिम निपटान के लिए नगर पालिका (स्थानीय नगर पालिका) को सौंप दिया जाता है।

ii. जैव चिकित्सा अपशिष्ट:

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों में शामिल सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। टीएचडीसीआईएल मानव कल्याण और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2016 के बायो–मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और आगे के संशोधनों का पालन करता है। बीएमडब्ल्यू प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत, जिसमें स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और अपशिष्ट कटौती शामिल है, को हरित और स्वच्छ परिवेश के निर्माण के लिए कार्यान्वित किया गया है। बायोमेडिकल कचरे को उचित रूप से रंग–कोडित डिब्बे में रखा जाता है और बाद में अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी, मेसर्स मेडिकल प्रदूषण नियंत्रण समिति को सौंप दिया जाता है।

2. खतरनाक अपशिष्ट:

वीपीएचईपी में खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और आगे के संशोधनों का अनुपालन किया जाता है। उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट में प्रयुक्त टायर और ट्यूब, अपशिष्ट तेल, हाइड्रोलिक तेल, गियर तेल, ग्रीस, बैटरी और तेल युक्त अन्य अवशेष शामिल हैं। सभी अपशिष्ट को लीक प्रूफ बंद पात्र जैसे ड्रम में एकत्र किया जाता है। हाइड्रोलिक तेल और अन्य अपशिष्ट तेल बंद कंटेनरों और खतरनाक अपशिष्ट संग्रह क्षेत्र में संग्रहीत किए जाते हैं। अंत में, समुचित पुनर्चक्रण और निपटान के लिए कचरे को अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता (रिसाइक्लर) मेसर्स श्रुति केमिकल को सौंप दिया जाता है।

बौद्धिक पूंजी



बौद्धिक पूंजी ज्ञान परिसंपत्तियों का ऐसा समूह होता है जो किसी संगठन में होता है और प्रमुख हितधारकों के लिए मूल्य जोड़कर संगठन की प्रतिस्पर्धी स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देता है।

प्रौद्योगिकीय स्तरोन्न्यन के लिए नूतन उपाय

क. टिहरी एचपीपी की सुरक्षा प्रणालियों का उन्नयनः

(क) यूनिट प्रोटेक्शन सिस्टम–I: टिहरी एचपीपी (4X250 मेगावाट) की यूनिट प्रोटेक्शन सिस्टम 2006 में चालू की गई थी। इस प्रणाली में एबीबी आरईजी216 रिले के साथ मेन–I और मेन–II प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल है। रिले के प्रोसेसर में स्टोरेज मेमोरी की सीमाओं के कारण इन रिले में बहुत सीमित डीआर भंडारण क्षमता थी। इकाइयों में विद्युत दोष होने के दौरान, ये रिले केवल 03 दोषों को बनाए रखने और पिछले रिकॉर्ड को मिटाने में सक्षम हैं, जिसके कारण विभिन्न घटनाओं के डीआर को आवश्यकतानुसार प्राप्त नहीं किया जा पा रहा था। कई ट्रिपिंग के दौरान, दोषों का विश्लेषण करने के लिए पिछले सभी रिकॉर्ड को पुनः प्राप्त करने में संयंत्र को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए, नवीनतम आरईजी670 और आरईटी670 रिले के साथ मेन–1 प्रोटेक्शन सिस्टम का उन्नयन 2023 में किया गया है जिसमें एक स्टैंड–अलोन डिस्टर्बेंस रिकॉर्डर पीसी है।

(ख) बस–बार प्रोटेक्शन सिस्टम–I: टिहरी एचपीपी (4x250 मेगावाट) की बसबार प्रोटेक्शन सिस्टम कमीशनिंग के बाद से ही चालू है। यह प्रणाली टिहरी एचपीपी की बस बार की सुरक्षा योजना को लागू करने के लिए मेन–I और मेन–II प्रोटेक्शन रिले का उपयोग करता है। वर्ष 2023 के दौरान, जब टिहरी–पीएसपी (पंप स्टोरेज संयंत्र) और एचपीपी की इंटरफेसिंग का काम चल रहा था, मेन–1 प्रोटेक्शन रिले को टिहरी एचपीपी और पीएसपी दोनों संयंत्र के लिए बस बार प्रोटेक्शन की कुशल और समय पर इंटरफेसिंग के लिए नवीनतम एबीबी आरईबी500 बस बार रिले के साथ अपग्रेड किया गया है।

सुरक्षा प्रणालियों के उन्नयन के लाभः

उन्नत आरईजी670 और आरईटी670 रिले में अब 200 तक का डीआर रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है, जो पहले 03 तक सीमित था। इससे जनरेटर और ट्रांसफार्मर की खराबी का समय पर विश्लेषण और उसका सुधार संभव हो सकेगा, जिससे दोषपूर्ण स्थितियों के दौरान टिहरी एचपीपी इकाइयों की उपलब्धता बढ़ेगी।

उन्नत मेन–1 बसबार रिले (आरईबी500) में एबीबी बसबार सुरक्षा की नवीनतम सुरक्षा तकनीक है, जिसे टिहरी एचपीपी और आगामी पीएसपी संयंत्र दोनों के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है और इसलिए कॉमन बसबार पर उत्पन्न होने वाली किसी भी खराबी को मेन–1 बसबार प्रोटेक्शन सिस्टम द्वारा कुशलतापूर्वक निपटाया जाएगा।

उन्नयन के बाद, नए रिले के डीआर को बढ़ाया गया है और केंद्रीकृत डीआर पीसी के साथ कॉन्फ़िगर किया गया है, जो खराबी के दौरान नियामक निकायों/ऑनलाइन पोर्टल को सबमिट की जाने वाली अपरिष्कृत (.सीएफजी, .एचडीआर आदि) फाइलें प्रदान करता है। सामान्य डीआर पीसी से प्राप्त रिपोर्ट दोषों का समय पर विश्लेषण करने में सक्षम बनाती है और इस प्रकार ग्रिड पर टिहरी एचपीपी और पीएसपी की बहाली के समय में सुधार करती है।

नया उन्नत सुरक्षा सिस्टम और बसबार रिले खुले संचार प्लेटफ़ॉर्म पर काम करता है जो आगे के विश्लेषण और स्वचालित रूप से तैयार की गई रिपोर्ट को नियामक निकायों/हितधारकों को भेजने के लिए संयंत्र स्काडा या ऑटोमेशन सिस्टम के साथ आसान एकीकरण प्रदान करता है।

ख. टिहरी एचपीपी में ईएमएस (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) का उन्नयनः

पीएमई (पावर मॉनिटरिंग एक्सपर्ट) सॉफ्टवेयर–आधारित ईएमएस (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) की आपूर्ति मेसर्स श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया द्वारा 2016 में टिहरी एचपीपी को की गई थी और इसका उपयोग संयंत्र की सहायक ऊर्जा खपत और संयंत्र के वाणिज्यिक पहलुओं के संबंध में टिहरी एचपीपी से ऊर्जा निर्यात डाटा को मापने के लिए किया जा रहा है। चूंकि ईएमएस सिस्टम का सर्वर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 आर2 पर चल रहा था, जिसका समर्थन वर्ष 2023 में समाप्त हो रहा था और सिस्टम ओपीसी (ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन) के अनुरूप भी नहीं था, इसलिए ईएमएस सिस्टम से बाहरी आईटी आधारित उपकरणों को रिपोर्ट साझा करना संभव नहीं था, जिसके कारण टिहरी एचपीपी की उत्पादन रिपोर्ट को मुख्यालय/नियामक निकायों को साझा करने में कई कठिनाइयां थीं। इसे देखते हुए, अगस्त 2023 के दौरान ईएमएस सिस्टम का उन्नयन किया गया है।

ईएमएस के उन्नयन के लाभः

(क) स्तरोन्नत ईएमएस सिस्टम को एसआरएएस (सेकेंडरी रिस्पांस एंसिलरी सर्विसेज) के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है अर्थात् टिहरी एचपीपी के वास्तविक समय एजीसी प्रदर्शन की निगरानी की जाती है जो ग्रिड/हितधारक की आवश्यकता के अनुसार बिजली प्रदान करने के लिए टिहरी एचपीपी की एसआरएएस प्रतिक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बड़ी मांग–अधिशेष घाटे के दौरान ग्रिड के बेहतर स्थिरीकरण में मदद करता है।

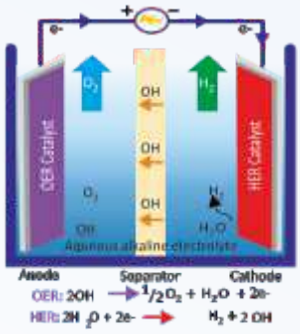
(ख) नए आईईजीसी विनियमन 2023 के अनुसार, उत्पादन इकाइयों से प्रतिक्रियाशील विद्युत की प्रतिपूर्ति को संयंत्रों को मौद्रिक लाभ के साथ प्रोत्साहित किया गया है। प्रतिक्रियाशील विद्युत प्रतिपूर्ति से लाभ की गणना को स्थिर ग्रिड प्रचालन के लिए प्रतिक्रियाशील विद्युत के इष्टतम इंजेक्शन/ड्रॉइंग के लिए उन्नत ईएमएस प्रणाली में लॉग इन और मॉनिटर किया जा रहा है।

(ग) नया पीएमई नवीनतम विस्टा सॉफ्टवेयर प्रदान करता है

जो विद्युत संयंत्र के प्रदर्शन के बेहतर कुशल विश्लेषण के लिए ग्राफिकल, पाई चार्ट और ट्रेंडिंग तरीके से वास्तविक समय डाटा और पिछले डाटा का रिकॉर्ड प्रदान करता है।

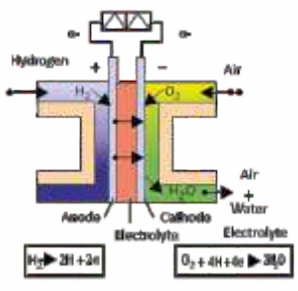
(घ) नवीनतम पीएमई सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया गया वेब आधारित एप्लिकेशन वेब एप्लिकेशन–आधारित दृष्टिकोण में वास्तविक समय डाटा के प्रदर्शन की सुविधा प्रदान करता है जिसे मल्टी स्क्रीन में प्रसारित किया जा सकता है।

ग. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो–ग्रिड प्रणाली:



भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ''राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन'' के अनुरूप, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में कार्यालय परिसर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, भंडारण और हाइड्रोजन ईंधन सेल–आधारित माइक्रो–ग्रिड प्रणाली से जुड़ी प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है।

पायलट परियोजना के मुख्य घटकों में 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर संयंत्र, 300 किलोवाट का अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर और 70 किलोवाट का पीईएम हाइड्रोजन फ्यूल सेल शामिल हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइजर दिन के समय संचालित होता है, जो इनपुट ऊर्जा के रूप में 1 मेगावाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पावर संयंत्र से सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। यह इलेक्ट्रोलाइजर सौर घंटों के दौरान 10 घंटे के संचालन में जलीय क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट (केओएच) से जल के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणुओं में विभाजित करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। उत्पादन दर 5 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन प्रति घंटा है, जिसके लिए 60 लीटर/घंटा विखनिजीकृत जल की आवश्यकता होती है। विखनिजीकृत जल की यह आवश्यकता एक डीएम वाटर संयंत्र द्वारा पूरी की जाती है।



उत्पन्न ग्रीन हाइड्रोजन को शुद्धिकरण स्किड से गुजारकर 99.999% के स्तर तक शुद्ध किया जाता है और फिर 30 बार दाब पर पात्रों में संग्रहीत किया जाता है। इसके अलावा शुद्ध किए गए संग्रहीत ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग रात के समय बिजली बनाने के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन के माध्यम से बिजली बनाने के लिए, 70–किलोवाट क्षमता वाली पीईएम तकनीक आधारित हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाई जाती है। ग्रीन हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन भंडारण पात्रों से 2 बार दाब पर आपूर्ति की जाती है, और फ्यूल सेल अपनी ऑक्सीजन सामग्री का उपयोग करने के लिए वायुमंडलीय वायु खींचता है। फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणु मिलकर जल और बिजली उत्पन्न करते हैं।

ईंधन सेल के माध्यम से उत्पादित बिजली का उपयोग टीएचडीसीआईएल की पूरी टाउनशिप और कंपनी के ऋषिकेश स्थित मुख्यालय के कार्यालय परिसर को 12 घंटे तक रोशन करने के लिए किया जा रहा है।

यह ग्रीन हाइड्रोजन आधारित माइक्रो–ग्रिड प्रणाली हमारे देश में अग्रणी है। इस प्रदर्शन परियोजना से वाणिज्यिक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जिले में एक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें टीएचडीसीआईएल द्वारा स्वयं विकसित 800 मेगावाट ग्राउंड–माउंटेड सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को संग्रहीत किया जाएगा और आस–पास के उद्योगों को आपूर्ति की जाएगी जो अपनी औद्योगिक प्रक्रियाओं में हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। सहकर्मी संगठनों सहित अन्य एजेंसियों को स्थापित पायलट परियोजना से लाभ होगा, जो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण में शामिल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करती है। यह उन्हें वाणिज्यिक पैमाने पर इसी तरह की परियोजनाओं को लागू करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकता है, जिससे भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने और देश के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान मिलेगा।

घ. अनुसंधान और विकास पहलें

नवाचार और निरंतर सुधार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी मजबूत आंतरिक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों द्वारा रेखांकित होती है। इन पहलों का उद्देश्य अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करना, आवर्ती परियोजना चुनौतियों के लिए अत्याधुनिक समाधान तैयार करना और राष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण हमारे जल विद्युत स्टेशनों के कुशल और विश्वसनीय प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करता है।

इन प्रयासों की देखरेख के लिए, ऋषिकेश में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में एक समर्पित अनुसंधान एवं विकास विभाग

स्थापित किया गया था। चल रही अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में कई क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक उत्कृष्टता की हमारी खोज में योगदान देता है। हमारे वर्तमान अनुसंधान एवं विकास फोकस की एक झलक निम्नानुसार है:

(क) भूकंपीय अध्ययन और नेटवर्क संवर्द्धन: हम टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास एक सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क के माध्यम से एक सचेत भूकंपीय अध्ययन कर रहे हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ़ नेटवर्क की स्थापना से समर्थित किया जाता है। टिहरी क्षेत्र के आसपास भूकंपीय और मजबूत गति नेटवर्क में टिहरी क्षेत्र के आसपास 18 भूकंपीय स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा, नई टिहरी और रुड़की में क्रमशः 13 स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोग्राफ (एसएमए) नेटवर्क और 02 केंद्रीय रिकॉर्डिंग स्टेशन (सीआरएस) हैं। इन प्रयासों से प्राप्त अंतर्दृष्टि न केवल भूकंपीय गतिविधि के बारे में हमारी समझ को मजबूत करती है बल्कि संभावित भूकंपीय घटनाओं के विरूद्ध हमारी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता करती है।

(ख) उपकरण की उपयोग–अवधि में वृद्धि करना: हमारे एकाग्रता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक में टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों पर विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट की दर का पता लगाने के लिए आवधिक अध्ययन शामिल है। इन अध्ययनों से प्राप्त सिफ़ारिशें इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की उपयोग–अवधि को बढ़ाने और प्रदर्शन को अनुकूलित करने में सहायक हैं। इस संबंध में हमारे प्रयास वित्तीय वर्ष 2023–24 की ओर केंद्रित हैं।

(ग) दोलन विश्लेषण और शमन: हम उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को प्रभावित करने वाले हाइड्रो जनरेटर में दोलनों को बहुत ही सावधानी से समाधान कर रहे हैं। हमारे विश्लेषण का उद्देश्य इन व्यवधानों को इंगित करना और उनके प्रभावों को कम करने के लिए प्रभावी उपायों को लागू करना है, जिससे हमारी विद्युत पारेषण प्रणालियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।

(घ) संरचनात्मक अखंडता मूल्यांकन: एक जारी अध्ययन में अलग–अलग टिहरी जलाशय जल स्तर के संदर्भ में जलमग्न अभिग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता की जांच की जाती है। यह अध्ययन, जिसमें निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट पर विशेष ध्यान दिया गया है, इन संरचनाओं की जटिल गतिशीलता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है।

(ङ) एकीकृत प्रचालन निर्णय समर्थन: हमारे अनुसंधान एवं विकास प्रयास टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स के एकीकृत संचालन के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित करने तक विस्तारित हैं। इस जटिल परिसर में टिहरी हाइड्रो पावर संयंत्र, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र और वैरिएबल स्पीड टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र शामिल हैं। इस प्रणाली का विकास हमें इन परस्पर संबद्ध सुविधाओं में प्रचालन को अनुकूलित करने की सुविधा प्रदान करता है।

(च) संयंत्र नियंत्रण के लिए साइबर सुरक्षा: हम एक सुदृढ़ और हैक–रोधी हाइड्रो संयंत्र नियंत्रण प्रणाली के विकास में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यह पहल हमारी प्रचालन अवसंरचना को साइबर सुरक्षा खतरों से सुरक्षित रखने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



(छ) मेटावर्स परिवेश के साथ एकीकरण: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने 24 जून 2024 को मेसर्स टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता टिहरी हाइड्रो पावर संयंत्र के अत्याधुनिक 3डी स्कैन किए गए डिजिटल ट्विन के विकास पर केंद्रित है। परियोजना में मेटावर्स परिवेश में इसका एकीकरण और सार्वजनिक उपयोग के लिए टिहरी संग्रहालय के भीतर एक उन्नत अनुप्रयोग प्रणाली का परिनियोजन भी शामिल है। यह पहल हितधारक जुड़ाव का कायाकल्प करेगी और यह परिभाषित करेगी कि आगंतुक हमारे फ्लैगशिप अर्थात् टिहरी हाइड्रो पावर संयंत्र के साथ कैसे संवाद करते हैं। परियोजना का केंद्र 3डी लेजर स्कैनिंग की सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है, जो संयंत्र में स्थापित चार में से एक विद्युत उत्पादन इकाई की विस्तृत ज्यामिति और संरचना को कैप्चर करती है। मेटावर्स परिवेश में एकीकरण से टीएचडीसीआईएल के प्रमुख, अर्थात् 1000 मेगावाट टिहरी जलविद्युत संयंत्र का आभासी अन्वेषण, या तो निर्देशित दौरे या मुक्त भ्रमण मोड में, संवादात्मक रूप से संभव हो सकेगा।

टीएचडीसीआईएल में हमारे अनुसंधान एवं विकास कार्य तकनीकी उन्नति, प्रचालन उत्कृष्टता और सतत विकास के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक हैं। हम आशा करते हैं कि इन पहलों का हमारे जल विद्युत प्रचालन और व्यापक ऊर्जा परिदृश्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ङ. नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं:

(क) घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफ़िल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग:

i. प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग स्ट्रेन और उनके संबंधित एंजाइम की पहचान।

ii. प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग एंजाइम की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और शुद्धिकरण।

iii. एंजाइमों का बायोफिजिकल और बायोकेमिकल लक्षण वर्णन।

एंजाइमों की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए एक्स–रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा उनकी संरचना का निर्धारण।

(ख) फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में

i. आसान हाइड्रोथर्मल तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए उभरते 2डी नैनो–मैटेरियल आधारित फोटो–कैथोड का संश्लेषण।

ii. संश्लेषित फोटो–कैथोड को विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों, जैसे, टीईएम, ईडीएक्स, एफई–एसईएम, बीईटी, एक्सपीएस, एक्सआरडी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आदि का उपयोग करके इसकी भौतिक–रासायनिक विशेषताओं के लिए लक्षण वर्णन किया जाएगा।

iii. फोटो–कैथोड सामग्रियों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए सीओ2 के विद्युत–अपचयन में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करना।

(ग) हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शनः

i. अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक सेल और अवशोषक को डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शित करना।

ii. विद्युत–रासायनिक प्रक्रिया की गतिकी का अनुमान लगाना।

iii. बेहतर अर्थशास्त्र और स्केल अप क्षमता के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रोड, विद्युत–उत्प्रेरक और इलेक्ट्रोलाइट का पता लगाना।

iv. आर्थिक व्यवहार्यता को समझने के लिए प्रक्रिया का तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करना।

(घ) बायोमास से हरित हाइड्रोजन और बायोचर का सह–उत्पादन

i. बायोमास पर संचालित हरित हाइड्रोजन समृद्ध धारा और बायो–चार के उत्पादन के लिए एक एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई प्रणाली का प्रयोगशाला–पैमाने पर प्रोटोटाइप।

ii. स्केल–अप अध्ययनों और तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके पायलट संयंत्र संचालन के लिए एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई का अनुकूलित डिज़ाइन।

(ङ) गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।

i. गंगा जल के नमूनों से जीवाणु फेज का अलगाव और प्रसार।

ii. एस्केप रोगजनकों के खिलाफ मेजबान विशिष्टता की पहचान और लक्षण वर्णन।

iii. अभिचिह्नित फेज का संरचनात्मक और जैवभौतिक लक्षण वर्णन।

iv. संयोजन फेज उपचार विकसित करने के लिए अनुप्रयोग आधारित पूर्व–नैदानिक अध्ययन।

(च) स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरताः इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण

i. भूवैज्ञानिक दोषों और भूस्खलन प्रकार की सतह में इंटरफेसियल स्लिप विकास का मशीन लर्निंग संचालित गणितीय मॉडलिंग।

ii. इंटरफेसियल स्लिप का स्थिरता विश्लेषण।

(छ) गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन

i. टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप (एमएल ≥ 3) गतिविधि के कारण दीर्घकालिक घूर्णी और स्थानान्तरणीय (अर्थात, छह डिग्री–स्वतंत्रता (6 डीओएफ)) भू–गति डाटा एकत्र करना।

ii. बेहतर (I) भूभौतिकीय साइट लक्षण वर्णन, (II) भूकंपीय स्रोत व्युत्क्रमण, (III) संरचनाओं की भूकंपीय प्रतिक्रिया का मूल्यांकन, आदि में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इस डाटा का उपयोग करना।

(ज) 5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक '5जी और उससे ऊपर' के प्रयुक्त मामलों को लागू करनाः

टीएचडीसीआईएल परिसर में वायु प्रदूषण प्रोफाइलिंग के लिए कुछ स्मार्ट–आईओटी वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण (बुनियादी क्षमताओं के साथ) और ऊर्जा खपत प्रोफाइलिंग के लिए स्मार्ट ऊर्जा मीटर (बुनियादी क्षमताओं के साथ) के साथ संदर्भ 5जी निजी नेटवर्क (सीमित रेडियो कवरेज, एक 5जी एनआईबी एक अतिरिक्त जीएनबी के साथ) की स्थापना करना।

(झ) लि–आयन बैटरी का विकल्पः स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास

i. 1एएच क्षमता और 4.0वी क्वासी–सॉलिड–स्टेट सोडियम–आधारित द्वि–आयन बैटरियों का डिजाइन और विकास।

ii. विभिन्न चार्ज/डिस्चार्ज स्थितियों के तहत सेल की दीर्घकालिक (1000 चक्रों से अधिक) स्थिरता की जांच करना।

(ञ) मानव समर्थित म्यूल–खच्चर

i. 100 किलोग्राम के कुल गतिशील द्रव्यमान और 20 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ 2–किलोवाट की शक्ति वाली डिवाइस को डिजाइन और साकार करना।

ii. लेग्ड वॉकिंग सिस्टम विकसित करना और अर्ध–स्वायत्त मोड में मध्यम भूभाग पर चाल परिवर्तन और संचलन का प्रदर्शन करना।

iii. नियंत्रक की स्थिरता सीमाओं के साथ–साथ घटकों के लोडिंग और टूट–फूट का निर्धारण करने के लिए सिस्टम का सख्ती से परीक्षण।

(ट) हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोणः

i. अधिकतम एच2 और सीएच4 उत्पादन के लिए नगरपालिका अपशिष्ट जल कीचड़ और ओएफएमएसडब्ल्यू के अवायवीय उपचार को अनुकूलित करनाः मिश्रण अनुपात, कुल ठोस प्रतिशत

ii. एच2 और सीएच4 उत्पादन पर हाइड्रोथर्मल प्रीट्रीटमेंट स्थितियों (तापमान, दबाव और प्रतिक्रिया समय) के प्रभाव को प्राप्त करना – बैच परख और अर्ध सतत संचालन

iii. अर्ध–सतत संचालन के तहत एच2 और बायोगैस उत्पादन पर परिवर्तनीय कार्बनिक लोडिंग दरों (ओएलआर) और हाइड्रोलिक प्रतिधारण समय (एचआरटी) का प्रभाव

(ठ) न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास

i. अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) को बायोगैस और ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मीथेन किण्वन (अवायवीय पाचन) प्रक्रिया का विकास।

ii. एकीकृत प्रक्रियाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता ''स्व–संधारणीय ऊर्जा कुशल मलजल उपचार प्रणाली'' के रूप में तथा पारंपरिक और संशोधित सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया के साथ तुलना।

(ड) टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास

i. 100 एनएम से कम कण आकार के साथ सुपरहाइड्रोफोबिक अवरोधक /एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट का विकास।

ii. अवरोधक /एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट को एपॉक्सी रेसिन में मिलाकर एक समग्र कोटिंग बनाना।

iii. अलग–अलग मोटाई के साथ स्प्राई कोटर या ब्रश पेंट विधि द्वारा यथा तैयार समग्र कोटिंग।

iv. टरबाइन ब्लेड पर हाइड्रोफोबिक टेल के साथ आणविक फिल्मों की ई–केम ग्राफ्टिंग।

v. विस्तृत सतह लक्षण वर्णन, समग्र कोटिंग की नमी, यांत्रिक और संक्षारण–रोधी गुणों का विश्लेषण।

vi. समग्र कोटिंग का औद्योगिक पैमाने पर निष्पादन प्रदर्शन।

(ढ) मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम

i. डीएचएस रिएक्टर के बाद एकीकृत प्राथमिक अवसादन बेसिन (पीएसबी) का विकास।

ii. सर्वोत्तम प्रचालन स्थितियों का अनुकूलन (हाइड्रोलिक अवधारण समय, कार्बनिक लोडिंग दर)

iii. नाइट्रोजन के वर्धित उन्मूलन को बढ़ाने के लिए बहिस्राव पुनःपरिचारण के पोषक तत्वों के वर्धित निष्कर्षण को प्राप्ति करने के लिए और फास्फोरस के वर्धित उन्मूलन के लिए अतिरिक्त उपचार

iv. अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) के उपचार के लिए अवायवीय डाइजेशन प्रक्रिया का विकास।

च. टीएचडीसीआईएल में जलाशय संचालन और बाढ़ शमन उपाय

टिहरी जलाशय भरना सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष 21 जून से शुरू होता है, जिससे पूर्ण जलाशय स्तर प्राप्त करने के लिए मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रवाह का उपयोग हो जाता है। एमडीडीएल, ईएल 740मीटर से इसके एफआरएल, ईएल 830 मीटर तक जलाशय का भरण टिहरी बांध के संचालन एवं अनुरक्षण नियमावली में दिए गए जलाशय नियम वक्र के अनुसार किया जाता है। नियम वक्र, जलाशय को पूर्व–निर्धारित दर पर भरने और सक्रिय मानसून अवधि के दौरान आने वाली बाढ़ के लिए उचित भंडारण स्थान रखने में मदद करता है ताकि, बांध के बहाव के प्रत्यक्ष परिणामों को कम करने के लिए अधिकांश समय, विनियमित / नियंत्रित निस्तारण निर्मुक्त किया जा सके। मानसून की अवधि के दौरान जलाशय में संग्रहीत जल का उपयोग, ग्रिड को शीर्ष समर्थन प्रदान करते हुए कम प्रवाह अवधि के दौरान सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। टिहरी जलाशय के लाइव भंडारण का उपयोग गतिशील जलाशय संचालन मॉड्यूल के आधार पर किया जाता है, ताकि सिंचाई की आवश्यकता, जो फसल पैटर्न द्वारा नियंत्रित होती है, के अनुसार जल निस्तारित करते हुए, वर्ष के दौरान विद्युत उत्पादन का अनुकूलन किया जा सके। सैद्धांतिक रूप से, लाइव भंडारण नवंबर से अगले वर्ष के मानसून की शुरुआत तक सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नदी के प्रवाह में वृद्धि करता है। इसकी स्थापना के बाद से, जलाशय प्रत्येक वर्ष इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम रहा है।

इतने बड़े जलाशय के लिए प्रारम्भिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली अनिवार्य है क्योंकि जल को अनियंत्रित तरीके से छोड़े जाने की स्थिति में यह निचली धारा में बड़े पैमाने पर बाढ़ का कारण बन सकती है। टिहरी जलाशय के लिए बाढ़ पूर्व चेतावनी

प्रणाली में अपस्ट्रीम में एक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली और डाउनस्ट्रीम में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली शामिल है। टिहरी बांध में नियंत्रण कक्ष वाले टिहरी जलाशय के लिए अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली वर्ष 2016 से क्रियाशील है और वर्तमान में 6 घंटे और 24 घंटे के लीड समय के साथ पूर्वानुमान जारी कर रहा है जो ऊर्जा उत्पादन के साथ–साथ बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से जलाशय के बेहतर प्रबंधन में भी मदद करता है। कोटेश्वर बांध के अधो–प्रवाह में ऋषिकेश तक आठ स्थानों पर स्पीकर / सायरन से युक्त एक पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस), जो कोटेश्वर बांध और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र, देहरादून के नियंत्रण कक्ष से संचालित होती है, वर्ष 2017 से कार्यशील है। जब बांध से जल निस्तारण किया जाता है तो ईडब्ल्यूएस ध्वनि संदेश और सायरन के माध्यम से नदी के किनारे की आबादी को सतर्क / चेतावनी देने में मदद करती है।

छ. ज्ञान साझाकरण का सशक्तिकरणः सहयोगात्मक ज्ञान डेस्क



सतत विकास के क्षेत्र में, अमूल्य आंतरिक अंतर्दृष्टि को कैप्चर करने, संरक्षित करने और साझा करने के लिए कुशल ज्ञान प्रबंधन महत्वपूर्ण है। प्रायः निर्माण और प्रचालन चरणों के दौरान प्राप्त व्यापक ज्ञान अलिखित रह जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भावी परियोजनाओं इससे लाभ नहीं उठा पाती हैं। इससे निपटने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने हमारे वेब पोर्टल पर एक सहयोगी ज्ञान डेस्क स्थापित करके एक दूरदर्शी परियोजना शुरू की है। यह गतिशील प्लेटफ़ॉर्म ज्ञान, अंतर्दृष्टि, प्रमुख ज्ञानार्जन और सफलताओं के आंतरिक साझाकरण को प्रोत्साहित करता है। हमारे कर्मचारियों को इस डिजिटल स्पेस में शामिल होने, प्रक्रियाओं को परिष्कृत करने और हमारे कार्यबल के सामूहिक ज्ञान आधार को बढ़ाने के लिए अपने अनुभवों का योगदान देने का अवसर मिलता है।

ज. उत्कृष्टता विकसित करनाः क्वालिटी सर्किल पहल

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2013 से क्षेत्रीय गुणवत्ता सर्कल चैप्टर और राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जो हमारी नवाचार, दक्षता और निरंतर के प्रति सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वर्ष 2023 में इस प्रतिबद्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।

15 अक्टूबर, 2023 को डीपीएस, दौलतपुर, हरिद्वार में आयोजित क्षेत्रीय गुणवत्ता सम्मेलन के 13वें चैप्टर के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की 11 क्यूसी टीमों ने भाग लिया। सभी टीमों ने बेंचमार्क मानकों को पूरा किया, जिसमें 9 टीमों ने स्वर्ण पुरस्कार और 2 टीमों ने रजत पुरस्कार हासिल किया।

4 से 7 जनवरी, 2024 तक महाराष्ट्र में नागपुर चैप्टर द्वारा आयोजित गुणवत्ता अवधारणाओं पर 37वें राष्ट्रीय सम्मेलन (एनसीक्यूसी–2023) में टीएचडीसीआईएल की विभिन्न इकाइयों और कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाली 11 टीमों ने भाग लिया। इस सम्मेलन ने गुणवत्ता अवधारणाओं और प्रदर्शन को बढ़ाने के अवसरों के लिए मूल्यवान प्रदर्शन प्रदान किया।

एनसीक्यूसी–2023 में, टीएचडीसीआईएल टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसमें 2 टीमों ने प्रतिष्ठित ''सर्वोत्कृष्ट'' पुरस्कार प्राप्त किया, 8 टीमों ने ''उत्कृष्ट'' पुरस्कार अर्जित किया, और 01 टीम को ''विशिष्टता पुरस्कार'' से सम्मानित किया गया। एनसीक्यूसी–2023 का परिणाम टीएचडीसीआईएल के पक्ष में इस प्रकार रहा हैः–

क्रम सं.	टीम का नाम और प्रचालन की यूनिट	प्राप्त पुरस्कार
1.	अलकनंदा–पीपलकोटी	उत्कृष्ट
2.	भारत	उत्कृष्ट
3.	दर्पण	उत्कृष्ट
4.	जल शक्ति	उत्कृष्ट
5.	जलतरंग	सर्वोत्कृष्ट
6.	लक्ष्य	उत्कृष्ट
7.	लोटिस	विशिष्ट
8.	प्रयास	सर्वोत्कृष्ट
9.	पुनर्नवा	उत्कृष्ट
10.	संजीवनी	उत्कृष्ट
11.	शक्ति	उत्कृष्ट

झ. व्यवसाय विविधीकरण

(क) व्यापार लाइसेंस सिंहावलोकन

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को विद्युत में अंतर–राज्य व्यापार के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा श्रेणी iv व्यापार लाइसेंस प्रदान किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि–चरण है क्योंकि टीएचडीसी पावर ट्रेडिंग के नए व्यवसाय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यह लाइसेंस विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के तहत जारी किया जाता है। यह टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को पूरे भारत में विद्युत का व्यापार करने के लिए अधिकृत करता है। लाइसेंस किसी भी सांविधिक संशोधन और संशोधन सहित अधिनियम, केंद्र सरकार के नियमों और सीईआरसी विनियमों के अनुपालन के अध्यधीन है।

लाइसेंस का ब्यौरा इस प्रकार हैः

लाइसेंस का ब्यौरा:

क) लाइसेंस संख्या: 102/Trading License/2023/CERC

ख) जारी करने की तिथि: 6 मई 2023

ग) श्रेणी: IV

घ) एक वित्तीय वर्ष में कारोबार की जाने वाली बिजली की मात्रा: 2,000 एमयू तक

ङ) न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता: रु.10 करोड़

सामरिक महत्व:

इस ट्रेडिंग लाइसेंस को प्राप्त करना टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के विद्युत व्यापार व्यवसाय में प्रवेश का प्रतीक है। यह सामरिक कदम विद्युत उत्पादन बाजार में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्युत उत्पादन में हमारे व्यापक अनुभव का लाभ उठाता है, जिससे हमें वार्षिक रूप से 2,000 एमयू तक व्यापार करने की अनुमति मिलती है। विद्युत व्यापार में संलग्न होने से टीएचडीसी को अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने और राजस्व प्रवाह बढ़ाने में मदद मिलती है।

मूर्त पंजी

आज की तारीख में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है जिसमें जल विद्युत से 1424 मेगावाट जल परियोजना (1000 मेगावाट टिहरी एचपीपी, 400 मेगावाट कोटेश्वर एचईपी, 24 मेगावाट ढुकवां एसएचईपी) और 113 मेगावाट पवन परियोजना (50 मेगावाट पाटन परियोजना और 63 मेगावाट द्वारका परियोजना) तथा 50 मेगावाट की कासरगोड़ सौर पार्क परियोजना शामिल है।



क. टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स (2400 मेगावाट)

(क) टिहरी एचपीपी (4 x 250 मेगावाट)

i. भारत का सबसे ऊंचा 260.5 मीटर ऊंचा अर्थ एंड रॉक फिल डैम टिहरी एचपीपी, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है।

ii. टिहरी परियोजना एक बहुद्देशीय परियोजना है जो उतरी क्षेत्र को विद्युत लाभ, उत्तर प्रदेश को सिंचाई लाभ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पेयजल लाभ प्रदान कर रही है।


टिहरी एचपीपी में 02 बिना गेट के सॉफ्ट स्पिलवे, ईएल 830 मी. पर उनकी क्रेस्ट के साथ

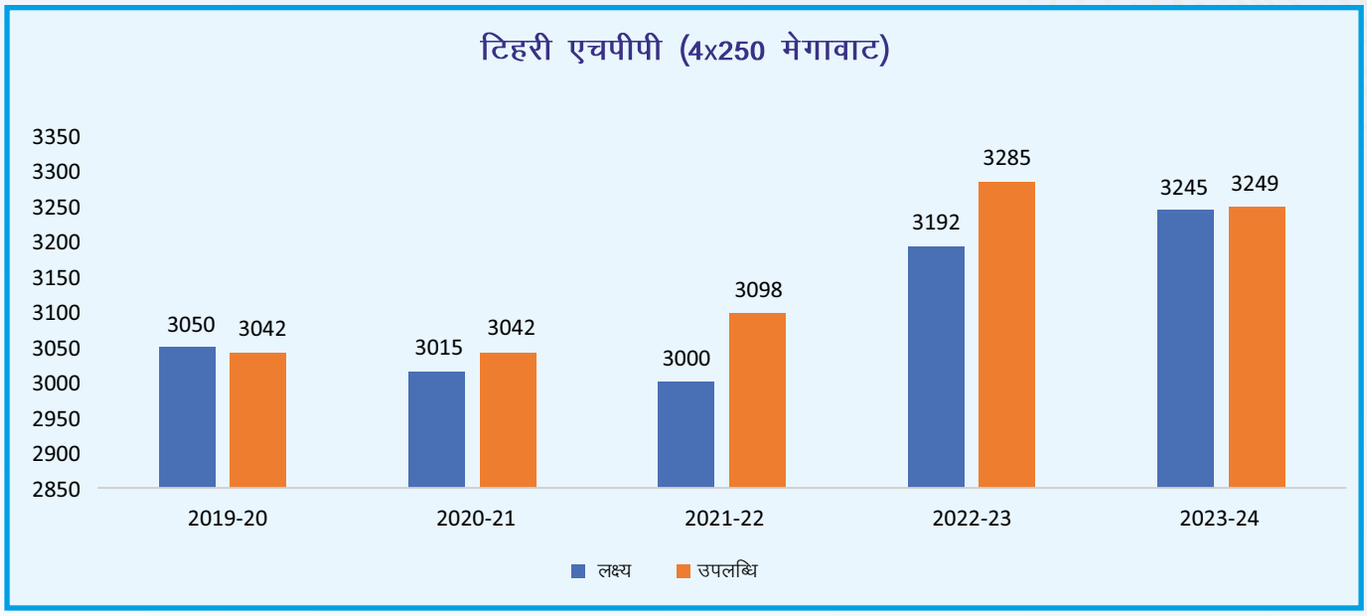
iii. भंडारण परियोजना होने के नाते, टिहरी बांध ने बाढ़ शमन में मदद की, जिसका प्रदर्शन वर्ष 2010, 2011 और 2013 की बाढ़ों के दौरान किया गया।

iv. इसके अतिरिक्त, टिहरी की मशीनों को सिंक्रोनस कंडेंसनर मोड में चलाये जाने का प्रावधान है ताकि आवश्यक होने पर रिएक्टिव पावर (वोल्टेज में सुधार के लिए ग्रेड को उपलब्ध करवाया जा सके।

v. टिहरी एचपीपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन का समर्थन करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।

vi. वित्त वर्ष 2023–24 में, टिहरी एचपीपी ने 3248.57एमयू का उत्पादन किया है।

vii. 02 अगस्त, 2023 को, टिहरी एचपीपी ने 25.80एमयू का उत्पादन किया और एक ही दिन में अधिकतम ऊर्जा उत्पादन का एक नया रिकॉर्ड कायम किया।

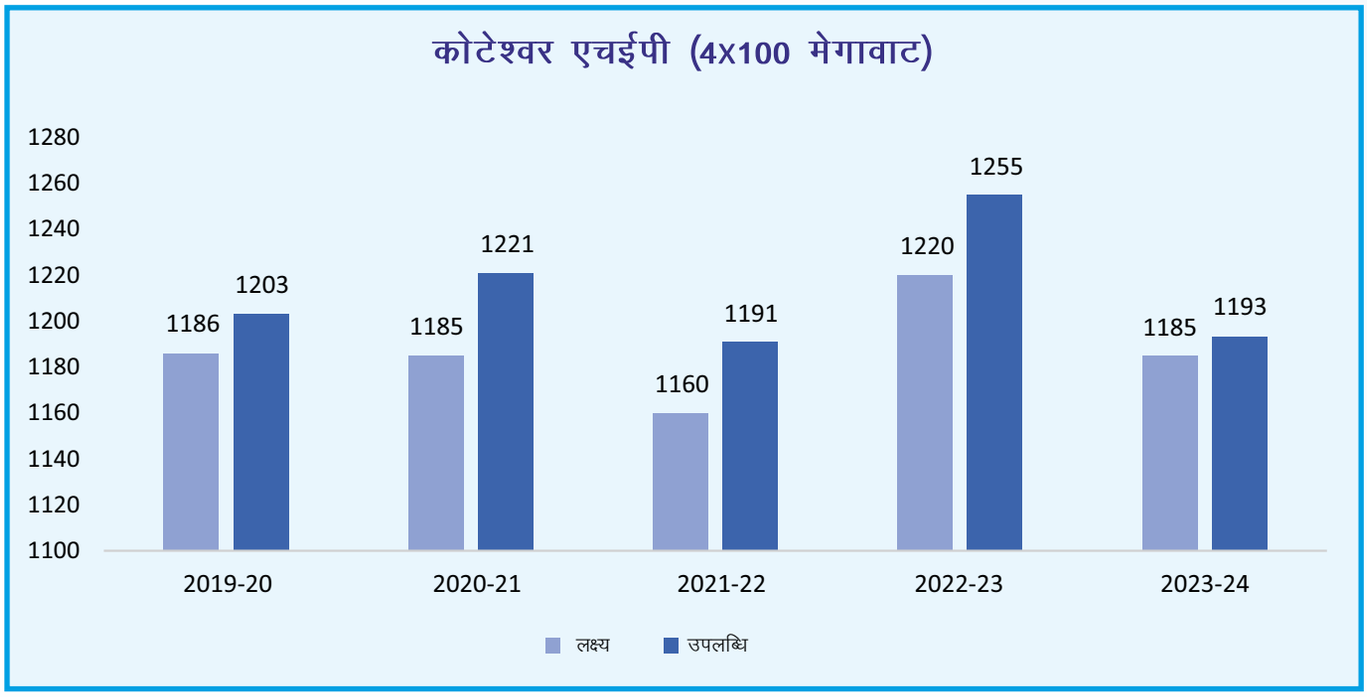


(ख) कोटेश्वर एचईपी (4x100 मेगावाट)

i. टिहरी जलाशय के निचले हिस्से में स्थित 400 मेगावाट के कोटेश्वर विद्युत गृह को अप्रैल, 2012 में ग्रिड की चौथी यूनिट के साथ वाणिज्यिक प्रचालन में घोषित किया गया था। कोटेश्वर विद्युत संयंत्र में ब्लैक स्टार्ट कैपेबिलिटी का भी प्रावधान है और ग्रिड फेल होने पर यह ग्रिड को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोटेश्वर एचईपी ग्रिड की विद्युत गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सुरक्षा बनाए रखने में ग्रिड प्रचालन का समर्थन करने के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करने में भी सक्षम है और इसमें प्राथमिक रिजर्व सहायक सेवा, माध्यमिक रिजर्व सहायक सेवा, तृतीयक रिजर्व सहायक सेवा, लोड फॉलोइंग के लिए सक्रिय बिजली समर्थन, प्रतिक्रियाशील विद्युत समर्थन, ब्लैक स्टार्ट आदि शामिल है।

ii. वित्त वर्ष 2023–24 में, कोटेश्वर एचईपी ने 1193.16एमयू का उत्पादन किया।

कोटेश्वर एचईपी का उत्पादन





कोटेश्वर एचईपी के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम का विहंगम दृश्य

(ग) ढुकवां एसएचईपी (3x8 मेगावाट)



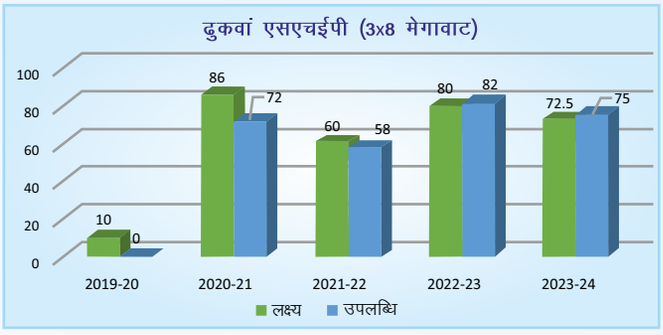
ढुकवां एसएचईपी का एरियल दृश्य

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले की बेतवा नदी पर मौजूदा ढुकवां चिनाई–सह–मृदा बांध के पादाग्र पर ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। 24 मेगावाट (3 x 8 मेगावाट) की संस्थापित क्षमता वाली यह परियोजना बेतवा नदी की विद्युत क्षमता के समग्र विकास का भाग है। परियोजना प्रचालनाधीन है और सभी तीन यूनिटों को दिसम्बर, 2019 में चालू किया गया था।

ढुकवां परियोजना कई रूप में प्रथम हैं:

(क) टीएचडीसी की पहली नहर आधारित परियोजना
(ख) टीएचडीसी का पहला पूरी तरह से संस्थागत सिविल डिजाइन
(ग) लघु जलविद्युत परियोजना में टीएचडीसी की पहली परियोजना
(घ) टीएचडीसी की पहली कपलान टर्बाइन वाली परियोजना
(ङ) उत्तराखंड के बाहर टीएचडीसी की पहली जलविद्युत परियोजना

वित्त वर्ष 2023–24 में, ढुकवां एसएचईपी ने 74.89 एमयू उत्पादन किया है।



ख. पवन ऊर्जा के अन्य रूपों में विविधीकरण



i. पाटन पवन विद्युत परियोजना (2x25 मेगावाट)

गुजरात के जिला पाटन में स्थित पाटन पवन फार्म की संस्थापित क्षमता 50 मेगावाट है, जिसमें 25 पवन टर्बाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) शामिल हैं, जिनकी प्रत्येक की क्षमता 2 मेगावाट है। ये 25 डब्ल्यूटीजी, गुजरात के पाटन जिले के चार गांवों अर्थात् अमरापुर, वेद, वाहेदपुर और अनवरपुर में स्थापित किए गए हैं। यह परियोजना निर्धारित समय से पहले 29 जून 2016 को चालू हो गई। परियोजना से अपेक्षित वार्षिक उत्पादन 25.22% क्षमता उपयोग कारक के साथ 110.5 एमयू है।

ii. देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजनाः

कुल स्थापित क्षमता 63 मेगावाट वाली इस परियोजना में 30 पवन टरबाइन जेनरेटर (डब्ल्यटीजी) शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 2.1 मेगावाट है। परियोजना 31 मार्च 2017 को चालू की गई थी। परियोजना से वार्षिक अपेक्षित ऊर्जा उत्पादन 26.27% सीयूएफ के साथ 144.9 एमयू है।

iii. पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वर्षवार उत्पादन और सीयूएफ

वर्ष	पाटन डब्ल्यूपीपी		देवभूमि द्वारका डब्ल्यूपीपी	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (%)	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (%)
2018-19	108.32	24.73%	182.89	33.14%
2019-20	104.07	23.70%	177.83	32.22%
2020-21	75.64	17.27%	136.44	24.72%
2021-22	77.74	17.75%	156.90	28.43%
2022-23	77.70	17.74%	140.75	25.50%
2023-24	**76.83**	**17.49%**	**139.88**	**25.28%**

(ख) सौर ऊर्जा

टीएचडीसीआईएल ने दिनांक 31.12.2020 से केरल के कासरगोड जिले में 50 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना के प्रारम्भण से सौर ऊर्जा उत्पादन शुरू किया है जिसे दिनांक 19.02.2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।

i. कासरगोड एसपीपी का वर्ष–वार उत्पादनः

वर्ष	कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना	
	ऊर्जा उत्पादन (एमयू)	सीयूएफ (%)
2020-21	17.36	15.90%
2021-22	89.11	20.34%
2022-23	94.58	23.47%
2023-24	**97.29**	**22.15%**

ii. खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र (2x660 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) के लिए सीसीईए द्वारा 07.03.2019 को रु. 11,089. 42 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमानित लागत पर निवेश की मंजूरी दी गई थी। संयंत्र से कुल वार्षिक उत्पादन 85% पीएलएफ के अनुरूप 9264 एमयू होगा। इस परियोजना

की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 09.03.2019 को रखी गई थी।

सभी मोर्चों पर काम तेजी से प्रगति पर है। यूनिट–1 के अक्टूबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है और परियोजना वित्त वर्ष 2024–25 तक पूरी होने की उम्मीद है।

iii. अमेलिया कोयला खदान

खुर्जा एसटीपीपी की ईंधन आवश्यकता को पूरा करने के लिए; कोयला मंत्रालय, भारत सरकार ने टीएचडीसीआईएल को जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में अमेलिया कोयला खदान आवंटित की है। सीसीईए ने अमेलिया कोयला खदान के लिए, रु. 1587.16 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल पर) की अनुमानित लागत पर निवेश अनुमोदित कर दिया था। अमेलिया कोयला खदान में निवल भूगर्भीय भंडार 162.05 मिलियन टन (ओसी) है, जिसमें से निष्कर्षण–योग्य कोयला भंडार 139.48 मिलियन टन है। अमेलिया कोयला खदान से खुर्जा एसटीपीपी की अधिकतम आवश्यकता के अनुसार 5.6 एमटीपीए कोयले की आपूर्ति की जाएगी। खदान 17.11.22 को खोली गई है और कोयले का उत्पादन निर्धारित समय से छह महीने पहले 18.02.2023 से शुरू हो गया है। अब तक लगभग 26.83 लाख टन कोयला निकाला जा चुका है। लगभग 25.47 लाख टन कोयला (672 रेक) एनटीपीसी संयंत्रों को भेजा गया। अंतिम उपयोग संयंत्र, खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) को भी 06.08.2024 को कोयले का प्रेषण शुरू हुआ और अब तक 7193.01 टन कोयला (2 रेक) भेजा जा चुका है। खदान का सीओडी 25 फरवरी तक लक्षित है।

(ग) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

i. टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (2x250 मेगावाट)

टिहरी पीएसपी (पंप स्टोरेज संयंत्र) भारत में उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित एक निर्माणाधीन जलविद्युत ऊर्जा उत्पादन परियोजना है। यह देश के केंद्रीय क्षेत्र में पहला पंप स्टोरेज संयंत्र है और इसकी क्षमता 1,000 मेगावाट है, जिसमें प्रत्येक 250 मेगावाट की चार इकाइयां शामिल हैं। सिविल, एचएम और ईएम कार्य पूर्ण होने वाले हैं और नदी से जुड़ाव का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। परियोजना की पहली इकाई के सितम्बर, 2024 तक चालू होने के लिए लक्षित है।

ii. विष्णुगाड़ पिपलाकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4x111 मेगावाट)

वीपीएचईपी 'रन आफ दि रिवर' परियोजना है। यह परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसमें 65 मीटर ऊंचे कंक्रीट डैम की परिकल्पना की गई है जो अलकनंदा नदी पर 237 मीटर के सकल शीर्ष के साथ तेजी लाएगा। यह 1674 एमयू यूनिट (90 प्रतिशत विश्वसनीय वर्ष) का उत्पादन करेगा। परियोजना बैंक के ऋण भाग का वित्तपोषण विश्व बैंक कर रहा है। सिविल, एचएम निर्माण कार्यों तथा ईएम कार्यों में सामंजस्य बिठा कर परियोजना की पहली इकाई के मार्च, 2025 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

मानव पूंजी

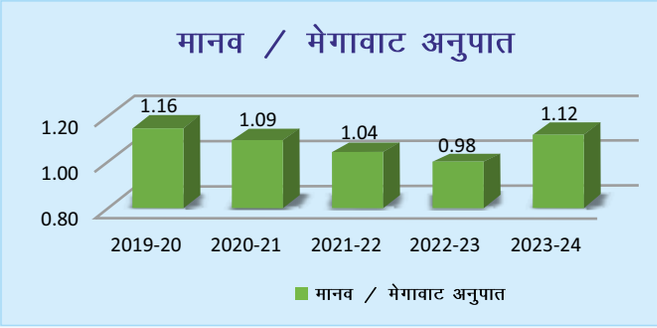


मानव पूंजी किसी कर्मचारी के अनुभव और कौशल का आर्थिक मूल्य है। इसमें व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्राप्त ज्ञान, प्रतिभा, कौशल, योग्यता, अनुभव, बुद्धिमत्ता, प्रशिक्षण, निर्णय और बुद्धि जैसी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। संगठनों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह सामूहिक परिसंपत्ति आवश्यक है। किसी भी संगठन की सफलता उसके कर्मचारियों की योग्यता और प्रेरणा पर निर्भर करती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में सत्य है जो उच्च जोखिम वाले, पूंजी–गहन और प्रौद्योगिकी– संचालित हैं। हमारी कंपनी अखिल भारतीय परीक्षण, जीएटीई, यूजीसी–एनईटी और कैंपस साक्षात्कार जैसे तरीकों से विभिन्न विशेष विषयों– मानव संसाधन, इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्त, कानूनी, जनसंचार, पर्यावरण और अधिक में अधिकारियों को नियुक्त करती है। हमारा प्राथमिक फोकस हमारे संरचित मानव संसाधन विकास प्रयासों की आधारशिला के रूप में 'क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण' पर है।

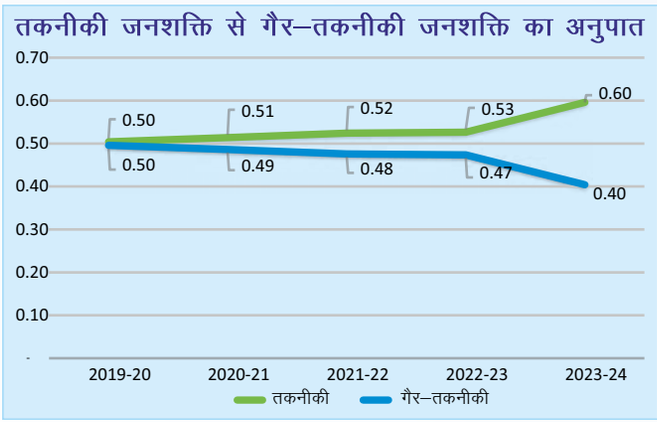
क. हमारी मानव पूंजी और उनका सुदृढ़ीकरण

टीएचडीसीआईएल तेजी से विस्तार और विविधीकरण अभियान पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में, दिनांक 31.03.2024 तक टीएचडीसीआईएल में 1782 कार्मिकों की मानव पूंजी है, जिसमें 898 कार्यपालक, 395 पर्यवेक्षक और 489 कर्मचारी शामिल हैं। कार्यनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में कुशल और प्रेरित कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल व्यापक उपायों और समर्थन पहलों के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच इष्टतम प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

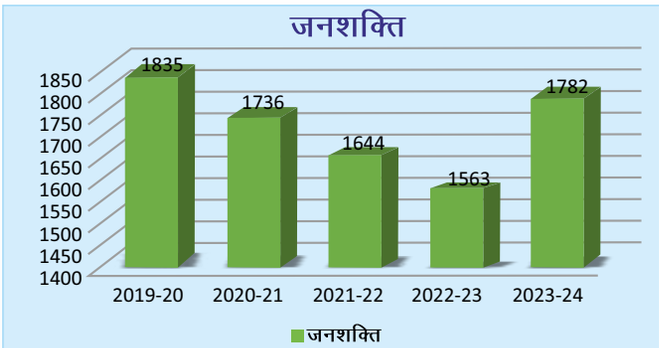
(क) मानव/मेगावाट अनुपातः मानव/मेगावाट अनुपात में हाल में हुई वृद्धि, हाइड्रो, सौर, पवन, पीएसपी, थर्मल, कंसल्टेंसी और कोयला खदानों के दोहन के उभरते क्षेत्रों में भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युवा प्रतिभा के अधिक प्रवेशन के कारण है।



(ख) तकनीकी जनशक्ति से गैर–तकनीकी जनशक्ति का अनुपातः टीएचडीसीआईएल अपने तकनीकी से गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। टिहरी – एचपीपी (1000 मेगावाट) के निर्माण चरण में स्थानीय लोगों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग (यूपीआईडी) के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा टीएचडीसीआईएल में समाहित हो गया, जिसके कारण तकनीकी से गैर–तकनीकी जनशक्ति अनुपात कम हो गया।



(ग) जनशक्ति रूझानः पिछले पाँच वर्षों में, टीएचडीसीआईएल ने अपने जनशक्ति आंकड़ों में उतार–चढ़ाव देखा है। वित्त वर्ष 2019–20 में 1835 की संख्या से यह धीरे–धीरे घटकर वित्त वर्ष 2022–23 में 1563 हो गई। वित्त वर्ष 2023–24 में जनशक्ति की संख्या फिर से बढ़कर 1782 हो गई। यह प्रवृत्ति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और पंप स्टोरेज संयंत्र में टीएचडीसीआईएल के कार्यनीतिक व्यापार विस्तार के बीच संबंध को दर्शाती है, जो इन प्रयासों में सहायता प्राप्त करने के लिए जनशक्ति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करती हैः



ख. प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन

टीएचडीसी एक मजबूत शिक्षण और विकास प्रणाली के माध्यम से कर्मचारी विकास में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ कार्यनीतिक मानव संसाधन विकास हस्तक्षेपों को जोड़कर, टीएचडीसी का लक्ष्य अपने कार्यबल की क्षमता को अनलॉक करना है। कंपनी की विकास योजनाएँ व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गई हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारियों की दक्षताएँ अद्यतन बनी रहें।

ऋषिकेश में एक अत्याधुनिक मानव संसाधन विकास केंद्र कंपनी की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक नया एकीकृत पोर्टल एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) अर्थात् 'ई–ज्ञान संचय' सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है जो अधिकारियों की सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्हें अपने कौशल को लगातार विकसित करने और तेज करने के अवसर और साधन प्रदान करता है।

टीएचडीसी विभिन्न कौशल और व्यवहार प्रशिक्षण सत्र, साथ ही पेपर प्रस्तुतियाँ प्रदान करता है, जो घरेलू और बाहरी दोनों विशेषज्ञों द्वारा आयोजित की जाती हैं। प्रतिभा विकास और योग्यता अंतराल को पाटने पर यह ध्यान संगठन के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, टीएचडीसी ने 60 समर्पित कार्यक्रमों के माध्यम से कुल 6,992 प्रशिक्षण कार्य दिवस हासिल किए, साथ ही एएससीआई, आईआईएम, आईआईटी और अन्य जैसे प्रमुख संस्थानों में बाहरी नामांकन भी हासिल किए। इनमें से 62% दिन तकनीकी प्रशिक्षण में शामिल थे। औसतन, प्रत्येक कर्मचारी को 3.75 प्रशिक्षण कार्य दिवस प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

टीएचडीसीआईएल का नेतृत्व और भावी नेतृत्व के महत्व में दृढ़ विश्वास है। नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए, कारपोरेट सुशासन आदि लाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए, कारपोरेट सुशासन, कंपनी विधि और नए अधिनियमों पर आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशक भी नामित किए जाते हैं।

टीएचडीसीआईएल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों को प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक के लिए निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गएः

- **स्वतंत्र निदेशक के लिए परिचय कार्यक्रम**

ग. सोशल मीडिया और सामाजिक संवाद मंचों के माध्यम से कर्मचारियों की संलग्नता

कॉर्पोरेट संचार किसी भी संगठन में एक महत्वपूर्ण विभाग है, और टीएचडीसीआईएल में, यह अंतरविभागीय तालमेल को बढ़ावा देने में सर्वोपरि भूमिका निभाता है। हाल के वर्षों में, कॉर्पोरेट संचार विभाग ने जुड़ाव और सूचना प्रसार के पारंपरिक और समकालीन दोनों साधनों को एकीकृत करते हुए एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाया है। क्लासिक और आधुनिक तरीकों के मिश्रण को अपनाकर, हमने विविध दर्शकों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करते हुए अपनी पहुंच और प्रचार बढ़ाया है। सोशल मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए, टीएचडीसीआईएल का कॉर्पोरेट संचार विभाग जनता और हितधारकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए इन प्लेटफार्मों का लाभ उठाता है। हमारी कार्यनीति व्यापक 360–डिग्री सोशल मीडिया दृष्टिकोण के माध्यम से कर्मचारी जुड़ाव, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और हितधारक संवाद को बढ़ाने पर केंद्रित है। फेसबुक, एक्स (पूर्ववर्ती ट्विटर), लिंक्डइन और अन्य जैसे प्रमुख प्लेटफार्मों पर सक्रिय रूप से संलग्न होकर, हम खुला संचार सुनिश्चित करते हैं, अपनी नवीनतम उपलब्धियों को साझा करते हैं, और नवाचार एवं स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म बाहरी और आंतरिक दोनों हितधारकों को संलग्न करने, प्रेरित करने और सूचित करने के लिए टर्नकी चौनल के रूप में कार्य करते हैं। प्रिंट मीडिया, प्रेस विज्ञप्ति और सामुदायिक कार्यक्रमों जैसे पारंपरिक संचार तरीकों को सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज़लेटर और संवादात्मक ऑनलाइन सामग्री जैसे आधुनिक साधनों के साथ मिलाकर, हम प्रभावी ढंग से व्यापक दर्शकों तक पहुंचते हैं और उन्हें शामिल करते हैं। इन विविध चैनलों पर हमारी उपस्थिति हमें अपनी पहलों को प्रदर्शित करने, अपने कार्यबल का जश्न मनाने और अपने दर्शकों के साथ पारदर्शी संवाद बनाए रखने की सुविदा प्रदान करती है।

घ. कर्मचारी कल्याण गतिविधियां

टीएचडीसी वांछनीय कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों के जीवन और कामकाजी परिस्थितियों को बढ़ाने के लिए समर्पित है, जिसका लक्ष्य उनकी खुशी और कल्याण को बढ़ाना है। पूरे वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतर–सीपीएसयू खेल आयोजनों सहित कई कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया, जहां कर्मचारियों ने आईसीपीएसयू बैनर के तहत पदक जीते। नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम स्वस्थ सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देते हैं, जिसमें महिला दिवस समारोह, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, नववर्ष और स्थापना दिवस जैसे त्योहारों के उत्सवों में सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। योग के समग्र लाभों को समझते हुए, टीएचडीसी कर्मचारियों और उनके परिवारों को निरंतर योग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों को नियुक्त करता है। कंपनी ने योग दिवस भी मनाया और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर कार्यशालाएं आयोजित कीं। अतिरिक्त पहलों में चिकित्सा जांच शिविर, रक्तदान अभियान और विभिन्न इकाइयों में टीकाकरण शिविर शामिल हैं, जो अपने कार्यबल के समग्र कल्याण के लिए टीएचडीसी की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

ङ. मानव संसाधन नीतिगत ढांचा

पारदर्शी और नैतिक शासन सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, टीएचडीसीआईएल ने सभी संचार में पारदर्शिता पर जोर देते हुए, कॉर्पोरेट मामलों को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत नीति ढांचा स्थापित किया है। हमारी प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाएं कर्मचारियों के पोषण और प्रेरणा को प्राथमिकता देती हैं, एक गतिशील कार्य परिवेश को बढ़ावा देती हैं। 'नमन' और 'गौरव' जैसे पुरस्कार उच्च प्रदर्शन को मान्यता देते हैं, जबकि हमारी सुझाव योजना कर्मचारी प्रतिक्रिया को महत्व देती है।

इसके अतिरिक्त, उच्च/अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए हमारी प्रोत्साहन योजना निरंतर अधिगम को प्रोत्साहित करती है, और हमारा परामर्श कार्यक्रम श्सहयोगश उभरते नेतृत्वकर्ताओं का समर्थन करता है। हम अपने प्रशिक्षण और शिक्षण कैलेंडर के माध्यम से निरंतर अधिगम सुनिश्चित करते हैं और अपनी निकास साक्षात्कार नीति के माध्यम से प्रस्थान करने वाले कर्मचारियों के अनुभवों को महत्व देते हैं। टीएचडीसीआईएल ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को विदाई देने की एक नीति शुरू की है जो कृतज्ञता और प्रशंसा के प्रतीक के रूप में एक सोने का सिक्का पेश करके कर्मचारियों की सत्यनिष्ठ सेवा को मान्यता देती है।

प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए, टीएचडीसीआईएल बेहतर दक्षता के लिए प्रबंधन प्रणालियों का डिजिटलीकरण कर रहा है। हमारी पहल टीम वर्क और समस्या–समाधान को बढ़ावा देती है, जुड़ाव और एकता को बढ़ावा देती है। इन प्रगतिशील मानव संसाधन प्रथाओं समामेलित करने में, टीएचडीसीआईएल की मान्यता एक ऐसे कार्यबल को तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो नवाचार और सामूहिक विकास पर आधारित है। टीएचडीसीआईएल तीव्र रूप से निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है, जो सफलता और शांति के बीच एक आदर्श संतुलन बनाता है और अपने कर्मचारियों को उदय, प्रभा और समृद्धि का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है।



च. युवाओं का कौशल निखारनाः

अकादमिक शिक्षा और व्यावहारिक उद्योग कौशल के बीच के अंतर को पाटने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) और अधिकांश लोगों के लिए कौशल अवसर प्रदान करने और देश में रोजगार क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) को आगे बढ़ाते हुए, टीएचडीसीआईएल निगम की विभिन्न इकाइयों में देश भर में इस योजना को चलाने में सबसे आगे रहा है। इस प्रयास में, टीएचडीसीआईएल ने 218 युवाओं को शामिल किया है। इस अभियान के तहत प्रवेश लेने वालों को उनके कौशल को निखारने और संभावित कार्यबल की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए सौहार्दपूर्ण और मजबूत प्रशिक्षण अवसंरचना प्रदान की जा रही है। यह देश के कार्यबल भागीदारी अनुपात को बढ़ाने में भी योगदान देता है।



टिहरी जलाशय का विहंगम दृश्य



400 मेगावाट की कोटेश्वर एचईपी के अपस्ट्रीम का दृश्य



अमेलिया कोल माइन 139.48 मि.ट. (रेलवे साइडिंग)

निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24



निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक

- कॉर्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट (अनुलग्नक–I)
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (अनुलग्नक–II)
- प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (अनुलग्नक–III)
- ऊर्जा संरक्षण उपाय, प्रौद्योगिकी अनुकूलन एवं विदेशी मुद्रा अर्जन तथा व्यय (अनुलग्नक–IV)
- व्यापार उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (अनुलग्नक–V)
- सचिवीय लेखापरीक्षा की रिपोर्ट (अनुलग्नक–VI)

निदेशकों की रिपोर्ट 2023–24

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, सचिवालयी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की समीक्षा सहित आपकी कंपनी के प्रदर्शन पर 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रही है।

मुख्य कार्य निष्पादन विशेषताएं

- वित्त वर्ष 2023–24 में रु. 4100.41 करोड़ के स्वीकृत बजट अनुमान के मुकाबले रु. 5168.68 करोड़ (126.05%) का पूंजीगत कैपेक्स हासिल किया।
- वित्त वर्ष 2023–24 में अपने चालू संयंत्रों से 4831 एमयू विद्युत उत्पादन किया। साथ ही, टिहरी एचपीपी ने 02 अगस्त 2023 को एक दिन में 25.81 एमयू के उच्चतम ऊर्जा उत्पादन का नया मानक स्थापित किया।
- हरित ऊर्जा के क्षेत्र में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने हरित हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 26 जनवरी, 2024 को, 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर और 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल ने ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में भारत की पहली पायलट परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया। यह उपलब्धि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में एक बेंचमार्क स्थापित करती है, जो ऊर्जा समाधानों में नवाचार और स्थिरता के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।
- टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) में, दूसरी इकाई– 26.12.2023 को सफलतापूर्वक बॉक्स अप की गई। तीसरी इकाई के रोटर और चौथी इकाई के स्टेटर को क्रमशः 08.03.2024 और 12.01.2024 को सफलतापूर्वक लोअर्ड किया गया।


टिहरी पीएसपी की यूनिटों की बॉक्सिंग अप

- खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) में, प्रमुख उपलब्धियों में 21 मार्च, 2024 को यूनिट–1 का बॉयलर लाइट–अप, 9 दिसंबर, 2023 को बैरिंग गियर पर टीजी और 8 जून, 2023 को 400 केवी खुर्जा–अलीगढ़ लाइन–1 और लाइन–2 के साथ स्विचयार्ड की चार्जिंग सफलतापूर्वक पूरी करना शामिल है।
- अमेलिया कोयला खदान से कोयला निकासी निर्धारित समय से छह महीने पहले 18.02.23 से शुरू हो गई। अब तक लगभग 20. 85 लाख टन कोयला निकाला जा चुका है और लगभग 19.57 लाख टन कोयला (516 रेक) एनटीपीसी संयंत्रों को भेजा गया है।
- वीपीएचईपी (444 मेगावाट) में, टीबीएम चालू है और 1525 मीटर एचआरटी का निर्माण किया गया है। टीबीएम ने 21.02.2024 को एक ही दिन में 26 मीटर एचआरटी निर्माण की उल्लेखनीय प्रगति भी हासिल की है, जिसने भारत के हिमालयी भूविज्ञान में एक ही दिन में खोदी गई सबसे बड़ी व्यास वाली टीबीएम सुरंग का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसके अतिरिक्त, 18.01.2024 को बांध की कंक्रीटिंग शुरू हुई, जो परियोजना के पूरा होने की दिशा में प्रगति को दर्शाता है।
- उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए भूमि के पट्टे में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिसमें झांसी, ललितपुर और चित्रकूट जिलों में 90% से अधिक आवश्यक भूमि (निजी और सरकारी भूमि सहित) का अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा, झांसी और ललितपुर के लिए डीपीआर को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया था, चित्रकूट की डीपीआर अनुमोदन के उन्नत चरण में है। इसके अतिरिक्त, यूपीनेडा ने झांसी में सौर ऊर्जा पार्कों के लिए एसपीडी चयन के लिए एनआईटी जारी की है।
- राजस्थान में ट्रेडको के माध्यम से सौर पार्कों के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धित चरण हासिल किया गया, जब एमएनआरई ने 1 फरवरी, 2024 को जिला जैसलमेर में बोडाना सौर पार्क के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी। 1292 मेगावाट की क्षमता वाले इस पार्क को चरण–I में सौर पार्क योजना के मोड 8 के तहत ट्रेडको द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- अरुणाचल प्रदेश में, टीएचडीसी ने लोहित घाटी में 1200 मेगावाट की कलाई–II जलविद्युत परियोजना के निष्पादन के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ 30 दिसंबर, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। पर्यावरण मंजूरी (ईसी), वन मंजूरी (एफसी) और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है, जो क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास की दिशा में पर्याप्त प्रगति को दर्शाता है।
- उत्तराखंड में, टीएचडीसीआईएल ने राज्य में अप्रयुक्त बिजली क्षमता को विकसित करने के लिए 01.12.2023 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह सहयोग नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने और उत्तराखंड की जलविद्युत अवसंरचना के सतत विकास में योगदान देने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
- कर्नाटक में, टीएचडीसीआईएल ने थर्मल, ग्राउंड–माउंटेड और फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 9 नवंबर, 2023 को, टीएचडीसीआईएल ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केपीसीएल और केआरईडीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, 3 जनवरी, 2024 को, विद्युत मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में गोधना टीपीपी (2x800 मेगावाट) को लागू करने और समर्पित कोयला खदानों को विकसित करने के लिए केपीसीएल के साथ एक संयुक्त उद्यम (जेवी) के गठन के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी।
- उत्तर प्रदेश में फ्लोटिंग सोलर परियोजना के विकास में, टीएचडीसीआईएल ने कुल 464 मेगावाट की तीन व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार की है।

क. वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रचालनों के वित्तीय परिणाम संक्षेप में नीचे दिए जा रहे हैं :–

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23
आय		
(क) सतत प्रचालन से राजस्व	1967.24	1974.30
(ख) अन्य आय	44.85	29.35
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व	20.65	10.47
घटाएं: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	(20.65)	(10.47)
कुल राजस्व (क+ख)	**2012.09**	**2003.65**
व्यय		
(क) कर्मचारी हितलाभ व्यय	341.17	336.74
(ख) वित्तीय लागत	158.65	181.37
(ग) मूल्यह्रास और परिशोधन	300.05	273.90
(घ) उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय	611.92	428.20
(ङ) अशोध्य संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	-	-
कुल व्यय (क+ख+ग+घ+ङ)	**1411.79**	**1220.21**
विनियामक आस्थगित खाता शेष, अपवादात्मक व्यय और कर पूर्व लाभ	**600.30**	**783.44**
अपवादात्मक मदें – (आय) / व्यय–निवल	-	-
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगन खाता शेष	**600.30**	**783.44**
कर व्यय:		
(क) चालू कर (आयकर)	103.62	136.55
(ख) आस्थगित कर – (परिसंपत्ति) / देयता	(185.43)	17.10
विनियामक आस्थगित खाता शेष में कर पश्चात लाभ	**682.11**	**629.79**
विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन शेष आय / (व्यय)–निवल कर	(83.03)	43.30
सतत प्रचालन से इस अवधि के लिए लाभ	**599.08**	**673.09**
अन्य व्यापक आय / (व्यय) (कर का निवल)	(9.74)	(2.52)
कुल व्यापक आय	**589.34**	**670.57**

वित्तीय निष्पादन

(क) सकल राजस्व और लाभ

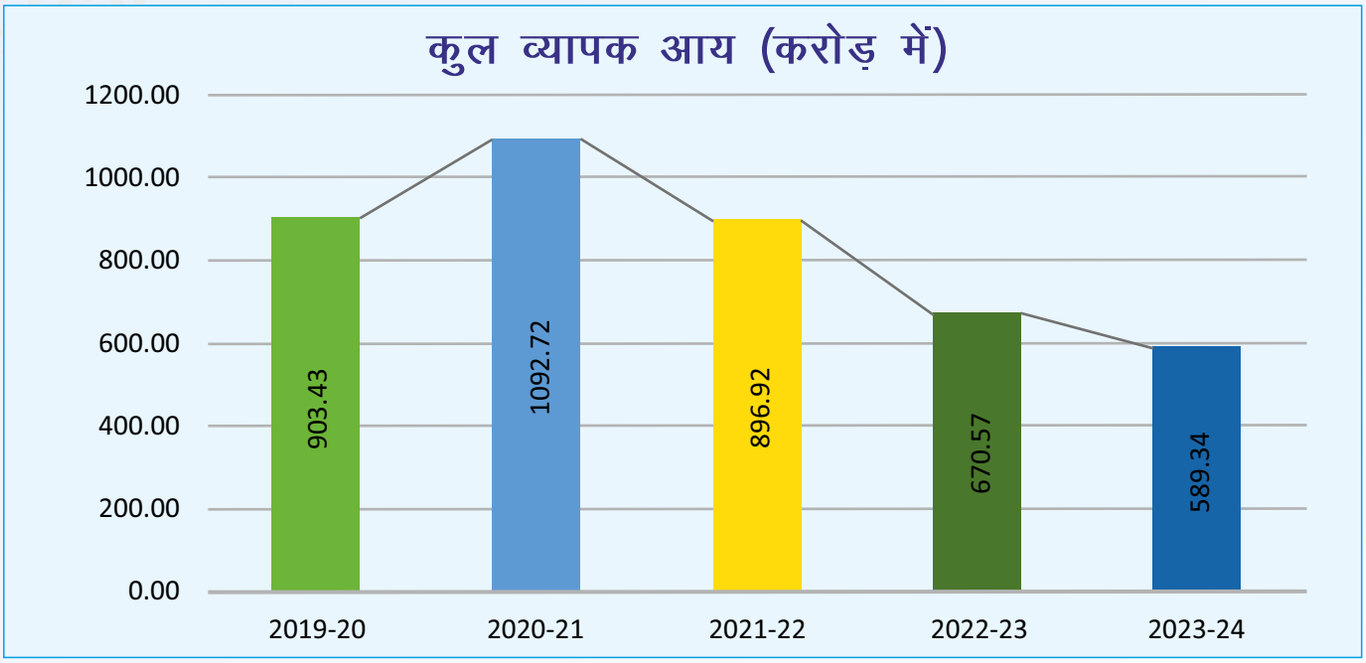
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व, सकल राजस्व, कुल व्यापक आय तथा सकल राजस्व और कुल व्यापक आय के प्रतिशत में परिवर्तन की स्थिति नीचे सारणी में दी गई है।

(रु. करोड़ में)

विवरण	2023-24	2022-23	वृद्धि / (कमी)
प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	1967.24	1974.30	(7.06)
सकल राजस्व	2012.09	2003.65	8.44
कुल व्यापक आय	589.34	670.57	(81.23)
सकल राजस्व में कुल व्यापक आय का प्रतिशत	**29.29%**	**33.47%**	

(क) पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय

पिछले पांच वर्षों की कुल व्यापक आय का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण नीचे दिखाया गया है:



लाभांश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपके निदेशकों ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रु. 171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश घोषित कर उसका भुगतान किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 31.03.2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में रु. 300.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है, जिसका भुगतान 03.04.2024 को किया गया। इस प्रकार रु. 471.44 करोड़ का कुल लाभांश भुगतान रु. 1000/– प्रत्येक सममूल्य के इक्विटी शेयर पर रु. 128.60 है, और यह कुल व्यापक आय का 79.99 रु. और संदत्त पूंजी का 12.86 रु. दर्शाता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु. 227.34 करोड़ के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु. 1000 वाले इक्विटी शेयर के लिए रु. 143.85 प्रति इक्विटी शेयर की दर पर कुला लाभांश रु. 527.34 करोड़ रुपये है और यह निवल का 5 प्रतिशत है।

पूंजी संरचना और निवल मूल्य (नेटवर्थ)

शेयर पूंजी:

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 4000.00 करोड़ है। दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, संदत्त पूंजी और निवल मूल्य (नेटवर्थ) क्रमशः रु. 3665.88 करोड़ और रु. 10546.68 करोड़ है।

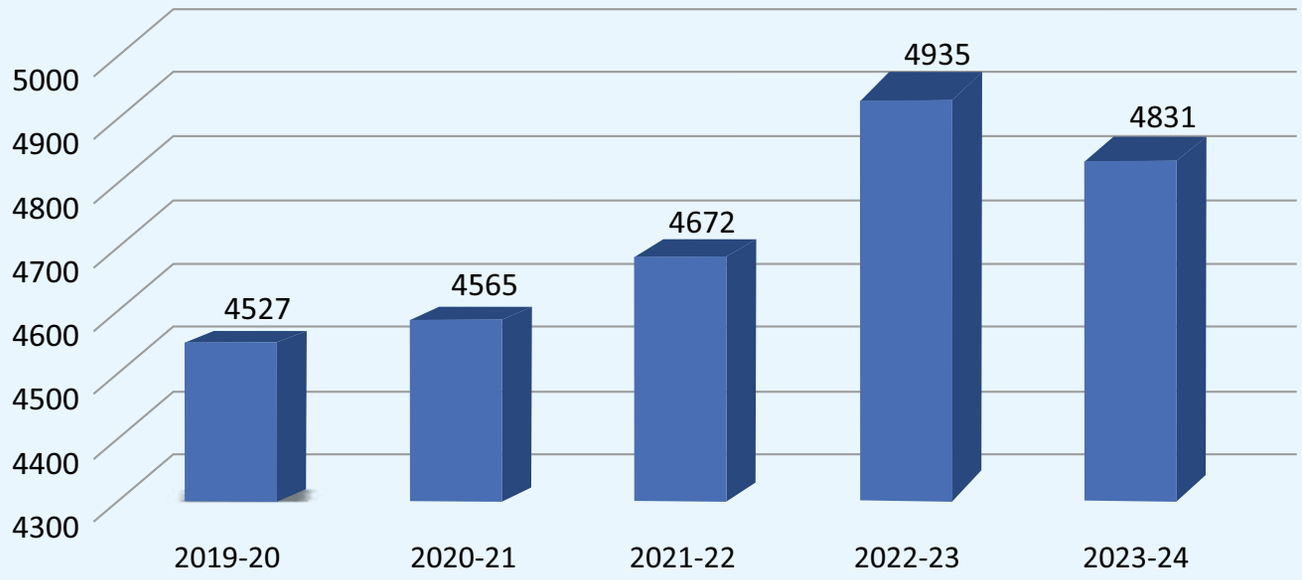
प्रचालनात्मक निष्पादन 2023–24

क. विद्युत उत्पादन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कुल संस्थापित क्षमता 1587 मेगावाट है, जल, पवन और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन 4830.63 एमयू था।

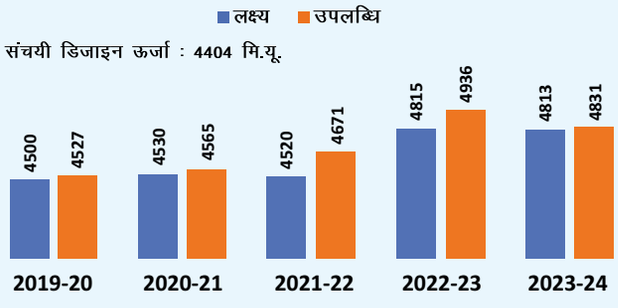
क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन (मि.यू. में)		पीएएफ/सीयूएफ/पीएलएफ**
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि
1.	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)	3245	3248.57	80.27%
2.	कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	1185	1193.16	69.52%
3.	ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट)	72.5	74.89	35.53%
4.	पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	76.0	76.83	17.49%
5.	द्वारका पवन ऊर्जा	139.5	139.88	25.28%
6.	कासरगॉड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट)	95.0	97.29	22.15%
	कुल	**4813.0**	**4830.63**	

वर्ष दर वर्ष उत्पादन (एमयू)

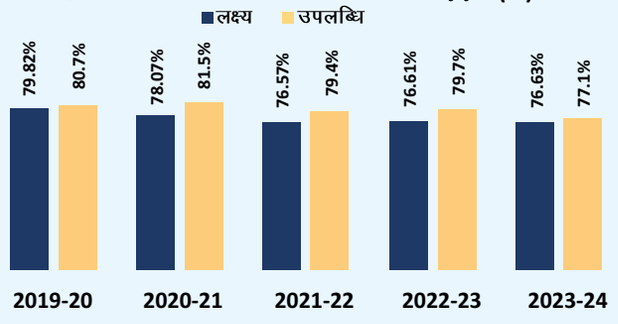


प्रचालनात्मक प्रदर्शन (उत्पादन एवं पीएएफ)

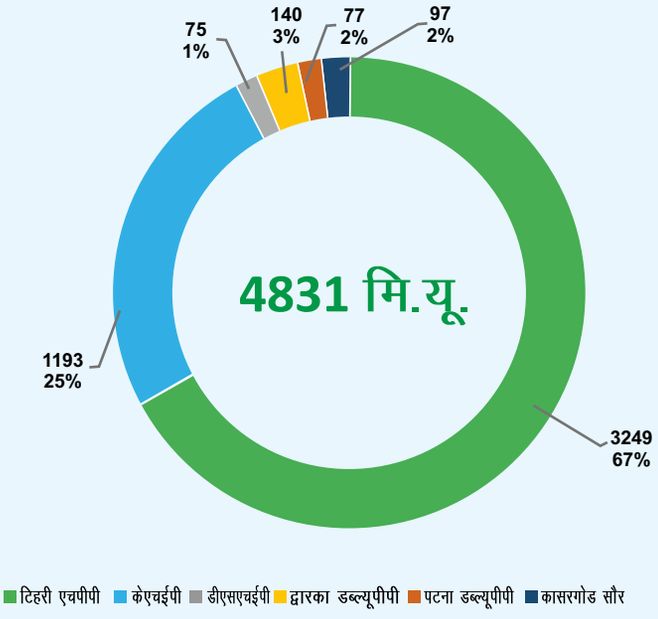
वार्षिक उत्पादन (मि.यू.)



टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स का संचयी पीएएफ (%)



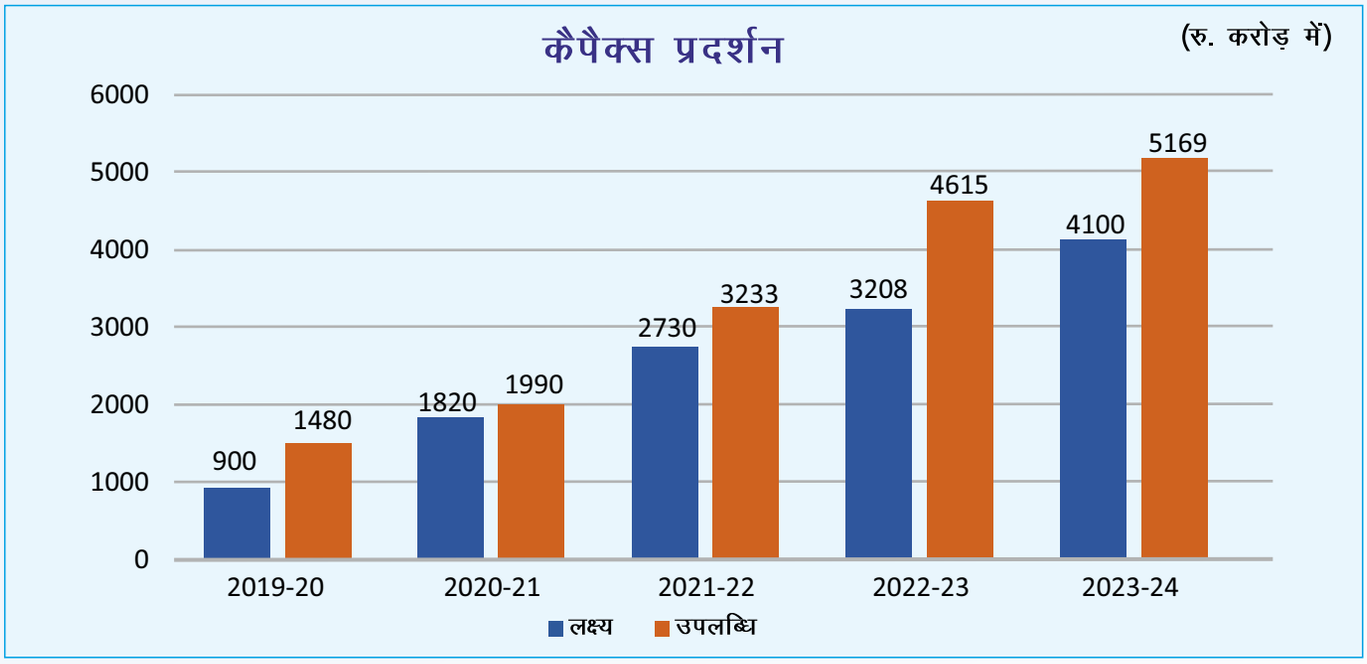
उत्पादक (मि.यू.) – संयंत्र–वार योगदान



वित्तीय वर्ष : 2023-24

(ख) कैपेक्स प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023–24 में, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने रु. 5168.68 करोड़ का कैपेक्स हासिल किया है, जो इसके निर्धारित बजट अनुमान लक्ष्य रु. 4100.41 करोड़ का 126.05% है। यह इसके दूरदर्शी नेतृत्व, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कड़ी निगरानी और इसके समर्पित कर्मचारियों के कड़े परिश्रण के कारण इसकी सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं पर कार्य की त्वरित गति का परिणाम है।



ख. व्यावसायिक प्रदर्शन 2023–24

आपकी कंपनी, निरंतर सुधार तथा लाभार्थी / डिस्कॉम्स को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करने में विश्वास रखती है। इसे सभी लाभार्थियों ने वार्षिक प्रतिपुष्टि पत्र में उत्कृष्ट रेटिंग प्रदान कर अपनी संतुष्टि को व्यक्त कर स्वीकार किया है। आपकी कंपनी के प्रचालन से राजस्व के संदर्भ में व्यवसायिक प्रदर्शन इस प्रकार है:–

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
*प्रचालन से राजस्व (रु. करोड़ में)	1967.24	1974.30
राजस्व की वसूली (%)	100%	100%

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल) ने ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरण के तहत विद्युत व्यापार व्यवसाय में उद्यम किया है। टीएचडीसीआईएल को 6 मई 2023 को माननीय सीईआरसी द्वारा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, निबंधन एवं शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2020 के संशोधन सहित पूरे भारत में विद्युत का व्यापार करने के लिए श्रेणी IV व्यापारी के रूप में लाइसेंस प्रदान किया गया है।

ग. परियोजना वित्त पोषण

(क) कॉर्पोरेट बांड निर्गम

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित जारी निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.76 % प्रति वर्ष की कूपन ब्याज दर के साथ रु. 763.00 करोड़ की अप्रतिभूत प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय श्रृंखला–VIII जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाया जाएगा और वार्षिक आधार पर ब्याज देय होगा। रु. 763 करोड़ के बांड श्रृंखला–VIII में से रु. 623 करोड़ की राशि टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए और रु. 140 करोड़ अमेलिया कोयला खदान के लिए उपयोग की गई है।

इसके अलावा, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट आधार पर पहले से किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति सहित जारी निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय आवश्यकता को पूरा करने के लिए 7.93% की कूपन ब्याज दर के साथ रु. 779.00 करोड़ की एक अप्रतिभूत प्रतिदेय असंपरिवर्तनीय बांड श्रृंखला–IX जारी की थी। बांड जारी होने की तारीख से 10 वर्षों के बाद भुनाए जाएंगे और ब्याज वार्षिक आधार पर देय होगा। रु. 779 करोड़ के बॉन्ड श्रृंखला–IX में से रु. 500 करोड़ का उपयोग टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए किया गया है, रु. 129 करोड़ का उपयोग अमेलिया कोयला खदान के लिए किया गया, रु.100 करोड़ का उपयोग विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी

परियोजना के लिए किया गया और रु. 50 करोड़ का उपयोग खुर्जा परियोजना के लिए किया गया है।

(ख) परियोजना–वार वित्त पोषण

i. टिहरी पीएसपी परियोजनाः

- टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2012 में रु. 1500 करोड़ दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करने हेतु कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले व्यापार संघ के साथ वित्तीय गठबंधन किया था। उपरोक्त संस्वीकृत राशि के सापेक्ष, 31 मार्च, 2018 तक रु. 1227.65 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। कंपनी ने मई, 2018 तक रु. 1227.65 करोड़ की पूर्ण राशि चुका दी है।
- कंपनी ने टिहरी पीएसपी परियोजना को धन उपलब्ध करवाने के लिए वित्त वर्ष 2018–19 में पीएनबी से रु. 700 करोड़ का मध्यावधि ऋण प्राप्त किया है। कंपनी ने मार्च, 2024 तक 20 बराबर किश्तों में रु.700 करोड़ की पूरी राशि की चुकौती कर दी है।
- टीएचडीसीआईएल ने प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड श्रृखंला–I से IX की विभिन्न श्रृंखला जारी की थी इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से टिहरी पीएसपी परियोजना के लिए निम्नलिखित राशियों का उपयोग किया गया हैः

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपयोग की गई राशि	ब्याज दर (प्रति वर्ष)
बांड श्रृखंला-II	1420.00	8.75%
बांड श्रृखंला-III	200.00	7.19%
बांड श्रृखंला-IV	500.00	7.45%
बांड श्रृखंला-V	300.00	7.39%
बांड श्रृखंला-VI	550.00	7.60%
बांड श्रृखंला-VII	180.00	7.88%
बांड श्रृखंला-VIII	623.00	7.76%
बांड श्रृखंला-IX	500.00	7.93%

ii. वीपीएचईपी परियोजना

- कंपनी ने वीपीएचईपी परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 64.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर का वित्तीय समझौता किया था। हालांकि, टीएचडीसीआईएल के अनुरोध पर, विश्व बैंक ने 27.06.2019 और 07.04.2021 को 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की आंशिक ऋण राशि रद्द कर दी है। इस परियोजना के लिए ऋण राशि अब 44.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर है।
- वर्ष 2023–24 के दौरान 6.243 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि आहरित की गई है और 31.03.2024 तक कुल आहरण 25.794 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा 1.037 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि चुकाई गई है और 31.03.2024 तक कुल चुकौती 4.284 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इस प्रकार 31.03.2024 तक बकाया निवल ऋण 21.51 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जो रु. 1793.36 करोड़ के बराबर है।
- वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 7.93% की कूपन ब्याज दर के साथ जारी बॉन्ड सीरीज IX से वीपीएचईपी परियोजना के लिए रु. 100 करोड़ का उपयोग किया गया।

iii. खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान

- कंपनी ने ऋण घटक के वित्तपोषण अर्थात खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान की रु. 8873.61 करोड़ की अनुमोदित लागत का 70% (I) निजी प्लेसमेंट के आधार पर बांड के माध्यम से 50% ऋण और (II) बाजार परिदृश्य और निधि की आवश्यकता पर विचार करते हुए इंटरचेंज विकल्प के साथ अनुसूचित बैंकों / वित्तीय संस्थानों आदि से परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से शेष 50% की योजना बनाई है।
- कंपनी ने कंपनी की पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से रु. 2500 करोड़ का सावधि ऋण लिया है। उपरोक्त संस्वीकृत ऋण राशि के सापेक्ष, कंपनी द्वारा पूर्ण ऋण प्राप्त कर लिया गया है।
- इसके अलावा, निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा रु. 2500 करोड़ का नया सावधि ऋण अर्थात् सावधि ऋण–II स्वीकृत किया गया है। बीओबी टर्म लोन–II से प्राप्त धनराशि का उपयोग खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए किया जाएगा, उपरोक्त स्वीकृत राशि के सापेक्ष 31.03.2024 तक रु. 2450.00 करोड़ का लाभ उठाया जा चुका है।
- टीएचडीसी ने प्रतिभूत और अप्रतिभूत बांड की विभिन्न श्रृंखलाएं श्रृंखला I से IX जारी की हैं, इन बांडों के माध्यम से जुटाई गई निधियों में से खुर्जा एसटीपी परियोजना और अमेलिया कोयला खदान के लिए निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया हैः

(रु. करोड़ में)

परियोना	विवरण	उपयोग की राशि	ब्याज दर (प्रतिवर्ष)
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-I	240.00	7.59%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-III	600.00	7.19%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला-IV	125.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-IV	23.00	7.45%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-V	900.00	7.39%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला-VI	250.00	7.60%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-VII	240.00	7.88%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला-VII	180.00	7.88%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला-VIII	140.00	7.76%
खुर्जा एसटीपी परियोजना	बांड श्रृखंला-IX	50.00	7.93%
अमेलिया कोयला खदान	बांड श्रृखंला-IX	129.00	7.93%

(ग) वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए परियोजना वित्तपोषण :

ऋणदाता का नाम	ऋण की राशि	दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार अथशेष ऋण	वर्ष 2023–24 के दौरान आहरित राशि	चुकता की गई ऋण	दिनांक 31.03.2024 तक शेष ऋण राशि
विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण	यूएस $ 64.8 करोड़*	रु. 1340.51 करोड़	रु. 540.06 करोड़**	रु. 87.21 करोड़	रु. 1793.36 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–I	रु. 600 करोड़	रु. .600 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 600 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–II	रु. 1500 करोड़	रु. 1500 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 1500 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–III	रु. 800 करोड़	रु. 800 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 800 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–IV	रु. 750 करोड़	रु. 750 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 750 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–V	रु. 1200 करोड़	रु. 1200 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 1200 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–VI	रु. 800 करोड़	रु. 800 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 800 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–VII	रु. 600 करोड़	रु. 600 करोड़	शून्य	शून्य	रु. 600 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–VIII	रु. 763 करोड़	शून्य	रु. 763 करोड़	शून्य	रु. 763 करोड़
कॉर्पोरेट बांड – श्रृखला–IX	रु. 779 करोड़	शून्य	रु. 779 करोड़	शून्य	रु. 779 करोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-1)	रु. 2500 करोड़	रु. 2375 करोड़	शून्य	रु. 125 करोड़	रु. 2250 करोड़
बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल-2)	रु. 2500 करोड़	रु. 525 करोड़	रु. 1925 करोड़	शून्य	रु. 2450 करोड़
पीएनबी से सावधि ऋण	रु. 700 करोड़	रु. 139.58 करोड़	शून्य	रु. 139.58 करोड़	NIL
पीएनबी से सावधि ऋण	रु. 500 करोड़	शून्य	रु. 500 करोड़	रु. 75 करोड़	रु. 425 करोड़

* इसमें डॉलर विनिमय दर में परिवर्तन के कारण टीएचडीसी द्वारा अभ्यर्पित 20 करोड़ यूएस डालर शामिल हैं।

**रु. 23.66 करोड़ की विनिमय दर भिन्नता शामिल है।

घ. निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और स्थिति

टिहरी पीएसपी (4X250 मेगावाट):

250 मेगावाट की चार रिवर्सिबल पंप टर्बाइन इकाइयों से निर्मित टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट), पूर्ण होने पर भारत में सबसे बड़ा पीएसपी होगा। मल्टीपल पंपिंग चक्र (पंपिंग के 11/12 घंटे) को ध्यान में रखते हुए, पंपिंग मोड में 3104 एमयू ऊर्जा की खपत होगी जबकि टरबाइन मोड में 2475 एमयू ऊर्जा उत्पन्न होगी। औसतन, टिहरी पीएसपी में पंप की गई लगभग 80% ऊर्जा को सफलतापूर्वक पुनर्प्राप्त किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वापस विद्युत में परिवर्तित किया जाएगा, जो विश्व के अन्य पीएसपी की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च राउंड–ट्रिप दक्षता है।

विद्युत मंत्रालय/राज्य सरकार/टीएचडीसीआईएल बोर्ड के हस्तक्षेप से सभी भूवैज्ञानिक चुनौतियों, कानून और व्यवस्था के मुद्दों और संविदाकार के निधियो सबंधी संकट को पार करते हुए, परियोजना कार्यों ने गति पकड़ी और अब पूरा होने के करीब है।

यूनिट–1 और 2 में, पहली यूनिट की मैकेनिकल स्पिनिंग 03.08.2024 को सफलतापूर्वक शुरू हुई और आगे की कमीशनिंग गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। यूनिट–1 और 2 की कमीशनिंग क्रमशः सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 तक लक्षित है। यूनिट 3 में, बॉक्सिंग अप प्रगति पर है और यूनिट कमीशनिंग नवंबर 2024 तक लक्षित है। यूनिट 4 में, रनर और स्टेटर को नीचे उतारा गया है। सर्विस बे में रोटर असेंबली प्रगति पर है और सितंबर 2024 तक इसे गड्ढे में नीचे उतारा जाना है। यूनिट कमीशनिंग दिसंबर 2024 तक लक्षित है।

अपस्ट्रीम सर्ज शाफ्ट और डाउन स्ट्रीम सर्ज शाफ्ट दोनों की लाइनिंग पूरी हो गई है। सभी 04 ड्राफ्ट ट्यूब गेट चालू कर दिए गए हैं।

टेल रेस टनल में; कंक्रीट लाइनिंग और ग्राउटिंग पूरी हो गई है।

टीआरटी आउटलेट पर, सभी 04 स्टॉपलॉग गेट चालू कर दिए गए हैं।

बाढ़ सुरक्षा दीवार और नदी से जोड़ने के कार्यों को समाप्त करने का कार्य पूरा हो गया है।

जुलाई 2024 तक टिहरी पीएसपी परियोजना पर रु. 6642.07 करोड़ का व्यय हुआ है, जबकि आरसीई–II के लिए रु. 4825.60 करोड़ (फरवरी 2019 का मूल्य स्तर) है।

जून 2023 के मूल्य स्तर पर आरसीई–III के लिए रु. 6856.05 करोड़ की राशि सीईए द्वारा विचाराधीन है।

विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (4X111 मेगावाट):

444 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली विष्णुगाड़ पीपलकोटी जलविद्युत परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित रन–ऑफ–दि–रिवर स्कीम है, जिसकी परिकल्पित ऊर्जा क्षमता 1657.09 एमयू (95% मशीन उपलब्धता के साथ) है।

ऊर्ध्वप्रवाह कॉफ़र बांध के निर्माण के बाद नदी का डायवर्जन पूरा कर लिया गया है। बांध का उत्खनन कार्य लगभग 91 प्रतिशत पूरा हो चुका है और ब्लॉक–1 (एनओएफ) लेफ्ट बैंक और ब्लॉक–5 (एनओएफ) राइट बैंक की कंक्रीटिंग प्रगति पर है। इनलेट संरचना की कंक्रीटिंग चल रही है। सभी 3 डीसी में खुदाई पूरी हो गई है। सभी 3 डीसी में 67% लाइनिंग का काम भी पूरा हो गया है। डीबीएम द्वारा एचआरटी में, क्रमशः 819 मीटर और 736 मीटर की लंबाई में कर्ब कंक्रीटिंग और ओवर्ट लाइनिंग पूरी हो गई है।

टीबीएम मोर्चे पर, जुलाई 2024 तक टीबीएम के माध्यम से 2052 मीटर एचआरटी का निर्माण किया गया है और शेष प्रगति पर है।

मशीन हॉल में, सफल लोड परीक्षण के बाद 03.08.2024 को ईओटी चालू कर दिया गया है। यूनिट–1 में गड्ढे की खुदाई पूरी हो गई है



444 मेगावाट वीपीएचईपी परियोजना में 9.86 मी. व्यास की टनल बोरिंग मशीन

और यूनिट–2 में गड्ढे की खुदाई अगस्त 2024 के मध्य तक पूरी करने का लक्ष्य है। यूनिट–1 में, 5 क्रेन बीम कॉलम की 3 लिफ्टों की कंक्रीटिंग पूरी हो गई है। इसके अलावा, फर्श बीम का कंक्रीटिंग कार्य प्रगति पर है।

ट्रांसफार्मर हॉल, ऑयल सम्प क्षेत्र में; मृदा आवरण बिछाने, राफ्ट कंक्रीटिंग, और स्लैब स्तर तक सम्प दीवार का कार्य पूरा हो चुका है। स्लैब के लिए प्रबलन और छह स्तंभों की कंक्रीटिंग का काम प्रगति पर है।

टीआरटी में, जुलाई 2024 तक लगभग 74% हेडिंग उत्खनन पूरा हो चुका है।

ईएम उपकरण/सामग्री की 48% आपूर्ति पूरी हो चुकी है।

जुलाई–24 तक परियोजना पर रु. 3892.55 करोड़ का व्यय हुआ है, जबकि आरसीई रु. 3860.35 करोड़ (फरवरी 2019 पीएल) है।

परियोजना की पहली इकाई मार्च 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट):

रु. 7,724 करोड़ के मूल्य के सभी पैकेज एवार्ड कर दिए गए हैं और सभी मोर्चों पर काम पूरी प्रगति पर चल रहा है।

i. यूनिट–1

- स्टीम ब्लोइंग का कार्य दिनांक 30.06.2024 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
- चिमनी क्रियाशील है। कूलिंग टावर तैयार है।
- कोल हैंडलिंग संयंत्र में कोल पाथ–1 कोयले को रखने के लिए तैयार है।
- ईएसपीः पास–ए, बी और सी की फील्ड चार्जिंग पूरी हो गई है। ईएसपी की तैयारी अगस्त 2024 तक पूरी होने का लक्ष्य है।
- यूनिट–1 की कमीशनिंग अक्टूबर 2024 तक पूरी होने का लक्ष्य है।

ii. यूनिट–2

- बॉयलर हाइड्रो परीक्षण 02.11.23 को सफलतापूर्वक किया गया।
- जेनरेटर को बॉक्स–अप कर दिया गया। टरबाइन को भी 25.06.24 को बॉक्सअप कर दिया गया।
- चिमनी का पूर्ण निर्माण किया गया है; फ्लू कैन असेंबली और उत्थापन का कार्य प्रगति पर है।
- कूलिंग टावर का कार्य प्रगति पर है, सितंबर 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है।
- बॉयलर लाइट अप का लक्ष्य अक्टूबर 2024 तक है।
- यूनिट–2 को वित्त वर्ष 2024–25 तक चालू करने का लक्ष्य है।

iii. सामान्य सुविधाएं/सहायक उपकरणः

- कैप्टिव अमेलिया कोयला खदान, सिंगरौली (एमपी) से कोयले की पहली रेक 07.08.24 को खुर्जा एसटीपीपी पहुंच गई है और सीएचपी का संचालन शुरू हो गया है।
- गंगा नहर से खुर्जा एसटीपीपी तक जलापूर्ति व्यवस्था चालू है।
- 400 केवी स्विचयार्ड चार्ज किया गया; विद्युत निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन और सब–स्टेशन तैयार हो गए हैं। यूपीपीटीसीएल द्वारा उत्तर प्रदेश के हिस्से की विद्युत के निष्कर्षण के लिए पारेषण लाइन अक्टूबर–2024 तक तैयार हो जाएगी।
- फ्यूल ऑयल पंप हाउस (एफओपीएच) क्रियाशील है।
- एएचपी और एफजीडी सिस्टम पर कार्य अग्रिम चरण में है और इसे क्रमशः अगस्त 2024 और सितंबर 2024 के पहले सप्ताह तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- वैगन टिपलर–2 को सितंबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

खुर्जा एसटीपीपी पर जुलाई 2024 तक रु. 10942.43 करोड़ खर्च हुए हैं, जबकि संस्वीकृत लागत रु. 11,089.42 करोड़ (दिसंबर–2017 पीएल पर) है।

अमेलिया कोयला खदानः

खदान दिनांक 17.11.22 को खोली गई है और निर्धारित समय से पहले दिनांक 18.02.2023 से कोयला उत्पादन शुरू हो गया है। वित्त

वर्ष 2022–23 में 3.10 लाख टन और वित्त वर्ष 2023–24 में 12.51 लाख टन कोयले का निष्कर्षण किया गया है। एनटीपीसी को कोयले की आपूर्ति के लिए दिनांक 31.03.23 को एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देवराग्राम रेलवे साइडिंग से एनटीपीसी संयंत्रों को कोयला प्रेषण दिनांक 29.06.23 से शुरू हुआ और अब तक 25.47 लाख टन भेजा जा चुका है। अंतिम उपयोग संयंत्र, खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) को कोयले का प्रेषण भी दिनांक 06.08.2024 को शुरू हुआ और अब तक 3793.01 टन कोयला (1 रेक) भेजा जा चुका है।

एफसी, ईसी, खनन पट्टा, सीटीई, सीटीओ, खदान खोलने की अनुमति आदि सभी आवश्यक मंजूरी दे दी गई है। कोयला ब्लॉक की संपूर्ण 1412.37 हेक्टेयर भूमि जिसमें 843.76 हेक्टेयर वन भूमि, 178.13 हेक्टेयर लीज होल्ड भूमि, 53.13 हेक्टेयर राजस्व भूमि (आर एंड आर के लिए) और 337.35 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है, टीएचडीसीआईएल को सौंप दी गई है।

वर्तमान में, आर एंड आर कॉलोनी का कार्य तथा खनन क्षेत्र से परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने का कार्य प्रगति पर है। अब तक कुल 283 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को खनन क्षेत्र से विस्थापित किया जा चुका है। आर एंड आर कॉलोनी में 495 प्लॉट विकसित किए गए हैं तथा परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को आवंटित किए गए हैं जिन्होंने इसके लिए विकल्प चुना है। लगभग 150 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने अपने घरों का निर्माण शुरू कर दिया है तथा लगभग 100 परियोजना प्रभावित व्यक्तियों ने आर एंड आर कॉलोनी (दक्षिण तथा उत्तरी ब्लॉक) में रहना शुरू कर दिया है।

रु. 1587.16 करोड़ (दिसंबर–17 पीएल) की अनुमोदित लागत के सापेक्ष, अमेलिया कोयला खदान पर जुलाई 2024 तक किया गया व्यय रु. 1297.70 करोड़ है।

खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल जलाशय पर 11एमडब्ल्यूएसी/16एमडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सौर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र

खुर्जा एसटीपीपी के प्राकृतिक जल जलाशय पर 11एमडब्ल्यूएसी/एमडब्ल्यूपी फ्लोटिंग सौर पीवी (एफएसपीवी) संयंत्र स्थापित करने के लिए दिनांक 20.05.2024 को प्राधिकार–पत्र (एलओए) जारी किया गया है, जिसका लक्ष्य फरवरी 2025 तक पूरा करना है। इंजीनियरिंग डिजाइन और ड्राइंग का कार्य प्रगति पर है।

विकासाधीन परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से)

क. टुस्को (टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट के यूएमआरईपीपी का विकासः

एमएनआरई की सौर पार्क योजना के मोड 8 के तहत विकसित किया जा रहा है।

i. झांसी में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क

(क) कुल आवश्यक भूमिः 2700 एकड़ (लगभग), जिसमें से 2600.11 एकड़ (लगभग 96.30%) भूमि परियोजना के लिए पट्टे पर ली गई है।

(ख) 600 मेगावाट क्षमता के पीपीए पर हस्ताक्षर करने के लिए यूपीपीसीएल से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त हो गई है।

(ग) एसपीडी के चयन के लिए यूपीनेडा द्वारा आरएफएस दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से ई–बोली आमंत्रित की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त आरएफएस में प्रस्तावित विचलन के अनुमोदन के मद्देनजर आरएफएस दस्तावेजों को संशोधित किया जाना आवश्यक है। इसलिए यूपीनेडा ने 03.08.2024 को आरएफएस को रद्द कर दिया है और यूपीनेडा द्वारा नियत समय में एक नई बोली जारी की जाएगी।

(घ) कनेक्टिविटी प्रारूप–5 टुस्को लिमिटेड को जारी किया गया है। एसपीडी के निगमन के बाद यूपीपीटीसीएल के साथ कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ङ) बाह्य एवं आंतरिक विद्युत निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।

(च) परियोजना को दिसंबर 2025 तक चालू करने का लक्ष्य है।

ii. ललितपुर में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क

(क) कुल आवश्यक भूमिः 2700 एकड़ (लगभग), जिसमें से 2341.14 एकड़ (लगभग 87%) भूमि परियोजना के लिए पट्टे पर ली गई है।

(ख) बाह्य विद्युत निकासी प्रणाली का कार्य प्रगति पर है।

(ग) 600 मेगावाट ललितपुर सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुरूप सौर परियोजना डेवलपर (एसपीडी) के रूप में ईपीसी मोड के तहत टीएचडीसीआईएल द्वारा किया जाएगा।

(घ) परियोजना के दिसम्बर 2025 तक चालू होने की संभावना है।

iii. चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क

(क) कुल आवश्यक भूमिः 3400 एकड़ (लगभग), जिसमें से 3153.09 एकड़ (लगभग 93%) भूमि परियोजना के लिए पट्टे पर ली गई है।

(ख) एसईसीआई (एमएनआरई की नोडल एजेंसी) की प्रेक्षणों/टिप्पणियों को शामिल करने के बाद डीपीआर को एसईसीआई/एमएनआरई को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) बाह्य विद्युत निकासी प्रणाली के कार्य के लिए भूमि (49.42 एकड़) यूपीपीसीएल को सौंपी गई।

(घ) 800 मेगावाट चित्रकूट सौर ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वयन एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुरूप सौर परियोजना डेवलपर (एसपीडी) के रूप में ईपीसी मोड के तहत टीएचडीसीआईएल द्वारा किया जाएगा।

(ङ) परियोजना के दिसम्बर 2025 तक चालू होने की संभावना है।

ख. राजस्थान में ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी) के माध्यम से 10,000 मेगावाट यूएमआरईपीपी का विकास

(क) चरण–I के तहत 2000 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए 10000 एकड़ (4000 हेक्टेयर) सरकारी भूमि के आवंटन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रक्रिया में है।

(ख) एमएनआरई ने सौर पार्क योजना के मोड 8 के तहत ट्रेडको द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 1292 मेगावाट क्षमता के साथ बोडाना सौर पार्क के विकास के लिए 01.02.24 को

सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसे चरण–I में विकसित किया जा रहा है।

(ग) एमएनआरई ने ट्रेडको द्वारा बोडाना सौर पार्क के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रणाली में कनेक्टिविटी के लिए आवेदन करने के लिए 27.05.2024 को प्राधिकार प्रमाण पत्र जारी किया है।

(घ) 1292 मेगावाट बोडाना सौर ऊर्जा पार्क की डीपीआर 26.07.2024 को एमएनआरई/एसईसीआई को उनकी टिप्पणियों के अनुपालन के बाद अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है।

(ङ) 10,000 एकड़ सरकारी भूमि के आवंटन के सापेक्ष रु. 20 करोड़ की राशि के प्रतिभूति शुल्क की छूट का प्रस्ताव प्रक्रिया में है।

ग. टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड उत्तराखंड में हाइड्रो पावर परियोजनाओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए दिसंबर 2023 में टीएचडीसीआईएल और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम का निगमन किया गया था। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में पांच हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं (कुल 1719 मेगावाट) के विकास और निर्माण की जिम्मेदारी टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को दी है। वर्तमान में, जिले में मोरी हनोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना उत्तरकाशी में टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रगति पर है।

(घ) व्यवसाय विस्तार के लिए भावी योजनाः

क) राजस्थान में 10000 मेगावाट सौर पार्कों का विकास (एमएनआरई से 1292 मेगावाट की स्वीकृति प्राप्त)।

ख) अरुणाचल प्रदेश में 1200 मेगावाट कलई–II एचईपी और 1750 मेगावाट डेमवे लोअर का कार्यान्वयन।

ग) खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में 20 टीपीडी क्षमता के कार्बन कैप्चर के लिए एक पायलट परियोजना को लागू करना।

घ) उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में फ्लोटिंग सौर संयंत्र का विकास।

ङ) छत्तीसगढ़ में गोधना थर्मल पावर प्रोजेक्ट (2x800 मेगावाट) का विकास।

च) अरुणाचल प्रदेश के लोहित घाटी में लगभग 3705.5 मेगावाट की कुल क्षमता वाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का विकास।

छ) कर्नाटक में ग्राउंड माउंटेड, रूफ टॉप और फ्लोटिंग सोलर पीवी संयंत्र (कुल 270 मेगावाट) का विकास।

ज) यूजेवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से उत्तराखंड में मोरी हनोल एचईपी (63 मेगावाट) का विकास।

झ) महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और राजस्थान राज्य में पंप स्टोरेज संयंत्र का विकास।

टीएचडीसीआईएल में सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन

(क) टीएचडीसीआईएल में बांध की सुरक्षा के उपाय

i. टीएचडीसीआईएल का बांध सुरक्षा कार्यक्रम, बांधों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और बांधों की समग्र सुरक्षा में वृद्धि करने संबंधी कार्रवाईयों के मूल्यांकन और कार्यान्वयन पर केंद्रित है। बांध की सुरक्षा की निगरानी इंस्ट्रूमेंटेशन और दृश्य निरीक्षण द्वारा की जाती है। संरचनाओं की प्रवृत्ति के आकलन और मानीटरिंग के लिए तथा डिजाइन चरण के दौरान लगाए गए अनुमानों का सत्यापन करने के लिए टिहरी एवं कोटेश्वर बांध और इनके सम्बद्ध ढांचों के मुख्य हिस्से में यंत्रीकरण (इंस्ट्रूमेंटेशन) की व्यापक स्कीम का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बांध की प्रवृत्ति को देखकर निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण वीडियो की व्यवस्था की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त जलाशय (रिजर्वायर) को घेरने के पहले और बाद में टिहरी क्षेत्र के मजबूत कंपन और सूक्ष्म भूकंपीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए भूकंपीय इंस्ट्रूमेंटेशन नेटवर्क की व्यवस्था की गई है। टिहरी और कोटेश्वर बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजनाएँ (ईएपी) तैयार हैं, जिन्हें प्रत्येक अद्यतन किया जाता है। टीएचडीसीआईएल प्रत्येक वर्ष मानसून अवधि के दौरान परियोजना स्थलों पर आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) जागरूकता कार्यक्रम, हितधारक परामर्श बैठक और मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित करता है, ताकि आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) के अनुसार सभी संबंधित इकाइयों की आपातकालीन तैयारियों के परिमाण का पता लगाया जा सके।

ii. बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के विनियमनों और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (एनडीएसए) के दिशानिर्देशों के अनुसार ढांचों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दृश्य निरीक्षण हेतु मानसून से पहले और मानसून के बाद टीएचडीसीआईएल द्वारा बांध और सम्बद्ध ढांचों का आवधिक (मानसून–पूर्व, मानसून–पश्चात निरीक्षण/ मानीटरिंग की जा रही है। टिहरी एवं कोटेश्वर बांधों का पिछला मानसून–पूर्व और मानसून–पश्चात निरीक्षण क्रमशः मई और अक्टूबर, 2023 माह में किया गया था। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) नई दिल्ली ने वर्ष 2009 और 2013 के दौरान टिहरी एचपीपी का वार्षिक बांध सुरक्षा निरीक्षण किया है और 2013 में कोटेश्वर एचईपी का सुरक्षा निरीक्षण किया। उपरोक्त के अतिरिक्त, मौजूदा सुरक्षा बांध परिपाटियों के सत्यापन के लिए एक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त एजेंसी नामतः यूएबीआर के माध्यम से वर्ष 2016 के दौरान टिहरी परियोजना की व्यापक समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 के दौरान कोटेश्वर एचईपी की सुरक्षा का मूल्यांकन करने तथा मौजूदा सुरक्षा परिपाटियों में सुधार करने पर व्यावसायिक सलाह प्राप्त करने के लिए एचपीआई, मास्को द्वारा कोटेश्वर एचईपी की व्यापक समीक्षा की गई।

iii. सुरक्षा पेशेवरों के लिए सुरक्षाः सुरक्षा पेशेवरों को उन्नत सुरक्षा प्रशिक्षण और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक व्यापक कार्यक्रम, जो उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सक्षम बनाता है।

iv. प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षणः चिकित्सा आपात स्थिति के

दौरान तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा कौशल से लैस करना।

v. अग्निशमन और सुरक्षा उपकरणों का प्रशिक्षणः कर्मचारियों और स्कूली बच्चों को अग्नि सुरक्षा उपकरणों, जैसे अग्निशामक यंत्र, अलार्म और स्प्रिंकलर सिस्टम के उचित संचालन और उपयोग के बारे में शिक्षित करना।

vi. आग और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षणः निकासी प्रक्रियाओं और संकट प्रबंधन तकनीकों सहित आग लगने या किसी अन्य प्रकार की आपदा की स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए कर्मचारियों की तैयारी बढ़ाना।

vii. ऊंचाई पर काम करनाः ऊंचे तल पर किए गए कार्यों के सुरक्षित निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी गिरने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों और प्रक्रियाओं से अवगत हों।

viii. कार्यस्थल सुरक्षाः एक व्यापक कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देना है, जिसमें खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और एर्गोनोमिक प्रथाओं जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है।

ix. सुरक्षा पार्क और प्रशिक्षण केंद्र हमारी विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित और वृद्धि होता रहेगा। ओएमएस–सुरक्षा विभाग में हमारी समर्पित टीम नए प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने पर लगन से काम कर रही है, जो विशेष रूप से विभिन्न परियोजनाओं और संयंत्रों की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं।

x. सुरक्षा लेखापरीक्षाः सुधार के क्षेत्र और मानकों अर्थात् यानी लागू वैधानिक अधिनियम, सीईए (विद्युत संयंत्रों और इलेक्ट्रिक लाइनों के निर्माण और अनुरक्षण के लिए सुरक्षा अपेक्षाएं) विनियम, 2011, आईएस –14489:1998 और टीएचडीसीआईएल एसएचई (सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण) मैनुअल और संयंत्र/परियोजना सुरक्षा आवश्यकता के अनुसार अन्य लागू अधिनियमों और नियमों से विचलन की पहचान करने के लिए सभी प्रचालन संयंत्र और निर्माणाधीन परियोजनाओं की बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा और आंतरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित की जा रही है।

xi. **मौजूदा प्रणाली का आधुनिकीकरणः**

- **नई कानूनी आवश्यकताओं और कॉर्पोरेट विस्तार को दर्शाने के लिए एसएचई मैनुअल का अद्यतनीकरण**

प्रस्तावना

सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों को बनाए रखने और बढ़ाने के हमारे निरंतर प्रयास में, टीएचडीसीआईएल ने हाल ही में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ("एसएचई") मैनुअल में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यह संशोधन श्रम कानूनों में पर्याप्त संशोधनों और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 के अधिनियमन के अनुसरण में है। इसके अतिरिक्त, नए क्षेत्रों में हमारे विस्तार के परिणामस्वरूप परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू अद्यतन सुरक्षा विनियमों को शामिल करना आवश्यक हो जाता है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2017 में एसएचई मैनुअल के पिछले अद्यतनीकरण में वर्ष 2007 और वर्ष 2016 के बीच हुए विभिन्न अधिनियमों और नियमों में परिवर्तन शामिल थे। तब से, भारत सरकार ने वर्ष 2016 से 2022 तक अधिनियमों और नियमों में व्यापक संशोधन पेश किए हैं, जो विकसित होते सुरक्षा मानकों और आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। इन परिवर्तनों के महत्व को समझते हुए, कॉर्पोरेट सुरक्षा विभाग ऋषिकेश ने नवीनतम कानूनी ढाँचों के साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एसएचई मैनुअल को सावधानीपूर्वक संशोधित किया है।

कानूनी और विनियामक अद्यतनीकरण

(1) **व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020:** इस संहिता ने विभिन्न श्रम कानूनों को एक ही ढाँचे में समेकित किया है और सरल बनाया है, जो उद्योगों में सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देती है। हमारे द्वारा अद्यतन एसएचई मैनुअल इन प्रावधानों को एकीकृत करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मजबूत व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य उपाय लागू हों।

(2) **नए अधिनियम और नियम संशोधन (2016–2022):** भारत सरकार द्वारा अधिनियमों और नियमों में हाल ही में किए गए बड़े पैमाने पर संशोधनों में श्रमिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विनियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं। संशोधित एसएचई मैनुअल इन संशोधनों का समाधान करता है, यह सुनिश्चित करता है कि हमारी नीतियाँ अद्यतित हैं और राष्ट्रीय मानकों के पूर्ण अनुपालन में हैं।

(3) **कॉर्पोरेट विस्तार और नई सुरक्षा आवश्यकताएँ:** 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स और अन्य हाइड्रो परियोजनाओं को विकसित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए शुरू में स्थापित, टीएचडीसीआईएल ने तब से अपने पोर्टफोलियो में विविधता की है। अब हम निम्नलिखित कार्यों में शामिल हैं:

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ: पवन और सौर ऊर्जा सहित।
- ताप विद्युत उत्पादनः हमारी ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं का विस्तार।
- कोयला खदान परियोजनाएँ: ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे संसाधन आधार को व्यापक बनाना।

इस विविधीकरण के लिए इन क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नई सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण विनियमों को शामिल करना आवश्यक है। हमारे संशोधित एसएचई मैनुअल में अब इन नए उपक्रमों में से प्रत्येक के लिए अनुरूप सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनुपालन उपाय शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हम विभिन्न ऊर्जा उत्पादन विधियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

अनुमोदन और कार्यान्वयन

अद्यतित एसएचई मैनुअल का सक्षम प्राधिकारी द्वारा समीक्षा कर अनुमोदन किया गया है। इसे टीएचडीसीआईएल के भीतर सभी संयंत्रों और परियोजनाओं के विभागाध्यक्षों (एचओडी) को औपचारिक रूप से परिचालित किया गया है। यह प्रचालन सुनिश्चित करता है कि हमारे संगठन के हर वर्ग को अद्यतन नीतियों के बारे में जानकारी हो और संशोधित सुरक्षा मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुसज्जित किया जाए।

निष्कर्ष

एसएचई मैनुअल का संशोधन सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। अपनी नीतियों को नवीनतम कानूनी आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके और अपने विस्तारित प्रचालन दायरे के अनुकूल बनाकर, हम सुनिश्चित करते हैं कि टीएचडीसीआईएल सुरक्षा उत्कृष्टता और प्रचालन अखंडता में अग्रणी बना रहे।

पुनर्वास और पुनर्स्थापन

हमारी कंपनी मानवीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आर एंड आर) प्रयासों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। हम प्रभावित परिवारों के लिए एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उन्हें अपने पिछले जीवन स्तर और आय के स्तर को फिर से हासिल करने की अनुमति मिलती है। परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) के साथ सहयोगात्मक परामर्श सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की कुंजी है। हम क्षतिपूर्ति और आर एंड आर लाभों में स्थापित मानदंडों का पालन करते हैं। कौशल विकास कार्यक्रमों और आय सृजन गतिविधियों सहित आर्थिक सशक्तिकरण पहल, परियोजना प्रभावित परिवारों के उत्थान में सहायता करती है। नियमित तृतीय–पक्ष मूल्यांकन हमारी आर एंड आर नीतियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है।

- **टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स**

टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध द्वारा चिह्नित टिहरी पावर कॉम्प्लेक्स ने 5200 हेक्टेयर क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। इससे 37 गांवों पर पूर्ण रूप से और 88 गांवों पर आंशिक रूप से और साथ ही टिहरी शहर पर प्रभाव पड़ा। हमारी पुनर्वास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों पुनर्वास पर केंद्रित है। प्रभावित परिवारों को आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित नए टिहरी शहर और ग्रामीण स्थलों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा मिला। ईएल 835 मीटर तक के कार्यों को पूरा करने को सुनिश्चित करते हुए आर एंड आर की जिम्मेदारियां यूपी–राज्य सरकार को, फिर उत्तरांचल राज्य सरकार को स्थानांतरित कर दी गईं।

- **वीपीएचईपी में पुनर्वास**

राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति 2007 और विश्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, हमारी वीपीएचईपी परियोजना सुदृढ़ आर एंड आर नीतियों को लागू करती है। क्षतिपूर्ति और लाभ स्थापित मानदंडों और विश्व बैंक की नीतियों के अनुरूप हैं। क्षतिपूर्ति और अनुदान वितरित किया गया है। पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) तैयार की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक उचित संक्रमण अवधि के बाद, प्रभावित परिवार अपने जीवन स्तर, कमाई की क्षमता और उत्पादन के स्तर में सुधार कर सकें या कम से कम अपने पिछले स्तर को पुनः प्राप्त कर सकें। आरएपी के कार्यान्वयन की निगरानी वर्तमान में नाबार्ड कंसल्टेंसी और विश्व बैंक प्राधिकरण द्वारा की जा रही है। कृषि से लेकर शिक्षा तक गतिविधियों की एक श्रृंखला, लगभग 600 पीएपी का उत्थान करती है। स्वास्थ्य देखभाल पहल लगभग 30000 जरूरतमंद स्थानीय आबादी तक पहुंच गई है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और नौकरी के अवसर प्रभावित व्यक्तियों के लिए संभावनाओं को बढ़ाते हैं।

- **अमेलिया कोयला खदान में पुनर्वास**

खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को ईंधन देने के लिए विकसित अमेलिया कोयला खदान में आयुक्त, रीवा द्वारा अनुमोदित एक सुसंरचित आर एंड आर नीति है। टीएचडीसीआईएल द्वारा अवसंरचना विकास के साथ–साथ आर एंड आर कॉलोनी में भूखंड आवंटित किए गए हैं। क्षतिपूर्ति वितरण और स्थानांतरण के प्रयास जारी हैं, कुछ पीएएफ पहले से ही आर एंड आर कॉलोनी में घरों का निर्माण कर रहे हैं। ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के हमारे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए कोयला उत्पादन दिनांक 18.02.2023 को शुरू हुआ।

अभियांत्रिकी परामर्श

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपने आंतरिक अनुभव और समृद्ध विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक समर्पित परामर्श विंग की स्थापना की है। यह परामर्श विंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित ग्राहकों को अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य संबंधित कार्यों के लिए एकीकृत परामर्श सेवाएं प्रदान करने में पूरी तरह सक्षम है। टीएचडीसीआईएल केंद्रीय और राज्य सरकारों के साथ–साथ अन्य सरकारी वैधानिक निकायों को जल संसाधन इंजीनियरिंग और उच्च–स्तरीय इंजीनियरिंग समाधानों के क्षेत्र में संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करते हुए सक्रिय रूप से पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान कर रहा है। टीएचडीसीआईएल के डिजाइन विभाग ने अन्य सरकारी निकायों और एजेंसियों के साथ विभिन्न इंजीनियरिंग क्षेत्रों में परामर्श सेवाओं के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

टीएचडीसीआईएल ने भूटान की शाही सरकार को डिजाइन और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करके अपनी विशेषज्ञता को प्रभावी ढंग से साझा किया है। कंपनी ने भूटान सरकार के लिए, विशेष रूप से भूटान में बुनाखा (180 मेगावाट) और

संकोश (2585 मेगावाट) जलविद्युत परियोजनाओं हेतु, 2 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की हैं और उन्हें अपडेट किया है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड सरकार और जम्मू–कश्मीर सरकार को क्रमशः उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड में वरुणावत पर्वत के पहाड़ी स्थिरीकरण और श्री माता वैष्णो देवी जी के ट्रैक पर ऊंची पहाड़ी ढलानों के ढलान संरक्षण के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग समाधान प्रदान किए हैं। विभिन्न परामर्श परियोजनाओं में, टीएचडीसीआईएल ने उत्तराखंड के राज्य सरकार विभाग, श्री माता वैष्णो देवी जी, जम्मू एवं कश्मीर के श्राइन बोर्ड, भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जम्मू और कश्मीर में एनएचएआई, और पुणे एवं शिलांग में एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड आदि के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक पूरे परियोजना जीवनचक्र को कवर करते हुए भूस्खलन शमन उपायों के लिए 355 से अधिक डीपीआर तैयार किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में, परामर्श सेवाओं से लगभग रु. 26 करोड़ का राजस्व उत्पन्न हुआ। टीएचडीसीआईएल द्वारा लिए गए कुछ परामर्श कार्य इस प्रकार हैं:

i. "श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड", जम्मू एवं कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन
ii. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन
iii. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, देहरादून के साथ समझौता ज्ञापन
iv. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पश्चिम बंगाल से परामर्श कार्य
v. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, महाराष्ट्र से परामर्श कार्य
vi. एनएचएआई, जम्मू–कश्मीर से परामर्श कार्य
vii. एनएचएआई, पुणे से परामर्श कार्य
viii. एनएचएआई, मेघालय से परामर्श कार्य
ix. पीडब्ल्यूडी, उत्तराखंड से परामर्श कार्य

अनुसंधान और विकास

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने काफी समय पहले वर्ष 2011 में ऋषिकेश में अपना अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया था। वर्तमान में, प्रतिष्ठित संस्थाओ के माध्यम से अनुसंधान और विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाएं नामतः– टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन, टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों के विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमित विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन, टिहरी हाइड्रोपावर कॉम्प्लेक्स (टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचपीपी और वैरिएबल स्पीड टिहरी पीएसपी को मिलाकर) के एकीकृत संचालन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास और लिफ्ट ज्वाइंट के पर विशिष्ट संदर्भ के साथ टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन आदि चलाया जा रहा है।

उपरोक्त चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, निम्नलिखित नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं अभिचिह्नित की गई हैं और इन पर कार्य किया जा रहा है:

(क) घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफ़िल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग
(ख) फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना
(ग) हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन
(घ) बॉयोमास से ग्रीन हाइड्रोजन और बॉयोचर का सह–निर्माण
(ङ) गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।
(च) स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरताः इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण
(छ) गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन
(ज) 5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक '5जी और उससे ऊपर' के प्रयुक्त मामलों को लागू करनाः
(झ) लि–आयन बैटरी का विकल्पः स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास
(ञ) मानव समर्थित म्यूल–खच्चर
(ट) हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण
(ठ) न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास
(ड) टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास
(ढ) मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम

वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय का विवरण

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया व्यय
	क. पूर्ण हो चुकी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	
क1	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों के विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमा विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन।	50.35
क2	टिहरी बांध क्षेत्र के आसपास सूक्ष्म भूकंपीय नेटवर्क और मजबूत गति एक्सेलेरोग्राफ नेटवर्क के माध्यम से भूकंपीय अध्ययन	261.75
क3	टिहरी जलविद्युत परिसर के एकीकृत संचालन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास (टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचपीपी और परिवर्तनीय गति टिहरी पीएसपी को मिलाकर)	14.02
क4	हैकमुक्त हाइड्रो संयंत्र नियंत्रण प्रणाली का विकास	0.00
क5	हाइड्रो जेनरेटर से संचालित उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में दोलनों का विश्लेषण और शमन।	0.00
	ख. जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं	
ख1.	वित्त वर्ष 2023–24 के लिए टिहरी और कोटेश्वर विद्युत स्टेशनों के विद्युत स्टेशन उपकरणों की गिरावट दर को चिह्नित करने और इन उपकरणों की जीवन सीमा विशेषताओं को बढ़ाने के लिए अध्ययन की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवधिक अध्ययन।	0.00
ख2.	निर्माण और लिफ्ट ज्वाइंट के विशेष संदर्भ में टिहरी जलाशय जल शीर्ष में भिन्नता के साथ जलमग्न अंतर्ग्रहण संरचनाओं की संरचनात्मक अखंडता का अध्ययन।	शून्य
ख3.	कोटेश्वर एचईपी में हाइड्रो काइनेटिक ऊर्जा प्रौद्योगिकी की पायलट स्थापना	224.12
ख4.	घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफ़िल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग	95.30
ख5.	फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलना	44.55
ख6.	हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शन	54.45
ख7.	बॉयोमास से ग्रीन हाइड्रोजन और बॉयोचर का सह–निर्माण	51.30
ख8.	गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।	95.30
ख9.	स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरताः इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण	31.07
ख10.	गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन	204.00
ख11.	5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक '5जी और उससे ऊपर' के प्रयुक्त मामलों को कार्यान्वित करनाः 1 5 जी निजी नेटवर्क परियोजना स्थापित करना 2 फेजर मापन इकाई का विकास 3 स्मार्ट–आईओटी–डिवाइस चार्ज करने के लिए 5जी निजी एक्सेस और वायरलैस ऊर्जा ट्रांसफर के लिए ड्रोन सिस्टम का विकास 4 टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी 5जी उपयोग मामलों को कार्यान्वित करने के लिए 5जी नेटवर्क कवरेज बढ़ाना।	320.00

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया व्यय
ख12.	लि–आयन बैटरी का विकल्पः स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास	33.20
ख13.	मानव समर्थित म्यूल–खच्चर	86.00
ख14.	हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण	31.71
ख15.	न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास	23.67
ख16.	टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास	23.40
ख17.	मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम	7.20

ग. अन्य विविध व्यय

(राशि रु. लाख में)

क्रमांक	व्यय का विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 में किया गया व्यय
ग1.	विविध व्यय (परामर्श प्रभार, बैठकों का व्यय आदि)	0100
	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय (क+ख+ग)	**1651.39**

टिप्पणीः

बोर्ड द्वारा अनुमोदित बजट : रु. 1841.12 लाख

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर व्यय : रु.1651.39 लाख

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर कुल व्यय (स्थापना प्रभारों सहित) : रु. 1812.87 लाख

नए अनुसंधान और विकास कार्यों/सतत विकास का कार्यक्षेत्र

(क) घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफ़िल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंगः

- प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग स्ट्रेन और उनके संबंधित एंजाइम की पहचान।
- प्लास्टिसाइज़र डिग्रेडिंग एंजाइम की क्लोनिंग, एक्सप्रेशन और शुद्धिकरण।
- एंजाइमों का बायोफिजिकल और बायोकेमिकल लक्षण वर्णन।

  एंजाइमों की क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए एक्स–रे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा उनकी संरचना का निर्धारण।

(ख) फोटो इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलनाः

- आसान हाइड्रोथर्मल तकनीक के माध्यम से तैयार किए गए उभरते 2डी नैनो–मैटेरियल आधारित फोटो–कैथोड का संश्लेषण।
- संश्लेषित फोटो–कैथोड को विभिन्न विश्लेषणात्मक तकनीकों, जैसे, टीईएम, ईडीएक्स, एफई–एसईएम, बीईटी, एक्सपीएस, एक्सआरडी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, आदि का उपयोग करके इसकी भौतिक–रासायनिक विशेषताओं के लिए लक्षण वर्णन किया जाएगा।
- फोटो–कैथोड सामग्रियों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करके विभिन्न मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए सीओ2 के विद्युत–अपचयन में उनकी प्रभावकारिता का आकलन करना।

(ग) हरित अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक, द्रवीकृत नमक–आधारित प्रक्रिया का डिजाइन और प्रदर्शनः

- अमोनिया संश्लेषण के लिए विद्युत–रासायनिक सेल और अवशोषक को डिजाइन, निर्माण और प्रदर्शित करना।
- विद्युत–रासायनिक प्रक्रिया की गतिकी का अनुमान लगाना।
- बेहतर अर्थशास्त्र और स्केल अप क्षमता के लिए सर्वोत्तम इलेक्ट्रोड, विद्युत–उत्प्रेरक और इलेक्ट्रोलाइट का पता लगाना।

- आर्थिक व्यवहार्यता को समझने के लिए प्रक्रिया का तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण करना।

(घ) बायोमास से हरित हाइड्रोजन और बायोचर का सह–उत्पादन

- बायोमास पर संचालित हरित हाइड्रोजन समृद्ध धारा और बायो–चार के उत्पादन के लिए एक एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई प्रणाली का प्रयोगशाला–पैमाने पर प्रोटोटाइप।
- स्केल–अप अध्ययनों और तकनीकी–आर्थिक विश्लेषण का उपयोग करके पायलट संयंत्र संचालन के लिए एकीकृत पायरोलाइज़र और स्टीम रिफॉर्मर इकाई का अनुकूलित डिज़ाइन।

(ङ) गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ फेज–आधारित कार्यनीति विकसित करना।

- गंगा जल के नमूनों से जीवाणु फेज का अलगाव और प्रसार।
- एस्केप रोगजनकों के खिलाफ मेजबान विशिष्टता की पहचान और लक्षण वर्णन।
- अभिचिह्नित फेज का संरचनात्मक और जैवभौतिक लक्षण वर्णन।

  संयोजन फेज उपचार विकसित करने के लिए अनुप्रयोग आधारित पूर्व–नैदानिक अध्ययन।

(च) स्लाइडिंग की गैर–रेखीय स्थिरता: इंटरफेसियल स्लिप स्थिरता का मशीन लर्निंग और गणितीय मॉडलिंग–आधारित विश्लेषण

- भूवैज्ञानिक दोषों और भूस्खलन प्रकार की सतह में इंटरफेसियल स्लिप विकास का मशीन लर्निंग संचालित गणितीय मॉडलिंग।
- इंटरफेसियल स्लिप का स्थिरता विश्लेषण।

(छ) गढ़वाल हिमालय में घूर्णी भूकंपीय भू–गति का मापन

- टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप (एमएल ≥ 3) गतिविधि के कारण दीर्घकालिक घूर्णी और स्थानान्तरणीय (अर्थात्, छह डिग्री–स्वतंत्रता (6 डीओएफ)) भू–गति डाटा एकत्र करना।
- बेहतर (i) भूभौतिकीय साइट लक्षण वर्णन, (ii) भूकंपीय स्रोत व्युत्क्रमण, (iii) संरचनाओं की भूकंपीय प्रतिक्रिया का मूल्यांकन, आदि में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इस डाटा का उपयोग करना।

(ज) 5जी निजी नेटवर्क अवसंरचना का विकास और स्थापना करना तथा टीएचडीसीआईएल परिसर में एकाधिक '5जी और उससे ऊपर' के प्रयुक्त मामलों को लागू करना:

- टीएचडीसीआईएल परिसर में वायु प्रदूषण प्रोफाइलिंग के लिए कुछ स्मार्ट–आईओटी वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण (बुनियादी क्षमताओं के साथ) और ऊर्जा खपत प्रोफाइलिंग के लिए स्मार्ट ऊर्जा मीटर (बुनियादी क्षमताओं के साथ) के साथ संदर्भ 5जी निजी नेटवर्क (सीमित रेडियो कवरेज, एक 5जी एनआईबी एक अतिरिक्त जीएनबी के साथ) की स्थापना करना।

(झ) लि–आयन बैटरी का विकल्प: स्टेशनरी भंडारण अनुप्रयोग के लिए सोडियम आधारित द्विआयन बैटरी का डिजाइन और विकास

- 1एएच क्षमता और 4.0वी क्वासी–सॉलिड–स्टेट सोडियम–आधारित द्वि–आयन बैटरियों का डिजाइन और विकास।
- विभिन्न चार्ज/डिस्चार्ज स्थितियों के तहत सेल की दीर्घकालिक (1000 चक्रों से अधिक) स्थिरता की जांच करना।

(ञ) मानव समर्थित म्यूल–खच्चर

- 100 किलोग्राम के कुल गतिशील द्रव्यमान और 20 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ 2–किलोवाट की शक्ति वाली डिवाइस को डिजाइन और साकार करना।
- लेग्ड वॉकिंग सिस्टम विकसित करना और अर्ध–स्वायत्त मोड में मध्यम भूभाग पर चाल परिवर्तन और संचलन का प्रदर्शन करना।
- नियंत्रक की स्थिरता सीमाओं के साथ–साथ घटकों के लोडिंग और टूट–फूट का निर्धारण करने के लिए सिस्टम का सख्ती से परीक्षण।

(ट) हाइड्रो थर्मल प्री–ट्रीटमेंट द्वारा नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्लू) और सीवेज कीचड़ के दो चरण अवायवीय सह–डाइजेशन में जैव–हाइड्रोजन और जैव–मीथेनेशन को बढ़ाने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण:

- अधिकतम एच2 और सीएच4 उत्पादन के लिए नगरपालिका अपशिष्ट जल कीचड़ और ओएफएमएसडब्ल्यू के अवायवीय उपचार को अनुकूलित करना: मिश्रण अनुपात, कुल ठोस प्रतिशत
- एच2 और सीएच4 उत्पादन पर हाइड्रोथर्मल प्रीट्रीटमेंट स्थितियों (तापमान, दबाव और प्रतिक्रिया समय) के प्रभाव को प्राप्त करना – बैच परख और अर्ध सतत संचालन
- अर्ध–सतत संचालन के तहत एच2 और बायोगैस उत्पादन पर परिवर्तनीय कार्बनिक लोडिंग दरों (ओएलआर) और हाइड्रोलिक प्रतिधारण समय (एचआरटी) का प्रभाव

(ठ) न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास

- अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) को बायोगैस और ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए मीथेन किण्वन (अवायवीय पाचन) प्रक्रिया का विकास।
- एकीकृत प्रक्रियाओं की तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता "स्व–संधारणीय ऊर्जा कुशल मलजल उपचार प्रणाली" के रूप में। तथा पारंपरिक और संशोधित सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया के साथ तुलना।

(ङ) टरबाइन ब्लेड कोटिंग्स के लिए हाइड्रोफोबिक संक्षारण अवरोधक एमओएफ–एपॉक्सी का विकास

- 100 एनएम से कम कण आकार के साथ सुपरहाइड्रोफोबिक अवरोधक @एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट का विकास।
- अवरोधक @एमओएफ कोर–शेल कंपोजिट को एपॉक्सी रेसिन में मिलाकर एक समग्र कोटिंग बनाना।
- अलग–अलग मोटाई के साथ स्प्राई कोटर या ब्रश पेंट विधि द्वारा यथातैयार समग्र कोटिंग की कोटिंग।
- टरबाइन ब्लेड पर हाइड्रोफोबिक टेल के साथ आणविक फिल्मों की ई–केम ग्राफ्टिंग।
- विस्तृत सतह लक्षण वर्णन, समग्र कोटिंग की नमी, यांत्रिक और संक्षारण–रोधी गुणों का विश्लेषण।
- समग्र कोटिंग का औद्योगिक पैमाने पर निष्पादन प्रदर्शन।

(ढ) मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से सूक्ष्म प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम

- डीएचएस रिएक्टर के बाद एकीकृत प्राथमिक अवसादन बेसिन (पीएसबी) का विकास।
- सर्वोत्तम प्रचालन स्थितियों का अनुकूलन (हाइड्रोलिक अवधारण समय, कार्बनिक लोडिंग दर)
- नाइट्रोजन के वर्धित उन्मूलन को बढ़ाने के लिए बहिस्राव पुनःपरिचारण के पोषक तत्वों के वर्धित निष्कर्षण को प्राप्ति करने के लिए और फास्फोरस के वर्धित उन्मूलन के लिए अतिरिक्त उपचार
- अशोधित कीचड़ (पीएसबी से उत्पन्न) के उपचार के लिए अवायवीय डाइजेशन प्रक्रिया का विकास।

गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण

संयंत्र के उपकरणों द्वारा बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पास एक पूर्ण और केन्द्रीकृत कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग है। इस संबंध में, कार्यान्वयनाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासनों और निरीक्षण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए एक आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली कार्यशील है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी उत्पादन इकाइयों और संयंत्र अनुषंगी सहित इनकी अनुषंगी इकाइयों के लिए चल रही परियोजनाओं (टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी) के कार्य स्थलों को उपलब्ध करवाए जाने वाले प्रत्येक उपकरण आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अनुरूप हों।

गुणवत्ता आदर्श गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की भूमिका उपस्कर के प्रत्येक चरण अर्थात टेंडर डाक्यूमेंट के लिए गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण की तैयारी, गुणवत्ता आश्वासन और निरीक्षण पहलुओं के लिए बोली मूल्यांकन, गुणवत्ता समन्वय प्रक्रिया को अंतिम रूप देने, उप विक्रेता अनुमोदन, गुणवत्ता आश्वासन योजनाओं के अनुमोदन, कार्य चरण और अंतिम निरीक्षण, सामग्री प्रेषण अनुमति प्रमाण–पत्र (एमडीसीसी) पर है।

इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट गुणवत्ता आश्वासन विभाग संयंत्रों के उत्थापन और प्रारंभण के अलग–अलग चरणों पर नियमित/आवधिक निरीक्षण कर कार्य स्थल पर उपस्करों के संस्थापन के दौरान किए जा रहे कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। दिनांक 31.03.2024 तक विक्रेता अनुमोदन, क्यूएपी, निरीक्षणों और एमडीसीसी अनुशंसाओं के लिए परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

परियोजना	उप विक्रेता	गुणवत्ता योजना	पूर्व–प्रेषण निरीक्षण	एमडीसीसी
टिहरी पीएसपी	676	153	336	482
वीपीएचईपी	**1638**	**71**	**259**	**152**

आईएसओ प्रमाणन

टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी, विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी और ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र झांसी और एनसीआर कार्यालय कौशाम्बी के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का प्रमाणन आईएसओ 9001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) का प्रमाणन आईएसओ14001:2015 और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएंडएस) का प्रमाणन आईएसओ 45001:2018 प्राप्त किया है। कॉर्पोरेट कार्यालय ऋषिकेश, टिहरी एचपीपी, टिहरी पीएसपी, कोटेश्वर एचईपी एवं विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता मार्च 2027 तक है। ढुकवां लघु जलविद्युत संयंत्र के लिए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन की वैधता मार्च, 2026 तक थी और एनसीआर कार्यालय कौशाम्बी के लिए आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन की वैधता अगस्त, 2026 तक है।

टीएचडीसी ने कॉर्पोरेट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ऋषिकेश के लिए आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणन प्राप्त किया है। टिहरी, कोटेश्वर और ढुकवां विद्युत संयंत्र के लिए आईएसएमएस (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) आईएसओ 27001:2013 का प्रमाणन प्रक्रियाधीन है।

पर्यावरण प्रबंधन

हमारी कंपनी ने हमेशा उपयुक्त पर्यावरण सुरक्षा के उपाय अपनाए हैं ताकि इसके विभिन्न कार्यालयों तथा परियोजना मोर्चों पर उसकी

गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके, न्यूनतम किया जा सके और कम किया जा सके। टीएचडीसीआईएल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण तथा अपने सभी कार्यस्थलों पर सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल भारत के ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे बना हुआ है। इस प्रतिबद्धता को माननीय मंत्री जी ने रेखांकित किया, जिन्होंने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के दायरे में विभिन्न पहलों के महत्व पर जोर दिया। ये पहल न केवल स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान करती हैं बल्कि वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए प्रेरणा के रूप में भी काम करती हैं।

टीएचडीसीआईएल एक अभूतपूर्व पायलट परियोजना का नेतृत्व कर रहा है जिसका लक्ष्य 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर संयंत्र से इनपुट ऊर्जा का लाभ उठाकर प्रतिदिन 50 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह अभिनव प्रयास टिकाऊ प्रथाओं को आगे बढ़ाने और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधानों को अपनाने के लिए टीएचडीसीआईएल की प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है।

उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को 2 भंडारण टैंकों में कुशलतापूर्वक संग्रहीत किया जाएगा और 70 किलोवाट पीईएम ईंधन सेल के माध्यम से टीएचडीसीआईएल के कार्यालय परिसर को रोशन करने के लिए रात के समय रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाएगा। विशेष रूप से, यह परियोजना भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइज़र एंड फ्यूल सेल आधारित पायलट प्रोजेक्ट को चिह्नित करती है, जो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, एच2 स्टोरेज में शामिल प्रमुख प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करती है, और एक पीईएम (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) हाइड्रोजन ईंधन सेल–आधारित माइक्रोग्रिड प्रणाली की विशेषता रखती है।

टीएचडीसीआईएल की पहल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति इसके सक्रिय रुख और नवाचार के माध्यम से सकारात्मक बदलाव लाने के प्रति इसके समर्पण को रेखांकित करती है।

इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल ने पावर इंडस्ट्री में "द जीईईएफ ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024" में प्रतिष्ठित स्वर्ण श्रेणी का पुरस्कार हासिल करके पर्यावरणीय उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। यह मान्यता व्यावसायिकता और संवेदनशीलता के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में नए मानक स्थापित करने के लिए टीएचडीसीआईएल के अटूट समर्पण को रेखांकित करती है।

हमारी कंपनी का उद्देश्य अपनी प्रत्येक परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का उचित कार्यान्वयन करना है। इस संबंध में उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

(क) वीपीएचईपी

मैसर्स वाप्कोस लि., गुड़गांव और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून को क्रमशः वीपीएचईपी की पर्यावरण प्रबंधन योजना और जलागम क्षेत्र उपचार योजना (कैट) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए स्वतंत्र तृतीय पक्ष के रूप में लगाया गया है।

डायरेक्ट्रेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरिज रिसर्च (डीसीएफआर), भीमताल को वीपीएचईपी में मत्स्य प्रबंधन के विकास एवं कार्यान्वयन हेतु लगाया गया है।

वीपीएचईपी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य के वन विभाग को 10 कैमरा ट्रैप उपलब्ध करवाए गए और उनके माध्यम से संस्थापित कराए गए हैं ताकि परियोजना स्थलों के आसपास उचित वन स्थानों पर उन्हें संस्थापित कर निगरानी रखी जा सके। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य की चारदीवारी के आसपास विद्युत गृह और टनेल बोरिंग मशीन साइट पर चिन्हित स्थानों पर 02 वाच टावर संस्थापित किए गए हैं। नियंत्रित विस्फोट करने वाली तकनीकें अपनाई जा रही है और इनकी निगरानी सीआईएमएफ, रूड़की के माध्यम से निर्माण संविदाकार द्वारा की जा रही है।

वीपीएचईपी कॉलोनी में लगभग 1800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एचआरडीआई, मंडल गोपेश्वर के परामर्श से हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। विभिन्न औषधीय पौधे लगाए गए हैं। प्रख्यात पर्यावरणविद श्री जगत सिंह चौधरी ऊर्फ ''जंगली'' के पर्यवेक्षण में वीपीएचईपी में हरित पट्टी का विकास कार्य शुरू किया गया था।

(ख) खुर्जा एसटीपीपी

हमारी कंपनी 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर विद्युत संयंत्र का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें ईआईए–ईएमपी रिपोर्ट के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न पर्यावरण और संरक्षण गतिविधियां, निर्माण गतिविधियां समान आधार पर कार्यान्वित की जानी है।

खुर्जा एमटीपीपी में उन्नत उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग कर आपकी कंपनी ने खतरनाक गैसों और कणों को वातावरण में सीधे उत्सर्जन होने से बचाने की योजना बनाई है। इनमें से कुछ तकनीके नीचे दी गई है।

i. उड़ने वाली राख के कण के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 99.89 प्रतिशत कार्यकुशलता के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर (ईएसपी) संस्थापित किया जाएगा।

ii. कम Nox बर्नरों सहित ब्वालयर प्रदान किए जाएंगे और फ्लू गैस सेलेक्टिव कैटेलिक नोक्स रिडक्शन और फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम के जरिए गुजारा जाएगा ताकि NO_x और SO_2 संकेंन्द्रणों को 100 एमजी/एनएम 3 से नीचे रखा जा सके।

iii. एक राख प्रबंधन स्कीम का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें फ्लाई ऐश का शुष्क संग्रहण प्रयोग के लिए पहले ही चिन्हित

उद्यमियों को राख की आपूर्ति और राख (ऐश) का अधिकतम सीमा तक उपयोग और अप्रयुक्त राख का सुरक्षित निपटान शामिल हैं। संयंत्र में राख के निपटान के लिए संयंत्र में भिन्न–भिन्न दो प्रणालियां – परंपरागत गीला गाद निपटान जिसमें पेढ़े की राख के लिए राख जल का पुनः प्रचालन और फ्लाई ऐश के लिए उच्च संकेन्द्रण गाद निस्तारण (एचसीएसडी) होंगी।

iv. इसके अलावा, परियोजना स्थल के आसपास 400 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली एक हरित पट्टी विकास योजना लागू की जा रही है। 400 एकड़ में से, लगभग ~172 एकड़ में हरित पट्टी विकास कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) अमेलिया कोयला खदानः

खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र के लिए कोयले के उपयोग के लिए हमारी कंपनी को अमेलिया कोयला खदान आवंटित की गई थी। पर्यावरण की रक्षा के लिए वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी, हरित पट्टी विकास, ढके हुए ट्रकों में कोयले का परिवहन, वन्यजीव संरक्षण, अपशिष्ट और सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं।

(घ) विश्व पर्यावरण दिवस और मिशन लाइफ कार्यक्रम

लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को कारपोरेट कार्यालय तथा सभी परियोजना स्थलों पर विश्व पर्यावरण दिवस (डब्ल्यू ई डी) मनाया जाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 में, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ग्लासगो में सीओपी–26 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मिशन लाइफ की शुरुआत की गई थी। हमारी कंपनी ने मिशन लाइफ के तहत दिशा को सफलतापूर्वक लागू किया है और मिशन लाइफ के सात विभिन्न विषयों के तहत टीएचडीसी के भीतर लगभग 29 गतिविधियाँ की गईं।

(ङ) नई पर्यावरण नीति और मानक संचालन प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) के अनुपालन में, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सुपरिभाषित पर्यावरण नीति रखने की भारत सरकार की शर्त के अनुसार नई पर्यावरण नीति दिनांक 01.12.2023 से लागू हुई।

इसके अतिरिक्त, हमारी कंपनी ने निगम के भीतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार की हैं और उत्पन्न एवं निपटान किए गए अपशिष्ट के डाटा के संग्रह के लिए मानक प्रारूप निर्धारित किए हैं।

जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन

जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के प्रबंधन में संबंधित जोखिमों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक तंत्र है। यह सभी प्रकार के खतरों से उत्पन्न जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण है और इसमें जोखिम की पहचान, जोखिम मात्रा का निर्धारण, विकास और जोखिम प्रतिक्रिया के कार्यान्वयन/प्रबंधकीय संसाधनों का उपयोग करके जोखिम को कम करने सहित मानवीय गतिविधियों का एक क्रम शामिल है।

जोखिम प्रबंधन व्यावसायिक गतिविधि, अस्थिरता और अवसरों/खतरों की व्यापक और संरचित समझ के माध्यम से निर्णय लेने, योजना और प्राथमिकता में सुधार करके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करता है। जोखिम प्रबंधन कॉर्पोरेट उद्देश्यों की प्राप्ति में प्रभावी योगदान देता है और विभिन्न कार्यात्मक प्रबंधन क्षेत्रों का एक अभिन्न अंग बनता है।

चूँकि, टीएचडीसीआईएल की अधिकांश जलविद्युत परियोजनाएँ हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, जलविद्युत परियोजना क्षेत्रों का भूमि स्वरूप मेगा फोल्ड्स, फॉल्ट्स, थ्रस्टेड संरचनाओं आदि का प्रतिनिधित्व करता है। जो हिमालय की टेक्टोनिक गतिविधियों से संबंधित हैं। इन भूवैज्ञानिक विशेषताओं के कारण विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं।

टीएचडीसीआईएल ने जून 2012 में अपना 'जोखिम प्रबंधन मैनुअल' लागू किया है। मैनुअल का उद्देश्य निष्पादन और संचालन के विभिन्न चरणों के दौरान विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में संगठन में एक समान और संरचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली बनाए रखना है।

एलओडीआर, 2015 के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल को एक 'जोखिम प्रबंधन नीति' विकसित करना आवश्यक है। इसे प्राप्त करने के लिए, महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को 'मुख्य जोखिम अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया गया है, जो नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। 'जोखिम प्रबंधन नीति' का एक मसौदा तैयार किया गया है जो जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

जोखिम प्रबंधन के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी कॉरपोरेट सुशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक–I) में अलग से संलग्न है। जोखिम के प्रमुख तत्व इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए हैं।

टीएचडीसीआईएल में सूचना प्रौद्योगिकी का सामरिक उपयोग

टीएचडीसीआईएल में, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारी समग्र उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए एक सामरिक उपकरण के रूप में किया जाता है। हमने परिसंपत्तियों के सृजन के इष्टतम उपयोग, निर्माण परियोजनाओं के त्वरित विकास में मदद करने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर समाधानों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है जिससे संगठन की गुणवत्ता, उत्पादकता और लाभप्रदता में सुधार हुआ है। टीएचडीसीआईएल के पास नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और संचार बुनियादी ढांचा है। सभी प्रमुख व्यावसायिक कार्यों अर्थात् वित्त, मानव संसाधन, खरीद और संविदा, इन्वेंटरी, परियोजना प्रबंधन, विद्युत संयंत्र संचालन और अनुरक्षण, ऊर्जा बिक्री

और लेखांकन, गुणवत्ता आश्वासन आदि के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रणाली मौजूद हैं। ये एप्लिकेशन वेब आधारित हैं और इन्हें इंटरनेट के जरिए उपयोग किया जा रहा है।

इंटरनेट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों तक निर्बाध पहुंच के लिए सभी स्थानों पर दोहरी उच्च गति समर्पित इंटरनेट लीज लाइनें हैं। भुगतान की पारदर्शिता के लिए, टीएचडीसी ने विक्रेताओं/संविदाकारों द्वारा जमा किए गए बिलों की स्थिति को ट्रैक करने के लिए वेब आधारित बिल ट्रैकिंग प्रणाली भी लागू की है। संविदाकारों/विक्रेताओं को भी अपने बिलों की स्थिति पता होती है और खामियां भी उन्हें पता होती हैं। शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली जनता के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने और उनकी शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन जानने के लिए है।

हाल के दिनों में, निम्नलिखित मूल्यवर्धन हासिल किए गए:

(क) वेबसाइट पर जानकारी नियमित रूप से अपडेट की जा रही है। परियोजना की प्रगति के लिए ऑनलाइन सूचना प्रबंधन प्रणाली भी वेबसाइट का हिस्सा है।

(ख) एफएमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पहले ही भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) के अनुरूप बना दिया गया था। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को लगातार नई सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाता है। पूंजीगत एवं राजस्व बजट के लिए बजट प्रणाली विकसित की गई है। कार्य अनुबंध मॉड्यूल विकसित और चालू कर दिया गया है। यह संविदा निर्माण, बीओक्यू, ऑनलाइन माप पुस्तिका और बिल से संबंधित है। साइट इंजीनियरों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि वे वास्तविक समय में माप दर्ज कर सकें।

(ग) सेवानिवृत्त कर्मचारी पोर्टल: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक पोर्टल क्रियाशील है और सेवानिवृत्त कर्मचारी विभिन्न उद्देश्यों जैसे उनसे संबंधित नवीनतम कार्यालय आदेश/परिपत्र, पीएफ/पेंशन डेटा मेडिकल बिल और जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

(घ) प्रोजेक्ट ई–डायरी सिस्टम: प्रोजेक्ट ई–डायरी सिस्टम के नाम से जाना जाने वाला एक वेब–आधारित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और पीएसपी, वीपीएचईपी, खुर्जा और अमेलिया में निर्माणाधीन स्थलों पर संचालित किया जा रहा है। इस एप्लिकेशन में छह मापदंडों के सापेक्ष डाटा दर्ज किया जा रहा है जो इंटरनेट पर उपलब्ध है।

ये छह पैरामीटर निम्नानुसार हैं:

i. प्रमुख गतिविधियों का विवरण (दिन के दौरान निष्पादित कार्य, मात्रा, इकाई और टिप्पणियाँ)

ii. संसाधनों की कमी (संसाधन विवरण)

iii. महत्वपूर्ण निर्देश (कार्य निष्पादन हेतु प्रमुख निर्णय (लक्ष्य तिथियाँ))

iv. गुणवत्ता संबंधी मुद्दे (मुद्दे और उपाय)

v. दैनिक बाधाएँ (निलंबन, संविदाकार के संचालन का सारांश, स्पष्टीकरण: देरी, कठिनाइयाँ, उपयोगिता क्षति, स्थानीय मुद्दे, धरना, यातायात व्यवधान, अन्य असामान्य स्थितियाँ आदि)

(ङ) "कार्यपालकों की त्रैमासिक सतर्कता क्लियरेंस रिपोर्ट" को ऑनलाइन जमा करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का विकास।

(च) सभी अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों के लिए ऑनलाइन पीएमएस का कार्यान्वयन।

(छ) विभिन्न पदों जैसे सावधि आधार, कार्यकारी प्रशिक्षण और मध्य और उच्च स्तरीय के लिए एप्लिकेशन का विकास और ऑनलाइन भर्ती कार्यान्वयन।

(ज) पत्रों, टिप्पणियों और फाइलों को संभालने में व्यक्तिगत / अनुभाग / विभाग से प्रतिक्रियाओं में दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए कागज रहित कार्यालय की ओर धीरे–धीरे आगे बढ़ने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने ई–ऑफिस (एनआईसी द्वारा विकसित) को सफलतापूर्वक लागू किया है। ई–ऑफिस ने टर्नअराउंड समय/प्रसंस्करण विलंब को कम कर दिया है। अब सभी प्रस्ताव, नोट्स आदि ई–ऑफिस के माध्यम से संसाधित किये जा रहे हैं।

(झ) आईटी प्रणाली और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को सुरक्षित करने के लिए, सीईआरटी–इन पैनलबद्ध सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और आईटी अवसंरचना की नियमित संपरीक्षा की जा रही है। कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए नियमित रूप से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। नए सदस्यों को साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने के लिए साइबर सुरक्षा पर सत्र का आयोजन किया गया है।

(ञ) संगठन के साइबर लचीलापन में सुधार करने के लिए, ओटी/आईटी में लगे कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकास के बारे में अद्यतन रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ट) साइबर जागरूकता दिवस– प्रत्येक माह के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, साइबर सुरक्षा जागरूकता में सुधार के लिए विभिन्न ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाते हैं।

(ठ) ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) प्रणाली विकसित की गई है और क्रियाशील है, सभी एपीआर ऑनलाइन भरे जाते हैं।

(ड) कंपनी के पास विभिन्न परियोजना कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय के बीच वीसी आयोजित करने के लिए सुस्थापित मल्टी–पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली है। ऑनलाइन बैठकें

और सम्मेलन वेब और स्टूडियो वीसी के माध्यम से किए जा रहे हैं।

(ढ) अधिकांश कर्मचारियों को नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डेस्कटॉप भी प्रदान किए गए हैं।

(ण) प्रतिभा प्रबंधन और निकास प्रक्रिया के लिए एचआरएमएस में नया सॉफ्टवेयर मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

(त) निश्चित अवधि के आधार पर अधिकारियों के लिए ऑनलाइन भर्ती: विभिन्न विषयों में अधिकारियों ने एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया है, उन्होंने प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन ऑनलाइन जमा किया है।

(थ) इंटरनेट फेसिंग उपकरणों पर कमजोरियों/दुर्भावनापूर्ण ट्रैफ़िक पर सलाह प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने नियमित सलाह प्राप्त करने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र को शामिल किया है।

(द) दस्तावेज़ों पर परेशानी मुक्त काम करने की सुविधा के लिए ऑफिस 365 के कुछ लाइसेंस खरीदे और स्थापित किए गए हैं।

(ध) पावर बीआई सॉफ्टवेयर, बिजनेस एनालिटिक टूल का उपयोग उत्पादन संयंत्रों से उपलब्ध विभिन्न डाटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा रहा है।

(न) ड्राइंग और दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की गई है। एक इंजीनियरिंग संगठन होने के नाते टीएचडीसीआईएल को प्रसार और पुनर्प्राप्ति के लिए परियोजनाओं और सहायक सेवाओं से जुड़ी बहुत सारी जानकारी की आवश्यकता होती है। विभिन्न संचालन और अनुरक्षण के मुद्दों के लिए दस्तावेजों की तेजी से पुनर्प्राप्ति आवश्यक है जहां चित्र और डिजाइन दस्तावेजों को संदर्भित किया जाता है। चित्रों को ऑनलाइन जमा करने और भेजने का प्रावधान है। वर्कफ़्लो चित्र जमा करने, समीक्षक(ओं) और अनुमोदक को भेजने की अनुमति देता है। साथ ही टिप्पणियों के साथ रेखाचित्रों के संस्करण भी बनाए रखे जाते हैं और नवीनतम अनुमोदित रेखाचित्र उपयोगकर्ताओं/साइट इंजन के लिए उपलब्ध है

(प) डिस्पेंसरी के लिए सॉफ्टवेयर विकसित और क्रियाशील कर दिया गया है। इसमें पंजीकरण, निदान से लेकर दवा वितरण, डे केयर, विदेशी रेफरल, रोगी का इतिहास आदि शामिल है।

(फ) ढुकवां में सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) कार्यान्वयन के अंतर्गत है। 16/01/2024 को टिहरी और कोटेश्वर इकाइयों को आईएसओ27001:2022 के लिए प्रमाणित किया गया है। कॉर्पोरेट आईटी विभाग को पहले ही अक्टूबर 2022 में आईएसओ27001:2013 के लिए प्रमाणित किया जा चुका है।

पुरस्कार और मान्यताएं

i. टीएचडीसीआईएल को 21 अगस्त 2023 को सीएसआर टाइम्स द्वारा "विकासशील अर्थशास्त्र में सीएसआर के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करना: जी20 देशों की भूमिका" विषय पर आयोजित 10वें राष्ट्रीय सीएसआर शिखर सम्मेलन और सीएसआर टाइम्स पुरस्कार, 2023 सम्मेलन के अंतर्गत 'जल संरक्षण और प्रबंधन' पर ध्यान केंद्रित करते हुए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

ii. टीएचडीसीआईएल को 25 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव–2023 में "सबसे प्रभावशाली इवेंट मैनेजमेंट" (द्वितीय पुरस्कार) श्रेणी के तहत पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई), राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 से सम्मानित किया गया है।

iii. टीएचडीसीआईएल को 2016–17 के लिए 18 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए स्कोप मेरिटोरियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

iv. टीएचडीसीआईएल को 29 जनवरी 2024 को वर्ष 2022–23 के लिए "नराकास राजभाषा वैजयंती" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

v. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 29 फरवरी 2024 को छठे इलेट्स राष्ट्रीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन में 'ग्रीन मोबिलिटी में उन्नति' के लिए प्रतिष्ठित प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

vi. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को 20 मार्च 2024 को विद्युत उद्योग में प्रतिष्ठित "जीईईएफ वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार 2024" के लिए स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया है।

vii. टीएचडीसीआईएल को 'ग्रेट प्लेस टू वर्क' के रूप में प्रमाणित किया गया है और यह प्रतिष्ठित प्रमाणन ग्रेट प्लेस टू वर्क्स, भारत द्वारा जून 2024 में जारी किया गया है।


ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन के साथ श्री आर.के. विश्नोई अ.एवं प्र.नि. एवं श्री शैलेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)

viii. टीएचडीसीआईएल को 21 जून 2024 को नई दिल्ली में 'डिजिटल परिवर्तन में नेतृत्व' श्रेणी के तहत पीएसयू नेतृत्व और उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।

ix. टीएचडीसीआईएल को 25 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सव–2023 में "सबसे प्रभावशाली इवेंट मैनेजमेंट" (द्वितीय पुरस्कार) श्रेणी के तहत पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (पीआरएसआई), राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 से सम्मानित किया गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

जीवंत प्रदर्शनों का मार्ग प्रशस्त करने वाले निरंतर मजबूत बदलावों के लिए उभरते व्यवसाय डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए, हम अपने प्रतिभाशाली मानव संसाधन पर भरोसा करते हैं, जो प्रदर्शन आधारित कार्य संस्कृति के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं। टीएचडीसीआईएल में, मानव संसाधन ने सतत विकास के लिए अपनी भूमिका को सामरिक व्यावसायिक भागीदार में बदल दिया है। यह परिवर्तन मानव संसाधन कार्यनीति की कॉर्पोरेट कार्यनीति के साथ सहज संरेखण के कारण है, जिसमें मानव संसाधन निगम की समग्र सफलता में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में कार्य करता है। एक गतिशील और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने पर कंपनी के दृढ़ ध्यान ने ऊर्जा क्षेत्र में नए बेंचमार्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हमारी कंपनी में, मानव संसाधन एक स्वस्थ परिवेश को बढ़ावा देकर, व्यापक कर्मचारी लाभ प्रदान करके और कैरियर की प्रगति को सुविधाजनक बनाकर कर्मचारी उत्पादकता को अधिकतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी मानव संसाधन टीम निर्बाध मानव संसाधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती है, कर्मचारी विकास और जुड़ाव को बढ़ावा देती है, और प्रभावी संचार बनाए रखती है। पूरी कंपनी के नेतृत्वकर्ताओं के साथ साझेदारी करके, हमारी उत्तरदायी मानव संसाधन टीम लगातार मुद्दों को हल करती है, अभिनव समाधान लागू करती है, और लगातार परिवर्तनशील कार्यस्थल गतिशीलता के अनुकूल होती है।

एक जटिल और संसाधन–दुर्लभ व्यवसाय परिवेश में, यह संगठन की आंतरिक शक्ति है जो सफलता और विकास को संचालित करती है। 31.03.2024 तक, हमारी मानव पूंजी 1,782 कर्मचारियों की है, जिसमें 898 कार्यपालक, 395 पर्यवेक्षक और 489 कर्मचारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, निगम की विभिन्न इकाइयों में तैनात 191 निश्चित कार्यकाल आधारित जनशक्ति, निगम के मानव संसाधन लेखांकन में अनुकूलन का एक पैमाना जोड़ती है। टीएचडीसीआईएल का दृढ़ विश्वास है कि इसका मानव संसाधन स्थिरता के साथ विकास का दोहन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व और प्रमुख संसाधन है। कंपनी ने हमेशा प्रतिभा को निखारने के लिए सर्वोत्तम मानव संसाधन पद्धतियों को तैयार कर कार्यान्वित किया है। टीएचडीसीआईएल की कुछ मानव संसाधन प्रथाएं अद्वितीय हैं और इसके प्रयासों कई पुरस्कारों के रूप में सम्मान और मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए प्रतिष्ठित स्कोप मेधावी पुरस्कार भी शामिल है, जो भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया है।

प्रशिक्षण और विकास

टीएचडीसीआईएल में, हम निरंतर सुधार और पेशेवर विकास को प्राथमिकता देते हैं। हमारा ध्यान अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से नवीनतम तकनीकों और व्यावसायिक रुझानों से अपडेट रखने पर है। हमारा मानना है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारे लोग हैं, और उनके प्रयास हमारी सफलता और नवाचार को आगे बढ़ाते हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने 60 इन–हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम और बाहरी सत्र आयोजित किए, जिसमें 1,257 कर्मचारियों के लिए 6,992 मानव–दिवस का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इन कार्यक्रमों में नैतिकता और शासन पर क्षमता विकास, संचार कार्यशालाएँ, लिंग संवेदीकरण और भ्रष्टाचार विरोधी वार्ताएँ शामिल थीं। कवर किए गए अन्य प्रमुख क्षेत्र सीएसआर, सुरक्षा तैयारी, प्रेरक सत्र और स्टाड प्रो सॉफ़्टवेयर और विद्युत बाजार और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग जैसे तकनीकी कौशल थे। महिला अधिकारियों और पुरुष अधिकारियों के जीवनसाथियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एसएचई–स्ट्रांगर–हेल्दियर–एव्रीडे का आयोजन किया गया है जो निरंतर कर्मचारी विकास और उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

टीएचडीसीआईएल में, हम प्रशिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने और व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण समाधानों का लाभ उठाना जारी रखते हैं। इस प्रयास में, "ई–ज्ञान संचय" नामक एक नया एकीकृत ई–लर्निंग पोर्टल एलएमएस सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो अधिकारियों की सभी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए एकल टचपॉइंट होगा, जो उन्हें अपने कौशल को निरंतर विकसित और तेज करने के अवसर और उपकरण प्रदान करेगा ताकि वे नवाचार के अत्याधुनिक बने रह सकें। यह विकास और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देकर हमारे प्रशिक्षण वितरण को बढ़ाएगा। इसके अतिरिक्त, यह समग्र संगठनात्मक विकास और विकास में योगदान देने वाली शिक्षण गतिविधियों में कर्मचारी जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देगा।



टीएचडीसीआईएल के एचआरडी केंद्र पर इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. के वरि. अधिकारियों के 03 दिवसीय "ग्रीन एचआरएम" प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

टीएचडीसीआईएल का मानव संसाधन विकास केंद्र, "तक्षशिला", आंतरिक और बाह्य दोनों ग्राहकों के लिए व्यापक शिक्षण समाधान प्रदान करता है। आईएसटीडी, एनटीपीसी स्कूल ऑफ बिजनेस, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और सीबीआईपी जैसी कई प्रतिष्ठित प्रशिक्षण एजेंसियों और संस्थानों ने एचआरडी–टीएचडीसीआईएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें तक्षशिला को विद्युत पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए अपने पसंदीदा प्रशिक्षण भागीदार के रूप में मान्यता दी गई है। वित्त वर्ष 2023–24 में, तक्षशिला ने ओपन हाउस कार्यक्रमों के माध्यम से रु.

53.08 लाख का अब तक का सबसे बड़ा राजस्व अर्जित किया, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से नामांकन प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, एचआरडी परिसर में एक राजस्व सृजन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें देश भर के विभिन्न सीपीएसई द्वारा उपयोग के लिए भली–भांति सुसज्जित और विश्व स्तरीय प्रशिक्षण अवसंरचना किया जाता है। यह न केवल निगम के लिए राजस्व सृजन में योगदान देता है, बल्कि सीपीएसई मानव संसाधनों के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकता को पूरा करने का भी कार्य करता है।

कर्मचारी संबंध और कल्याण

मजबूत संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना आवश्यक है। न्याय, समानता, आपसी सम्मान और शिष्टाचार जैसे प्रमुख सिद्धांत हमारे संघ–प्रबंधन संबंधों का मार्गदर्शन करते हैं। कर्मचारी और प्रबंधन दोनों ही संगठन के भीतर सभी स्तरों पर सद्भाव और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में समान रूप से योगदान करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, स्वस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रबंधन और कर्मचारियों और अधिकारियों के शीर्ष मंचों के बीच नियमित संवाद हुआ है। निरंतर मूल्यांकन और समस्या–समाधान के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित इन संवादों ने प्रदर्शन और उत्पादकता से संबंधित मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित किया है। पूरे वर्ष आयोजित संरचित बैठकों ने खुले संवाद और सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि सहयोगात्मक कार्य दृष्टिकोण कंपनी और उसके हितधारकों के हितों को आगे बढ़ाए।

इसके अलावा, श्रम कानूनों का अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न इकाइयों/परियोजनाओं में कॉर्पोरेट औद्योगिक संबंध विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, अच्छे औद्योगिक संबंध बनाए रखने के लिए श्रम मुद्दों की सक्रिय रूप से पहचान की गई और उनका समाधान किया गया।

मनोरंजन गतिविधियाँ

टीएचडीसीआईएल के पास अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के उद्देश्य से कल्याणकारी पहलों को लागू करने के लिए एक समर्पित कल्याण विभाग है। टीएचडीसीआईएल "लोगों को प्राथमिकता" के दृष्टिकोण में विश्वास करता है और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के मनोरंजन के लिए कैंटीन, जिम्नेजियम सुविधा, पार्क, बैडमिंटन कोर्ट और टीटी सुविधा जैसी गुणवत्तापूर्ण बुनियादी संरचना प्रदान करता है।

इसके अलावा, टीएचडीसीआईएल में 4 क्लब नामतः अर्थात्– टीएचडीसी अधिकारी संघ, टीएचडीसी महिला कल्याण संघ, महिला मंडल दल और मनोरंजन क्लब क्रियाशील हैं, जिन्हें उनके सुचारू संचालन के लिए नियमित वित्तीय और प्रचालन सहायता मिलती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लोक नृत्य, गायन प्रतियोगिता, सद्भाव समारोह और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी कई सांस्कृतिक गतिविधियाँ आयोजित की गईं। इसके अलावा, दिवाली मेला, दशहरा मेला, मैराथन वॉक, स्थापना दिवस कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पावर स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वावधान में, टीएचडीसीआईएल आईसीपीएसयू वॉलीबॉल टूर्नामेंट और कैरम टूर्नामेंट का भी सफलतापूर्वक आयोजन करता है। टीएचडीसीआईएल अपने कर्मचारियों के साथ–साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए नियमित योग सत्र भी आयोजित करता है, ताकि उन्हें तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सके।

टीएचडीसीआईएल स्थापना समारोह

12 जुलाई, 2023 को रसमंजरी में स्थापना दिवस समारोह जीवंत और आकर्षक रहा। इसकी शुरुआत ध्वजारोहण समारोह और माननीय सीएमडी के प्रेरक संबोधन से हुई। मुख्य आकर्षणों में विभिन्न श्रेणियों में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार और सम्मान प्रदान करना, सुझाव मेला 2023 के विजेताओं को पुरस्कार और पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता में मान्यताएँ शामिल थीं। एक लेज़र शो में टीएचडीसीआईएल की यात्रा को दर्शाया गया और एक सजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत की विविध संस्कृतियों को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रभात फेरी, मिठाइयाँ, टीएचडीसीआईएल–ब्रांडेड बैग और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए हाई टी शामिल थी। दिन का समापन एक जीवंत संगीतमय शाम और रात्रिभोज के साथ हुआ, जिसने एक उत्सव को यादगार बना दिया।



36वें स्थापना दिवस पर कर्मचारियों को संबोधित करते श्री आर.के. विश्नोई, अ. एवं प्र.नि.

अ.जा./अ.ज.जा तथा दिव्यांगजनों के लिए पहलें

टीएचडीसीआईएल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती, पदोन्नति और अन्य क्षेत्रों में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करने का प्रयास करता है। हम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के समाधान पर सरकार के दिशा–निर्देशों को पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समूहों के लिए एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, हमने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण नीतियों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

भारत सरकार के अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य ने उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों और स्थापना में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए 30 दिसंबर, 2023 को देहरादून का दौरा किया। माननीय सदस्य ने आरक्षण नीति के

कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल द्वारा किए गए प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, नियमित कर्मचारियों के लिए टीएचडीसीआईएल ने अनुसूचित जाति वर्ग से 116 अभ्यर्थियों, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 32 अभ्यर्थियों और दिव्यांगजन वर्ग से 10 अभ्यर्थियों की भर्ती की।

राजभाषा का कार्यान्वयन

हमारी कंपनी ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार दैनिक आधिकारिक कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इन प्रयासों पर कार्य के परिणामस्वरूप, निगम को विद्युत मंत्रालय, सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2021–22 के लिए 17 अगस्त, 2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में एनटीपीसी राजभाषा शील्ड (सांत्वना पुरस्कार) से सम्मानित किया गया है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय को वर्ष 2022–23 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की राजभाषा वैजयंती योजना के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों में भी आयोजित की गईं। वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश और अधीनस्थ इकाइयों/ कार्यालयों में 19 (उन्नीस) "हिंदी कार्यशालाएं" आयोजित की गईं, जिनमें 498 (चार सौ अट्ठानवे) अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

14 से 29 सितंबर, 2023 तक कारपोरेट कार्यालय के साथ–साथ अधीनस्थ कार्यालयों/इकाइयों में भी हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा, राजभाषा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत भी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। निदेशक (कार्मिक) और उप प्रबंधक (राजभाषा) ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 और 15 सितंबर 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित हिंदी दिवस और तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भी भाग लिया।

द्विभाषी कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए निगम के सभी कंप्यूटर/लैपटॉप में हिंदी सॉफ्टवेयर/फ़ॉन्ट स्थापित किए गए हैं। सभी कार्यालय आदेश, प्रारूप, परिपत्र और विज्ञापन द्विभाषी जारी किए गए। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश एवं टिहरी इकाई के कर्मचारियों के लिए 20 से 24 नवम्बर, 2023 तक 05 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय के 15 एवं टिहरी इकाई के 19 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

हमारी कंपनी 'नराकास' (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति) हरिद्वार और टिहरी की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी संभाल रही है। वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विभिन्न गतिविधियाँ/कार्यक्रम जैसे छमाही बैठकें, हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सभी गतिविधियाँ और कार्यक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

अवधि के दौरान, माननीय संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप–समिति द्वारा दिनांक 25.05.2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय, ऋषिकेश एवं यूनिट कार्यालय, टिहरी तथा दिनांक 30.11.2023 को खुर्जा एसटीपीपी में राजभाषा की स्थिति का निरीक्षण किया गया। टीएचडीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निरीक्षण बैठक में समिति ने निगम में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा निगम में राजभाषा की स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। माननीय समिति ने राजभाषा कार्यान्वयन को और सुदृढ़ करने के लिए अनेक सुझाव भी दिए, जिनका अनुपालन किया जा रहा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए लोक प्राधिकरणों से सूचना का अनुरोध करने का अधिकार देता है। इसमें सरकारी जानकारी प्राप्त करने हेतु नागरिकों से प्राप्त अनुरोधों का समय पर उत्तर देने का अधिदेश दिया गया है। पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप हमारी कंपनी में एक उचित तंत्र स्थापित किया गया है। हमारी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन करने के लिए "आरटीआई–एमआईएस पोर्टल" के साथ आरटीआई आवेदन, अपील और उत्तर को ऑनलाइन जोड़कर देश के नागरिकों को जानकारी प्रदान करने के लिए ठोस कार्रवाई की है। नोडल अधिकारी (एनओ) / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), केंद्रीय सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और अन्य सात सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) आवेदन प्राप्त करने और ऑनलाइन जानकारी प्रदान करने के लिए इस पोर्टल से जुड़े हुए हैं। टीएचडीसीआईएल की अधिकृत वेबसाइट पर ऐसी सूचनाएं होती हैं, जो अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत प्रकाशित की जानी आवश्यक हैं। निगम के नोडल अधिकारी (एनओ), प्रथम अपीलीय प्रधिकारी, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एपीआईओ के विवरण तथा सूचना प्राप्त करने के लिए तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करने से संबंधित सभी प्रपत्र टीएचडीसी की वेबसाइट **http://thdc.co.in** पर उपलब्ध हैं।

सूचना मांगने वालों से भौतिक और ऑनलाइन रूप से प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों और अपीलों का निपटान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मे सन्निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और उनके निस्तारण के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान देश भर के नागरिकों से कुल 405 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मांगी गई थीं और उन्हें आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार समय पर सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई थीं।

अपीलों के संबंध में, वर्ष 2023–24 के दौरान प्रथम अपीलीय अधिकारी को कुल 23 अपीलें प्राप्त हुई और जांच के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सभी अपीलों का समय पर निपटान कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली में 01 अपील दायर की गई और आयोग द्वारा इन्हें निस्तारित कर दिया गया।

महिला कर्मचारी कल्याण

टीएचडीसीआईएल में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

समूह	कुल कर्मचारी 31.03.2024 के अनुसार	महिला कर्मचारियों की संख्या	कुल कर्मचारी संख्या में प्रतिशत
कुल	1782	126	7.07%

एक जिम्मेदार नियोक्ता और समान अवसर प्रदान करने वाले नियोक्ता के रूप में टीएचडीसीआईएल अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान देता है। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्रेच की सुविधा बनाए रखी गई है। महिला कर्मचारियों और कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों के लिए टीएचडीसी लेडीज वेलफेयर एसोसिएशन और टीएचडीसी महिला मंडल दल नामक दो क्लब संचालित हैं। ये क्लब विशेष रूप से महिलाओं के लिए विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इन क्लबों को उनके निरंतर संचालन और विकास के लिए टीएचडीसीआईएल द्वारा नियमित समर्थन प्रदान किया जाता है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतिषेध) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति भी स्थापित की गई है। यह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने और लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है। टीएचडीसीआईएल ने डब्ल्यूआईपीएस (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) समिति का भी गठन किया है और यह डब्ल्यूआईपीएस की आजीवन सदस्य है।

टीएचडीसीआईएल समय–समय पर डब्ल्यूआईपीएस के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए महिला कर्मचारियों को नामित करता है। 17 अक्टूबर 2023 को दो सत्रों में महिला कर्मचारियों के साथ–साथ पुरुष कर्मचारियों के लिए पीओएसएच अधिनियम, 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी महिला कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से कई आउटबाउंड गतिविधियों और प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया है। इसी तरह, संगठन में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर महिला कर्मचारियों के लिए दिनांक 07 मार्च 2024 को एक आउटबाउंड गतिविधि का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ऋषिकेश की महिला संविदा कर्मचारियों के लिए दिनांक 11.03.2024 को रसमंजरी हॉल में एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई।

व्यक्तिगत जीवन/पेशेवर कार्यों में उत्पन्न तनाव को कम करने और प्राकृतिक ऊर्जा को सामंजस्य बनाने, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और शरीर और मन को फिर से जीवंत करने के लिए टीएचडीसी महिला कल्याण संघ, ऋषिकेश की महिला कर्मचारियों और सदस्यों के लिए 14 और 15 मार्च 2024 को ब्रेन योगा पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है।

इनके अलावा, महिला कर्मचारी विभिन्न सामाजिक, संस्कृति और खेल गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और साथ ही निबंध/स्लोगन/क्विज प्रतियोगिता आदि जैसे विभिन्न ऑनलाइन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भाग लेती हैं। इंटर सीपीएसयू टूर्नामेंट के तहत आयोजित विभिन्न खेलों के लिए महिला टीमों को नियमित रूप से प्रायोजित किया जाता है। टीएचडीसीआईएल की महिला टीम ने 8 से 11 जनवरी 2024 तक कोलकाता में डीवीसी द्वारा आयोजित आईसीपीएसयू बैडमिंटन टूर्नामेंट में द्वितीय पुरस्कार (व्यक्तिगत स्पर्धा) जीता।

कॉर्पोरेट संचार

कॉर्पोरेट संचार किसी भी संगठन में एक महत्वपूर्ण विभाग होता है। इसी तर्ज पर टीएचडीसीआईएल के पास भी एक समर्पित विभाग है जो आंतरिक और बाह्य हितधारकों द्वारा आपकी कंपनी को देखने के तरीके की देखरेख करता है। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, कॉर्पोरेट इमेजिंग और मीडिया संबंधों से लेकर संकट संचार तक, आपकी कंपनी प्रत्येक अवसर और प्रत्येक चुनौती से निपट रही है।


कारपोरेट कार्यालय, ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल के पुनरीक्षित विजन, मिशन एवं मूल्यों को लांच करने का दृश्य

कॉर्पोरेट संचार विभाग समय–समय पर इन–हाउस वीडियो, डिजिटल आर्टवर्क प्रोडक्शन और विभिन्न मीडिया चैनलों और प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके प्रभावी संचार कार्यनीतियों के माध्यम से आंतरिक और बाह्य हितधारकों को विभिन्न समाचारों और गतिविधियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक और सूचित करता है। पीआर मुद्दों को ईमानदारी, व्यावसायिकता और जिम्मेदारी के साथ संभालने के लिए आपके संगठन द्वारा विभिन्न जनसंपर्क पहल की जा रही हैं।

(क) सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ाव को मजबूत करना

i. कर्मचारियों की सहभागिता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना का प्रसार

कर्मचारी जुड़ाव, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग और हितधारकों के साथ बातचीत को बढ़ाने के लिए, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का कॉर्पोरेट संचार विभाग कंपनी के बाहरी और आंतरिक हितधारकों को जोड़ने, सक्रिय करने, प्रेरित करने और जागरूक करने के लिए टर्नकी प्लेटफॉर्म के रूप में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, बल्क मैसेज और वॉयस कॉल सर्विस जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीएचडीसीआईएल का मजबूत फुट ट्रैफिक है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हितधारकों और सूचना प्रसार के बीच दो–तरफ़ा संचार का माध्यम हैं।

ii. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड प्रभावी संचार के विभिन्न मॉडलों जैसे वन–टू–वन, कैस्केड और राउंड टेबल सर्वसम्मति तथा रचनात्मक संचार के समकालीन डिजिटल तरीकों में दृढ़ विश्वास रखता है। इस दृष्टिकोण और सोच के साथ, आपकी कंपनी अपने हितधारकों तक कुशलतापूर्वक पहुँचने के लिए अभिनव, समकालीन और विषम साधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष के दौरान हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- भारत सरकार द्वारा की गई पहलों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से प्रचारित और साझा करना। विभाग पीएमओ, माई.गॉव, स्वास्थ्य मंत्रालय और पीआईबी के महत्वपूर्ण अपडेट/घोषणाओं की निगरानी भी करता है और आंतरिक एवं बाह्य कर्मचारियों के साथ साझा करता है।
- कॉर्पोरेट संचार विभाग ने संगठन की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए कई पहल शुरू की हैं। कर्मचारियों में एकजुटता की भावना उत्पन्न करने के लिए, केंद्रीय संचार विभाग ने पहला टीएचडीसी गीत "टीएचडीसी कुल गीत" लॉन्च किया। इसके अलावा विभाग ने कंपनी के मिशन, विजन और मूल मान्यताओं को वर्तमान लक्ष्यों और भावी प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करने के लिए संशोधित किया।

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड सूचना और संचार की शक्ति को स्वीकार करता है, इसलिए प्रिंट पत्रिकाओं और ई–पत्रिका प्रकाशनों में ऑडियो/वीडियो सामग्री के माध्यम से, आपकी कंपनी हितधारकों से संपर्क करती है और उन्हें कल्याणकारी पहलों, सीएसआर पहलों, पुरस्कारों और सम्मानों, कॉर्पोरेट उपलब्धियों आदि से संबंधित विभिन्न पहलों, समाचारों और घटनाओं के बारे में सूचित करती है।

आज़ादी का अमृत महोत्सवः भारत की आज़ादी के 75 वर्ष का जश्न

भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, सरकार ने वर्ष भर चलने वाले उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की। मूल रूप से 15 अगस्त, 2022 को समाप्त होने वाला यह उत्सव अब 15 अगस्त, 2023 तक बढ़ गया है, जो एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि–चरण साबित होगा।

आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) में विभिन्न सरकारी संगठन और सीपीएसई नियमित रूप से नवोन्मेषी हितधारकों के इंटरफेस के लिए गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं।

हमारी कंपनी इस पहल में भारत सरकार की साझेदारी कर रही है और एकेएएम के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/इकाइयों/कार्यालयों में विभिन्न गतिविधियाँ जैसे ध्वजारोहण, पुरस्कार एवं पारितोषिक वितरण, लेजर गाइडेड ग्राफिक शो, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला सजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, संगीतमय रात्रि कार्यक्रम, निबंध, प्रश्नोत्तरी एवं नारा, भारत के सांस्कृतिक गौरव/विविधता/ स्वतंत्रता संग्राम/विरासत आदि पर रंगमंच/नाट्य प्रदर्शन, सूफी संगीतमय रात्रि, सभी कर्मचारियों के लिए फुटबॉल मैच, इन–हाउस प्रतिभा – नृत्य, लाइव बैंड, सजातीय रैंप वॉक, कठपुतली शो/राजस्थानी संगीतमय रात्रि, कवि सम्मेलन, अंतर–इकाई क्रिकेट मैच, कव्वाली कार्यक्रम, मैजिक शो, मेगा कल्चरल नाइट, प्रदर्शनियां, वृक्षारोपण अभियान, योग दिवस समारोह, नुक्कड़ नाटक, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं, रंगोली प्रतियोगिता, चिकित्सा शिविर, वेबिनार, प्रेस विजिट आदि आयोजित की गई हैं।

सतर्कता गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल में सतर्कता एक प्रमुख प्रबंधन माध्यम है जो संगठन को उच्चतर विकास के पथ पर अग्रसर करता है। इसके प्रकार्यों को कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने में बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में सुविधाकर्ता के रूप में देखा जाना चाहिए। इसके प्रकार्यों में नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में पारदर्शिता के प्रति कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए संगठन के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने पर अधिक जोर दिया जाता है। टीएचडीसीआईएल नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवसाय परिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने सभी हितधारकों के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ न्यायोचित और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करता है।

सतर्कता विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यों का दायरा व्यापक है और इनमें संगठन के कर्मचारियों द्वारा की गई या की जा सकने वाली भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में जानकारी / आसूचना एकत्र करना, रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों की जांच करना या जांच कराना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा आगे के विचार हेतु जांच रिपोर्ट संसाधित करना, जहां आवश्यक हो, मामलों को सलाह के लिए आयोग को अग्रेषित करना, अनुचित प्रथाओं / कदाचार आदि को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं। सतर्कता विभाग

का मुख्य उद्देश्य संगठन को सुदृढ़ प्रणाली और प्रक्रियाओं की ओर ले जाने में मदद करना है ताकि कर्मचारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जा सके और व्यवसाय प्रथाओं के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सतर्क कार्यबल चूक को रोकने, कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने, लिकेज, जो संगठन की उत्पादकता और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, को रोकने में मदद करता है। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी पर व्यवहार में इन मूल्यों को आत्मसात करने और व्यवहार एवं संवाद में उन्हें प्रदर्शित करने का दायित्व है।

(क) सतर्कता प्रकार्य

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड का सतर्कता विभाग संगठन की सभी प्रक्रियाओं के साथ कार्य को संरेखित करने और आंतरिक प्रक्रिया में सतर्कता कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके सुधार पर कर्मचारियों की समझ में अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सतर्कता कार्यों को मोटे तौर पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है:

i. निवारक सतर्कता

ii. दंडात्मक सतर्कता

iii. निगरानी एवं परिचयन

i. निवारक सतर्कता:

लोक सुशासन में ईमानदारी सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक निवारक सतर्कता के माध्यम से है। निवारक सतर्कता उपायों के माध्यम से, टीएचडीसीआईएल पूरे संगठन में लोक सुशासन में पारदर्शिता और दक्षता के उच्च स्तर को सक्षम करना चाहता है। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, सतर्कता विभाग ने सभी इकाइयों/परियोजनाओं को एक निवारक सतर्कता ढांचा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त क्षेत्रों का आकलन करके, नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सही करने के लिए कदम उठाकर और आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सहायक होगा। निवारक सतर्कता का उद्देश्य चूक (कानून, मानदंड या मोटे तौर पर शासन की आवश्यकता का उल्लंघन) की घटनाओं को कम करना है। निवारक सतर्कता पर इस जोर ने बदलते समय के अनुसार मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और संशोधन को जन्म दिया है और नई पहल एवं नवाचारों का भी सृजन किया है। इसलिए, सतर्कता और संबद्ध मामलों पर कर्मचारियों को जागरूक करने, शिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए, समय–समय पर विभिन्न जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भ्रष्टाचार/दुराचरण को समाप्त करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा कार्यान्वित/अपनाए गए कुछ निवारक उपाय इस प्रकार हैं:

- निवारक – एहतियाती
- आवधिक और औचक जांच
- निरीक्षण, लेखा परीक्षा आदि
- अचल संपत्ति विवरणी की जांच
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच
- सहमत सूची और संदिग्ध निष्ठा वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना
- प्रणाली में खामियों की पहचान करना और उन्हें दूर करने के उपाय
- पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार
- नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण
- सामग्री और सेवा संविदा की खरीद की समीक्षा
- प्रणाली के भीतर जांच विकसित करना
- संगठन में निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और जवाबदेही लाना
- विभागीय कार्रवाई तंत्र को मजबूत करना
- विवेकाधिकारों के दुरुपयोग के क्षेत्रों को कम करना
- संविदाकारों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना
- अधिकारियों को शिक्षित/सुग्राही बनाना
- संवेदनशील पदों पर अधिकारियों के रोटेशन की निगरानी
- आयोग के मौजूदा निर्देशों के अनुरूप सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

ii. दंडात्मक सतर्कता:

दंडात्मक सतर्कता का उद्देश्य चूक की घटना को रोकना है। यह सतर्कता इकाई को रिपोर्ट किए गए सत्यापन योग्य आरोपों/शिकायतों से संबंधित है। इसमें जांच और साक्ष्य एकत्र करना तथा त्वरित विभागीय जांच शामिल है। प्रारंभिक जांच में, यदि शिकायत में सतर्कता का पहलू पाया जाता है, तो निर्धारित आचरण नियमों और प्रक्रिया के अनुसार दोषी कर्मचारी को दंडित करने के लिए जांच शुरू की जाती है। भूल और चूक के विभिन्न कार्यों में सतर्कता दृष्टिकोण की अनुपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि संबंधित अधिकारी अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। सतर्कता दृष्टिकोण को आकर्षित न करने वाली ऐसी सभी चूकों को वास्तव में आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्रक्रिया के अनुसार उचित तरीके से निपटाया जाना

चाहिए। सतर्कता इकाई की मदद से अनुशासनात्मक प्राधिकारी मामले का सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच करता है तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है कि संबंधित अधिकारी की ईमानदारी पर संदेह करने का उचित आधार है या नहीं। दंडात्मक सतर्कता के तहत वास्तविक दोषियों के विरूद्ध त्वरित और निवारक कार्रवाई की जाती है।

iii. निगरानी एवं परिचयनः

परिचयन सतर्कता का उद्देश्य किसी चूक की पहचान करना और उसकी पुष्टि करना है। यह संगठन के कर्मचारियों द्वारा किए गए या किए जाने की संभावना वाले भ्रष्ट आचरण के बारे में आसूचना एकत्र करने से संबंधित है। यह संगठन के संवेदनशील क्षेत्रों में औचक और नियमित निरीक्षण, जांच/परीक्षणों के माध्यम से या लेखापरीक्षा रिपोर्ट, विभागीय निरीक्षण रिपोर्ट आदि जैसी विभिन्न रिपोर्टों सभी लंबित मामलों, जैसे जांच रिपोर्ट, अनुशासनात्मक मामलों और अन्य सतर्कता शिकायतों/मामलों की समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है, ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके।

(ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023ः

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा 30 अक्तूबर, 2023 से 05 नवंबर, 2023 तक वर्ष के लिए सीवीसी द्वारा निर्दिष्ट विषय "भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे" के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2023 मनाया गया। इस अवसर पर, सतर्कता विभाग ने अधिकारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, सीवीसी के परिपत्र, प्रणालीगत सुधार और विवरण को कवर करते हुए "सजगता, सतर्कता, राष्ट्र हित के लिए प्रतिबद्धता" नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की।

ऋषिकेश में सभी कर्मचारियों को निदेशक (वित्त) द्वारा और अन्य परियोजनाओं में परियोजनाध्यक्ष द्वारा शपथ दिलाई गई, जिसमें अधिकारियों / कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। टीएचडीसीआईएल ने व्यापक भागीदारी को सक्षम करने के लिए टीएचडीसीआईएल वेबसाइट और इंट्रानेट पर ई–प्रतिज्ञा और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के लिए हाइपरलिंक प्रदान किया। टीएचडीसीआईएल की परियोजनाओं/कार्यालयों और टाउनशिप में प्रमुख स्थानों पर भ्रष्टाचार विरोधी और सतर्कता जागरूकता पर पोस्टर/बैनर प्रदर्शित किए गए।

श्री राजीव राय, पूर्व सचिव, पीएसईबी द्वारा ऋषिकेश में टीएचडीसीआईएल के अधिकारियों को "भ्रष्टाचार को ना कहें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" विषय पर व्याख्यान दिया गया। मानव संसाधन विकास केंद्र, ऋषिकेश द्वारा टीएचडीसीआईएल और एसजेवीएन के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए "क्षमता निर्माण" पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें सीटीई (विद्युत) श्री अशोक कुमार को सत्र का मार्गदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न सतर्कता जागरूकता गतिविधियाँ/कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ जैसे बच्चों के लिए डिजिटल पेंटिंग और निबंध लेखन, नारा लेखन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक/पीआईडीपीआई प्रावधानों पर जागरूकता आदि का आयोजन किया गया।

(ग) ई–गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन का सुदृढ़ीकरण

ई–गवर्नेंस सरकारी सेवाएं प्रदान करने, सूचनाओं के आदान–प्रदान, लेन–देन की जानकारी, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से सरकार, सरकार से कर्मचारियों के बीच विभिन्न स्टैंडअलोन प्रणालियों और सेवाओं के एकीकरण और संपूर्ण सरकारी ढांचे में संवाद के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एप्लीकेशन है। सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने से दक्षता लाई जा सकती है और इस तरह निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करके प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने/कम करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल ने अपने अभिशासन में प्रभावी उपकरणों के रूप में विभिन्न आईटी पैकेजों का लाभ उठाने का पालन किया है।

(घ) दक्षता और समानता के लिए ई–गवर्नेंस का लाभ उठाना

टीएचडीसीआईएल में ई–गवर्नेंस सुशासन को सर्वश्रेष्ठ नीतिगत निर्णय लेने और उन्हें प्रमुख प्रभावी तरीके से लागू करने में सक्षम बनाता है। सुशासन का सीधा सा मतलब है अच्छे निर्णय लेने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की प्रक्रिया। सुशासन की मुख्य विशेषताएं पारदर्शिता, जिम्मेदारी, जवाबदेही, भागीदारी और अनुक्रियाशीलता हैं। यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सार्वजनिक निधि का वास्तव में और प्रभावी रूप से उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए जिसके लिए उन्हें मंजूरी दी गई है और इसका वास्तव में सार्वजनिक कल्याण के लिए क्या अर्थ है।

(ङ) ई–गवर्नेंस के माध्यम से सतर्कता को सशक्त बनाना

ई–गवर्नेंस के रूप में, निवारक सतर्कता के संबंध में निम्नलिखित सेवाएँ संगठन के हितधारकों को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाती हैं।

- पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक प्रमुख कदम, ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित और लागू की गई है। सतर्कता एमआईएस प्रणाली और शिकायत ट्रैकिंग प्रणाली (जीटीएस) यूआरएल http://www.thdc.co.in के माध्यम से मार्च 2015 से क्रियाशील में हैं।
- कर्मचारियों द्वारा एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) का ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा रहा है।
- ई–भुगतान परिपाटीः 100% संविदात्मक भुगतान इलेक्ट्रॉनिक

रूप से किए जा रहे हैं। तदनुसार निविदा दस्तावेजों में शर्तें रखी जा रही हैं।

- टीएचडीसीआईएल में ई–टेंडरिंग के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है।
- वाणिज्यिक मॉड्यूल के लिए सॉफ्टवेयर का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन, एफएमएस के साथ एकीकरण विकसित और लागू किया गया है। लाभार्थियों को बिल बनाने और उसके प्रबंधन के लिए वाणिज्यिक बिलिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है।
- वेब आधारित क्यूए और निरीक्षण प्रणाली विकसित और परिनियोजित की गई है।
- ई–रिवर्स नीलामी

(च) प्रणालीगत सुधारः उत्कृष्टता का मार्ग

सतर्कता विभाग नियमित रूप से नियमित/सीटीई टाइप/औचक निरीक्षण करता है। जांच/अन्वेषण के दौरान कुछ मुद्दे ध्यान में आते हैं। निरीक्षणों और फीडबैक से प्राप्त टिप्पणियों/सीख के आधार पर, विभिन्न प्रणालीगत सुधार शुरू किए जाते हैं और प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं। ऐसे मुद्दों/मामलों को प्रणालीगत सुधार के रूप में सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है, ताकि भविष्य में गलतियाँ न दोहराई जाएँ। इस अवधि के दौरान, सतर्कता विभाग ने विभिन्न मामलों से संबंधित प्रणालीगत सुधार के 12 (बारह) अंक जारी किए।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीदारी

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान टीएचडीसी ने अपने कुल वार्षिक खरीदारी की 28.06% वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी एमएसई से की है। इसमें उन मदों/ उपस्करों/सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं हैं जो या तो मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) प्रोपाइटरी उपस्कर और/ या एमएसई द्वारा विनिर्मित नहीं किए गए हैं/ उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से की गई खरीदारी का ब्यौरा, जो कि सूक्ष्म और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करना जरूरी है, इस प्रकार है :

क्र.स.	विवरण	रु. करोड़ में
I	कुल वार्षिक खरीद (माल एवं सेवाएं) – जीईएम से खरीद सहित (मूल्य में)*	277.76
II	जीईएम सहित एमएसई (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाली एमएसई सहित) से प्रापण किए गए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	77.94
III	जीईएम सहित अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण किए सामान एवं सेवाओं का कुल दाम	0.00
IV	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	28.32
V	जीईएम सहित कुल प्रापण में से (अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	28.06%
VI	जीईएम सहित कुल प्रापण में से अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण प्रतिशत	0.00%
VII	जीईएम सहित कुल प्रापण में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण का प्रतिशत	10.20%
VIII	एमएसई के लिए वेंडर विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	-
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से क्रय की वार्षिक प्रापण योजना अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है	हां

जीईएम पोर्टल से खरीद

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जीईएम पोर्टल से की गई खरीद का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 (₹ करोड़ में)	कुल खरीद का प्रतिशत
संबंध पोर्टल में अद्यतन कुल खरीद*	277.76	28.06%*
जीईएम के माध्यम से खरीद***	263.79**	100%**

टिप्पणी :

* यह प्रतिशत एमएसई विक्रेताओं के माध्यम से कुल खरीद के लिए निकाला गया है।

**इस राशि में डीजल, एकल बोली, ओईएम वस्तुएं और जीईएम पर उपलब्ध न होने वाली वस्तुएँ शामिल नहीं हैं, जिनकी कीमत रु. 13.97 करोड़ है, जिन्हें सचिव विद्युत की अध्यक्षता में दिनांक 08.09.2022 को हुई बैठक के अनुसार रिपोर्ट करने से छूट दी गई है। इसलिए % को 100% माना गया है।

संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाएं और प्रबंध

वित वर्ष 2023–24 में कंपनी ने अपने संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण लेन–देन किए हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) और इस अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड(ज) के अनुपालन में और कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) में संदर्भित संविदाओं/समझौतों के विवरण का प्रकटन निम्नलिखित हैं :–

- **आर्म्स लैंथ आधार को छोड़कर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौरा –**

(क) **संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृतिः** यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

(ख) **संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेन की प्रकृतिः** मेसर्स यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड (यूपीएल) के साथ दिनांक 05 दिसंबर 2022 को पावर स्टेशन और कार्यालय अनुरक्षण करार (पीएसओएमए)

(ग) **संविदाओं/प्रबंधों/लेनदेन की अवधिः** 12 माह

(घ) **संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहितः** रु. 25,48,34,848.90

(ङ) **ऐसी संविदाओं या प्रबंधों या लेन–देन करने का औचित्यः** विगत में जब खुली निविदा के माध्यम से चयनित निजी एजेंसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति को लगाया जाता था, तो कम भुगतान, मजदूरी के भुगतान में देरी, पीएफ अंशदान के प्रेषण में देरी/कमी और श्रम कानूनों के अन्य अनुपालन से संबंधित मुद्दे देखे गए थे। यूपीएल एनटीपीसी की विभिन्न संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों को लागत प्रभावी सेवाएं भी प्रदान करता है। यूपीएल विगत में और वर्तमान में भी टीएचडीसीआईएल के अन्य स्थानों पर जनशक्ति सेवाएं प्रदान करता रहा है। टीएचडीसीआईएल इकाइयों और कार्यालयों में आउटसोर्स जनशक्ति की भर्ती से ऐसे वेडर से बाधा मुक्त सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिसका टीएचडीसीआईएल के अन्य स्थानों के साथ–साथ एनटीपीसी की अन्य परियोजनाओं में ऐसी जनशक्ति की आपूर्ति करने का पिछला इतिहास रहा हो। यूपीएल पूर्ण श्रम अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा, जहां अधिकांश निजी वेंडर गड़बड़ी करते हैं।

(च) **बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथिः** 11.08.2023

(छ) **अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः** कोई नहीं

(ज) **वह तिथि जिस पर धारा 188 के पहले प्रावधान के तहत सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किया गयाः** लागू नहीं

- **आर्म्स लैंथ आधार पर संविदाओं या समझौतों या संव्यवहार का ब्यौराः समीक्षाधीन अवधि के दौरान आर्म्स लैंथ आधार पर कोई महत्वपूर्ण संविदा या व्यवस्था या संव्यवहार नहीं किया गया थाः**

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति – लागू नहीं

(ख) संविदाओं/ समझौतों /संव्यवहारों की प्रकृति – लागू नहीं

(ग) संविदाओं/ समझौतों /संव्यवहारों की अवधि– लागू नहीं

(घ) संविदाओं या समझौतों की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित संव्यवहार, यदि कोई हो – लागू नहीं

(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो – लागू नहीं

(च) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो – लागू नहीं

- **इंड–एएस–24 के तहत संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 42 (8) में किया गया है।**

कॉर्पोरेट सुशासन

हमारी कॉर्पोरेट मान्यताओं में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता शामिल है। हम कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, उत्कृष्ट प्रबंधन परिपाटियों का उदाहरण प्रस्तुत करने, कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करने और नैतिक आचरण को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं।

"भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एलओडीआर) विनियम, 2015" और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित दृढ़ निर्देशों के अनुसार, हमने अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का एक व्यापक लेखा–जोखा अनुलग्नक– । में प्रस्तुत किया है।

इन मानकों के लिए हमारी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में, हमने एक कार्यरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणन प्राप्त किया है, जो डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के हमारे अनुपालन की पुष्टि करता है। यह प्रमाणीकरण, संलग्न कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सुदृढ़ कॉर्पोरेट सुशासन के लिए हमारा अटूट समर्पण विश्वास, पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने, हमारे प्रचालन की आधारशिला है। इन उपायों के माध्यम से, हम अपने हितधारकों के विश्वास और भरोसे को सुनिश्चित करते हुए, कॉर्पोरेट अभिशासन के हर पहलू में न केवल अनुपालन करने, बल्कि अनुकरणीय होने के अपने संकल्प को दृढ़ करते हैं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) और सतत विकास (एसडी)

आपकी कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है तथा

सामाजिक एवं पर्यावरण सततता के लिए जागरूक है। कंपनी अधिनियम, 2013 एवं सीएसआर नियमों के अंतर्गत यथाअपेक्षित, पूर्ववर्ती 03 वर्षों के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2% सीएसआर के कार्यान्वयन के लिए आबंटित किया गया है। सभी सीएसआर परियोजनाओं पर बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) द्वारा विचार किया जाता है तथा सीएसआर समिति (बीएलसी) द्वारा बोर्ड के अनुमोदनार्थ इनकी अनुशंसा की जाती है। अधिमान्य रूप से सीएसआर परियोजना के कार्यान्वयन से, पहले गतिविधियों की प्राथमिकताओं के लिए बेसलाइन सर्वेक्षण / आवश्यकता मूल्यांकन किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर किया जाने वाला कुल व्यय रु. 22.35 करोड़ था, जो पूर्ववर्ती तीन वर्षों के निवल लाभ का 2% है। तथापि, वर्ष के दौरान, सीएसआर गतिविधियों पर कुल व्यय रु. 34.27 करोड़ है। सीएसआर पर विस्तृत रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** में संलग्न है।

प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसरण में प्रबंधन संबंधी विचार–विमर्श और विश्लेषण के बारे में एक विशेष रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–III** के रूप में संलग्न है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन और विदेशी मुद्रा

कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय से संबंधित विवरण **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अच्छी कॉर्पोरेट सुशासन पद्धति व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के भाग के रूप में कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन संबंधी मुद्दों पर कंपनी द्वारा की गई पहलों का प्रकटीकरण **अनुलग्नक–V** में दिया गया है।

वार्षिक विवरणी

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) के अनुसार कंपनी की वार्षिक विवरणी (मसौदा एमजीटी–7) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर दी गई है।

मसौदा वार्षिक विवरणी देखने के लिए वेबलिंक – https://thdc.co.in/sites/default/files/annual-return/THDC_Annual%20Return_2023-24.pdf है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसरण में निदेशक एतदद्वारा निम्नलिखित पुष्टि करते हैं:

(क) वार्षिक लेखाओं को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ सभी लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं जो इतने तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं कि उनसे वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों तथा इस अवधि में कंपनी के लाभ की वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर सामने आ सके।

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितता से बचाव करने तथा उनका पता लगाने के लिए निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने हेतु तथा जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचान करने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है।

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखे चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए हैं।

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से प्रचालनरत है।

(च) निदेशकों ने कारगर प्रचालन के लिए सभी लागू कानूनों के प्रावधान सहित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं एवं प्रभावी रूप से प्रचालनरत थीं।

सांविधिक प्रकटीकरण

(क) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था।

(ख) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं की है।

(ग) वर्ष के दौरान बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की संख्या, विचारार्थ विषय और संरचना के संबंध में जानकारी, निदेशकों की जानकारी प्रशिक्षण नीति के लिए सतर्कता तंत्र / सूचना प्रदाता नीति (ह्विसिल ब्लोअर नीति) और वेब लिंक की स्थापना, संबद्ध पक्षकार के लेन देन के महत्व तथा संबद्ध पक्षकार के साथ व्यवहार संबंधी नीति, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति, स्वतंत्र नदेशकों को बैठक में भाग लेने का शुल्क आदि कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट में दिया गया है जिसे कंपनी अधिनियम, डीपीई के दिशानिर्देशों और समय–समय पर संशोधित सेबी (एल ओ डी आर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में तैयार किया जाता है जो वार्षिक रिपोर्ट का भाग बनता है।

(घ) चूंकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उनके अंतर्गत बनाए गए नियम जो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित हैं, सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते इसलिए

किसी प्रकार का प्रकटन करने की आवश्यकता नहीं।

(ङ) वित्त वर्ष के अंत अर्थात 31 मार्च, 2024 और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़े।

(च) कंपनी के निदेशकों को या कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

(छ) सतर्कता मामलों, लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के उत्तर तथा सूचना का अधिकार से जुड़े मामलों से संबंधित ब्योरे आदि को इस रिपोर्ट में विधिवत रूप से शामिल किए जाते है।

(ज) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

अन्य प्रकटीकरण

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी में पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण है। वर्ष के दौरान ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया तथा प्रचालन अथवा डिजाईन में कोई कमी नहीं पाई गई।

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक अर्थात मैसर्स एचसीओ एंड कंपनी चार्टड एकाउन्टेंट ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि कंपनी में वित्तीय रिपोर्ट के संबंध में ठोस एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ऋणों तथा दिए गए गारंटी, किए गए निवेश तथा दीगई प्रतिभूतियों के विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, टीएचडीसीआईएल ने टुस्को लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों की सदस्यता लेने में रु. 3.70 करोड़ का निवेश किया, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों की सदस्यता लेने में रु. 3.70 करोड़ और टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएनएल की एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के शेयरों की सदस्यता लेने में रु. 7.40 करोड़ का निवेश किया।

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी सहायक कंपनी टुस्को लिमिटेड में रु. 29.60 करोड़, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड में रु. 3.70 करोड़ और टीएचडीसीआईएल यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड में रु. 7.40 करोड़ का निवेश किया गया है।

कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं भविष्य के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किसी भी विनियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा कम्पनी की मौजूदा स्थिति एवं प्रचालनों को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक आदेश पारित नहीं किया गया है।

लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

वर्ष 2023–24 के लिए हमारी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट लागत अभिलेख अनुरक्षित किए हैं।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा

हमारी कंपनी को सभी स्वतंत्र निदेशकों से यह पुष्टि करते हुए घोषणाएं प्राप्त हो गई हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथाउपबंधित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा परीक्षक

सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी में सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत सी एंड ए जी के दिनांक 12.09.2023 के पत्र क्रमांक सीएवी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, टिहरी(1)/54 के द्वारा मैसर्स एचसीओ एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट, मकान नम्बर 11, पावर हाउस के पास, किद्दोवाला, देहरादून–248008 को कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के संबंध में प्रबंधन की टिप्पणियां

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में बिना शर्त (अनक्वालिफाइड) रिपोर्ट दी है इसलिए कंपनी की टिप्पणियां भी 'शून्य' हैं।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखाओं की समीक्षा तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुपूरक के रुप में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां संलग्न हैं।

निदेशकों और बोर्ड का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(च) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन

मूल्यांकन से संबंधित है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(P) से भी छूट दी गई है, जिसके लिए बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है, बशर्ते कि मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग द्वारा, उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है। चूंकि हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए हमें निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25 के अनुसार, 27 मार्च, 2024 को आयोजित एक अलग बैठक में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक और गैर–स्वतंत्र निदेशकों के रूप में बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था।

लागत लेखा परीक्षक एवं लागत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

मेसर्स बंधोपाध्याय भौमिक, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, कोलकाता, मेसर्स बलविंदर एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, चंडीगढ़, मेसर्स रामनाथ अय्यर एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली, मेसर्स नरसिम्हा मूर्ति एंड कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, हैदराबाद, मेसर्स धनंजय वी जोशी एंड एसोसिएट्स, कॉस्ट लेखाकार, पुणे को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए क्रमशः टिहरी एचपीपी, कोटेश्वर एचईपी, पवन ऊर्जा परियोजनाओं, ढुकवां एसएचपी और सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए लागत लेखांकन अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी द्वारा लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है। मेसर्स आर जे गोयल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, नई दिल्ली को प्रमुख लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

लागत लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए अपनी रिपोर्ट में कोई संदेह या आपत्ति इंगित नहीं की है।

सचिवालयी लेखापरीक्षा

वर्ष 2023–24 के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुपालन में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, पेशेवर (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव ने की है। कंपनी ने सभी सचिवालयी प्रावधानों का अनुसरण किया है और चूक के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है। सचिवालयी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट **अनुलग्नक–VI** के रुप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 24क की आवश्यकताओं के अनुपालन में, वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियाँ स्व–व्याख्यात्मक हैं।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सचिवीय लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और प्रबंधन का प्रत्युत्तरः

1. कंपनी के निदेशक मंडल के पास भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

   उत्तरः टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की नियुक्ति विद्युत मंत्रालय द्वारा की जाती है। विद्युत मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2022 के अपने पत्र के माध्यम से सेबी एलओडीआर, 2015 की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैर–आधिकारिक निदेशकों की संख्या को बढ़ाकर 8 करने को मंजूरी दी। विद्युत मंत्रालय की ओर से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति लंबित है।

   इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 का प्रावधान कंपनी पर "अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर" लागू है।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 20(3क) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

   उत्तरः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 16 से 27 के प्रावधान कंपनी पर "अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर" लागू हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कुछ प्रचालनात्मक चुनौतियों के कारण, हितधारक संबंध समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई। हालांकि, समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों, विशेष रूप से निवेशक शिकायत रिपोर्ट पर निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड की बैठकों में विधिवत विचार किया गया और उनकी समीक्षा की गई। आगे बढ़ते हुए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि एसआरसी की बैठकें विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आयोजित की जाए और विधिवत रूप से प्रलेखित की जाएं।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 21(3क) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की केवल एक बैठक आयोजित की गई।

   उत्तरः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता

बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 से 27 के प्रावधान अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर लागू होते हैं। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) के लिए कार्यसूची (एजेंडा) आरएमसी बैठक आयोजित करने की नियत तिथि से पहले मुख्य जोखिम अधिकारी से प्राप्त नहीं हुई थी।

4. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई घोषणाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) और 25(9) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 15.05.2023 को आयोजित बाद की बोर्ड बैठक में रखी गईं।

उत्तरः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 से 27 के प्रावधान अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर लागू हैं। पहली बोर्ड बैठक 06.04.2023 को आयोजित की गई थी। पहली बोर्ड बैठक के बाद स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणाएं प्रस्तुत की गईं। इसलिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(9) के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई घोषणाएं 15.05.2023 को आयोजित बाद की बोर्ड बैठक में रखी गईं।

5. कंपनी की लेखा परीक्षा समिति ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24(2) के अनुसार गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की।

उत्तरः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24(2) के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति ने कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

6. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) के अनुरूप नहीं है।

उत्तरः डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) में भारत सरकार का एक निदेशक होना अनिवार्य है और शेयर क्रय करार के अनुसार, टीएचडीसीआईएल की सभी कार्यात्मक बोर्ड स्तरीय समितियों में एनटीपीसी द्वारा नामित एक निदेशक होगा। इसके अनुपालन में हमने अधिनियम और विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुसार यथासंभव अधिकतम सीमा तक एनआरसी का गठन किया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 16 से 27 के प्रावधान अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर लागू होते हैं।

डिबेंचर ट्रस्टी

हमारी कम्पनी द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट बांड के लिए नियुक्त किए गए डिबेंचर ट्रस्टी का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

ट्रस्टी का नाम और पता
विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
छठा तल, आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर
प्लॉट–सी–22, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स,
बान्द्रा पूर्व मुम्बई –400051

आभार

हमारी कंपनी का निदेशक मंडल विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, एनटीपीसी लिमिटेड, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, राज्य सरकारों और उनके मंत्रालयों, विभागों/बोर्ड, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, ऋणदाताओं और निवेशकों से प्राप्त मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन हेतु उनका हृदय से आभार व्यक्त करता है। बोर्ड हमारे बहुमूल्य ग्राहकों, प्रादेशिक विद्युत बोर्डों तथा डिस्काम्स एवं हमारे परामर्शी कार्यों के अन्य मूल्यवान ग्राहकों के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार करता है।

निदेशकगण, इस अवसर पर हमारे कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई समर्पित और प्रभावी सेवाओं की औपचारिक रूप से स्वीकारोक्ति और सराहना करते हैं। उनकी अटूट प्रतिबद्धता कंपनी के समग्र संतोषजनक प्रदर्शन को प्राप्त करने में सहायक रही है। बोर्ड कंपनी की विविध परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित करने में संविदाकारों, वेंडर और परामर्शदाताओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करता है।

इसके अतिरिक्त, बोर्ड, सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा प्रदान किए गए रचनात्मक सुझावों के लिए उनकी सराहना व्यक्त करते हैं और उनके द्वारा प्रदान किए जा रहे निरंतर सहयोग व सहायता को स्वीकार करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उन्हीं की ओर से

ह0/–

(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 08534217

दिनांकः 27.09.2024
स्थानः नई दिल्ली

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

कार्पोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ("टीएचडीसीआईएल" या "कंपनी") कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के आशय के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसमें 74.496% शेयरधारिता एनटीपीसी की है और 25.504% शेयरधारित उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल की है। टीएचडीसीआईएल नैतिकता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही की विशेषता वाली उत्तम कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों को बनाए रखने के लिए समर्पित है। हम हितधारकों के भरोसे और विश्वास को सुनिश्चित करते हुए उनके मूल्य और रुचि को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टीएचडीसीआईएल में, हम व्यवस्थित प्रक्रियाओं, नीतियों, नियमों, विनियमों और कानूनों का पालन करते हैं जिनके द्वारा कंपनियों को हितधारकों की आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन द्वारा निर्देशित, नियंत्रित और प्रशासित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("कंपनी अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("एलओडीआर, 2015"), लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2010 ("डीपीई दिशानिर्देश"), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक ("सचिवीय मानक"), तथा अन्य लागू नियमों और नीतियों के अनुपालन में, हमारी कंपनी दृढ़ता से सभी लागू कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन करती है।

आपके निदेशक वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर कंपनी की रिपोर्ट और उसके बाद कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा कॉरपोरेट सुशासन पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। हमें आपके साथ यह साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि कंपनी वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए डीपीई द्वारा 'उत्कृष्ट' रेटिंग की आशा कर रही है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन के संबंध में कंपनी की विचारधारा का संक्षिप्त विवरण

हमारी कंपनी कॉर्पोरेट सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए नियमों और नियंत्रणों की एक प्रणाली शामिल है। प्रोत्साहनों के इस संरेखण से कंपनी के शेयरधारकों, निदेशकों और प्रबंधन, समाज और पर्यावरण सहित सभी हितधारकों को लाभ होता है। हमारा सुशासन ढांचा हितधारकों के हितों को संतुलित करते हुए कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी के व्यवसाय निष्पक्ष और जिम्मेदारी से संचालित किए जा रहे हैं। यद्यपि कंपनी की स्थापना के बाद से हमारा अभिशासन दर्शन मूलभूत रहा है, हमारा ढांचा समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलनीय बना हुआ है।

कंपनी का मानना है कि कॉर्पोरेट सुशासन में बोर्ड के कार्य शामिल हैं, यह कंपनी के मूल्यों को कैसे निर्धारित करता है और यह कंपनी के व्यावसायिक सिद्धांतों को कैसे संचालित करता है। बोर्ड का दावा है कि सुशासन केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि इसका अर्थ कॉर्पोरेट नागरिकता के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रबंधित दैनिक पूर्णकालिक कार्यों से अलग है। बोर्ड की जिम्मेदारियों में कॉर्पोरेट सुशासन सिद्धांतों को लागू करना, सामरिक उद्देश्य निर्धारित करना, अपने नेतृत्व के साथ प्रबंधन का मार्गदर्शन करना और शेयरधारकों को रिपोर्ट करना शामिल है। प्रबंधन, बोर्ड और समितियां मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी अखंडित सत्यनिष्ठा, उत्कृष्टता और जिम्मेदार विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखे।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने, दीर्घकालिक व्यापार कार्यनीतियों को विकसित करने, सामान्य मामलों और प्रदर्शन की देखरेख करने और कंपनी की कॉर्पोरेट सुशासन परिपाटियों की प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कंपनी के मामलों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं, बोर्ड के परामर्श से व्यावसायिक कार्यनीतियों को क्रियान्वित करते हैं तथा वार्षिक और दीर्घकालिक दोनों व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं।

2.1 बोर्ड का आकार

कंपनी के व्यवसाय की देखरेख निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। एनटीपीसी लिमिटेड और भारत सरकार के बीच 25 मार्च, 2020 को हुए शेयर क्रय करार के अनुसार, एनटीपीसी लिमिटेड को कंपनी में दो नामित निदेशकों को नामित करने का अधिकार है। हालाँकि, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, दो नामित निदेशकों को छोड़कर, जिन्हें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के निदेशकों की संख्या निर्धारित करने का भी अधिकार है, जो सात से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी।

31 मार्च, 2024 तक, बोर्ड में तीन कार्यात्मक निदेशक (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित), क्रमशः भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के एक–एक नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड के दो नामिती निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक (एक महिला निदेशक सहित) शामिल हैं। निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यताएं, विशेषज्ञता और अनुभव है जो उन्हें कंपनी के व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और बोर्ड में प्रभावी योगदान देने की सुविधा प्रदान करता है।

2.2 बोर्ड की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशक मंडल में कार्यपालक एवं गैर कार्यपालक निदेशकों का आदर्श संयोजन है। इसके साथ–साथ यह भी निर्धारित है कि निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक के साथ कार्यपालक और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए। वर्तमान में निदेशक मंडल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यात्मक निदेशक, क्रमशः एनटीपीसी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

निदेशक मंडल का विवरण अर्थात् उनके नाम, पदनाम, अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित निदेशक–पदों और समिति की अध्यक्षता / सदस्यता की संख्या और अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम, जिनमें निदेशक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार निदेशक पद पर आसीन हैं, निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	धारित अन्य निदेशक–पद की संख्या	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में धारित निदेशक–पद और निदेशक–पद की श्रेणी	अन्य सार्वजनिक कंपनियों की लेखापरीक्षा / हितधारक समितियों में धारित सदस्यता की संख्या	
					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	-	-	-
2.	श्री शैलेन्द्र सिंह*	निदेशक (कार्मिक)	-	-	-	1
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता**	निदेशक (तकनीकी)	2	-	-	-
4.	श्री अजय तिवारी***	नामिती निदेशक, भारत सरकार	3	2	-	-
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	एनटीपीसी लिमिटेड नामिती निदेशक	7	1	-	3
6.	श्री अनिल गर्ग	नामिती निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	2	-	-	-
7.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	-	-	1	1
8.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक	-	-	1	-

* श्री शैलेन्द्र सिंह को 06.06.2023 को बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
** श्री भूपेन्द्र गुप्ता को 09.06.2023 को बोर्ड में नियुक्त किया गया था।
*** श्री अजय तिवारी को 20.02.2024 को बोर्ड में नियुक्त किया गया था और 31.05.2024 को बोर्ड में सदस्य नहीं रहे।

2.3 निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

क. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून 2023 के अपने आदेश संख्या 14–11 / 24 / 2020–एच.आई (254784) के माध्यम से श्री शैलेंद्र सिंह को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 06.06.2023 को कार्यभार ग्रहण किया।

ख. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 6 जून 2023 के अपने आदेश संख्या 14–11 / 24 / 2020– एच.आई (254784) के माध्यम से श्री भूपेन्द्र गुप्ता को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 06.09.2023 को कार्यभार ग्रहण किया।

ग. भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 12 जुलाई 2023 के अपने आदेश संख्या 14–37 / 43 / 2021–एच.आई (259063) के माध्यम से टीएचडीसीआईएल के स्वतंत्र निदेशक श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला का त्यागपत्र 11.07.2023 (पूर्वाह्न) से स्वीकार कर लिया।

घ. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 13 अक्टूबर 2023 के अपने आदेश संख्या 2–20 / 05 / 2021–प्रशा.II के माध्यम से श्री जितेश जॉन, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक,

टीएचडीसीआईएल को 30.11.2023 (पूर्वाह्न) से उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।

ङ. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री यू.के. भट्टाचार्य दिनांक 30.11.2023 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में एनटीपीसी लिमिटेड के नामिती निदेशक नहीं रहे।

च. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 20 फरवरी 2024 के अपने आदेश संख्या 14–37/38/2023–एच.आई (270636) के माध्यम से, श्री अजय तिवारी, अपर सचिव (हाइड्रो) को टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया।

छ. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री जे. बेहरा दिनांक 29.02.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सार्वजनिक कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

कंपनी का कोई भी निदेशक, कंपनी के अन्य निदेशकों से परस्पर संबंधित है।

2.4 निदेशकों की आयु–सीमा तथा कार्यकाल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों की आयु सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि या अधिवर्षिता की आयु पूरी करने, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।

गैर–कार्यपालक निदेशक भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार के प्रशासनिक विभाग के प्रतिनिधि के रूप में पदेन हैसियत से कार्य कर रहे हैं और उस मंत्रालय/प्रशासनिक विभाग से सेवा समाप्त हो जाने पर वे सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल में नियुक्त नामित निदेशकों का निदेशक पद एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक पद पर रहने और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में अपने नामांकन वापिस लेने तक, जो भी पहले हो, सह–मियादी (कोटर्मिनस) होगा। स्वंतत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आमतौर पर तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाती है।

2.5 निदेशकों की प्रोफाइल

निदेशकों की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल, जिसमें उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, अनुभव का क्षेत्र आदि शामिल हैं, कॉर्पोरेट सिंहावलोकन खंड – वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल के अंतर्गत दिया गया है।

2.6 निदेशकों की मुख्य दक्षताएँ

बोर्ड में योग्य सदस्य होते हैं जो बोर्ड और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता रखते हैं। निदेशकों द्वारा धारित कौशल, विशेषज्ञता और दक्षताओं का सारांश अनुलग्नक–I में दिया गया है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

2.7 निदेशकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

नए निदेशक की भर्ती के समय उनके नाम एक अभिवादन पत्र दिया जाता है जिसके साथ निदेशक के रूप में निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्यों एवं दायित्वों का ब्यौरा होता है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कंपनी और अन्य एजेंसियों/संस्थानों द्वारा समय–समय पर निदेशकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व गुणों, ज्ञान और कौशल का स्तरोन्नयन किया जा सके। यह प्रशिक्षण, उन्हें क्षेत्र के साथ–साथ कंपनी की बेहतर समझ प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। निदेशकों को समय–समय पर विधायी/विनियामक परिवर्तनों सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट और आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन/विकास के बारे में भी जानकारी दी जाती है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रवेश के समय एक परिचय कार्यक्रम दिया जाता हैं जिसमें संगठन की संरचना, सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यमों, कंपनी के व्यवसाय मॉडल, व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल, स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों आदि पर प्रकाश डाला जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रम का विवरण वेबलिंक **https://www.thdc.co.in/en/content/familiarization-programme** पर है।

2.8 वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों की नियुक्ति और कार्यकाल समापन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टीएचडीसीआईएल में निदेशक पद की नियुक्ति और कार्यकाल समापन का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पदनाम में परिवर्तन	प्रभावी तिथि
श्री शैलेन्द्र सिंह	नियुक्ति	06.06.2023
श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नियुक्ति	09.06.2023
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	सेवामुक्ति	11.07.2023
श्री यू.के. भट्टाचार्य	सेवामुक्ति	30.11.2023
श्री जितेश जॉन	सेवामुक्ति	30.11.2023
श्री अजय तिवारी	नियुक्ति	20.02.2024
श्री जे. बहेरा	सेवामुक्ति	29.02.2024

3. बोर्ड की बैठकें तथा उपस्थिति

निदेशक मंडल उचित अग्रिम सूचना के साथ बैठकें आयोजित कराता है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए, सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हुए, बोर्ड की बैठकें अल्पावधि सूचना पर भी आमंत्रित की जा सकती हैं। अत्यावश्यक स्थितियों में, यदि कानून द्वारा अनुमति हो तो प्रस्तावों को परिचालन के माध्यम से पारित किया जा सकता है। विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और व्याख्यात्मक विवरण आम तौर पर बोर्ड बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले प्रसारित किए जाते हैं, जिससे सार्थक, सुविज्ञ और केंद्रित चर्चा सुनिश्चित होती है।

बोर्ड के सदस्यों की उपलब्धता के आधार पर बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आयोजित की जाती हैं। ऑनलाइन बैठकें लागू कानूनों के पूर्ण अनुपालन में आयोजित की जाती हैं और वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का लाभ उठाया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की बारह (12) बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से अधिक का कोई अंतराल नहीं था।

क्रमांक	बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठक की तारीख	निदेशकगण	उपस्थिति
1.	232वीं और 232वीं (स्थगित)	06 अप्रैल 2023 और 01 मई 2023*	9 & 9	9 और 8
2.	233वीं	15 मई 2023	8	7
3.	234वीं	28 जून 2023	11	10
4.	235वीं	18 जुलाई 2023	10	09
5.	236वीं	11 अगस्त 2023	10	09
6.	237वीं	25 अगस्त 2023	10	09
7.	238वीं	25 सितम्बर 2023	10	09
8.	239वीं	10 नवंम्बर 2023	10	10
9.	240वीं	26 नवंम्बर 2023	10	09
10.	241वीं	28 जनवरी 2024	08	07
11.	242वीं	21 फरवरी 2024	09	09
12.	243वीं	31 मार्च 2024	08	06

*दिनांक 06.04.2023 को आयोजित 232वीं बैठक स्थगित कर दी गई थी और दिनांक 01.05.2023 को आयोजित की गई।

सभी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति (कोरम) मौजूद थी। नीचे दी गई तालिका में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और पिछली वार्षिक आम बैठक में उनकी उपस्थिति को दर्शाया गया है।

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठक		पिछली एजीएम (25 सितंबर 2023 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
कार्यात्मक निदेशक				
श्री आर. के. विश्नोई **(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)**	12	12	100%	भाग लिया
श्री भूपेन्द्र गुप्ता **निदेशक (तकनीकी)**	10	10	100%	भाग लिया
श्री शैलेंद्र सिंह **निदेशक (कार्मिक)**	10	10	100%	भाग लिया
श्री जे.बेहेरा* **निदेशक (वित्त)**	11	11	100%	भाग लिया
नामित निदेशक				
श्री अजय तिवारी **भारत सरकार के नामित निदेशक**	2	1	50%	लागू नहीं

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक	बोर्ड बैठक		पिछली एजीएम (25 सितंबर 2023 को आयोजित) में उपस्थिति
		जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का प्रतिशत	
श्री जयकुमार श्रीनिवासन **एनटीपीसी के नामित निदेशक**	12	12	100%	भाग लिया
श्री अनिल गर्ग**** **उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक**	12	3	25%	भाग नहीं लिया
श्री जितेश जॉन** **भारत सरकार के नामित निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य** **एनटीपीसी के नामित निदेशक**	9	9	100%	भाग लिया
स्वतंत्र निदेशक				
श्रीमती सजल झा **स्वतंत्र निदेशक**	12	12	100%	भाग लिया
डॉ जयप्रकाश नाईक बी. **स्वतंत्र निदेशक**	12	12	100%	भाग लिया
श्री केसरीदेवसिंह डी झाला*** **स्वतंत्र निदेशक**	3	3	100%	भाग नहीं लिया

*श्री जे. बेहरा 29.02.2024 से निदेशक नहीं रहे।
**श्री जितेश जॉन और श्री यू. के. भट्टाचार्य 30.11.2023 से निदेशक नहीं रहे।
***श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला 11.07.2023 से निदेशक नहीं रहे।
****श्री अनिल गर्ग 06.04.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक में शामिल हुए (जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया) किंतु 01.05.2023 को आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहे।

4. निदेशकों के पारिश्रमिक एवं प्रकटीकरण

हमारी कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी कंपनी है, अतः अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों और अन्य निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक के सबंध में निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार लिया जाता है और इसकी सूचना भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक विभाग को दी जाती है। कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक डीपीई द्वारा समय–समय पर जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है।

इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम की धारा 197 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 4 के अनुसार बोर्ड तथा समिति (बैठक में भाग लेने के शुल्क का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है) की बैठकों मे भाग लेने के लिए ₹30,000 प्रति बैठक की दर से बैठक में भाग लेने के शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक निदेशकों को सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पदेन क्षमता में नामित किया जाता है और उन्हें कंपनी से किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए भुगतान किए गए शुल्क (जीएसटी को छोड़कर) का ब्यौरा निम्नानुसार हैं।

(राशि रु. में)

क्रमांक संख्या	स्वतंत्र निदेशक का नाम	बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क			कुल
		बोर्ड बैठक	समिति की बैठकें	स्वतंत्र निदेशकों की बैठक	
1.	श्रीमती सजल झा	390000	240000	30000	**660000**
2.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	390000	300000	30000	**720000**
3.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला	120000	90000	-	**210000**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है।

(राशि रु. में)

क्र. सं.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक एवं केएमपी नाम	पदनाम	वेतन और भत्ते*	बोनस एवं कमीशन	कार्य–निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी)	कुल योग
1.	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	57,00,838	-	19,72,602	76,73,440
2.	श्री जे. बेहेरा	निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी	77,23,187	-	14,99,449	92,22,636
3.	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	34,57,816	-	-	34,57,816
4.	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	39,80,146	-	-	39,80,146
5.	श्री अजय कुमार गर्ग*	मुख्य वित्त अधिकारी	46,59,000	-	8,33,046	54,92,046
6.	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	21,16,157	-	2,54,118	23,70,275

*वेतन और भत्तों में कैफेटेरिया बास्केट के अनुसार अनुलाभ और भत्ते, अवकाश नकदीकरण, विशेष भत्ते और अन्य अनुलाभ शामिल हैं।

*श्री अजय कुमार गर्ग को 31.03.2024 से सीएफओ नियुक्त किया गया।

5. बोर्ड स्वतंत्रता

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के उपबंधों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करने की घोषणा प्रस्तुत की है।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट **https://www.thdc.co.in/sites/default/files/Appointment_Independent_Directors_0.pdf** पर उपलब्ध हैं।

6. केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक)

कंपनी (प्रबंधन से जुड़े कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 203 (1) अनुसार, निर्धारित वर्ग या वर्गों की प्रत्येक कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के.एम.पी.) होने चाहिए। तदनुसार, 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसीआईएल निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक नामोनिर्दिष्ट किए हैं।

क. श्री आर. के. विश्नोई, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ख. श्री अजय कुमार गर्ग, मुख्य वित्तीय अधिकारी

ग. सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव

टिप्पणः वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, श्री जे. बेहरा को केएमपी के रूप में नामित किया गया था, तथापि, सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, श्री जे. बेहरा 29.02.2024 से टीएचडीसीआईएल के बोर्ड में नहीं रहे।

7. बोर्ड के सदस्यों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463(च) के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 (2) के प्रावधानों से छूट दी है, जो नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निदेशक मंडल, बोर्ड समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के कार्य–निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। इस अधिसूचना के अंतर्गत सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को धारा 134(3)(पी) से भी छूट दी गई है, जिसके लिए बोर्ड की रिपोर्ट में बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों की औपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया का विवरण देना आवश्यक है, बशर्ते कि मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के विभाग द्वारा, उनकी कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाता है। चूंकि हमारी कंपनी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, इसलिए हमें निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा किया गया है।

लोक उद्यम विभाग ने सभी कार्यात्मक निदेशकों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया है। सरकार द्वारा नामिती निदेशकों के लिए, उनका मूल्यांकन कंपनी के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग द्वारा उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाता है। डीपीई ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन भी शुरू किया है। तदनुसार, सेबी (एलओडीआर) के विनियमन 17(10) के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन नहीं किया।

8. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठकें

कंपनी अधिनियम और एलओडीआर 2015 के अनुपालन में 27 मार्च, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकगण और प्रबंधन के सदस्य मौजूद नहीं थे।

स्वतंत्र निदेशकों ने इस बैठक में गैर स्वतंत्र निदेशकों, कंपनी के अध्यक्ष और समग्र रूप से बोर्ड के प्रदर्शन की समीक्षा की। स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के आदान प्रदान की गुणवत्ता, मात्रा और सममबहता का आंकलन भी किया।

9. बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया–विधियां:

9.1 निर्णय लेने की प्रक्रिया:

कंपनी ने दिशा–निर्देशों का सेट निर्धारित किया है तथा निदेशक मंडल की बैठकों के लिए सचिवालय मानकों का अनुसरण करती है ताकि सभी कॉर्पोरेट मामलों को पेशेवर तरीके से किया जा सके। इन दिशा–निर्देशों में बोर्ड की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को संसूचित तथा कार्यकुशल तरीके से प्रणालीबद्ध बनाने की अपेक्षा की जाती है।

9.2 बोर्ड की बैठकों के लिए कार्यसूची मदों का निर्धारण तथा चयन:

क. बैठक की तारीखों को आमतौर पर सभी निदेशकों के परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाता है, ताकि बोर्ड के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। बोर्ड के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उपयुक्त रूप से नोटिस देकर बैठकें बुलाई जाती हैं। विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी, प्रबंधन रिपोर्टें निदेशकों को पर्याप्त समय देते हुए अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं ताकि बैठक के दौरान सार्थक, संसूचित और केन्द्रित निर्णयों को लिया जा सकें।

ख. विशिष्ट तत्काल व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कभी–कभी लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में अल्पावधि नोटिस पर भी बैठकें बुलाई जाती हैं और नोटिस एवं एजेंडा की न्यूनतम अवधि का पालन करने के लिए यथासंभव प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में, प्रस्तावों को प्रचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में टिप्पणी किया जाता है।

ग. अत्यावश्यक मामलों में, संबंधित प्रकार्यात्मक निदेशक और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही एजेंडा प्रस्तुत किया जाता है।

घ. कार्यसूची के कतिपय मामलों के संबंध में बोर्ड की बैठकों में प्रस्तुतीकरण दिए जाते हैं ताकि सदस्यगण पर्याप्त जानकारी और सूचना सहित निर्णय ले सकें।

ङ. बोर्ड के सदस्यों के पास कंपनी की सभी जानकारियां होती हैं। बोर्ड कार्यसूची में ऐसा कोई भी मुद्दा शामिल करने की सिफारिश कर सकता है जिसे वह महत्वपूर्ण समझता है। बोर्ड द्वारा विचार किए जाने वाले मामलों के संबंध में जब कभी भी आवश्यक समझा जाता है वरिष्ठ प्रबंधन से जुडे कार्मिकों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बुलाया जाता है।

9.3 बोर्ड/समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को रिकार्ड करना:

प्रत्येक बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त के मसौदे को बैठक के बाद पन्द्रह दिन के भीतर सभी सदस्यों को उनकी अभ्युक्तियों हेतु परिचालित किया जाता है। निदेशक कार्यवृत्त के मसौदे पर इसके प्रचालन की तारीख से सात दिन के भीतर अपनी अभ्युक्तियां देते हैं। निदेशकों से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों की तुलनात्मक शीट अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संबंधित समिति के अध्यक्ष को विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही का अनुमोदित कार्यवृत्त, कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत अभिलिखित किया जाता है।

9.4 अनुवर्ती कार्रवाई तंत्र:

बोर्ड की बैठकों में बोर्ड द्वारा जारी निदेशों को नियमित रूप से संबंधित विभागों को संप्रेषित किया जाता है एवं बोर्ड के निर्णयों पर की गई कार्रवाई अनुवर्ती बोर्ड बैठकों में बोर्ड के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है जिससे अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावी रिपोर्टिंग तथा निर्णयों की समीक्षा करने में सहायता में मिलती है।

9.5 अनुपालन:

हमारी प्रतिबद्धता सभी लागू कानूनों, नियमों और दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। कंपनी कंपनी अधिनियम (जहां तक लागू हो), सेबी विनियम और दिशा–निर्देश, एलओडीआर, 2015 और अन्य सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करती है। कंपनी बोर्ड और शेयरधारकों की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानकों का भी अनुपालन कर रही है। निदेशक मंडल समय–समय पर अपने समक्ष रखी गई कानूनी अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

9.6 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली सूचनाएं:

क. अनुमोदन और सूचना हेतु, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सभी परियोजनाओं से संबंधित सभी तकनीकी मामले।

ख. वार्षिक प्रचालन योजना, बजट और संगत अद्यतन जानकारी।

ग. पूंजीगत बजट तथा संगत अद्यतन जानकारी।

घ. निधियां जुटाने संबंधी प्रस्ताव।

ङ. वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्रस्ताव।

च. कंपनी के तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम।

छ. पिछली बोर्ड बैठकों, कंपनी की समिति की बैठकों और सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त।

ज. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति या कार्यकाल समापन की जानकारी।

झ. लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की अन्य समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।

ञ. बोर्ड की शक्तियों के अनुसार सामान्य व्यवसाय मामले।

ट. बड़े निवेश, सहायक कंपनियों का निर्माण, संयुक्त उपक्रम और रणनीतिक गठजोड़।

ठ. खरीदारी/कार्य/नामांकन आधार पर अवार्ड किए गए ठेकों से संबंध में तिमाही सूचना।

ड. परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की स्थिति।

ढ. विभिन्न कानूनों के अनुपालन की तिमाही रिपोर्ट।

ण. निदेशकों की उनके निदेशक पद के बारे में रूचि का प्रकटीकरण।

त. महत्वपूर्ण पूंजी निवेश के प्रस्ताव या बड़े ठेके अवार्ड करना।

थ. मध्यस्थता मामलों की स्थिति।

द. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधों के मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।

ध. कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस, यदि कोई हो, जो महत्वपूर्ण हैं।

न. घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, कोई भी सामग्री बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या, यदि कोई हो।

प. कोई भी मुद्दा, जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं, जिसमें कोई भी निर्णय या आदेश शामिल है, जो कंपनी के आचरण पर सख्ती से पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टिकोण ले सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

फ. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तन एवं उसके कारणों सहित पद्धतियां।

ब. सूचीबद्ध इकाई और उसके प्रचालनात्मक संभागों या व्यावसायिक खंडों के लिए तिमाही परिणाम।

भ. सूचीबद्ध इकाई में और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी महत्वपूर्ण चूक, या सूचीबद्ध इकाई द्वारा विक्रय किए गए माल के लिए महत्वपूर्ण गैर–भुगतान।

म. ऐसे लेन–देन जिनमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए भारी भुगतान शामिल है।

य. निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों, जो भौतिक प्रकृति के हैं और व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं हैं, की बिक्री।

र. लागू कानूनों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड की सूचना या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

10. निदेशक मंडल की समितियां:

प्रभावी निर्णय लेने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न सांविधिक और गैर–सांविधिक समितियों का गठन किया है। बोर्ड की प्रत्येक समिति इसके विचारार्थ विषयों द्वारा निर्देशित होती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर), 2015 में यथाविनिर्दिष्ट समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठक करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें सौंपे गए अधिकार के भीतर सुविज्ञ निर्णय लेती हैं। ऐसी समितियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

11. लेखापरीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति की संरचना, कार्यक्षेत्र इत्यादि कंपनी अधिनियम, एलओडीआर 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

11.1 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे।

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, एनटीपीसी नामिती निदेशक	सदस्य

निदेशक (वित्त) और/या सीएफओ आमतौर पर विशेष आमंत्रित के रूप में बैठकों में भाग लेते हैं, और किसी भी बैठक को आगे बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति आवश्यक है, भले ही वे समिति के आधिकारिक सदस्य न हों। कार्यकारी निदेशकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों और संबंधित विभागाध्यक्षों को विशेष रूप से लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित होने की आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

11.2 लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय

लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और इसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

ख. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और निष्कासन पर ध्यान देना। स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा शुल्क की सिफारिश करना और किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की मंजूरी भी देना।

ग. विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन, वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना,

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले।

(ख) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो और उनके कारण।

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमानों को शामिल करने वाली प्रमुख लेखा प्रविष्टियां।

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीबद्धता एवं कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

(च) किसी भी संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण।

(छ) यथालागू लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन।

(ज) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

घ. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ तिमाही/छमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।

ङ. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/प्रयोग के विवरण की समीक्षा करना, प्रस्ताव दस्तावेज़/विवरणिका/सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत नोटिस और रिपोर्ट, और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

च. संबंधित पक्षकारों के साथ सूचीबद्ध इकाई के लेनदेन की मंजूरी या बाद में कोई संशोधन।

छ. अंतर–कॉर्पोरेट ऋणों और निवेशों की जांच।

ज. सूचीबद्ध इकाई के उपक्रमों या संपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।

झ. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।

ञ. प्रबंधन के साथ, सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता की निगरानी करना।

ट. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग के प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना।

ठ. आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और मामले को बोर्ड को सूचित करना।

ड. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और दायरे के साथ–साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा।

ढ. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।

ण. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना।

त. इस प्रावधान के लागू होने की तारीख की स्थिति के अनुसार मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा ₹100 करोड़ या सहायक कंपनी की संपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक के ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

थ. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, डीमर्जर, समामेलन आदि से जुड़ी योजनाओं के औचित्य, लागत–लाभ और प्रभाव पर विचार और टिप्पणी करना।

द. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसाओं की स्थिति भी शामिल है।

(ख) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है।

ध. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:

(क) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा

सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और

(ख) स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ

न. सीएएंडजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

प. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

फ. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला अवसर प्रदान करना।

ब. कंपनी में सभी संबंधित पक्ष लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन।

भ. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।

म. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए आंतरिक लेखापरीक्षक के परामर्श से आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित करने का दायरा/कार्यप्रणाली/आवधिकता और कार्यप्रणाली तैयार करना।

य. लेखापरीक्षा और अन्य सेवाओं के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और शुल्क, यदि कोई हो, के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।

र. बोर्ड को कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, लागत लेखा परीक्षकों को बदलने या हटाने और उनके पारिश्रमिक और नियुक्ति की अन्य शर्तों की सिफारिश करना।

ल. उसमें शामिल प्रत्येक आरक्षण या योग्यता पर पूरी जानकारी और स्पष्टीकरण के साथ लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा करना और विचारार्थ बोर्ड को रिपोर्ट की सिफारिश करना।

व. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षा के दायरे, जिसमें लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है, के बारे में लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ माँगना और आंतरिक और सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के प्रबंधन के साथ किसी भी संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना।

श. स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाने वाली निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन के लिए तिमाही विवरण की समीक्षा।

ष. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या संपत्तियों के मूल्यांकन की समीक्षा करना।

स. लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करते समय कंपनी के लेखापरीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार देगी।

ह. लेखापरीक्षा समिति वास्तविक चिंताओं या शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए स्थापित सतर्कता तंत्र की निगरानी करेगी और ऐसे तंत्र का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान करेगी। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष उचित और असाधारण मामलों में सीधे पहुंच योग्य होगा।

कक. ऐसे अन्य कार्य करना जो कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा विशेष रूप से समिति को निर्दिष्ट किए जाएं।

खख. निम्नलिखित से संबंधित निरीक्षण कार्यों में बोर्ड की सहायता करना :–

क. लेखापरीक्षित और गैरलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में निहित प्रकटीकरण की गुणवत्ता और अखंडता,

ख. समय–समय पर स्थापित आंतरिक नियंत्रणों की अखंडताय और

ग. कंपनी का निवेश।

गग. अभ्यर्थी की अर्हता, अनुभव और पृष्ठभूमि इत्यादि का मूल्यांकन करने के बाद मुख्य वित्त अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन।

11.3 लेखापरीक्षा समिति की शक्तियां

अपनी भूमिका के अनुरूप, टीएचडीसीआईएल की लेखा परीक्षा समिति को निदेशक मंडल द्वारा पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. अपने विचारार्थ विषयों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करना।

ख. किसी भी कर्मचारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना।

ग. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

घ. यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

ङ. ब्हिसल ब्लोआर की सुरक्षा करना।

11.4 लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

लेखा परीक्षा समिति नियमित आधार पर निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा की:

क. वित्तीय स्थिति और प्रचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण।

ख. प्रबंधन द्वारा संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण।

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।

घ. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और

ङ. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति और निष्कासन और

च. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

11.5 बैठकें और उपस्थिति

वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की एक बैठक आयोजित की गई और समिति के सदस्यों की उपस्थिति सहित विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख					कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	15.05.2023	11.08.2023	25.09.2023	10.11.2023	28.01.2024			
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100%
श्रीमती सजल झा	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन	✓	✓	✓	✓	✓	5	5	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला*	✓	-	-	-	-	1	1	100%

* श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला 11.07.2023 से लेखापरीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे।

12 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

कंपनी अधिनियम की धारा और एलओडीआर–2015 के विनियमन 19 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार, एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया गया है।

कंपनी के अंतर्नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार के नामिती निदेशक को छोड़कर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल और पारिश्रमिक भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

चूंकि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, तदनुसार, निदेशकों का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह भी ध्यातव्य है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति तैयार करने और बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

12.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी., स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री अजय तिवारी, नामिती निदेशक, भारत सरकार	सदस्य
4.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य

कंपनी सचिव नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

12.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल/प्रदर्शन संबंधित वेतन (पीआरपी) और निर्धारित सीमा के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के लिए नीति तय करना।

ख. किसी निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुण और स्वतंत्रता निर्धारित करने के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को वेतन, भत्ते, भत्ते और निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति से संबंधित सभी मामलों की सिफारिश करना।.

ग. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना।

घ. एक स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति बोर्ड में कौशल, ज्ञान और अनुभव के संतुलन का मूल्यांकन करेगी और इस तरह के मूल्यांकन के आधार पर, एक स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक भूमिका और क्षमताओं का विवरण तैयार करेगी। स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड को अनुशंसित व्यक्ति के पास ऐसे विवरण में पहचानी गई क्षमताएं होंगी। उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, समिति यह कर सकती है:

(क) यदि आवश्यक हो तो बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करना।

(ख) विविधता का उचित सम्मान करते हुए विभिन्न पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों पर विचार करना और

(ग) उम्मीदवारों की समय प्रतिबद्धता पर विचार करना।

ङ. ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो तो निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

च. स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की अवधि बढ़ाई जाए या जारी रखी जाए।

छ. निदेशक मंडल की विविधता पर एक नीति तैयार करना।

ज. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

12.3 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की दो (2) बैठक हुई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख		कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	21.06.2023	27.03.2024			
श्रीमती सजल झा	✓	✓	2	2	100%
डॉ. जयप्रकाश नाईक बी	✓	✓	2	2	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन*	-	✓	1	1	100%
श्री अजय तिवारी*	-	-	1	-	शून्य
श्री जितेष जॉन	✓	-	1	1	100%
श्री यू के भट्टाचार्य***	✓	-	1	1	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला**	✓	-	1	1	100%

*श्री जयकुमार श्रीनिवासन और श्री अजय तिवारी को 15.03.2024 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।
**श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला 11.07.2023 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य नहीं रहें।
***श्री यू.के. भट्टाचार्य 30.11.2023 से नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य नहीं रहें।

13 हितधारक संबंध समिति

इस समिति का गठन एलओडीआर–2015 और कंपनी अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप किया गया है। यह कंपनी के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों पर विचार करती है और उनका समाधान करती है, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। समिति शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन और सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए उपायों और पहलों की भी समीक्षा करती है।

13.1 हितधारक संबंध समिति की संरचना

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार हितधारक संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
3.	श्री शैलेंद्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य

कंपनी सचिव हितधारक संबंध समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

13.2 हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय

हितधारक संबंध समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

क. सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों/डिबेंचर के हस्तांतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट की गैर–प्राप्ति, घोषित लाभांश/ब्याज की गैर–प्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना, सामान्य बैठकें से संबंधित शिकायतें आदि शामिल हैं।

ख. शेयरधारकों/डिबेंचर धारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

ग. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

घ. कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

ङ. कंपनी के डिबेंचर धारकों को ब्याज का समय पर भुगतान /वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

च. कंपनी के बांड/डिबेंचर का समय पर मोचन सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा।

छ. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) के प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

13.3 बैठक और उपस्थिति

एलओडीआर, 2015 के विनियमन 20(3क) के अनुसार, कंपनी को प्रतिवर्ष कम से कम एक बार हितधारक संबंध समिति की बैठक आयोजित करनी होती है। हालाँकि, एलओडीआर, 2015 के विनियमन 15(1क) के अनुसार, यह विनियमन अनुपालन–या–स्पष्टीकरण के आधार पर लागू होता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, समय–निर्धारित करने संबंधी समस्याओं और समिति के सदस्यों की अनुपलब्धता के कारण, हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

13.4 अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

निदेशक मंडल ने सेबी (एलओडीआर) के विनियम 6 के संदर्भ में सुश्री रश्मि शर्मा, कंपनी सचिव को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

13.5 केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली–स्कोर्स

कंपनी में सेबी की केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स का उपयोग किया जाता है। स्कोर्स के माध्यम से, बॉन्डधारक कंपनी के विरूद्ध अपनी शिकायत, समाधान हेतु दर्ज कर सकते हैं। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत की स्थिति ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। सेबी शिकायतों के पर्याप्त रूप से निवारण पर संतुष्ट होने पर शिकायतों का निपटान करता है।

13.6 निवेशक शिकायतें

निवेशक की शिकायतों के समाधान के लिए, हमारी कंपनी ने सेबी की वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली अर्थात् स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) में स्वयं को पंजीकृत किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को निवेशकों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

14. जोखिम प्रबंधन समिति

एलओडीआर–2015 के विनियम 21 के अनुसार, जोखिम प्रबंधन के तहत साइबर सुरक्षा सहित जोखिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देने फ्रेमवर्क बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा करनेय बोर्ड को मूल्यांकित जोखिम और जोखिम शमन हेतु आवश्यक कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है।

14.1 जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्यों का नाम	पद
1.	श्री भूपेंद्र गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), टीएचडीसीआईएल	अध्यक्ष
2.	श्रीमती सजल झा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामित निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य

कंपनी सचिव जोखिम प्रबंधन समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

14.2. बैठकें एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 01 बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक के विवरण उपस्थिति सहित निम्नानुसार है :–

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख 25.10.2023	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
श्री भूपेंद्र गुप्ता	✓	1	1	100%
श्री यू के भट्टाचार्य*	✓	1	1	100%
श्री जे. बेहरा**	✓	1	1	100%
श्रीमती सजल झा	✓	1	1	100%

* श्री यू. के. भट्टाचार्य 30.11.2023 से जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहें।

** श्री जे. बेहरा 29.02.2024 से जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहें।

14.3 जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:

i. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(क) विशेष रूप से सूचीबद्ध इकाई द्वारा सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाहरी जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, प्रचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या कोई अन्य जोखिम शामिल है, जैसा कि समिति द्वारा निर्धारित किया जाए।

(ख) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।

(ग) व्यवसाय निरंतरता योजना।

ii. यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उचित कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएं और प्रणालियां मौजूद हैं।

iii. जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना।

iv. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर कम से कम दो वर्ष में एक बार, समीक्षा करना, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है।

v. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाइयों की प्रकृति और सामग्री के बारे में सूचित रखना।

vi. मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें (यदि कोई हो) जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।

vii. किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज़ या प्रकटीकरण में जोखिम प्रकटीकरण विवरण की समीक्षा करना।

viii. कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कोई अन्य कार्य करना।

15. सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 135 की अपेक्षाओं और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर समिति बोर्ड द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों पर कार्रवाई करने के अलावा, सीएसआर नीति में निर्दिष्ट गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली राशि के साथ बोर्ड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार करती है और सिफारिश करती है। सीएसआर और सततता पर टीएचडीसीआईएल की नीति वेब लिंक https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_Policy2021.pdf पर देखी जा सकती है।

15.1 सीएसआर समिति की संरचना

कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार बोर्ड की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में तीन या अधिक निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा। 31 मार्च, 2024 तक, सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

क्रमांक	सदस्य का नाम	पद
1	श्री शैलेन्द्र सिंह, निदेशक (कार्मिक)	अध्यक्ष
2	श्री जयकुमार श्रीनिवासन, नामिती निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड	सदस्य
3	डॉ जयप्रकाश नाईक बी, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

15.2 बैठक और उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर समिति की तीन (3) बैठक आयोजित की गई। समिति की बैठक में उपस्थिति सहित बैठक का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	बैठक की तारीख			कार्यकाल के दौरान हुई कुल बैठकें	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया	उपस्थिति का %
	28.06.2023	21.09.2023	11.02.2024			
श्री शैलेन्द्र सिंह*	-	✓	✓	2	2	100%
श्री जयकुमार श्रीनिवासन**	-	-	✓	1	1	100%
श्री आर.के. विश्नोई***	✓	-	-	1	1	100%
डॉ जयप्रकाश नाइक बी.	✓	✓	✓	3	3	100%
श्री यू.के. भट्टाचार्य******	✓	✓	-	2	2	100%
श्री जितेश जॉन****	✓	✓	-	2	2	100%
श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला*****	✓	-	-	1	1	100%

*श्री शैलेन्द्र सिंह को 18.07.2023 से सीएसआर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
**श्री जयकुमार श्रीनिवासन को 10.02.2024 से सीएसआर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।
***श्री आर.के. विश्नोई 28.06.2023 से सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।
****श्री जितेश जॉन 30.11.2023 से सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।
*****श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला 11.07.2023 से सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।
******श्री यू.के. भट्टाचार्य 30.11.2023 से सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।

15.3 सीएसआर समिति के कार्य

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति कंपनी के सीएसआर और सततता कार्यक्रम/गतिविधियों के कार्यान्वयन तथा निगरानी पर नजर रखती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क. सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों तथा वार्षिक योजना/बजट पर विचार करना।

ख. आवधिक सीएसआर प्रगति रिपोर्ट/स्थिति रिपोर्ट पर विचार करना।

ग. सीएसआर गतिविधियों की मानीटरिंग करना।

घ. सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट पर विचार करना।

ङ. अन्य कोई कार्य जिसे आवश्यक समझा जाए।

16. वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

16.1 टीएचडीसीआईएल में एजीएम और उनसे ऊपर के अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
1.	लक्ष्मी प्रसाद जोशी	कार्यपालक निदेशक	टीसी/पीएसपी/एपीपी
2.	कुमार शरद	कार्यपालक निदेशक	परियोजना
3.	संदीप सिंघल	कार्यपालक निदेशक	तकनीकी
4.	शूरबीर सिंह पंवार	मुख्य महाप्रबंधक	आईटी
5.	वीर सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	मानव संसाधन एवं प्रशासन
6.	के. के. सिंघल	मुख्य महाप्रबंधक	एमपीएस
7.	वीरेन्द्र सिंह	मुख्य महाप्रबंधक	ओएमएस
8.	ए. के. घिल्डियाल	मुख्य महाप्रबंधक	कानून एवं मध्यस्थता
9.	आर. आर. सेमवाल	मुख्य महाप्रबंधक	ईएमडी
10.	अजय वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	परियोजना

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
11.	नीरज वर्मा	मुख्य महाप्रबंधक	एनसीआर कार्यालय
12.	अजय कुमार गोयल	मुख्य महाप्रबंधक / उप मुख्य सतर्कता अधिकारी	सतर्कता
13.	संजय अग्रवाल	महाप्रबंधक	पुनर्वास एवं भूसंपत्ति
14.	डी. मणि	महाप्रबंधक	तिरुवनंतपुरम
15.	प्रवीण सक्सैना	महाप्रबंधक	व्यवसाय विकास प्रकोष्ठ
16.	छेत्रपाल सिंह	महाप्रबंधक	एपीपी
17.	राजेश शर्मा	महाप्रबंधक	व्यावसायिक
18.	अनिरुद्ध बिश्नोई	महाप्रबंधक	पीएसपी और फ्लोटिंग सोलर
19.	संदीप कुमार	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड
20.	संजय गोयल	महाप्रबंधक	भूविज्ञान एवं भू–तकनीकी
21.	बी. पी. रायल	महाप्रबंधक	ढुकवां
22.	मनोज सरदाना	महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सौर
23.	राजीव गोविल	महाप्रबंधक	अमेलिया कोयला खदान
24.	अभिषेक गौड़	महाप्रबंधक	योजना
25.	एम. के. सिंह	महाप्रबंधक	मैकेनिकल / एचएम
26.	बी. के. गर्ग	महाप्रबंधक	कारपोरेट नियोजन
27.	एम. के. राय	महाप्रबंधक	प्रापण
28.	राजीव मोहन दुबे	महाप्रबंधक	इलेक्ट्रिकल
29.	अजय कुमार गर्ग	महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा–बजट
30.	अनूप राज गैरोला	महाप्रबंधक	पीएसपी
31.	विजय सहगल	महाप्रबंधक	कानून एवं आरसी
32.	आर सी बहुगुणा	महाप्रबंधक	कानून एवं मध्यस्थता
33.	अमरदीप	महाप्रबंधक	सामाजिक एवं पर्यावरण
34.	राय सिंह	महाप्रबंधक	ओएमएस
35.	बिनोद कुमार साहू	महाप्रबंधक	इलेक्ट्रिकल / ओ एंड एम
36.	एम के जैन	महाप्रबंधक	पाटन
37.	अमर नाथ त्रिपाठी	महाप्रबंधक	मानव संसाधन एवं प्रशासन
38.	प्रभात रंजन	महाप्रबंधक	सिविल
39.	महेश चंद रमोला	महाप्रबंधक	सेवाएं
40.	निर्मल कुमार भट्टाचार्य	महाप्रबंधक	सेवानिवृत्ति लाभ प्रकोष्ठ
41.	जगबीर सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	गुणवत्ता आश्वासन
42.	दीपक कुमार	अपर महाप्रबंधक	गुणवत्ता नियंत्रण

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
43.	जयेंद्र सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	लागत इंजीनियरिंग
44.	आर एस तोमर	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन एवं आईटी
45.	अंबिका प्रसाद व्यास	अपर महाप्रबंधक	टुस्को
46.	डॉ. (श्रीमती) नमिता डिमरी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मानव संसाधन एवं प्रशासन (अस्पताल)
47.	गजेंद्र सिंह	अपर महाप्रबंधक	गुणवत्ता नियंत्रण
48.	हरजीत सिंह भल्ला	अपर महाप्रबंधक	व्यावसायिक
49.	हर्ष कुमार जिंदल	अपर महाप्रबंधक	नई पीएसपी परियोजनाएं
50.	हरयंत कुमार त्यागी	अपर महाप्रबंधक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जयपुर सोलर पार्क
51.	मोहम्मद सुहेब	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस
52.	मुकेश कुमार वर्मा	अपर महाप्रबंधक	टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी
53.	उदय भान सिंह	अपर महाप्रबंधक	औद्योगिक इंजीनियरिंग / मानव संसाधन
54.	नीरज अग्रवाल	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन–सिविल
55.	कुँवर पाल सिंह	अपर महाप्रबंधक	टीबीएम
56.	आर के वर्मा	अपर महाप्रबंधक	व्यावसायिक
57.	संदीप चेकर	अपर महाप्रबंधक	एमपीएस
58.	नटराजन कृष्णा	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन–सिविल
59.	संजीव कुमार चौहान	अपर महाप्रबंधक	अनुसंधान एवं विकास
60.	अनंत स्वरूप वर्मा	अपर महाप्रबंधक	मुख्य अभिलेख कार्यालय
61.	जितेन्द्र सिंह बिष्ट	अपर महाप्रबंधक	यांत्रिकी
62.	विजय कुमार	अपर महाप्रबंधक	आर एंड आर / सीएचपी
63.	प्रेम सिंह रावत	अपर महाप्रबंधक	बांध
64.	संदीप भटनागर	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा
65.	ए वी नारायणन	अपर महाप्रबंधक	संविदा
66.	दिनेश शुक्ला	अपर महाप्रबंधक	एपीपी
67.	डॉ.(श्रीमती) नवनीत किरण	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन
68.	हरि नंद उनियाल	अपर महाप्रबंधक	आईटी
69.	ईश्वर दत्त तिग्गा	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन एवं प्रशासन
70.	संजय महार	अपर महाप्रबंधक	टुस्को झाँसी
71.	सतीश कुमार आर्य	अपर महाप्रबंधक	सतर्कता
72.	शैलेश ध्यानी	अपर महाप्रबंधक	यांत्रिकी
73.	यू डी डंगवाल	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन–सिविल
74.	ए के कंसल	अपर महाप्रबंधक	बांध एंड वि.गृ.

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
75.	ए पी बाजपेयी	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा –बजट
76.	अनिल कुमार बदोनी	अपर महाप्रबंधक	टुस्को लखनऊ
77.	अनिल त्यागी	अपर महाप्रबंधक	डब्ल्यूटीपी–सिविल / विविध बिल्डिंग पैकेज
78.	अतुल कुमार सिंह	अपर महाप्रबंधक	ओएमएस
79.	हिमांशु चक्रवर्ती	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा – बजट
80.	मनोज कुमार ग्रोवर	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा
81.	मुकेश वर्मा	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन
82.	नवीन कुमार गोयल	अपर महाप्रबंधक	आईटी
83.	राजेंद्र प्रसाद मिश्र	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी
84.	रवीन्द्र सिंह राणा	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम
85.	एस के शर्मा	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन विकास
86.	सुशांत कुमार साहू	अपर महाप्रबंधक	पीएसपी (ईएम एवं एचएम)
87.	विकास कुमार	अपर महाप्रबंधक	बांध एंड वि.गृ.

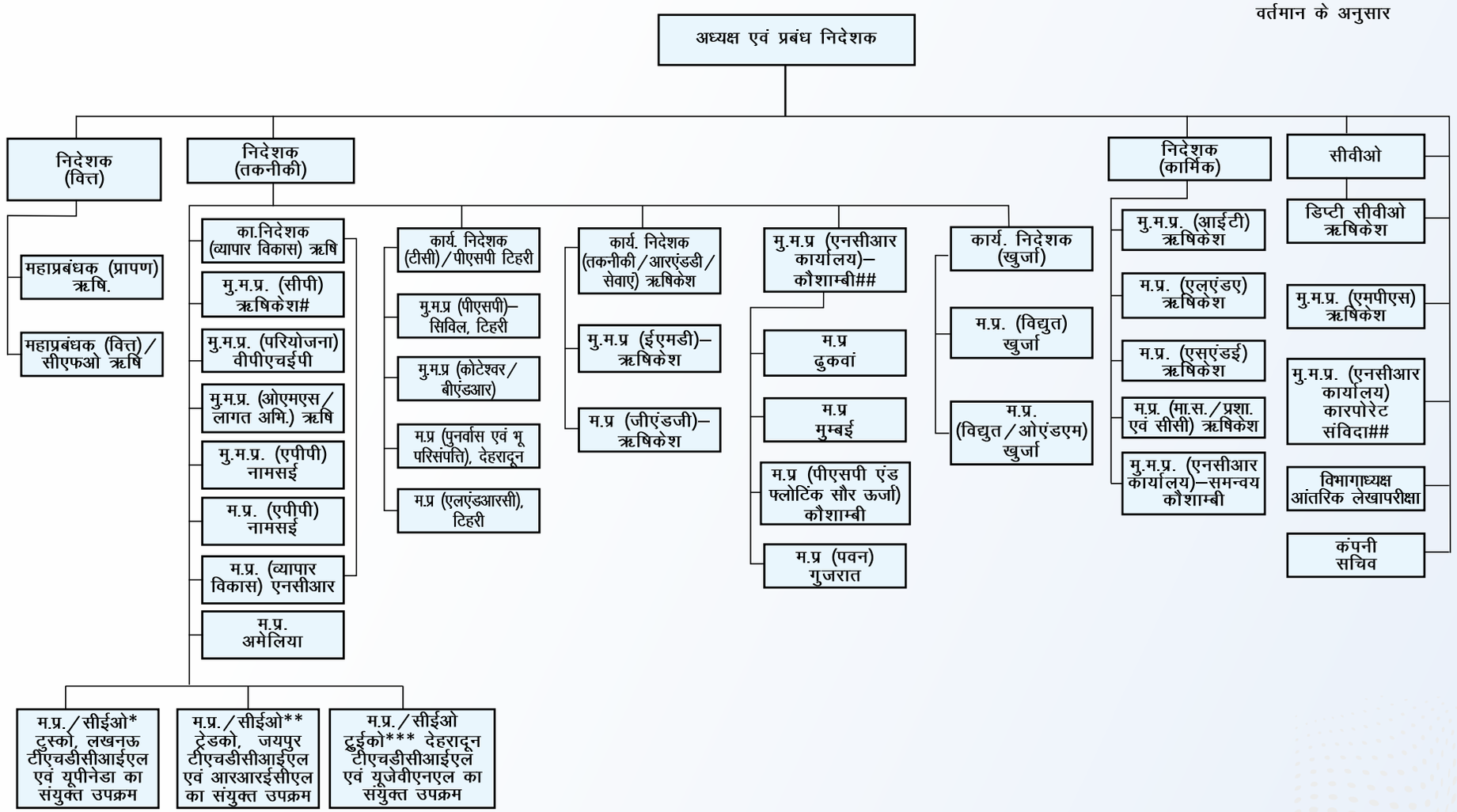
क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग
88.	के के श्रीवास्तव	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा
89.	दुर्गा प्रसाद पात्रो	अपर महाप्रबंधक	मानव संसाधन एवं प्रशासन
90.	अरुण कुमार	अपर महाप्रबंधक	इलेक्ट्रिकल
91.	बलबीर सिंह पुंडीर	अपर महाप्रबंधक	ओ एंड एम
92.	चट्टी प्रदीप राज	अपर महाप्रबंधक	ईएमडी
93.	डॉ रविशंकर कुमार श्रीवास्तव	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मानव संसाधन एवं प्रशासन (अस्पताल)
94.	मुकुल गर्ग	अपर महाप्रबंधक	डी(टी) सचिवालय
95.	नन्द किशोर भट्ट	अपर महाप्रबंधक	यांत्रिकी
96.	नितिन कुमार	अपर महाप्रबंधक	संविदा
97.	रामबाबू सिंह	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा –बजट
98.	एस जे जय कुमार	अपर महाप्रबंधक	डिज़ाइन–सिविल
99.	संजय कुमार	अपर महाप्रबंधक	वित्त एवं लेखा–लेखा



देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना

16.2 टीएचडीसीआईएल का संगठनात्मक चार्ट

वर्तमान के अनुसार



#.दो विभागों का प्रभार

##.तीन विभागों का प्रभार

17. आम निकाय की बैठकें

17.1 आम सभा की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों की तरीख, समय और स्थान के साथ–साथ इनमें पारित विशेष संकल्पों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वार्षिक आम बैठक	25 सितम्बर, 2023 को आयोजित 35वीं वार्षिक आम बैठक	20 सितम्बर, 2022 को आयोजित 34वीं वार्षिक आम बैठक	15 सितम्बर, 2021 को आयोजित 33वीं वार्षिक आम बैठक
समय	अपराह्न 2:40 बजे	अपराह्न 03:50 बजे	अपराह्न 03:00 बजे
स्थान	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल कार्यालय, नई दिल्ली – 110001	टीएचडीसीआईएल, एनसीआर कार्यालय, प्लॉट संख्या 20, सेक्टर–14, कौशाम्बी, गाजियाबाद – 201010 (उत्तर प्रदेश)
विशेष कार्य	• श्री शैलेंद्र सिंह को कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री भूपेन्द्र गुप्ता को कंपनी के निदेशक (तकनीकी) नियुक्त करने के लिए। • वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • निजी प्लेसमेंट आधार पर ₹3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बांड निर्गम को अनुमोदित करने के लिए। • कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि से अधिक बोर्ड की उधार लेने की शक्ति को अनुमोदित करने के लिए।	• डॉ. जयप्रकाश नाइक बी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्रीमती सजल झा को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला को कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए। • श्री अनिल गर्ग को कंपनी के अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • कंपनी में श्री जयकुमार श्रीनिवासन को एनटीपीसी लिमिटेड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए। • वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • उपयुक्त किश्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।	• वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की अभिपुष्टि करने के लिए। • निजी प्लेसमेंट के आधार पर ₹3000 करोड़ तक के कॉर्पोरेट बॉण्ड्स निर्गम को अनुमोदित करने के लिए।

17.2 पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित विशेष संकल्प

विगत वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था। पोस्टल बैलेट के माध्यम से किसी विशेष संकल्प को पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है।

18. प्रकटीकरण

18.1 सहायक कंपनियां

क. टुस्को लिमिटेड

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट यूएमआरईपीपी आवंटित किए हैं। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा की संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड को झांसी (600 मेगावाट), ललितपुर (600 मेगावाट) और चित्रकूट (800 मेगावाट) में तीन सौर विद्युत पार्कों को कार्यान्वित करने के लिए 12.09.2020 को पंजीकृत किया गया था। टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमशः 74:26 है।

एमएनआरई ने एमएनआरई योजना के तहत 600 मेगावाट झांसी सौर विद्युत पार्क और 600 मेगावाट ललितपुर सौर विद्युत पार्क, दोनों के लिए दिनांक 13.02.2020 को और 800 मेगावाट चित्रकूट सौर विद्युत पार्क के लिए दिनांक 18.08.2021 को सैद्धांतिक मंजूरी दी।

(1) झांसी में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क :

झांसी सौर पार्क की आधारशिला 19 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। झांसी सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2600.11 एकड़ (96 प्रतिषत) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली गई/अधिग्रहित की गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिनांक 20.06.2022 को झांसी सौर विद्युत पार्क के विकास के लिए ₹429.92 करोड़ की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। झांसी सौर पार्क का विकास दिसंबर 2025 तक होने का अनुमान है।

(2) ललितपुर में 600 मेगावाट सौर विद्युत पार्क :

600 मेगावाट की ललितपुर सौर परियोजना के लिए कुल 2700 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2341.14 एकड़ (87 प्रतिशत) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली गई/अधिग्रहित की जा चुकी है। ₹449.23 करोड़ की लागत से ललितपुर सौर विद्युत पार्क की डीपीआर को दिनांक

04.12.2023 को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। ललितपुर सौर पार्क का विकास दिसंबर 2025 तक होने की उम्मीद है।

(3) चित्रकूट में 800 मेगावाट सौर विद्युत पार्क :

चित्रकूट सौर पार्क की आधारशिला 18 दिसंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। 800 मेगावाट चित्रकूट सोलर परियोजना के लिए कुल 3400 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 3153.09 एकड़ (~93%) भूमि टुस्को द्वारा पट्टे पर ली गई है/अधिग्रहित की गई है। चित्रकूट सौर विद्युत पार्क की डीपीआर तैयार कर एमएनआरई/एसईसीआई को सौंप दी गई है। चित्रकूट सौर पार्क का विकास दिसंबर 2025 तक होने की उम्मीद है।

ख. ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी है, जिसे राजस्थान में (यूएमआरईपी) योजना के तहत 10,000 मेगावाट का सौर पार्क विकसित करने के उद्देश्य से टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल के बीच दिनांक 25.03.2023 को निगमित किया गया है। टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीआईएल के बीच इक्विटी भागीदारी क्रमशः 74:26 है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड (पचास करोड) है और संयुक्त उद्यम कंपनी की संदत्त पूंजी ₹5 करोड (पांच करोड) है। 2000 मेगावाट के सौर पार्क के विकास के लिए 1000 एकड (4000 हेक्टेयर) सरकारी भूमि के आवंटन का प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी की प्रक्रिया में है और आदर्श आचार संहिता के पूरा होने के बाद अपेक्षित है।

ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को एमएनआरई की मोड–8 योजना के तहत 1292 मेगावाट सौर विद्युत पार्क की स्थापना के लिए दिनांक 01.02.2024 को एमएनआरई की सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हो गई है। सौर पार्क के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस पार्क को जनवरी 2026 तक विकसित किए जाने का लक्ष्य है।

ग. टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड

टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और यूजेवीएन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका गठन उत्तराखंड राज्य में अभिचिन्हित स्थलों पर हाइड्रो पावर परियोजनाओं की संकल्पना, संरचना, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के लिए 1 दिसंबर 2023 को किया गया था।

(क) संयुक्त उद्यम कंपनी की शेयरधारिता क्रमशः 74:26 के अनुपात में टीएचडीसीआईएल और यूजेवीएन लिमिटेड के पास है। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹50 करोड़ (पचास करोड़) है और जेवीसी की संदत्त पूंजी ₹10 करोड (दस करोड़) है। उत्तराखंड राज्य में परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड और उत्तराखंड सरकार के बीच दिनांक 05.12.2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्तरकाशी में मोरी हनोल जल विद्युत परियोजना (63 मेगावाट) के लिए ईआईए/ईएमपी अध्ययन और डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। डीपीआर का कार्य अक्टूबर 2024 तक पूरा होना निर्धारित है।

18.2 सचिवीय लेखापरीक्षा

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कार्यरत कंपनी सचिव, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा की है और कंपनी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शेयरधारकों की जानकारी के लिए इस वार्षिक रिपोर्ट में सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

18.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वर्ष 2022–23 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांचाधीन	मामलों की संख्या वर्ष 2023–24 के दौरान दर्ज	मामलों की संख्या वर्ष 2023–24 के दौरान निपटाए गए	मामलों की संख्या वर्ष 2023–24 के अंत तक प्रक्रियाधीन/जांचाधीन मामलों की संख्या
0	1	0	1

18.4 सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीति :

कंपनी में निदेशकों और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद जालसाजी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के उल्लंघन, जो कंपनी के व्यवसाय या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं, की जानकारी देने में सक्षम बनाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति है। नीति में निर्दिष्ट रीति में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दायर की जा सकती है। यह कर्मचारियों को उत्पीड़न से सुरक्षोपाय देता है जो इस तंत्र का लाभ उठाकर अध्यक्ष या लेखा परीक्षा समिति तक भी सीधे शिकायत कर सकते हैं। नीति में धोखाधड़ी को रोकने के लिए तंत्र भी शामिल है।

- इसमें सद्भावपूर्वक सचेत करने वाले कर्मचारियों की उत्पीड़न से रक्षा करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है।
- जानबूझकर झूठा आरोप लगाने वाले कर्मचारी पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
- यह नीति कंपनी के नैतिक एवं कानूनी व्यवसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुगम बनाती है।

- कंपनी में अनैतिक/अनुचितआचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुगम बनाती है। /अनुचित आचरण के मामलों की रिपोर्ट करने और उसकी जांच करने और उसे ठीक करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए एक परिभाषित और स्थापित व्हिसल ब्लोअर नीति (सतर्क तंत्र) है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट https://thdc-co-in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicyNew-pdf पर उपलब्ध है। इस नीति के उपबंध, कंपनी अधिनियम की धारा 177(9) और एलओडीआर–2015 के विनियम 22 के उपबंधों के अनुरूप हैं।

  वर्ष 2023–24 के दौरान व्हिसल ब्लोअर नीति के तहत कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

18.5 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 एवं कॉर्पोरेट सुशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशः

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए कॉर्पोरेट सुशासन पर जारी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। विगत 3 वित्तीय वर्षों और इस वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, राष्ट्रपति द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी पर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या बोर्ड या किसी सांवधिक प्राधिकरण द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया या निंदा नहीं की गई।

18.6 लेखांकन व्यवहार

प्रबंधन के दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए सभी लागू लेखांकन मानकों का अनुसरण किया जा रहा है।

18.7 संबंधित पक्षकार के साथ लेन–देनः

कंपनी ने संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है जिसमें संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन के महत्व निर्धारित करने और संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन करने के मानदंड शामिल हैं। आरपीटी नीति वेब लिंक : https://thdc-co-in/sites/default/files/Policy_10Jun22-pdf पर उपलब्ध है। संबंधित पक्षकार के साथ लेनदेन का विवरण बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में एओसी–2 के रूप में दिया गया है।

18.8 मूर्त अनुषंगी

कंपनी की एलओडीआर–2015 के विनियम 16(1)(ग) के तहत यथापरिभाषित कोई 'मूर्त अनुषंगी' नहीं थी।

18.9 जोखिम प्रबंधन

एलओडीआर, 2015 के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल द्वारा एक 'जोखिम प्रबंधन नीति' विकसित किया जाना अपेक्षित है। इसके लिए, महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को 'मुख्य जोखिम अधिकारी' के रूप में नामोदिष्ट किया गया है, जो नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। 'जोखिम प्रबंधन नीति' का एक मसौदा तैयार किया गया है जो जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए विचाराधीन है।

19. रिकार्ड प्रबंधन प्रणाली

टीएचडीसीआईएल ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रिकार्ड प्रबंधन मैनुअल अंगीकार किया है। कंपनी के अभिलेख प्रबंधन की देखरेख के लिए मुख्य अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ ऋषिकेश में एक अलग अभिलेख कार्यालय बनाया गया है।

20. संचार के माध्यम

कंपनी शेयरधारकों/निवेशकों और संचार के अधिकारों को समग्र कॉर्पोरेट सुशासन ढांचे के प्रमुख तत्वों के रूप में स्वीकार करती है और इसलिए शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के साथ निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार पर जोर देती है। कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठक और अपनी वेबसाइट पर और स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से प्रकटीकरण के जरिए संवाद करती है। कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी किया जाता है, जिसे सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित किया जाता है। कंपनी के संबंध में निवेशक से संबंधित जानकारी, घोषणाएं और नवीनतम अपडेट कंपनी की वेबसाइट www.thdc.co.in पर देखे जा सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्टॉक एक्सचेंजों में समय–समय पर किए गए कॉर्पोरेट प्रकटीकरण
- वित्तीय परिणाम
- बांडधारक जानकारी
- तिमाही कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट

कंपनी के तिमाही वित्तीय परिणामों के सार स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाते हैं और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में

प्रकाशित किए जाते हैं। कंपनी समय–समय पर महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट विकास पर प्रेस विज्ञप्तियां और कॉर्पोरेट प्रस्तुतियां भी देती है और इसे इसकी वेबसाइट www.thdc.co.in पर भी प्रदर्शित किया जाता है। वर्ष 2023–24 के दौरान, तिमाही परिणामों को निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है :

तिमाही	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र
I	13 अगस्त 2023	दि इंडियन एक्सप्रेस
II	11 नवंबर 2023	दि इंडियन एक्सप्रेस
III	30 जनवरी 2023	दि इंडियन एक्सप्रेस
IV	18 मई 2024	दि इंडियन एक्सप्रेस

21. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

हमारी कंपनी सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते कंपनी अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में आती है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है जो लेखापरीक्षकों द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की रीति–नीति के बारे में उन्हें निदेश देते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त है। कंपनी की लेखा परीक्षित रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

22. कॉर्पोरेट आचार नीति

हमारी कंपनी के निदेशक मण्डल ने कॉर्पोरेट अच्छे सुशासन पहल के भाग के रूप में कॉर्पोरेट आचार नीति को अंगीकृत किया है। आचार नीति का प्रयोजन कंपनी के कर्मचारियों को अपने सरकारी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उच्चतम व्यावसायिक नैतिकता, अच्छे सुशासन, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के मानकों का पालन करने के लिए मार्गनिर्देश प्रदान करना है।

23. निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी कार्य व्यवहार के उच्चतम नैतिक मूल्यों के अनुसार व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों का अनुपालन कर रही है। कंपनी में बोर्ड सदस्यों जिसमें सरकार द्वारा नामित सदस्य सहित स्वतंत्र निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन के कार्मिक शामिल हैं, के मामलों के प्रबंधन की प्रक्रिया में नैतिकता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के मद्देनजर निदेशकों एवं इसके वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों (संहिता) के लिए आचार संहिता लागू है। निदेशक मंडल ने कंपनी के मामलों को संचालित करने में पारदर्शिता की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, कंपनी के मिशन और लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों तथा प्रबंधन से जुड़े वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग के लिए एक पृथक आचार संहिता तथा नीति निर्धारित की है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के अपर महाप्रबंधक स्तर तक के वरिष्ठ प्रबंधन से व्यापारिक आचार संहिता और नैतिकता वार्षिक पुष्टि मांगी जाती है। बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन अर्थात प्रमुख कार्यपालकों ने समीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है।

डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.4.2 के तहत यथापेक्षित घोषणा

'बोर्ड के सभी सदस्यों ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि कर दी है'।

(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

24. कॉर्पोरेट सुशासन प्रमाण पत्र

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी कॉर्पोरेट सुशासन अनुपालन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

25. सीईओ / सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि एलओडीआर–2015 के विनियम 17(8) के तहत अपेक्षित है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट सुशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

26. निवेशकों के लिए सूचना

26.1 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

कंपनी के कॉर्पोरेट बांड निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है:

बीएसई लिमिटेड	एनएसई लिमिटेड	
पता: फिरोज जीजीभाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	**पता:** एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी / 1, जी ब्लॉक, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051	
क्रेडिट रेटिंग		
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**I**	INE812V07013	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला– **II**	INE812V07021	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **आईसीआरए**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**III**	INE812V07039	**आईसीआरए**–एए (स्टेबल) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**IV**	INE812V07047	**आईसीआरए**–एए (स्टेबल) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**V**	INE812V07054	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**VI**	INE812V07062	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला– **VII** (अप्रतिभूत)	INE812V08011	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला–**VIII** (अप्रतिभूत)	INE812V08029	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)
कॉर्पोरेट बांड श्रृंखला – **IX** (अप्रतिभूत)	INE812V08037	**इंडिया रेटिंग**–एए (पॉजिटिव) **सीएआरई**–एए (स्टेबल)

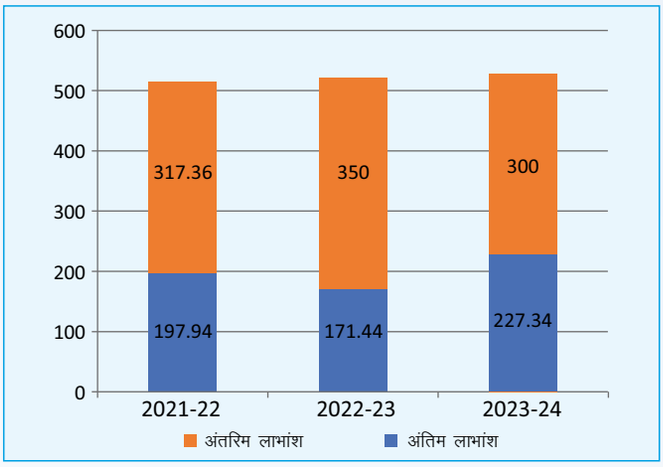
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड को नियत तारीख से पहले कर दिया गया है।

1. **रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर ऐजेंट्स**
   केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
   सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32
   गचीबॉवली, फाइनेंनसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
   हैदराबाद, तेलंगाना, भारत–500 032
   दूरभाष: 040–79611000
   फैक्स: 040–23001153
   ई–मेल: Srinivas.sudheer@kfintech.com

2. **डिबेंचर ट्रस्टी**
   विस्त्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
   छठा तल, दि आईएल एंड एफएस फाइनेंसियल सेंटर,
   प्लॉट सी–22, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
   बांद्रा ईस्ट मुम्बई–400051
   दूरभाष : +91–22–26593644
   फैक्स: +91–22–26533297
   ई–मेल: Sanjay.dodti@vistra.com

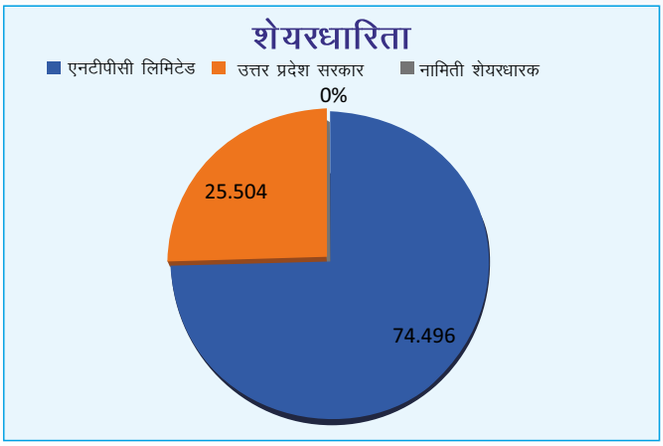
27. लाभांश का भुगतान

लाभांश का वर्ष	भुगतान किए गए लाभांश की कुल राशि (₹ करोड़ में)	वार्षिक आम बैठक की तारीख, जिसमें लाभांश घोषित किया गया
2021-22	317.36	अंतरिम लाभांश 14 फरवरी, 2022
2021-22	197.94	अंतिम लाभांश 20 सितम्बर, 2022
2022-23	350.00	अतरिम लाभांश 11 फरवरी 2023
2022-23	171.44	अंतिम लाभांश 25 सितम्बर 2023
2023-24	300.00	अंतरिम लाभांश 31 मार्च 2024
2023-24	227.34	वित्तीय लाभांश 27 सितंबर 2024



28. शेयरधारिता पैटर्न

क्र. सं.	श्रेणी	कुल शेयर	इक्विटी का %
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	27309406	74.496
2.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	9349401	25.504
3.	अन्य नामिती शेयरधारक	10	-
कुल		36658817	100



29. निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या

क्र. सं.	निदेशक (31.03.2024 तक)	शेयरों की संख्या
1	श्री राजीव कुमार विश्नोई	शून्य
2	श्री शैलेंद्र सिंह कौशल	शून्य
3	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	शून्य
4	श्री अजय तिवारी	शून्य
5	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	शून्य
6	श्री अनिल गर्ग	02
7	श्रीमती सजल झा	शून्य
8	डॉ. जयप्रकाश नाईक बी.	शून्य

30. टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों की अवस्थिति

प्रचालन परियोजनाएं:

I. टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट): जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

ii. कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट): जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

iii. ढुकवां एसएचपी (24 मेगावाट) जिलाः झांसी, उत्तर प्रदेश

iv. पाटन पवन ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट) जिलाः पाटन, गुजरात

v. द्वारका पवन ऊर्जा संयंत्र (63 मेगावाट) जिलारू देवभूमि द्वारका, गुजरात

vi. कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र (50 मेगावाट) जिलाः कासरगोड, केरल

vii. अमेलिया कोयला खदान (पीआरसीः 5.6 एमटीपीए), जिलाः सिंगरौली, मध्य प्रदेश

निर्माणाधीन परियोजनाएँ

I. टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), जिलाः टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

ii. खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट), जिलाः बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश

iii. विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी (वीपीएचईपी) (444 मेगावाट), जिलाः चमोली, उत्तराखंड

31. पत्राचार के लिए पता

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाईपास रोड,

ऋषिकेश–249201

उत्तराखंड

पत्राचार के लिए फोन नं. तथा ई–मेल संदर्भ नीचे दिए गए हैं :

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	
नाम	सुश्री रश्मि शर्मा कंपनी सचिव गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाईपास रोड ऋषिकेश 249201, उत्तराखंड कार्यालय से संपर्क करने के लिए
टेलीफोन नं.	0135–2473403 और 2439309
ई–मेल	rashmi@thdc.co.in
लोक शिकायतों के लिए	
नाम	श्री नीरज वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी, एनसीआर) / निदेशक, लोक शिकायत, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड प्लॉट नंबर 20, सेक्टर–14, कौशांबी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)–201010
संपर्क	0120–2776438 / 9411188111
ई–मेल	neerajverma@thdc.co.in

निदेशकों का कौशल/क्षमता मैट्रिक्स– अनुलग्नक–I

क्रमांक	निदेशकों के नाम	पद	तकनीकी	ऊर्जा विद्युत क्षेत्र	वित्तीय लेखांकन	अर्थशास्त्र	मानव संसाधन प्रबंधन	विनियामक ढांचा और विधि	प्रबंधन	पर्यावरण	शैक्षणिक	अनुसंधान और विकास
1.	श्री राजीव कुमार विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	☑	☑					☑			
2.	श्री शैलेंद्र सिंह कौशल	निदेशक (कार्मिक)		☑			☑		☑			
3.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	☑	☑					☑			
4.	श्री अजय तिवारी	उत्तर प्रदेश सरकार के नामित निदेशक	☑	☑	☑							
5.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	एनटीपीसी नामित निदेशक		☑	☑				☑			
6.	श्री अनिल गर्ग	नामित निदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार	☑	☑								
7.	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक						☑				
8.	डॉ जयप्रकाश नाईक बी.	स्वतंत्र निदेशक								☑	☑	☑

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

क) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा के आधार पर और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर:

1. इन कथनों में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है या ऐसे कथन शामिल नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं, तथा
2. ये विवरण एक साथ कंपनी के व्यवसाय का एक सत्य और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख) हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं हुआ है, जो कंपनी आचार संहिता के संदर्भ में धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या उल्लंघनात्मक हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और इन्हें बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में हमारे संज्ञान में आई कमियों, यदि कोई हो, और इन कमियों को दूर करने के लिए हमारे द्वारा उठाए गए या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदमों का प्रकटन किया है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के बारे में सूचित किया है:

i. 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर आंतरिक नियंत्रण में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन।
ii. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में इसका प्रकटन किया गया है; तथा
iii. हमारे संज्ञान में आई महत्वपूर्ण धोखाधडी के मामले, तथा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलग्नता, यदि कोई हो।

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(राजीव कुमार विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26.09.2024
स्थानः ऋषिकेश

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट सुशासन का प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी–249001

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ('कंपनी') सीआईएन–U45203UR1988GOI009822 एक सरकारी कंपनी है। कंपनी की इक्विटी 74.496% की सीमा तक एनटीपीसी लिमिटेड के पास और 25.504% की सीमा तक उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। इसलिए, कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। कंपनी एक ऋण–सूचीबद्ध कंपनी है।

मैंने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मई, 2010 में जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच कर ली है।

1. कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अंगीकार की गई प्रक्रिया विधियों तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में न तो लेखापरीक्षा है और न ही राय की अभिव्यक्ति है।

2. मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने, निम्नलिखित को छोडकर सामान्यतः कॉर्पोरेट सुशासन की शर्तों का पालन कियाः

क) कंपनी के बोर्ड में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक, नामिती और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड की संरचना निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	निदेशक	30 जून, 2023 की स्थिति के अनुसार	30 सितम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 दिसम्बर, 2023 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार
1	पूर्ण कालिक निदेशक	4	4	4	3
2	नामिती निदेशक	4	4	2	3
3	स्वतंत्र निदेशक	3	2	2	2

कंपनी के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति की शक्तियाँ भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के पास निहित हैं।

3. मेरा आगे यह भी कथन है कि इस प्रकार का अनुपालन, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में और न ही वह कार्यकुशलता या कारगरता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संपन्न किया है।

ह0/–
(पी.एस.आर. मूर्ति)
पीआर संख्या 1134/2021
यूडीआईएन A005880F000929737

स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 08 अगस्त, 2024

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन के रूप में, टीएचडीसीआईएल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग ('डीपीई') के दिशानिर्देश स्थापित होने से पहले ही वर्ष 2008 में अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('सीएसआर') प्रयासों की शुरुआत की थी। प्रारंभ में, स्वेटर वितरित करना और टिहरी परियोजना से प्रभावित गांवों में बर्तन, कुर्सियाँ और तंबू जैसी सामुदायिक उपयोगी वस्तुएँ प्रदान करना जैसी परोपकारी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

समय के साथ, टीएचडीसीआईएल की सीएसआर पहल अनुभव और विकसित सीएसआर दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित एक अधिक संरचित कार्यक्रम में विकसित हुई। धर्मार्थ गतिविधियों से स्थायी आजीविका परियोजनाओं की ओर संक्रमण का उद्देश्य गाँव के लिए दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता को बढावा देना है।

आज, टीएचडीसीआईएल के पास अपने सीएसआर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए एक व्यापक प्रणाली मौजूद है। कंपनी समग्र विकास दृष्टिकोण अपनाती है, खंडों में समाधानों के बजाय दीर्घकालिक कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थितिक बहाली और ग्रामीण समुदायों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

टीएचडीसीआईएल के सभी सीएसआर हस्तक्षेप तीन प्रमुख क्षेत्रों: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास पर केंद्रित होते हैं, जिसका लक्ष्य लक्षित समुदायों के जीवन में स्थायी परिवर्तन लाना है।

अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करके और अनुभव से सीखकर, टीएचडीसीआईएल उन समुदायों के जीवन में सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाने के लिए समर्पित है जिनकी वह सेवा करता है। अपने व्यापक और सतत सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठन कॉर्पोरेट जिम्मेदारी और सामुदायिक विकास की सच्ची भावना का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

क. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

टीएचडीसी की अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय/डीपीई द्वारा जारी सीएसआर नियम और दिशानिर्देश के अनुपालन में है।

06 अप्रैल, 2024 को आयोजित 232वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और 12 जून, 2023 से लागू हुई सीएसआर नीति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल का लक्ष्य, पारदर्शी संचार और समावेशी सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय को बेहतर बनाना और वंचितों की जरूरतों को संबोधित करना है। हम आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में स्थायी रूप से काम करने, सद्भावना और सकारात्मक कॉर्पोरेट छवि बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

I. संस्थागत तंत्र

सीएसआर नीति के अनुसार, टीएचडीसीआईएल में दो स्तरीय संस्थागत तंत्र है: एक बोर्ड–स्तरीय सीएसआर समिति, जिसमें कार्यात्मक निदेशक शामिल होते हैं, और एक बोर्ड से नीचे के स्तर की समिति जिसमें कंपनी के कार्यात्मक प्रमुख शामिल होते हैं।

(क) बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुपालन में बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति ('सीएसआर समिति') निदेशक (कार्मिक) की अध्यक्षता में कार्यशील है।

समिति के अन्य सदस्य एनटीपीसी के नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक होते हैं। इस समिति के सचिव कंपनी सचिव होते हैं। सीएसआर समिति, कंपनी अधिनियम 2013 और भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के दिशानिर्देशों द्वारा परिभाषित भूमिका एवं दायित्वों के अनुसार कार्य करती है और सीएसआर के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और संबंधित मुद्दों की चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें करती हैं।

सीएसआर समिति ने एक वार्षिक कार्य योजना भी विकसित की है और इसका पर्यवेक्षण करती है जिसमें अनुमोदित परियोजनाओं, निष्पादन विधियों, निधियों के उपयोग और प्रभाव आकलन का विवरण दिया जाता है, सीएसआर पहलों को मार्गदर्शन और समायोजित करने के लिए आवश्यकतानुसार बैठकें की जाती हैं।

(ख) बोर्ड के नीचे के स्तर की समिति

कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है और वह बोर्ड स्तर से नीचे की समिति ('बीबीएलसी') के प्रमुख है। नोडल अधिकारी बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति में स्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी कार्य करता है और समन्वय के लिए अधिकारियों की एक टीम द्वारा इनकी सहायता की जाती है। बीबीएलसी के अन्य सदस्य कंपनी के अन्य कार्यात्मक विभागों से हैं। सीएसआर, सतत विकास और अन्य क्षेत्रों के बाहरी स्वतंत्र विशेषज्ञ भी बीबीएलसी के सदस्य हैं। बीबीएलसी की जिम्मेदारियों में सीएसआर कार्यक्रमों का प्रस्ताव देना, बजट बनाना, कार्यान्वयन और निगरानी करना, आवश्यकता आकलन करना, प्रभाव मूल्यांकन करना और सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड समीक्षा के लिए नियमित प्रगति और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

II. योजना

(क) संसाधन

पिछले अंतिम तीन वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित किए गए औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% इसके सीएसआर नीति के अनुपालन में व्यय किया जाता है। बजट एवं वार्षिक सीएसआर योजना, सीएसआर समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है।

(ख) सीएसआर कार्यक्रम का चयन

सीएसआर कार्यक्रम का चयन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों सी संबंधित है। टीएचडीसीआईएल सीएसआर पहलों का शीर्षक ''टीएचडीसी सहृदय'' (मानव हृदय के साथ कॉर्पोरेट) है।

टीएचडीसीआईएल एक से तीन वर्षों के भीतर परिणामों के लिए स्पष्ट योजना, बजट और समयसीमा के साथ परियोजना–आधारित सीएसआर पहल को अपनाता है। सीएसआर नियमों के अनुसार अलग–अलग रिपोर्टिंग के साथ, अन्य कंपनियों या सीपीएसई के साथ सहयोग से प्रभाव बढ सकता है। सीएसआर कार्यक्रम कंपनी की नीतियों के साथ निकटता से संरेखित होते हैं, प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए इन–हाउस विशेषज्ञता का लाभ उठाते हैं। निरंतर हितधारक सहभागिता, सीएसआर समिति द्वारा निर्देशित सीएसआर गतिविधियों को संसूचित करती है।

मुख्य क्षेत्र जहां टीएचडीसीआईएल, सीएसआर कार्यक्रम द्वारा उद्देश्य पूरा करना चाहती है उनके शीर्षक निम्नलिखित हैं:

- टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पेय जल परियोजनाएं
- टीएचडीसी जागृति (बेहतर भविष्य के लिए पहलें) –शिक्षा पहलें
- टीएचडीसी दक्ष (कौशल) – जीविका सृजन एवं कौशल विकास पहलें
- टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास
- टीएचडीसी समर्थ (सशक्तीकरण) – सशक्तीकरण करने वाली पहलें
- टीएचडीसी सक्षम (सक्षम) – वृद्ध एवं विकलांगों की देखभाल
- टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण संरक्षण पहलें
- टीएचडीसी विरासत (संस्कृति) – कला एवं संस्कृति संरक्षण एवं संवर्धन पहलें
- टीएचडीसी क्रीडा (खेल–कूद) – खेल–कूद संवर्धन पहलें

(ग) स्थान एवं लाभार्थियों का चयन

स्थानीय क्षेत्र को सीएसआर परियोजना कार्यक्रमों के लिए वरीयता दी जाती है। सीएसआर नीति में स्थानीय क्षेत्र को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

क्रम सं.	श्रेणी	स्थानीय क्षेत्र
क.	प्रतिष्ठान और कार्यालय	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ख.	हाइड्रो परियोजनाएं	परियोजना के अवयवों से संबंधित सभी विकास खंड
ग.	ताप परियोजनाएं	50 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
घ.	पवन / सौर परियोजनाएं	10 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र
ङ.	पुनःस्थापित / पुनर्वास स्थल	ऐसी साइटों की भौगोलिक सीमाएं
च.	कोयला खदान	सहायक निर्माणों सहित कोयला खदानों /साइटों से जुडे सभी विकास खंड

III. कार्यान्वयन

सीएसआर कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः सेवा–टीएचडीसी एवं टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से किया जाता है जो कंपनी द्वारा प्रायोजित/स्थापित पंजीकृत सोसाइटियां है।

(क) सेवा–टीएचडीसी: टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने कंपनी के सीएसआर और सतत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सोसाइटी पंजीकरण, 1860 के अंतर्गत कंपनी प्रयोजित गैर सरकारी संगठन ''सेवा–टीएचडीसी'' की स्थापना की है। सोसाइटी के लक्ष्य और उद्देश्य परोपकार करना और लाभ न कमाना है।

(ख) टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी (टीईएस): टीएचडीसी ने शिक्षा प्रबंधन बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1992 से टिहरी जिले में परियोजना से प्रभावित लोगों तथा आस–पास के वंचित और सुविधा वंचित समाज के बच्चों को शिक्षा देना शुरु किया। वर्ष 2010 में इसका नामकरण टीएचडीसी एजूकेशन सोसाइटी के रूप में किया है। वर्तमान में सोसाइटी दो स्कूल चला रही है– एक स्कूल भागीरथीपुरम टिहरी में जहां कक्षा–6 से कक्षा–12 तक शिक्षा दी जाती है और दूसरा स्कूल

प्रगतिपुरम, ऋषिकेश में है जहां कक्षा 01 से कक्षा 10 तक शिक्षा दी जाती है।

IV. निगरानी :

सीएसआर कार्यक्रमों की पारदर्शिता एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा निम्नलिखित दर्शित माध्यमों का उपयोग करके एक मजबूत निगरानी तंत्र की स्थापना की गई है।

i. मासिक प्रगति रिपोर्ट
ii. तिमाही प्रगति रिपोर्ट
iii. वीडियो कांफ्रेंसिंग
iv. स्थल भ्रमण
v. फोटोग्राफी, फिल्म तथा वीडियो सहित प्रलेखी साक्ष्य
vi. आंतरिक निगरानी तंत्र, जैसा कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है।

विशेष रूप से, वार्षिक योजना और सीएसआर बजट की समीक्षा के लिए त्रैमासिक रिपोर्ट सीएसआर समिति को प्रस्तुत की जाती है।

V. रिपोर्टिंग

वार्षिक रिपोर्ट में सीएसआर रिपोर्ट शामिल होती है जिसमें अधिनियम/नीति में यथा विनिर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं और उक्त को कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

सीएसआर संचार कार्यनीतिः सीएसआर गतिविधियों के चयन और कार्यान्वयन के संबंध में हितधारकों के साथ नियमित संवाद और संप्रेषण के लिए टीएचडीसीआईएल में बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर संचार कार्यनीति है।

vi. प्रभाव आकलन

सीएसआर नीति के अनुसार, एक करोड रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी पूर्ण सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन, एक वर्ष के भीतर, एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से किया गया है। प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष रखा गया है और सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

vii. सामान्य प्रावधान

टीएचडीसीआईएल सभी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, सीएसआर नियमों और संबंधित संशोधनों के अनुसार निष्पादित करता है। नए सीएसआर कार्यक्रम आम तौर पर वार्षिक योजना में शामिल कार्यक्रमों के अलावा, बोर्ड की मंजूरी से शुरू किए जाते हैं। सीएसआर गतिविधियों से प्राप्त अधिशेष को वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर परियोजनाओं में पुनर्निवेशित किया जाता है या अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किया जाता है। सीएसआर गतिविधियाँ जो केवल कर्मचारियों और उनके परिवारों को लाभ पहुँचाती हैं, या खेल कर्मियों के लिए पूरी तरह से भारत के बाहर आयोजित की जाती हैं, अपवाद हैं। कार्यान्वयन एजेंसियां प्रत्येक सीएसआर परियोजना के लिए हमेशा टीएचडीसीआईएल की नैतिकता और व्हिसल ब्लोअर नीतियों का पालन करती हैं।

1. आज की तारीख के अनुसार सीएसआर समिति की संरचनाः

क्र सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
1.	श्री आर. के. विश्नोई#	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01	01
2.	श्री भूपेन्द्र गुप्ता*	निदेशक (तकनीकी)	0	00
3.	श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला##	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	01	01
4.	श्री शैलेन्द्र सिंह**	अध्यक्ष/निदेशक (कार्मिक)	01	02
5.	श्री जितेश जॉन***	सदस्य/नामित निदेशक, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	02	02
6.	श्री यू. के. भट्टाचार्य***	सदस्य/नामित निदेशक, एनटीपीसी	02	02
7.	श्री जयकुमार श्रीनिवासन****	सदस्य/नामित निदेशक, एनटीपीसी	02	01
8.	डॉ जय प्रकाश नाईक बी	सदस्य/स्वतंत्र निदेशक	03	03

* दिनांक 18.07.2023 को सीएसआर समिति के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, श्री भूपेंद्र गुप्ता सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे और तब तक केवल एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी नियुक्ति से पहले विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग लिया था।

दिनांक 18.07.2023 को सीएसआर समिति के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, श्री केसरीदेवसिंह डी. झाला सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।

** दिनांक 18.07.2023 को श्री शैलेंद्र सिंह को सीएसआर समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

***दिनांक 11.02.2024 को सीएसआर समिति के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, श्री यू. के. भट्टाचार्य और श्री जीतेश जॉन सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहे।

**** दिनांक 11.02.2024 को श्री जयकुमार श्रीनिवासन को सीएसआर समिति में शामिल किया गया।

#दिनांक 18.07.2023 को सीएसआर समिति के पुनर्गठन के फलस्वरूप श्री आर. के. विश्नोई सीएसआर समिति के सदस्य नहीं रहें। कंपनी सचिव, सीएसआर समिति के सचिव हैं।

2. वह वेब लिंक जिस पर कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है।

सीएसआर समिति: **https://thdc.co.in/en/content/board-level-committeesblcs**

सीएसआर नीति: **https://thdc.co.in/en/content/policy-0**

अनुमोदित सीएसआर परियोजना: **https://thdc.co.in/en/csr/approved-project**

3. नियम 8 के उप–नियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में संचालित की गई सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेबलिंक सहित कार्यकारी सारांश प्रस्तुत करें

सीएसआर परियोजना के प्रभाव आकलन के संबंध में कंपनी की सीएसआर नीति के प्रावधानों के अनुपालन में, टीएचडीसीआईएल को एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली सभी पूरी हो चुकी सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन करना आवश्यक है, तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान टीएचडीसीआईएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूरी हो चुकी और 1 करोड या उससे अधिक के बजट परिव्यय वाली एक सीएसआर परियोजना का प्रभाव आकलन बाहरी तीसरे पक्ष के माध्यम से किया। परियोजना का नाम ''टीएचडीसी एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से ऋषिकेश, जिला देहरादून और भागीरथीपुरम, जिला टिहरी में 02 स्कूलों का संचालन'' है। प्रभाव आकलन रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश का संक्षिप्त विवरण नीचे प्रस्तुत है:

स्कूलों का नाम:

(I) टीएचडीसी हाई स्कूल, ऋषिकेश, जिला देहरादून (कक्षा 1 से 10वीं)

(ii) टिहरी बांध परियोजना इंटर कॉलेज, भागीरथीपुरम, जिला टिहरी (6वीं से 12वीं तक)

परियोजना के प्रभाव के मुख्य निष्कर्ष:

- टीएचडीसी ऋषिकेश स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 455 (बालक–250 और बालिका–205) है और टिहरी बांध परियोजना इंटर कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 204 (बालक–108 और बालिका–96) हैं।
- दोनों स्कूलों के छात्र स्कूल जाने में उच्च संतुष्टि और उत्साह दिखाते हैं, जो सीखने की इच्छा को बढ़ावा देने में स्कूल की सफलता को दर्शाता है।
- दोनों संस्थान आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिनमें अलग–अलग कक्षाएँ, प्रिंसिपल और स्टाफ रूम, बिजली, वाटर कूलर, स्वच्छ पेयजल, खेल के मैदान और समर्पित कंप्यूटर रूम शामिल हैं, जो सभी छात्रों के लिए सुलभ हैं।
- दोनों स्कूलों में सुयोग्य और शिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं जो विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने निर्देश को अनुकूलित कर सकते हैं, उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रभावी ढंग से निर्देश दे सकते हैं और संघर्ष करने वालों का समर्थन कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकांश छात्रों ने स्वच्छ पेयजल और कार्यात्मक शौचालय सुविधाओं तक पहुँच की सूचना दी, जो सतत विकास लक्ष्य 6 का अनुपालन करता है और 'स्वच्छ भारत' और 'जल जीवन मिशन' पहलों के साथ संरेखित है। छात्रों ने हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की उपलब्धता की भी सूचना दी।
- सभी छात्रों को पीएम पोषण के अनुरूप पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है, जो बढ़ते बच्चों के लिए पौष्टिक आहार के महत्व पर जोर देता है और सतत विकास लक्ष्य 2 का अनुपालन करता है।
- अधिकांश छात्रों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ उच्च संतुष्टि व्यक्त की और पिछले वर्ष की तुलना में अपने ग्रेड में सुधार देखा।

प्रभाव आकलन रिपोर्ट का लिंक: **https://thdc.co.in/en/csr/impact-assessment-report**

4. (क) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार, कंपनी का औसत निवल लाभ: ₹111752.00 लाख है।

(ख) धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: ₹ 2335.00 लाख है।

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो: ₹20.00 लाख

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(b)+(c)-(d)]. ₹2215.00 लाख

5. (क) सीएसआर परियोजनाओं (जारी परियोजना और जारी परियोजना के अलावा, दोनों) के संबंध में व्यय की गई राशि:–₹ 3416.62 लाख (जारी परियोजना: ₹90.77 लाख और जारी परियोजनाओं को छोडकर =₹3325.85 लाख)

(ख) प्रशासनिक ऊपरीशीर्ष में व्यय की गई राशि : ₹ 100.00 लाख

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: ₹1.36 लाख

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर पर किए गए व्यय की कुल राशि: ₹3517.98 लाख

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई राशि		धारा 135 (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	कोष का नाम	राशि	अंतरण की तारीख
₹3517.98 लाख	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

(च)सेट–ऑफ के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)
(I)	धारा 135 उप–धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	2235.00 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	3427.21#लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii) - (i)]	1192.21 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि[(iii)-(iv)]	1015.00 लाख

#वित्त वर्ष 2022–23 की चालू परियोजनाओं के व्यय (₹90.77 लाख) को छोडकर और वित्त वर्ष 2021–22 में किए गए अतिरिक्त सीएसआर व्यय (₹20.00 लाख) को सेट ऑफ करके।

6. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रु. में)	धार 135 की उप–धारा (6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रु. में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु. में)	धारा 135 उपधारा(5) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि, यदि कोई हो		अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय किए जाने के लिए शेष राशि (रु. में)	कमी, यदि कोई हो,
					राशि (रु. में)	अंतरण की तारीख		
1	2022-23	98,46,000.00	7,68,531.00	90,77,469.00	लागू नहीं	लागू नहीं	7,68,531.00	-
2	वित्त वर्ष -2	शून्य	-	-	-	-	-	-
3	वित्त वर्ष -3	शून्य	-	-	-	-	-	-

7. क्या वित्त वर्ष में व्यय की गई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी राशि से किसी पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन या अधिग्रहण किया गया है

(✓) हां ( ) नहीं

यदि हां, सृजित/अधिगृहित पूंजीगत परिसंपत्ति की संख्या दर्ज करें 1046

वित्त वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरादायित्व संबंधी राशि व्यय करने के माध्यम से सृजित या अधिगृहित ऐसी परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें

क्र. सं.	सृजित या अधिगृहीत पूंजीगत परिसंपत्ति (यों) के ब्यौरे प्रस्तुत करें (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्ति (परिसंपत्तियों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी के ब्यौरे		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	ग्राम डिया, खटीमा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड में पशु शेड (बृहद गौशाला) का निर्माण	262308	29.02.2024	8,829,050.00	लागू नहीं	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड
2	माउंट आबू, जिला सिरोही, राजस्थान में जे वाटुम्मल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लिए एमआरआई परीक्षण इकाई की स्थापना के लिए आंशिक सीएसआर सहायता	307501	31.08.2023	10,000,000.00	लागू नहीं	जे वाटुम्मल ग्लोबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर	माउंट आबू, जिला सिरोही राजस्थान
3	राजकीय कन्या+2 उच्च विद्यालय, आरा जिला – भोजपुर, बिहार में 06 सीटों वाले (2डब्ल्यूसी+4 मूत्रालय) स्कूल शौचालय का निर्माण	802301	02.11.2023	1,363,133.00	लागू नहीं	राजकीय कन्या+2 हाई स्कूल	आरा, जिला – भोजपुर, बिहार
4	राजकीय इंटर कॉलेज नैचोली, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखंड में 02 बालिका शौचालयों का निर्माण	249146	30.04.2023	367,494.00	लागू नहीं	राजकीय इंटर कॉलेज नैचोली	नैचोली, ब्लॉक – नरेंद्र नगर जिला – टिहरी उत्तराखंड
5	माधव सेवा विश्राम सदन, ऋषिकेश जिला देहरादून के लिए दो लिफ्टों की खरीद और स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	249203	31.03.2024	2,000,000.00	लागू नहीं	माधव सेवा विश्राम सदन, – 02	ऋषिकेश ब्लॉक डोईवाला जिला देहरादून
6	कृपा राम बडोनी सरस्वती शिशु मंदिर नाकोट, ब्लॉक – चंबा, जिला – टिहरी उत्तराखंड के प्रथम तल पर 02 कक्षाओं का निर्माण	249199	30.04.2023	1,957,796.00	लागू नहीं	किरपा राम बडोनी सरस्वती शिशु मंदिर नाकोट	ग्राम – नाकोट, ब्लॉक चम्बा, जिला टिहरी, उत्तराखंड
7	जिला – देहरादून (25) और जिला – टिहरी (200) के विभिन्न स्थानों पर 225 सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना	248143	25.04.2023	540,811.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत थानो – 08	ग्राम – थानो एवं सोडासरोरी, ब्लॉक – रायपुर, देहरादून
		248145	26.04.2023			ग्राम पंचायत रानीपोखरी में – 10	ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
		248140				ग्राम पंचायत माजरीग्रांट में – 7	
		249146	23.04.2023	4,327,211.00		ग्राम पंचायत सुरखेत में – 05	ब्लॉक नरेन्द्र नगर, जिला टिहरी, उत्तराखंड

		249146	20.04.2023			ग्राम पंचायत सैण में – 09	ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
		249175	24.04.2023			ग्राम पंचायत सांटियालगांव में – 04	
		249146	22.04.2023			ग्राम पंचायत बामनगांव में – 02	
		249146	20.04.2023			ग्राम पंचायत जखोली – 05	
		249146	18.12.2023			ग्राम पंचायत डबरा गांव में– 2	
		249146	18.12.2023			ग्राम पंचायत बैरोल में– 5	
		249146	19.12.2023			उद्योग व्यापार मंडल चक में – 4	
		249192	25.12.2023			ग्राम पंचायत पजेय गांव में – 10	
		249130	11.04.2023			ग्राम पंचायत बधाणगांव में – 05	ब्लॉक – चिन्यालीसौड, जिला – उत्तरकाशी
		249131	10.04.2023			ग्राम पंचायत छोटी मणि में – 05	
		249165	07.04.2023			ग्राम पंचायत तिवडगांव में – 05	ब्लॉक – थौलधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249121	12.04.2023			ग्राम पंचायत धारवालगांव में– 10	
		249130	19.04.2023			ग्राम पंचायत टल्ला उप्पू में– 04	
		249131	20.12.2023			ग्राम पंचायत रामगांव (जाख) में– 3	
		249131	22.12.2023			ग्राम पंचायत सोर उप्पू में– 4	
		249165	08.04.2023			ग्राम पंचायत रोलाकोट में– 05	ब्लॉक – प्रतापनगर, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249001	09.04.2023			ग्राम पंचायत सुकरी में – 05	
		249131	22.12.2023			ग्राम पंचायत कंगसाली में – 4	

		249196	16.04.2023			ग्राम पंचायत मंदर में– 05	ब्लॉक – जाखणीधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249196	13.04.2023			ग्राम पंचायत अंजनिसेन में– 05	
		249131	14.04.2023			ग्राम पंचायत गढकोट में– 05	
		249123	15.04.2023			ग्राम पंचायत खंडगांव में – 05	
		249123	14.12.2023			ग्राम पंचायत चौंदारा में – 4	
		249123	20.12.2023			ग्राम पंचायत पीपोला (उत्तर) में – 10	
		249146	24.04.2023			ग्राम पंचायत जाख में– 02	ब्लॉक – चंबा, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249181	24.04.2023			ग्राम पंचायत जसपुर में– 02	
		249121	18.04.2023			ग्राम पंचायत बागी में– 05	
		249155	18.04.2023			ग्राम पंचायत पिपली में– 05	
		249131	17.04.2023			ग्राम पंचायत खेंमडां में– 02	
		249145	23.12.2023			ग्राम पंचायत सुदारा मनियार में– 04	
		249145	23.12.2023			ग्राम पंचायत स्युता बाडा में– 03	
		249130	21.12.2023			ग्राम पंचायत जाख में– 05	
		249145	23.12.2023			ग्राम पंचायत बागी में– 05	
		249145	23.12.2023			ग्राम पंचायत पटोरी में– 02	
		249146	17.12.2023			ग्राम पंचायत नायचौली में– 02	
		249146	20.12.2023			ग्राम पंचायत पायल गांव में– 02	
		249001	15.12.2023			ग्राम पंचायत पाटा में– 05	
		249199	16.12.2023			ग्राम पंचायत छत्ती में– 05	
		249145	24.12.2023			ग्राम पंचायत गौनसारी में– 02	

		249155	13.12.2023			ग्राम पंचायत मायलकोट में – 05	ब्लॉक – भिलंगना, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249155	14.12.2023			ग्राम पंचायत चकरेडा में– 05	
		246174	12.12.2023			ग्राम पंचायत चोरा नेल्वामी में– 06	
8	देहरादून के विवेकानंद नेत्रालय में नए ऑपरेशन थियेटर के लिए चिकित्सा उपकरण (ज़ीस माइक्रोस्कोप मॉडलः (ओपीएमएल) लुमेरा 700 सिस्टम) की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	248009	15.03.2024	12,500,000.00	लागू नहीं	विवेकानन्द नेत्रालय, राम कृष्ण मिशन आश्रम	राजपुर रोड, किशनपुर, जिला देहरादून, उत्तराखंड
9	टिहरी जिले में परियोजना प्रभावित गांवों में छत पर वर्षा जल संचयन टैंक (50) का निर्माण	249165	05.02.2024	625,000.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत कुडी में – 21	ग्राम – कुड़ी, ब्लॉक – प्रतापनगर, जिला – टिहरी
		249145	01.01.2024			ग्राम पंचायत कोट में– 15	ग्राम – कोट, ब्लॉक – चम्बा, जिला – टिहरी
		249131	10.03.2024			ग्राम पंचायत सेलूर में– 14	ग्राम पंचायत सेलूर – 14, ग्राम, सेलूर, ब्लॉक – थौलधार, जिला – टिहरी
10	कोटेश्वर कृषि एवं विपनन स्वायत्व सहकारी कृषक समूह, पथरी बाग – 2 हरिद्वार के किसानों के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर	249402	24.11.2023	400,000.00	लागू नहीं	कोटेश्वर कृषि एवं विपनन स्वायत् सहकारी कृषक समूह	ग्राम – पथरी, बाग – 2, ब्लॉक – बहादराबाद, जिला – हरिद्वार, उत्तराखंड
11	मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम झांसी, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में खेल सामग्री/उपकरण के लिए वित्तीय सहायता	284002	15.12.2023	499,382.00	लागू नहीं	क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी झांसी	क्षेत्रीय खेल कार्यालय, जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश
12	भानियावाला पुनर्वास स्थल, जिला देहरादून में सामुदायिक भवन का निर्माण	248161	15.03.2024	2,225,000.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत अथुरवाला	ग्राम – कोटी, भानियावाला, ब्लॉक – डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड
13	टिहरी पुनर्वास कॉलोनी इंदिरा नगर, ऋषिकेश जिला देहरादून में सामुदायिक केंद्र के ऊपर टिन शेड का निर्माण	249201	15.03.2024	1,046,000.00	लागू नहीं	रिहैब कॉलोनी इंदिरानगर	ऋषिकेश, ब्लॉक – डोईवाला, जिला देहरादून, उत्तराखंड
14	राजकीय इंटर कॉलेज, मंदार, ब्लॉक जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में 01 बालक एवं 01 बालिका शौचालय का निर्माण	249181	19.11.2023	472,468.00	लागू नहीं	राजकीय इंटर कॉलेज मंदर	ग्राम मंदार, ब्लॉक – जाखणीधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
15	हरमिलाप राजकीय अस्पताल हरिद्वार जिला उत्तराखंड के लिए दंत स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति	249401	21.09.2023	88,950.00	लागू नहीं	हरमिलाप सरकारी अस्पताल	रेलवे रोड, डाकघर के पास, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड

16	ग्राम खंड, ब्लॉक जाखणीधार, जिला टिहरी में भारत घर में रसोई, ड्रेसिंग रूम और शौचालय का निर्माण	249181	15.03.2024	932,596.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत खांड	ग्राम खांड, ब्लॉक – जाहणीधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
17	ग्राम सभा जलवालगांव एवं ग्राम सभा खोला, ब्लॉक जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल में 02 यात्री शेडों का निर्माण	249127	21.11.2023	497,923.00	लागू नहीं	ग्राम सभा जलवालगांव और ग्राम सभा खोला	ग्राम सभा जलवालगांव एवं खोला, ब्लॉक – जाखणीधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
18	टिहरी जिले के विभिन्न विद्यालयों के लिए 20 स्मार्ट इंटरएक्टिव बोर्ड 65 इंच लेखन बोर्ड, स्टायलस पेन और मल्टीमीडिया सामग्री की खरीद और स्थापना	249122	29.11.2023	1,557,680.00	लागू नहीं	राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज हिंडोलाखल–01	ब्लॉक – जाहणीधार, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249121	29.11.2023			अटल उत्कष्ट एसएसजीपीजी राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पौरीखाल – 01	
		249122	07.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज लालूरीखाल – 01	
		249161	30.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज रनसोलिडहर – 01	
		249161	08.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज सजवाण कांडा – 01	
		249126	20.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज बैलीगांव – 01	
		249122	02.12.2023			आर.एस.चौहान राजकीय इंटर कॉलेज महदजली – 01	
		249122	02.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज पलेठी डोबल्ह्यू – 01	
		249122	30.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज बगड्वालधार – 01	
		249301	08.12.2023			राजकीय बालिका इंटर कॉलेज देवप्रयाग– 01	
		249126	01.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज हिन्सिरियाखाल – 01	ब्लॉक कीर्तिनगर, जिला टिहरी, उत्तराखंड
		249161	20.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज कीर्तिनगर देवप्रयाग – 01	
		249161	22.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज डाहचोरा – 01	

		249161	04.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज पिपलीधार डागर–01	
		249161	06.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज धारी ढुंडसिर–01	
		249161	22.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज जखंड–01	
		249161	05.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज अचरीखुट–01	
		249196	05.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज नागराजाधर चिलेड़ी–01	
		249161	21.11.2023			राजकीय इंटर कॉलेज गोनीखाल–01	
		249161	04.12.2023			राजकीय इंटर कॉलेज जखई डागर–01	
19	श्री देव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चम्बा, ब्लॉक चम्बा टिहरी गढ़वाल के लिए 06 कंप्यूटर सेट की खरीद	249145	31.01.2024	295,131.00	लागू नहीं	श्री देव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा	चम्बा, जिला टिहरी, उत्तराखंड
20	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हटवालगांव, ब्लॉक जौनपुर, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड में टिन शेड का निर्माण	249145	17.01.2024	299,000.00	लागू नहीं	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हटवालगांव	ग्राम हटवालगांव, ब्लॉक जौनपुर, जिला टिहरी, उत्तराखंड
21	जिला टिहरी में ब्लॉक नरेंद्रनगर के पोखरी बाजार में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	249146	12.12.2023	471,505.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत पलोगी	पोखरी, ब्लॉक नरेंद्र नगर, जिला–टिहरी उत्तराखंड
22	उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 145 क्लास रूम डेस्क और बेंच (स्कूल फर्नीचर) की खरीद और स्थापना	248002	09.11.2023	89,400.00	लागू नहीं	दयानंद कन्या इंटर कॉलेज सुभाष नगर–20 सेट	पोस्ट ऑफिस रोड, सुभाष नगर, भारू वाला ग्रांट, देहरादून, उत्तराखंड
		249161	08.11.2023	437,600.00		राजकीय इंटर कॉलेज मजकोट–25 सेट	मंजकोट, ब्लॉक थौलधार, जिला टिहरी उत्तराखंड
		249165	10.11.2023			सरस्वती शिशु मंदिर लंबगांव– 20 सेट	लंबगांव, ब्लॉक प्रतापनगर, जिला टिहरी उत्तराखंड
		249151	09.11.2023			सरस्वती शिशु मंदिर डुंडा–15 सेट	डुंडा, ब्लॉक डुंडा, जिला उत्तरकाशी उत्तराखंड

		249123	02.12.2023			जूनियर हाई स्कूल, पिपोला उत्तादा–14 सेट	पिपोला उत्तादा, ब्लॉक जाखणीधार, जिला टिहरी उत्तराखंड
		249123				प्राथमिक विद्यालय, पिपोला– 06 सेट	
		249146	17.11.2023			स्वामी ओंकारानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल कोटेश्वर पुरम–25 सेट	कोटेश्वर पुरम, कोटेश्वर, ब्लॉक नरेंद्र नगर, जिला–टिहरी उत्तराखंड
		284401	23.03.2024	92,000.00		राजकीय प्राथमिक विद्यालय पृथ्वीपुर–20 सेट	पृथ्वीपुर नयाखेड़ा, ब्लॉक बबीना, जिला झांसी उत्तर प्रदेश
23	खैट पर्वत, ग्राम पंचायत दौंड, जिला टिहरी में "एटमोस्फेयरिक वाटर जनरेटर (एडब्ल्यूजी) की आपूर्ति और स्थापना	249165	12.03.2024	242,490.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत दौंड–01	खैट पर्वत, दौंड, ब्लॉक जाखणीधार, जिला टिहरी
24	02 वाटर कूलर सह यूवी प्यूरीफायर की आपूर्ति एवं स्थापना	249124	05.02.2024	106,000.00	लागू नहीं	नरेंद्र महिला बालिका आवासीय परिसर भगीरथीपुरम–01	ब्लॉक चम्बा, जिला टिहरी
		249201	15.03.2024			नगर निगम, ऋषिकेश–01	ऋषिकेश, ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
25	10 यूवी वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति एवं स्थापना	249130	15.03.2024	85,000.00	लागू नहीं	हिमालयन पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज सनगांव – 2	गांव– सुनगांव, कनाताल, कौड़िया रेंज, ब्लॉक चंबा, जिला टिहरी
		249165	10.01.2024			कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय टाइप 4 प्रतापनगर–2	ब्लॉक प्रतापनगर, जिला टिहरी
		249124	16.01.2024			कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अखोड़ी भिलंगना–2	ब्लॉक भिलंगना, जिला टिहरी
		249131	22.01.2024			सुभाष इंटर कॉलेज, थौलधार–1	ब्लॉक थौलधार, जिला टिहरी
		249124	05.02.2024			सरस्वती शिशु मंदिर भागीरथीपुरम, बाघी टिहरी–1	ब्लॉक चम्बा, जिला टिहरी

		263534	07.02.2024			स्वामी ओंकारानंद सरस्वती पब्लिक स्कूल कोटेश्वर पुरम कोटेश्वर – 1	ब्लॉक नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी
		249201	20.01.2024			नेताजी सुभाष चंद्र आवासीय विद्यालय (नाभा) ऋषिकेश – 1	देहरादून रोड, ऋषिकेश, ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
26	01 वाटर कूलर की आपूर्ति एवं स्थापना	249204	30.01.2024	53,000.00	लागू नहीं	इंदिरा राष्ट्रीय बाल विकास जूनियर हाई स्कूल छिद्दरवाला–01	छिद्दरवाला, ऋषिकेश ब्लॉक डोईवाला, जिला देहरादून
27	01 यूवी वाटर प्यूरीफायर की आपूर्ति एवं स्थापना	249137	08.03.2024	8,500.00	लागू नहीं	मदर मिरेकल स्कूल, गंगा स्थल मुनि की रेती – 01	ब्लॉक नरेन्द्रनगर, जिला टिहरी
28	जिला टिहरी, उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में 30 एकीकृत डिजिटल शिक्षण उपकरण/एकीकृत कंप्यूटर प्रोजेक्टर की आपूर्ति और स्थापना	249196	15.02.2024	3,597,000.00	लागू नहीं	जीआईसी सिलारी–01	ब्लॉक प्रतापनगर, जिला टिहरी
		249165	16.02.2024			जीआईसी दीनगांव–01	
		249165	15.02.2024			जीआईसी गरवाणगांव– 01	
		249165	12.02.2024			जीआईसी लंबगांव–01	
		249165	16.02.2024			जीआईसी खोलगाद पल्ला– 01	
		249165	16.02.2024			जीआईसी गलियाखेत भदुरा–01	
		249165	16.02.2024			जीएचएस मुखमालगांव–01	
		249165	13.02.2024			जीएचएस मिलडोगी–01	
		249196	15.02.2024			जीएचएस कोर्डी–01	
		249165	16.02.2024			जीएचएस भंटला–01	
		249165	23.02.2024			जीएचएस झांझरधार–01	
		249165	15.02.2024			जेएच साउंडी–01	
		249165	17.02.2024			जेएच डोडाग थापला– 01	
		249131	15.02.2024			जीएचएस भैंगा–01	
		249165	16.02.2024			जेएच खेतपाली–01	
		249127	17.02.2024			जीएचएस झिनवाली–01	
		249165	17.02.2024			जीएचएस घोलदानी (ओएएन)–01	
		249165	17.02.2024			जेएच ओनलगांव–01	
		249165	15.02.2024			जीएचएस साउंडी–01	
		249181	19.02.2024			जीआईसी सेमंडीधार– 01	ब्लॉक जाखणीधार, जिला टिहरी

		249181	19.02.2024			जीआईसी ढुंग–01	
		249001	19.02.2024			जीआईसी राजाखेत–01	
		249123	20.02.2024			जीएचएस लामरीधार–01	
		249199	13.02.2024			जीआईसी रंचौरी–01	ब्लॉक चंबा, जिला टिहरी
		249146	13.02.2024			जीएचएस ओबरी (जी)–01	
		249175	20.02.2024			जीएचएस जाधरगांव– 01	
		249145	13.02.2024			जीएचएस कंथारगांव– 01	
		249146	12.02.2024			जीएचएस खांड–01	
		249124	12.02.2024			जीआईसी नरेंद्र महिला विद्यालय भगीरथीपुरम–01	
		249191	12.02.2024			जेएच तुंगोली–01	
29	कोटला, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में सामुदायिक प्रार्थना केंद्र में 06 सौर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति और स्थापना	176205	16.01.2024	133,812.00	लागू नहीं	माता श्री बगलामुखी मंदिर प्रबंध समिति	कोटला किला, लातेहार, तहसील जवाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश
30	कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास, ब्लॉक प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में 34 स्टील बेड और गद्दों (कवर सहित) की आपूर्ति	249165	03.02.2024	193,780.00	लागू नहीं	कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय प्रताप नगर	ग्राम सुजड़गांव, ब्लॉक प्रतापनगर, जिला टिहरी
31	बिहार के मधुबनी जिले के विभिन्न स्कूलों में 24 कंप्यूटर और यूपीएस का वितरण	847235	21.02.2024	1,515,264.00	लागू नहीं	कामसुंदरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरोनी ब्लॉक राजनगर –04	ब्लॉक राजनगर, जिला मधुबनी, बिहार
		847401	31.03.2024			राजकीय माध्यमिक गौनौली अंधराठाड़ी–03	ब्लॉक अंधराठाड़ी, जिला मधुबनी
		847236	14.03.2024			उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय पोखरश्याम ब्लॉक पौंडौल–03	ब्लॉक पौंडौल जिला मधुबनी, बिहार
		847234	14.03.2024			उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिवत माधोपुर पूर्वी बड़ागांव ब्लॉक पंडौल–03	ब्लॉक पौंडौल जिला मधुबनी. बिहार
		847213	04.03.2024			एमएसजी हाई स्कूल लोहा, सौराठ, मधुबनी–04	ब्लॉक रहिका जिला मधुबनी, बिहार

		847215	28.03.2024			+2 जनता उच्च विद्यालय बेलवाड़ ब्लॉक राजनगर–03	ब्लॉक राजनगर जिला मधुबनी, बिहार
		847424	28.03.2024			उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय सरिसबपाही प्रखंड पौंडौल–04	ब्लॉक पौंडौल जिला मधुबनी, बिहार
32	जिला चंपावत, उत्तराखंड में महिला मंगल दलों को वस्तुओं/बर्तनों (ग्लास, प्लेट, भगोना, लोटा, केतली, बाल्टी, कड़ाही, करछुल, पन्यो, परात) के 106 सेट की आपूर्ति/वितरण	262523	11.03.2024	5,066,131.00	लागू नहीं	माननीय मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, चम्पावत के माध्यम से जिला प्रशासन	जिला चंपावत, उत्तराखंड
33	ब्लॉक यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल में 30 सोलर स्ट्रीट लाइट की आपूर्ति एवं स्थापना	246144	10.03.2024	599,157.00	लागू नहीं	ग्राम पंचायत तिमलियानी– 15	ब्लॉक– यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल
		246121	09.03.2024			ग्राम पंचायत शीला–15	
34	चंपावत उत्तराखंड के स्कूलों/युवा संघों के लिए 332 खेल किट (क्रिकेट/फुटबॉल/वॉलीबॉल/बैडमिंटन आदि) की आपूर्ति/वितरण (क्रिकेट किट, बैडमिंटन किट, वॉलीबॉल किट, फुटबॉल किट)	262523	28.03.2024	3,965,740.00	लागू नहीं	माननीय मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय, चम्पावत के माध्यम से जिला प्रशासन	जिला चंपावत, उत्तराखंड
35	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रावास बोराड़ी, नई टिहरी में सीसी टीवी कैमरा एवं अग्नि सुरक्षा उपकरणों की स्थापना	249001	25.03.2024	430,046.00	लागू नहीं	डॉ भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास समिति	बोराड़ी, नई टिहरी, ब्लॉक–चंबा, जिला–टिहरी

8. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो इसके कारण (कारणों) का उल्लेख करें–

लागू नहीं। वित्तीय वर्ष के दौरान ₹3427.21 लाख व्यय करके, कंपनी ने निर्धारित दो प्रतिशत राशि ₹2235.00 लाख को पार कर लिया है।

ह0/–
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक)

ह0/–
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियां

टीएचडीसीआईएल, अपनी सीएसआर और सततता योजना को अपनी व्यावसायिक योजनाओं और कार्यनीतियों के साथ एकीकृत करता है। गतिविधियों की योजना अग्रिम में बनाई जाती है, विभिन्न उपलब्धि–चरण पर लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, आवंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधनों की मात्रा का पूर्व–अनुमान और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय अवधि होती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सीएसआर और सततता योजनाओं को दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक परियोजनाओं में वर्गीकृत किया गया है।

क. टीएचडीसी निरामय–स्वास्थ्य और स्वच्छता पहलें

उत्तराखंड में, सीमित उपलब्ध साधनों के अलावा यात्रा में अधिक समय लगने के कारण पहाड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों के बीच स्वास्थ्य प्रणाली अधिकांशतः प्रभावित होती है। उत्तराखंड के टिहरी जिले का कुल क्षेत्रफल 4421 वर्ग किमी है, जो अब तक टीएचडीसी का प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र है। पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और विशेषज्ञ सुविधाओं आदि की कमी भी जनता को निदान और उपचार का लाभ उठाने के लिए दूर के शहरों की यात्रा करने के लिए विवश करती है, जिससे शहर की स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, अवसंरचना और रोगियों की जेब पर दबाव पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, टीएचडीसीआईएल एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार संगठन होने के नाते, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों और प्रतिष्ठित अस्पतालों और संस्थानों के साथ जागरूकता अभियान के माध्यम से समाधान और स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करने का लगातार प्रयास करता है। स्वास्थ्य प्रदायगी प्रणाली के क्षेत्र में टीएचडीसी के कुछ प्रमुख समुदायोन्मुखी प्रयास इस प्रकार हैं:

(क) दीनगांव, टिहरी में एलोपैथिक औषधालय का संचालनः यह टिहरी जिले के दुर्गम के क्षेत्र में स्थित है और आसपास के लगभग 40 गांवों की 15000 जनसंख्या की जरूरतें पूरी करता है। औषधालय एमबीबीएस डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एक्सरे ईसीजी, आन काल एम्बुलेंस सुविधा जैसे बुनियादी पैथालाजिकल परीक्षणों, छोटे मोटे आपरेशन थिएटर और निरूशुल्क दवाई जैसी बुनियादी सुविधाओं से लैस है। वित्तीय वर्ष के दौरान पंजीकृत ओपीडी की कुल संख्या 9737 (पुरुष–4156 और महिला–5569) है, जिसमें 05 चिकित्सा शिविर, 410 एक्स–रे, 45 ईसीजी, 819 आईपीडी और 854 लैब परीक्षण शामिल हैं।

(ख) चिकित्सा स्वास्थ्य अवसंरचनाः सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण के माध्यम से चिकित्सा अवसंरचना में सुधार के लिए विवेकानंद नेत्रालय अस्पताल, देहरादून में नए ऑपरेशन थियेटर के लिए ज़ीस माइक्रोस्कोप मॉडलः ओपीएमआई लुमेरा 700 प्रणाली, जे. वाटुम्मल ग्लोबल अस्पताल, माउंट आबू, राजस्थान में एमआरआई इकाई के लिए आंशिक सहायता और एम्स, ऋषिकेश के साथ मोबाइल वैन के माध्यम से घर–घर समग्र स्वास्थ्य और कल्याण प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता जैसी सहायता प्रदान की गई। स्थानीय आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पीएचसी डोबरा के निर्माण और दीनगांव, जिला टिहरी में पीएचसी के निर्माण के लिए साइट विकास का काम प्रगति पर है।



विवेकानंद नेत्रालय अस्पताल, देहरादून में ज़ीस माइक्रोस्कोप मॉडल ओपीएमआई लुमेरा 700 सिस्टम की खरीद

इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी, ऋषिकेश के 03 स्कूलों में किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, कुमाऊं के 06 जिलों में आईसीडीएस के मिशन प्रेरणा को क्रियान्वित कर रहा है, तथा एम्स, ऋषिकेश में मरीजों की देखभाल करने वालों और छात्र कल्याण संघ को सहायता प्रदान कर रहा है।

(ग) जल और स्वच्छता पहलः बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और स्वच्छता के प्रति जागरूकता के भारत सरकार के मिशन का समर्थन करने के लिए कंपनी की सभी इकाइयों में स्वच्छता पखवाडा आयोजित किया गया। प्रमुख गतिविधियों में जनता को पर्यावरण–अनुकूल बैग और सडक विक्रेताओं को बायो–डिग्रेडेबल बैग का वितरण, संयंत्र और कार्यालय प्रतिष्ठानों के आसपास स्वच्छता अभियान शामिल हैं। किशोरियों और महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाया गया और विभिन्न स्थानों पर सैनिटरी पैड भी निःशुल्क वितरित किए गए। सभी परियोजनाओं/इकाइयों में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों पर बैनर, पोस्टर, भित्तिचित्र लगाकार और नारे लिखकर भी जागरूकता का प्रसार किया गया।



स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान ऋषिकेश में फल एवं सब्जी विक्रेता को बायोडिग्रेडेबल बैग वितरित किए गए

स्वच्छता को बढ़ावा देने और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता के लिए 'स्वच्छ भारत अभियान' के उद्देश्य के अनुरूप 6 शौचालयों का निर्माण किया गया और 48 शौचालयों की मरम्मत की गई, 01 सामुदायिक रसोई हॉल, 01 सामुदायिक ड्रेसिंग हॉल का निर्माण किया गया। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति के लिए 01 वायुमंडलीय जल उत्पादन (एडब्ल्यूजी), 10 यूवी वाटर प्यूरीफायर (आरओ), 03 वाटर कूलर कम प्यूरीफायर विभिन्न स्कूलों/स्थानों पर लगाए गए। इससे छात्रों और कर्मचारियों को भूजल या सतही जल स्रोतों पर निर्भरता के बिना स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित होता है।


बिहार के सरकारी स्कूल में सामुदायिक शौचालय का निर्माण

ख. टीएचडीसी जागृति–शिक्षा संबंधी पहलें

संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संख्या 4 अर्थात् 'समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' में इस विचार को स्वीकार किया गया है और परिकल्पना की गई है कि वर्ष 2030 तक, सभी लड़कियां और लड़के मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे जिससे प्रासंगिक और प्रभावी ज्ञानार्जन परिणाम प्राप्त होंगे। विद्युत क्षेत्र के एक जिम्मेदार सीपीएसयू के रूप में, आसपास के गांवों था संबद्ध क्षेत्रों के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, टीएचडीसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ऋषिकेश में एक और टिहरी जिला में भागीरथीपुरम और कोटेश्वर में दो के साथ, स्थानीय क्षेत्र के कुल 3 स्कूल स्कूलों का संचालन कर रहा है। इन स्कूलों में मुफ्त यूनिफॉर्म, जूते, बैग, किताबें, स्टेशनरी, स्वेटर के रूप में अतिरिक्त सहायता के साथ लगभग मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, उपरोक्त 3 स्कूलों से कुल 899 बच्चे लाभांवित हुए।


टीएचडीसी हाई स्कूल, ऋषिकेश के छात्र

उपरोक्त के अलावा, शैक्षिक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए, टीएचडीसी शैक्षिक अवसंरचना के उन्नयन के साथ–साथ शैक्षिक संपत्तियों के वितरण द्वारा रियायती शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों का भी समर्थन करता है। वित्तीय वर्ष के दौरान टीएचडीसी ने अपने सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों को 175 फर्नीचर सेट, 30 कंप्यूटर सेट, 43 बेड और गद्दे वितरित किए हैं।


सरकारी स्कूल, टिहरी गढ़वाल में फर्नीचर का वितरण

इसके अलावा, टीएचडीसी डिग्री कॉलेज सेंदुल केमर, जिला टिहरी की 3 मंजिला इमारत के भूतल का निर्माण, 03 टिन शेड और विभिन्न संस्थानों/स्कूलों में 07 सरकारी स्कूलों के पुनर्निर्माण/उन्नयन का भी निर्माण कर रहा है। इसके बाद, टीएचडीसी ने ऑडिटोरियम/छात्रावास के निर्माण के लिए 04 सरकारी स्कूलों को वित्तीय सहायता दी। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों और युवाओं में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसी ने 114 डिजिटल बोर्ड आधारित स्मार्ट क्लास, 30 एकीकृत कंप्यूटर प्रोजेक्टर आधारित स्मार्ट क्लास की आपूर्ति और स्थापना की और 04 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए।


बिहार के सरकारी स्कूल में डिजिटल बोर्ड आधारित स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति और स्थापना

ग. टीएचडीसी दक्ष– आजीविका सृजन और कौशल विकास पहलें

सतत विकास लक्ष्य संख्या 8 में विशेष रूप से: 'सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सम्मानजनक कार्य को बढ़ावा देने' का उल्लेख किया गया है। टीएचडीसी ने सीएसआर गतिविधियों के आरम्भ से ही कमजोर वर्ग

के युवाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे होटल प्रबंधन, ए. एन.एम, जी.एन.एम., आईटीआई, आतिथ्य, खाद्य उत्पादन, फिटर और प्लम्बर, वेल्डर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक, उत्खननकर्ता प्रचालक, एसी और रेफ्रीजरेशन आदि प्रदान किए हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष 2022–23 में नामांकित/प्रायोजित युवाओं के लिए जीएनएम और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रम के तहत पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रम शुल्क का भुगतान किया गया। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरक और कौशल प्रशिक्षण आयोजित किए गए।


टिहरी गढ़वाल के गांवों में अपनी कक्षाओं के दौरान सीआईपीईटी के छात्र

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सृजन के लिए, टीएचडीसी ने फार्म मशीनरी, पॉली–हाउस, उच्च उपज वाले बीज, वर्मी कम्पोस्ट पिट, एलडीईपी टैंक, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, सिंचाई के लिए वर्षा जल संचयन और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा परामर्श आदि प्रदान करने जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से सतत कृषि संवर्धन गतिविधियों का समाधान विकसित किया। वित्तीय वर्ष के दौरान सतत कृषि को बढ़ावा देने में टीएचडीसी का प्रमुख हस्तक्षेप कोटेश्वर पुनर्वास कॉलोनी में कृषि मशीनरी के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर का विकास करना था, ताकि हरिद्वार जिले के छोटे सीमांत किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में सहायता मिल सके।

घ. टीएचडीसी उत्थान– ग्रामीण विकास पहलें

टीएचडीसीआईएल सामुदायिक हॉल, सड़क, रास्ते, खेल का मैदान, बैठने की जगह और मौजूदा अवसंरचना विकास आदि जैसे विभिन्न प्रचार गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए समाधान लाने का प्रयास करता है। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसी द्वारा लोगों को सामाजिक मेलजोल, ज्ञानार्जन और प्रमुख सेवाओं तक पहुँचने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में घरों का विद्युतीकरण, क्रीड़ा मैदान का विकास, बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल, मिनी स्टेडियम (निर्माणाधीन), यात्री शेड् और विभिन्न सी.सी. सड़क और पैदल–मार्गों का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त, आकांक्षी जिले सिंगरौली में आरसीसी स्लैप पुलिया का निर्माण किया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में हाई मास्ट लाइटें लगाई गई हैं तथा उत्तर प्रदेश में श्मशान घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है।


थौलगार, टिहरी गढ़वाल में यात्री शेड का निर्माण


चंबा, टिहरी गढ़वाल में सी.सी. सड़क का निर्माण

ङ. टीएचडीसी समर्थ–महिला सशक्तीकरण संबंधी पहलें

सतत विकास लक्ष्य संख्या 5; 'लैंगिक समानता हासिल करना तथा सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाना'। टीएचडीसी, एक जिम्मेदार विद्युत क्षेत्र संस्था के रूप में, आजीविका के अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण बालिकाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण प्रायोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, टिहरी, हरिद्वार और उत्तरकाशी जिलों में 06 सिलाई/कढ़ाई केंद्रों और 01 ब्यूटीशियन प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा से कुल 210 बालिकाओं/महिला लाभार्थियों को लाभ मिला। इसके अलावा, सामुदायिक सामाजिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए जिला चंपावत, उत्तराखंड के महिला मंगल दलों के समर्थन और प्रोत्साहन के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं का वितरण किया गया।


ब्यूटीशियन प्रशिक्षण कार्यक्रम, हरिद्वार

च. टीएचडीसी प्रकृति– पर्यावरण संरक्षण पहल

पर्यावरण सततता, सतत विकास लक्ष्यों 2030 में से एक अति महत्वपूर्ण आयाम है क्योंकि कुल 244 संकेतकों में से 93 संकेत पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरणीय सततता प्राप्त करने तथा सीएसआर विषयक प्रकृति के क्षेत्र के अंतर्गत पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए मृदा और जल संरक्षण, हरित ऊर्जा उत्पादन और प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन और पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन जैसे तीन विषयों सहित तीन गतिविधियां शुरु की गई है। पर्यावरण टीएचडीसीआईएल का प्रमुख विचारणीय विषय रहा है इसलिए टीएचडीसी उत्थान थीम की सभी दीर्घकालिक सीएसआर आजीविका परियोजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण गतिविधियों को समाहित किया गया था ताकि सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सके और वर्धित आजीविका अवसर को संरक्षित जल संसाधनों से जोड़ा जा सके। विकसित की गई बड़ी जल संरक्षण परिसंपत्तियों में जल संरक्षण टैंकों का निर्माण (प्रत्येक की क्षमता 3000 लीटर) एलडीपीई (कम घनत्व वाले पोलीथिन) टैंक का निर्माण, चाल खल का निर्माण शामिल था, जिन्हें जल संरक्षण और वर्षा जल के संचयन के लिए परियोजना संबद्ध गांवों में संस्थापित किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान 50 वर्षा जल संचय टैंकों का निर्माण किया गया था।


चंबा, टिहरी गढ़वाल में घरों की छत से वर्षा जल संचयन टैंकों का निर्माण

इसके अलावा, पर्यावरण को कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन से बचाने के लिए, भारत सरकार के केंद्रित अभियान के अनुरूप, टीएचडीसी ने 136 स्ट्रीट लाइट की खरीद की और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इनकी संस्थापना की। आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा और मृदा अपरदन को रोकने के लिए, टीएचडीसी ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक रिटेंशन वॉल का निर्माण किया है।

इन प्रयासों के क्रम में, टीएचडीसी ने आवारा पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड और आकांक्षी जिले सिंगरौली के ग्रामीण क्षेत्रों में 02 गौशाला/पशु शेड का निर्माण किया है।


प्रतापनगर, टिहरी गढ़वाल में सौर स्ट्रीट लाइट की संस्थापना

छ टीएचडीसी सक्षम– वृद्धजन और दिव्यांगजन देखभाल पहलें

टीएचडीसी वर्ष 2023–24 के दौरान जिला समाज कल्याण विभाग, देहरादून के माध्यम से 'वृद्धाश्रम' के लिए वस्तुओं/उपकरणों की खरीद और वितरण के लिए सहायता प्रदान करने जैसे विभिन्न कार्य को अपनाकर सभी के लिए असमानता को कम करने और समावेशिता का प्रयास करता है।

ज. टीएचडीसी विरासत– कला और संस्कृति संरक्षण और संवर्धन पहल

कला और संस्कृति को समाज में एकीकृत करके, टीएचडीसी का उद्देश्य सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक समावेश, सशक्तिकरण, नवाचार और प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देना है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, टीएचडीसी ने बद्रीनाथ में बद्रीश झील और पार्क के बुनियादी ढांचे के विकास और केदारनाथ में स्मार्ट हिल टाउन तीर्थयात्री आवास ब्लॉक के निर्माण का समर्थन किया।

झ. टीएचडीसी क्रीड़ा– खेल प्रोत्साहन पहल

टीएचडीसी सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देने के माध्यम से विकास और शांति की प्राप्ति में खेल के बढ़ते योगदान को मान्यता देता है, साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समावेश से संबंधित अपने उद्देश्यों के साथ–साथ महिलाओं, युवाओं, व्यक्तियों और समुदायों के सशक्तिकरण में इसके योगदान को भी मान्यता देता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसी ने 20वें शीतकालीन बधिर ओलंपिक (अल्पाइन स्कीइंग) में प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्की प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली देहरादून जिले की दिव्यांग महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की, और

ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों (2024) में भाग लेने के लिए चमोली जिले की महत्वाकांक्षी महिला एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान की।

टीएचडीसी टिहरी झील में ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप और क्वालीफायर 37वें राष्ट्रीय खेल (गोवा 2023) की भी मेजबानी करता है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने टिहरी जिले में भागीरथी वन खेल प्रतियोगिता 2023 के आयोजन तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में खेल विकास को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

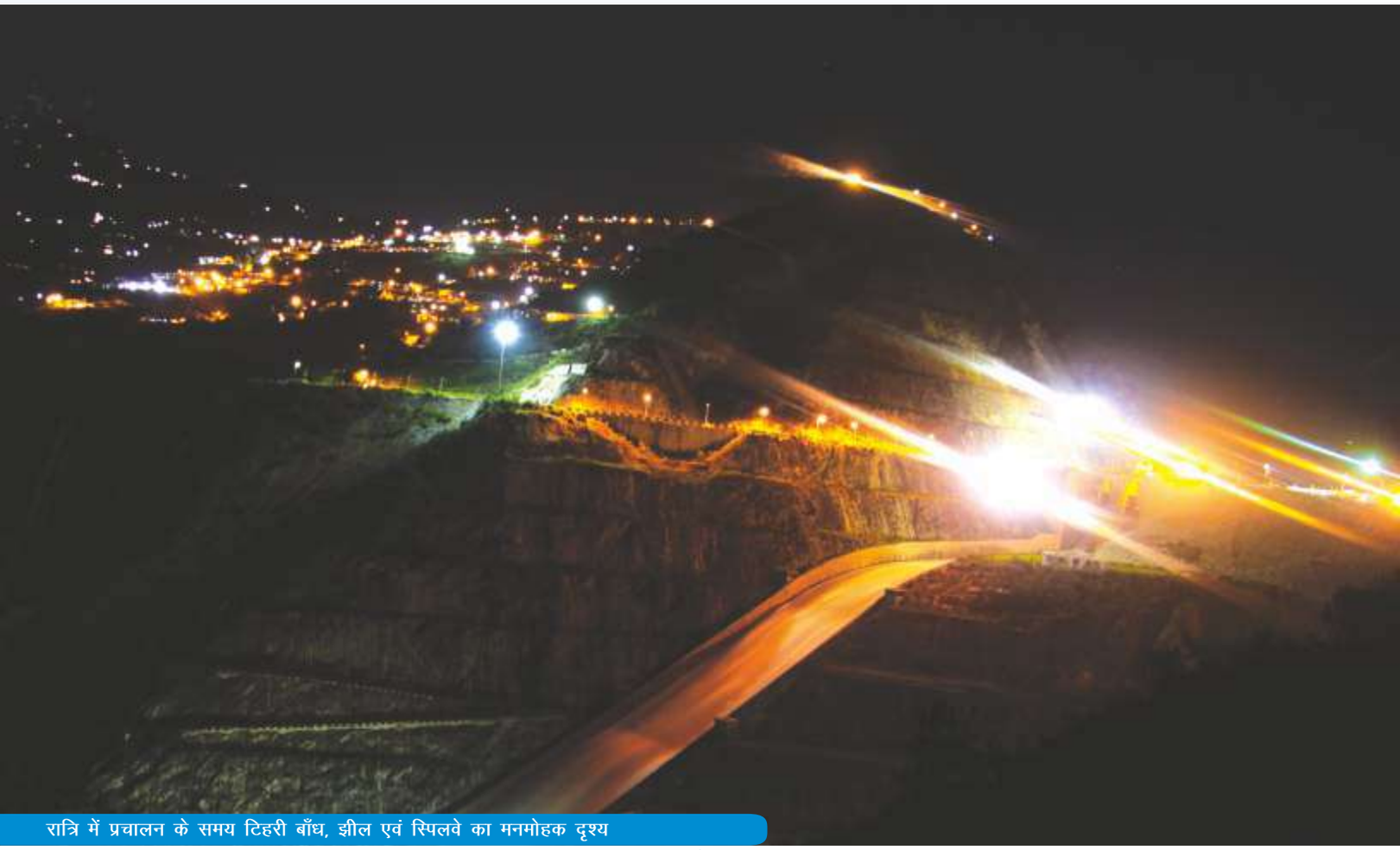


टिहरी झील में ओपन नेशनल कैनो स्प्रिंट सीनियर पुरुष एवं महिला चैम्पियनशिप और क्वालीफायर 37वें राष्ट्रीय खेल (गोवा 2023) के प्रतिभागी

इसके अलावा, टीएचडीसी हिमाचल प्रदेश के दोहक अमलियान खेल मैदान में ट्रेस कटिंग/रिटेंशन वॉल और पार्किंग तथा मार्ग के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। टीएचडीसी ने शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश में कयाकिंग और कैनोइंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए खेल सामग्री की खरीद के लिए जिला प्रशासन को भी सहयोग दिया और खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलो इंडिया मिशन के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से युवाओं को 366 खेल किट वितरित किए।



जिला प्रशासन चंपावत के माध्यम से युवाओं के लिए खेल किट की खरीद



रात्रि में प्रचालन के समय टिहरी बाँध, झील एवं स्पिलवे का मनमोहक दृश्य

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग विश्लेषण और दृष्टिकोण:

ऊर्जा आर्थिक विकास के लिए एक मूलभूत इनपुट है, और विद्युत क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण अवसंरचना है। आर्थिक प्रगति, मानव कल्याण और जीवन स्तर में सुधार के लिए पर्याप्त और सस्ती बिजली का प्रावधान अनिवार्य है। भारत जैसे विकासशील देश में, बिजली की मांग काफी है और लगातार बढ़ रही है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, आगे की प्रगति की आवश्यकता स्पष्ट है।

पिछले दशक में भारतीय विद्युत क्षेत्र ने एक लंबा सफर तय किया है, जो विद्युत की कमी से विद्युत–पर्याप्तता वाले राष्ट्र में तब्दील हो गया है। कई ठोस उपायों की वजह से उत्पादन क्षमता में – मार्च 2015 में 275 गीगावाट से मार्च 2024 में 442 गीगावाट तक पहुंचते हुए 51. 29% की वृद्धि की है।

विद्युत उत्पादन में भी 5.3% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की दर से वृद्धि हुई, जिससे भारत को वर्ष 2014 में अपने ऊर्जा घाटे को 4.2% से घटाकर 2023 में 0.5% और वर्ष 2014 में पीक घाटे को 4.5% से घटाकर 2023 में 4.0% करने में मदद मिली।

वर्ष 2014–15 से 2022–23 के दौरान पीक मांग 4.8% की सीएजीआर से बढ़ी है, जबकि वर्ष 2014–15 से 2022–23 के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता 4.4% की दर से बढ़ी है।

पिछले पांच वर्षों में देश में शीर्ष मार्ग की पूर्ति न होना और ऊर्जा की आपूर्ति न होना बहुत कम देखा गया है और ऐसा देश में उत्पादन क्षमता की कमी के अलावा अन्य कारकों के कारण हुआ है।

देश में स्थापित उत्पादन क्षमता दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार 416 गीगावाट से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार 442 गीगावाट हो गई। चालू वित्त वर्ष 2023–24 में कुल 26 गीगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022–23 में 16.5 गीगावाट विद्युत उत्पादन जोड़ा गया था, जो क्षमता में 57.58% की वृद्धि दर्शाता है।

देश की बढ़ती आबादी, बढ़ते विद्युतीकरण और प्रति व्यक्ति उपयोग के साथ–साथ इस क्षेत्र को और बढ़ावा मिलेगा। देश में कुल विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है और चालू वित्त वर्ष (2023–24) में उत्पादन 1739.09 बीयू रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 1624.46 बीयू था, जो लगभग 7.06% की वृद्धि दर्शाता है।

इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक बन गया है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित) में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है, जो हमारी सतत विकास प्रथाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है।

31 मार्च, 2024 तक अखिल भारतीय कुल स्थापित क्षमता 4,42 गीगावाट हो जाएगी, जिसमें से 198.78 गीगावाट (44.97%) गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित है, और 243.22 गीगावाट (55.03%) जीवाश्म ईंधन आधारित है।

कुल स्थापित क्षमता 442 गीगावाट में से 104.50 गीगावाट (23.65%) केंद्रीय क्षेत्र से, 107.67 गीगावाट (24.36%) राज्य क्षेत्र से और शेष 229.83 गीगावाट (51.99%) निजी क्षेत्र से है।

जनगणना 2011 के अनुसार सभी बसे हुए गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता वर्ष 2015 में 12.5 घंटे से बढ़कर वर्ष 2024 में 21.9 घंटे हो गई है और शहरी क्षेत्रों में यह बढ़कर 23.4 घंटे हो गई है।

चालू वर्ष 2023–24 के दौरान, शीर्ष मांग पिछले वर्ष के 215.88 गीगावाट से 12.7% बढ़कर 243.27 गीगावाट हो गई है और अखिल भारतीय शीर्ष कमी पिछले वर्ष के 4.0% (8.66 गीगावाट) के सापेक्ष 1.4% (3.34 गीगावाट) कम हो गई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकता 7.44% बढ़कर 16,26,132 एमयू हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 15,13,497 एमयू थी। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ऊर्जा उपलब्धता भी 7.71% बढ़कर 16,22,020 एमयू हो गई है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 15,05,914 एमयू थी।

ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022–23 में 0.5% से घटकर वित्त वर्ष 2023–24 में 0.3% रह गया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के अनुसार, भारत को वर्ष 2030 तक 817 गीगावाट उत्पादन क्षमता बनाने की आवश्यकता होगी और हमारी सीओपी26 प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए, इसमें से 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आना होगा। इस लक्ष्य में सौर ऊर्जा से 280 गीगावाट और पवन ऊर्जा स्रोतों से 140 गीगावाट की स्थापना शामिल है, जो पूरे देश में एक महत्वपूर्ण हरित क्रांति को आगे बढ़ाएगी।

विद्युत क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और यह भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) का मसौदा प्रकाशित किया है तथा सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की हैं। एनईपी के अनुसार, गैर–जीवाश्म आधारित क्षमता का हिस्सा वर्ष 2026–27 के अंत तक बढ़कर 57.4% हो जाने की संभावना है और मई 2024 तक लगभग 43.5% से वर्ष 2031–32 के अंत तक 68.4% तक बढ़ने की संभावना है।

मध्यम अवधि में, सहायक सरकारी नीतियों, अवसंरचना विकास के कारण बिजली की बढ़ती मांग और बढ़ती आबादी जैसे कारकों से बाजार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हालांकि, विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण नेटवर्क स्थापित करने और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है, और निजी क्षेत्र के कमजोर निवेश बाजार की वृद्धि में बाधा डाल सकते हैं। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत की प्रचुर सौर विकिरण और वर्ष भर सौर ऊर्जा की उपलब्धता, विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा के दोहन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। विदेशी निवेश और व्यापक विद्युत परियोजनाओं के साथ, ये कारक भारतीय विद्युत बाजार में विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं।

भारत सरकार ने समग्र ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन और विभिन्न राज्य स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों जैसी नीतियां नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के लिए अनुकूल परिवेश सुनिश्चित करना है।

ख. ऊर्जा भंडारण

जल विद्युत न केवल एक नवीकरणीय और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत है, बल्कि इसका लचीलापन और भंडारण क्षमता ग्रिड स्थिरता में सुधार करना और पवन एवं सौर जैसे अन्य आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को परिनियोजित करने का समर्थन करना भी संभव बनाती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनी उतार–चढ़ाव भरी प्रकृति के कारण विद्युत की निरंतर आपूर्ति को बनाए या नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें बड़े पैमाने पर बिजली भंडारण की आवश्यकता होती है।

भारत का लक्ष्य गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करना और वर्ष 2005 के स्तर के आधार पर वर्ष 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। उत्पादन की अनिरंतर प्रकृति के कारण, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को ग्रिड एकीकरण और चौबीसों घंटे आपूर्ति में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भंडारण समाधान काफी हद तक नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी बार–बार आने वाली समस्या का समाधान करते हैं। भंडारण प्रौद्योगिकियों में प्रगति और आगे की प्रगति की प्रत्याशा को नवीकरणीय ऊर्जा के विकास का कारक माना जा सकता है। इसके कारण, यह उम्मीद की जाती है कि भविष्य में, हाइब्रिड प्रणाली जो चौबीसों घंटे विद्युत प्रदान करने के लिए भंडारण के साथ सौर, पवन, हाइड्रो और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करती हैं, स्टैंडअलोन नवीकरणीय परियोजनाओं पर अभिभावी होंगी।

जबकि विभिन्न वैश्विक ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को लागू किया गया है, पंप स्टोरेज संयंत्र (पीएसपी) विश्व भर में विद्युत प्रणालियों में पीकिंग पावर प्रदान करने और प्रणाली स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तेजी से महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। पंप स्टोरेज तकनीक अपनी दीर्घकालिक विश्वसनीयता, तकनीकी परिपक्वता, लागत–प्रभावशीलता, उच्च दक्षता और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण के समाधान के रूप में लचीलेपन के लिए प्रसिद्ध है। यह सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की आंतरायिक और परिवर्तनशील प्रकृति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का कुशलतापूर्वक समाधान करता है।

वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित क्षमता और वर्ष 2070 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाएँ आवश्यक हैं। पीएसपी ग्रिड के साथ आंतरायिक नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद करेंगे। यह प्रेषण–योग्य आरई विद्युत की आपूर्ति को सक्षम करेगा और ग्रिड की शीर्ष मांग आवश्यकता को पूरा करने में मदद करेगा। टीएचडीसी लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही उत्तराखंड में 1,000 मेगावाट (4x250 मेगावाट) टिहरी स्टेज II परियोजना के 2024–25 तक चालू होने की संभावना है, जो केंद्रीय क्षेत्र में पहली पीएसपी होगी।

ग. कंपनी के लिए दृष्टिकोण:

(क) आपकी कंपनी भारत सरकार द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन के लगभग सभी रूपों में प्रमुख व्यवसायी बनने के लिए लगातार अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है।

(ख) सामरिक व्यवसाय विविधीकरण योजना के तहत, आपकी कंपनी ने सौर और पवन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक / गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में विशेष परामर्श सेवाएं प्रदान करने में भी विविधता लाई है।

(ग) आपकी कंपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और अधिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए गहन प्रयास कर रही है।

(घ) उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं की अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) के साथ साझेदारी में दिसम्बर 2023 में 'टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी निगमित की गई है।

(ङ) संयुक्त उद्यम कंपनी–टुस्को लिमिटेड के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

(च) संयुक्त उद्यम कंपनी–'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' के माध्यम से राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्कों का विकास किया जा रहा है।

(छ) टिहरी पीएसपी में, सभी मोर्चों पर कमीशनिंग कार्य अग्रिम चरण में हैं और पहली इकाई चालू होने वाली है।

(ज) वीपीएचईपी में, परियोजना के हित में विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन के बाद सभी परियोजना गतिविधियाँ प्रगति पर हैं और पहली इकाई के मार्च, 2026 तक चालू होने की संभावना है।

(झ) जिला बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (1320 मेगावाट) ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और पहली इकाई इस वर्ष चालू होने की संभावना है।

(ञ) 17.11.2022 को खदान खुलने के बाद 18.02.2023 से अमेलिया कोयला खदान में कोयला निष्कर्षण शुरू हो गया है और 29.06.2023 से कोयला प्रेषण भी शुरू कर दिया गया है।

(ट) वर्तमान में आपकी कंपनी की कुल प्रचालन क्षमता 1587 मेगावाट है और टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) के चालू होने के साथ, वित्त वर्ष 2024–25 में कुल प्रचालन क्षमता 3907 मेगावाट हो जाएगी।

(ठ) 31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास रु. 4000 करोड़ की अधिकृत पूंजी और रु.3665.88 करोड़ की संदत्त पूंजी है।

घ. भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य

अगस्त 2022 में, भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतन किया है। भारत स्वच्छ ऊर्जा की ओर अपने संक्रमण में दृढ़ रहा है, जिसने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि की सबसे तेज़ गति प्राप्त की है और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा "सीओपी26 में भारत की पंचामृत घोषणा" में व्यक्त किए गए महत्वाकांक्षी संक्रमण लक्ष्यों को प्राप्त किया है।

भारत पंचामृत कार्य योजना के तहत अपने निम्नलिखित पाँच अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार है:–

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट की गैर–जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता तक पहुँचना।
- वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा पूरा करना।
- वर्ष 2030 तक सीओ2 उत्सर्जन को 1 बिलियन टन कम करना;
- वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45 प्रतिशत से कम करना;
- वर्ष 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

ङ. सरकार द्वारा मुख्य पहलें

भारत सरकार ने सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विद्युत क्षेत्र को फोकस के प्रमुख क्षेत्र के रूप में अभिचिह्नित किया है। देश में बिजली की अधिकतम मांग वर्ष 2015–16 से वर्ष 2023–24 तक ऊर्जा के संदर्भ में 58.62 प्रतिशत बढ़ी है। वित्त वर्ष 2015–16 में अधिकतम मांग 1,53,366 मेगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 2,43,271 मेगावाट हो गई है। वित्त वर्ष 2015–16 और 2023–24 के बीच 1,36,807 मेगावाट क्षमता जोड़कर बढ़ी हुई मांग को पूरा किया गया। वित्त वर्ष 2023–24 में भारत में विद्युत उत्पादन 1,739.10 बीयू था। वित्त वर्ष 2023–24 में देश में अधिकतम बिजली की मांग 243. 27 गीगावाट रही।

विद्युत (द्वितीय संशोधन) नियम 2023 में हाल ही में किए गए संशोधन का उद्देश्य लेखांकन, रिपोर्टिंग और बिलिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके डिस्कॉम को सब्सिडी भुगतान में सुधार करना है। संशोधन में यह अधिदेश दिया गया है कि यदि राज्य सरकारें समय पर सब्सिडी की प्रतिपूर्ति नहीं करती हैं, तो नियामक आयोगों को टैरिफ बढ़ाना होगा। 'कैरट एंड स्टिक' दृष्टिकोण को लागू करके, सरकार समय पर और पारदर्शी सब्सिडी संवितरण सुनिश्चित करने की उम्मीद करती है।

इसके अलावा, वर्ष 2024 से सीएंडआई उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ़ डे (टीओडी) टैरिफ लागू करने और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का सरकार का निर्णय न केवल पीक घंटों के दौरान ग्रिड पर दबाव को कम करेगा, बल्कि जिम्मेदार विद्युत खपत पैटर्न को भी प्रोत्साहित करेगा और लागतों को अनुकूलित करेगा। शाम की जगह दिन के समय विद्युत की मांग को स्थानांतरित करने से सौर ऊर्जा का उपयोग करके टैरिफ को कम करने में मदद मिल सकती है, और ऐसे उपाय स्वच्छ ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

सरकार की पहल पहले से ही सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर रही है। राज्यों का उत्पादन कंपनियों (जेनको) पर कुल बकाया, जो 3 जून, 2022 को रु.1,205 बिलियन (14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था, 24 जुलाई, 2023 को घटकर रु.610 बिलियन (7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) हो गया। विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 के अधिनियमित होने के बाद दंड से बचने के लिए डिस्कॉम ने भी समय पर अपना बकाया भुगतान करना शुरू कर दिया। आईईईएफए की राज्यों की विद्युत संक्रमण (एसईटी) रिपोर्ट राज्यों द्वारा अपनी कुल अतिदेय राशि/बकाया भुगतान अनुपात को कम करने में काफी सुधार दिखाती है।

इसके अतिरिक्त, अपने महत्वाकांक्षी डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को साकार करने में मदद करने के लिए, भारत सरकार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने में कई अन्य देशों में शामिल हो गई है, अर्थात् राज्य द्वारा जारी किए गए निश्चित आय वाले लिखत, जिनकी आय का उपयोग सख्ती से सतत और हरित सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के वित्तपोषण या पुनर्वित्त के लिए किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन बांड भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को वित्तपोषित करने और ऊर्जा सीपीएसयू को स्वच्छ ऊर्जा में विविधता लाने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

31 मार्च, 2024 तक, भारत की संस्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता

(जलविद्युत सहित) 190.57 गीगावाट थी, जो 442 गीगावाट की कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 43.1% है। 31 मार्च, 2024 तक, सौर ऊर्जा ने 81.82 गीगावाट का योगदान दिया, इसके बाद पवन ऊर्जा से 45.89 गीगावाट, बायोमास से 10.94 गीगावाट, लघु जलविद्युत से 5.01 गीगावाट और जलविद्युत से 46.93 गीगावाट का योगदान रहा।

वित्त वर्ष 2023–24 में गैर–जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि 18.42 गीगावाट रही, जो वित्त वर्ष 2022–23 में 15.18 गीगावाट थी।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम), विनियम, 2024 के मसौदे को अधिसूचित किया हैः मसौदे के अनुसार, उत्पादन स्टेशनों और उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए टैरिफ यदि लागू हो, तो पूरे समाधान या इकाई के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जबकि पारेषण प्रणाली टैरिफ पूरी प्रणाली या उसके अवयवों पर लागू होती है। 1 अप्रैल, 2024 से पहले वाणिज्यिक प्रचालन वाली इकाइयों या प्रणालियों के लिए, 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2029 तक टैरिफ निर्धारण के लिए एक समेकित याचिका दायर की जानी चाहिए।

सीईआरसी ने सीईआरसी (विद्युत का सीमा पार व्यापार) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया हैः अधिसूचनाओं के अनुसार, निपटान नोडल एजेंसी (एसएनए) शुल्क पड़ोसी देशों में स्थित भाग लेने वाली संस्थाओं द्वारा अनिवार्य कार्यों को पूरा करने के लिए एसएनए को देय शुल्क को संदर्भित करता है। इसके अलावा एसएनए भाग लेने वाले देशों से निर्धारित ऊर्जा पर रु.0.50 प्रति यूनिट के एसएनए शुल्क वसूल सकता है और इन शुल्कों के संग्रह के लिए एक उपयुक्त भुगतान सुरक्षा तंत्र तैयार कर सकता है।

बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता और सक्षमकारी अवसंरचना, अर्थात् सड़कों/पुलों की लागत के लिए दिशानिर्देश भी दिनांक 28.09.2021 को अधिसूचित किए गए हैं।

30.06.2025 तक चालू पीएसपी के लिए पारेषण शुल्क में छूट/कमी को सरकार द्वारा दिनांक 21.06.2021 के विद्युत मंत्रालय के आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

नवीकरणीय ऊर्जा के साथ हाइड्रो पावर को बंडल करने की योजना को विद्युत मंत्रालय के आदेश दिनांक 15.11.2021 और संशोधित योजना दिनांक 12.04.2022 को जारी करके अधिसूचित किया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 22.12.2021 के आदेश के तहत अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं का बेसिन वार आवंटन हाइड्रो को किया है, ताकि संकेतित परियोजनाओं पर उपयुक्त विश्लेषण और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जा सके।

नई जल विद्युत परियोजनाओं से बिजली के संचरण पर आईएसटीएस शुल्क में छूट दी गई है जिनका निर्माण कार्य 30.06.2025 को या उससे पूर्व सौंपा गया है और पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद 01.07.2025 से 01.07.2028 तक 25% के चरणों में आईएसटीएस शुल्क में आंशिक छूट दी गई है जिन परियोजनाओं का निमार्ण कार्य और पीपीए पर हस्ताक्षर 30.06.2028 तक किए जाएंगे।

जलविद्युत क्षेत्र में सुधारः

जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, मार्च 2019 में, भारत सरकार ने कई सरकारी नीतिगत उपायों को मंजूरी दी, जो इस प्रकार हैंः

(क) बड़े जल विद्युत (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाएं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।

(ख) गैर–सौर नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) के भीतर एक अलग इकाई के रूप में हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ)

(ग) जलविद्युत टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय

(घ) बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के लिए बजटीय सहायता

(ङ) अवसंरचना को सक्षम करने की लागत, अर्थात् सड़कों/पुलों के लिए बजटीय सहायता

(च) 200 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए रु.1.5 करोड़ प्रति मेगावाट

(छ) 200 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाओं के लिए रु.1.0 करोड़ प्रति मेगावाट

इन उपायों के परिणामस्वरूप, प्रारंभिक वर्षों में पूंजी लागत के साथ–साथ परियोजना शुल्क भी कम हो जाएगा जिससे परियोजना व्यवहार्यता और बिक्री क्षमता में सुधार होगा।

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में आमतौर पर विभिन्न कारणों से देरी होती है जिसके परिणामस्वरूप समय और लागत में वृद्धि होती है। जल विद्युत परियोजनाओं में समय और लागत वृद्धि की घटनाओं को कम करने के लिए दिशानिर्देश 08.11.2019 को जारी किए गए थे। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न पहलुओं नामतः यथार्थवादी शेड्यूलिंग, सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग, सनसेट तिथि की अवधारणा, महत्वपूर्ण / गैर महत्वपूर्ण कार्यों को सूचीबद्ध करना, शक्ति का प्रत्यायोजन, दावों का समय पर निपटान, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, संसाधन जुटाना, विवाद समाधान, समय पर परियोजना उपलब्धि चरण हासिल करने पर श्रम को प्रोत्साहित करना आदि को शामिल किया गया है।

केंद्रीय बजट

वर्ष 2024 के बजट में सरकार की विद्युत क्षेत्र की पहलों के लिए 50% अधिक निधियां आवंटित की गई है। वर्ष 2030 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा और ग्रीन–एनर्जी कॉरिडोर के लिए अधिक निधियां आवंटित की गई है।

भारत मूल्य श्रृंखला में निवेश के साथ वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लिए तैयार है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत की विद्युत आवश्यकता बढ़कर 817 गीगावॉट तक पहुँच जाएगी। सरकार की योजना वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की है।

उत्तराखंड राज्य में पीएसपी विकास के लिए सहायता और प्रोत्साहन

उत्तराखंड राज्य में पीएसपी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैंः

(क) अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभार से छूटः पीएसपी डेवलपर्स को परियोजना सीओडी से पांच (5) वर्ष की अवधि के लिए अंतर–राज्यीय पारेषण प्रभार का 50% से अधिक बिल नहीं दिया जाएगा, बशर्ते कि परियोजना सीओडी वित्त वर्ष 2033–34 के अंत से पहले हो।

(ख) स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से छूटः स्थानीय क्षेत्र विकास निधि उन परियोजनाओं के लिए ऑफ–स्ट्रीम पीएसपी पर लागू नहीं होगी जहां राज्य सरकार द्वारा बिजली खरीदी जाती है।

(ग) राज्य सरकार को निःशुल्क रॉयल्टी विद्युत से छूटः राज्य सरकार पंप स्टोरेज परियोजनाओं से कोई निःशुल्क रॉयल्टी विद्युत नहीं लेगी।

(घ) भूमिः सभी श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए, फास्ट ट्रैक विकास की सुविधा के लिए आवेदन के 8 सप्ताह के भीतर निजी भूमि पर हस्तांतरण/मंजूरी की अनुमति दी जाएगी।

(ङ) जल कर/प्रभारः पीएसपी परियोजनाओं के लिए, जल कर केवल भंडारण स्थलों में जल के निवल प्रवेश पर लागू होगा, न कि विद्युत उत्पादन के लिए भंडारण स्थलों के बीच जल के पुनर्चक्रण के लिए।

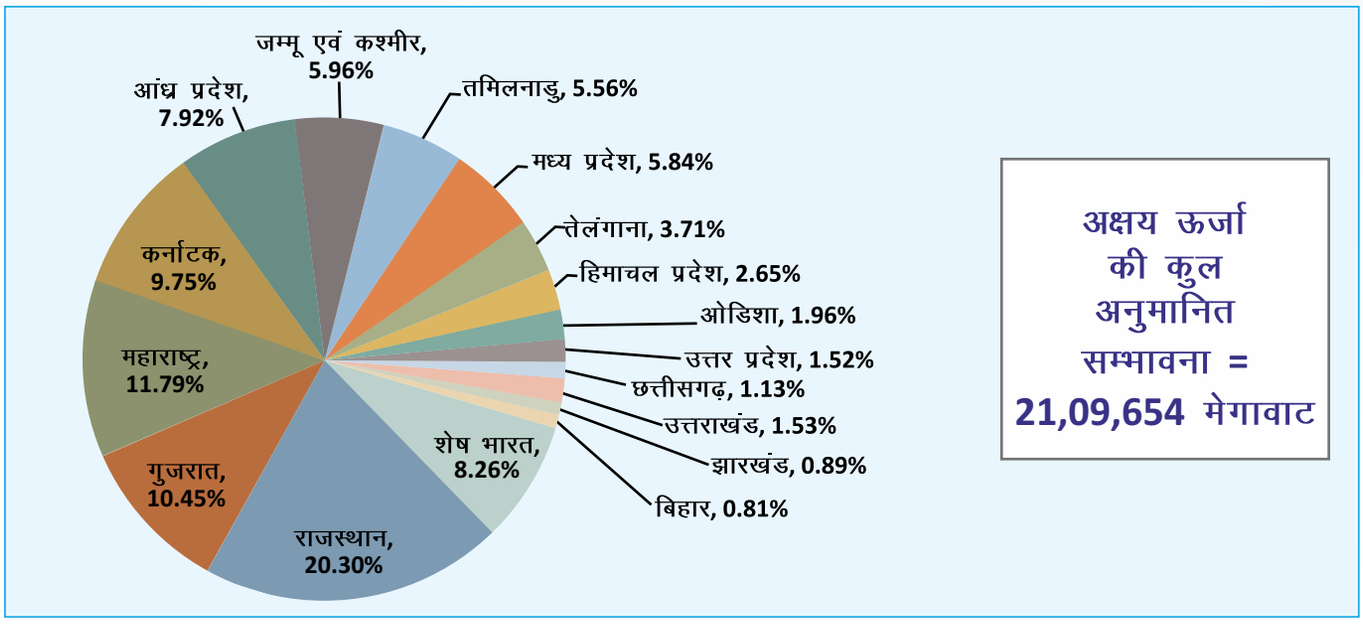
(च) मौजूदा परियोजनाओं वाले डेवलपर्स को वरीयताः राज्य में मौजूदा प्रचालनाधीन/निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं वाले डेवलपर्स को पीएसपी परियोजना आवंटित करते समय अन्य बोलीदाताओं पर वरीयता दी जाएगी, जब प्रस्तावित पीएसपी मौजूदा भंडारण से जुड़ा हो। हालांकि, पीएसपी क्षमता आवंटित जलविद्युत क्षमता से अधिक होगी। इस अतिरिक्त पीएसपी क्षमता के लिए अग्रिम प्रीमियम में कोई वृद्धि लागू नहीं होगी। ऐसी परियोजनाओं के लिए आवंटन अवधि जलविद्युत परियोजना रियायत समय की अधिकतम सीमा तक सीमित होगी।

(छ) एकल खिड़की मंजूरीः समयबद्ध वैधानिक मंजूरी प्राप्त करने के लिए पीएसपी डेवलपर्स के लिए एकल खिड़की मंजूरी उपलब्ध कराई जाएगी और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान की जा सकती है।

च. भारत में नवीकरणीय विद्युत की क्षमता

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता का भौगोलिक वितरण दर्शाता है कि राजस्थान में सबसे अधिक लगभग 20.3% (428322 मेगावाट) हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र में 11.79% (248665 मेगावाट) है। गुजरात और कर्नाटक क्रमशः 10.45% और 9.75% हिस्से (220505 मेगावाट और 205648 मेगावाट) के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

इन चार (4) राज्यों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की कुल क्षमता का 52% से अधिक हिस्सा है। इस प्रकार, भारत में, विद्युत की संस्थापित उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने पर जोर दिया गया है। अभिनव पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ कई ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करके सतत तरीके से प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विश्वसनीय विद्युत का उत्पादन और प्रदान करना कंपनी में नीति नियोजन के मूल में रहा है। इसके अतिरिक्त, हाइड्रोकार्बन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी बोझ देश को ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के लिए विवश कर रहे हैं।



दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की राज्यवार अनुमानित क्षमता

सरकार की योजना को लागू करने के लिए टीएचडीसीआईएल की पहल

टीएचडीसीआईएल द्वारा सरकार की योजना का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- टीएचडीसीआईएल ने पूरे भारत में बिजली के व्यापार के लिए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया है।
- टीएचडीसीआईएल और यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश सरकार सरकार की एक इकाई/एजेंसी) के बीच 'टुस्को लिमिटेड' नामक एक एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में 2000 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्कों का विकास किया जा रहा है। तदनुसार, जिला झाँसी और जिला ललितपुर में प्रत्येक में 600 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क और जिला चित्रकूट में 800 मेगावाट का सौर पार्क विकसित किया जा रहा है।
- राजस्थान राज्य में 10,000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल और आरआरईसीएल (राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के बीच 'ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड' नामक एक संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी का भी निगमन किया गया है।
- विभिन्न राज्यों में पंप भंडारण संयंत्रों की संभावना का पता लगाया जा रहा है।
- स्थानीय विक्रेताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सभी खरीद आम तौर पर सरकारी ई–मार्केट पोर्टल (जीईएम) के माध्यम से की जा रही है।
- टीएचडीसीआईएल भारत में सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाओं के मौजूदा जलाशयों और नहरों पर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने का प्रयास करता है।
- टीएचडीसीआईएल एक नई उभरती कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को लागू करने की भी प्रक्रिया में है। इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर, क्षमता में वृद्धि की जाएगी जो उत्सर्जित गैसों से अधिकाधिक कार्बन–आधारित उत्सर्जन (सीओ2 आदि) को हटाने में मदद करेगी।
- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत, टीएचडीसीआईएल निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान करके 'स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं' को प्रोत्साहित कर रहा है।
- स्थानीय क्षेत्र के युवाओं और निवासियों के बीच आजीविका और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, टीएचडीसीआईएल द्वारा कई गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- टीएचडीसीआईएल द्वारा पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सीएसआर गतिविधियां कार्यान्वित की जा रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन के शमन के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहायता के लिए, टीएचडीसी ने उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में 03 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल सौर आधारित स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, बर्तनों के साथ इंडक्शन कुक टॉप आदि का वितरण करता है।

अरुणाचल प्रदेश में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं का विकास:

अरुणाचल प्रदेश में रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए, दिसंबर, 2021 में मंत्रालय द्वारा दिए गए बेसिन–वार संकेत के अनुसार, विद्युत मंत्रालय के तहत हाइड्रो सीपीएसई (एनएचपीसी लिमिटेड, नीपको लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और टीएचडीसी लिमिटेड) को 32,415 मेगावाट की संचयी क्षमता की 29 परियोजनाओं को संभालने के लिए संकेत दिया गया था।

इन समझौता–करारों पर हस्ताक्षर करना और इन परियोजनाओं को हाइड्रो सीपीएसयू को आबंटित करना अरुणाचल प्रदेश की अपार जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इन परियोजनाओं का विकास वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने के घोषित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगा। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न होने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के थ–साथ क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

छ. वित्तीय चर्चा और विश्लेषण

कंपनी मुख्य रूप से जलविद्युत और गैर–पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं के बिजली उत्पादन के लिए टैरिफ सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संदर्भ में विनियमित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर एक विस्तृत वित्तीय चर्चा और विश्लेषण निम्नानुसार है।

निम्नलिखित पैराग्राफ में टिप्पणी (यों) के संदर्भ, इस रिपोर्ट में कहीं और रखे गए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में उल्लिखित है।

पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(क) प्रचालन के परिणाम

उत्पादन की गई विद्युत यूनिटें (एमयू)	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
उत्पादन	4830.64	4936.28
बिक्री	4270.20	4365.30
आय		(₹ करोड़ में)
1. सतत प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)	1967.24	1974.30
2. अन्य आय (टिप्पणी 34)		
क) लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	15.48	17.70
ख) अन्य	29.37	11.65
कुल आय	**2012.09**	**2003.65**

(ख) आयः

कंपनी की आय में बिजली की बिक्री से आय, लाभार्थियों से प्राप्त ब्याज और अधिभार, परामर्श, आदि शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सकल आय रु.2012.09 करोड़ है जबकि पिछले वर्ष में रु. 2003.65 करोड़ थी जिसमें 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई है। सकल आय में वृद्धि मामूली है।

प्रशुल्क

कंपनी द्वारा जलविद्युत की बिक्री भारत सरकार द्वारा जारी टैरिफ नीति के अनुसार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित टैरिफ द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने टैरिफ विनियम, 2019 अधिसूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें शामिल हैं, जो 01.04.2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू है। टैरिफ, वार्षिक निश्चित लागत (एएफसी) के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है जिसमें इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई), मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और प्रचालन और रखरखाव व्यय शामिल हैं। आरओई को संबंधित वित्तीय वर्ष की प्रभावी आयकर दर के साथ जोड़ा जाता है ताकि आयकर भार की वसूली की जा सके। वसूली के उद्देश्य से, एएफसी को दो बराबर भागों अर्थात ऊर्जा प्रभार और क्षमता प्रभार में विभाजित किया गया है। ऊर्जा शुल्क की वसूली अनुसूचित बिक्री योग्य ऊर्जा पर निर्भर है और बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा स्तर प्राप्त होने पर पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाती है। बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक उत्पादन ऊर्जा के लिए ऊर्जा प्रभार के रूप में अतिरिक्त राजस्व के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से 1.20%/युनिट अधिक पर बिल किया जाता है। । क्षमता शुल्क की वसूली नॉर्मेटिव वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ) के संदर्भ में बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की वास्तविक उपलब्धता कारक पर निर्भर है, जिसे माननीय सीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए टिहरी एचपीपी के लिए 80% और कोटेश्वर एचईपी के लिए 68% निर्धारित किया गया है। कंपनी एनएपीएएफ के सापेक्ष उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएफ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने की हकदार है।

प्रचालन से राजस्व में निम्नलिखित भी शामिल हैंः

(I) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में पाटन पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(II) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार गुजरात में द्वारका पवन परियोजना से पवन ऊर्जा की बिक्री को विनियमित किया जाता है।

(III) उत्तर प्रदेश में ढुकवां एसएचपी से लघु जल विद्युत की बिक्री, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

(IV) केरल में कासरगोड सौर परियोजना से सौर ऊर्जा की बिक्री, केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के साथ हस्ताक्षरित विद्युत क्रय करार (पीपीए) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

प्रचालन से राजस्व (टिप्पणी 33)

माननीय सीईआरसी ने 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की टैरिफ याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और दिनांक 13.05.2022 के अपने आदेश के माध्यम से टैरिफ की अनुमति दी है। माननीय सीईआरसी ने दिनांक 03.10.2022 के अपने आदेश के माध्यम से 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका का भी निपटारा कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व क्रमशः दिनांक 13.05.2022 और दिनांक 03.10.2022 के उपरोक्त आदेशों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

इसके अतिरिक्त, प्रचालन से प्राप्त राजस्व में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु.125.99 करोड़ का जल उपभोग प्रभार शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च संयंत्र उपलब्धता कारक की उपलब्धि के कारण टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशनों के संबंध में क्षमता प्रभार प्रोत्साहन के कारण रु.8.02 करोड़ की राशि शामिल है।

बिक्री में मुख्य रूप से विद्युत स्टेशनों की बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा की तुलना में उच्च ऊर्जा उत्पादन के कारण टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी स्टेशनों के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से परे ऊर्जा शुल्क के कारण रु.50.45 करोड़ की राशि भी शामिल है।

पवन, लघु जलविद्युत और सौर परियोजनाओं के लिए बिक्री राजस्व को पीपीए के अनुसार टैरिफ के आधार पर मान्यता दी गई है।

कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, जिसमें मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें और निजी वितरण कंपनियों के स्वामित्व वाली बिजली यूटिलिटी शामिल हैं। बिजली की बिक्री आम तौर पर ऐसी उपयोगिताओं के साथ किए गए दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) पर आधारित होती है।

उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता कारक (पीएएफ) का विवरण नीचे दिया गया हैः

विवरण	टिहरी एचपीपी (1000 मेगावाट)		कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट)	
	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	2797.00	2797.00	1154.84	1154.84
सकल उत्पादन (एमयू)	3248.57	3284.79	1193.16	1255.20
मानक पीएएफ (%)	80.000	80.000	68.000	68.000
वास्तविक पीएएफ (%)	80.274	84.090	69.542	68.659

बिक्री में समय–समय पर सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों पर रु.10.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु.18.98 करोड़) का विचलन निपटान प्रभार भी शामिल है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राजस्वः

वित्त वर्ष 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं (पवन, लघु जलविद्युत और सौर ऊर्जा) की बिक्री से राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में रु. 3.89 करोड़ की कमी आई है। ढुकवां एसएचईपी और कासरगोड सौर परियोजना ने क्रमशः रु.35.73 करोड़ और रु.29.09 करोड़ का योगदान दिया। कंपनी अपनी पवन परियोजनाओं पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का लाभ भी उठा रही है जो रु.9.94 करोड़ (पिछले वर्ष रु.10.05 करोड़) है।

पवन, लघु जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं से एमयू में उत्पादन और बिक्री का विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	पवन (113 मेगावाट) पाटन–50 मेगावाट, द्वारिका 63 मेगावाट		ढुकवां (24 मेगावाट)		कासरगोड सोलर (50 मेगावाट)'	
	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष
उत्पादन (एमयू)	216.71	218.45	74.89	82.46	97.29	95.38
बिक्री (एमयू)	207.34	209.37	73.66	81.08	95.77	93.10

अन्य आय (टिप्पणी 34)

अन्य आय में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैंः

(रु. करोड़ में)

आय	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
बैंकों से ब्याज	0.90	0.73
लाभार्थियों से विलंबित भुगतान अधिभार	15.48	17.70
अन्य विविध आय (मशीन किराया शुल्क, किराया आय, विविध आय, अतिरिक्त प्रावधान प्रतिलेखित, संपत्ति की बिक्री पर लाभ, कर्मचारियों से ब्याज, अन्य और विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव समायोजन सहित)	28.47	10.92
कुल आय	**44.85**	**29.35**

वर्ष के लिए अन्य आय पिछले वर्ष के रु.29.35 करोड़ से 52.81 रु. बढ़कर रु.44.85 करोड़ हो गई। इसका मुख्य कारण यह है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी को वित्त वर्ष 2016–17 और 2017–18 से संबंधित आयकर प्रतिदाय पर ब्याज प्राप्त हुआ है। इसके अलावा कर्मचारी अग्रिम पर ब्याज में रु.1.38 करोड़ की कमी आई है और विलंबित भुगतान अधिभार में रु.2.22 करोड़ की कमी आई है।

(ग) व्यय

व्यय में निम्नलिखित शामिल हैंः

(रु. करोड़ में)

व्यय	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)	341.17	336.74
वित्त लागत (टिप्पणी 36)	158.65	181.37
मूल्यह्रास और परिशोधन (टिप्पणी 2)	300.05	273.90
उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)	611.92	428.20
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर (टिप्पणी 38)	0.00	0.00
कुल व्यय	**1411.79**	**1220.21**
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन शेष – आय / (व्यय)	**(83.03)**	**43.30**

कर्मचारी हितलाभ व्यय (टिप्पणी 35)

कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और मजदूरी, भत्ते और लाभ, भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान, कल्याण व्यय और आस्थगित कर्मचारी लागत के परिशोधन व्यय शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में यह व्यय कुल व्यय का 24.17% है जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में यह कुल व्यय का 27.60% था। वर्ष के दौरान कर्मचारी हितलाभ व्यय रु.341.17 करोड़ (पिछले वर्ष रु.336.74 करोड़) है अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में रु.4.43 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के कारण हुई है।

वित्त लागत (टिप्पणी 36)

वित्त लागत में मुख्य रूप से बांड, घरेलू ऋण, विदेशी ऋण, नकद ऋण आदि पर ब्याज शामिल है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, वित्त लागत (चालू वर्ष में रु.158.65 करोड़, पिछले वर्ष रु.181.37 करोड़) में रु.22.72 करोड़ की कमी आई। वित्त लागत में कमी मुख्य रूप से लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित एफईआरवी में रु.59.32 करोड़ की कमी (वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लाभ एवं हानि में प्रभारित एफईआरवी रु.19.20 करोड़ है जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रु. 78.52 करोड़ था), घरेलू ऋण पर ब्याज में रु.7.38 करोड़ की कमी के कारण हुई है, क्योंकि दीर्घकालिक घरेलू ऋणों में रु.45.14 करोड़ की निवल कमी और अन्य में रु.4.03 करोड़ की कमी आई है।

तथापि, कोटेश्वर परियोजना के लिए लिए गए रु.1000.00 करोड़ के अल्पावधि ऋण के कारण अल्पावधि ऋण पर ब्याज में रु.48.01 करोड़ की वृद्धि हुई है।

मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (टिप्पणी 2)

कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के अनुसार टैरिफ निर्धारण के उद्देश्य से केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली का पालन करते हुए ऋजु रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास लगाया जाता है, सिवाय कुछ मदों के जिनके लिए कंपनी द्वारा निर्धारित दरों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है।

मूल्यह्रास लागत (वित्त वर्ष रु. 300.05 करोड़; वित्त वर्ष रु.273.90 करोड़) में रु. 26.15 करोड़ की वृद्धि हुई है। रु. 23.57 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2022–23 में ढुकवां परियोजना में मूल्यह्रास कार्यप्रणाली में परिवर्तन, अर्थात गैर सीईआरसी परियोजना के रूप में "त्वरित मूल्यह्रास से लेकर पूरे परियोजना जीवन पर समान रूप से लगाया जाने वाला मूल्यह्रास" के कारण हुई है। इसके अलावा कोटेश्वर इकाई के मूल्यह्रास में रु.7.08 करोड़ की वृद्धि और टिहरी इकाई के मूल्यह्रास में रु.4.50 करोड़ की कमी हुई है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान मूल्यह्रास हमारे कुल व्यय का 21.25% होगा, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 22.45% होगा।

उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्यय (टिप्पणी 37)

उत्पादन, प्रशासनिक और अन्य व्ययों में मुख्य रूप से इमारतों, सड़कों और संयंत्र और मशीनरी का किराया, मरम्मत और रखरखाव, वाहन किराए पर लेना और संचालन, सुरक्षा, लेखा परीक्षकों को भुगतान, सर्वेक्षण और जांच, सीएसआर और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर व्यय और अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान उत्पादन, प्रशासन और अन्य व्यय कुल व्यय का 43.34% प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान यह 35.09% था। कुल मिलाकर वित्त वर्ष 2023–24 में व्यय रु. 611.92 करोड़ था, जबकि पिछले वर्ष यह रु.428.20 करोड़ था, अर्थात् इसमें रु.183.72 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्य रूप से निपटाए गए मध्यस्थता मामलों के संबंध में संदत्त/संदेय ब्याज में रु.63.10 करोड़ की वृद्धि, जल उपयोग शुल्क पर व्यय में रु.43.98 करोड़, मरम्मत और अनुरक्षण में रु.32.10 करोड़, सीएसआर व्यय में रु. 11. 18 करोड़, बीमा व्यय में रु. 10.66 करोड़, सुरक्षा व्यय में रु.5.50 करोड़, सर्वेक्षण और जांच व्यय में रु.7.28 करोड़, वाहन किराया शुल्क में रु.3.63 करोड़, अन्य सामान्य व्यय जैसे जनशक्ति की भर्ती, पारगमन शिविर व्यय और अन्य में रु.6.29 करोड़ की वृद्धि हुई।

अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए प्रावधान (टिप्पणी 38)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अशोध्य और संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर और स्पेयर्स का प्रावधान पर किया गया व्यय 'शून्य' है।

विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन (टिप्पणी 40)

कंपनी मुख्य रूप से विद्युत के उत्पादन और बिक्री में लगी हुई है। जलविद्युत परियोजनाओं से अपने ग्राहकों को बेची जाने वाली बिजली के लिए कंपनी द्वारा वसूला जाने वाला मूल्य सीईआरसी द्वारा निर्धारित किया जाता है जो टैरिफ के निर्धारण के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। टैरिफ इक्विटी पर निर्धारित आय के साथ स्वीकार्य लागत जैसे ब्याज, मूल्यह्रास, संचलन और रखरखाव खर्च आदि पर आधारित है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार निर्माण अवधि के दौरान विनिमय दर भिन्नता के कारण, कोई लाभ या हानि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की घोषणा तक पूंजीगत लागत का हिस्सा होगी। वेतन संशोधन के प्रभाव, आस्थगित कर अंतर, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य या देय सीमा तक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मद के निपटान/परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को तुलन पत्र में बिना छूट के आधार पर नियामक आस्थगित खाता डेबिट/क्रेडिट शेष के रूप में मान्यता दी जाती है। तुलन–पत्र

(बैलेंस शीट) और निवल प्रभाव को लाभ और हानि खाते में नियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन के रूप में मान्यता दी जाती है। उन्हें टैरिफ के हिस्से के रूप में उनके मटेरियलाइजेशन पर समायोजित किया जाता है। इसका लेखा–जोखा इंड एएस–114 के अनुसार है।

विनियामक आस्थगित खाता शेष आय/(व्यय) में निवल संचलन वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु.(83.03) करोड़ और वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रु. 43.30 करोड़ है।

रु. 126.33 करोड़ की कमी के कारण निम्नानुसार हैं:

1. वेतन संशोधन से संबंधित रु.42.26 करोड़ के समायोजन और दिनांक 31.03.2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान कोटेश्वर इकाई के अन्य रु.1.52 करोड़ के समायोजन के कारण विनियामक स्थगन खाता डेबिट शेष में निवल संचलन में वृद्धि।
2. "विवाद से विश्वास" और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में संदत्त/संदेय ब्याज के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में निवल संचलन में रु.63.10 करोड़ की वृद्धि।
3. रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण विनिमय दर में परिवर्तन के कारण विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष में निवल संचलन (चालू वर्ष रु.19.20 करोड़, पिछला वर्ष रु.78.52 करोड़) में रु.59.32 करोड़ की कमी।
4. आस्थगित कर देयता की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में निवल संचलन में रु.1.20 करोड़ की कमी।
5. भावी उपयोग के लिए उपलब्ध एमएटी क्रेडिट की मान्यता के कारण विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में निवल संचलन में रु.199.44 करोड़ की वृद्धि।
6. उपरोक्त के कारण चालू अवधि में देय रु.17.58 करोड़ का कर व्यय। (पिछले वर्ष के दौरान रु.–9.17 करोड़ का कर लाभ लेखांकित किया गया था)।

कर पूर्व लाभ

उपरोक्त उल्लिखित कारणों की वजह से, कर पूर्व लाभ रु.183.14 (वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान रु.783.44 करोड़ के मुकाबले वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान रु.600.30 करोड़) कम हो गया।

कर व्यय (टिप्पणी 39):

i) चालू कर व्ययः कंपनी आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आय पर कर को मान्यता देती है। पिछले वर्ष के रु.136.55 करोड़ की तुलना में वर्ष के लिए चालू कर रु.103.62 करोड़ है।

ख. वित्तीय स्थिति

तुलन पत्र में परिसंपत्तियों और देयताओं को गैर–चालू' और 'चालू' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और इसमें अनुवर्ती संशोधन के अनुसार वित्तीय और अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तुलन–पत्र की मदें इस प्रकार हैं:

(घ) परिसंपत्तियां:

1. गैर–चालू परिसंपत्ति

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (टिप्पणी 2)	6201.25	6182.61
उपयोग का अधिकार वाली परिसंपत्ति (टिप्पणी 2)	641.69	404.53
अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 2)	1.38	0.54
पूंजीगत कार्य–प्रगति पर (टिप्पणी 3)	18898.53	13990.63
सहायक कंपनी में निवेश (टिप्पणी 4)	40.70	25.90
वित्तीय परिसंपत्तिया		
– ऋण (टिप्पणी 5)	28.13	32.00
– अन्य (टिप्पणी 6)	24.87	27.88
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)	1001.45	818.54
गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 8)	59.04	17.56
अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)	1880.33	2097.80
कुल	**28777.37**	**23597.99**

गैर–चालू परिसंपत्तियों में 21.95% की वृद्धि होकर यह रु.28777.37 करोड़ (विगत वर्ष रु.23597.99 करोड़) हो गई हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) (टिप्पणी 2)

पीपीई में भूमि, भवन, सड़क और पुल, संयंत्र और मशीनरी, उत्पादन संयंत्र और मशीनरी, विद्युत कार्य, हाइड्रोलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि), वाहन, विद्युत / कार्यालय उपकरण, फर्नीचर / फिक्सचर्स आदि के संबंध में मूल्यह्रास के बाद निवल ब्लॉक शामिल हैं। पीपीई का सकल ब्लॉक वर्ष के दौरान रु.602.38 करोड़ बढ़कर रु.14826.66 करोड़ (पिछले वर्ष रु.14224.28 करोड़) हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से हाइड्रोलिक कार्य और टिहरी इकाई के जलमग्न क्षेत्र में आने वाली भूमि से संबंधित विभिन्न परिसंपत्तियों के रु.178.84 करोड़ के पूंजीकरण, खुर्जा इकाई में रु.98.62 करोड़ की भूमि, भवन आदि जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों के पूंजीकरण, ऋषिकेश इकाई में रु.10.30 करोड़, अमेलिया में रु.261.87 करोड़ की लीजहोल्ड भूमि के पूंजीकरण, कोटेश्वर में रु.42.78 करोड़ और अन्य इकाइयों में रु.9.97 करोड़ के पूंजीकरण के कारण हुई है। हालांकि, चालू वर्ष के अंत में पीपीई का निवल ब्लॉक रु.6844.32 करोड़ (पिछले वर्ष रु.6587.68 करोड़) है, जिसमें रु.256.64 करोड़ की वृद्धि का संचयी प्रभाव मुख्य रूप से सकल ब्लॉक में वृद्धि और दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप हुई कमी

के कारण हुआ है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति पर और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां (टिप्पणी 3)

चालू वर्ष के दौरान चल रहे पूंजीगत कार्य में मुख्य रूप से निम्नलिखित के कारण रु.4907.90 करोड़ (रु.13990.63 करोड़ से रु. 18898.53 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गई:

1. खुर्जा यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.3192.29 करोड़ की वृद्धि।
2. टिहरी पीएसपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.946.45 करोड़ की वृद्धि।
3. अमेलिया यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.34.05 करोड़ की वृद्धि।
4. वीपीएचईपी यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.581.26 करोड़ की वृद्धि।
5. अरूणाचल प्रदेश यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.128.80 करोड़ की वृद्धि।
6. कोटेश्वर ओ एंड एम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.6.53 करोड़ की वृद्धि।
7. टिहरी ओ एंड एम यूनिट के पूंजीगत कार्यों में रु.2.03 करोड़ की वृद्धि।
8. अन्य में रु.16.49 करोड़ की वृद्धि।

वित्तीय परिसंपत्तियां

व्यापार प्राप्य और सहायक और संयुक्त उद्यमों में निवेश को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य प्लस या माइनस लेनदेन लागत पर मान्यता दी जाती है जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती हैं। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर की गई वित्तीय परिसंपत्तियों की लेनदेन लागत को लाभ या हानि के विवरण में व्यय में दर्शाया जाता है।

गैर–चालू परिसंपत्तियां–सहायक कंपनियों में निवेश (टिप्पणी 4)

निवेश लंबी अवधि के लिए अभिप्रेत है और उस लागत पर किया जाता है जिसमें सहायक कंपनियों में निवेश शामिल होता है। वर्ष के अंत में कुल निवेश रु.40.70 करोड़ है, जो यूपीनेडा के साथ वित्त वर्ष 2021–22 गठित सहायक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टुस्को लिमिटेड, मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड और मेसर्स टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड में किया गया है।

गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (टिप्पणी 5)

गैर–चालू ऋण ऐसे ऋण हैं जिनके तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद वसूल किए जाने की उम्मीद है। इन ऋणों में मुख्य रूप से कर्मचारियों को रियायती दरों पर दिए गए ऋण और अग्रिम शामिल हैं और रिपोर्टिंग तिथि पर उनका उचित मूल्यांकन किया गया है। चालू वर्ष के अंत में ऋण रु.28.13 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 32.00 करोड़) है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 7)

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो अस्थायी अंतरों के रिवर्स होने पर लागू होने की उम्मीद है, जो उन कानूनों के आधार पर लागू होते हैं जिन्हें रिपोर्टिंग की तारीख तक लागू किया गया है। निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति (चालू वर्ष में रु.1001.45 करोड़, पिछले वर्ष में रु.818.54 करोड़) में रु.182.91 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से एमएटी क्रेडिट की मान्यता के कारण हुई।

गैर–चालू कर परिसंपत्तियां (टिप्पणी 8)

यह आयकर विभाग के पास जमा की गई राशि को दर्शाती है, जिसका मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसमें पिछले वित्त वर्ष के रु.17.56 करोड़ से रु.59.04 करोड़ तक रु.41.48 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है।

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 9)

अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत, संविदाकारों को दिए गए पूंजीगत अग्रिम, सरकारी विभागों /संगठनों, संविदाकारों को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। यह मुख्य रूप से संविदाकारों और सरकारी एजेंसियों को अग्रिम के समायोजन के कारण पिछले वर्ष के रु.2097.80 करोड़ की तुलना में घटकर रु.1880.33 करोड़ रह गया।

2. चालू परिसंपत्तियां

(करोड़ रु. में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
इंवेन्ट्री (टिप्पणी 10)	131.56	78.80
वित्तीय परिसंपत्तियां		
– व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)	450.68	695.92
– नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)	95.62	93.65
– ऋण (टिप्पणी 13)	7.90	8.97
–अग्रिम (टिप्पणी 14)	15.63	8.47
– अन्य (टिप्पणी 15)	1494.11	482.47
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)	25.10	93.51
अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)	93.42	69.32
कुल	**2314.02**	**1531.11**

31 मार्च 2024 तक चालू परिसंपत्तियां रु.782.91 करोड़ बढ़कर रु. 2314.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1531.11 करोड़) हो गई हैं। मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

इन्वेंट्री (टिप्पणी 10)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से स्टोर, स्पेयर और कोयला शामिल होते हैं जो संयंत्र के प्रचालन के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं। इन्वेंटरी का मूल्यांकन भारित औसत आधार और निवल वसूली योग्य मूल्य के आधार पर कम लागत पर किया जाता है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति

के अनुसार, इन्वेंटरी का मूल्य रु.131.56 करोड़ (पिछले वर्ष रु.78.80 करोड़) है।

वित्तीय परिसंपत्ति

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी 11)

व्यापार प्राप्यों में मुख्य रूप से ऊर्जा की बिक्री के कारण प्राप्तियां शामिल होती हैं। व्यापार प्राप्यों में लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है जिसे अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों (टिप्पणी 15) के तहत अलग से दर्शाया गया है। चालू वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों में रु.245.25 करोड़ की कमी आई है जिससे यह रु.450.68 करोड़ (विगत वर्ष रु.695.92 करोड़) रह गई। निवल कमी मुख्य रूप से लाभार्थियों से वसूली के कारण है।

नकदी और नकदी समकक्ष (टिप्पणी 12)

नकदी और नकदी समकक्ष में मुख्य रूप से बैंकों में शेष राशि शामिल होती है। चालू वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समकक्ष पिछले वर्ष के रु.93.65 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु.95.62 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें रु.1.97 करोड़ की वृद्धि हुई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण (टिप्पणी 13)

31.03.2024 की स्थिति के अनुसार चालू ऋण रु.7.90 करोड़ (पिछले वर्ष रु.8.97 करोड़) है। इस प्रकार इसमें रु.1.07 करोड़ की कमी हुई है जो मुख्य रूप से कर्मचारी ऋण में कमी के कारण है।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम (टिप्पणी 14)

अग्रिम में मुख्य रूप से कर्मचारियों और अन्य को अग्रिम शामिल हैं। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम पिछले वर्ष के रु.8.47 करोड़ की तुलना में बढ़कर रु.15.63 करोड़ हो गया है। इस प्रकार इसमें रु.7.16 करोड़ की वृद्धि हुई।

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य (टिप्पणी 15)

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां, लंबित प्रशुल्क याचिका के सापेक्ष लाभार्थियों के शेष के लिए बिल न किए गए राजस्व, प्रतिभूति जमा, सरकार/न्यायालय के पास जमा और अन्य जमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ पिछले वर्ष के रु.482.47 करोड़ की तुलना में चालू वर्ष के दौरान बढ़कर रु.1494.11 करोड़ हो गईं। इस प्रकार मुख्य रूप से न्यायालय के पास जमा राशि में वृद्धि के कारण रु.1011.64 करोड़ की वृद्धि हुई है।

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल) (टिप्पणी 16)

यह वह राशि है जो मूल्यांकन के पूरा होने के कारण अंततः आयकर प्राधिकरणों की ओर से रिफंड के रूप में देय है। इसमें निर्धारण वर्ष 2016–17, 2021–22 और 2022–23 के लिए बकाया प्रतिदाय शामिल है।

अन्य चालू परिसंपत्तियां (टिप्पणी 17)

अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से प्रीपेड व्यय, अर्जित ब्याज आदि शामिल हैं। अन्य चालू परिसंपत्तियों में मुख्य रूप से पूर्व–संदत्त व्ययों और संविदाकारों को अग्रिम में वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान रु.24.10 करोड़ की वृद्धि हुई है।

विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष (टिप्पणी 18)

सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुवर्ती अवधियों में लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय की सीमा तक लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय / आय को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "दर विनियमित गतिवधियों के लिए लेखांकन" के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणियों के अनुरूप और इंड एएस–114 विनियामक आस्थगित खातों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "विनियामक आस्थगित खाता शेष" के रूप में मान्यता दी जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि उस वर्ष से समायोजित की जाती है जिसमें वह लाभार्थियों से वसूली योग्य या उन्हें देय हो जाती है। विनियामक आस्थगित खाते की शेष राशि में, अनुवर्ती अवधि में लाभार्थियों से वसूली योग्य–सीमा तक, उधार लागत के रूप में मानी गई विदेशी मुद्रा ऋण पर विदेशी मुद्रा दर भिन्नता और दिनांक 01.01.2017 से बाद वेतन संशोधन के कारण कर्मचारी हितलाभ व्यय शामिल हैं।

वर्ष के अंत में विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष रु.215.72 करोड़ (पिछले वर्ष रु.133.42 करोड़) है। रु.82.30 करोड़ की वृद्धि दिनांक 31.03.2024 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान रु.19.20 करोड़ के विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष के कारण हुई, जो रुपये के मुकाबले डॉलर के मूल्यवृद्धि के कारण विनिमय दर भिन्नता हानि के कारण हुई तथा वर्ष के दौरान निपटाए गए मध्यस्थता दावों पर ब्याज के रूप में रु.63.10 करोड़ मान्य किया गया।

(ङ) इक्विटी और देयताएं

कुल इक्विटी

वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2022–23 के अंत में कंपनी की कुल इक्विटी इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
इक्विटी शेयर पूंजी (टिप्पणी 19)	3665.88	3665.88
अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)	6880.80	6762.90
कुल इक्विटी	**10546.68**	**10428.78**

अन्य इक्विटी (टिप्पणी 20)

अन्य इक्विटी के ब्यौरे में, रु.6644.14 करोड़ (पिछले वर्ष रु.6594.42 करोड़) की प्रतिधारित आय, रु.264.42 करोड़ (पिछले वर्ष रु.186.50 करोड़) की डिबेंचर मोचन आरक्षिती और रु.–27.76 करोड़ (पिछले वर्ष रु.–18.02 करोड़) की अन्य व्यापक आय शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए रु.171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश घोषित और भुगतान किया है तथा प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया है। इसके अलावा, कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए रु.300.00

करोड़ का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है जिसका भुगतान दिनांक 03.04.2024 को किया गया था और प्रतिधारित आय के साथ समायोजित किया गया था।

(च) देयताएं

गैर–चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 21)	14578.80	10289.09
–पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)	33.65	35.73
– गैर–चालू वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)	70.67	365.49
अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)	736.54	807.50
प्रावधान (टिप्पणी 25)	163.20	170.98
कुल	**15582.86**	**11668.79**

गैर–चालू–वित्तीय देयताएं – उधार (टिप्पणी 21)

31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार उधारी रु.14578.80 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2023 तक यह रु.10289.09 करोड़ थी और इसमें रु. 4289.71 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, रु.763.00 करोड़ के बॉन्ड सीरीज VIII और रु.779.00 करोड़ के बॉन्ड सीरीज IX जारी करने, बैंक ऑफ बड़ौदा से रु.1800.00 करोड़ का सावधि ऋण, पीएनबी से रु.525.00 करोड़ का सावधि ऋण और विश्व बैंक से रु.422.71 करोड़ का ऋण जारी होने के परिणामस्वरूप उधारी में वृद्धि हुई है।

पट्टा देयताएं (टिप्पणी 22)

कंपनी की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्था जिसमें पट्टा रद्द नहीं किया जा सकता है और आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होता है, ऐसे पट्टों को पट्टा अवधि में भुगतान किए जाने वाले कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। भावी पट्टा किराया को उनके वर्तमान मूल्यों पर 'पट्टा देयताओं' के रूप में मान्यता दी जाती है। 31 मार्च, 2023 तक रु.35.73 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2024 तक पट्टा देयताएं रु.33.65 करोड़ थीं और इसमें रु.2.08 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 23)

अन्य वित्तीय देयताओं में संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि शामिल है। चालू वर्ष के लिए अन्य वित्तीय देयताएं रु.70.67 करोड़ (पिछले वर्ष रु.365.49 करोड़) है। इस प्रकार, इसमें रु.294.82 की कमी आई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण राशि में कमी रही।

अन्य गैर–चालू देयताएं (टिप्पणी 24)

अन्य गैर–चालू देयताओं में मूल्यह्रास पर अग्रिम (एएडी), सिंचाई घटक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान और प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि पर आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ शामिल हैं। मुख्य रूप से संविदाकारों से गैर–चालू प्रतिभूति जमा को चालू प्रतिभूति जमा में परिवर्तित करने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़ों की तुलना में अन्य गैर–चालू देयताओं में रु.294.82 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।

गैर–चालू प्रावधान (टिप्पणी 25)

गैर–चालू प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के आधार पर प्रदान किए गए कर्मचारी हितलाभों के कारण हैं, जिन्हें तुलनपत्र की तारीख से बारह महीने की अवधि के बाद निपटाने की उम्मीद है। चालू वर्ष के दौरान गैर–चालू प्रावधान रु.7.78 करोड़ घटकर रु.163.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.170.98 करोड़) रह गए। इंड एएस–19 "कर्मचारी हितलाभ" के अनुसार प्रकटीकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी संख्या 43.23 में दिए गए हैं।

4. चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
वित्तीय देयताएं		
– उधारियां (टिप्पणी 26)	2108.60	1334.47
– पट्टा देयताएं (टिप्पणी 27)	3.20	3.39
– व्यापार देय	53.80	45.01
– अन्य (टिप्पणी 28)	1853.55	824.44
अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)	167.30	97.29
प्रावधान (टिप्पणी 30)	310.75	353.07
चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)	0.00	9.82
कुल	**4497.20**	**2667.49**

31 मार्च, 2024 और 2023 की स्थिति के अनुसार, चालू देयताएं क्रमशः रु.4497.20 करोड़ और रु.2667.49 करोड़ हैं। चालू देयताओं में 68.59% की वृद्धि हुई है और मदवार विश्लेषण निम्नानुसार है –

चालू – वित्तीय देयताएं – उधारियां (टिप्पणी 26)

इसमें बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत और अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण, बैंकों से प्राप्त ओवरड्राफ्ट सुविधा और दीर्घावधि उधारियों की चालू परिपक्वता शामिल है। यह रु.774.13 करोड़ बढ़कर रु. 2108.60 करोड़ (पिछले वर्ष रु.1334.47 करोड़) हो गया जिसका मुख्य कारण बैंकों से लिए गए रु.1000.00 करोड़ के अल्पावधि ऋणों में वृद्धि, बैंकों से नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट सुविधा में रु.171.29 करोड़ की कमी तथा दीर्घावधि उधारों की वर्तमान परिपक्वता में रु. 54.58 करोड़ की कमी है।

चालू– वित्तीय देयताएं – पट्टा (टिप्पणी 27)

इसमें वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता शामिल है और इसमें रु.0.19 करोड़ की मामूली कमी दर्ज की गई।

चालू – वित्तीय देयताएं – अन्य (टिप्पणी 28)

अन्य वित्तीय देयताएं में मुख्य रूप से कर्मचारियों के पारिश्रमिक और हितलाभों के लिए देयताएं, अचल परिसंपत्तियों की खरीद / निर्माण के लिए देयताएं, संविदाकारों से जमा, प्रतिधारण राशि और अदेय किंतु उपार्जित ब्याज शामिल है। अन्य वर्तमान वित्तीय देयताओं में रु. 1029.11 करोड़ की वृद्धि होकर यह रु.1853.55 करोड़ (पिछला वर्ष रु.824.44 करोड़) हो गई है, जिसका मुख्य कारण संविदाकारों से जमा और प्रतिधारण आय तथा संदेय लाभांश में वृद्धि है।

अन्य चालू देयताएं (टिप्पणी 29)

अन्य चालू देयताओं में मुख्य रूप से मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम का वर्तमान भाग, बाद में जमा की गई अन्य वसूली और सिंचाई घटक का समायोजन शामिल है। वर्ष के अंत में अन्य वर्तमान देयताएं रु. 167.30 करोड़ (पिछला वर्ष रु.97.29 करोड़) थीं। इस प्रकार इसमें रु.70.01 करोड़ की वृद्धि हुई, जो मुख्य रूप से संदेय सांविधिक देय में वृद्धि के कारण हुई।

चालू प्रावधान (टिप्पणी 30)

अल्पावधि प्रावधानों में बीमांकिक मूल्यांकन, प्रदर्शन संबंधित वेतन और कार्यों संबंधित प्रावधान के अनुसार बारह महीने के भीतर देय अदत्त कर्मचारी हितलाभ शामिल हैं। चालू प्रावधान में वित्त वर्ष 2023 में रु.42.32 करोड़ की कमी हुई जिससे यह रु.310.75 करोड़ (पिछला वर्ष रु.353.07 करोड़) रह गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से कार्यों से संबंधित प्रावधान के कारण थी।

चालू कर देयताएं (टिप्पणी 31)

वर्ष के दौरान चालू कर देयताओं में कमी के कारण रु.9.82 करोड़ की कमी आई।

विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष (टिप्पणी 32)

वर्ष के अंत में आस्थगित खाता क्रेडिट शेष रु.680.37 करोड़ (पिछला वर्ष रु.497.46 करोड़) है। दिनांक 31.03.2024 को समाप्त चालू वर्ष के दौरान, विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष में मुख्य रूप से एमएटी क्रेडिट की मान्यता के कारण रु.182.91 करोड़ की वृद्धि हुई।

(छ) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के समक्ष दावों के निम्नलिखित घटक हैं जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	
	31.03.2024	**31.03.2023**
क. पूंजीगत कार्य	2744.71	4385.41
ख. भूमि मुआवजा मामले	35.81	71.38
ग. राज्य/केंद्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1338.60	1314.93
घ. अन्य	5.84	8.33
उपरोक्त क से घ के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	1096.07	1059.78
ङ. विवादित कर मामल	2.15	2.15
कुल	**4127.11**	**5782.20**

आकस्मिक देयताओं में रु.1655.09 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से विवाद बोर्ड के समक्ष संविदाकारों के दावों में वृद्धि के कारण हुई।

(ज) सहायक कंपनियों का व्यवसाय और वित्तीय समीक्षा

सहायक कंपनियां

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, (एमएनआरई), भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 16.07.2020 और 26.07.2020 के माध्यम से अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) के विकास के लिए टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य आवंटित किया था। यूएमआरईपीपी को टीएचडीसीआईएल और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार संगठनों के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में एक एसपीवी के माध्यम से विकसित किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनिवार्य यूएमआरईपीपी के कार्यान्वयन के लिए टीएचडीसीआईएल के साथ जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीएनेडा) की पहचान की। संयुक्त उद्यम के गठन के लिए टीएचडीसीआईएल और यूपीएनेडा के बीच 06.08.2020 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तदनुसार, कंपनी ने उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न स्थानों पर 2000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने के लिए यूपीनेडा के साथ 74:26 की इक्विटी भागीदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स टुस्को लिमिटेड का गठन किया है।

इसके अलावा, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मैसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी के साथ आरआरईसीएल के साथ पदोन्नत किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड को दिनांक 01.12.2023 को यूजेवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया है, जिसमें इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में है, जिसमें 74% टीएचडीसी और 26% यूजेवीएनएल के पास है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान भी है।

(झ) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस–110) के अनुसार तैयार किए गए हैं – 'समेकित वित्तीय विवरण' इंड एएस –28 – सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश, इंड एएस –112 'अन्य संस्थाओं में हितों का प्रकटीकरण' और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल हैं।

कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस, इंट्रा–ग्रुप लेनदेन, अप्राप्त लाभ या हानि को समाप्त करने के बाद लाइन दर लाइन आधार पर जोड़ा गया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों लेखांकन की इक्विटी विधि का उपयोग करते हुए समेकित किया गया है।

क. एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण

(क) सामर्थ्य

- **बहु–कौशल तकनीकी आधारः** दो प्रचालनात्मक मेगा हाइड्रो पावर संयंत्र के साथ, टीएचडीसीआईएल ने प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक उपयोग से गुजरात राज्य में दो पवन ऊर्जा संयंत्र और केरल राज्य में 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का प्रारम्भण किया है। इस विशाल तकनीकी अनुभव ने टीएचडीसीआईएल को विद्युत क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी समुदाय में अतिरिक्त लाभ प्रदान किया है।
- **दूरदर्शी नेतृत्वः** टीम के लिए एक स्पष्ट दृष्टि और दिशा प्रदान करके, हमारा दूरदर्शी नेतृत्व लगातार संगठन के दायरे का विस्तार कर रहा है और संगठन को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित और सक्रिय कर रहा है।
- **चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमताः** टीएचडीसीआईएल, सौर और पवन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक/गैर–पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों में भी विविधता लाया है। गुजरात के पाटन में 50 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र और देवभूमि द्वारका, गुजरात में 63 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र पहले ही चालू हो चुका है।

  नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने टीएचडीसीआईएल को उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 2000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क और राजस्थान राज्य में 10000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा नवीकरणीय ऊर्जा पावर पार्क विकसित करने का कार्य भी सौंपा है।
- **संवेदनशली हिमालयी भौगोलिक क्षेत्र में भूमिगत कार्यों में विशेषज्ञः** हिमालयी क्षेत्र अपने जटिल भू–स्थिति के लिए विख्यात है। टिहरी एचपीपी में भूमिगत संरचनाओं के विशाल जाल के निर्माण के में असाधारण इंजीनियरिंग और निर्माण कौशल को विद्युत क्षेत्र द्वारा समय–समय पर सराहा गया है। टिहरी एचपीपी का अनुभव कोटेश्वर एचईपी के निर्माण में बेहद उपयोगी साबित हुआ। समृद्ध अनुभव और उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग वर्तमान में कार्यान्वयनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं में किया जा रहा है।
- **प्रभावी प्रचालन एवं अनुरक्षणः** टीएचडीसीआईएल ने अपने प्रचालनरत संयंत्रों के आंतरिक प्रचालन और अनुरक्षण में विशाल अनुभव हासिल कर लिया है। संयंत्र के निष्पादन को अधिक से अधिक करने, कारगर ढंग से निगरानी करने, दुर्घटनाएं कम करने तथा कुशलतापूर्वक कार्य करने की दिशा में लगातार काम करते हुए टीएचडीसीआईएल प्रभूत विशेषज्ञता प्राप्त की है। इससे सामान्य स्तर से काफी ज्यादा निरंतर अबाधित गुणवत्तायुक्त विद्युत उत्पादन और संयंत्र उपलब्धता की उपलब्धि प्राप्त हुई।
- **सुदृढ़ वित्तीय स्थितिः** टिहरी एचपीपी के प्रारंभ के समय से ही आपकी कंपनी लाभार्जन कंपनी रही है, कंपनी में भावी विस्तार क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों के लिए अपने संसाधनों को निवेश करने का प्लेटफार्म है।
- **मानव संसाधनः** टीएचडीसीआईएल ने नियमित और संविदा कर्मचारियों के मिश्रण के माध्यम से अपनी जनशक्ति को अनुकूलित किया है। प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण व्यय में वृद्धि हुई है।

(ख) कमजोरियां

- प्राकृतिक क्षरण– अनुभवी कार्यबल की सेवानिवृत्ति
- डिजिटलीकरण और एआई के उपयोग के लिए मध्यम पैंठ
- कम अनुसंधान एवं विकास व्यय
- सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियात्मक बाधाएँ
- बढ़ती आकस्मिक देयताएं
- भारत सरकार द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार डिस्कॉम द्वारा एलसी खोलने के बावजूद, डिस्कॉम का बकाया शेष रहता है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
- जटिल हिमालयी क्षेत्र में जलविद्युत परियोजनाएं होने के कारण, भूवैज्ञानिक आश्चर्यों के कारण देरी होती है, जिससे समय और लागत में वृद्धि हुई और टैरिफ में वृद्धि होती है।
- बहुत अधिक निर्माण अवधि जल विद्युत परियोजनाओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
- संभावित अवसरों के दोहन में विलंब

(ग) अवसर

- **नए संकेतित पीएसपी का विकासः** विद्युत मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में 6790 मेगावाट की संभावित संस्थापित क्षमता के साथ 06 पंप स्टोरेज परियोजनाओं और छत्तीसगढ़ राज्य में 3500 मेगावाट की संभावित संस्थापित क्षमता के साथ 02 पंप स्टोरेज परियोजनाओं का संकेत टीएचडीसीआईएल को दिया है। कर्नाटक राज्य के वाराही में 1500 मेगावाट के पंप स्टोरेज संयंत्र के विकास के लिए 'टीएचडीसीआईएल' और 'केपीसीएल' (कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड), बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **फ्लोटिंग सोलर का विकासः** विद्युत मंत्रालय ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को फ्लोटिंग सौर विद्युत क्षमता की खोज करने और संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाने, उपयुक्त विश्लेषण करने और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का भी संकेत दिया है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल ने संबंधित राज्यों में संभावित स्थलों की खोज शुरू कर दी है।

खुर्जा एसटीपीपी में अपरिष्कृत जल के जलाशय पर 11 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य चल रहा है।

टीएचडीसीआईएल उत्तर प्रदेश में 464 मेगावाट फ्लोटिंग सौर विद्युत परियोजना (संयुक्त उद्यम कंपनी टुस्को लिमिटेड के माध्यम से) की खोज कर रहा है। टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी संभावित फ्लोटिंग सौर विद्युत क्षमताओं की खोज कर रहा है।

- **कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियां:** टीएचडीसीआईएल खुर्जा एसटीपीपी (2x660 मेगावाट) में कार्बन कैप्चर के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, जिसमें नई उभरती हुई लागत प्रभावी कार्बन कैप्चर तकनीक शामिल है। इस प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर, क्षमता को बढ़ाया जाएगा, जिससे निकास गैसों से अधिकांश कार्बन–आधारित उत्सर्जन (सीओ2, आदि) को हटाने में मदद मिलेगी।
- **सौर परियोजनाओं का विकास:** टीएचडीसीआईएल राजस्थान में 10,000 मेगावाट और उत्तर प्रदेश में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्कों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है।

  नवंबर 2023 में 'टीएचडीसीआईएल' द्वारा कर्नाटक राज्य में कुल लगभग 3270 मेगावाट अनुमानित क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाओं, पारंपरिक लघु जल विद्युत परियोजनाओं, ग्राउंड माउंटेड और फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं, पवन ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया उत्पादन संयंत्रों आदि जैसे विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के त्वरित विकास के लिए कर्नाटक सरकार के साथ दो समझौता ज्ञापनों (एक समझौता ज्ञापन 'केपीसीएल' (कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के साथ और दूसरा 'केआरईडीएल' (कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट लिमिटेड) के साथ) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- **पावर ट्रेडिंग में प्रवेश:** विद्युत व्यापार के लिए पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्राप्त किया गया है।
- **ईवी चार्जिंग:** टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चार धाम यात्रा मार्ग पर ईवी चार्जिंग अवसंरचना स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- **हरित हाइड्रोजन:** टीएचडीसीआईएल भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में परियोजनाओं को शुरू करने और उसमें भाग लेने का प्रयास करता है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल कार्यालय परिसर, ऋषिकेश (उत्तराखंड) में 1 मेगावाट क्षमता (इलेक्ट्रोलाइजर और ईंधन–सेल आधारित माइक्रो–ग्रिड प्रणाली) के साथ 'ग्रीन हाइड्रोजन' की एक प्रायोगिक परियोजना पूरी हो गई है।
- **विद्युत क्षेत्र में एआई का प्रयोग:** ऊर्जा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ संभावित अनुप्रयोगों में स्मार्ट ग्रिड, डाटा डिजिटलीकरण, पूर्वानुमान, विफलता की रोकथाम और अधिक उन्नत संसाधन प्रबंधन शामिल हैं, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है।

(घ) चुनौतियां

- **जटिल प्रक्रिया एवं अनुमति प्राप्त करने में समय लगना:** भारत सरकार के मौजूदा कड़े मानदंडों और जटिल प्रक्रियाओं के कारण, परियोजनाओं के लिए पर्यावरण, वन और वन्य जीवन मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण जल परियोजनाओं का क्षमता वृद्धि कार्यक्रम बुरी तरह प्रभावित होता है। पर्यावरण, धार्मिक आधारों और स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य एजेंसियों के निहित स्वार्थों पर जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध से, परियोजना मंजूरी और कार्यान्वयन में देरी होती है। विद्युत क्षेत्र के तेजी से विकास के लिए, भारत सरकार को विभिन्न वैधानिक मंजूरी के लिए सिंगल विंडो की शुरूआत का कार्यान्वयन करना चाहिए।
- **भौगोलिक अनिश्चितताएं:** जटिल और नवीन हिमालयी क्षेत्र में भौगोलिक आश्चर्य बाधाएं पैदा करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रो परियोजनाओं में समय और लागत में भारी वृद्धि होती है, जिससे; टैरिफ में वृद्धि होती है।
- **जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया:** अवसंरचना संबंधी कार्य तथा जलमग्नता सहित परियोजना के घटकों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और उसमें काफी समय लगता है। विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए।
- **प्राकृतिक आपदाएं में वृद्धि:** चूंकि अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए भू–खलन पर्वतीय ढलानों के बह जाने, सड़कों के अवरूद्ध होने, बाढ़ और बादल फटने, मानसून जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निर्माण अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे समय और लागत में भारी वृद्धि होती है जिससे अंततः टैरिफ बढ़ जाता है।
- **राज्य डिस्कामों की खराब वित्तीय स्थिति:** विद्युत प्रापण, विशेषकर महंगी टाइड अप बिजली के लिए डिस्कॉमों की वसूली की अक्षमता।
- **हाइड्रो सेक्टर के सिविल संविदाकारों की खराब वित्तीय स्थिति:** भारत में हाइड्रो सेक्टर के अनुभवी संविदाकारों को भारी नकदी संकटन का सामना करना पड़ रहा है।
- **बाजार की बदलती परिस्थितियां:** सस्ते दर पर लघु अवधि बाजार में विद्युत की उपलब्धता
- **विनियामक जोखिम:** एक बड़ा जोखिम यह है कि विनियामक प्राधिकरण भविष्य में टैरिफ के लिए परियोजना की पूरी लागत पर विचार न करे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ विनियमों में समय–समय पर परिवर्तन किए जाने से नकदी प्रवाह और प्रचालनात्मक लाभ प्रभावित हो सकते है।
- **हाइड्रो सेक्टर के लिए उत्पादन और पीएएफ के लिए सख्त लक्ष्य:** मानसून प्रवाह की उपलब्धता और कुछ हद तक स्नो कवर हर साल हाइड्रो संयंत्र के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, पिछले 5 वर्षों में सर्वश्रेष्ठ

से अधिक के आधार पर प्रत्येक वर्ष सख्त एमओयू लक्ष्य निर्धारित करना, हाइड्रो सीपीएसयू के प्रदर्शन को कमजोर करता है। यह कंपनी के तुलन–पत्र के साथ–साथ कंपनी के विकास में गंभीर रूप से बाधा डालता है।

ज. आगे का रास्ताः

वर्ष 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के सपने को साकार करने के लिए, ऊर्जा आपूर्ति–मांग के अंतर का समाधान करना, सरकार द्वारा शुरू किया गया, एक महत्वपूर्ण कदम है। परिणामस्वरूप, मजबूत ऊर्जा अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए विविध विद्युत परियोजनाओं पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

भारत सरकार की सभी के लिए 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण निवेश, इस प्रयास को रेखांकित करता है। वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट सौर और पवन ऊर्जा जोड़ने की योजना लगातार आगे बढ़ रही है। इसके अलावा, पंप स्टोरेज जल विद्युत की प्रमुखता बढ़ने की उम्मीद है, जो परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के एकीकरण के प्रबंधन में सिस्टम ऑपरेटरों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। इस कार्यनीतिक दृष्टिकोण का उद्देश्य न केवल बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करना है, बल्कि एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर देश के संक्रमण को भी मजबूत करना है।

कंपनी के सतत विकास के लिए, कंपनी के भावी दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता हैः

- टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट) और वीपीएचईपी (444 मेगावाट) को शीघ्र पूरा करना।
- वित्त वर्ष 2024–25 में 1320 मेगावाट के खुर्जा सुपर थर्मल पावर संयंत्र को चालू करना।
- विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा बताए गए विभिन्न नई पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर प्रगति में तेजी लाना।
- कंपनी की समग्र व्यावसायिक विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि करना।
- वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बकाया को कम करने पर गहन ध्यान केंद्रित करना।
- अपनी कंपनी को आवंटित राज्यों में पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना को सफलतापूर्वक लागू करना।
- उत्तर प्रदेश और राजस्थान में मेगा सौर पार्कों के विकास में तेजी लाना।
- उत्तराखंड और देश के अन्य क्षेत्रों में हरित और अप्रयुक्त जल विद्युत स्रोतों की खोज करना।
- भू–कार्यनीतिक पहुंच पर भारत सरकार के जोर के अनुरूप, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक अवसरों की जांच करना।
- कार्बन कैप्चर प्रौद्योगिकियों की जांच करना।
- स्वच्छ भविष्य के लिए, हाइब्रिड और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं, हाइड्रोजन ईंधन परियोजनाओं में अवसरों का लाभ उठाने और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग अवसंरचना को मजबूत करने का लक्ष्य रखना।
- भारत भर में विद्युत के व्यापार के लिए कंपनी को प्राप्त विद्युत व्यापार लाइसेंस का लाभ उठाते हुए, विद्युत व्यापार व्यवसाय में प्रवेश करना।

झ. जोखिम प्रबंधन

विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य में, हमारी कंपनी मानती है कि उभरते अवसरों की खोज में सामरिक, कार्यात्मक और प्रचालन जोखिम शामिल हैं। जैसे–जैसे हम विस्तार और विविधीकरण करते हैं, हम एक व्यवसाय पोर्टफोलियो, जो बाजार की संभावनाओं के साथ संरेखित होता है और हमारे दीर्घकालिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है, को आकार देते हुए जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

हमारे प्रचालन में एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा एकीकृत करने के लिए, हमने कंपनी अधिनियम और सेबी नियमों के अनुसार एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है। आरएमसी परिश्रमपूर्वक जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समीक्षा करती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय कार्य योजनाएं और कार्यनीतियां विकसित करती है। हमारी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया उभरते जोखिम की गतिशीलता को ध्यान में रखती है, जिसमें चिंता के उभरते क्षेत्र भी शामिल हैं। प्रमुख जोखिम संकेतकों की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है, और प्राप्त अंतर्दृष्टि को नियमित रूप से निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

ञ. आंतरिक नियंत्रण

सुदृढ़ आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ, विनियामक और सांविधिक अनुपालन के साथ–साथ कॉर्पोरेट सुशासन के उच्चतम मानकों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अभिन्न अंग हैं। ये प्रणालियाँ प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन की गारंटी देते हुए व्यवसाय के निर्बाध और कुशल संचालन सुनिश्चित करती हैं। हमारी कंपनी ने एक व्यापक शक्ति प्रत्यायोजन तंत्र स्थापित किया है, जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है ताकि उभरते व्यवसायिक परिवेश के साथ तालमेल सुनिश्चित किया जा सके, जिससे त्वरित निर्णय लेने में सुविधा हो।

सावधानीपूर्वक लेखांकन दिशानिर्देशों का लगातार अनुपालन करते रहना एक प्राथमिकता है, जिससे हमारे प्रचालन में एकरूपता सुनिश्चित होती है। हमारी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए, हमारे आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा पूरक, अनुभवी फर्मों के सहयोग से नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा समिति, बोर्ड का एक महत्वपूर्ण अंग है, इन आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के पालन की निगरानी में सचेत भूमिका निभाती है।

ट. चेतावनी कथन

यह ध्यातव्य है कि प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा निदेशकों की रिपोर्ट में दिए गए कथन, लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार "भविष्योन्मुखी" और प्रगतिशील हैं। वास्तविक परिणाम, अंतर्निहित जोखिम और अनिश्चितताओं के कारण भविष्योन्मुखी कथनों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं।



Wind Power for Sustainable Future

सतत भविष्य के लिए पवन ऊर्जा

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–*IV*

ऊर्जा संरक्षण उपाय, तकनीकी अंगीकरण एवं समावेशी विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

क. ऊर्जा संरक्षण उपाय

ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों को ऐसी आदतें विकसित करने की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा की खपत को कम करती हैं। उदाहरण के लिए, कमरे से बाहर निकलते समय लाइट बंद करना और कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखने के बजाय उसे बंद कर देना। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि हम जिन उपकरणों का प्रतिदिन उपयोग करते हैं वे ऊर्जा–कुशल हों और उन्हें इष्टतम स्थिति में बनाए रखा जाए। ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन दोनों ही ऊर्जा की अधिकतम और औसत मांग को कम कर सकते हैं। पर्यावरण और उसके संसाधनों की सुरक्षा के लिए ऊर्जा का संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा आपूर्ति में निवेश की तुलना में ऊर्जा संरक्षण में निवेश करने से प्रायः बेहतर प्रतिलाभ मिलता है।

टीएचडीसीआईएल मांग को कम करने के लिए विद्युत के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समर्पित है। कंपनी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देती है और ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रचालन और अनुरक्षण प्रथाओं को परिष्कृत करने की निरंतर प्रक्रिया में लगी हुई है। इन पहलों के परिणामस्वरूप विद्युत, ईंधन और कोयले की खपत में काफी कमी आई है और इससे महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत होती रहेगी।

पिछले वर्ष ऊर्जा संरक्षण की दिशा में निम्नलिखित कार्रवाईयां की गईं–

ऊर्जा संरक्षण के प्रभाव के लिए किए गए उपाय	(i) टीएचडीसीएआईएल, ऋषिकेश के सभी कार्यालीय परिसर में गैर ऊर्जा प्रभावी विद्युत उपकरणों (जैसे स्ट्रीट लाइट सहित पुराने बल्बों को एलईडी बल्बों से बदलना) के बदलने का कार्य पूरा किया गया है। (ii) चरण II के 500 किलोवाट क्षमता वाले रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यूपीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए स्वयं की खपत के अलावा 12 माह के लिए ग्रिड को आपूर्ति के निर्यात के लिए रु.3.10 लाख की ऊर्जा की बचत की गई है। (iii) चरण II के 500 किलोवाट के रूफ टॉप सौर संयंत्र का संचालन और अनुरक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और यूपीसीएल द्वारा वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए स्वयं की खपत के अलावा 2 माह (फरवरी और मार्च–24) के लिए ग्रिड को आपूर्ति के निर्यात के लिए रु.1.31 लाख की ऊर्जा की बचत की गई है। (iv) सभी नए भवनों में एलईडी प्रकाश की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। (v) गैर आवासीय भवनों के लिए विद्युत वितरण प्रणाली के अनुरक्षण/नवीनीकरण में एलईडी लाइट का इस्तेमाल किया गया। गैर आवासीय भवनों में फाइव–स्टार स्तर के एसी लगाए गए हैं और बिना स्टार रेटिंग वाले एसी को फाइव–स्टार रेटिंग वाले एसी से बदला गया। (vi) गेस्ट हाउस और दफ्तरों में फाइव स्टार रेटिंग वाले विद्युत उपकरण अर्थात् एसी, गीजर, रेफ्रिजरेटर लगाए जाएंगे। (vii) ऊर्जा संरक्षण के लिए गंगोत्री भवन कार्यालय भवन के गलियारों में 20 वॉट एलईडी लैंप के स्थान पर 10 वॉट वाले लैंप लगाए गए। (viii) ऊर्जा संरक्षण के लिए मंदाकिनी गेस्ट हाउस और भिलंगना गेस्ट हाउस में सोलर वॉटर हीटर स्थापित किए गए हैं।
ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम;	पार्क क्षेत्र में लाइटिंग और कार्यालय और रिहायशी क्षेत्र की फेंसिंग सौर प्रणाली से की गई है। सभी नए भवनों में दिन के उजाले का उचित उपयोग करने के लिए दिन के उजाले की व्यवस्था की गई है। विद्युत आपूर्ति प्रणाली में सुधार करने और नुकसान को कम करने के लिए स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोलर स्थापित किया गया है। उपरोक्त उपायों के कार्यान्वयन से यूनिटों की खपत में 12–14% की कमी आई है। कंपनी अपने सभी भावी प्रतिष्ठानों में एलईडी लैंप के उपयोग और ऊर्जा के कुशल उपयोग कर रही है और इसका प्रचार कर रही है।
ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश;	वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर कोई बड़ा निवेश नहीं किया है

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार, अनुकूलन और अवशोषण

(क) माइक्रो–पाइल्स और सेल्फ ड्रिलिंग एंकरों पर आरसीसी सड़क के साथ धंसाव/अवतलन वाले क्षेत्रों की बहाली के लिए डिजाइन योजनाः

i. पृष्ठभूमि

प्रायः सड़क के एक हिस्से में धंसाव/अवतलन देखा जाता है, जो आमतौर पर घाटी की ओर सड़क की आधी चौड़ाई को प्रभावित करता है। यह घटना प्रभावित क्षेत्र और उसके आसपास के ढलान द्रव्यमान से महीन सामग्री के नुकसान के कारण होती है। क्षेत्र के भीतर अपर्याप्त जल निकासी प्रणाली एक प्रमुख कारण है, जिससे बारिश के दौरान फुटपाथ के माध्यम से ढलान सामग्री में बारिश के पानी का रिसाव होता है। इसके परिणामस्वरूप, यह सतह के नीचे से सामग्री के नुकसान को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप घाटी की ओर ढलान धंस जाती है। इस समस्या को नीचे दी गई छवियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता हैः


सड़क पर देखा गया प्रारंभिक धंसाव


फुटपाथ पर बड़ी दरारें


अलग हुई सामग्री का घाटी की ओर संचलन

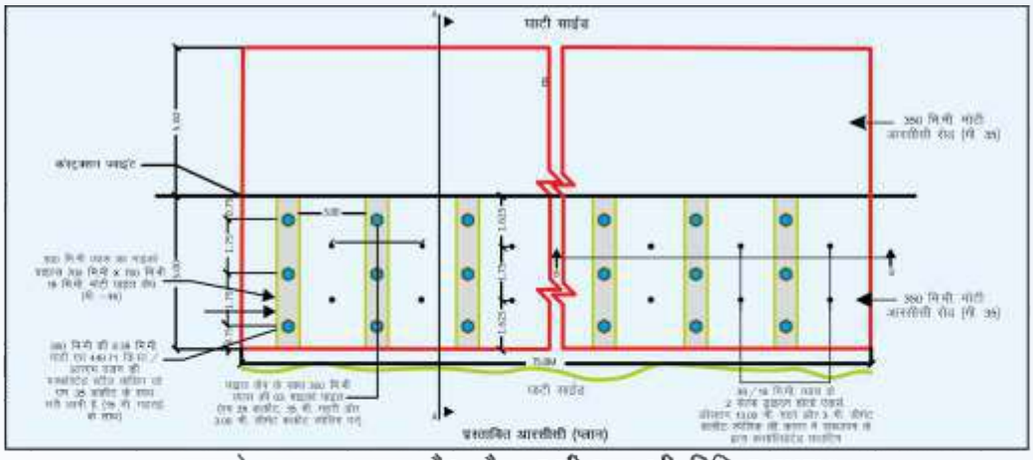

फुटपाथ के घाटी वाले हिस्से को नुकसान

घाटी की ओर ढलान सुरक्षा उपाय प्रदान करना हमेशा संभव नहीं होता है। संरचना की चौड़ाई को बहाल करना महंगा होता है, क्योंकि इसके लिए गहरी घाटी की ओर से बहाली की आवश्यकता होती है या वैकल्पिक रूप से पर्याप्त स्थिरीकरण उपायों के साथ पहाड़ी ढलान को काटना आवश्यक होता है। ऐसा मामला हो सकता है जब घाटी बहुत गहरी हो और ढलान सुरक्षा उपायों जैसे सीसी/आरसीसी दीवारें/सीसी क्लैडिंग या किसी अन्य अत्याधुनिक तकनीक आदि के साथ पूरे प्रभावित हिस्से को कवर करना अलाभकारी हो।

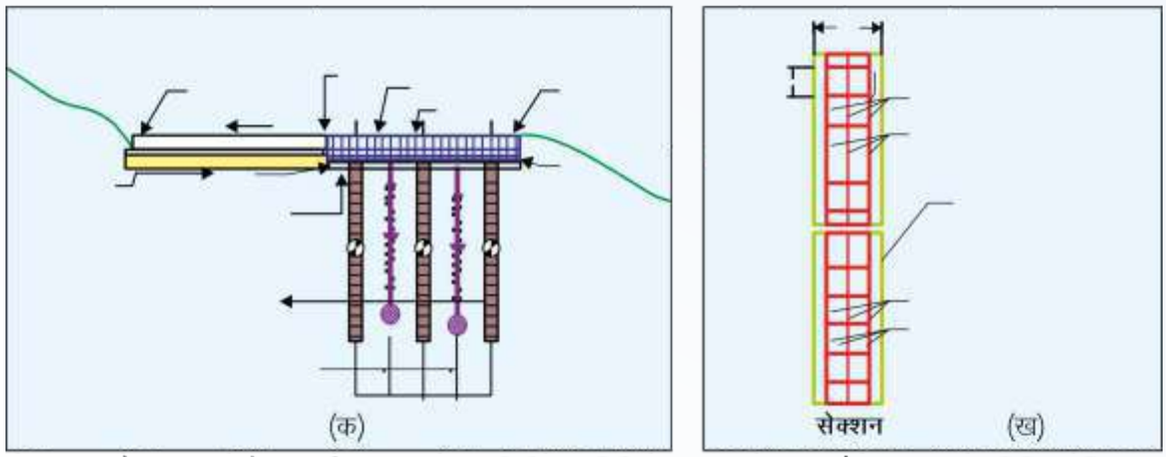
जिन क्षेत्रों में घाटी की ओर ढलान में सुधार करना या तो अव्यावहारिक है या बहुत महंगा है, वहां इस हिस्से को बहाल करने के लिए एक इन–हाउस डिज़ाइन योजना तैयार की गई है। इसमें सामग्री हानि को बहाल करने के लिए सेल्फ ड्रिलिंग एंकर (एसडीआरए) की व्यवस्था के माध्यम से माइक्रो–पाइल्स और समेकन ग्राउटिंग के ऊपर आरसीसी फुटपाथ बनाने का प्रस्ताव है। सतह के माध्यम से छिद्र जल दाब के निर्मोचन के लिए कुछ व्यवस्था भी रखी गई है।

ii. डिजाइन योजना

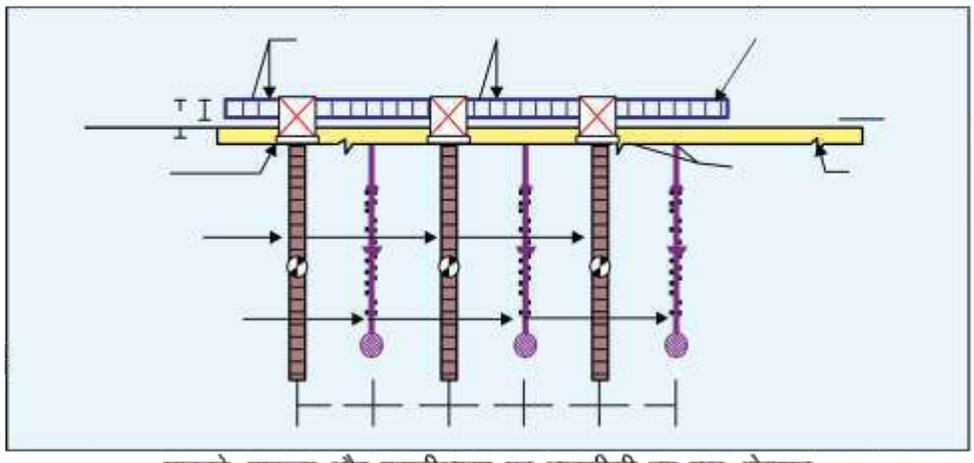
इस सामान्य व्यवस्था में, आरसीसी के फुटपाथ से भार माइक्रो–पाइल्स के माध्यम से सक्षम सामग्री/स्तर पर स्थानांतरित किया जाता है। फुटपाथ के स्वयं के वजन के साथ गतिशील वाहन के भार को पहले पाइल कैप में स्थानांतरित किया जाता है। इस भार को माइक्रो–पाइल्स द्वारा अक्षीय भार के रूप में सक्षम कठोर स्तरों पर स्थानांतरित किया जाता है। यदि पर्याप्त गहराई पर कठोर स्तर उपलब्ध नहीं है, तो माइक्रो–पाइल्स को घर्षण पाइल्स के रूप में डिज़ाइन किया गया है ताकि माइक्रो–पाइल्स और मृदा पिंड के बीच घर्षण के माध्यम से भार को आसपास की मृदा के पिंड में स्थानांतरित किया जा सके। माइक्रो–पाइल्स के समूह के बीच की मृदा को ऊर्ध्वाधर एंकर (एसडीआरए) की व्यवस्था के माध्यम से और अधिक समेकित किया जाता है। सामान्य व्यवस्था को दर्शाने वाले विस्तृत चित्र नीचे दिए गए हैं;



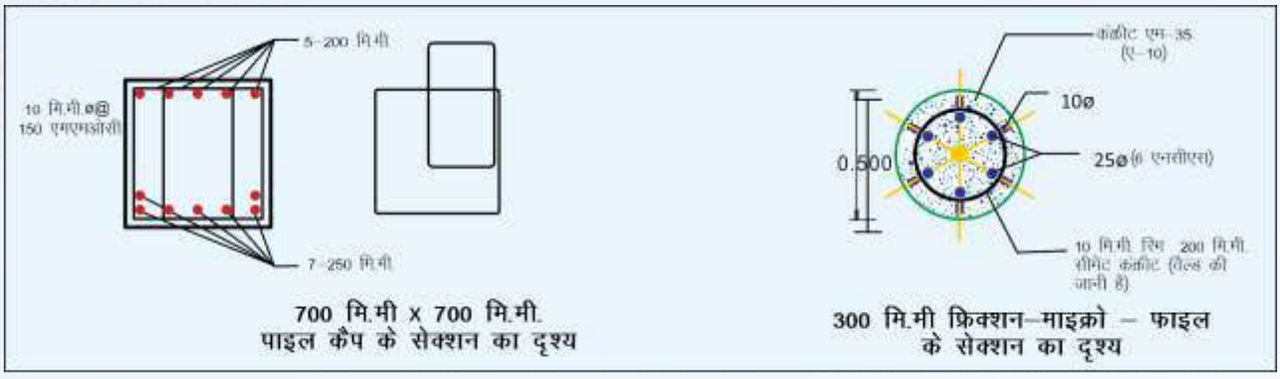
माइक्रो–पाइल्स, पाइल कैप और एसडीआरए की विशिष्ट व्यवस्था



(क) माइक्रो–पाइल्स और एसडीआरए पर आरसीसी का विशिष्ट खंड, (ख) माइक्रो–पाइल्स का विशिष्ट विवरण



माइक्रो–पाइल्स और एसडीआरए पर आरसीसी का एल–सेक्शन



पाइल कैप का विशिष्ट विवरण और माइक्रो–पाइल्स का आरएफटी विवरण

iii. माइक्रो–पाइल्स का प्रावधान

ढलान स्थिरीकरण के लिए माइक्रो–पाइल्स प्रभावी हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पारंपरिक तरीके अव्यावहारिक या बहुत महंगे हैं। उनका छोटा आकार, उच्च भार वहन क्षमता और दुर्गम पहुंच वाले क्षेत्रों में स्थापित करने की क्षमता उन्हें इस उद्देश्य के लिए आदर्श बनाती है। आमतौर पर, 350 मिमी से कम व्यास वाले, इन–सीटू ड्रिल किए गए और ग्राउटेड पाइल्स का उपयोग ढलानों को मजबूत करने के लिए किया जाता है और विभिन्न मृदा और चट्टान के प्रकारों में नींव के समर्थन तत्वों के रूप में कार्य कर सकते हैं।

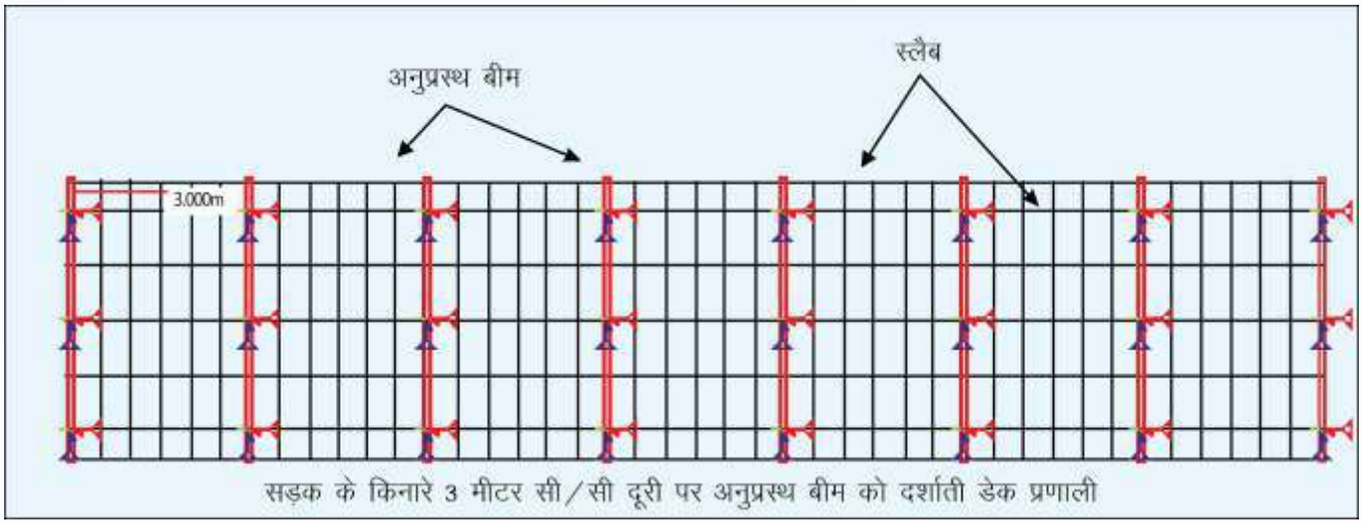
ढलान स्थिरीकरण के लिए आवश्यक शियर और तन्य शक्ति प्रदान करने के लिए माइक्रो–पाइल्स को आमतौर पर समूहों में स्थापित किया जाता है। डिजाइन में स्थान, क्रॉस–सेक्शन, लंबाई और रिक्ति के विचारण शामिल होते हैं। उचित स्थापना और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपकरण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

iv. डिजाइन विचारण

माइक्रो–पाइल पतले, उच्च–शक्ति वाले, स्टील–प्रबलित कंक्रीट के ढेर होते हैं जो मृदा और चट्टान के माध्यम से भार को अधिक स्थिर परतों में स्थानांतरित करते हैं। मुख्य डिज़ाइन कारकों में ढलान स्थिरता, मृदा और चट्टान के गुण, भूजल की स्थिति और संभावित भूकंपीय गतिविधि शामिल होती हैं। डिज़ाइन प्रक्रिया में साइट की स्थितियों का विश्लेषण करना और क्रॉस–सेक्शन, लंबाई, शियर क्षमता और रिक्ति जैसे उपयुक्त माइक्रो–पाइल विनिर्देशों का निर्धारण करना शामिल है।

v. डिजाइन कार्यप्रणालीः विभिन्न संरचनात्मक तत्वों के विश्लेषण और डिजाइन में निम्नलिखित डिजाइन पद्धति अपनाई गई है।

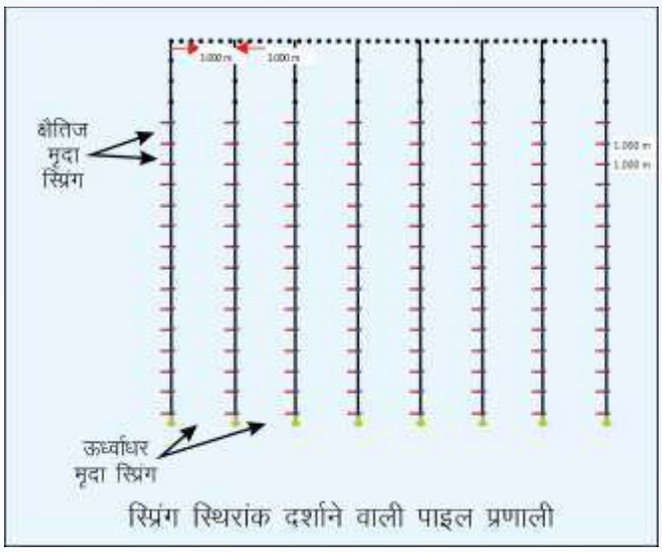
स्टेड–प्रो में ग्रिलेज मॉडल का उपयोग चित्र 9 में दिखाए गए ढेर संरचना के विश्लेषण के लिए किया जाता है। सटीक बल प्राप्त करने के लिए डेक सिस्टम को अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ बीम में विभाजित किया गया है। अनुप्रस्थ बीम (ढेर कैप) सड़क की लंबाई के साथ 3 मीटर सी/सी पर फैले हुए हैं। ग्रिलेज मॉडल के बाकी ग्रिड को स्लैब के रूप में माना जाता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। डेक सिस्टम पर विभिन्न भार जैसे डेड लोड, सुपरइम्पोज़्ड लोड और लाइव लोड (आईआरसी 6–2017 विनिर्देशों के अनुसार क्लास ए व्हील लोड पर विचार करते हुए) लगाए जाते हैं। इसके अलावा, भार के सबसे खराब संयोजन के लिए तथा अनुप्रस्थ बीम और स्लैब में बी.एम., एस.एफ., टॉर्शन आदि जैसे अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए, संरचना का विश्लेषण किया गया।



सड़क के किनारे 3 मीटर सी/सी दूरी पर अनुप्रस्थ बीम को दर्शाती डेक प्रणाली

माइक्रो–पाइल्स अनुप्रस्थ बीम (पाइल कैप) से जुड़े होते हैं जो सड़क के पूरे हिस्से में 3 मीटर सी/सी पर फैले होते हैं।

क्षैतिज मृदा स्प्रिंग अभिक्रियाओं (1 मीटर गहराई पर अंतरित) और ऊर्ध्वाधर मृदा स्प्रिंग अभिक्रियाओं द्वारा समर्थित माइक्रो–पाइल प्रणाली को नीचे चित्र 10 में दिखाए गए स्पेस फ्रेम के रूप में आदर्श बनाया गया है। डेक द्वारा लगाए गए बल पाइल्स के तल पर स्थानांतरित हो जाते हैं। पार्श्व भार के लिए मृदा कठोरता आईएस: 2911 (भाग I / अनुभाग 2 परिशिष्ट ग) से ली गई है।



स्प्रिंग स्थिरांक दर्शाने वाली पाइल प्रणाली

माइक्रो–पाइल्स ब्रेकिंग लोड के साथ संयुक्त भार के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। पाइल क्षमता की गणना आईआरसी 78 के अनुसार की गई है। भार और भार संयोजन आईआरसी 6–2017 के अनुसार हैं। संदर्भ के अन्य कोड आईएस 456, एसपी–16 के अनुसार हैं।

भार: सभी संरचनाओं को डेड लोड, सुपरइम्पोज़्ड लोड, डिफरेंशियल सेटलमेंट के कारण विकसित बलों और किसी भी अन्य लोडिंग स्थितियों के सबसे महत्वपूर्ण संयोजनों के लिए डिज़ाइन किया जाएगा जो सुविधा के डिज़ाइन जीवन के दौरान हो सकते हैं।

डेड लोड (डीएल): संरचना के डेड लोड का अनुमान कंक्रीट के यूनिट वजन के आधार पर लगाया जाता है जैसा कि नीचे दिया गया है। क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रों के आधार पर उपयुक्त भार की गणना की जाती है और विश्लेषण में उपयोग किया जाता है।

सामग्री का यूनिट वजन	
सादा सीमेंट कंक्रीट / आर.सी.सी.:	20 / 25.0 किलोन्यूटन प्रति घन मीटर

सुपरइम्पोज्ड लोड (एसआईडीएल): सुपरइम्पोज्ड डेड लोड में 80 मिमी मोटी वियरिंग कोट और 300 मिमी चौड़ाई के क्रैश बैरियर का वजन शामिल है। वियरिंग कोट, फिल मटीरियल और क्रैश बैरियर के कारण यूडीएल को 7.76 किलोन्यूटन प्रति वर्ग मीटर और 7.5 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर माना जाता है।

लाइव लोड: पाइल संरचना में कैरिजवे की दी गई चौड़ाई के लिए लाइव लोड की आवाजाही के लिए सिंगल लेन होती है (आईआरसी: 6 –2017 की तालिका 6क के अनुसार)। संरचना के विश्लेषण और डिजाइन के लिए निम्नलिखित लोड मामलों पर विचार किया गया। क्लास ए व्हील लोड की एक लेन और 500 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर।

ब्रेकिंग लोड: आईआरसी:6–2017 के खंड 214.2 के अनुसार, ब्रेकिंग बल को पहले लेन में लाइव लोड का 20% और लोड की अगली ट्रेन का 10% और शेष लेन का 5% माना जाता है। विश्लेषण के उद्देश्य के लिए क्लास ए की एक लेन के लिए 110 किलोन्यूटन (अर्थात, क्लास ए के कुल व्हील लोड का 20%) पर विचार किया गया है।

सिस्मिक लोड (ईआई) और विंड लोड (डब्ल्यूएल): सिस्मिक लोड और विंड लोड पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि संरचना ग्राउंडेड है।

भार संयोजन: पाइल संरचना के अलग–अलग मेंबर को बेंडिंग क्षण, अक्षीय बल, शियर फोर्स, टोशन आदि जैसे बलों के सबसे खराब संयोजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। संभावित डिज़ाइन लोडिंग के लिए निर्माण/रखरखाव भार की गंभीरता को अन्य एक साथ होने वाले भार के साथ संयोजन में अलग से भी जाँचा जाएगा।

अंतिम सीमा डिजाइन के लिए लोड संयोजन	
(i)	1.5 (डीएल+एसआईडीएल)
(ii)	1.5(डीएल+एसआईडीएल+एलएल(प्रभाव) क्लास ए)

vi. स्टेड–प्रो विश्लेषण और परिणाम:

संरचनात्मक अवयवों के आवश्यक प्रबलन और आयाम की गणना करने के लिए परिणाम सेक्शन से बेंडिंग क्षण, शियर फोर्स, टोशन आदि जैसे प्रासंगिक परिणाम लिए गए।

vii. संस्थापना प्रक्रिया:

(क) **ड्रिलिंग:** एक ड्रिल रिग रोटरी या पर्क्यूशन ड्रिलिंग का उपयोग करके जमीन में एक छेद बनाता है, जो आमतौर पर 300 मिमी व्यास का होता है।

(ख) **प्रबलन:** प्रबलन ढांचे (डिजाइन के अनुसार) को ड्रिल होल में उतारा जाता है।

(ग) **कंक्रीटिंग:** कंक्रीट को दाब द्वारा छिद्र में पंप किया जाता है। यदि ड्रिल होल के ढहने की स्थिति में कोई परिवर्तन होता है, तो आवरण की व्यवस्था की जाती है। चूंकि माइक्रो–पाइल का आधार अनाच्छादित होता है, इसलिए ग्राउट माइक्रो–पाइल के आधार पर एक बल्ब बनाता है जो अतिरिक्त समर्थन प्रदान करता है।

(घ) **पाइल कैप:** माइक्रो–पाइल को पाइल कैप के माध्यम से शीर्ष पर एक साथ जोड़ा जाता है।

(ङ) **एसडीआरए:** ड्राइंग विवरण के अनुसार ढीले सब–ग्रेड, अतिभाराधीन पिंड के ग्राउटिंग के लिए ऊर्ध्वाधर एसडीआरए की स्थापना। एसडीआरए की गहराई ड्राइंग विवरण के अनुसार निष्पादित की जाएगी। एसडीआरए को पूरी गहराई तक डालने

के बाद ग्राउटिंग की जाएगी। सामान्य तौर पर, ग्राउटिंग दबाव 1–3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर लागू किया जाएगा। ग्राउटिंग संचालन को क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

(च) **आरसीसी फुटपाथः** फुटपाथ को पाइल कैप के साथ बिछाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फुटपाथ से माइक्रो–पाइल्स तक भार पर्याप्त रूप से स्थानांतरित हो।


अरुणाचल प्रदेश में एनएच–513 (पासीघाट–यिंगकियोंग) के किनारे एक साइट पर निर्माणाधीन प्रस्तावित व्यवस्था

viii. **अनुकूलनः** डिजाइन व्यवस्था को विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जहां टीएचडीसी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय–उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अन्य समान क्षेत्रों को परामर्श सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(ख) पुनरुद्धार उपायों के रूप में आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट गद्दे का अनुप्रयोग

(i) सार

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस (जिन्हें जियोटेक्सटाइल ग्राउट से भरे मैट्रेस जीजीएफएम के रूप में भी जाना जाता है) में फैब्रिक की दो परतें होती हैं जिन्हें एक लिफाफे में जोड़ा जाता है और एक टिकाऊ कंक्रीट अस्तर का उत्पादन करने के लिए एक बहुत ही तरल पदार्थ महीन–एग्रीगेट ग्राउट के साथ इंजेक्ट किया जाता है। कपड़े की दो परतें परतों के बीच उच्च शक्ति वाले ग्राउट के इंजेक्शन की अनुमति देने के लिए एक फॉर्मवर्क के रूप में कार्य करती हैं। फैब्रिक से बने कंक्रीट की शैलियों में फिल्टर प्वाइंट मैट, यूनिफॉर्म सेक्शन मैट, आर्टिकुलेटिंग ब्लॉक मैट और कंक्रीट से भरे फैब्रिक बैग शामिल हैं।


आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस की क्रॉस सेक्शन व्यवस्था

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस में एक इंटरवॉवन परिधि से जुड़े डिब्बों की एक श्रृंखला होती है। ग्राउट नलिकाएं डिब्बों को आपस में जोड़ती हैं, और डिब्बों और ग्राउट नलिकाओं के बीच और उनके माध्यम से उच्च शक्ति वाले रिवेटमेंट केबल स्थापित किए जाते हैं। एक बार भर जाने पर, आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस तकिए के आकार वाला, आयताकार कंक्रीट ब्लॉकों का मैट्रेस बन जाता है। ब्लॉकों के बीच आपस में जुड़ी हुई परिधि अभिव्यक्ति की अनुमति देने के लिए हिंज्स के रूप में काम करती है। ब्लॉकों को एक साथ जोड़ने और आर्टिक्यूलेशन की सुविधा के लिए केबल कंक्रीट ब्लॉकों में एम्बेडेड रहते हैं। इनका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है;

क) बहती नदी में पुल के किनारे कटाव को नियंत्रित करना

ख) नदी तटों या तटरेखाओं को लहरों की क्रिया से बचाना

ग) खरोंच की रोकथाम या खरोंच की मरम्मत

घ) नदी प्रशिक्षण कार्य

ङ) रोक तालाबों के लिए अभेद्य अस्तर का निर्माण

आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस का उपयोग, संरक्षित किए जाने वाले क्षेत्र पर फैब्रिक फॉर्म बिछाकर और फॉर्म में बारीक एकत्र कंक्रीट को पंप करके पानी के ऊपर और नीचे दोनों जगह किया जा सकता है। इसकी पंपेबिलिटी, ताकत, घनत्व और अवशोषण प्रतिरोध के कारण नियमित कंक्रीट के स्थान पर फाइन–एग्रीगेट कंक्रीट का उपयोग किया जाता है।


नहर ढलान सुरक्षा के ऊपर स्थापित आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस को दर्शाने वाला चित्र

(ii) संस्थापना विधि

पूर्व–स्थापना योजना में पैनल के आकार का अनुमान और साइट की स्थिति के अनुरूप अनुकूलन शामिल है।

(क) सबग्रेड तैयारी

उत्पाद को बिछाने से पहले ढलान की तैयारी, ट्रेंचिंग और अन्य प्रोफाइलिंग की आवश्यकता हो सकती है। यदि फैब्रिक की स्थापना पानी के अंदर की जाएगी तो नहर तल की सफाई आवश्यक है। नहर का तल मलबे, चट्टानों, गाद की परत और वनस्पति जैसी बाधाओं से मुक्त होना चाहिए। नहर तल की सफाई के लिए स्कूबा डाइवर्स एवं उपर्युक्त सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है।


संस्थापना से पहले सबग्रेड तैयारी

(ख) जियोटेक्सटाइल लेयर बिछाना


जियोटेक्सटाइल लेयर बिछाना

(ग) फैब्रिक बिछाना

जियोटेक्सटाइल फिल्टर फैब्रिक को सीधे तैयार क्षेत्र पर, सबग्रेड के साथ घनिष्ठ संपर्क में, और सिलवटों या झुर्रियों से मुक्त रखा जाएगा। जियोटेक्सटाइल फिल्टर फैब्रिक को इस तरह रखा जाएगा कि फैब्रिक का अपस्ट्रीम रोल डाउनस्ट्रीम रोल को ओवरलैप कर दे। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जोड़ों को कम से कम 600 मिमी ओवरलैप किया जाएगा।


फैब्रिक बिछाना

(घ) ग्राउटिंग / कंक्रीट भरना

जब उत्पाद को सही स्थिति में रखा जाता है और ठीक से लगाया जाता है, तो माइक्रो कंक्रीट को फैब्रिक की दो परतों के बीच बनी आंतरिक जगह में अंतःक्षेपण किया जाता है। कंक्रीट मैट्रेस की फिलिंग डिब्बों द्वारा चयनात्मक क्रम में की जाती है। लेआउट, कंक्रीट बैच आकार और फिलिंग की अनुमानित दर को ध्यान में रखते हुए, प्री–इंस्टॉलेशन योजना के दौरान इन डिब्बों के लिए तैयारी करना आवश्यक हो सकता है।

भरने के दौरान कंक्रीट गद्दे की सतह पर कंक्रीट के घोल का कोई भी छलकाव सौंदर्यपूर्ण फिनिश प्रदान करने के लिए धोया जाएगा। ताजा पंप किए गए कंक्रीट अस्तर की सतह से बिखरे हुए महीन कंक्रीट को हटाने के लिए उच्च दबाव वाली पानी की नली के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब मैट्रेस को सूक्ष्म कंक्रीट से भरना पूरा हो जाता है, तो ढलान के शीर्ष पर खाई को मिट्टी से भर दिया जाता है। पूर्ण कंक्रीट लाइनिंग की सुरक्षा के लिए खाइयों की बैकफ़िलिंग और संघनन समय पर पूरा किया जाएगा।


क) कंक्रीट भरने की प्रक्रिया का दर्शाने वाला चित्र


(ख) कंक्रीट भरने के बाद संस्थापित की गई आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस दर्शाने वाला चित्र



स्थापित आर्टिकुलेटिंग ग्राउटेड कंक्रीट मैट्रेस के संघटकों को दर्शाने वाला चित्र

(ङ) अनुकूलन

इस प्रणाली को नदी के कारण होने वाले कटाव के कारण बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए नदी के प्रवाह/जलाशय के तालाब के किनारे वाली सड़क की ढलान के किनारे पर एमओआरटीएच–उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ परामर्श परियोजनाओं के विभिन्न स्थलों पर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है।

ग. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2023-24	2022-23
क	विदेशी मुद्रा में व्यय (नकद आधार पर)		
	यात्रा	0.15	1.56
	परामर्श एवं व्यावसायिक व्यय	2.95	2.81
	ऋण एवं ब्याज की चुकौती	87.21	64.41
	वस्तुओं का आयात	7.72	3.56
	सम्मेलनों के लिए नामांकन	-	-
	अन्य	118.15	259.88
	कुल	**216.18**	**332.22**
ख	विदेशी मुद्रा में आय (नकद आधार पर)		
ग	सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयात का मूल्य		
i)	पूंजीगत वस्तुएं	7.39	2.05
ii)	अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे	-	-
	कुल	**7.39**	**2.05**
घ	खपत किए गए भाग, स्टोर्स एवं स्पेयर पुर्जों का मूल्य		
i)	आयातित (रु. करोड़ में)	0.26	0.73
	(%)	4.75%	8.53%
ii)	स्वदेशी (रु. करोड़ में)	5.21	7.83
	(%)	95.25%	91.47%
ड़	निर्यात का मूल्य	**-**	**-**

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट (2023–24)



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–V

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं सततता रिपोर्ट 2023–24

खंड–कः सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध संस्था के ब्यौरे

1	**कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	:	U45203UR1988GOI009822
2	**सूचीबद्ध इकाई का नाम**	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (आज की तारीख तक सूचीबद्ध नहीं है)
3	**गठन का वर्ष**	:	1988
4	**पंजीकृत पता**	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, भागीरथी भवन, भागीरथीपुरम, टॉप टेरेस, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)
5	**कॉरपोरेट पता**	:	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश, उत्तराखंड –249201 (उत्तराखंड)
6	**ई मेल आई डीः**	:	cmd@thdc.co.in
7	**दूरभाष संख्या**	:	0135–2473311
8	**वेबसाइट**	:	www.thdc.co.in
9	**जिस वित्त वर्ष से रिपोर्ट संबंधित हैः**	:	2023–24
10	**उस स्टॉक एक्सचेंज का नाम, जिसमें शेयर सूचीबद्ध हैं:**	:	लागू नहीं
11	**संदत्त पूंजी**	:	रु. 3665.88 करोड़ (दिनांक 31.03.2024 की स्थिति के अनुसार)

12 **उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता हैः** श्री ए के घिल्डियाल, सीजीएम (एमपीएस/कॉर्पोरेट प्लानिंग), टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, गंगा भवन, बाईपास रोड, प्रगतिपुरम, ऋषिकेश–249201 (उत्तराखंड), (ईमेल–**akghildiyal@thdc.co.in**)

13. **रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटीकरण स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल यूनिट के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात यूनिट और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)** : समेकित

II. उत्पाद और सेवाएं

1. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कारोबार के 90% के लिए लेखांकन):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	यूनिट के कारोबार का %
1.	विद्युत उत्पादन	जल, पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत का उत्पादन और बिक्री	100

2. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (संस्था के कारोबार का 90% हिस्सा) :

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	विद्युत शक्ति, परामर्शिता और कोयला खनन	3510	100

III. प्रचालन

1. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं :

स्थान	संयंत्रों/निमार्णाधीन/विकास परियोजनाओं की संख्या	अभ्युक्ति
राष्ट्रीय	10	टीएचडीसीआईएल के 06 प्रचालनात्मक संयंत्र, 02 निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाएं, 01 निर्माणाधीन थर्मल परियोजना, 01 कोयला खनन परियोजना है।
अंतरराष्ट्रीय	शून्य	

2. संस्था द्वारा सेवित बाज़ार :

टीएचडीसीआईएल विद्युत उत्पादन में लगी हुई है। राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को विद्युत आपूर्ति की जाती है।

क. स्थानों की संख्या :

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्य सरकारों की संख्या)	12
राष्ट्रीय (राज्य निजी डिस्कॉमों की संख्या)	03
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

ख. संस्था के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान कितना है?

शून्य

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त –

उत्तरी क्षेत्र के नौ राज्यों, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल को बिजली की आपूर्ति की जाती है।

IV. कर्मचारी

1. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगजनों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)
	कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	898	835	92.98	63	7.02
2	स्थायी के अलावा (ड़)	197	174	88.32	23	11.68
3	कुल कर्मचारी (घ+ड़)	1095	1009	92.14	86	7.85
	कामगार					
4	स्थायी (च)	883	820	92.86	63	7.13
5	स्थायी के अलावा (छ)	8	8	100	0	0
6	कुल कर्मचारी (च+छ)	891	828	92.93	63	7.07

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार

क्रमांक	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	%(ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारी					
1	स्थायी (घ)	10	9	90	1	10
2	स्थायी के अलावा (ड़)	2	2	100	0	0
3	कुल कर्मचारी (घ+ड़)	12	11	91.67	1	8.34
	दिव्यांग कामगार					
4	स्थायी (च)	25	22	88	3	12
5	स्थायी के अलावा (छ)	उपलब्ध नहीं				
6	कुल कर्मचारी (च+छ)	25	22	88	3	12

2. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व :

	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		संख्या (ख)	% (ख / क)
निदेशक मंडल	8	1	12.5%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

3. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए टर्नओवर दर

(पिछले 3 वर्षों के रुझान का प्रकटीकरण करें)

		वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2022–23 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2021–22 (चालू वित्त वर्ष से पहले वर्ष में टर्नओवर दर)		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	सेवानिवृत्त	52	0	52	47	2	49	42	1	43
	इस्तीफा दिया	21	1	22	7	1	8	5	0	5
स्थायी कामगार	सेवानिवृत्त	29	0	29	36	2	38	40	1	41
	इस्तीफा दिया	2	0	2	1	0	1	2	0	2

V. धारक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

1. (क) धारक / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	धारक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या धारक/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध संस्था द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम क में इंगित संस्था, सूचीबद्ध संस्था की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी	74.49	हां
2.	टुस्को लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74.00	नहीं
3.	ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74.00	नहीं
4.	टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	74.00	नहीं

VI. सीएसआर विवरण

(i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां)

(ii) कारोबार (रु. में):– (कुल राजस्व)– रु. 2012.09 करोड़

(iii) निवल मूल्य (रु. में):– रु. 10546.68 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

1. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/परिवाद:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	(वित्त वर्ष 2023–24 चालू वित्तीय वर्ष)			(वित्तीय वर्ष 2022–23 पिछला वित्तीय वर्ष)		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	कॉर्पोरेट एस एंड ई (सीएसआर) **(https://www.thdc.co.in/content/feedback-form)**	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
	वीपीएचईपी: तिमाही आधार पर समिति के माध्यम से समाधान	01	शून्य	–	01	–	–

निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हां **https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html**	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	–
शेयरधारक	हां **https://scores.gov.in/admin/Chk_login.html**	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी और कामगार	हां **www.thdc.co.in**	शून्य	शून्य	–	02	01	–
ग्राहक	वार्षिक फीडबुक और डिस्कॉम के साथ आमने–सामने बैठक के माध्यम से	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	शून्य

2. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यवसाय आचरण और स्थिरता के मुद्दों, जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, इनकी पहचान करने के लिए औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय प्रभावों को इंगित करें:

क्रमांक	पहचाने गए महत्वपूर्ण मुद्दे	इंगित करें कि क्या जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या कम करने के लिए दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव को इंगित करें)
1	राख (ऐश) का निपटान	अवसर	अवसर अब फ्लाई ऐश का उपयोग सीमेंट उद्योगों और अन्य निर्माण सामग्री विनिर्माण उद्योगों में मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जा रहा है।	फ्लाई ऐश ताप विद्युत संयंत्र का उप–उत्पाद है। इसलिए, विनिर्माण उद्योगों में इसके 100% उपयोग के अवसर को राजस्व क्षमता के रूप में महसूस किया जा सकता है। टीएचडीसीआईएल विभिन्न निर्माण गतिविधियों/उद्योगों जैसे ईंटों, कंक्रीट फुटपाथ आदि में फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों और अवसरों की खोज कर रहा है ताकि राख के भंडारण को कम किया जा सके।	बाजार के वर्तमान रुझान के अनुसार फ्लाई ऐश की दर वास्तविक बिक्री के समय भिन्न हो सकती है।
2	पीएएफ/स्थानीय लोगों की वैध अपेक्षाएं	जोखिम	कार्य अनुभव के आधार पर	• मुद्दों के समाधान के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ संपर्क स्थापित करके विश्वास बनाने के लिए निरंतर संचार और परामर्श/बातचीत। • कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग करना। • परियोजना प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित करने के लिए अत्यधिक आग्रह या प्रेरणा। • एक किस्त पर विशेष पैकेज का भुगतान।	परियोजना निर्माण में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की पूर्णता लागत में वृद्धि हुई है।

खंड– खः प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1.क.	क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
1ख.	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
1ग.	नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	*	*	वैब पर नहीं	*	*	*	वैब पर नहीं	*	-
2.	क्या संस्था ने नीति का प्रक्रियाओं में अनुवाद किया है। (हां / नहीं)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं

3.	क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों को उपलब्ध हैं? (हां / नहीं)	कृपया नीचे तालिका–1 का अवलोकन करें
4.	राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानकों (जैसे एसए8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) को आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया।	
5.	विशिष्ट समय–सीमा के साथ संस्था द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, उद्देश्य और लक्ष्य, यदि कोई हों।	
6.	विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के सापेक्ष संस्था के प्रदर्शन साथ–साथ उन्हें पूरा न कर पाने की स्थिति में कारणों का उल्लेख।	सभी वैधानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। तालिका–1 के अनुसार उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं।
	अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण	
7.	ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा कथन (सूचीबद्ध संस्था के पास इस प्रकटीकरण को रखने के संबंध में लचीलापन है)	
8.	व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (यों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी का विवरण।	लागू नहीं
9.	क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो सततता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति ने सततता संबंधी मुद्दों की समीक्षा की।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरणः

समीक्षा के लिए विषय	**इंगित करें कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/ समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी**									**आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)**								
	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के सापेक्ष प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	संतोषजनक। अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रदर्शन को मापा जाता है।									जब भी आवश्यक हो।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	जब भी आवश्यक हो।								

11.	क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कार्यकरण का स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है? (हां / नहीं) । यदि हां , तो एजेंसी का नाम दें।	नहीं

12. यदि ऊपर दिए गए प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात सभी सिद्धांत किसी नीति द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, तो कारणों का उल्लेख करें:

प्रश्न	
संस्था अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर विचार नहीं करती है (हां / नहीं)	टीएचडीसीआईएल के पास सिद्धांत–9 के लिए कोई नीति नहीं है। ऐसा लगता है कि नीति की आवश्यकता नहीं है। विस्तृत विवरण नीचे तालिका–1 में दिया गया है।
संस्था उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है (हां /नहीं)	
संस्था के पास कार्य के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां /नहीं)	
इसे अगले वित्तीय वर्ष में करने की योजना है (हां /नहीं)	
कोई अन्य कारण (कृपया निर्दिष्ट करें)	

- **पर्यावरण नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/environment-policy
- **आर एंड आर नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/content/rr-policy
- **सीएसआर और सततता नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR-CD-policy28.05.13.pdf
- **टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CSR_CommuStrategy.pdf
- **टीएचडीसीआईएल के विजन, मिशन और मान्यताएं निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:**
  https://thdc.co.in/content/visionmissionvalues
- **कॉर्पोरेट आचार नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/Corporate_Ethics_Policy.pdf
- **सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/WhistleBlowerPolicy.pdf
- **व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है :**
  https://thdc.co.in/sites/default/files/CodeBusinessConduct&Ethics.pdf

तालिका 1

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	निदेशक जवाबदार
सिद्धांत 1 (पी1)	व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और अभिशासन करना चाहिए।	• विजन, मिशन और मान्यताएं • आचरण अनुशासन और अपील नियम • कामगारों के लिए स्थायी आदेश • कॉर्पोरेट आचार नीति • व्यापार आचार और नैतिकता संहिता • सीडीए नियम • सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति • सत्यनिष्ठा समझौता • टीएचडीसीआईएल का रिकॉर्ड प्रबंधन मैनुअल • टीएचडीसीआईएल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण नीति।	निदेशक (वित्त) निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 2 (पी2)	व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।	सुरक्षा नीति सीएसआर और स्थिरता नीति आईएसओ 45001:2018	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 3 (पी3)	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।	मानव संसाधन नीतियां भर्ती और स्थानांतरण नीति	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 4 (पी4)	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।	आर एंड आर नीति विजन और मिशन	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 5 (पी5)	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।	विजन, मिशन और मान्यताएं मानव संसाधन नीतियां	निदेशक (कार्मिक)
सिद्धांत 6 (पी6)	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।	पर्यावरण नीति आईएसओ 14001:2015 (ईएमएस)	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 7 (पी7)	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।	• आचार संहिता • मूल्य मान्यताएं	निदेशक (तकनीकी) निदेशक (कार्मिक) निदेशक (वित्त)

सिद्धांत संख्या	विवरण	नीति / नीतियां	निदेशक जवाबदार
सिद्धांत 8 (पी8)	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।	सीएसआर और सततता नीति सीएसआर संचार कार्यनीति	निदेशक (तकनीकी)
सिद्धांत 9 (पी9)	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।	सिद्धांत–9 के तहत पहचाने गए सभी मूल तत्वों का टीएचडीसीआईएल द्वारा अपनी वाणिज्यिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विधिवत पालन किया जाता है। हालांकि, टीएचडीसीआईएल को लगता है कि सिद्धांत 9 पर एक अलग नीति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि: • टीएचडीसीआईएल लाभार्थियों (थोक ग्राहकों) को बिजली की आपूर्ति करता है, जिनमें से अधिकांश का स्वामित्व संबंधित राज्य सरकार के पास है। • विद्युत का आबंटन कतिपय नीतियों और दिशानिर्देशों के आधार पर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। • टीएचडीसीआईएल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत शुल्क केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाता है। • नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए टैरिफ टीएचडीसीआईएल और व्यक्तिगत लाभार्थी राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुसार तय किया जाता है। • मुद्दों, यदि कोई हो, पर चर्चा की जाती है और उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत समिति (एनआरपीसी) जैसे सामान्य मंचों पर हल किया जाता है, जहां थोक ग्राहक और उत्पादक सदस्य होते हैं। • ग्राहकों (लाभार्थियों) से उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए अलग से फीडबैक लिया जाता है।	

खंड – ग: सिद्धांत–वार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अधिदेशित प्रत्येक संस्था द्वारा आवश्यक संकेतकों का प्रकटीकरण करने की आशा की जाती है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1 व्यवसायों को सत्यनिष्ठा के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से स्वयं का आचरण और सुशासन करना चाहिए।

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय / सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
निदेशक मंडल	1	सीपीएसई के कार्यात्मक निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	50%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	10	• वीएडब्ल्यू 2023 के अग्रदूत के रूप में 55 कार्यपालकों (ई–7 / ई–8 कार्यपालकों) को कवर करते हुए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – "नैतिकता और शासन, सार्वजनिक खरीद प्रणाली और प्रक्रिया, जांच में आईओ / पीओ की भूमिका" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम। • 59 कार्यपालकों को कवर करते हुए "भ्रष्टाचार को ना कहें: राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें" पर चर्चा • 43 कार्यपालकों को कवर करते हुए क्षमता निर्माण कार्यक्रम – खरीद प्रबंधन	43.31%

खंड	आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का प्रतिशत
		• 52 कार्यपालकों (ई–2 से ई–6) को कवर करते हुए "नैतिकता और शासन, सार्वजनिक खरीद प्रणाली और जांच करने में आईओ/पीओ के संगठन की प्रक्रिया" पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम – वीएडब्ल्यू 2023 • 116 कार्यपालकों को कवर करते हुए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली • 40 कार्यपालकों को कवर करते हुए पक्ष–समर्थन कार्यक्रम • 17 कार्यपालकों को कवर करते हुए सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • 02 कार्यपालकों को कवर करते हुए आरटीआई और संगठनात्मक पारदर्शिता के लिए निवारक सतर्कता • निवारक सतर्कता पर कार्यशाला –02 कार्यपालक • 03 कार्यपालकों को कवर करते हुए निवारक सतर्कता, ई–खरीद और सुशासन की कुंजी **कवर किए गए कुल कार्यपालक = 389**	
कामगार	02	• 02 कार्यपालकों को कवर करते हुए सतर्कता अधिकारियों के लिए सतर्कता प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम • 03 कार्यपालकों को कवर करते हुए रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली **कवर किए गए कुल कार्यपालक = 05**	0.56%

2. निम्नलिखित प्रारूप में वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (संस्था या निदेशकों / मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माना/दंड/ शास्ति/ एवार्ड/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (टिप्पणीः संस्था सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और संस्था की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार महत्व के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	राशि (रु. में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
शस्ति/जुर्माना	शून्य				
समझौता					
कंपाउंडिंग शुल्क					
गैर–मौद्रिक					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/ न्यायिक संस्थानों का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण		क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हां/नहीं)
कारावास	शून्य				
सज़ा					

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों की संख्या, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई पर अपील की गई है।

– लागू नहीं

4. क्या संस्था में भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

निगम में कोई विशिष्ट और अधिसूचित भ्रष्टाचाररोधी या रिश्वतरोधी नीति नहीं है। हालांकि, सभी कर्मचारी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 द्वारा शासित हैं।

संगठन के कर्मचारी संगठन की आचार संहिता के साथ प्रवर्तनीय नीतियों के प्रति बाध्य हैं। आचार संहिता विशिष्ट नियमों का समूह है जिसे विशिष्ट प्रथाओं और व्यवहारों, जिन्हें प्रोत्साहित या प्रतिबंधित किया जाना है, को रेखांकित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आचार संहिता में यह निर्धारित करने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को भी निर्धारित किया गया है कि क्या संहिता का उल्लंघन हुआ है और विशिष्ट उल्लंघनों के लिए क्या दंड लगाया जाएगा।

विभिन्न नियमों / नीतियों / संहिताओं / विनियमों के रूप में निर्धारित आचार संहिता की विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

(क) विजन, मिशन और मान्यताएं:

विजन: "एक एकीकृत वैश्विक ऊर्जा संगठन जो भारत की शुद्ध–शून्य (नेट–जीरो) आकाँक्षाओं की अभिप्राप्ति के लिए सतत समाधान प्रदान करे"

मिशन:

- विविध स्रोतों से स्वच्छ और किफायती ऊर्जा उपलब्ध कराना।
- उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की खोज करना एवं सुचारु परिवर्तन को सक्रिय करने के लिए गुणवत्तापरक स्थायी समाधान प्रदान करना।
- व्यक्तियों को सक्षम एवं विकसित करते हुए परिवर्तन को अंगीकार करने हेतु संगठनात्मक क्षमताओं का निर्माण करना।
- व्यावसायिक गतिविधियों में उच्चतम नैतिक मानकों एवं सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करना।
- सामाजिक रूप से उत्तरदायी रहकर कार्य करना एवं पर्यावरण एवं व्यक्तियों के प्रति प्रतिबद्ध होकर कार्य करना।
- उच्च उत्पादकता और दक्षता को हासिल करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अंगीकृत करना।
- संसाधनों के अधिकतम दोहन के लिए रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना।

मान्यताएं

मूल मान्यताएं: एस्पायर (एएसपीआईआरई)

ए: अकाउंटेबिलिटी (जबावदेही)

एस:सस्टेनिबिलिटी (सततता)

पी: पैशन (अभिलाषा)

आई: इनोवेशन (नवाचार)

आर: रेस्पेक्ट (आदर)

ई: एथिक्स (नैतिकता)

(ख) आचरण, अनुशासन और अपील नियम:

इन नियमों को टीएचडीसीआईएल का आचरण, अनुशासन और अपील नियम, 1990 कहा जाता है। ये नियम अनियमित नियोजन या आकस्मिकताओं से भुगतान किए जाने वाले और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत कंपनी के स्थायी आदेशों द्वारा शासित होने वाले कामगारों को छोड़कर, प्रतिनियुक्ति / संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों सहित कंपनी के सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं ।

इन नियमों का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है, और इस प्रकार कंपनी के हितधारकों द्वारा अधिकारियों में दिखाए गए विश्वास और भरोसे को बनाए रखना है। अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दैनिक कार्यकरण में इस संहिता और मानकों के निर्धारित प्रावधानों से अवगत हों, इनका पालन करें, इन्हें अपनाएं और इन्हें बनाए रखें। इस संहिता में निर्धारित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित करते हैं।

(ग) कामगारों के लिए स्थाई आदेश

इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोक्ताओं को प्रमाणित करने वाले प्राधिकरण के बाद स्थायी आदेशों के रूप में उनके अधीन नियोजन की शर्तों को औपचारिक रूप से परिभाषित करना अपेक्षित है। यह प्रत्येक ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होता है जिसमें 100 या अधिक कामगार (केंद्र सरकार ने उन प्रतिष्ठानों के संबंध में कम करके 50 कर दिया है जिनके लिए यह उपयुक्त सरकार है) कार्यरत हैं। स्थायी आदेश होने का उद्देश्य औद्योगिक संबंधों को विनियमित करना है। ये आदेश औद्योगिक उपक्रमों में कार्यरत कामगारों के नियोजन की शर्तों, शिकायतों, कदाचार आदि को नियंत्रित करते हैं।

(घ) कॉर्पोरेट आचार नीति:

टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष और पारदर्शी दृष्टिकोण के महत्व को बरकरार रखती है। ऐसा अपनी सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं और लेनदेन में व्यावसायिकता, सत्यनिष्ठा, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर किया जाता है। टीएचडीसीआईएल निष्पक्ष व्यवहार और व्यावसायिक

नैतिकता के सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसने कॉर्पोरेट नैतिकता नीति, जो कंपनी और कर्मचारियों के कार्यों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों और मानकों को निर्धारित करती है, को अपनाया है।

यह नैतिकता नीति कथन, आकस्मिक रोजगार, संविदाकारी एजेंसियों, परामर्शदाताओं, व्यावसायिक संबंधों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों को छोड़कर, निदेशक मंडल के सदस्यों, कर्मचारियों सहित प्रतिनियुक्ति/ग्रहणाधिकार पर नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होता है। सभी संबंधितों से अखंडता, निष्पक्षता और विवेक के मूल्यों के अनुरूप नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्तव्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों से टीएचडीसीआईएल, और इसके उद्देश्यों, प्रयोजनों और सिद्धांतों के प्रति अनन्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

(ङ) व्यापार आचरण और नैतिकता संहिताः

व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता बोर्ड के सदस्यों और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए यह संहिता, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्धता करार के खंड 49, जहां कहीं लागू हो और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में विशेष रूप से तैयार की गई है।

इस संहिता का उद्देश्य पेशेवर कार्य के संचालन में नैतिक निर्णय लेने के आधार के रूप में कार्य करना है। यह पेशेवर नैतिक मानकों के उल्लंघन से संबंधित औपचारिक शिकायत की मेरिट का न्याय करने के लिए एक आधार के रूप में भी कार्य कर सकती है।

(च) सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) नीतिः

सीपीएसई द्वारा उच्च स्तर की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने "सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट सुशासन पर दिशानिर्देश" को अनिवार्य बनाने और सभी सीपीएसई पर लागू करने का निर्णय लिया।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सचेतक (व्हिसल ब्लोअर) नीति में उल्लेख किया गया है कि "कंपनी प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या आचरण या नैतिकता नीति पर कंपनी के सामान्य दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बारे में चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक तंत्र स्थापित कर सकती है। यह तंत्र, तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान कर सकता है और असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच प्रदान कर सकता है। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के अस्तित्व को संगठन के भीतर उचित रूप से सूचित किया जा सकता है।"

यह नीति कंपनी में नैतिक, सदाचारी और कानूनी व्यावसायिक आचरण के उच्चतम संभव मानकों को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार की गई है।

नीति का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- कर्मचारियों को कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण की जानकारी होने की स्थिति में, सद्भावस्वरूप प्रबंधन या असाधारण मामलों में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को पहुंचने का अवसर प्रदान करना।
- सद्भाव में सूचना प्रदान करने के लिए कर्मचारियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए, आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना।
- प्रबंधकीय कार्मिकों को उन कर्मचारियों के विरूद्ध कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने से रोकना।

(च) सत्यनिष्ठा समझौताः

टीएचडीसीआईएल ने भ्रष्टाचार को मिटाने/शमन करने के अपने प्रयास में टीएचडीसीआईएल प्रशासन में विभिन्न पैकेजों को प्रभावी साधन के रूप में उपयोग करने या लाभ उठाने का पालन किया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, टीएचडीसीआईएल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग की अपेक्षाओं के अनुरूप सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। इसने भ्रष्टाचार की उच्च लागत और प्रभावों को कम करने के लिए आपसी संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों को स्थापित किया है। इस समझौते में, संविदा के किसी भी पहलू पर किसी भी तरह के भ्रष्ट प्रभाव का प्रयोग नहीं करने के लिए, दोनों पक्षकारों के व्यक्तियों / अधिकारियों को प्रतिबद्ध करने वाले संभावित विक्रेताओं / बोलीदाताओं और खरीदार के बीच एक समझौते की अनिवार्य रूप से परिकल्पना की गई है। केवल वे विक्रेता/बोलीदाता जिन्होंने क्रेता के साथ ऐसा सत्यनिष्ठा समझौता किया है, बोली में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में, इस समझौते को निष्पादित करना एक प्रारंभिक योग्यता होगी। किसी विशेष संविदा के संबंध में सत्यनिष्ठा समझौता, निविदा के आमंत्रण के चरण से संविदा के पूर्ण निष्पादन तक प्रभावी होगा।

सत्यनिष्ठा समझौते में संगठन के लिए स्वीकृत स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ताओं (आईईएम) के पैनल की परिकल्पना की गई है। स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करेगा कि पक्षकारों ने समझौते के तहत अपने दायित्वों का पालन किया है या नहीं।

5. ऐसे निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी)/ कर्मचारियों / कामगारों की संख्या जिनके विरूद्ध रिश्वत/ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थीः

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)	शून्य	शून्य
कर्मचारी	शून्य	शून्य
कामगार	शून्य	शून्य

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरणः

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	–	शून्य	–
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	–	शून्य	–

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा लगाए गए जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– **लागू नहीं**

सिद्धांत 2: व्यवसायों को सतत और सुरक्षित तरीके से माल और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

1. संस्था द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और निवेश में उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए क्रमशः विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत ।

अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना और बजट (वित्त वर्ष 2023–24) के सापेक्ष अनुसंधान एवं विकास व्यय

क्रमांक	परियोजना का विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया व्यय (रु. लाख में)	अध्ययन का प्रभाव	अध्ययन के परिणाम
1.	मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से माइक्रो–प्लास्टिक संचलन की मॉडलिंगः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक कदम।	7.22	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/ आरकेएसएच/ आरएंडडी/एफ–2072/1031 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
2.	गंगा जल का उपयोग करके रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) बैक्टीरिया के खिलाफ एक फेज–आधारित रणनीति विकसित करना	95.304	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2064/1022 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
3.	घरेलू जल और एसटीपी में प्लास्टिसाइज़र बायोरेमेडिएशन के लिए बायोफिल्टर के विकास के लिए एंजाइम इंजीनियरिंग	95.304	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2063/1021 दिनांक 18. 09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है

4.	बायो–मास से ग्रीन हाइड्रोजन और बायो–चार का सह–उत्पादन	51.3	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2065/1023 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
5.	फोटो–इलेक्ट्रो केमिकल सेल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित करना–विस्तृत परियोजना प्रस्ताव	44.55	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ – 2067/1025 दिनांक 18.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2026 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
6.	न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता के साथ अभिनव सीवेज उपचार प्रौद्योगिकी का विकास	23.67	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2071/1030 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
7.	सीवेज कीचड़ और ओएफएमएसडब्ल्यू के हाइड्रोथर्मल पूर्व–उपचार के माध्यम से नगरपालिका अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में अभिनव दृष्टिकोण	31.71	यह परियोजना आईआईटी रुड़की (आईआईटीआर) और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) को एलओए संख्या टीएचडीसी/आरकेएसएच/आरएंडडी/एफ–2070/1029 दिनांक 21.09.2023 के तहत सौंपी गई। चूंकि अध्ययन अभी भी चल रहा है, इसलिए इस स्तर पर प्रभाव की परिकल्पना नहीं की जा सकती है।	2027 में अध्ययन पूरा होने की प्रतीक्षा है
	कैपेक्स केएसटीपीपी: परियोजना स्थल	पर्यावरण पर 284.15 करोड़ और सामुदायिक विकास पर 17.51 करोड़	**क. पर्यावरण उपाय** (i) एफजीडी: फ़्लू–गैस डिसल्फ़राइज़ेशन (एफजीडी) प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसका उपयोग जीवाश्म ईंधन विद्युत संयंत्रों के निकास फ्ल्यू गैसों, और अन्य सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रियाओं जैसे अपशिष्ट भस्मीकरण, पेट्रोलियम रिफाइनरियों, सीमेंट और चूने के भट्टों से उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) को हटाने के लिए किया जाता है। (ii) ईएसपी: एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ईएसपी) एक फ़िल्टर रहित उपकरण है जो एक प्रेरित इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बल का उपयोग करके एक बहती हुई गैस से धूल और धुएँ जैसे महीन कणों को हटाता है, जिससे इकाई के माध्यम से गैसों के प्रवाह में न्यूनतम बाधा उत्पन्न होती है। (iii) लगभग 170 हेक्टेयर भूमि पर विकासाधीन हरित पट्टी। (iv) शून्य तरल निस्सरण की व्यवस्था (v) वायु प्रदूषण निगरानी उपकरण।	
	कैपेक्स वीपीएचईपी (पर्यावरण)	0.31 करोड़ पर्यावरण		

2. क. क्या संस्था में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां / नहीं)

– हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

लगभग सभी खरीद स्थायी सोर्सिंग विधियों जैसे जीईएम पोर्टल, ई–टेंडरिंग आदि के माध्यम से की जाती हैं।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट के लिए उपयोगी काल के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुनःप्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

(क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)

ऋषिकेश में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक अपशिष्ट का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक अपशिष्ट जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं। अन्य परियोजना स्थानों पर भी इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है

(ख) ई–अपशिष्टः

टीएचडीसीआईएल में बहुत कम ई–अपशिष्ट है। सरकारी मानदंडों के अनुसार ई–कचरे का निपटान किया जाता है।

(ग) खतरनाक अपशिष्टः

अपशिष्टः संविदाकार द्वारा परियोजनाओं में खतरनाक अपशिष्ट का निपटान खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जा रहा है। सभी खतरनाक अपशिष्ट को रिसाव रोधी बंद पात्र (ड्रम) में एकत्र किया जाता है और अधिकृत एजेंसियों/रीसाइक्लर को सौंप दिया जाता है।

(घ) अन्य अपशिष्टः बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधनः–

बायोमेडिकल अपशिष्ट (बीएमडब्ल्यू) का सुरक्षित और सतत प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों से संबंधित सभी लोगों की सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारी है। स्वस्थ मानव एवं स्वच्छ पर्यावरण के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 लागू किया जा रहा है। जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन का मूल सिद्धांत स्रोत पर पृथक्करण है और हरे एवं स्वच्छ वातावरण के लिए अपशिष्ट में कमी का अनुपालन किया जा रहा है। इस उद्देश्य से बायोमेडिकल अपशिष्ट को कलर कोडेड डिब्बे में रखा जा रहा है। फिर अपशिष्ट को अंतिम निपटान के लिए विशेषज्ञ एजेंसी को सौंप दिया जाता है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर) संस्था की गतिविधियों पर लागू होता है (हां /नहीं)। यदि हां , तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

हां। ईपीआर सीधे टीएचडीसीआईएल पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई प्लास्टिक उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि, विदेशों से आयातित मशीन भागों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग के प्रबंधन के लिए, सीपीसीपी पोर्टल पर ईपीआर पंजीकरण किया गया था। संबंधित विभाग और एजेंसियों द्वारा परिसर में अपशिष्ट संग्रह प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, प्लास्टिक के न्यूनतम आयात के कारण ईपीआरए पोर्टल द्वारा टीएचडीसीआईएल को रीसाइक्लिंग के लिए शून्य लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपनी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए और उनकी भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरणः

श्रेणी	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)	संख्या (घ)	% (घ/क)	संख्या (ड़)	% (ड़/क)	संख्या (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	835	लागू नहीं	लागू नहीं	835	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	835	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	63	लागू नहीं	लागू नहीं	63	100%	63	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	898	लागू नहीं	लागू नहीं	898	100%	63	7.01%	835	92.98%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी के अलावा											
पुरुष	174	174	100%	174	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	23	23	100%	23	100%	23	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	197	197	100%	197	100%	23	11.67%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. कामगारों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण :

श्रेणी	कवर किए गए कामगारों का प्रतिशत										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग / क)	संख्या (घ)	% (घ / क)	संख्या (ड़)	% (ड़ / क)	संख्या (च)	% (च / क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	820	लागू नहीं	लागू नहीं	820	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	820	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	63	लागू नहीं	लागू नहीं	63	100%	63	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	883	लागू नहीं	लागू नहीं	883	100%	63	7.13%	820	92.87%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी के अलावा											
पुरुष	11794	लागू नहीं	लागू नहीं	11794	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	277	लागू नहीं	लागू नहीं	277	100%	277	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	12071	लागू नहीं	लागू नहीं	12071	100%	277	2.29%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण :

लाभ	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (वाई / एन / एन ए)	कुल कर्मचारियों के% के रूप में शामिल कर्मचारियों की संख्या	कुल कामगारों के% के रूप में शामिल कामगारों की संख्या	प्राधिकरण के पास काटा और जमा किया गया (हां / नहीं / लागू नहीं)
पीएफ	100%	100%	100%	100%	100%	100%
उपदान	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य–कूपया निर्दिष्ट करें	जीएसएलआई योजना के 2014 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ	100%	100%	100%	100%	100%

3. कार्यस्थलों की पहुंच

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार, क्या दिव्यांग कर्मचारियों और कामगारों के लिए संस्था के परिसर / कार्यालयों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिगम के कार्यान्वयन के अनुपालन में, संगठन ने संगठन के अधिकांश भवनों में रैंप बनाकर आसान पहुंच प्रदान की है। सुगम्य भारत अभियान के तहत निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए कंपनी दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में सभी प्रयास कर रही है। कंपनी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को नामित करती रही है। कंपनी ने दिव्यांग कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों की पहचान करने और उनके लिए विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए संपर्क अधिकारियों को नामित किया है। कंपनी की समान अवसर नीति है और इसे अक्षरशः लागू किया जाता है।

4. **क्या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था में समान अवसर नीति है? यदि हां, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।**

हां, **https://thdc.co.in/sites/default/files/EQUAL_OPPORTUNITY_POLICY_0.pdf**

5. पितृत्व अवकाश लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की कार्य पर वापसी और प्रतिधारण दर।

	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कर्मगार	
लिंग	कार्य पर वापिसी दर	प्रतिधारण दर	कार्य पर वापिसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	100%	100%
महिला	100%	100%	100%	100%
कुल	100%	100%	100%	100%

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां , तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

	हां / नहीं (यदि हां , तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कामगार	हां
स्थायी कामगारों के अलावा	हां
स्थायी कर्मचारी	हां
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां

7. शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए उपलब्ध तंत्र पर संक्षिप्त विवरण

शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया: 03 चरण शिकायत निवारण प्रणाली क्रियाशील है।

चरण I: कोई व्यथित कर्मचारी अपनी शिकायत लिखित रूप में अपने नियंत्रण अधिकारी (उप प्रबंधक के पद से नीचे नहीं) को उक्त शिकायत की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। नियंत्रण अधिकारी के कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए बनाए गए शिकायत रजिस्टर में शिकायत दर्ज की जाएगी। कर्मचारी को शिकायत संख्या का उल्लेख करते हुए एक पावती जारी की जाएगी। नियंत्रण अधिकारी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आवश्यक पूछताछ करेगा और कर्मचारी को उत्तर देगा।

चरण II: यदि व्यथित कर्मचारी नियंत्रण अधिकारी द्वारा उसे दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–I पर उत्तर प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर नियंत्रक अधिकारी द्वारा दी गई मूल शिकायत संख्या को इंगित करते हुए अपनी शिकायत अपने विभागाध्यक्ष / महाप्रबंधक को प्रस्तुत कर सकता है। शिकायत प्राप्त होने पर, महाप्रबंधक / परियोजना प्रमुख / विभागाध्यक्ष मामले को आगे बढ़ाएंगे, संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और उचित समय के भीतर मामले में उत्तर देंगे। आम तौर पर, चरण–प्प में कर्मचारी को शिकायत का उत्तर देने में 30 दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

चरण III: यदि कर्मचारी अभी भी चरण– II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह चरण–II पर उत्तर प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, चरण–II में प्राप्त उत्तर से संतुष्ट नहीं होने का कारण का उल्लेख कर, मूल शिकायत संख्या इंगित करते हुए, अपनी शिकायत अध्यक्ष–जीआरसी को प्रस्तुत कर सकता है।

जीआरसी व्यथित कर्मचारी द्वारा लिखित / मौखिक प्रस्तुतियाँ तथा संबंधित कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियाँ तथा तथ्यों, नियमों, स्थिति और नीति, कानूनी पहलुओं, प्रासंगिक सरकारी दिशा–निर्देशों आदि के आधार पर विचार करेगी तथा 3 माह की अवधि के भीतर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। मामले में लिया गया अंतिम निर्णय सचिव–जीआरसी द्वारा व्यथित कर्मचारी तथा संबंधित विभाग को सूचित किया जाएगा।

8. सूचीबद्ध संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था (ओं) या संघ (संघों) में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (क)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (ख)	% (ख / क)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी / कामगार (ग)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों / कामगारों की संख्या, जो संघ या संस्था के सदस्य हैं (घ)	% (घ / ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	898	125	13.92%	780	78	10.00%
–पुरुष	835	115	13.77%	729	74	10.15%
–महिला	63	10	15.87%	51	04	7.84%
कुल स्थायी कामगार	883	674	76.33%	783	601	76.76%
–पुरुष	820	642	78.29%	729	588	80.66%
–महिला	63	15	23.80%	54	13	24.07%

9. कर्मचारियों और कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (क)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (ख)	% (ख / क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड़)	% (ड़/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
पुरुष	835	54	6.46%	312	37.36%	729	48	6.58%	390	53.49%
महिला	63	23	36.5%	15	23.81%	51	Nil	-	42	82.35%
कुल	898	77	8.57%	327	36.41%	780	48	6.15%	432	55.38%
कामगार										
पुरुष	820	100	12.19%	114	13.90%	729	66	9.05%	28	3.84%
महिला	63	02	3.17	14	22.22%	54	03	5.55%	02	3.70%
कुल	883	102	11.55%	128	14.49%	783	69	8.81%	30	3.83%

10. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	संख्या (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
पुरुष	835	835	100%	729	729	100%
महिला	63	63	100%	51	51	100%
कुल	898	898	100%	780	780	100%
कामगार						
पुरुष	820	820	100%	729	729	100%
महिला	63	63	100%	54	54	100%
कुल	883	883	100%	783	783	100%

11. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालीः

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां / नहीं)। यदि हां, ऐसी प्रणाली की कवरेज का उल्लेख करें?

हां, संस्था ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करते हुए कि पूरे संगठन में व्यापक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू हैं, सभी कर्मचारियों और कामगारों को कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस प्रणाली के कवरेज में स्थायी और गैर–स्थायी दोनों कर्मचारी और कामगार शामिल हैं, जो उनकी भूमिकाओं से संबंधित विशिष्ट जोखिमों और सुरक्षा आवश्यकताओं का समाधान करते हैं।

इस प्रणाली के कार्यान्वयन में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. **नियमित जोखिम आकलनः** संभावित कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संबंधित जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित और गैर–नियमित मूल्यांकन करना। इसमें सुरक्षा पेशेवरों द्वारा किए जाने वाले नियमित निरीक्षण, संपरीक्षा और जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं।
2. **प्रशिक्षण और जागरूकताः** सभी कर्मचारियों और कामगारों को निरंतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं से अवगत हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुरूप बनाए जाते हैं, जिसमें आपातकालीन प्रतिक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा और मशीनरी का सुरक्षित संचालन शामिल है।
3. **घटना संसूचना तंत्रः** कार्य–संबंधित खतरों और घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ स्थापित करना, जिससे समय पर हस्तक्षेप और सुधार संभव हो सके। कर्मचारियों को प्रतिशोध के डर के बिना निकट–चूक और संभावित खतरों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
4. **आपातकालीन तत्परताः** किसी भी अप्रत्याशित घटना से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ तैयार करना और उन्हें बनाए रखना। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित किए जाते हैं कि सभी कर्मचारी आपातकालीन स्थिति में अपनी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से अवगत हों।
5. **स्वास्थ्य निगरानीः** कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी, विशेष रूप से खतरनाक परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम लागू करना। किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जल्द पता लगाने और उसका समाधान करने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
6. **सुरक्षा समितियांः** सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए सुरक्षा समितियाँ गठित करना। ये समितियाँ सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के निरंतर सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
7. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):** यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों और कामगारों को उचित पीपीई उपलब्ध हो और उन्हें इसके सही उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच की जाती है कि पीपीई अच्छी स्थिति में है और उसका सही तरीके से उपयोग किया जा रहा है।
8. **सुरक्षा संकेत और सूचनाः** संभावित खतरों और सुरक्षित परिपाटियों के बारे में कर्मचारियों को सूचित करने के लिए पूरे कार्यस्थल पर स्पष्ट और दृश्यमान सुरक्षा संकेत और जानकारी स्थापित करना।
9. **संविदाकार प्रबंधनः** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन का विस्तार करके साइट पर काम करने वाले संविदाकारों और उप–संविदाकारों को भी शामिल करना। इसमें संविदाकारों के सुरक्षा प्रदर्शन की जांच करना और यह सुनिश्चित करना शामिल है कि वे संस्था के सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं।
10. **निरंतर सुधारः** फीडबैक, घटना की जांच और कानून या सर्वोत्तम परिपाटियों में परिवर्तनों के आधार पर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की नियमित समीक्षा करना और इसे अद्यतन करना। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रणाली प्रभावी बनी रहे और वर्तमान मानकों के अनुरूप बनी रहे।
11. **कर्मचारी सहभागिताः** सुरक्षा कार्यक्रमों और पहलों में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। संभावित सुरक्षा मुद्दों की पहचान करने और व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए कर्मचारियों का फीडबैक प्राप्त किया जाता है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

संस्था कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने और नियमित तथा गैर–नियमित दोनों आधारों पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कई प्रक्रियाओं का उपयोग करती है। ये प्रक्रियाएँ सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. नियमित निरीक्षण और संपरीक्षा:
   - **नियमित निरीक्षण:** कार्यस्थल में संभावित खतरों की पहचान करने के लिए नियमित समय–सारिणी (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक) पर आयोजित किया जाता है। ये निरीक्षण आम तौर पर सुरक्षा अधिकारियों या नामित सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं।
   - **संपरीक्षा:** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए समय–समय पर व्यापक सुरक्षा संपरीक्षा की जाती हैं। इन संपरीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षक शामिल हो सकते हैं।

2. खतरा संसूचना (रिपोर्टिंग) प्रणाली:
   - **कर्मचारी रिपोर्टिंग:** कर्मचारियों को किसी भी अभिचिह्नित खतरे या असुरक्षित स्थिति की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मजबूत रिपोर्टिंग प्रणाली, जैसे कि एक समर्पित हॉटलाइन या एक ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है।
   - **निकट–चूक रिपोर्टिंग:** कर्मचारियों को निकट–चूक घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना, जो ऐसी घटनाएँ हैं जिनके परिणामस्वरूप चोट नहीं लगी लेकिन ऐसा होने की संभावना थी। निकट–चूक का विश्लेषण संभावित जोखिमों को समझने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में मदद करता है।

3. जोखिम आकलन:
   - **कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए):** संभावित खतरों की पहचान करने और नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों के लिए जेएसए का संचालन करना। इसमें प्रत्येक कार्य को चरणों में विभाजित करना, प्रत्येक चरण में खतरों की पहचान करना और निवारक उपायों का निर्धारण करना शामिल है।
   - **खतरा पहचान और जोखिम आकलन (एचआईआरए):** खतरों की पहचान करने, जोखिमों का मूल्यांकन करने और नियंत्रणों को लागू करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समय–समय पर और जब भी प्रक्रियाओं या उपकरणों में परिवर्तन होते हैं, दोहराई जाती है।

4. सुरक्षा समिति की बैठकें:
   - सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने, घटनाओं की समीक्षा करने और कार्य योजनाएँ विकसित करने के लिए सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें की जाती हैं। समिति में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करते हैं।

5. घटना की जाँच:
   - दुर्घटनाओं, निकट–चूक और रिपोर्ट किए गए खतरों सहित सभी घटनाओं की गहन जाँच की जाती हैं। जाँच प्रक्रिया में मूल कारणों की पहचान करना और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करना शामिल है।

6. कार्यस्थल की निगरानी:
   - **पर्यावरण निगरानी:** कार्यस्थल की स्थितियों जैसे वायु गुणवत्ता, शोर के स्तर और खतरनाक पदार्थों के संपर्क की नियमित निगरानी की जाती हैं। इससे पर्यावरणीय खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने में मदद मिलती है।
   - **उपकरण और मशीनरी की जाँच:** मशीनरी और उपकरणों की नियमित जाँच और रखरखाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि वे सुरक्षित कार्य स्थिति में हैं। इसमें सुरक्षा गार्ड, आपातकालीन स्टॉप और अन्य सुरक्षा सुविधाओं की जाँच शामिल है।

7. प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम:
   - खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और सुरक्षित कार्य प्रथाओं पर कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रशिक्षण में सामान्य सुरक्षा प्रशिक्षण और नौकरी–विशिष्ट प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं।
   - संभावित खतरों और सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में कर्मचारियों को अवगत रखने के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान।

8. गैर–नियमित कार्य मूल्यांकन:
   - **कार्य करने की अनुमति (पीटीडब्ल्यू) प्रणाली:** अनुरक्षण, मरम्मत या निर्माण कार्य जैसे गैर–नियमित कार्यों के लिए पीटीडब्ल्यू प्रणाली को लागू करना। पीटीडब्ल्यू प्रक्रिया में कार्य शुरू होने से पहले खतरे की पहचान, जोखिम मूल्यांकन और अनुमोदन शामिल है।
   - **कार्य–पूर्व योजना:** जोखिम आकलन करना और गैर–नियमित कार्यों के लिए योजना बनाना। इसमें संभावित खतरों की पहचान करना, आवश्यक नियंत्रण निर्धारित करना और कार्य शुरू करने से पहले कर्मचारियों को ब्रीफिंग देना शामिल है।

9. आपातकालीन तत्परता अभ्यास:
   - कर्मचारियों को संभावित आपात स्थितियों जैसे आग, रासायनिक रिसाव या निकासी के लिए तैयार करने के लिए नियमित आपातकालीन अभ्यास आयोजित करना। ये अभ्यास आपातकालीन योजनाओं में कमज़ोरियों की पहचान करने और प्रतिक्रिया समय में सुधार करने में मदद करते हैं।

ग. क्या कंपनी में काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए कामगारों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, संस्था के पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और स्वयं को ऐसे जोखिमों से दूर रखने के लिए कर्मचारियों हेतु प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. खतरा संसूचना (रिपोर्टिंग) प्रणाली:
   - **औपचारिक रिपोर्टिंग चैनल:** कर्मचारी कई चैनलों जैसे कि एक समर्पित हॉटलाइन, या भौतिक खतरा रिपोर्ट फ़ॉर्म के माध्यम से खतरों की रिपोर्ट कर सकते हैं। इन चैनलों को आसानी से सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया गया है।
   - **अनाम रिपोर्टिंग:** प्रतिशोध के डर के बिना रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए, कामगारों के पास अनाम रूप से खतरों की रिपोर्ट करने का विकल्प है।
2. तत्काल खतरा उन्मूलन:
   - **कार्य रोकने का प्राधिकार:** यदि कामगार किसी गंभीर खतरे की पहचान करते हैं जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आसन्न जोखिम उत्पन्न करता है, तो उन्हें तुरंत काम रोकने का प्राधिकार दिया जाता है। यह प्रधिकार सुनिश्चित करता है कि कामगार स्वयं को और अपने सहयोगियों को बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकें।
   - **पर्यवेक्षक अधिसूचना:** कार्य रोकने के बाद, कामगारों को अपने पर्यवेक्षक या सुरक्षा अधिकारी को खतरे के बारे में सूचित करना चाहिए। पर्यवेक्षक स्थिति का आकलन करने और कार्य फिर से शुरू करने से पहले आवश्यक नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
3. घटना प्रतिक्रिया प्रक्रियाएँ:
   - **आपातकालीन प्रोटोकॉल:** आपात स्थितियों या गंभीर खतरों की प्रतिक्रिया के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं। इन प्रोटोकॉल में निकासी प्रक्रियाएँ, आपातकालीन संपर्क और प्राथमिक चिकित्सा उपाय शामिल हैं।
   - **जोखिम शमन:** कामगारों को निर्देश दिया जाता है कि यदि वे किसी ऐसे खतरे का सामना करते हैं जिसे तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, तो वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ। सुरक्षा अधिकारी या नामित कार्मिक, जोखिम का प्रबंधन करने और इसमें शामिल सभी कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
4. प्रशिक्षण और जागरूकता:
   - **सुरक्षा प्रशिक्षण:** कामगारों को खतरों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के तरीके के साथ–साथ कार्य रोकने और स्वयं को जोखिम से दूर रखने की प्रक्रियाओं के बारे में नियमित प्रशिक्षण मिलता है। यह प्रशिक्षण ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में शामिल है और समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
   - **सुरक्षा अभ्यास:** खतरे की रिपोर्टिंग और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाओं का अभ्यास करने के लिए अभ्यास आयोजित करना सुनिश्चित करता है कि कामगार वास्तविक स्थितियों में तेज़ी से और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार हैं।
5. सुरक्षा समितियाँ:
   - **कर्मचारी प्रतिनिधित्व:** सुरक्षा समितियों में कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं जो अपने सहकर्मियों द्वारा पहचानी गई चिंताओं और खतरों को सामने ला सकते हैं। ये समितियाँ सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए नियमित रूप से मिलती हैं।
   - **प्रतिक्रिया तंत्र:** कामगार इन समितियों के माध्यम से जोखिम रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं और सुधार का सुझाव दे सकते हैं।
6. अनुवर्ती कार्रवाई और समाधान:
   - **घटना की जाँच:** मूल कारणों का पता लगाने और सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए सभी रिपोर्ट किए गए खतरों की तुरंत जाँच की जाती है। कर्मचारियों को उनकी रिपोर्ट की स्थिति और समाधान के बारे में अवगत रखा जाता है।
   - **निरंतर सुधार:** संस्था कामगारों से प्राप्त फीडबैक और सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित रूप से जोखिम रिपोर्टिंग और जोखिम उन्मूलन की प्रक्रियाओं की समीक्षा करती हैं और इन्हें अद्यतन करती है।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/कामगारों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां / नहीं)।

हां, संस्था के कर्मचारियों और कामगारों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है। ये सेवाएं कार्य–संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं से परे कार्यबल के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का समर्थन करने के लिए प्रदान की जाती हैं। विशिष्ट पेशकशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सामान्य स्वास्थ्य जांच:
   - कर्मचारियों और कामगारों को उनकी सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करने और किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या का जल्द पता लगाने के लिए समय–समय पर स्वास्थ्य जांच की पेशकश की जाती है।

2. **प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ:**
   - ऑन–साइट चिकित्सा सुविधाएँ या स्थानीय क्लीनिकों के साथ साझेदारी के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं, जिसमें डॉक्टरों से परामर्श, बुनियादी चिकित्सा उपचार और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञों के पास रेफ़रल शामिल होता हैं।
3. **स्वास्थ्य बीमा कवरेज:**
   - व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ जो अस्पताल में भर्ती होने, विशेषज्ञ परामर्श और नैदानिक परीक्षणों सहित चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं। यह बीमा गैर–व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं को कवर करने के लिए विस्तारित है।
4. **आरोग्य कार्यक्रम:**
   - कर्मचारियों और कामगारों के बीच एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आरोग्य सेमिनार, स्वास्थ्य मेले, स्वस्थता कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य सहायता जैसी पहलें।
5. **परामर्श सेवाएँ:**
   - तनाव, चिंता या अन्य व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कर्मचारियों और कामगारों का समर्थन करने के लिए पेशेवर परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।
6. **टीकाकरण कार्यक्रम:**
   - फ्लू और अन्य रोकथाम योग्य बीमारियों जैसी आम बीमारियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की पेशकश करके, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी और कामगार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखें।
7. **परिवार स्वास्थ्य लाभ:**
   - स्वास्थ्य लाभ कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों तक भी विस्तारित हो सकते हैं, जिससे उन्हें आवश्यक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच मिल सके।
8. **पोषण और जीवनशैली मार्गदर्शन:**
   - आहार विशेषज्ञों और फिटनेस विशेषज्ञों तक पहुँच सहित स्वस्थ भोजन और जीवनशैली विकल्पों के लिए संसाधन और सहायता प्रदान करना।

12. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
लॉस्ट टाइम इंजरी फ़्रीक्वेंसी रेट (एलटीआईएफआर)	कर्मचारी	0	0
(कार्य के घंटों के लिए प्रति मिलियन–व्यक्ति)	कामगार	0	0
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	3*	1*
गम्भीर परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता	कर्मचारी	0	0
(मृत्यु को छोड़कर)	कामगार	**0**	**0**

वित्त वर्ष 2023–24

- केएचईपी कोटेश्वर के सुरक्षा विभाग की अप्रैल 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 27 अप्रैल 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में संविदा कामगार शामिल थे।
- पीएसपी, टिहरी के सुरक्षा विभाग की जुलाई 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 28 जुलाई 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।
- पीएसपी, टिहरी के सुरक्षा विभाग की अगस्त 2023 एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 21 अगस्त 2023 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।

***वित्त वर्ष 2022–23**

- वीपीएचईपी पीपलकोटी के सुरक्षा विभाग की अप्रैल 2022 की एमआईएस रिपोर्ट के अनुसार, 3 अप्रैल 2022 को एक घातक दुर्घटना हुई। इस घटना में मेसर्स एचसीसी द्वारा नियोजित संविदा कामगार शामिल थे।

13. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

संस्था ने सभी कर्मचारियों और कामगारों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट लागू किया है। इन उपायों में कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें रोकथाम, निगरानी, प्रशिक्षण और निरंतर सुधार शामिल हैं।

1. **व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस):**
   - **कार्यान्वयन:** आईएसओ 45001 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित एक मजबूत ओएचएसएमएस, जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिमों के व्यवस्थित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है।
   - **नीति और प्रक्रियाएँ:** सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा ज़िम्मेदारियों, प्रथाओं और अपेक्षाओं को रेखांकित करने वाली स्पष्ट नीतियाँ और प्रक्रियाएँ।
2. **जोखिम आकलन और खतरे की पहचान:**
   - नियमित जोखिम आकलन: कार्यस्थल के खतरों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए नियमित और गैर–नियमित जोखिम आकलन करना।
   - कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए): संभावित खतरों की पहचान करने और नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए विशिष्ट कार्यों का विस्तृत विश्लेषण।
   - खतरे की रिपोर्टिंग: एक सक्रिय जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली जो कर्मचारियों को असुरक्षित स्थितियों और निकट–चूक की तुरंत रिपोर्ट करने की सुविधा देती है।
3. **प्रशिक्षण और शिक्षा:**
   - स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण: सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपातकालीन प्रक्रियाओं और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उचित उपयोग पर नियमित प्रशिक्षण सत्र।
   - प्रवेशन कार्यक्रम: नए कर्मचारियों को कार्यस्थल के खतरों और सुरक्षा प्रथाओं से परिचित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रवेशन।
   - जारी शिक्षा: नवीनतम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं पर कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित निरंतर अधिगम अवसर।
4. **आपातकालीन तत्परता:**
   - आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ: आग, रासायनिक रिसाव और प्राकृतिक आपदा सहित विभिन्न परिदृश्यों के लिए सुपरिभाषित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएँ।
   - अभ्यास और सिमुलेशन: कर्मचारियों को तैयार रखने और आपातकाल में अपनी भूमिकाएँ जानने के लिए नियमित आपातकालीन अभ्यास और सिमुलेशन।
   - प्राथमिक चिकित्सा: साइट पर प्राथमिक चिकित्सा स्टेशनों और प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता।
5. **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):**
   - पीपीई का प्रावधान: यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों के पास आवश्यक पीपीई तक पहुँच हो और उन्हें इसके उचित उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
   - अनुरक्षण और निरीक्षण: पीपीई का नियमित निरीक्षण और अनुरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अच्छी कार्यशील स्थिति में है।
6. **कार्यस्थल निगरानी:**
   - पर्यावरण निगरानी: कार्यस्थल की स्थितियों जैसे वायु गुणवत्ता, शोर के स्तर और खतरनाक पदार्थों के संपर्क की नियमित निगरानी।
   - स्वास्थ्य निगरानी: विशिष्ट जोखिमों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य निगरानी कार्यक्रम, व्यावसायिक रोगों का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करना।
7. **घटना रिपोर्टिंग और जांच:**
   - घटना प्रबंधन प्रणाली: कार्यस्थल की घटनाओं और दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग और जांच के लिए एक प्रणाली।
   - मूल कारण विश्लेषण: मूल कारणों की पहचान करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए गहन जांच करना।
8. **स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम:**
   - कल्याण पहल: शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, जिसमें फिटनेस कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं शामिल हैं।
   - मानसिक स्वास्थ्य सहायता: कर्मचारियों के समग्र कल्याण का समर्थन करने के लिए परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच।

9. सुरक्षा समितियाँ और कर्मचारी भागीदारी:

- **सुरक्षा समितियाँ:** सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा समितियों की स्थापना करना।
- **कर्मचारी प्रतिक्रिया:** सुरक्षा बैठकों में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुरक्षा प्रथाओं और नीतियों पर प्रतिक्रिया माँगना।

10. निरंतर सुधार:

- **नियमित समीक्षा:** सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा और अद्यतन करना।
- **प्रदर्शन मेट्रिक्स:** स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) को ट्रैक करना, जैसे कि घटना दर और अनुपालन स्तर।
- **संपरीक्षा और मूल्यांकन:** स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित आंतरिक और बाहरी संपरीक्षा आयोजित करना।

परियोजना स्थलों पर कर्मचारियों, संविदाकारों, उपसंविदाकारों और अन्य सभी हितधारकों को स्थायी रूप से स्वस्थ और सुरक्षित कार्य परिवेश प्रदान करने तथा कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटनाएं सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.09.2023 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।

14. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्य करने की स्थिति	शून्य					
स्वास्थ्य और सुरक्षा						

15. वर्ष के लिए आकलन

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का %, जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	(100%) मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, उत्तराखंड, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्राथमिकता के हिस्से के रूप में लगातार बाहरी संपरीक्षा करता है। संपूर्ण मूल्यांकन की गारंटी के लिए, तीसरे पक्ष की दुर्घटना जांच भी की जाती है। ये कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं को बनाए रखने और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए लगातार मानक वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
कार्य करने की स्थिति	(100%) प्रत्येक वर्ष, टीएचडीसीआईएल संयंत्र और परियोजनाएं नियमित, आंतरिक और बाहरी संपरीक्षा के अलावा अतिरिक्त संपरीक्षा का अनुरोध करती हैं जो कार्य करने की स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए की जाती हैं। अनुपालन की गारंटी देने और सुरक्षित परिवेश बनाए रखने के लिए, इंजीनियरों, सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों का हमारा प्रतिबद्ध स्टाफ व्यापक साइट निरीक्षण और टीबीटी करता है। ये पूर्व–निवारक कदम निरंतर प्रचालन प्रभावशीलता और कामगारों के कल्याण की गारंटी देते हैं।

16. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

संस्था ने सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को संबोधित करने और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन के माध्यम से अभिचिह्नित महत्वपूर्ण जोखिमों और चिंताओं को कम करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण लागू किया है। निम्नलिखित की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. घटना की जांच और मूल कारण विश्लेषण:

- **गहन जांच:** प्रत्येक सुरक्षा–संबंधी घटना के लिए, घटना के मूल कारण को समझने के लिए गहन जांच की जाती है। इसमें डाटा एकत्र करना, साक्षियों का साक्षात्कार करना और घटना के लिए अग्रणी घटनाओं के अनुक्रम का विश्लेषण करना शामिल है।

- **सुधारात्मक कार्रवाई योजनाएँ:** निष्कर्षों के आधार पर, एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना विकसित की जाती है, जिसमें पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय शामिल होते हैं।

2. तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई:
   - **खतरा उन्मूलन:** घटना का कारण बनने वाले खतरे को समाप्त करने या कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। इसमें दोषपूर्ण उपकरण को हटाना, असुरक्षित मशीनरी की मरम्मत या प्रतिस्थापन करना या कार्य प्रक्रियाओं को संशोधित करना शामिल हो सकता है।
   - **अतिरिक्त निगरानी:** स्थायी समाधान लागू होने तक सुरक्षा उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित क्षेत्र की अतिरिक्त निगरानी और पर्यवेक्षण।
3. इंजीनियरिंग नियंत्रण:
   - **वर्कस्टेशन का पुनः डिज़ाइन:** अभिचिह्नित खतरों को समाप्त करने के लिए कार्यस्थानों या प्रक्रियाओं को पुनः डिज़ाइन करना। इसमें तनाव और चोट को कम करने के लिए एर्गोनोमिक सुधार शामिल हो सकते हैं।
   - **सुरक्षा गार्ड की स्थापना:** आकस्मिक संपर्क या चोट को रोकने के लिए मशीनरी पर सुरक्षा गार्ड और सुरक्षात्मक अवरोधों को स्थापित या उन्नत करना।
4. प्रशासनिक नियंत्रण:
   - **नीतियों का अद्यतन करना:** अभिचिह्नित खामियों या कमजोरियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को अद्यतन करना। इसमें नए सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को संशोधित करना शामिल है।
   - **उन्नत प्रशिक्षण:** घटना से संबंधित विशिष्ट खतरों और सुरक्षित कार्य प्रथाओं पर कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी भविष्य में इसी तरह की स्थितियों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।
5. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई):
   - **पीपीई मूल्यांकन:** घटना विश्लेषण के आधार पर पीपीई आवश्यकताओं की समीक्षा करना और उन्हें बढ़ाना। इसमें उच्च–ग्रेड पीपीई या अतिरिक्त सुरक्षात्मक गियर प्रदान करना शामिल हो सकता है।
   - **पीपीई प्रशिक्षण:** सभी कर्मचारियों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए पीपीई के सही उपयोग और रखरखाव पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित करना।
6. आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया:
   - **अभ्यास और सिमुलेशन:** समान घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया का परीक्षण और सुधार करने के लिए आपातकालीन अभ्यास और सिमुलेशन आयोजित करना। यह आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना में किसी भी खामी की पहचान करने और तैयारी को बढ़ाने में मदद करता है।
   - **प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण:** चोटों के लिए त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना।
7. संचार और जागरूकता:
   - **सुरक्षा बुलेटिन:** सभी कर्मचारियों को घटना, उसके कारणों और किए गए सुधारात्मक कार्यों के बारे में सूचित करने के लिए सुरक्षा बुलेटिन और अलर्ट जारी करना। यह जागरूकता और सतर्कता को बढ़ावा देता है।
   - **सुरक्षा बैठकें:** घटना पर चर्चा करने, सीखे गए सबक साझा करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा बैठकें आयोजित करना।
8. निगरानी और समीक्षा:
   - **अनुवर्ती निरीक्षण:** यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती निरीक्षण करना कि सुधारात्मक कार्रवाइयों को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है और वे अपेक्षित रूप से क्रियाशील हैं।
   - **निरंतर निगरानी:** जोखिम की किसी भी संभावित पुनरावृत्ति का पता लगाने के लिए प्रभावित प्रक्रियाओं और क्षेत्रों की निरंतर निगरानी।

मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिम/चिंताएँ

1. अभिचिह्नित महत्वपूर्ण जोखिम:
   - **मशीन गार्डिंग:** कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त मशीन गार्डिंग को एक महत्वपूर्ण जोखिम के रूप में पहचाना गया। सुधारात्मक कार्रवाइयों में नए गार्ड लगाना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका रखरखाव ठीक से किया जा रहा है, नियमित निरीक्षण करना शामिल है।

- **एर्गोनोमिक जोखिमः** वर्कस्टेशन के खराब डिज़ाइन के कारण बार–बार होने वाली तनाव संबंधी चोटें और मस्कुलोस्केलेटल विकार। उठाए गए कदमों में एर्गोनोमिक मूल्यांकन और मुद्रा में सुधार और तनाव को कम करने के लिए वर्कस्टेशन का पुनः डिज़ाइन शामिल है।

2. **कार्य स्थितियों से संबंधित चिंताएँः**

- **शोर का स्तरः** कुछ क्षेत्रों में शोर का उच्च स्तर श्रवण संबंधी जोखिम उत्पन्न करता है। शमन उपायों में ध्वनिरोधी सामग्री लगाना और उच्च गुणवत्ता वाली श्रवण सुरक्षा प्रदान करना शामिल है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

1. **संस्था के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

हम अपने हितधारकों को ऐसे व्यक्तियों और समूहों के रूप में परिभाषित करते हैं जो हमारी गतिविधियों से प्रभावित होते हैं, या जो हमारे भविष्य के विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के विविध हितों के कारण, जो हमारे प्रचालन के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न होता है, हम अपने दृष्टिकोण, संचार चैनलों और जुड़ाव गतिविधियों को उपयुक्त के रूप में अपनाते हैं। इस अनुकूल दृष्टिकोण के माध्यम से, हम लगातार अपने हितधारकों की अपेक्षाओं और मांगों को समझने की कोशिश करते हैं और अपनी स्थिरता कार्यनीति, रिपोर्ट और समग्र व्यावसायिक गतिविधियों में इन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। अलग–अलग हितधारकों के अलग–अलग दृष्टिकोणों, प्राथमिकताओं और सीमाओं को ध्यान में रखते हितधारकों से जुड़ाव किया जाता है।

उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए, हितधारकों की पहचान को टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार कार्यनीति के एक अभिन्न अंग के रूप में रखा गया है। संचार, संगठन और इसके हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत करता है। संचार, सभी हितधारकों, विशेष रूप से कर्मचारियों को भली–भांति सूचित रखने के लिए महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न केवल सभी व्यावसायिक प्रक्रियाएं विश्व स्तर पर स्वीकृत नैतिक प्रणालियों और सतत प्रबंधन प्रथाओं के अनुरूप हैं, बल्कि बाहरी हितधारकों के साथ उनका जुड़ाव इन मूल्यों पर आधारित है।

2. **आपकी संस्था के लिए प्रमुख के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों की सूची और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और अधिकारहीन समूह के रूप में पहचान की गई है (हां / नहीं)	संचार के माध्यम (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	जुड़ाव की आवृत्ति (वार्षिक / अर्धवार्षिक / त्रैमासिक / अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	इस तरह के जुड़ाव के दौरान उठाए गए प्रमुख मुद्दों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
सरकार और सांविधिक निकाय / एनटीपीसी	नहीं	• एमओयू पर हस्ताक्षर • पत्र – व्यवहार • वार्षिक रिपोर्ट • बैठकें • प्रस्तुतियां • साइट विजिट	• वार्षिक रूप से • पूरे वर्ष • वार्षिक रूप से • आवश्यकता पड़ने पर • आवश्यकता पड़ने पर • आवश्यकता पड़ने पर	पीएसयू होने के नाते, इक्विटी एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। सभी परियोजना अनुमोदन और मंजूरी। व्यवसाय चलाने के लिए कार्य–निष्पादन समझौता ज्ञापन और अन्य वैधानिक अपेक्षाएं।
कर्मचारी	नहीं	• पत्रिकाओं का प्रकाशन • शिकायत निवारण तंत्र • परिपत्र और कार्यालय आदेश • सांप्रदायिक कार्यक्रम • फीडबैक • सुझाव मेला	• त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • वार्षिक	कर्मचारी दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में लगे रहते हैं और उनकी जरूरतों और अपेक्षाओं को समझने के लिए समय–समय पर संवाद आयोजित किए जाते हैं।
ग्राहक	नहीं	• पीपीए पर हस्ताक्षर • प्रतिक्रिया सर्वेक्षण • बैठक • पत्र – व्यवहार	• किसी भी परियोजना के चालू होने से ठीक पहले • वार्षिक • आवश्यकता पड़ने पर • वार्षिक	टीएचडीसीआईएल अन्य संबंधित संगठनों/एजेंसियों के साथ अपनी गतिविधियों को सिंक्रनाइज़ करके अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए त्वरित उपाय करता है और सहायता प्रदान करता है

आपूर्तिकर्ता और संविदाकार	नहीं	• निविदाएं • खुली बोली चर्चा • नीति और प्रक्रियाएं • बैठक • संयुक्त चर्चा	• आवश्यकता पड़ने पर • प्रत्येक एवार्ड पर • पूरे वर्ष • नियमित आधार पर • नियमित आधार पर	टीएचडीसीआईएल का मानना है कि परियोजना कार्यान्वयन में संविदाकार, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता और उनके कर्मचारी प्रमुख हितधारक हैं। संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्श दाताओं की चिंताओं को नियमित रूप से संबोधित किया जा रहा है।
परियोजना प्रभावित व्यक्ति / स्थानीय और स्वदेशी समुदाय	हां	• सीएसआर कार्यक्रम • बैठक • शिकायत निवारण • पत्रिका • पैम्फलेट / वेबसाइट प्रकटीकरण • जन सूचना केंद्र	• पूरे वर्ष • आवश्यकता पड़ने पर • पूरे वर्ष • त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक • पूरे वर्ष • परियोजना स्थलों – प्रचालनात्मक संयंत्रों पर खोला गया	टीएचडीसीआईएल का एक मिशन "मानव चेहरे के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास करना" है। टीएचडीसीआईएल पुनर्वासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। टीएचडीसीआईएल लगभग खर्च कर रहा है। परियोजना प्रभावित क्षेत्र में अपने सीएसआर कोष का 90%।
मीडिया	नहीं	• प्रेस वार्ता • आयोजनों के लिए आमंत्रण	• पूरे वर्ष • पूरे वर्ष	टीएचडीसीआईएल ने संरचित संचार उपकरण तैयार किए हैं और मीडिया (प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों) के साथ बातचीत के लिए कॉर्पोरेट स्तर पर एक अलग संचार विभाग की स्थापना की है।
बड़े पैमाने पर समाज	नहीं	• प्रेस समाचार • सूचना • प्रचार • सीएसआर कार्यक्रम • वेबसाइट पर प्रदर्शित करें • फेसबुक और ट्विटर पेज	• पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष • पूरे वर्ष	एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होने के नाते, समाज को अपने हितधारक के रूप में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

सिद्धांतः 5 व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में उन कर्मचारियों और कामगारों का विवरण जिन्हें मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (यों) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों/कामगारों की संख्या (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	898	177	19.71%	780	58	7.43%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	898	177	19.71%	780	58	7.43%
कामगार						
स्थायी	883	105	11.89%	783	25	3.19%
स्थायी के अलावा	-	-	-	-	-	-
कुल कर्मचारी	883	105	11.89%	783	25	3.19%

2. निम्न प्रारूप में, कर्मचारियों और कामगारों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी का विवरण :

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		संख्या (ख)	% (ख/क)	संख्या (ग)	% (ग/क)		संख्या (ड़)	% (ड़/घ)	संख्या (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी	898	-	-	898	100%	780	-	-	780	100%
पुरुष	835	-	-	835	100%	729	-	-	729	100%
महिला	63	-	-	63	100%	51	-	-	51	100%
स्थायी के अलावा	197	-	-	197	100%	162	-	-	162	100%
पुरुष	174	-	-	174	100%	145	-	-	145	100%
महिला	23	-	-	23	100%	17	-	-	17	100%
कामगार										
स्थायी	883	-	-	883	100%	783	-	-	783	100%
पुरुष	820	-	-	820	100%	729	-	-	729	100%
महिला	63	-	-	63	100%	54	-	-	54	100%
स्थायी के अलावा	12071	12071	100%	-	-	8935	8935	100%	-	-
पुरुष	11794	11794	100%	-	-	8762	8762	100%	-	-
महिला	277	277	100%	-	-	173	173	100%	-	-

3. पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में :–

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक / वेतन / मजदूरी
निदेशक मंडल (बीओडी)	4	5892200.245	0	
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक*	4		01	2,504,664.74
निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारी	1271	2,494,217.85	89	1,862,872.66
कामगार	482	1,939,759.37	33	1,536,269.87

उपरोक्त आंकड़ों में वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम में शामिल हुए और अलग हुए कर्मचारी शामिल हैं।

*3 पुरुष केएमपी का औसत पारिश्रमिक निदेशक मंडल में शामिल है।

4. क्या कंपनी में ऐसा कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति / समिति) है जो व्यापार द्वारा उत्पन्न या किए गए मानवाधिकारों के प्रभावों या मुद्दों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है? (हां / नहीं)

– नहीं

5. मानव अधिकारों के मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विद्यमान आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

मानव अधिकारों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए वास्तव में कोई विशिष्ट तंत्र नहीं है। तथापि, कंपनी में लोक शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र विद्यमान है जिसमें ऐसे उपायों की परिकल्पना की गई है जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना अपेक्षित है कि आंतरिक सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र नागरिकों की शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए क्रम में है। कॉर्पोरेशन में उपलब्ध

शिकायत तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाता है और लोक शिकायत निदेशक का नाम, पद और पता आधिकारिक वेबसाइट पर शिकायत मेन्यू के अंतर्गत दिया गया है।

इसके अलावा कंपनी के पास कर्मचारियों की शिकायत निवारण के लिए नीति दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस योजना के प्रयोजन के लिए नीति के तहत 'शिकायत' का अर्थ केवल निगम की नीतियों/नियमों या निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली किसी भी कर्मचारी से संबंधित व्यक्तिगत प्रकृति की शिकायत होगी, जो स्वीकार्यता शर्तों के अध्यधीन होगी। इसमें छुट्टी, वेतन वृद्धि, नियमों के तहत लाभ का विस्तार न करना, सेवा नियमों की व्याख्या आदि से संबंधित मामले शामिल हो सकते हैं। नीति में स्वाभाविक रूप से मानव अधिकार मूल्यों को शामिल किया गया है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	0	0	0	0	0	
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	0	0	0	
बाल श्रम	0	0	0	0	0	
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	0	0	0	
वेतन	0	0	0	0	0	
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	0	0	0	0	0	

7. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता के प्रति प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) कार्यशील है। इसके अलावा टीएचडीसीआईएल महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 12 का अनुपालन करता है।

8. क्या मानवाधिकार अपेक्षाएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदा का हिस्सा हैं?

– हां

9. वर्ष के लिए आकलन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	कोई बाहरी / तृतीय पक्ष संपरीक्षा नहीं की गई है। यद्यपि, नियमित आधार पर की जाने वाली आंतरिक लेखा परीक्षा का एक सुदृढ़ तंत्र है।
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

10. उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

– आंतरिक निरीक्षण के दौरान सामने आए वेतन से संबंधित किसी भी मुद्दे को त्वरित समाधान के लिए उच्च प्राधिकारियों को सूचित किया जाता है।

सिद्धांत 6: व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे बहाल करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (एमयू में) और ऊर्जा प्रबलता का विवरण:

प्राचल	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)	टिप्पणियां
कुल बिजली खपत (क)	65.21 एमयू	28.04 एमयू	कॉर्पोरेट कार्यालय और संयंत्र/परियोजनाएं शामिल हैं।
कुल ईंधन खपत (ख)	355425 लीटर	124007 लीटर	
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (ग) (रूफ टॉप सोलर प्लांट)	4.63 एमयू	10.85 एमयू	
कुल ऊर्जा खपत (क + ग)	69.84 एमयू	38.89 एमयू	
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा प्रबलता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रु. में)	0.13 किलोवाट घंटा/रु.	0.14 किलोवाट घंटा/रु.	कॉर्पोरेट कार्यालय

2. क्या संस्था में भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में अभिचिह्नित कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण प्रस्तुत करें।

नहीं। तथापि, टीएचडीसीआईएल ने कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी प्रमुख परियोजना स्थानों पर पुराने एसी को 5 स्टार रेटेड एसी से बदलने, एलईडी लाइट्स की संस्थापना, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर गीजर, रूफ टॉप सोलर आदि की संस्थापना जैसे ऊर्जा दक्षता उपाय किए हैं।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	2744526	1472800
(ii) भूजल	144178	87200
(iii) तृतीय पक्ष जल	-	-
(iv) समुद्री जल / विलवणीकृत जल	-	-
(v) अन्य (डब्ल्यूटीपी एवं एसटीपी संयंत्र)	2665	2860
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i+ii+iii+iv+v)	2891369	1562860
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	2888704	1560000
प्रति रुपये टर्नओवर में जल की गहनता (जल की खपत / टर्नओवर)	-	-
पानी की प्रबलता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है	-	-

4. क्या यूनिट ने शून्य तरल निस्तारण के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

नहीं

5. कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें :

कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें प्राचल	कृपया यूनिट निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
नाइट्रस ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
सल्फर ऑक्साइड	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
सूक्ष्म कण (पीएम)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
दृढ़ कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	माइक्रोग्राम / घ.मी.		

6. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी प्रवणता का विवरण प्रस्तुत करें:

प्राचल	यूनिट	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन	वर्तमान में, टीएचडीसीआईएल नवीकरणीय स्रोतों – जल, पवन और सौर – के माध्यम से विद्युत उत्पादन कर रहा है। इसलिए, टीएचडीसीआईएल के व्यवसाय में उत्सर्जन नगण्य है।	
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (ग्रीन हाउस गैस के सीओ2, सीएच4, एन2ओ, एचएफसी, पीएफसी, एसएफ6, एनएफ3 में विखंडन का विवरण, यदि उपलब्ध हो)	सीओ2 के समतुल्य मीट्रिक टन		
प्रति रूपये टर्नओवर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन			
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन प्रवणता (वैकल्पिक) – संस्था द्वारा प्रासंगिक मीट्रिक का चयन किया जा सकता है			

7. क्या संस्था में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

–लागू नहीं

8. निम्नलिखित प्रारूप में, संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:

प्राचल	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न हुआ कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)	0.00658	0.806
ई–कचरा (ख)	4.928225	0.440
जैव चिकित्सा अपशिष्ट (ग)	0.388	0.632
निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0	0
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	4.704222	0.70
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)	0	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। (जला हुआ तेल, प्रयुक्त टायर, स्नेहक, ट्रांसफार्मर तेल आदि) (छ)	10.95	15.59
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट (कार्यालय / संयंत्र का गैर–बिक्री योग्य स्क्रैप) (ज)	625.4669	543.38
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**646.4439**	**561.548**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रण	0	शून्य
(ii) पुनःप्रयुक्त	0	2.88
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	0	शून्य
कुल	**0**	**2.88**
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटाए विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(ii) भस्मीकरण	0.2773	0.366
(ii) लैंडफिलिंग	0.1	0.1846
(iii) अन्य निपटान प्रचालन	0	0.431
कुल	**0.3773**	**0.9816**

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषाक्त रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए अपनी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

कॉर्पोरेट कार्यालय / टाउनशिप, ऋषिकेश में अपनाई जाने वाली अपशिष्ट प्रबंधन परिपाटियां निम्नानुसार हैं:

1. कॉलोनी में जैविक व सूखे कचरे का डोर टू डोर कलेक्शन

जैविक और अजैविक कचरे के संग्रह के लिए सप्ताह के सभी दिनों में सभी कॉलोनियों और कार्यालय की सड़कों पर सुबह 07:30 बजे से 11:30 बजे तक एक टेंपो कैरियर चलता है। टेम्पो कैरियर में जैविक कचरा, अजैविक कचरा और मिश्रित कचरा स्थान के लिए एक पृथक्करण / विभाजन स्थान मौजूद है।

2. बायो–गैस संयंत्र में मिश्रित कचरे से सूखे और जैविक कचरे को अलग करना

टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों और कार्यालयों से कचरा एकत्र करने के बाद, टेंपो कैरियर को बायो–गैस संयंत्र के प्लेटफॉर्म पर खाली कर दिया जाता है, जहां दो मजदूर सभी स्रोतों से प्राप्त कचरा मिश्रण से जैविक कचरे और अजैविक कचरे को अलग करते हैं। बायो–कुकिंग गैस, जिसकी आपूर्ति स्थानीय आहार कैंटीन में की जाती है, का उत्पादन करने के लिए बायो–गैस संयंत्र में जैविक कचरे को संसाधित किया जाता है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र में प्लास्टिक कचरा निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सलाहकार के मार्गदर्शन में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र स्थापित किया गया है। टीएचडीसीआईएल परिसर में सभी घरों, गेस्ट हाउसों और कार्यालयों से एकत्र किए गए अलग–अलग अजैविक कचरे का उपयोग प्लास्टिक की गांठें बनाकर किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दो शेड – एक प्लास्टिक बेलिंग मशीन (कॉम्पैक्टर) के लिए और दूसरा प्लास्टिक सामग्री को अन्य प्रकार के अजैविक कचरे जैसे टूटे हुए कांच, चमड़ा सामग्री और धातु सामग्री से अलग करने के लिए – बनाए गए हैं ।

4. अप्रयुक्त अजैविक कचरे का निपटान

एकत्र किए गए सम्पूर्ण कचरे से जैविक कचरे और प्रयोग करने योग्य प्लास्टिक कचरे को अलग करने के बाद, शेष अपशिष्ट सामग्री को पुराने भंडारण क्षेत्र के पीछे जमीन में फेंक दिया जाता है। इस कचरे को जमीन के अन्दर दबा दिया जाता है ताकि क्षेत्र में दुर्गंध न फैले। गड्ढों को पूरी तरह से अनुपयोगी कचरे से भरने के बाद मिट्टी से ढक दिया जाता है।

परियोजना स्थलों पर इसी तरह की प्रथाओं का पालन किया जाता है।

10. क्या संस्था में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रम सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन के प्रकार	क्या पर्यावरण के अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है?(हां/नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो।
1.	हेलोंग में बांध स्थल और हाट गांव, चमोली जिले में पावर हाउस साइट के साथ विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी, पीपलकोटी	निर्माणाधीन एचईपी (444 मेगावाट)	विष्णुगाड़ पीपलकोटी एचईपी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के अंदर नहीं आता है, लेकिन केदारनाथ वन्य जीवन अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में स्थित है, इसलिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है और शर्तों का पालन किया गया है।

11. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन का विवरण:

नाम और परियोजना का संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम संचार (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेबलिंक
शून्य					

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन करती है; (हां / नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें:

हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

क्र. सं.	कानून/विनियम / दिशानिर्देश निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर–अनुपालन का विवरण दें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों या न्यायालय द्वारा द्वारा लगाया गया जुर्माना/शास्ति/की गई कार्रवाई	की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो
शून्य				

सिद्धांत 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें ऐसा इस तरह से करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

टीएचडीसीआईएल दो संघों का सदस्य है।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची प्रस्तुत करें, जो संस्था के सदस्य हैं / इससे संबद्ध है ।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों / संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

–लागू नहीं

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए।

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) का विवरण।

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख	क्या मूल्यांकन स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया गया (हां / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन परिणाम संप्रेषित किए गए (हां/ नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
शून्य					

2. निम्नलिखित प्रारूप में ऐसी परियोजना (परियोजनाओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके/जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) जारी है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम, जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आरएंडआर के तहत कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रु. में)
1	वीएचईपी परियोजना	उत्तराखंड	चमोली	559	99%	64.01 लाख
2	अमेलिया	मध्य प्रदेश	सिंगरौली	579	84.7	3.70 करोड़

3. समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए तंत्र का वर्णन करें।

फीडबैक फॉर्म सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है जिसे **https://www.thdc.co.in/content/feedback-form** पर आसानी से पहुँचा जा सकता है । टीएचडीसीआईएल द्वारा अंतिम रूप दी गई संचार कार्यनीतियों के अनुपालन में सभी प्रश्नों का समाधान किया जा रहा है और इस **https://www.thdc.co.in/content/communication-strategy** पर देखा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, टीएचडीसी ने परियोजना स्तर पर परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (जीआरसी) की स्थापना की है। दायर की गई सभी शिकायतों को जीआरसी की आवश्यकता अनुसार समय–समय पर आयोजित बैठक में निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
एमएसएमई / छोटे उत्पादकों से सीधे ली गई सामग्री	77.94 करोड़ (जीईएम से)	46.13 करोड़ (जीईएम से)
सीधे जिले के भीतर से और पड़ोसी जिलों से ली गई सामग्री	शून्य	

सिद्धांत 9 व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए विद्यमान तंत्र का वर्णन करें।

   मेल के माध्यम से मानक फीडबैक प्रारूप पर लाभार्थियों से प्रतिवर्ष शिकायत और प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है।

2. उन सभी उत्पादों / सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और / सेवाओं का टर्नओवर, जिनमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक मानदंड	टीएचडीसीआईएल विद्युत का उत्पादन कर रहा है और संबंधित राज्यों की वितरण कंपनियों को आपूर्ति कर रहा है। इसलिए लागू नहीं है।
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और / या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)		टिप्पणियां
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान		वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	
डाटा प्राइवेसी	शून्य					
विज्ञापन						
साइबर सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापिस मंगाने के कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
विवशतावश वापसी		

5. क्या संस्था में साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई फ्रेमवर्क / नीति है? (हां / नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

   डाटा गोपनीयता के लिए कोई विशेष नीति नहीं है। हालाँकि, साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार और सीईआरटी–इन / एनसीआईआईपीसी / सीएसके जैसी एजेंसियों के सभी निर्देशों / दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डाटा गोपनीयता; उत्पाद वापिस मंगाने की घटनाओं का पुनः होना; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई शास्ति / की गई कार्रवाई पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

   –लागू नहीं–

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–*VI*

फार्म नं. एमआर–3
सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001

हमने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा अच्छी कॉर्पोरेट परिपाटियों के पालन के संबंध में सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित की गई जो हमें कॉर्पोरेट आचारण/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए तथा उन पर अपनी राय देने के लिए सार्थक आधार प्रदान करती है।

कंपनी के बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों तथा कंपनी द्वारा दायर की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करते हुए लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नांकित सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास इसके बाद दी गई रिपोर्टिंग के अध्यधीन तथा उसी प्रकार समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र भी विद्यमान है।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बही खातों, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तिका, प्रपत्रों तथा कंपनी द्वारा दर्ज की गई विवरणियों तथा अनुरक्षित अन्य रिकार्डों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

(i). कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii). प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम – **लागू नहीं**

(iii). निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अन्तर्गत निर्धारित विनियम एवं उपनियम;

(iv). प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बाहरी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी व्यावसायिक उधारियों की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;

(v). भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**;

(घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम 2021;

(च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ सौदे के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के लिए रजिस्ट्रार और शेयर अंतर अभिकर्ता) विनियम, 1993;

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2021; और **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुर्नअधिप्रापण) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)**

(vi). कंपनी पर लागू अन्य कानूनों के तहत अनुपालन/प्रक्रियाओं/प्रणालियों को बोर्ड को प्रस्तुत अनुपालन प्रमाणपत्र के अनुसार सत्यापित किया जा रहा है।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयी मानक

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015

(iii) लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त विषयो का निम्नलिखित प्रेक्षणों के अध्यधीन अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा–निर्देशों, मानकों आदि का पालन किया है:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1) और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20(3क) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान हितधारक संबंध समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 21(3क) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की केवल एक बैठक आयोजित की गई।
4. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदान की गई घोषणाएँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) और 25(9) के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 15.05.2023 को आयोजित बाद की बोर्ड बैठक में रखी गईं।
5. कंपनी की लेखा परीक्षा समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24(2) के अनुसार असूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की।
6. नामांकन और पारिश्रमिक समिति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(1)(ग) के अनुपालन में नहीं है।

(यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त छह विनियम अनुपालन या स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी पर लागू हैं)।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के अभाव के कारण कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं हुआ है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे कंपनी के अंतर्नियमों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के अनुपालन में किए गए, जिनमें भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया हैं। हमने पाया कि बोर्ड ने भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति पर ध्यान दिया है।

बोर्ड की बैठकों को शेड्यूल करने के लिए सभी निदेशकों को नोटिस दिया जाता है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणी आम तौर पर अल्पावधि नोटिस पर भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठक में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित अपेक्षित निदेशकों/सदस्यों की सहमति से किए गए थे और असहमति/मतभेद, यदि कोई हो, को संबंधित कार्यवृत्त, जहां भी लागू हो, में विधिवत दर्ज/शामिल किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार एवं संचालनों के अनुरूप तथा लागू विधियों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों की निगरानी तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणाली एवं प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर दिनांक 13.09.2023 और दिनांक 16.01.2024 को क्रमशः रु. 7,63,00,00,000 और रु. 7,79,00,00,000 के अप्रतिभूत/प्रतिभूत, प्रतिदेय, असंपरिवर्तनीय, गैर–संचयी डिबेंचर जारी किए थे।

कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई अद्वितीय कोडः *P2003DE049100*
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बरः *2725/2022*

ह0/–
सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस नम्बरः 5774
सीपी नम्बरः 5910
यूडीआईएनः F005774F000818234

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2024

इस रिपोर्ट को हमारे समान तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो ''अनुलग्नक क'' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

"अनुलग्नक क"

सेवा में,
सदस्यगण,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
टिहरी गढवाल,
टिहरी–249001

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व, लेखापरीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के आधार पर इन सचिवालीय रिकार्ड पर राय अभिव्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालीय रिकार्ड अंतर्वस्तु की यथार्थता के बारे में सार्थक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों तथा प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवालीय रिकार्डों में सही तथ्यों के परिलक्षित होने को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन परीक्षण आधार पर किया गया था। हमें विश्वास है कि हमने जिन पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन किया है वे हमारी राय को उचित आधार प्रदान करती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डो तथा बही खातों की सत्यता एवं औचित्य को सत्यापित नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से इंगित प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमजारियों को कवर नहीं किया गया है।

4. जहां आवश्यक हुआ, हमने विधि, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन तथा हो रही घटनाओं आदि के विषय में प्रबंधन से विवरण प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट तथा अन्य लागू विधि, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारे द्वारा की गई जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन और हमारी इस राय तक सीमित थी कि कंपनी में समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र मौजूद है अथवा नहीं।

6. सचिवालीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में न तो कोई आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में है, जिनके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को संचालित किया है।

ह0/–
कृते अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
आईसीएसआई अद्वितीय कोडः *P2003DE049100*
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नम्बरः 2725/2022

सीएस सचिन अग्रवाल
साझेदार
एफसीएस नम्बरः 5774
सीपी नम्बरः 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 25.07.2024

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 2023–24

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन–पत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर–चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,201.25		6,182.61
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		641.69		404.53
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.38		0.54
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		18,898.53		13,990.63
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	40.70		25.90	
(ii) ऋण	5	28.13		32	
(i) अन्य	6	24.87	93.7	27.88	85.78
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		1,001.45		818.54
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		59.04		17.56
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		1,880.33		2,097.80
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंटरी	10		131.56		78.80
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	450.68		695.92	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	12	95.62		93.65	
(iii) ऋण	13	7.90		8.97	
(iv) अग्रिम	14	15.63		8.47	
(v) अन्य	15	1,494.11	2,063.94	482.47	1,289.48
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		25.10		93.51
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17		93.42		69.32
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	18		215.72		133.42
कुल			**31,307.11**		**25,262.52**
इक्विटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,880.80		6,762.90
कुल इक्विटी			**10,546.68**		**10,428.78**
गैर चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	14,578.80		10,289.09	
(ik)पट्टा देयताएं	22	33.65		35.73	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	70.67	14,683.12	365.49	10,690.31
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	24		736.54		807.50
(ग) प्रावधान	25		163.20		170.98
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	2,108.60		1,334.47	
(ik)पट्टा देयताएं	27	3.20		3.39	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		1.51		2.35	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		52.29		42.66	
(iii) अन्य	28	1,853.55	4,019.15	824.44	2,207.31
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		167.3		97.29
(ग) प्रावधान	30		310.75		353.07
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		0.00		9.82
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	32		680.37		497.46
कुल			**31,307.11**		**25,262.52**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
आय					
प्रचालन से राजस्व	33		1,967.24		1,974.30
अन्य आय	34		44.85		29.35
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		20.65		10.47	10.47
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	20.65	0.00	10.47	0.00
कुल आय			**2,012.09**		**2,003.65**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		341.17		336.74
वित्त लागत	36		158.65		181.37
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2		300.05		273.90
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		611.92		428.20
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,411.79**		**1,220.21**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर–पूर्व लाभ / (हानि)			600.30		783.44
अपवादात्मक मदें– (आय) / व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ / (हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष			600.30		783.44
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		103.62		136.55
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति) / देयता			(185.43)		17.10
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**682.11**		**629.79**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय / (व्यय) में निवल संचलन – कर के बाद निवल	40		(83.03)		43.30
I निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**599.08**		**673.09**
II अन्य व्यापक आय					
(I) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(7.22)		(1.87)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः माप पर आस्थगित कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)			(2.52)		(0.65)
अन्य व्यापक आय			**(9.74)**		**(2.52)**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कुल व्यापक आय (I+II)			**589.34**		**670.57**
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			163.42		183.61
तनुकृत (₹)			163.42		183.61
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (₹)			186.07		171.80
तनुकृत (₹)			186.07		171.80
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण मदें और कर–पूर्व का लाभ		**600.30**		**783.44**
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर के बाद निवल)		83.03		(43.30)
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		17.58		(9.17)
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		**700.91**		**730.97**
समायोजन :–				
मूल्यह्रास	300.05		273.90	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	20.65		10.47	
प्रावधान	–		–	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(15.48)		(17.70)	
वित्तीय लागत	158.65		181.37	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.15)		(0.03)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.40		1.09	
बैंक जमा पर ब्याज	(0.81)		(0.73)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(7.22)		(1.87)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–		–	
असाधारण मद	–	448.49	–	438.90
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,149.40**		**1,169.87**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः –				
इन्वेंट्री	(1.98)		4.43	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	245.27		377.7	
अन्य परिसंपत्तियां	(1,031.81)		(28.59)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)	31.65		(8.96)	
लघु ब्याज	–		–	
व्यापार देय और देयताएं	131.36		22.44	
प्रावधान (चालू + गैर चालू)	47.07		(15.96)	
आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन	(83.03)	(661.47)	43.30	394.36
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**487.93**		**1,564.23**
निगमित कर		(103.62)		(136.55)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**384.31**		**1,427.68**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह में परिवर्तन :–				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(4,401.19)		(3,633.18)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	12.25		7.30	
पूंजी अग्रिम	218.92		(57.01)	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
बैंक जमा पर ब्याज	0.81		0.73	
विलंबित भुगतान अधिभार	15.45		21.59	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	–		–	
सहायक कंपनी में निवेश	(14.80)		(11.10)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,168.56)**		**(3,671.67)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	(238.78)		(289.24)	
उधार की आय– गैर चालू	4,528.49		3,924.35	
उधार– चालू	945.42		(40.49)	
पट्टा देयता	(6.37)		(7.90)	
ब्याज और वित्त शुल्क	(1,099.81)		(811.14)	
अनुदान	–		–	
लाभांश	(171.44)		(547.94)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**3,957.51**		**2,227.64**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**173.26**		**(16.35)**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**(854.68)**		**(838.33)**
च. अंत शेष नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**(681.42)**		**(854.68)**

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्मित किया गया है।
2. नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

(2) 31–मार्च–2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2023 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			01–अप्रैल–2023 से 31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (I)		**0.00**	**6,594.42**	**186.50**	**(18.02)**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**
अवधि के लिए लाभ			599.08			599.08	0.00	599.08
अन्य व्यापक आय					(9.74)	(9.74)		(9.74)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	01–अप्रैल–2023 से 31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
			प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)			
कुल व्यापक आय			**599.08**		**(9.74)**	**589.34**	**0.00**	**589.34**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			471.44			471.44		471.44
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**127.64**			**117.90**		**117.90**
आरक्षिती में / से अंतरित / समायोजन (III)			(77.92)			(77.92)		(77.92)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्तन / (प्रयुक्त / समायोजित) (IV)				77.92		77.92		77.92
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0**	**6,644.14**	**264.42**	**(27.76)**	**6,880.80**	**0.00**	**6,880.80**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0 / –
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0 / –
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0 / –
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

(2) 31–मार्च–2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			01–अप्रैल–2022 से 31–मार्च–2023 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय			
विवरण		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (I)		**0**	**6,527.77**	**128.00**	**(15.50)**	**6,640.27**	**0.00**	**6,640.27**
वर्ष का लाभ			673.09			673.09	0.00	673.09
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			**673.09**		**(2.52)**	**670.57**	**0.00**	**670.57**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							0.00	0.00
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**125.15**			**122.63**		**122.63**
डिबेंचर मोचन आरक्षिती (III) में स्थानांतरित			(58.50)			(58.50)		(58.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन / (प्रयुक्त) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IV+V)		**0.00**	**6,594.42**	**186.50**	**(18.02)**	**6,762.90**	**0.00**	**6,762.90**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0 / –
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0 / –
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0 / –
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

टिप्पणी संख्याः 1

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. रिपोर्ट करने वाली संस्था (रिपोर्टिंग संस्था)

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ''कंपनी'' भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः U45203UR1988GOI009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता हैः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामशी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. अनुपालन विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 16.05.2024 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गये है। ये लेखांकन नीतियां वित्तीय विवरणों में निहित सभी अवधियों पर सतत रूप से लागू की गई हैं।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)

2.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक इंड एएस को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

2.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

2.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करती है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

2.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

2.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

2.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

3. चल रहे पूंजीगत कार्य

3.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

3.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से अवर्गीकृत है।

3.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

3.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

3.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

3.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

4. कोयला खानों के विकास पर व्यय

4.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगाः

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

4.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथा उपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

4.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

5. अमूर्त परिसंपत्तियां

5.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

5.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

5.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

5.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक इंड एएस 101, अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

6.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

7. उचित मूल्य माप

7.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

7.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

7.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

7.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

8. वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

8.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

8.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

8.4 **प्रारंभिक मान्यता और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

8.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

8.6 **अनुवर्ती मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

8.7 **सहायक कंपनियों में निवेशः–** सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत में से क्षतिग्रस्तता, यदि कोई हो, को घटाकर लेखांकित किया जाता है।

8.8 **अमान्य करना (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

9. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

10. माल–सूची

10.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

10.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

11. वित्तीय देयताएं

11.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

11.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

11.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

11.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की

अनुमति दें।

11.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

11.4 अनुवर्ती माप

11.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

11.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

11.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

12. सरकारी अनुदान

केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

13.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

13.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

13.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

14. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

14.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

14.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

14.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक इंड एएस 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक इंड एएस 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

14.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

14.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

14.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

14.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

14.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

14.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

14.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखों में लिया जाता है।

14.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

15. व्यय

15.1 प्रत्येक मामले में ₹5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक

लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

15.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

15.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

15.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

15.5 अनुसंधान एवं निकास पर व्यय कंपनी की अनुमोदित अनुसंधान एवं विकास योजना के अनुसार किया जाता है।

15.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

15.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

16. कर्मचारियों के हितलाभ

16.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है। कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

16.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

16.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

17. ऋण लागत

17.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

17.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

18. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

18.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

18.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

18.3 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्तीय वर्ष म रु. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

18.4 रु. 1500/– से अधिक लेकिन रु. 5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय के वित्तीय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

18.5 रु.1500/– तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

18.6 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

18.7 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

18.8 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

19. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

19.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

20. पट्टे

20.1 कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है। पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समानुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो, सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जबः

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

21. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

21.1 वर्तमान आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

21.2 आस्थगित कर

21.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

21.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

21.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

21.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया गया है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

21.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

22. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

23. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

23.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

23.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

24. विनियामक आस्थगित खाता शेष

24.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित लेखा शेष के रूप में मान्यता दी जाती है।

24.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

24.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो 'विनियामक आस्थगित' 'लेखा शेष' अमान्य हो जाते हैं।

25. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

26. लाभांश

कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

27. प्रचालन खंड

एंड एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंड एएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंड एएस 108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

28. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी : –2

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीज होल्ड भूमि	50.94	80.91	–	131.85	–	–	–	–	131.85	50.94
2. जलमग्न भूमि	1,786.85	93.53	–	1,880.38	787.93	42.59	–	830.52	1,049.86	998.92
3. भवन	1,128.16	58.36	(0.35)	1,186.17	394.08	42.74	–	436.82	749.35	734.08
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.43	0.28	–	28.71	28.43	0.28	–	28.71	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	200.53	4.59	–	205.12	65.85	6.57	–	72.42	132.70	134.68
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	30.87	0.13	–	31.00	12.17	0.95	–	13.12	17.88	18.70
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	0.05	(0.07)	24.45	18.49	0.72	(0.05)	19.16	5.29	5.98
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,435.45	2.11	–	3,437.56	1,779.19	89.46	–	1,868.65	1,568.91	1,656.26
9. ईडीपी मशीनें	27.23	5.32	(6.53)	26.02	17.64	5.98	(6.25)	17.37	8.65	9.59
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.81	2.50	–	49.31	13.94	1.26	–	15.20	34.11	32.87
11. पारेषण लाइन	32.67	0.41	–	33.08	20.16	1.43	–	21.59	11.49	12.51
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	84.65	8.55	(0.96)	92.24	60.19	7.02	(0.55)	66.66	25.58	24.46
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	45.45	7.87	(0.29)	53.03	24.18	3.55	(0.06)	27.67	25.36	21.27
14. वाहन	28.02	6.56	(1.98)	32.60	15.24	2.26	(1.49)	16.01	16.59	12.78
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.74	0.07	–	0.81	0.41	0.48
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.00	77.29	(2.24)	5,265.05	3,378.50	104.98	–	3,483.48	1,781.57	1,811.50
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक , नहरें आदि	1,606.21	7.44	–	1,613.65	948.62	23.38	–	972.00	641.65	657.59
उप योग	**13,747.96**	**355.90**	**(12.42)**	**14,091.44**	**7,565.35**	**333.24**	**(8.40)**	**7,890.19**	**6,201.25**	**6,182.61**
पिछली अवधि के आंकड़े	13,616.93	137.56	(6.53)	13,747.96	7,273.46	294.00	(2.11)	7,565.35	6,182.61	6,343.47
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.69	1.28	–	6.97	5.15	0.44	–	5.59	1.38	0.54
उप योग	**5.69**	**1.28**	**–**	**6.97**	**5.15**	**0.44**	**–**	**5.59**	**1.38**	**0.54**
पिछली अवधि के आंकड़े	5.18	0.51	–	5.69	4.93	0.22	–	5.15	0.54	0.25

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, —2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	383.98	0.55	–	384.53	54.26	14.06	–	68.32	316.21	329.72
2. उपयोग का अधिकार – कोयला युक्त भूमि	72.01	261.88	–	333.89	3.63	9.48	–	13.11	320.78	68.38
3. उपयोग का अधिकार – भवन	9.49	0.30	(0.27)	9.52	3.18	1.98	(0.16)	5.00	4.52	6.31
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	5.15	0.25	(5.08)	0.32	5.03	0.19	(5.08)	0.14	0.18	0.12
उप योग	**470.63**	**262.98**	**(5.35)**	**728.26**	**66.1**	**25.71**	**(5.24)**	**86.57**	**641.69**	**404.53**
पिछली अवधि के आंकड़े	**462.42**	**12.36**	**(4.15)**	**470.63**	**50.70**	**19.55**	**(4.15)**	**66.10**	**404.53**	**411.72**
मूल्यह्रास का विवरण				**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**				
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास				38.68		29.40				
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास				300.05		273.9				
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान				20.66	359.39	10.47	313.77			
वर्ष के दौरान खरीदी गई रु.1500.00 से अधिक किन्तु रु.5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गईं				0.38		0.36				

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा रु. 1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी :–2

31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	43.79	7.15	-	50.94	-	-	-	-	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.06	-	787.93	998.92	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.84	(0.51)	394.08	734.08	752.83
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	26.55	1.88	-	28.43	26.55	1.88	-	28.43	-	-
5. सड़क, पुल और पुलिया	190.69	9.84	-	200.53	59.17	6.68	-	65.85	134.68	131.52
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	26.89	3.98	-	30.87	11.30	0.87	-	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	-	-	24.47	17.43	1.06	-	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	-	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	22.94	5.60	(1.31)	27.23	15.54	3.23	(1.13)	17.64	9.59	7.40
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.56	0.25	-	46.81	12.81	1.13	-	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइन	32.20	0.47	-	32.67	18.81	1.35	-	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	74.61	10.55	(0.51)	84.65	56.20	4.23	(0.24)	60.19	24.46	18.41
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.40	7.41	(0.36)	45.45	21.56	2.69	(0.07)	24.18	21.27	16.84
14. वाहन	23.74	4.51	(0.23)	28.02	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.78	10.25
15. रेलवे साइडिंग	1.22	-	-	1.22	0.67	0.07	-	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	-	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	-	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक , नहरें आदि	1,606.21	-	-	1,606.21	939.30	9.32	-	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,616.93**	**137.56**	**(6.53)**	**13,747.96**	**7,273.46**	**294.00**	**(2.11)**	**7,565.35**	**6,182.61**	**6,343.47**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	**5.18**	**0.51**	**-**	**5.69**	**4.93**	**0.22**	**-**	**5.15**	**0.54**	**0.25**
उप योग	**5.18**	**0.51**	**-**	**5.69**	**4.93**	**0.22**	**-**	**5.15**	**0.54**	**0.25**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	384.03	0.17	(0.22)	383.98	40.47	14.01	(0.22)	54.26	329.72	343.56
1. उपयोग का अधिकार – कोयला युक्त भूमि	60.60	11.41	-	72.01	1.04	2.59	-	3.63	68.38	59.56
2. उपयोग का अधिकार – भवन	9.07	0.57	(0.15)	9.49	1.05	2.28	(0.15)	3.18	6.31	8.02
3. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**462.42**	**12.36**	**(4.15)**	**470.63**	**50.70**	**19.55**	**(4.15)**	**66.10**	**404.53**	**411.72**
मूल्यह्रास का विवरण					**पिछले वर्ष के आंकड़े**					
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					29.4		28.86			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					273.9		302.65			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					10.47	313.77	16.24	347.75		
वर्ष के दौरान खरीदी गई ₹1500.00 से अधिक किन्तु ₹5000.00 से कम लागत वाली अचल परिसम्पत्तियां पूर्णतः मूल्यह्रासित की गईं					0.36		0.14			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4•100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा ₹ 1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी :–3

प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2023 तक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2023 तक 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान पूंजीकरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		156.74	52.20	(0.36)	(16.26)	192.32
सड़कें, पुल और पुलिया		406.53	139.47	(11.10)	(4.49)	530.41
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		159.60	167.22	-	-	326.82
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		7,420.74	2,985.79	-	-	10,406.53
हाइड्रोलिक कार्य, बांध , स्पिलवे , जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		4,759.37	1,357.78	(0.05)	(38.54)	6,078.56
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		108.66	6.57	-	-	115.23
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		122.64	7.76	-	(0.11)	130.29
परियोजना निर्माण से सीधे संबंधित अन्य व्यय		410.05	186.05	0.00	0.00	596.10
कोयला खदान का विकास		254.13	264.31	(296.31)	0.00	222.13
अन्य		1.91	24.31	-	(2.55)	23.67
व्यय लंबित आवंटन						
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		77.22	-	-	-	77.22
निर्माण के दौरान व्यय घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित / प्रभारित किया गया	32.1	1.61	519.40			521.01
निर्माण के दौरान व्यय घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित / प्रभारित किया गया	32.1		520.48			520.48
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		111.43	145.52	-	(58.23)	198.72
कुल		**13,990.63**	**5,335.90**	**(307.82)**	**(120.18)**	**18,898.53**
पिछली अवधि के आंकड़े		**9,447.39**	**4,677.37**	**(39.26)**	**(94.87)**	**13,990.63**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि का मूल्य शामिल है, क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (प) के तहत किया गया है।

3.3 विलंबित या लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के पूरा होने की समय–सारणी टिप्पणी संख्या 43.8 (पप) के तहत बताई गई है।

टिप्पणी :–4
गैर चालू परिसंपत्तियां– सहायक कंपनी में निवेश

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
सहायक कंपनी में इक्विटी लिखत – अनुद्धृत (पूर्णतः संदत्त–जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लागत पर)			
टुस्को, ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी		40.70	25.90
कुल		**40.70**	**25.90**

टिप्पणी : –5
गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		10.95		12.56	
शोध्य– अप्रतिभूत		9.00		7.80	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		16.00		18.47	
शोध्य– अप्रतिभूत		2.19		1.87	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**38.14**		**40.70**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		7.24		6.86	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		2.79	28.11	1.88	31.96
निदेशकों को ऋण					
शोध्य – प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.00		0.01	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य – अप्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.02		0.03	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.04**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.04
उप–कुल			**28.13**		**32.00**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल ऋण			**28.13**		**32.00**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.01	
ब्याज		0.02		0.03	

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कुल		**0.02**		**0.04**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.04
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.09		0.12	
ब्याज		0.03		0.03	
कुल		**0.12**		**0.15**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.10	0.02	0.13

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

5.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –6
गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रतिभूति जमा राशि			24.87		24.18
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियां			0.00		0.00
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			0.00		3.70
कुल			**24.87**		**27.88**

टिप्पणी : –7
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			1,001.45		818.54
कुल			**1,001.45**		**818.54**

टिप्पणी : –8
गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			59.04		17.56
कुल			**59.04**		**17.56**

टिप्पणी : –9
अन्य गैर चालू – परिसंपत्ति

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय		0.17		0.00	
प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज		0.00	0.17	0.00	0.00
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.03		8.75
उप योग			**10.20**		**8.75**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
I) बैंक गारंटी के सापेक्ष					
(रु. 726.76 करोड़ की बैंक गारंटी)		612.26		702.78	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		157.70		437.95	
iii) अन्य		813.33		760.40	
iv) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		408.78	1,992.07	310.00	2,211.13
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			121.94		122.08
उप–योग – पूंजीगत अग्रिम			**1,870.13**		**2,089.05**
कुल			**1,880.33**		**2,097.80**

टिप्पणी : –10
इन्वेंट्री

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत आधार या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर))					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		1.12		0.98	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर और स्पेयर्स		31.22		32.06	
कोयला इन्वेंट्री		51.43		40.18	
अन्य (स्टोर और स्पेयर सहित)		45.37		5.48	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		2.42		0.10	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	131.56	0.00	78.80
घटाएँ: अन्य स्टोर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**131.56**		**78.80**

टिप्पणी : –11
व्यापार प्राप्य

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
(I) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		61.96		131.79	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	61.96	0.00	131.79
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		247.44		329.67	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	247.44	0.00	329.67
(iii) अबिलीकृत देनदार			141.28		234.46
कुल			**450.68**		**695.92**

टिप्पणी : –12
नकदी और नकदी समतुल्य

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			95.61		93.65
चेक, ड्राफ्ट हाथ में			0.01		0.00
कुल			**95.62**		**93.65**

टिप्पणी : –12.1
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि तथा एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –13
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		4.55		5.42	
शोध्य– अप्रतिभूत		3.01		2.94	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– अप्रतिभूत		1.71		2.12	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.14		0.08	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**9.41**		**10.56**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.15		1.10	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.30	7.96	0.43	9.03
निदेशकों को ऋण					
शोध्य–प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.02	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–कुल			**7.98**		**9.05**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**7.90**		**8.97**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.01		0.02	
ब्याज		0.01		0.00	

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कुल		**0.02**		**0.02**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.03		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.03**		**0.04**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		**0.00**	**0.03**	**0.00**	**0.04**

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

13.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –14
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अग्रिम

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों के लिए		6.09		6.08	
अन्य के लिए		9.54	15.63	2.39	8.47
कुल			**15.63**		**8.47**

14.1 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई अग्रिम राशि नहीं दी है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –15
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा					
कस्टम विभाग के पास जमा		2.36		0.00	
सरकार / न्यायालय के पास जमा		1,491.59		482.46	
अन्य जमा		0.16	1,494.11	0.01	482.47
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			0.00		0.00
कुल			**1,494.11**		**482.47**

सरकार / न्यायालय के पास जमा राशि में ₹1471.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹462.35 करोड़) की आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध जमा राशि और ₹20.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹20.11 करोड़) की अन्य जमा राशि शामिल है।

टिप्पणी : –16
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार		31–मार्च–2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			**25.10**		**93.510**
कुल			**25.10**		**93.51**

टिप्पणी : –17
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			49.81		41.57
अर्जित ब्याज			0.04		0.04
निपटान हेतु रखी गई बीईआर परिसंपत्तियां			0.56		0.40
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.45		1.53
उप–**कुल**			**51.86**		**43.54**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों के लिए			0.50		0.41
खरीदारी के लिए			20.05		8.28
अन्य के लिए			35.42		31.50
			55.97		**40.19**
घटाएँ: विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			14.41		14.41
उप–योग – अन्य अग्रिम			**41.56**		**25.78**
कुल			**93.42**		**69.32**

टिप्पणी : –18
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			**133.42**		**98.69**
अवधि के दौरान निवल संचलन			82.30		34.73
अंत शेष			**215.72**		**133.42**

18.1 विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष ₹152.62 करोड़ के विनिमय दर परिवर्तन के कारण है और ''विवाद से विश्वास'' और ''स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति'' योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में भुगतान/देय ब्याज के कारण ₹63.10 करोड़ है।

टिप्पणी : –19
शेयर पूंजी

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
इक्विटी शेयर ₹1000/– प्रत्येक		4,00,00,000	4,000.00	4,00,00,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
₹1000/– प्रति पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹1000/– के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹46.77 (पिछले वर्ष ₹197.94) की दर से ₹171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹300.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और 03 अप्रैल, 2024 को इसका भुगतान किया गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार ₹1000/– के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर @₹143.85 (पिछले वर्ष @₹142.24) की दर से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश ₹527.34 करोड़ होगा। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन है।

टिप्पणी : –19.1
कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	%	शेयर की संख्या	%
5% से अधिक शेयरधारिता					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**

टिप्पणी : –19.2
शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
प्रारंभिक		3,66,58,817	3,665.88	3,66,58,817	3,665.88
निर्गत		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**3,66,58,817**	**3,665.88**	**3,66,58,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : –19.3
प्रमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार				
		शेयर की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयर की संख्या (अंत शेष)	%	31–मार्च–2023 तक की स्थिति के अनुसार
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामिती शेयर सहित)		2,73,09,412	74.496	2,73,09,412	74.496	0.00
II.उत्तर प्रदेश सरकार (नामिती शेयर सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.504	0.00
कुल		**3,66,58,817**	**100**	**3,66,58,817**	**100**	

टिप्पणी : –20
अन्य इक्विटी

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित			0.00		0.00
प्रतिधारित आय			6,644.14		6,594.42
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			264.42		186.50
अन्य व्यापक आय			(27.76)		(18.02)
कुल			**6,880.80**		**6,762.90**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 574(अ),दिनांक 16.08.2019 के अनुरूप, कंपनी ने बॉण्डों के मोचन के प्रयोजनार्थ बॉण्डों के मोचन के वर्ष से पहले वर्ष तक प्रत्येक वर्ष बराबर किश्तों में भावी आधार पर बॉण्डों के मूल्य के @10% की दर पर कंपनी के लाभ में से डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

टिप्पणी :-21

गैर चालू – वित्तीय देयताएं – उधार

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
क.–प्रतिभूत बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला-VI					
(7.60% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		833.15
^ बांड निर्गम श्रृंखला-V					
(7.39% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला-IV					
(7.45% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बांड निर्गम श्रृंखला-III**					
(7.19% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बांड निर्गम श्रृंखला-II**					
(8.75% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.43		1,574.44
***बांड निर्गम श्रृंखला-I**					
(7.59% प्रति वर्ष, 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक रु. 1000000/–)					
(मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.46		622.47
कुल (क)			**5,883.67**		**5,883.69**
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋण					
******पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**					
(पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)					
15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक त्रैमासिक किस्त पर 15 वर्षों के भीतर चुकाने योग्य , वर्तमान में @9.75%, पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			0.00		46.04
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
(30.06.2019 से 31.03.2024 तक त्रैमासिक किस्तों पर 5 वर्षों के भीतर चुकाने योग्य, @3 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ)					
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–I)			0.00		139.61
(चुकौती प्रथम 20 तिमाही किस्त 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्त 3.75% होगी, फ्लोटिंग ब्याज दर / 1 माह एमसीएलआर वर्तमान में 8.30%)			2,250.51		2,375.53
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–II)					
(चुकौती पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्तों में 3.75% ब्याज दर पर होगी, जो कि पहली					

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
निकासी की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद होगी। 1 महीने की एमसीएलआर दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.30% है)			2,450.56		525.12
@पंजाब नेशनल बैंक (5 वर्षों के भीतर रु.25 करोड़ प्रत्येक की 20 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 1 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.35%)			425.08		0.00
@@@@पंजाब नेशनल बैंक (संवितरण की तिथि अर्थात 26.03.2024 से 12 महीने की सीगन अवधि के साथ 36 संरचित त्रैमासिक किस्तों में 9 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, @1 माह की फ्लोटिंग ब्याज दर / एमसीएलआर वर्तमान में 8.35%)			200.04		0.00
कुल (ख)			**5,326.19**		**3,086.30**
ग. अप्रतिभूत					
बांड जारी श्रृंखला-VII (7.88% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 1000000/– रु.) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		612.31
बांड जारी श्रृंखला-VIII (7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– रु.) (मोचन की तिथि 13.09.2033)			795.44		0.00
बांड जारी श्रृंखला-IX (7.93% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– रु.) (मोचन की तिथि 16.01.2034)			791.69		0.00
$विश्व बैंक ऋण –8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए) 23 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य (15 नवंबर, 2017 से 15 मई, 2040 तक अर्धवार्षिक किस्त पर ब्याज दर @SOFR + परिवर्तनीय प्रसार वर्तमान में 6.46%)			1,836.20		1,365.72
कुल (ग)			**4,035.64**		**1,978.03**
कुल (क+ख+ग)			**15,245.50**		**10,948.02**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण– प्रतिभूत			225.00		309.73
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			106.56		76.42
उधार पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			335.14		272.78
कुल			**14,578.80**		**10,289.09**

* बांड श्रृंखला I टिहरी एचपीपी स्टेज–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

* * बांड श्रृंखला II, बही ऋणों सहित टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

* * * बांड श्रृंखला III , पाटन और द्वारका के कोटेश्वर एचईपी और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बांड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी स्थित पंप स्टोरेज संयंत्र की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युत और यांत्रिक उपकरण जो अन्य उधारों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण, साथ ही उससे संबंधित सभी अधिकार और ब्याज।

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के विरूद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर परी पासु आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@@@टिहरी पीएसपी की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

संबंधित ऋण रैंकिंग समान रूप से के तहत वित्तपोषित उपकरणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार के साथ ।

21.1 इस अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

21.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम राशि इस समझ के साथ नहीं ली है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –22
गैर चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			36.85		39.12
घटाएँ: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			3.20		3.39
कुल			**33.65**		**35.73**

टिप्पणी : –23
गैर चालू – वित्तीय देयताएं

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकार से प्रतिधारण राशि आदि।		85.85		413.18	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि		15.18	70.67	47.69	365.49
कुल			**70.67**		**365.49**

टिप्पणी : –24
अन्य गैर–चालू देयताएं

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			174.72		182.32
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			546.64		577.49
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			15.18		47.69
कुल			**736.54**		**807.50**

टिप्पणी : –25
गैर चालू प्रावधान

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारी संबंधी		168.56	1.12	(8.90)	0.00	160.78
II. अन्य		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
कुल		**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.20**
पिछली अवधि के आंकड़े		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**

25.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.23 में किया गया है।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –26
चालू– वित्तीय देयताएं– उधार

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋणः					
#पंजाब नेशनल बैंक			500.00		0.00
##बैंक ऑफ बड़ौदा			500.00		0.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			552.80		848.56
***एचडीएफसी बैंक			18.88		19.98
****बैंक ऑफ बड़ौदा			65.64		0.00
*भारतीय स्टेट बैंक			139.72		79.78
कुल (क)			**1,777.04**		**948.32**
ख. दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			225.00		309.73
अप्रतिभूत ^			106.56		76.42
कुल (ख)			**331.56**		**386.15**
कुल (क+ख)			**2,108.60**		**1,334.47**

#टिहरी पीएसपी की चल संपत्तियों पर समान आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

##खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य की दोनों चल अचल संपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

*कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

**टिहरी स्टेज–1 की संपत्तियों और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत, जिसमें चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और परियोजना स्थल पर सामग्री शामिल है। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है

***कंपनी संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकुवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

****बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर चार्ज के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की सुरक्षा टिप्पणी संख्या 21 में @@ के तहत बताई गई है।

^ऊपर बताए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में विवरण टिप्पणी–21 में प्रकट किए गए हैं।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

26.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 टिप्पणी संख्या 43.13 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार का अतिरिक्त प्रकटीकरण।

टिप्पणी : –27
चालू – वित्तीय देयताएं– पट्टा

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता			
अप्रतिभूत		3.20	3.39
कुल		**3.20**	**3.39**

टिप्पणी : –28
चालू वित्तीय देयताएं – अन्य

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		2.58		0.89	
अन्य के लिए		419.29	421.87	268.60	269.49
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		818.48		281.94	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि		0.00	818.48	0.00	281.94
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
अन्य देयताए			277.65		0.00
अर्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		335.55		273.01	
अन्य देयताएं		0.00	335.55	0.00	273.01
कुल			**1,853.55**		**824.44**

टिप्पणी : –29
अन्य चालू देयताएं

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के लिए आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			139.05		79.22
सिंचाई घटक में अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		894.54		863.69	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		873.89	20.65	853.22	10.47
कुल			**167.30**		**97.29**

टिप्पणी : –30
चालू प्रावधान

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
I. कार्य		31.49	5.48	(1.06)	(30.43)	5.48
II. कर्मचारी संबंधी		293.71	44.32	(4.97)	(47.43)	285.63
III. अन्य		27.87	30.44	(4.94)	(33.73)	19.64
कुल		**353.07**	**80.24**	**(10.97)**	**(111.59)**	**310.75**
पिछली अवधि के आंकड़े		**348.62**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.07**

30.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.23 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों के लिए प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –31
चालू कर देयताएं (निवल)

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
प्रारंभिक जमा			9.82		0.00
अवधि के दौरान परिवर्धन			224.52		112.38
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		(2.82)
अवधि के दौरान उपयोग			(234.34)		(99.74)
अंत शेष			**0.00**		**9.82**

टिप्पणी : –32
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			497.46		515.20
अवधि के दौरान निवल संचलन			182.91		(17.74)
अंत शेष			**680.37**		**497.46**

टिप्पणी : –32.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		168.47		157.18	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		14.35		12.54	
पेंशन निधि		9.59		11.68	
उपदान		7.91		2.43	
कल्याण		10.50		5.88	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.33	211.15	0.34	190.05
अन्य व्यय	36				
किराया					
कार्यालय का किराया		1.00		1.03	
कर्मचारी आवास का किराया		0.25	1.25	0.48	1.51
दर और कर			0.63		0.77
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
बिजली और ईंधन			15.23		11.02
बीमा			0.21		0.17
संचार			1.28		1.53
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		0.00		0.00	
स्ओर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		2.98		0.64	
अन्य		10.12	13.10	8.40	9.04
यात्रा एवं परिवहन			2.75		3.61

राशि रु. करोड़ में

वाहन किराये पर लेना और चलाना			11.01		9.15
सुरक्षा			11.68		10.98
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.27		0.10
अन्य सामान्य व्यय			42.87		31.49
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.08		0.12
खदान संचालन लागत			172.46		19.27
सर्वेक्षण और जांच व्यय			0.50		0.61
परामर्श परियोजना / संविदा पर व्यय			0.86		0.68
अन्य ब्याज			22.93		68.04
मूल्यह्रास	2		38.68		29.40
कुल व्यय (क)			**546.94**		**387.54**
प्राप्तियां					
अन्य आय	34				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.09		0.00	
कर्मचारियों से		0.58		0.64	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		0.33		0.34	
अन्य से		0.11	1.11	0.21	1.19
मशीन किराया शुल्क			0.08		0.04
किराया प्राप्तियां			1.34		1.25
विविध प्राप्तिया			5.49		4.09
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.00		0.03
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			20.78		65.83
कुल प्राप्तियां (ख)			**28.80**		**72.43**
कर–पूर्व शुद्ध आय			**518.14**		**315.11**
कराधान के लिए प्रावधान	**38**				
कराधान सहित निवल व्यय			**518.14**		**315.11**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ / (हानि)	40		(1.24)		0.12
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			1.62		2.70
कुल ईडीसी			**521.00**		**317.69**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		508.57		307.74	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ईडीसी लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		11.91	520.48	8.33	316.07
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**0.52**		**1.62**

टिप्पणी : –33
प्रचालन से राजस्व

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
बिजली की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		1,919.42		1,937.67	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.59		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		7.11	1,919.90	8.98	1,936.29
विचलन निपटान/					
भीड़भाड़ शुल्क			20.88		29.03
परामर्श आय			26.46		8.98
कुल			**1,967.24**		**1,974.30**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की टैरिफ याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और अपने आदेश दिनांक 13.05.2022 के तहत टैरिफ को मंजूरी दी । माननीय सीईआरसी ने 03.10.2022 के अपने आदेश के तहत 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका का भी निपटारा कर दिया है । चालू वित्त वर्ष 2023–24 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः 16.05.2024 और 03.10.2022 के उपरोक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

33.2 माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 21.12.2022 के आदेश के अनुसार, टीएचडीसीआईएल को टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए अगस्त 2022 और उसके बाद से जल उपभोग शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन संख्या 56 के अनुसार, उपरोक्त भुगतान की गई राशि लाभार्थियों/डिस्कॉम से वसूल की जा सकती है। तदनुसार, टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए क्रमशः रु.74.12 करोड़ और रु.51.87 करोड़ की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे हो जाने के कारण , पूर्व में स्वीकृत एवं आस्थगित आय के रूप में मानी गई एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में चालू वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की बिक्री) रु. 50.45 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु.8.02 करोड़ तथा पिछले वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा रु.57.93 करोड़ और प्रोत्साहन राशि रु.28.49 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी : –34
अन्य आय

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (₹ 72885.00, पिछली अवधि ₹ 498279.00 का टीडीएस सहित)		0.90		0.73	
कर्मचारियों से		1.73		1.87	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		3.42		5.32	
अन्य		**0.16**	**6.21**	**0.26**	**8.18**
मशीन किराया शुल्क			0.08		0.04
किराया प्राप्तियां			3.25		2.72
विविध प्राप्तियां			28.42		6.96
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.01		1.18
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.15		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			15.48		17.70
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			20.73		65.79
कुल			**74.33**		**102.60**
घटाएं:					
गैर–टैरिफ आय लाभार्थियों के साथ साझा की गई			0.68		0.82
ईडीसी में अंतरित	32.1		28.80		72.43
कुल			**44.85**		**29.35**

टिप्पणी : –35
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ			435.20		411.10
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान			43.64		39.61
पेंशन निधि			27.36		32.07
उपदान			16.03		16.24
कल्याण व्यय			26.67		22.45
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय			3.42		5.32
कुल			**552.32**		**526.79**
घटाएं:					
ईडीसी में अंतरित	32.1		211.15		190.05
कुल			**341.17**		**336.74**

टिप्पणी : –36
वित्त लागत

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
वित्त लागत					
बांड पर ब्याज			532.08		424.32
घरेलू ऋण पर ब्याज			426.21		171.10
विदेशी ऋण पर ब्याज			101.66		50.27
नकदी ऋण पर ब्याज			54.69		52.54
एफईआरवी			23.66		107.48
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			0.21		0.00
अन्य ब्याज			23.84		69.12
कुल			**1,162.35**		**874.83**
घटाएं:–					
अंतरित और सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत			980.78		625.43
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज			22.92		68.03
कुल			**158.65**		**181.37**

टिप्पणी : –37
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय का किराया		1.10		1.33	
कर्मचारियों के आवास का किराया		0.66	1.76	0.91	2.24
दर और कर			3.42		2.80
जल उपयोग शुल्क			126.37		82.41
बिजली और ईंधन			28.32		23.92
बीमा			41.95		31.42
संचार			5.75		6.02
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		71.42		66.88	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		5.47		8.56	
भवन		31.44		24.48	
अन्य		57.26	165.59	37.62	137.54
यात्रा एवं परिवहन			7.68		7.74
वाहन किराये पर लेना और चलाना			24.88		19.58
सुरक्षा			75.95		69.99
प्रचार एवं जनसंपर्क			4.38		3.84
अन्य सामान्य व्यय			164.92		74.98
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.35		0.35
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.47		1.21
खदान संचालन लागत			172.46		19.27

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
सर्वेक्षण और जांच व्यय			15.55		9.30
अनुसंधान एवं विकास			3.73		2.70
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय					
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते में डाले गए			8.31		9.86
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय			34.27		23.09
कुल			**886.11**		**528.26**
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		274.19		100.06
कुल			**611.92**		**428.20**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी टिप्पणी संख्या 43.19 के तहत प्रकट की गई है।

37.2 विवाद से विश्वास " और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में भुगतान किए गए/देय ब्याज के रूप में रु.63.10 करोड़ शामिल हैं, जिसके सापेक्ष नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

टिप्पणी : –38
प्रावधान

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण एवं					
अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.00
स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।

टिप्पणी : –39
कराधान के लिए प्रावधान

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			103.62		136.55
उप योग			103.62		136.55
कुल			**103.62**		**136.55**

टिप्पणी : –40
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में					
निवल संचलन			(100.61)		52.47
विनियामक आस्थगन खाता शेष में					
निवल संचलन पर कर			17.58		(9.17)
कुल			**(83.03)**		**43.30**

टिप्पणी : –41
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि रु. करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(8.46)		(1.75)
उप योग			(8.46)		(1.75)
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		(1.24)		0.12
कुल			**(7.22)**		**(1.87)**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्वियक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधार जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम–वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या प्रत्याशित प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देरी से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते की मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹ 2886.71 करोड़ (पिछला वर्ष ₹ 4458.24 करोड़) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

कंपनी के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा विभिन्न पूंजीगत कार्यों जैसे बांध, स्पिलवे, पावर हाउस आदि के निर्माण के लिए कुछ संविदाकारों ने दर और मात्रा विचलन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के रुकने/साइट को सौंपने में देरी आदि के कारण निष्क्रियता प्रभार के लिए कंपनी के सापेक्ष कुल ₹2744.71 करोड़ (पिछला वर्ष ₹4385.41 करोड़) का दावा किया है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदाओं में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। समाधान के लिए लंबित ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह, यदि कोई हो, का यथार्थवादी अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ii) भूमि मुआवजा संबंधी मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, पूर्ववर्ती भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष ₹35.81 करोड़ (पिछला वर्ष ₹71.38 करोड़) की उच्च क्षतिपूर्ति आदि का दावा किया है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है।

(iii) राज्य / केंद्रीय सरकार के विभाग / प्राधिकरण

जल कर, हरित उपकर, रॉयल्टी, श्रम उपकर, गृह कर आदि के संबंध में कुल ₹1338.60 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष में ₹1314.93 करोड़) के दावे विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों आदि द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों/मंचों के समक्ष दर्ज कराए गए हैं तथा निपटान हेतु लंबित हैं।

उपरोक्त (i) से (iii) के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति

उपरोक्त (i) एवं (ii) में शामिल दावों के संबंध में, दावों के निपटान पर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे, जो सीईआरसी द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन होंगे। बिंदु (iii) के मामले में, विनियमों के अनुसार वसूली के माध्यम से अनुमानित संभावित प्रतिपूर्ति ₹1,096.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,059.78 करोड़) है।

(iv) विवादित कर संबंधी मामले

विभिन्न मंचों के समक्ष ₹2.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.15 करोड़) मूल्य के विवादित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर मामले लंबित हैं। इन मामलों की कार्यवाही अभी भी निपटान हेतु प्रगति पर है।

(v) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में ₹5.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.33 करोड़) के दावे विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं।

उपर्युक्त का विवरण निम्नानुसार है:

राशि रु. करोड़ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
क	पूंजीगत कार्य	2744.71	4385.41
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	35.81	71.38
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1338.60	1314.93
घ	विवादित कर संबंधी मामले	2.15	2.15
ड.	अन्य	5.84	8.33
च	कुलयोग	4127.11	5782.2
छ	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर आदि मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	1471.48	462.35

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन में बिल प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक लाभार्थियों द्वारा भुगतान में देरी के मामले में उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान है। हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमानित आंशिक बिलों के सापेक्ष कुछ लाभार्थियों से उक्त अधिभार के अंतिम संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए, ₹2.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.70 करोड़) की राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

3. ईएमडी/एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकार सहित कंपनी एफ डी आर/सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने ₹4.38 करोड़ तथा ₹5.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹2.09 करोड़ एवं ₹3.92 करोड़) की एफडीआर/सीडीआर क्रमशः ईएमडी/प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से ₹904.33 करोड़ (पिछला वर्ष ₹695.12 करोड़) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।
4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए रु.1.34 करोड़ (पिछला वर्ष रु.0.83 करोड़) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत और ईडीसी को अंतरित उधारी लागत की राशि टिप्पणी 36 के अनुसार क्रमशः रु.980.78 करोड़ और रु.22.92 करोड़ (पिछला वर्ष रु.625.43 करोड़ और रु.68.03 करोड़) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में रु.19.20 करोड़ (पिछले वर्ष रु.78.52 करोड़) को मान्य किया गया है।
5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लेक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/86–एफसी द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:
दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी/वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।

संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10. 2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीए सआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	261.88	निजी	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

वित्तीय वर्ष 2020–21 से रु. 49.03 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसे वित्तीय वर्ष 2021–22 में परिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.5	0.78	0.78 विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	2012 में अधिग्रहित	वर्ष 2012 में अधिग्रहित 5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2. 068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31. 10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकार / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में यूपी सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/यूपीए सआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.68	0.96	Govt. Land	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	9.77	Private Land	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया रु.49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 12 फ्लैट (पिछला वर्ष 16 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य रु.0.02 करोड़ (पिछले वर्ष रु.0.04 करोड़) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित रु. 0.001 करोड़ की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (I) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसें प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और संविदाकार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचई परियोजना के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 257.93 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था। डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2024 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेब्ट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल संविदाकार मैसर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैमर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि पीएसपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला भंडार निकालना शुरू कर दिया है। कोयला खदान की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) सीईआरसी विनियमन में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ), मेसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड भूमि सुधार, संरचना के विघटन और खदान बंद करने (प्रगतिशील और अंतिम) गतिविधियों पर होने वाले व्यय के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जो अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार आवश्यक है। तदनुसार, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में प्रति वर्ष रु.4.14 करोड़ की राशि की योजना बनाई गई है।

(iv) वर्ष के दौरान निपटाए गए "विवाद से विश्वास" योजना और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के तहत रु.113.70 करोड़ की मूल राशि और रु.63.10 करोड़ के ब्याज सहित रु.176.80 करोड़ के दावों का निपटान "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के तहत रु.113.70 करोड़ की मूल राशि और "उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय" के तहत रु.63.10 करोड़ की ब्याज राशि को पूंजीकृत करके किया गया है। इसके अलावा, रु.63.10 करोड़ की ब्याज राशि के लिए, विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष का सृजन किया गया है।

8. (i) दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में धनराशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,192.83	4,514.59	2,968.58	6,222.53	18,898.53
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	4,607.32	3,147.83	1,414.98	4,820.50	13,990.63
परियोजना प्रगति पर है	-	-	-	-	-

(ii) 31.03.2024 और 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में धनराशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.00	-	-	-	569.00
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1279.44	800.00	476.51	-	2555.95
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	-	-	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	-	1346.05

9. दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

राशि रु. करोड़ में

विवरण				बिल और देय (ङ)					
	बकाया	अनबिल्ड	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक)	6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (च) = (ग+घ+ङ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)						
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	374.89	141.28	100.89	118.83	10.61	0.43	0.91	1.95	374.89
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	75.79*	-	7.16	52.40	-	0.28	-	15.95	75.79
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**450.68**	**141.28**	**108.05**	**171.23**	**10.61**	**0.71**	**0.91**	**17.90**	**450.68**

*कुल रु. 90.90 करोड़ के विवादित देनदारों के विरुद्ध रु. 15.11 करोड़ की प्राप्ति के बाद।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

राशि रु. करोड़ में

विवरण				बिल और देय (ङ)					
	बकाया	अनबिल्ड	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक)	6 माह से कम	6 माह –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल (च) = (ग+घ+ङ)
(क)	(ख)	(ग)	(घ)						
(I) अविवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	36.48	41.49	72.32	0.03	1.95	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–शोध्य समझा गया	61.46	-	-	45.51	-	-	-	15.95	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्य – जिन्हें क्रेडिट जोखिम में बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण समझा गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–क्रेडिट का खराब होना माना गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	**695.92**	**234.46**	**247.73**	**81.99**	**41.49**	**72.32**	**0.03**	**17.90**	**695.92**

10. दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:			
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	1.51	-	-	-	1.51
(ii) अन्य	51.28	0.50	0.13	0.51	52.42
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	-
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण		भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया:			
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(I) एमएसएमई	2.35	-	-	-	2.35
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	--	--	--	--	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	--	–	--	--	–

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31-03-2024	31-03-2023	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड(AAPCA3824J)	देय	0.02	0.02	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	-	-	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

		प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण				
वित्त वर्ष 2023–24	बैंक का नाम	प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
जून–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.52	163.52	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परि–योजना के व्यापार प्राप्तियां	11.27	11.27	-	शून्य
सितम्बर –23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	178.23	178.23	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन और कासरगोड सौर परि–योजना के व्यापार प्राप्तियां	4.37	0.00	4.37	यह अंतर पवन परियोजनाओं के जीबीआई के कारण है, जिन्हें बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर –23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	143.77	143.77	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परि–योजना के व्यापार प्राप्तियां	5.12	5.12	-	शून्य
मार्च –24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	131.52	131.52	-	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परि–योजना के व्यापार प्राप्तियां	2.51	2.51	-	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(I) धारक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एमटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड

: टीएचडीसीआईएल – यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (01.12.2023 को निगमित)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्ण कालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *	जारी
2	श्री जे.बेहरा	निदेशक (वित्त)	29.02.2024 तक
3	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	06.06.2023 से
4	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	09.06.2023 से
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू. के. भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.11.2023 तक
2	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.11.2023 तक
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
5	श्री अजय तिवारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	20.02.2024 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती साजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2023 तक
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे.बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29.02.2024 तक
2	श्रीमती रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
3	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	31.03.2024 से

(*) 01.03.2024 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों को छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को ₹34.08 करोड़ वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.496 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकारो (सहायक कंपनी) के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण	7.15	0.05
किया गया इक्विटी अंशदान (लंबित आबंटन सहित)	14.80	14.80
अन्य	0.00	0.00
सीपीएफ, पेंशन आदि के विरुद्ध धन प्रेषण	1.03	0.72

(ii) संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2023–24	2022–23
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	30.89	46.28
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	33.56	40.26
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	9.77	5.98

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय रु. 2.90 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1.91 करोड़) है।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
	प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ती		
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	2.67	1.65
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.23	0.26
3	सेवांत लाभ	–	–
4	शेयर आधारित भुगतान	–	–
	कुल	**2.90**	**1.91**

(iv) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है :

(राशि ₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	767.64	801.06
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद	701.63	559.77
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश	351.20	408.20
एनटीपीसी लिमिटेड	कोयले की बिक्री	368.86	–
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्श सेवा और परीक्षण प्रभार	14.72	20.45
एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचार व्यय	0.39	–
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	49.86	112.64
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों का स्थानांतरण, परामर्श शुल्क, विद्युत लाइन डायवर्जन	3.43	72.17
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	47.08	62.76
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जल और बिजली शुल्क	24.24	–
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति आपूर्ति सेवाएँ	13.81	–
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	7.36	7.73
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	सुरक्षा सेवाएं	7.32	4.46
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	0.32	0.49
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	0.07	0.01
आरआईटीईएस	परामर्श सेवा	14.46	23.81
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.22	10.49
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	11.80	3.88
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	2.46	2.74
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.27	0.91
सीएमपीडीआईएल	परामर्श	4.86	0.60
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सब्सक्रिप्शन शुल्क	0.02	0.02
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई)	परामर्श	0.00	0.11
अन्य संबंधित पक्षकार	विविध	9.14	5.40

(v) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री / खरीद के लिए वसूलनीय / (संदेय) राशि**		
	–एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी)	(31.74)	शून्य
	–सहायक कंपनियां	शून्य	शून्य
ख	**वसूलनीय राशि**		
	–केएमपी	0.19	0.29
	–सहायक कंपनी	9.21	2.07
	–अन्य	1.32	0.33
ग.	**संदेय राशि**		
	–रोजगारोपरांत हितलाभ योजनाएं	30.20	19.98
	–एनटीपीसी लिमिटेड (लाभांश)	201.14	शून्य

(vi) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 27 – पृथक वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व हित का अनुपात	
		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार
टुस्को लिमिटेड (12.09.2020 को निगमित)	भारत	74%	74%
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को निगमित)	भारत	74%	74%
टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (01.12.2023 को निगमित)	भारत	74%	लागू नहीं

16. इंडएएस 33 – प्रति शेयर आय (ईपीएस) – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

विवरण	2023–24	2022–23
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ ₹)	682.11	629.79
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ ₹)	599.07	673.09
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817	बेसिक: 36658817 तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं।		
₹ बेसिक	186.07	171.80
₹ तनुकृत	186.07	171.80
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है		
₹ बेसिक	163.42	183.61
₹ तनुकृत	163.42	183.61
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ में	₹1000	₹1000

17. (क) आय कर व्यय

लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 के समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	86.04	145.72
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	17.58	(9.17)
कुल चालू का व्यय (ख)	**103.62**	**136.55**

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में ₹16.53 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष ₹17.75 करोड़) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर संपत्ति (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	657.88	687.01
(ii)	प्रारंभिक इंड एएस समायोजन	4.87	4.87
(iii)	ओसीआई में वर्गीकृत बीमांकिक लाभ / हानि	(4.56)	(2.04)
(iv)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	68.37	68.37
(v)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	48.56	48.56
(vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	56.64	41.52
(iii)	एमएटी क्रेडिट पात्रता	199.44	–
	उप योग – क	**1,031.20**	**848.29**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	35.72	35.72
(ii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(4.72)	(4.72)
(iii)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)
(iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	(1.24)	(1.24)
	उप योग – ख	**29.75**	**29.75**
	निवल आस्थगित कर (देयता) / परिसंपत्तियां (क–ख)	**1,001.45**	**818.54**

18. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

19. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर नकदी में व्यय की जाने वाली और व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 31.03.2024	वित्त वर्ष 31.03.2023
i.	आरम्भिक शेष – अधिशेष राशि	0.45	0.97
ii.	आरम्भिक शेष – अव्ययित राशि	0.98	––
iii.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	22.35	23.61
iv.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अधिशेष राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	0.20	0.52
v.	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (ग) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	22.15	23.09
vi.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त बजट– आगामी वर्षों में समायोज्य	10.15	––
vii.	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त बजट– आगामी वर्षों में गैर–समायोज्य	1.97	––
viii.	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	––
ix.	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (ङ से ज)	34.27	23.09
x.	(झ) के सापेक्ष वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	34.27	22.11
xi.	(ख) में से वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	0.91	––
	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई कुल राशि (ञ+ट)	35.18	22.11
xii.	चालू वर्ष के बजट में से जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है (झ–ञ)	0.00	0.98
xiii.	आरम्भिक अव्ययित राशि (ख) में से जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.07	––
	जारी परियोजनाओं के सापेक्ष कुल अव्ययित राशि का अंत शेष	**0.07**	**0.98**
	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि	**10.40**	**(0.45)**

टिप्पणी:– अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
0.00	0.98	34.27	34.27	0.91	0.00	0.07	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.11	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं
(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया							

(घ) सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय का गतिविधि–वार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2023–24	2022–23
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	5.89	2.88
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	12.50	10.34
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.20	0.22
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.39	0.62
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	10.28	0.72
6.	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के हितलाभ के लिए उपाय		––
7.	खेलकूद का संवर्धन	1.94	0.06
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	0.00	4.00
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण		––
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.96	2.38
11.	आपदाएं		––
12.	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	1.02	0.89
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	**35.18**	**22.11**
	कंपनी द्वारा व्यय की गई राशिः प्रत्यक्षतः	11.61	0.00
	कंपनी द्वारा व्यय की गई राशिः कंपनी द्वारा प्रायोजित लाभ–निरपेक्ष सोसायटी (सेवा–टीएचडीसी) के माध्यम से	23.57	22.11

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटीकरणः

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ₹5.97 करोड़ (पूंजी – ₹2.24 करोड़ और राजस्व – ₹3.73 करोड़) (पिछला वर्ष ₹2.70 करोड़) (राजस्व– ₹2.70 करोड़) व्यय किए हैं।

20. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम इस एम ई डी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2024 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि ₹ करोड़ में)

		2023–24	2022–23
क.	किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i)	मूल धन	4.10	3.24
ii)	उस पर ब्याज		
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि		
ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।		
घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका		
ड.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।		

21. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों के प्रभाव

क्रम सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव / टिप्पणी
1.	नीति संख्या 18 "मूल्यह्रास और परिशोधन" को 18.3 हटाकर संशोधित किया गया है। नीति संख्या 18 "मूल्यह्रास और परिशोधन" के शेष बिंदुओं को पुनः क्रमांकित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।	कार्यालय उद्देश्यों के लिए लैपटॉप योजना में संशोधन पर विचार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, संभावित अनुप्रयोग के साथ, दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में ₹0.42 करोड़ की कमी आई है, दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों में ₹0.64 करोड़ की कमी आई हैं और दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार प्रगति पर पूंजीगत कार्य में ₹0.22 करोड़ की वृद्धि हुई है।
2.	नीति संख्या 21.2 को उप–खंड 21.2.4 अंतर्विष्ट करते हुए संशोधित किया गया है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है। इसे नीति के बिंदु संख्या 21.2.3 के अंतर्विष्ट किया गया है और शेष बिंदुओं को पुनः क्रमांकित / पुनर्व्यवस्थित किया गया।	प्रबंधन के पत्र के अनुपालन और धारक कंपनी की नीति के साथ कंपनी की नीति के संरेखण में, ₹199.44 करोड़ की राशि को आस्थगित कर परिसंपत्तियों के तहत एमएटी क्रेडिट के रूप में मान्यता दी गई है और दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार इसके लिए संबंधित आरडीए क्रेडिट शेष सृजित किया गया है। ₹199.44 करोड़ के आरडीए क्रेडिट शेष के सृजन के कारण, आरडीए क्रेडिट बैलेंस के सृजन पर कर बचत के कारण दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ में ₹34.85 करोड़ की वृद्धि हुई है।

22. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह / ट्रांजिट कैव और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की वहन राशियां हैं:

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भिक शेष	39.12	34.16
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	0.99	9.52
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	3.10	3.34
–पट्टा देयताओं का भुगतान	6.37	7.90
अंत शेष	36.85	39.12
चालू	3.20	3.39
गैर–चालू	33.65	35.73

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ ₹ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
3 माह या कम	0.97	1.10
3–12 माह	2.92	5.25
1–2 वर्ष	7.48	7.77
7–5 वर्ष	9.22	10.74
5 वर्ष से अधिक	54.38	57.38
पट्टा देयताएं	74.98	82.24

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	15.18	14.93
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	3.88	3.34
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	1.76	2.23

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	6.37	7.90
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	1.76	2.23

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से ₹6.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.25 करोड़) अधिक है तथा इसे बहियों में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हक़दार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वस्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथा अभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से ₹11.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹9.65 करोड़) अधिक है और इसे बही में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब / एलएसए / एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2024 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	7.10%	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख़ को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	174.76	85.27	117.13	105.80	14.33
	{183.38}	{76.88}	{118.64}	{95.51}	{14.26}
ब्याज लागत	12.93	6.31	8.67	7.83	1.06
	{12.84}	{5.38}	{8.30}	{6.69}	{1.00}
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.62	19.86	6.55	3.10	2.36
	{3.29}	{18.00}	{4.51}	{2.64}	{1.20}
लाभ का भुगतान	(19.08)	(19.27)	(7.47)	(7.80)	(1.90)
	{(19.85)}	{(20.33)}	{(5.96)}	{(7.56)}	{(1.79)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.12	2.90	(9.43)	8.46	(1.17)
	{(4.90)}	{5.34}	{(8.36)}	{8.52}	{(0.35)}
वर्ष के अंत में पीवीओ	173.36	95.08	115.46	117.39	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{105.80}	{14.33}

सारणी – 3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	173.36	95.08	115.46	117.39	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{105.80}	{14.33}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	105.78	लागू नहीं
				{96.15}	
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	105.78	शून्य
				{96.15}	
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	173.36	95.08	115.46	11.61	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{9.65}	{14.33}
अमान्य बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	173.36	95.08	115.46	11.61	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{9.65}	{14.33}

सारणी – 4 लाभ और हानि, ओसीओई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

(कोष्टक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस (पीआरएमबी)
वर्तमान सेवा लागत	3.62	19.86	6.55	3.10	2.36
	{3.29}	{18.00}	{4.51}	{2.64}	{1.20}
विगत सेवा लागत	–	–	–	–	0.00
					{0.00}
ब्याज लागत	12.93	6.31	8.67	–	1.06
	{12.84}	{5.38}	{8.30}	{0.00}	{1.00}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.12	2.90	(9.43)	8.50	(1.17)
	{(4.90)}	{5.34}	{(8.36)}	{7.01}	{(0.35)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	16.55	29.07	5.79	3.10	3.42
	{16.13}	{28.72}	{4.46}	{2.64}	{2.20}

सारणी – 5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि करोड़ ₹ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(3.86)	(4.09)	(2.58)	(2.36)	(2.56)	(2.72)	(14.58)	(13.14)	(0.34)	(0.35)
0.50% की वृद्धि	4.08	4.30	2.75	2.52	2.68	2.86	15.65	14.10	0.35	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.76	0.81	2.76	2.53	2.68	2.87	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
0.50% की वृद्धि	(0.83)	(0.87)	(2.60)	(2.39)	(2.58)	(2.76)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
चिकित्सा लागत / समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15.94	14.36	0.13	0.15
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(15.21)	(13.71)	(0.13)	(0.14)

अन्य प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

उपदान	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	173.36	174.76	183.38	189.99	191.01
बीमांकिक (लाभ / हानि)	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74
बीमांकिक (लाभ / हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.55	16.13	16.77	17.97	19.68

अर्जित छुट्टी	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	95.08	85.27	76.88	66.18	56.07
बीमांकिक (लाभ / हानि)	2.90	5.34	8.15	6.26	11.60
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	29.07	28.72	26.28	23.42	27.71

अर्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	115.46	117.13	118.64	116.13	109.06
बीमांकिक (लाभ / हानि)	(9.43)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.79	4.46	8.85	11.18	13.00

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.39	105.80	95.51	87.30	79.85
मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ / हानि)	8.50	7.01	3.29	1.34	2.76
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.10	2.64	2.61	2.95	3.07

अन्य असबाब भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.68	14.33	14.26	14.29	12.63
बीमांकिक (लाभ / हानि)	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ / हानि)	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.42	2.20	2.09	3.19	2.14

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार / अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि / समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि / समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(₹ करोड़ में)

		2023–24	2022–23
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.15	0.15
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए		–
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए		–
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.12
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में ₹ शून्य (पिछले वर्ष से संबंधित ₹ शून्य) शामिल हैं।

26. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024	31.03.2023
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	95.62	93.65
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	777.04	948.33
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(681.42)	(854.68)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। यह संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

यह संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटीकरण का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह (2023–24)	प्रारंभिक	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	–	3665.88	–	
गैर–चालू उधारियाँ (बाँड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	10289.09	–	14578.80	4289.71	**वृद्धि–** बांड – ₹1542.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी) ₹1925.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹600.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹461.50 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (बीओबी) – ₹125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹75.00 करोड़, विश्व बैंक ₹38.79 करोड़
उधारियां– चालू	386.14	–	1331.56	945.42	**वृद्धि–** अल्पावधि ऋण (पीएनबी) ₹500.00 करोड़, अल्पावधि ऋण (बीओबी) ₹500.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹100.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹30.14 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹45.14 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹139.58 करोड़
पट्टा देयताएं	–	(6.37)	–	(6.37)	पट्टा देयता का भुगतान
ब्याज एवं वित्त प्रभार	–	(1099.81)	–	(1099.81)	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान
संदत्त लाभांश	–	(171.44)	–	(171.44)	लाभांश
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				3957.51	

27. अनुपात

क्रमांक	विवरण	अंश	हर	निम्नलिखित तारीख को समाप्त वर्ष		% भिन्नता	भिन्नता का कारण*
				31.03.2024	31.03.2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
क	चालू अनुपात	चालू परिसंपत्ति	चालू देयताएं	0.51	0.57	–10.36%	
ख	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	निवल मूल्य	1.58	1.11	41.96%	कुल ऋण में वृद्धि के कारण
ग	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(करोपरांत निवल लाभ + ऋण पर ब्याज + मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय + अपवादात्मक मद)	(ऋण पर ब्याज + पट्टा भुगतान + दीर्घकालिक ऋण की मूलधन चुकौती)	1.93	1.84	4.78%	
घ	इक्विटी पर प्रतिलाभ अनुपात	करोपरांत निवल लाभ	हितधारक की इक्विटी का औसत	5.71%	6.49%	–12.02%	
ङ	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत इन्वेंट्री	18.70	32.98	–43.28%	औसत इन्वेंट्री में वृद्धि के कारण
च	ऋण–टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व (निवल क्रेडिट बिक्री)	औसत व्यापार प्राप्तियां	3.43	2.78	23.37%	
छ	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	2.13	2.57	–17.28%	
ज	निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात	प्रचालन से राजस्व	कार्यशील पूंजी + लंबी अवधि के उधार की वर्तमान परिपक्वता	(1.06)	(2.63)	–59.63%	कार्यशील पूंजी में कमी के कारण
झ	निवल लाभ मार्जिन	करोपरांत निवल लाभ	कुल बिक्री	30.45%	34.09%	–10.68%	
ञ	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और कर–पूर्व आय	नियोजित पूंजी	2.89%	4.54%	–36.33%	आय में कमी और नियोजित पूंजी में वृद्धि के कारण
ट	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से आय	निवेश	–4.87%	–0.81%	499.45%	सहायक कंपनियों के घाटे में वृद्धि के कारण

(*) पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक किसी भी परिवर्तन के लिए भिन्नता के कारण आवश्यक है।

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

स्वंतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है। (इसके पश्चात ''स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण'' का संदर्भ लिया जाए)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमने धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यवसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट मेल संसूचित किया जाएगा।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी मामला	लेखा परीक्षा संबंधी मामले के समाधान
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों (यदि कोई हों) की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन क्रिया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। • स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया है। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र.सं.	लेखा परीक्षा संबंधी मामला	लेखा परीक्षा संबंधी मामले के समाधान
2.	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकास्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। इन मामलों के परिणामों के मूल्यांकन के लिए, किसी लंबित दावे के सफल होने या उससे कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना के आकलन के अनुमानों और संभावित वित्तीय समाधान की सीमाओं के परिमाणीकरण सहित अंतर्निहित जटिलताओं को देखते हुए, प्रबंधन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमने इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अभिचिह्नित किया है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 13 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकास्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियायें अपनाई हैं: • लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके प्रावधानों और आकस्मिक देयता से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया है। • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। • विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेज़ों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटीकरण नही किया गया है, उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की पर्याप्तता का आकलन किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

क. कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचसीसी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदाकार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

ख. टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1664.285 हेक्टेयर भूमि के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन, निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिह्नित अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त उल्लिखित 'अन्य सूचना' पढ़ते हैं, तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नगदी प्रवाह सहित कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन

सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तिय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदारी है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे, हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा का बनाए रखा है। हमनेः

क. वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।

ख. उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।

ग. हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।

घ. प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए चालू संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।

ङ. स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है, जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (प) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (पप) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं । हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथाअपेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण अनुलग्नक "क" में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका अनुलग्नक "ख" में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

च) कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया अनुलग्नक "ग" पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05 जून,. 2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (अ) के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नही होते हैं।

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है दृ स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. प्रबंधन ने सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण है) को अग्रिम या उधार या निवेश है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ग. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (प) और (पप) के तहत प्रस्तुतीकरण, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्यबयानी है।

घ. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी लेखाबहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, अभिलेख बनाए रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल का अभिरक्षण किया गया है।

v. जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और संदत्त पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

ख. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है, जो 31.03. 2024 तक के स्थिति के अनुसार अदत्त है।

ग. कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

कृते एचसीओ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं. 001087सी

ह0/–
(सीए के के लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 074788
स्थानः लखनऊ
दिनांकः 16.05.2024
यूडीआईएनः 24074788BKBXDD1737

अनुलग्नक "क"

(दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i) (क) (अ) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं ।

(ब) कंपनी अमूर्त परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरण को दर्शाते हुए उचित अभिलेख बनाए रख रही है।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखाबही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि ढुकवां के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) निम्नलिखित को छोड़कर सभी अचल संपत्तियों स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैः

परिसंपत्ति की मद का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6
फ्रीहोल्ड भूमि	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
फ्रीहोल्ड भूमि		सरकारी / वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
फ्रीहोल्ड भूमि	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था।
फ्रीहोल्ड भूमि	0.01	सरकारी / वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
फ्रीहोल्ड भूमि	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
फ्रीहोल्ड भूमि	–	सरकार / वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
फ्रीहोल्ड भूमि	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
फ्रीहोल्ड भूमि	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
फ्रीहोल्ड भूमि	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	9.77	निजी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
फ्रीहोल्ड भूमि	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
फ्रीहोल्ड भूमि	261.88	निजी भूमि	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधक वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

(ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दायर त्रैमासिक विवरणी या विवरण, कंपनी की लेखाबहियों के अनुरूप नहीं थे। विवरण इस प्रकार हैं:–

(राशि करोड़ ₹ में)

वित्त वर्ष 2023–24	बैंक का नाम	प्रतिभूतियों का विवरण	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			भौतिक विसंगतियों का कारण
			लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि	अंतर की मात्रा	
जून–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.52	163.52	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	11.27	11.27	–	शून्य
सितम्बर–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	178.23	178.23	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	4.37	0.00	4.37	यह अंतर पवन परियोजनाओं के जीबीआई के कारण है, जिन्हें बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	143.77	143.77	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	5.12	5.12	–	शून्य
मार्च–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	131.52	131.52	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	2.51	2.51	–	शून्य

(iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों "टुस्को लिमिटेड", "ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड" और "टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड" (क्रमशः ₹3.70 करोड़, ₹3.70 करोड़ और ₹7.40 करोड़) में ₹14.80 करोड़ का निवेश किया है जो कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। हालांकि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षकारों को कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है या कोई ऋण या अग्रिम, प्रतिभूत या अप्रतिभूत नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड (पपप) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) का लागू नहीं होते है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम,

2014, यथासंशोधित के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है और हमारी यह राय है कि प्रथमदृष्टया निर्धारित लेखाओं और रिकॉर्डों कौ तैयार किया गया है और बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि क्या ये सटीक और सत्य है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

(vii) (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है, जिनमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर, उपकर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2024 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर 31 मार्च, 2024 के अनुसार विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर और किसी अन्य सांविधिक देय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	विरोध सहित जमा (₹ करोड़ में)	मंच जहां मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	790.60	2005–16 से 2023–24	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	305.47	2015–16 से 2023–24	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	2.80	2004–05 से 2014–15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234बी, 234सी के अंतर्गत छूट	1.72	2006–07	1.72	एसीआईटी, देहरादून
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर / टीडीएस	104.57	2019–20	शून्य	आयकर अपीलीय अधिकरण, देहरादून
कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995	पेंशन अंशदान	3.53	जुलाई 1991 से 2010	शून्य	सीजीआईटी, लखनऊ
बिक्री कर अधिनियम, 1990	बिक्री कर / वैट	0.36	2012–13	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
सेवा कर अधिनियम, 1994	सेवा कर	0.07	2018–19	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957	रॉयल्टी– खनन	198.30	2020–21	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

(viii) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

(ix) (क) हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों की चुकौती या इन पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की। अतः आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा सुविचारित चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए उपयोग किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई निधियों का प्रथम दृष्टया, वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधियां नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों के रेहन पर ऋण नहीं लिया है और इसलिए खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान इक्विटी, ऋण लिखितों अर्थात् निजी प्लेसमेंट आधार पर कारपोरेट बांड (श्रृंखला–VIII और श्रृंखला IX) के माध्यम से जुटाए गए धन का इस्तेमाल पहले से किए जा चुके व्यय और सावधि ऋणों को पूरा करने सहित निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या संपरिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से संपरिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3 (X) (ख) के संबंध में रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi) (क) भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक, लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत विनिर्दिष्ट प्रपत्र एडीटी –4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है, ।

(ग) हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना प्रदाता (व्हिसलब्लोअर) से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(xii) हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, तदनुसार, आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में, कंपनी में एक पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, हमने वर्ष के दौरान कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया है।

(xv) हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने के आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड 3 (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvii) कंपनी को, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद हानि नहीं हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, एजेइंग और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, और अवधारणाओं के समर्थन में प्रदान किए गए साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी महत्वपूर्ण अनियमितता है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख को मौजूद अपनी देयताओं और तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर उत्पन्न होने वाली ऐसी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देयताएं, जब भी वे देय होती हैं, कंपनी द्वारा पूरी कर दी जाएंगी।

(xx) (क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतु क के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि के अंतरण की आवश्यकता वाली जारी परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") के लिए कोई भी अप्रयुक्त राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xx) (क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली राशि में से तुलन–पत्र की तारीख तक अप्रयुक्त सीएसआर राशि को उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया है।

कृते एचसीओ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 074788

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 16.05.2024
यूडीआईएनः 24074788BKBXDD1737

अनुलग्नक "ख"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश

क्रम.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की अखंडता के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण/ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसा मामलों का उपयुक्त लेखा–जोखा दिया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन का या ऋण/उधार/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी) का लेखा–जोखा इनकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया। विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन/उपयोग किया गया था।

कृते एचसीओ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं. 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 074788

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 16.05.2024
यूडीआईएनः 24074788BKBXDD1737

अनुलग्नक "ग"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(च) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमनें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा साथ–साथ इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन के मानक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू और दोनों ही आईसीएआई द्वारा जारी, के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ, वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी की स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा त वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय

नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

कृते एचसीओ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं. 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 074788

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 16.05.2024
यूडीआईएनः 24074788BKBXDD1737

DGA(E)/Rep/01-051/A/CS-THC India Ltd.-SFS/2024-25/163

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

दिनांकः 17.07.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,

ऋषिकेश।

विषयः 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

भवदीया,

एस. ठ. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक

संलग्नकः यथोपरी।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 16 मई, 2024 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसके अनुपूरक के रूप में आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह0/–
(एस. अहलादिनी पंडा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17/07/2024

समेकित वित्तीय विवरण 2023–24

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्ति					
गैर–चालू परिसंपत्ति					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2		6,202.73		6,183.31
(ख) उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति	2		748.26		490.93
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2		1.42		0.56
(घ) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		18,995.45		14,037.51
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) सहायक कंपनी में निवेश	4	0.00		0.00	
(ii) ऋण	5	28.13		32.00	
(iii) अन्य	6	25.26	53.39	24.19	56.19
(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	7		1,002.71		819.19
(छ) गैर चालू कर परिसंपत्तियां निवल	8		59.13		17.60
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां	9		1,911.13		2,101.08
चालू परिसंपत्ति					
(क) इन्वेंटरी	10		131.56		78.80
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	450.68		695.92	
(ii) नकदी और नकदी समतुल्य	12	106.21		93.66	
(iiक) उपरोक्त (पप) के अलावा अन्य बैंक शेष	12.1	13.30		18.77	
(iii) ऋण	13	7.90		8.97	
(iv) अग्रिम	14	6.41		6.41	
(v) अन्य	15	1,494.11	2,078.61	482.47	1,306.20
(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	16		25.12		93.51
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	17		97.02		72.64
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष	18		215.72		133.42
कुल			**31,522.25**		**25,390.94**
इक्विटी और देयता					
हिस्सेदारी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19		3,665.88		3,665.88
(ख) अन्य इक्विटी	20		6,878.11		6,761.77
मूल कंपनी के स्वामियों को देय कुल इक्विटी			**10,543.99**		**10,427.65**
गैर–नियंत्रित हित			13.35		8.70
कुल इक्विटी			**10,557.34**		**10,436.35**
गैर चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	21	14,608.21		10,289.09	
(ia) पट्टा देयताएं	22	141.60		123.45	
(ii) गैर चालू वित्तीय देयताएं	23	70.67	14,820.48	365.49	10,778.03
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	24		784.84		832.00
(ग) प्रावधान	25		163.20		170.98

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधार	26	2,108.60		1,334.47	
(ia) पट्टा देयताएं	27	14.97		9.49	
(ii) व्यापार देयताएं					
क. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों का कुल बकाया		1.51		2.38	
ख. सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया		52.42		42.66	
(iii) अन्य	28	1,859.73	4,037.23	826.81	2,215.81
(ख) अन्य चालू देयताएं	29		167.99		97.40
(ग) प्रावधान	30		310.80		353.09
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)	31		0.00		9.82
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष	32		680.37		497.46
कुल			**31,522.25**		**25,390.94**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालन से राजस्व	33		1,967.24		1,974.30
अन्य आय	34		45.37		29.75
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		20.65		10.47	
घटाएँ: सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	20.65	0.00	10.47	0.00
कुल आय			**2,012.61**		**2,004.05**
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	35		343.31		337.50
वित्त लागत	36		158.65		181.37
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	2		300.05		273.90
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	37		613.02		428.22
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों, सीडब्ल्यूआईपी और भंडार एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान	38		0.00		0.00
कुल व्यय			**1,415.03**		**1,220.99**
विनियामक आस्थगन खाता शेष, अपवादात्मक मदें और कर–पूर्व लाभ / (हानि)			**597.58**		**783.06**
अपवादात्मक मदें– (आय) / व्यय– निवल			0.00		0.00
कर पूर्व लाभ / (हानि) और विनियामक आस्थगन खाता शेष			**597.58**		**783.06**
कर व्यय					
चालू कर					
आयकर	39		103.62		136.55
आस्थगित कर– (परिसंपत्ति) / देयता			(186.04)		16.96
विनियामक आस्थगन खाता शेष से पहले की अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**680**		**629.55**
विनियामक आस्थगन खाता शेष आय / (व्यय) में निवल संचलन – कर के बाद निवल	40		(83.03)		43.30
I निरंतर प्रचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**596.97**		**672.85**
II अन्य व्यापक आय					
(I) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	41		(7.22)		(1.87)
परिभाषित हितलाभ योजनाओं के पुनः माप पर आस्थगित कर – आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)			(2.52)		(0.65)
अन्य व्यापक आय			**(9.74)**		**(2.52)**
कुल व्यापक आय (I+II)			**587.23**		**670.33**
निम्नलिखित के कारण लाभ:					
मूल कंपनी के मालिक			597.52		672.91
गैर–नियंत्रक हित			(0.55)		(0.06)
कुल			**596.97**		**672.85**

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य व्यापक आय जिसके कारण :					
मूल कंपनी के मालिक			(9.74)		(2.52)
कुल			**(9.74)**		**(2.52)**
कुल व्यापक आय जिसके कारण :					
मूल कंपनी के मालिक			587.78		670.39
गैर–नियंत्रक हित			(0.55)		(0.06)
कुल			**587.23**		**670.33**
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			163.00		183.55
तनुकृत (₹)			163.00		183.55
प्रति इक्विटी शेयर आय (नियामक आस्थगन खाते में निवल संचलन को छोड़कर)					
बेसिक (₹)			185.65		171.75
तनुकृत (₹)			185.65		171.75
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटीकरण	42				
लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणी	43				
टिप्पणी 1 से 43 लेखा का अभिन्न अंग हैं					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
असाधारण वस्तुओं और कर–पूर्व का लाभ		**597.58**		**783.06**
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन (कर के बाद निवल)		83.03		(43.30)
आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर		17.58		(9.17)
कर–पूर्व लाभ, जिसमें विनियामक आस्थगन खाता शेष में परिवर्तन शामिल है		**698.19**		**730.59**
समायोजन :–				
मूल्यह्रास	300.05		273.90	
मूल्यह्रास– सिंचाई घटक	20.65		10.47	
प्रावधानों	–		–	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(7.60)		(7.60)	
विलंबित भुगतान अधिभार	(15.48)		(17.70)	
वित्तीय लागत	158.65		181.37	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	(0.15)		(0.03)	
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	0.40		1.09	
बैंक जमा पर ब्याज	(1.34)		(1.14)	
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	(7.22)		(1.87)	
एसओसीआईई के माध्यम से पूर्व अवधि समायोजन	–		–	
असाधारण मद	–	447.96	–	438.49
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,146.15**		**1,169.08**
समायोजन के लिए: –				
इन्वेंट्री	(1.98)		4.43	
व्यापार प्राप्य (अबिलीकृत राजस्व सहित)	245.27		377.70	
अन्य परिसंपत्तियां	(1,029.01)		(28.22)	
ऋण एवं अग्रिम (चालू + गैर चालू)	31.58		(8.98)	
लघु ब्याज	0.55		0.06	
व्यापार देय और देयताएं	170.25		71.74	
प्रावधान (चालू + गैर–चालू)	47.10		(15.96)	
आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन	(83.03)	(619.27)	43.30	444.07
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**526.88**		**1,613.15**
निगमित कर		(103.62)		(136.55)
प्रचालन से निवल नकदी (क)		**423.26**		**1,476.60**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
निम्नलिखित **में परिवर्तन** :–				
अचल परिसंपत्तियों की खरीद और सीडब्ल्यूआईपी	(4,462.92)		(3,689.20)	
अचल परिसंपत्तियों और सीडब्ल्यूआईपी की आय	12.30		7.40	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
पूंजी अग्रिम	191.40		(60.29)	
बैंक जमा पर ब्याज	1.34		1.14	
विलंबित भुगतान अधिभार	15.45		21.59	
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	5.47		(18.77)	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**(4,236.96)**		**(3,738.13)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आवंटन सहित)	–		–	
उधारों की अदायगी– गैर चालू	(238.79)		(289.24)	
उधारी आय– गैर चालू	4,557.91		3,924.35	
उधारियां– चालू	945.42		(40.49)	
पट्टा देयता	(14.87)		(13.05)	
ब्याज और वित्त शुल्क	(1,109.14)		(818.83)	
अनुदान	23.80		24.00	
गैर–नियंत्रक हित से पूंजी अंशदान	4.65		3.83	
लाभांश	(171.44)		(547.94)	
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**3,997.54**		**2,242.63**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**183.84**		**(18.90)**
ङ. प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य		**(854.67)**		**(835.77)**
च. अंत शेष नकदी और नकदी समतुल्य (घ+ङ)		**(670.83)**		**(854.67)**

टिप्पणी:

1. जहां भी आवश्यक हुआ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्निर्मित किया गया है।
2. नकदी एवं नकदी समतुल्य का समाधान टिप्पणी संख्या 43.26 (क) में किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

(2) 31–मार्च–2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		3,665.88
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		0.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष		**3,665.88**

ख. अन्य इक्विटी–

(1) 31–मार्च–2024 को समाप्त वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			01–अप्रैल–2023 से 31–मार्च–2024 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय			
विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (I)		**0.00**	**6,593.29**	**186.5**	**(18.02)**	**6,761.77**	**8.71**	**6,770.48**
अवधि के लिए लाभ			597.52			597.52	(0.55)	596.97
अन्य व्यापक आय					(9.74)	(9.74)		(9.74)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
कुल व्यापक आय			**597.52**		**(9.74)**	**587.78**	**8.16**	**587.23**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							5.20	5.20
लाभांश			471.44			471.44		471.44
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**126.08**			**116.34**		**120.99**
आरक्षिती में / से अंतरित / समायोजन (III)			(77.92)			(77.92)		(77.92)
अवधि के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन / (प्रयुक्त / समायोजित) (IV)				77.92		77.92		77.92
अंत शेष (I+II+III+IV)		**0.00**	**6,641.45**	**264.42**	**(27.76)**	**6,878.11**	**13.36**	**6,891.47**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0 / –
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0 / –
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0 / –
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

(2) 31–मार्च–2023 को समाप्त पिछली रिपोर्टिंग अवधि

राशि ₹ करोड़ में

			01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय			
विवरण		शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षिती और अन्य	बीमांकीत लाभ / (हानि)	कुल	गैर–नियंत्रित हित	कुल
प्रारंभिक शेष (I)		**0.00**	**6,526.82**	**128.00**	**(15.50)**	**6,639.32**	**4.87**	**6,644.19**
वर्ष का लाभ			672.91			672.91	(0.06)	672.85
अन्य व्यापक आय					(2.52)	(2.52)		(2.52)
कुल व्यापक आय			**672.91**		**(2.52)**	**670.39**	**4.81**	**670.33**
गैर–नियंत्रक हित द्वारा इक्विटी अंशदान							3.90	3.90
लाभांश			547.94			547.94		547.94
लाभांश पर कर			0.00			0.00		0.00
प्रतिधारित आय में अंतरण (II)			**124.97**			**122.45**		**126.29**
(III) डिबेंचर मोचन आरक्षिती में अंतरित			(58.50)			(58.50)		(58.50)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षिती में परिवर्धन / (प्रयुक्त) (IV)				58.50		58.50		58.50
अंत शेष (I+II+III+IIIV+V)		**0.00**	**6,593.29**	**186.50**	**(18.02)**	**6,761.77**	**8.71**	**6,770.48**

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0 / –
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव

ह0 / –
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0 / –
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0 / –
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

टिप्पणी संख्या–1 समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क. समूह की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

टीएचडीसी लिमिटेड ("कंपनी" या "धारक कंपनी") भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएनः U45203UR1988 GOI009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पताः भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड) है। समूह प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामशी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

ख. रिपोर्ट तैयार करने के आधार

1. अनुपालन विवरण

ये समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 16.05.2024 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

2 कार्यात्मक और प्रस्तुतीकरण की मुद्रा

ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को, अन्यथा इंगित किए जाने के सिवाय, निकटतम करोड़ (दो दशमलव तक) में पूर्णांकित किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

1. अनुमान एवं पूर्वानुमान

विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

2. समेकन का आधार

समेकन के प्रयोजन से सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक के लिए तैयार किए गए हैं जिसके लिए कंपनी के तैयार किए गए हैं।

सहायक कंपनी

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह का उस संस्था में शामिल होने से अस्थिर प्रतिफल का अधिकार होता है या योग्य होता है और निवेशी की संगत गतिविधियों को निर्देशत करने के लिए अपने अधिकारों के माध्यम से ऐसे प्रतिफल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियां समूह द्वारा नियंत्रण के अधिग्रहण की तारीख से पूर्ण समेकित होती हैं और तब तक समेकित रहेंगी जब तक की ऐसे नियंत्रण समाप्त न हो जाए।

समूह, मूल कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों जैसे परिसंपत्तियों की मदें, इक्विटी, आय और व्यय को एक साथ पंक्ति दर पंक्ति आधार पर एकीकृत करता है। समूह की कंपनियों के बीच संव्यवहारों पर अंतर–कंपनी लेन–देन, शेष और अप्राप्य लाभों को निकाल दिया जाता है। अप्राप्य हानियों को भी निकाल दिया जाता है जब तक कि लेन–देन स्थानांतरित परिसंपत्ति की हानि के साक्ष्य प्रदान नहीं करता है। आवश्यकता पड़ने पर, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई) को क्रमशः लाभ और हानि के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समेकित तुलनपत्र में अलग से दर्शाया जाता है।

सहायक कंपनी में समूह के इक्विटी हित में परिवर्तन, जिनके परिणामस्वरूप कोई नियंत्रण हानि नहीं होती है, को इक्विटी लेन–देन के रूप में दर्ज किया जाता है।

जब किसी सहायक कंपनी से समूह का नियंत्रण हट जाता है, तो यह सहायक कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं और किसी संबंधित एनसीआई एवं इक्विटी के अन्य घटकों को अमान्य कर देता है। पूर्ववर्ती सहायक कंपनी में बरकराक किसी

अन्य हित को नियंत्रण हटने की तारीख को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी परिणामी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। उस सहायक कंपनी के संबंध में पूर्व में अन्य विस्तृत आय में मान्य अन्य सभी राशियों को ऐसे दर्ज किया जाता है जैसे समूह ने प्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनी की संबंधित परिसंपत्तियों या देयताओं को निस्तारित किया है अर्थात् लागू इंड एएस द्वारा यथानिर्दिष्ट लाभ और हानि के समेकित विवरण में पुनःवर्गीकृत किया है या इक्विटी में अंतरित किया है। यह उचित मूल्य सहयोगी, संयुक्त उद्यम या वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में प्रतिधारित हित के लिए अनुवर्ती लेखांकन के प्रयोजनों के लिए आरम्भिक वहन राशि बना जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीएंडई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आनेवाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में संविदाकारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृहद निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृहद निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति की मान्यता रद्द की जाती है।

3.6 भूमि जिस पर पीपी एंड ई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपी एंड ई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि से डूब क्षेत्र है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इससे या तो विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है या मौजूदा विकासात्मक/उत्पादक संपत्ति के हिस्से को इससे प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित हिस्से से संबद्ध किसी भी शेष लागत का व्यय किया जाता है।

पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निष्कर्षित कोयले का निवल मूल्य है।

एकीकृत कोयला खानों के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का निर्धारण सीईआरसी के प्रशुल्क विनियमों में यथा उपबंधित निम्नलिखित में से किसी के घटित होने पर यथाशीघ्र किया जाएगाः

1) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें खनन योजना के अनुसार पीक रेटेड क्षमता का 25% हासिल किया जाता है; या

2) उस वर्ष के बाद के वर्ष की पहली तारीख जिसमें उत्पादन का मूल्य उस वर्ष के कुल व्यय से अधिक हो जाता है; या

3) उत्पादन शुरू होने की तारीख से दो वर्ष बाद की तारीख;

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के तहत परिसंपत्ति को 'खनन संपत्ति' के तहत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऊपर उल्लिखित परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करने पर लाभ और हानि, निवल विक्रय आय, यदि कोई हो, और संबंधित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है तथा लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

5.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि संबंधी व्यय/समायोजन

कोयले के भंडार को निकालने के लिए आवश्यक खान अपशिष्ट सामग्री (ओवरबर्डन) को हटाने पर किए गए व्यय को स्ट्रिपिंग लागत कहा जाता है। कंपनी को खान की सक्रियता पर तकनीकी रूप से अनुमानित व्यय करना पड़ता है।

स्ट्रिपिंग लागत को खानों को राजस्व के अधीन किए जाने के बाद स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात–भिन्नता लेखा के लिए उचित समायोजन के साथ प्रत्येक खान पर तकनीकी रूप से मूल्यांकन किए गए औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर प्रभारित किया जाता है।

तुलन पत्र की तारीख को स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात भिन्नता के शेष का निवल 'गैर–चालू परिसंपत्ति/गैर–चालू प्रावधान' शीर्ष के तहत 'स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन' के रूप में दर्शाया गया है, और सीईआरसी प्रशुल्क विनियम में यथाउपबंधित के अनुसार समायोजित किया गया है।

5.3 खानों को बंद करना, स्थल पुनरूद्धार और डिकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचना को बंद करने के लिए कंपनी के दायित्वों में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खानों पर व्यय करना शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य के लिए भावी नकद व्यय की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खान बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमीशनिंग के लिए अपने दायित्वों का अनुमान लगाती है और खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इसके लिए प्रावधान करती है। मुद्रास्फीति के अनुसार व्यय के अनुमान में वृद्धि की जाती है और फिर एक पूर्व–कर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन और जोखिम के तत्समय मूल्य के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को इस प्रकार दर्शाती है कि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाए। कंपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत संबंधित संपत्ति को इस तरह के दायित्व से संबद्ध लागत के लिए एक अलग मद के रूप में मान्यता देती है। राजस्व में लाए जाने पर, खानों को बंद करने, स्थल पुनरूद्धार और डीकमिशनिंग दायित्वों को खान के शेष उपयोगी–काल पर ऋजुरेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ दायित्व के मूल्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है और इसे वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इसके अलावा, खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो खाता बनाए रखा जाता है। खान बंद करने की समग्र बाध्यता के हिस्से के रूप में खान बंद करने के लिए वर्ष–दर–वर्ष आधार पर किए गए उत्तरोत्तर व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता हैजिसमें राशि प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद एस्क्रो खाते से आहरित की जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय

लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 प्रारंभिक मान्यता और माप: सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत

पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य आवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 अनुवर्ती माप: प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 अमान्य करना (डी रिकागनिशन) – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देयताएं

12.1 कंपनी की वित्तीय देयताएं अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देयताएं संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देयताएं प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथ प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 अनुवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताएं तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना : किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर– प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक

परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देयताएं प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हस्तांरित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हस्तांरित की जाती है जब नियंत्रण हस्तांरित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/ गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/ अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य प्रगति पर लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में ₹5,00,000/– या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विक्टी के अग्रेनीत अविशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 आर एंड डी पर व्यय कंपनी की अनुमोदित आर एंड डी योजना के अनुसार किया जाता है।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु, परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों परियोजना के उपयोगी–काल के अनुसार ऋजुरेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

इसके अलावा, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए परियोजनाओं का उपयोगी–काल जो सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों द्वारा शासित नहीं हैं, को 25 वर्ष माना गया है और मूल्यह्रास दरों को तदनुसार परिकलित किया गया है ।

19.3 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकरण के वित्तीय वर्ष में ₹1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.4 ₹1500/– से अधिक लेकिन ₹5000/– तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय के वित्तीय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.5 ₹1500/– तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.6 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.7 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग की विधिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.8 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष

उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्याः

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दारों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर – आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन–पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन–पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर

जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देयताएं मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देयताएं परिनिर्धारित की जाती है अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन–पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देयताएं और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देयताएं जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक को प्रभावित करता है।

22.2.4 आस्थगित कर परिसंपत्तियों में भारत में कर कानूनों के अनुसार संदत्त न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) शामिल होता है, जो भविष्य में आयकर देयता के सापेक्ष सेट ऑफ की उपलब्धता के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देने की संभावना है। एमएटी क्रेडिट को तुलन–पत्र में आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है और यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके सापेक्ष एमएटी क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।

22.2.5 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन–पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देयताएं प्रस्तुत करती है।

24.1 किसी परिसंपत्ति को प्रचलित माना जाता है, जब वह –

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि •सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।

- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।

- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय / आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूलयांकन प्रत्येक तुलन–पत्रपर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन का आंकलन करने के लिए करता है। इंडएएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का ''मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता'' या ''सीओडीएम'' कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंडएएस–108 'प्रचालन खंड' के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता हैद्य आसमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जबतक वे गौण न हों।

टिप्पणी : –2

31 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	50.94	80.91	–	131.85	–	–	–	–	131.85	50.94
2. जलमग्न भूमि	1,786.85	93.53	–	1,880.38	787.92	42.59	–	830.51	1,049.87	998.93
3. भवन	1,128.16	58.36	(0.35)	1,186.17	394.08	42.73	–	436.81	749.36	734.08
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	28.43	0.28	–	28.71	28.43	0.28	–	28.71	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	200.53	4.59	–	205.12	65.85	6.57	–	72.42	132.70	134.68
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	30.87	0.13	–	31.00	12.17	0.95	–	13.12	17.88	18.70
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	0.05	(0.07)	24.45	18.49	0.72	(0.05)	19.16	5.29	5.98
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,435.45	2.11	–	3,437.56	1,779.19	89.46	–	1,868.65	1,568.91	1,656.26
9. ईडीपी मशीनें	27.54	5.71	(6.51)	26.74	17.76	6.19	(6.25)	17.70	9.04	9.78
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.81	2.50	–	49.31	13.94	1.26	–	15.20	34.11	32.87
11. पारेषण लाइन	32.67	0.41	–	33.08	20.16	1.43	–	21.59	11.49	12.51
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	84.89	8.82	(0.97)	92.74	60.22	7.13	(0.56)	66.79	25.95	24.67
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	45.78	8.39	(0.31)	53.86	24.23	3.64	(0.06)	27.81	26.05	21.55
14. वाहन	28.03	6.56	(1.98)	32.61	15.24	2.26	(1.49)	16.01	16.60	12.79
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.74	0.07	–	0.81	0.41	0.48
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.00	77.29	(2.24)	5,265.05	3,378.50	104.98	–	3,483.48	1,781.57	1,811.50
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक , नहरें आदि	1,606.21	7.44	–	1,613.65	948.62	23.38	–	972.00	641.65	657.59
उप योग	**13,748.85**	**357.08**	**(12.43)**	**14,093.50**	**7,565.54**	**333.64**	**(8.41)**	**7,890.77**	**6,202.73**	**6,183.31**
पिछली अवधि के आंकड़े	13,617.46	138.02	(6.63)	13,748.85	7,273.55	294.10	(2.11)	7,565.54	6,183.31	6,343.91
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.73	1.31	–	7.04	5.17	0.45	–	5.62	1.42	0.56
उप योग	**5.73**	**1.31**	**–**	**7.04**	**5.17**	**0.45**	**–**	**5.62**	**1.42**	**0.56**
पिछली अवधि के आंकड़े	5.22	0.51	–	5.73	4.94	0.23	–	5.17	0.56	0.28

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2023 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	474.83	25.65	–	500.48	58.88	18.92	–	77.80	422.68	415.95
2. उपयोग का अधिकार – कोयला युक्त भूमि	72.01	261.88	–	333.89	3.63	9.48	–	13.11	320.78	68.38
3. उपयोग का अधिकार – भवन	9.87	0.30	(0.27)	9.90	3.39	2.05	(0.16)	5.28	4.62	6.48
4. उपयोग का अधिकार – वाहन	5.15	0.25	(5.08)	0.32	5.03	0.19	(5.08)	0.14	0.18	0.12
उप योग	**561.86**	**288.08**	**(5.35)**	**844.59**	**70.93**	**30.64**	**(5.24)**	**96.33**	**748.26**	**490.93**
पिछली अवधि के आंकड़े	513.50	52.51	(4.15)	561.86	51.98	23.11	(4.16)	70.93	490.93	461.52
मूल्यह्रास का विवरण						**चालू वर्ष**		**पिछले वर्ष**		
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास						44.02		33.07		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास						300.05		273.90		
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान						20.66	364.73	10.47	317.44	
खरीदी गई ₹1500.00 से अधिक लेकिन ₹5000.00 से कम कीमत वाली अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया						0.39		0.36		

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा ₹1 / – के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी : –2

31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. लीजहोल्ड भूमि	43.79	7.15	–	50.94	–	–	–	–	50.94	43.79
2. जलमग्न भूमि	1,723.35	63.52	(0.02)	1,786.85	747.87	40.05	–	787.92	998.93	975.48
3. भवन	1,111.58	17.78	(1.20)	1,128.16	358.75	35.86	(0.53)	394.08	734.08	752.83
4. भवन अस्थायी संरचनाएं	26.55	1.88	–	28.43	26.55	1.88	–	28.43	–	–
5. सड़क, पुल और पुलिया	190.69	9.84	–	200.53	59.17	6.68	–	65.85	134.68	131.52
6. जल निकासी, सीवरेज और जलापूर्ति	26.89	3.98	–	30.87	11.30	0.87	–	12.17	18.70	15.59
7. निर्माण संयंत्र और मशीनरी	24.47	–	–	24.47	17.43	1.06	–	18.49	5.98	7.04
8. उत्पादन संयंत्र और मशीनरी	3,433.11	4.62	(2.28)	3,435.45	1,700.13	79.06	–	1,779.19	1,656.26	1,732.98
9. ईडीपी मशीनें	23.15	5.72	(1.33)	27.54	15.61	3.28	(1.13)	17.76	9.78	7.54
10. विद्युत अधिष्ठापन	46.56	0.25	–	46.81	12.81	1.13	–	13.94	32.87	33.75
11. पारेषण लाइन	32.20	0.47	–	32.67	18.81	1.35	–	20.16	12.51	13.39
12. कार्यालय एवं अन्य उपकरण	74.73	10.70	(0.54)	84.89	56.2	4.25	(0.23)	60.22	24.67	18.53
13. फर्नीचर और फिक्स्चर	38.59	7.60	(0.41)	45.78	21.58	2.71	(0.06)	24.23	21.55	17.01
14. वाहन	23.75	4.51	(0.23)	28.03	13.49	1.91	(0.16)	15.24	12.79	10.26
15. रेलवे साइडिंग	1.22	–	–	1.22	0.67	0.07	–	0.74	0.48	0.55
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध और स्पिलवे	5,190.62	–	(0.62)	5,190.00	3,273.88	104.62	–	3,378.50	1,811.50	1,916.74
17. हाइड्रोलिक कार्य– सुरंग, पेनस्टॉक , नहरें आदि	1,606.21	–	–	1,606.21	939.30	9.32	–	948.62	657.59	666.91
उप योग	**13,617.46**	**138.02**	**(6.63)**	**13,748.85**	**7,273.55**	**294.10**	**(2.11)**	**7,565.54**	**6,183.31**	**6,343.91**
ख. अमूर्त परिसंपत्ति										
1. अमूर्त परिसंपत्ति–सॉफ्टवेयर	5.22	0.51	–	5.73	4.94	0.23	–	5.17	0.56	0.28
उप योग	**5.22**	**0.51**	**–**	**5.73**	**4.94**	**0.23**	**–**	**5.17**	**0.56**	**0.28**

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01 अप्रैल, 2022 तक	अवधि के दौरान परिवर्धन	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल, 2022 तक	01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए	अवधि के दौरान बिक्री / समायोजन	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार
ग. उपयोग का अधिकार परिसंपत्ति										
1. उपयोग का अधिकार – भूमि	434.73	40.32	(0.22)	474.83	41.62	17.49	(0.23)	58.88	415.95	393.11
1. उपयोग का अधिकार – कोयला युक्त भूमि	60.60	11.41	–	72.01	1.04	2.59	–	3.63	68.38	59.56
2. उपयोग का अधिकार – भवन	9.45	0.57	(0.15)	9.87	1.18	2.36	(0.15)	3.39	6.48	8.27
3. उपयोग का अधिकार – वाहन	8.72	0.21	(3.78)	5.15	8.14	0.67	(3.78)	5.03	0.12	0.58
उप योग	**513.5**	**52.51**	**(4.15)**	**561.86**	**51.98**	**23.11**	**(4.16)**	**70.93**	**490.93**	**461.52**
मूल्यह्रास का विवरण					**पिछले वर्ष**		–			
ईडीसी में अंतरित मूल्यह्रास					33.07		30.14			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास					273.90		302.65			
लाभ एवं हानि विवरण में अंतरित मूल्यह्रास – उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान					10.47	317.44	16.24	349.03		
खरीदी गई ₹1500.00 से अधिक लेकिन ₹5000.00 से कम कीमत वाली अचल परिसंपत्तियों को वर्ष के दौरान पूर्णतः मूल्यह्रासित किया गया					0.36		0.14			

2.1 कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (4x100 मेगावाट) के निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई 14.37 एकड़ भूमि का लेखा ₹1/– के अनुमानित मूल्य पर किया गया है ।

2.2 जलमग्न भूमि का मूल्यह्रास सीईआरसी द्वारा टैरिफ विनियमों में निर्धारित मूल्यह्रास दर तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि गाद तथा अन्य बाहरी सामग्रियों के जमा होने के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.5 के अनुसार प्रकट किया गया है।

2.4 वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

2.5 कंपनी के पास कोई बेनामी परिसंपत्ति नहीं है।

2.6 कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि पर अनधिकृत कब्जाधारियों के बारे में विवरण टिप्पणी संख्या 43.6 के अनुसार प्रकट किया गया है।

टिप्पणी : –3
प्रगति पर पूंजीगत कार्य और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए					
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2023 तक	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान परिवर्धन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान समायोजन	01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान पंजीकरण	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		161.42	59.59	(0.35)	(16.26)	204.40
सड़कें, पुल और पुलिया		406.54	139.47	(11.10)	(4.49)	530.42
जल आपूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		159.60	167.22	–	–	326.82
उत्पादन संयंत्र और मशीनरी		7,420.74	2,985.78	–	–	10,406.52
हाइड्रोलिक कार्य, बांध , स्पिलवे , जल चैनल, वीयर, सर्विस गेट और अन्य हाइड्रोलिक कार्य		4,759.37	1,357.78	(0.05)	(38.54)	6,078.56
वनरोपण जलग्रहण क्षेत्र		108.66	6.57	–	–	115.23
विद्युत स्थापना और उप–स्टेशन उपकरण		122.64	7.76	–	(0.11)	130.29
परियोजना निर्माण से सीधे संबंधित अन्य व्यय		410.05	186.05	0.00	0.00	596.10
कोयला खदान का विकास		254.13	264.31	(296.31)	0.00	222.13
सौर ऊर्जा का विकास		0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
अन्य		1.91	24.39	–	(2.55)	23.75
व्यय लंबित आवंटन						
सर्वेक्षण एवं विकास व्यय		79.58	71.60	–	–	151.18
निर्माण के दौरान व्यय	32.1	41.44	558.13			599.57
घटाएँ: निर्माण के दौरान व्यय जो कि लाभ एवं हानि में आवंटित / प्रभारित किया गया	32.1		588.48			588.48
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		111.43	145.52	–	(58.23)	198.72
कुल		**14,037.51**	**5,385.93**	**(307.81)**	**(120.18)**	**18,995.45**
पिछली अवधि के आंकड़े		**9,467.50**	**4,704.14**	**(39.26)**	**(94.87)**	**14,037.51**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं जैसे टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि का मूल्य शामिल है, क्योंकि निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, इसलिए कोई हानि नहीं होती है।

3.2 सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग का प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.8 (i) के तहत किया गया है।

3.3 विलंबित या लागत वृद्धि वाली परियोजनाओं के पूरा होने की समय–सारणी टिप्पणी संख्या 43.8 (ii) के तहत बताई गई है।

टिप्पणी : –4
गैर चालू परिसंपत्तियां– सहायक कंपनी में निवेश

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
सहायक कंपनी में इक्विटी लिखत – अनुद्धृत (पूर्णतः संदत्त – जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, लागत पर)					
टुस्को, ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल–यूजेवीएनएल एनर्जी			40.70		25.90
घटाएँ: सहायक कंपनी–टुस्को, ट्रेडको और टीएचडीसीआईएल –यूजेवीएनएल एनर्जी द्वारा आवंटित शेयर पूंजी			40.70		25.90
कुल			**0.00**		**0.00**

टिप्पणी : –5
गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		10.95		12.56	
शोध्य– अप्रतिभूत		9.00		7.80	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		16.00		18.47	
शोध्य – अप्रतिभूत		2.19		1.87	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**38.14**		**40.70**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		7.24		6.86	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		2.79	28.11	1.88	31.96
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.00		0.01	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.02		0.03	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.04**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन प्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन अप्रतिभूत ऋणों का समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.04
उप–कुल			**28.13**		**32.00**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल – ऋण			**28.13**		**32.00**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.00		0.01	
ब्याज		0.02		0.03	
कुल		**0.02**		**0.04**	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.04
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.09		0.12	
ब्याज		0.03		0.03	
कुल		**0.12**		**0.15**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.02	0.10	0.02	0.13

5.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

5.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –6
गैर चालू – वित्तीय परिसंपत्तियां – अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रतिभूति जमा राशि			24.94		24.18
12 माह से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमाराशियां			0.32		0.00
सहायक कंपनी में आवंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि			0.00		3.70
घटाएँ: शेयर पूंजी, सहायक कंपनी–टुस्को द्वारा आवंटन लंबित			0.00		3.70
कुल			**25.26**		**24.19**

टिप्पणी : –7
आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
आस्थगित कर परिसंपत्ति			1002.71		819.19
कुल			**1002.71**		**819.19**

टिप्पणी : –8
गैर चालू कर परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			59.13		17.60
कुल			**59.13**		**17.60**

टिप्पणी : –9
अन्य गैर चालू – परिसंपत्ति

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय		0.17		0.00	
प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज		0.00	0.17	0.00	0.00
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			10.03		8.75
उप योग			**10.20**		**8.75**
पूंजी अग्रिम					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के सापेक्ष (₹ 726.76 करोड़ की बैंक गारंटी)		612.26		702.78	
ii) पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		157.70		437.95	
iii) अन्य		844.12		763.68	
iv) अग्रिम राशि पर उपार्जित ब्याज		408.79	2,022.87	310.00	2,214.41
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			121.94		122.08
उप–योग – पूंजीगत अग्रिम			**1,900.93**		**2,092.33**
कुल			**1,911.13**		**2,101.08**

टिप्पणी : –10
इन्वेंट्री

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
इन्वेंट्री					
(भारित औसत आधार या निवल प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निर्धारित लागत पर))					
अन्य सिविल और भवन निर्माण सामग्री		1.12		0.98	
मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टोर और स्पेयर्स		31.22		32.06	
कोयला इन्वेंट्री		51.43		40.18	
अन्य (स्टोर और स्पेयर सहित)		45.37		5.48	
परिवहनाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		2.42		0.10	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्यांकित)		0.00	131.56	0.00	78.80
घटाएँ: अन्य स्टोर के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**131.56**		**78.80**

टिप्पणी : –11
व्यापार प्राप्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
(i) छह माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		61.96		131.79	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	61.96	0.00	131.79
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत, शोध्य		247.44		329.67	
क्रेडिट क्षतिग्रस्तता		0.00	247.44	0.00	329.67
(iii) अबिलीकृत देनदार			141.28		234.46
कुल			**450.68**		**695.92**

टिप्पणी : –12
नकदी और नकदी समतुल्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
नकदी और नकदी समतुल्य					
बैंकों में शेष राशि (ऑटो स्वीप, बैंकों में जमा सहित)			106.20		93.66
चेक, ड्राफ्ट हाथ में			0.01		0.00
कुल			**106.21**		**93.66**

टिप्पणी : –12.1
नकदी और नकदी समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य बैंक बैलेंस					
तीन माह से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि तथा एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली जमाराशियां			13.30		18.77
कुल			**13.30**		**18.77**

टिप्पणी : –13
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– ऋण

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		4.55		5.42	
शोध्य– अप्रतिभूत		3.01		2.94	
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		1.71		2.12	
शोध्य – अप्रतिभूत		0.14		0.08	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**9.41**		**10.56**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1.15		1.10	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.30	7.96	0.43	9.03
निदेशकों को ऋण					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.02	
निदेशकों को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज					
शोध्य– प्रतिभूत		0.00		0.00	
शोध्य– अप्रतिभूत		0.01		0.00	
निदेशकों को कुल ऋण		**0.02**		**0.02**	
घटाएँ: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00		0.00	
घटाएँ: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
उप–कुल			**7.98**		**9.05**
घटाएं:– अशोध्य एवं संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			0.08		0.08
कुल ऋण			**7.90**		**8.97**
टिप्पणी: – निदेशकों से देय					
मूलधन		0.01		0.02	
ब्याज		0.01		0.00	
कुल		**0.02**		**0.02**	

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.02	0.00	0.02
टिप्पणी: – अधिकारियों से देय					
मूलधन		0.03		0.04	
ब्याज		0.00		0.00	
कुल		**0.03**		**0.04**	
घटाएँ: उचित मूल्यांकन समायोजन		0.00	0.03	0.00	0.04

13.1 कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों को कोई भी ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, जो मांग पर या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए चुकाई जा सके ।

13.2 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई ऋण प्रदान नहीं किया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –14
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अग्रिम

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकदी या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों के लिए		6.09		6.08	
अन्य के लिए		0.32	6.41	0.33	6.41
कुल			**6.41**		**6.41**

14.1 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को यह समझकर कोई अग्रिम राशि नहीं दी है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –15
चालू– वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा					
कस्टम विभाग के पास जमा		2.36		0.00	
सरकार / न्यायालय के पास जमा		1,491.59		482.46	
अन्य जमा		0.16	1,494.11	0.01	482.47
अन्य					
संविदा परिसंपत्तियां			0.00		0.00
कुल			**1,494.11**		**482.47**

सरकार / न्यायालय के पास जमा राशि में ₹1471.48 करोड़ (पिछले वर्ष ₹462.35 करोड़) की आकस्मिक देयताओं के विरुद्ध जमा राशि और ₹20.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹20.11 करोड़) की अन्य जमा राशि शामिल है।

टिप्पणी : –16
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
जमा किया गया कर			25.12		93.51
कुल			**25.12**		**93.51**

टिप्पणी : –17
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पूर्वदत्त व्यय			53.40		44.88
अर्जित ब्याज			0.04		0.04
निपटान हेतु रखी गई बीईआर परिसंपत्तियां			0.57		0.40
उचित मूल्यांकन के कारण आस्थगित कर्मचारी लागत			1.45		1.53
उप–कुल			**55.46**		**46.85**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों के लिए			0.51		0.42
खरीदारी के लिए			20.04		8.28
अन्य के लिए			35.42		31.50
			55.97		**40.20**
घटाएँ: विविध वसूलियों के लिए प्रावधान			14.41		14.41
उप–योग – अन्य अग्रिम			**41.56**		**25.79**
कुल			**97.02**		**72.64**

टिप्पणी : –18
विनियामक आस्थगन खाता डेबिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			133.42		98.69
अवधि के दौरान निवल संचलन			82.30		34.73
अंत शेष			**215.72**		**133.42**

18.1 विवाद से विश्वास " और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में भुगतान किए गए/देय ब्याज के कारण है ।

टिप्पणी : –19
शेयर पूंजी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयर की संख्या	राशि	शेयर की संख्या	राशि
अधिकृत					
इक्विटी शेयर ₹1000/– प्रत्येक		40,000,000	4,000.00	40,000,000	4,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
₹1000/– प्रति पूर्ण संदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ₹1000/– के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹46.77 (पिछले वर्ष ₹197.94) की दर से ₹171.44 करोड़ का अंतिम लाभांश का भुगतान किया है।

कंपनी ने 31 मार्च 2024 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹300.00 करोड़ का अंतरिम लाभांश घोषित किया है और 03 अप्रैल 2024 को इसका भुगतान किया गया। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹227.34 करोड़ का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इस प्रकार ₹1000/– के सममूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹143.85 (पिछले वर्ष ₹142.24) की दर से वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश ₹527.34 करोड़ होगा। यह प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अध्यधीन है।

टिप्पणी : –19.1
कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	%	शेयरों की संख्या	%
5% से अधिक शेयरधारिता					
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयर सहित)		27,309,412	74.496	27,309,412	74.496
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयर सहित)		9,349,405	25.504	9,349,405	25.504
कुल		**36,658,817**	**100**	**36,658,817**	**100**

टिप्पणी : –19.2
शेयरों की संख्या और बकाया शेयर पूंजी का मिलान

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
		शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्रारंभिक		36,658,817	3,665.88	36,658,817	3,665.88
निर्गत		0.00	0.00	0.00	0.00
अंत शेष		**36,658,817**	**3,665.88**	**36,658,817**	**3,665.88**

19.2क. कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनका सममूल्य 1000/– प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठकों में उनके शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी : –19.3
प्रमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार				
		शेयरों की संख्या (प्रारंभिक)	%	शेयरों की संख्या (अंत शेष)	%	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
I. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयर सहित)		27,309,412	74.496	27,309,412	74.496	0.00
II. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयर सहित)		9,349,405	25.504	9,349,405	25.504	0.00
कुल		**36,658,817**	**100**	**36,658,817**	**100**	

टिप्पणी : –20
अन्य इक्विटी

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित		0.00	0.00
प्रतिधारित आय		6,641.45	6,593.29
डिबेंचर मोचन आरक्षिती		264.42	186.50
अन्य व्यापक आय		(27.76)	(18.02)
कुल		**6,878.11**	**6,761.77**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 574(ई), दिनांक 16.08.2019 के अनुरूप, कंपनी ने बॉण्डों के मोचन के प्रयोजनार्थ बॉण्डों के मोचन के वर्ष से पहले वर्ष तक प्रत्येक वर्ष बराबर किश्तों में भावी आधार पर बॉण्डों के मूल्य के 10% की दर पर कंपनी के लाभ में से डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन किया है।

टिप्पणी : –21
गैर चालू – वित्तीय देयताएं – उधार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
क.–प्रतिभूत बांड					
^ बांड निर्गम श्रृंखला–VI					
(7.60% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 14.09.2032)			833.15		833.15
^ बांड निर्गम श्रृंखला–V					
(7.39% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 25.08.2031)			1,253.21		1,253.21
^ बांड निर्गम श्रृंखला–IV					
(7.45% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 20.01.2031)			760.87		760.87
*****बांड निर्गम सीरीज–III**					
(7.19% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 24.07.2030)			839.55		839.55
****बांड निर्गम सीरीज–II**					
(8.75% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 05.09.2029)			1,574.43		1,574.44
***बांड निर्गम श्रृंखला–I**					
(7.59% प्रति वर्ष, 10 वर्ष के प्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक ₹1000000/–) (मोचन की तिथि 03.10.2026)			622.46		622.47
कुल (क)			**5,883.67**		**5,883.69**
ख. प्रतिभूत					
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से सावधि ऋण					
******पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)–78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
15 अक्टूबर 2008 से 15 जुलाई 2023 तक त्रैमासिक किस्त पर 15 वर्षों के भीतर चुकाने योग्य , वर्तमान में 9.75% पर फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			0.00		46.04
@#ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) (झांसी सोलर पार्क के लिए, टुस्को लिमिटेड)					
(1 जुलाई 2025 से मासिक किस्त पर 18 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य , वर्तमान में वार्षिक पुनर्निर्धारण के साथ 7.95% की ब्याज दर है)			29.41		0.00
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
(30.06.2019 से 31.03.2024 तक त्रैमासिक किस्तों पर 5 वर्षों के भीतर चुकाने योग्य, 3 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर के साथ)			0.00		139.61
@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–I)					
(चुकौती प्रथम 20 तिमाही किस्त 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्त 3.75% होगी, फ्लोटिंग ब्याज दर @ 1 माह एमसीएलआर वर्तमान में 8.30%)			2,250.51		2,375.53

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
@@@बैंक ऑफ बड़ौदा (टीएल–II)					
(चुकौती पहली 20 तिमाही किस्तों में 1.25%, अगली 20 तिमाही किस्तों में 3.75% ब्याज दर पर होगी, जो कि पहली निकासी की तारीख से 2 वर्ष की स्थगन अवधि के बाद होगी। 1 महीने की एमसीएलआर दर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.30% है)			2,450.56		525.12
@पंजाब नेशनल बैंक					
(5 वर्षों के भीतर ₹25 करोड़ प्रत्येक की 20 बराबर तिमाही किस्तों में चुकाया जाना है। 1 महीने की एमसीएलआर पर फ्लोटिंग ब्याज दर वर्तमान में 8.35%)			425.08		0.00
@@@@पंजाब नेशनल बैंक					
(संवितरण की तिथि अर्थात 26.03.2024 से 12 महीने की स्थगन अवधि के साथ 36 संरचित त्रैमासिक किस्तों में 9 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, 1 माह की फ्लोटिंग ब्याज दर / एमसीएलआर वर्तमान में 8.35%)			200.04		0.00
कुल (ख)			**5,355.60**		**3,086.30**
ग. अप्रतिभूत					
बांड जारी श्रृंखला–VII					
(7.88% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 1000000/– ₹) (मोचन की तिथि 27.12.2032)			612.31		612.31
बांड निर्गम श्रृंखला–VIII					
(7.76% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– ₹) (मोचन की तिथि 13.09.2033)			795.44		0.00
बांड निर्गम श्रृंखला–IX					
(7.93% प्रति वर्ष, 10 वर्षीय अप्रतिभूत मोचनीय गैर–परिवर्तनीय बांड, प्रत्येक 100000/– ₹) (मोचन की तिथि 16.01.2034)			791.69		0.00
$विश्व बैंक ऋण –8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
15 नवंबर 2017 से 15 मई 2040 तक अर्धवार्षिक किस्त पर 23 वर्षों के भीतर चुकौती योग्य, ब्याज दर @SOFR + परिवर्तनीय प्रसार वर्तमान में 6.46%)			1,836.20		1,365.72
कुल (ग)			**4,035.64**		**1,978.03**
कुल (क+ख+ग)			**15,274.91**		**10,948.02**
घटाएं:					
चालू परिपक्वता:					
वित्तीय संस्थाओं से सावधि ऋण– प्रतिभूत			225.00		309.73
विदेशी मुद्रा ऋण– अप्रतिभूत			106.56		76.42
उधार पर प्रोद्भूत किंतु अदेय ब्याज			335.14		272.78
कुल			**14,608.21**		**10,289.09**

* बांड श्रृंखला I टिहरी एचपीपी स्टेज–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

** बांड श्रृंखला II, बही ऋणों सहित टिहरी एचपीपी चरण–I की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

*** बांड श्रृंखला III, पाटन और द्वारका एवं कोटेश्वर एचईपी और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

^ बांड श्रृंखला IV, V और VI टिहरी स्थित पंप स्टोरेज संयंत्र की चल सीडब्ल्यूआईपी और भविष्य की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत हैं।

****टिहरी चरण–I की परिसंपत्तियों अर्थात बांध, पावर हाउस सिविल निर्माण, पावर हाउस विद्युत और यांत्रिक उपकरण जो अन्य उधारों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं तथा टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण, साथ ही उससे संबंधित सभी अधिकार और ब्याज।

@टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के विरूद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@कासरगोड सौर ऊर्जा संयंत्र, खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर परी पासु आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण।

@@@खुर्जा एसटीटीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य दोनों चल अचल परिसंपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@@@@टिहरी पीएसपी की चल परिसंपत्तियों पर समतुल्य आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत सावधि ऋण ।

@#उपकरण , मशीनरी और अन्य चालू परिसंपत्तियां, बही ऋण / प्राप्तियां और अन्य सभी चल परिसंपत्तियां शामिल हैं, पर आरईसी लिमिटेड की संतुष्टि के लिए प्रथम भार के माध्यम से बंधक द्वारा प्रतिभूत।

$संबंधित ऋण रैंकिंग चंतप–चेंन के तहत वित्तपोषित उपकरणों पर नकारात्मक ग्रहणाधिकार के साथ ।

21.1 इस अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के चुकौती में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे किसी भी प्रकार के आरोप या संतुष्टि का कोई मामला पंजीकृत नहीं है।

21.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

21.4 कम्पनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम राशि इस समझ के साथ नहीं ली है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अर्थात् अंतिम लाभार्थी को मिलेगा।

टिप्पणी : –22
गैर चालू – वित्तीय देयताएं – पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
पट्टा देयताएं					
अप्रतिभूत			156.57		132.94
घटाएँ: पट्टा देयताओं की चालू परिपक्वता – अप्रतिभूत			14.97		9.49
कुल			**141.60**		**123.45**

टिप्पणी : –23
गैर चालू – वित्तीय देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
संविदाकार से प्रतिधारण राशि आदि।		85.85		413.18	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि		15.18	70.67	47.69	365.49
कुल			**70.67**		**365.49**

टिप्पणी : –24
अन्य गैर–चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			174.72		182.32
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान			546.64		577.49
एमएनआरई से अनुदान					
प्रारंभिक जमा		24.50		0.50	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त		23.8		24.00	
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया		0.00	48.30	0.00	24.50
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			15.18		47.69
कुल			**784.84**		**832.00**

टिप्पणी : –25
गैर चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कटौती को दर्शाते हैं)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
I. कर्मचारी संबंधी		168.56	1.12	(8.90)	0.00	160.78
II. अन्य		2.42	0.00	0.00	0.00	2.42
कुल		**170.98**	**1.12**	**(8.90)**	**0.00**	**163.20**
पिछली अवधि के आंकड़े		**176.46**	**2.82**	**(8.17)**	**(0.13)**	**170.98**

25.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.23 में किया गया है।

25.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय का प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : –26
चालू– वित्तीय देयताएं– उधार

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अल्पावधि ऋण					
क. प्रतिभूत ऋणः					
#पंजाब नेशनल बैंक			500.00		0.00
##बैंक ऑफ बड़ौदा			500.00		0.00
बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)/ नकदी ऋण सुविधा					
**पंजाब नेशनल बैंक			552.80		848.56
******एचडीएफसी बैंक			18.88		19.98
****बैंक ऑफ बड़ौदा			65.64		0.00
'भारतीय स्टेट बैंक			139.72		79.78
कुल (क)			**1,777.04**		**948.32**
ख. दीर्घकालिक ऋण की चालू परिपक्वता					
प्रतिभूत ^			225.00		309.73
अप्रतिभूत ^			106.56		76.42
कुल (ख)			**331.56**		**386.15**
कुल (क+ख)			**2,108.60**		**1,334.47**

टिहरी पीएसपी की चल संपत्तियों पर समान आधार पर प्रथम प्रभार के विरुद्ध प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

खुर्जा एसटीपीपी और अमेलिया कोयला खदान के संबंध में मौजूदा और भविष्य की दोनों चल अचल संपत्तियों (संयंत्र और मशीनरी और सीडब्ल्यूआईपी सहित) पर समान आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत अल्पावधि ऋण।

* कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्तियों के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

** टिहरी स्टेज–1 की संपत्तियों और कोटेश्वर एचईपी की अचल संपत्तियों/अन्य संपत्तियों पर द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत, जिसमें चल मशीनरी और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, ईंधन स्टॉक, पुर्जे और परियोजना स्थल पर सामग्री शामिल है। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है

*** कंपनी संयंत्र– पाटन पवन ऊर्जा परियोजना, देवभूमि द्वारका पवन ऊर्जा परियोजना, ढुकुवां परियोजना और सौर ऊर्जा संयंत्र केरल के देनदारों पर विशेष प्रभार के माध्यम से प्रतिभूत। शेष राशि में डब्ल्यूसीडीएल शामिल है।

****बैंक ऑफ बड़ौदा से सावधि ऋण पर चार्ज के विस्तार द्वारा प्रतिभूत और सावधि ऋण की सुरक्षा टिप्पणी संख्या 21 में @@ के तहत बताई गई है।

^ ऊपर बताए गए प्रतिभूत और अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता के ब्याज दर और पुनर्भुगतान की शर्तों के संबंध में विवरण टिप्पणी–21 में प्रकट किए गए हैं।

26.1 अवधि के दौरान किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

26.2 कंपनी के पास वैधानिक समय सीमा से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक किसी भी शुल्क या संतुष्टि का कोई मामला नहीं है।

26.3 कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

26.4 कंपनी ने इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है कि लेनदेन का लाभ किसी तीसरे पक्ष, अंतिम लाभार्थी को जाएगा।

26.5 टिप्पणी संख्या 43.13 के अनुसार चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार का अतिरिक्त प्रकटीकरण।

टिप्पणी : –27
चालू – वित्तीय देयताएं– पट्टा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की चालू परिपक्वता					
अप्रतिभूत			14.97		9.49
कुल			**14.97**		**9.49**

टिप्पणी :– 28
चालू– वित्तीय देयताएं– अन्य

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए		2.63		0.89	
अन्य के लिए		422.60	425.23	269.44	270.33
जमा राशि, संविदाकारों से प्राप्त प्रतिधारण राशि आदि।		821.30		283.47	
घटाएँ: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि		0.00	821.30	0.00	283.47
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ– प्रतिभूति जमा/ प्रतिधारण राशि			0.00		0.00
अन्य देयताएं			277.65		0.00
अर्जित किंतु अदेय ब्याज					
बांडधारक और वित्तीय संस्थान		335.55		273.01	
अन्य देयताएं		0.00	335.55	0.00	273.01
कुल			**1,859.73**		**826.81**

टिप्पणी : – 29
अन्य चालू देयताएं

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम के लिए आस्थगित राजस्व			7.60		7.60
अन्य देयताएं			139.73		79.33
सिंचाई घटक में अंशदान					
सिंचाई क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		894.54		863.69	
घटाएं:–					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		873.88	20.66	853.22	10.47
कुल			**167.99**		**97.40**

टिप्पणी : –30
चालू प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए				
		01 अप्रैल, 2023 तक	परिवर्धन	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार
I. कार्य		31.49	5.48	(1.06)	(30.43)	5.48
II. कर्मचारी संबंधी		293.71	44.33	(4.97)	(47.43)	285.64
III. अन्य		27.89	30.48	(4.96)	(33.73)	19.68
कुल		**353.09**	**80.29**	**(10.99)**	**(111.59)**	**310.80**
पिछली अवधि के आंकड़े		**348.64**	**171.91**	**(81.34)**	**(86.12)**	**353.09**

30.1 कर्मचारी हितलाभ पर भारतीय लेखांकन मानक–19 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण टिप्पणी संख्या 43.23 में किया गया है।

30.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय और कार्यों के लिए प्रावधान शामिल है।

टिप्पणी : – 31
चालू कर देयताएं (निवल)

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
आयकर					
प्रारंभिक जमा			9.82		0.00
अवधि के दौरान परिवर्धन			224.52		112.38
अवधि के दौरान समायोजन			0.00		(2.82)
अवधि के दौरान उपयोग			(234.34)		(99.74)
अंत शेष			**0.00**		**9.82**

टिप्पणी : – 32
विनियामक आस्थगित खाता क्रेडिट शेष

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2023 तक की स्थिति के अनुसार	
प्रारंभिक जमा			497.46		515.20
अवधि के दौरान निवल संचलन			182.91		(17.74)
अंत शेष			**680.37**		**497.46**

टिप्पणी : – 32.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
व्यय					
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**35**				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		183.53		163.89	
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		15.59		13.12	
पेंशन निधि		10.45		12.20	
उपदान		8.61		2.55	
कल्याण		10.95		5.99	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		0.33	229.46	0.34	198.09
अन्य व्यय	**36**				
किराया					
कार्यालय का किराया		1.32		1.06	
कर्मचारी आवास का किराया		0.26	1.58	0.48	1.54
दर और कर			0.63		0.77
जल उपयोग शुल्क			0.00		0.00
बिजली और ईंधन			15.28		11.03
बीमा			0.21		0.17
संचार			1.47		1.62
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		0.00		0.00	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		0.00		0.00	
भवन		2.99		0.65	
अन्य		10.20	13.19	8.45	9.10

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
यात्रा एवं परिवहन			3.37		3.76
वाहन किराये पर लेना और चलाना			11.84		9.69
सुरक्षा			11.68		10.98
प्रचार एवं जनसंपर्क			0.33		0.12
अन्य सामान्य व्यय			46.65		33.46
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.09		0.14
खदान संचालन लागत			172.47		19.27
सर्वेक्षण और जांच व्यय			0.50		0.61
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			0.86		0.68
अन्य ब्याज			32.26		75.72
मूल्यह्रास	2		44.02		33.07
कुल व्यय (क)			**585.89**		**409.82**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**34**				
ब्याज					
बैंक जमा से		0.24		0.00	
कर्मचारियों से		0.58		0.64	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		0.33		0.34	
अन्य से		0.11	1.26	0.21	1.19
मशीन किराया शुल्क			0.08		0.04
किराया प्राप्तियां			1.39		1.29
विविध प्राप्तियां			5.50		4.09
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.00		0.03
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			20.77		65.83
कुल प्राप्तियां (ख)			**29.00**		**72.47**
कर–पूर्व निवल व्यय			556.89		337.35
कराधान के लिए प्रावधान	38				
कराधान सहित निवल व्यय			556.89		337.35
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	40		(1.24)		0.12
पिछले वर्ष से अग्रेणीत शेष			41.45		20.28
कुल ईडीसी			**599.58**		**357.51**
घटाएं:–					
सीडब्ल्यूआईपी / परिसंपत्ति को आवंटित ईडीसी		576.58		307.74	
स्वीकृति प्राप्त परियोजनाओं की ईडीसी लाभ एवं हानि खाते में जमा की जाएगी		11.91	588.49	8.33	316.07
सीडब्ल्यूआईपी में अग्रेणीत शेष			**11.09**		**41.44**

टिप्पणी : – 33

प्रचालन से राजस्व

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
बिजली की बिक्री के सापेक्ष लाभार्थियों से आय		1,919.42		1,937.67	
जोड़ें:					
मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम		7.59		7.60	
घटाएं:					
ग्राहकों को छूट		7.11	1,919.90	8.98	1,936.29
विचलन निपटान/ रुकावट प्रभार			20.88		29.03
परामर्श आय			26.46		8.98
कुल			**1,967.24**		**1,974.30**

33.1 माननीय सीईआरसी ने 2019–24 की अवधि के लिए टिहरी एचपीपी की टैरिफ याचिकाओं का निपटारा कर दिया है और अपने आदेश दिनांक 13.05.2022 के तहत टैरिफ को मंजूरी दी । माननीय सीईआरसी ने 03.10.2022 के अपने आदेश के तहत 2019–24 की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी की टैरिफ याचिका का भी निपटारा कर दिया है । चालू वित्त वर्ष 2023–24 के लिए टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए राजस्व को क्रमशः 13.05.2022 और 03.10.2022 के उपरोक्त आदेशों के आधार पर मान्यता दी गई है।

33.2 माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 21.12.2022 के आदेश के अनुसार, टीएचडीसीआईएल को टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए अगस्त 2022 और उसके बाद से जल उपभोग शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन संख्या 56 के अनुसार, उपरोक्त भुगतान की गई राशि लाभार्थियों/डिस्कॉम से वसूल की जा सकती है। तदनुसार, टिहरी एचपीपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए क्रमशः ₹74.12 करोड़ और ₹51.87 करोड़ की राशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रचालन से राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है।

33.3 परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के 12 वर्ष पूरे हो जाने के कारण , पूर्व में स्वीकृत एवं आस्थगित आय के रूप में मानी गई एएडी को अब परियोजना के शेष उपयोगी जीवन अर्थात 28 वर्ष के अनुपात में आय के रूप में मान्यता दी गई है।

33.4 लाभार्थियों से आय में चालू वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा (बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की बिक्री) ₹50.45 करोड़ और प्रोत्साहन राशि ₹8.02 करोड़ तथा पिछले वर्ष के लिए द्वितीयक ऊर्जा ₹57.93 करोड़ और प्रोत्साहन राशि ₹28.49 करोड़ शामिल है।

टिप्पणी : – 34

अन्य आय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा पर (₹72885.00, पिछली अवधि ₹498279.00 का टीडीएस सहित)		1.58		1.14	
कर्मचारियों से		1.73		1.87	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के आधार पर समायोजन		3.41		5.32	
अन्य		0.16	6.88	0.26	8.59
मशीन किराया शुल्क			0.08		0.04
किराया प्राप्तियां			3.29		2.75
विविध प्राप्तियां			28.43		6.96
प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान			0.01		1.17
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			0.15		0.03
विलंबित भुगतान अधिभार			15.48		17.70
उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि			20.73		65.80
कुल			**75.05**		**103.04**
घटाएं:					
गैर–टैरिफ आय लाभार्थियों के साथ साझा की गई			0.68		0.82
ईडीसी में अंतरित	32.1		29.00		72.47
कुल			**45.37**		**29.75**

टिप्पणी : –35
कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ		452.40	418.57
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		44.88	40.19
पेंशन निधि		28.23	32.59
उपदान		16.73	16.35
कल्याण व्यय		27.12	22.57
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		3.41	5.32
कुल		**572.77**	**535.59**
घटाएं:			
ईडीसी में अंतरित	32.1	229.46	198.09
कुल		**343.31**	**337.50**

टिप्पणी : –36
वित्त लागत

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए
वित्त लागत			
बांड पर ब्याज		532.08	424.32
घरेलू ऋण पर ब्याज		426.21	171.10
विदेशी ऋण पर ब्याज		101.66	50.27
नकदी ऋण पर ब्याज		54.69	52.54
एफईआरवी		23.66	107.47
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान		0.21	0.00
अन्य ब्याज		33.17	76.82
कुल		**1,171.68**	**882.52**
घटाएं:–			
अंतरित और सीडब्ल्यूआईपी खाते में पूंजीकृत		980.78	625.43
ईडीसी में अंतरित अन्य ब्याज		32.25	75.72
कुल		**158.65**	**181.37**

टिप्पणी : – 37

उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
किराया					
कार्यालय का किराया		1.43		1.35	
कर्मचारियों के आवास का किराया		0.68	2.11	0.91	2.26
दर और कर			3.42		2.80
जल उपयोग शुल्क			126.37		82.41
बिजली और ईंधन			28.36		23.93
बीमा			41.95		31.42
संचार			5.94		6.11
मरम्मत और रखरखाव					
संयंत्र और मशीनरी		71.42		66.88	
स्टोर एवं स्पेयर पार्ट्स की खपत		5.47		8.56	
भवन		31.44		24.49	
अन्य		57.35	165.68	37.68	137.61
यात्रा एवं परिवहन			8.30		7.89
वाहन किराये पर लेना और चलाना			25.71		20.12
सुरक्षा			75.95		70.00
प्रचार एवं जनसंपर्क			4.43		3.85
अन्य सामान्य व्यय			168.70		76.94
लेखा परीक्षकों को भुगतान			0.41		0.37
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			0.48		1.23
खदान संचालन लागत			172.47		19.27
सर्वेक्षण और जांच व्यय			15.55		9.30
अनुसंधान एवं विकास			3.73		2.70
परामर्श परियोजना/संविदा पर व्यय			8.31		9.86
प्रारंभिक व्यय बट्टे खाते में डाले गए			1.04		0.00
सीएसआर और एसडी गतिविधियों पर व्यय			34.27		23.09
कुल			**893.18**		**531.16**
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		280.16		102.94
कुल			**613.02**		**428.22**

37.1 सीएसआर के संबंध में विस्तृत जानकारी टिप्पणी संख्या 43.20 के तहत प्रकट की गई है।

37.2 विवाद से विश्वास " और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के माध्यम से निपटाए गए मामलों के संबंध में भुगतान किए गए/देय ब्याज के रूप में ₹63.10 करोड़ शामिल हैं, जिसके सापेक्ष नियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष बनाया गया है।

टिप्पणी : – 38

प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और ऋण एवं अग्रिम के लिए प्रावधान			0.00		0.00
स्टोर और स्पेयर्स के लिए प्रावधान			0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**
घटाएं:–					
ईडीसी में अंतरित	32.1		0.00		0.00
कुल			**0.00**		**0.00**

38.1 स्टोर का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।

टिप्पणी : — 39
कराधान के लिए प्रावधान

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			103.62		136.55
उप योग			103.62		136.55
कुल			**103.62**		**136.55**

टिप्पणी : —40
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन			(100.61)		52.47
विनियामक आस्थगन खाता शेष में निवल संचलन पर कर			17.58		(9.17)
कुल			**(83.03)**		**43.30**

टिप्पणी : — 41
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि ₹ करोड़ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(8.46)		(1.75)
उप योग			**(8.46)**		**(1.75)**
घटाएं:—					
ईडीसी में अंतरित	32.1		(1.24)		0.12
कुल			**(7.22)**		**(1.87)**

42.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटीकरण

इंडएएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

(i) उधार जोखिम (क्रेडिट रिस्क)

उधार जोखिम, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालम गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), ओर तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

(ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्यिक दायित्वों को पूरा कर सके।

(iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज पर जोखिम
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियों जमा और निवेश शामिल होते है।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीर्ईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क से वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी ने किसी अशोध्य ऋण मामले या आशयित प्रावधान के प्रावधान करते समय ईसीएल (अपेक्षित क्रेडिट हानि) का उपयोग किया है।
3. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
4. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।
5. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुमय पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्रापतियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।
6. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।
7. रिपोर्ट की जाने की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी, साख–पत्र और टीपीए धारण किए रहने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

42.2 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वित्त वर्ष 2021–22 (पूर्व में वित्तीय वर्ष 2018–19 में किया गया था) में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण विलेख है और एफपीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल माडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण

या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता होने लगती है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर अतिरिक्त ईसीएल प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

42.3 परिसंपत्तियों की क्षति

जैसा कि इंड एएस 36 के तहत अपेक्षित है, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान टिहरी चरण–1 (1000 मेगावाट) और कोटेश्वर एचईपी (400 मेगावाट) के लिए परिसंपत्तियों की क्षति का मूल्यांकन किया है जिनके लिए सीओडी क्रमशः 09.07.2007 और 01.04.2012 है। इस प्रकार के मूल्यांकन के आधार पर, परिसंपत्तियों की कोई क्षति नहीं हुई थी क्योंकि दोनों परियोजनाओं के लिए "उपयोग में मूल्य" नियत परिसंपत्तियों की "वहन राशि" से अधिक है। इसके अलावा, प्रबंधन की राय में भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की किसी महत्वपूर्ण हानि का कोई संकेत नहीं है।

43. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगें शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) ₹2886.71 करोड़ (पिछला वर्ष ₹4458.24 करोड़) है।

2. आकस्मिक देयताएं

कंपनी के सापेक्ष दावे, जिन्हें ऋणों के रूप में नहीं माना गया है:

(i) पूंजीगत कार्य

उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना तथा विभिन्न पूंजीगत कार्यों जैसे बांध, स्पिलवे, पावर हाउस आदि के निर्माण के लिए कुछ संविदाकारों ने दर और मात्रा विचलन, समय के विस्तार से संबंधित लागत और कार्य के रुकने/साइट को सौंपने में देरी आदि के कारण निष्क्रियता प्रभार के लिए कंपनी के सापेक्ष कुल ₹2744.71 करोड़ (पिछला वर्ष ₹4385.41 करोड़) का दावा किया है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित संविदाओं के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है।

कंपनी इन दावों के निपटान के लिए संविदाओं में उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र के तहत विभिन्न विकल्पों का अनुसरण कर रही है। समाधान के लिए लंबित ऐसे दावों के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह, यदि कोई हो, का यथार्थवादी अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है।

(ii) भूमि मुआवजा संबंधी मामले

परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि के संबंध में, पूर्ववर्ती भू–स्वामियों ने विभिन्न प्राधिकरणों/न्यायालयों के समक्ष ₹35.81 करोड़ (पिछला वर्ष ₹71.38 करोड़) की उच्च क्षतिपूर्ति आदि का दावा किया है, जिसका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है।

(iii) राज्य / केंद्रीय सरकार के विभाग / प्राधिकरण

जल कर, हरित उपकर, रॉयल्टी, श्रम उपकर, गृह कर आदि के संबंध में कुल ₹1338.60 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष में ₹1314.93 करोड़) के दावे विभिन्न राज्य/केन्द्र सरकार के विभागों/प्राधिकरणों आदि द्वारा विभिन्न प्राधिकरणों/मंचों के समक्ष दर्ज कराए गए हैं तथा निपटान हेतु लंबित हैं।

उपरोक्त (i) से (iii) के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति

उपरोक्त (i) एवं (ii) में शामिल दावों के संबंध में, दावों के निपटान पर कंपनी द्वारा किए गए भुगतान, यदि कोई हों, सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के प्रयोजन के लिए पूंजीगत लागत में शामिल किए जाने के लिए पात्र होंगे, जो सीईआरसी द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अध्यधीन होंगे। बिंदु (iii) के मामले में, विनियमों के अनुसार वसूली के माध्यम से अनुमानित संभावित प्रतिपूर्ति ₹1,096.07 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,059.78 करोड़) है।

(iv) विवादित कर संबंधी मामले

विभिन्न मंचों के समक्ष ₹2.15 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.15 करोड़) मूल्य के विवादित आयकर, बिक्री कर, सेवा कर मामले लंबित हैं। इन मामलों की कार्यवाही अभी भी निपटान हेतु प्रगति पर है।

(v) अन्य

अन्य विविध मामलों के संबंध में ₹5.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.33 करोड़) के दावे विभिन्न मंचों के समक्ष लंबित हैं।

उपर्युक्त का विवरण निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

क्र. सं.	विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
क	पूंजीगत कार्य	2744.71	4385.41
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	35.81	71.38
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	1338.60	1314.93
घ	विवादित कर संबंधी मामले	2.15	2.15
ड.	अन्य	5.84	8.33
च	**कुल योग**	**4127.11**	**5782.2**
छ	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर आदि मामलों के संबंध में कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	1471.48	462.35

आकस्मिक परिसंपत्तियां:

सीईआरसी टैरिफ विनियमन में बिल प्रस्तुत करने की तिथि से निर्दिष्ट दिनों से अधिक समय तक लाभार्थियों द्वारा भुगतान में देरी के मामले में उत्पादन कंपनियों द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार लगाने का प्रावधान है। हालांकि, कंपनी द्वारा अनुमानित आंशिक बिलों के सापेक्ष कुछ लाभार्थियों से उक्त अधिभार के अंतिम संग्रह में महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं को देखते हुए, ₹2.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.70

करोड़) की राशि को मान्यता नहीं दी गई है।

3. ईएमडी/ एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों / वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफ डी आर/ सी डी आर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने ₹4.38 करोड़ तथा ₹5.56 करोड़ (पिछला वर्ष ₹2.09 करोड़ एवं ₹3.92 करोड़) की एफडीआर/ सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 23 एवं 28 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार संविदाकारों से ₹907.15 करोड़ (पिछला वर्ष ₹696. 65 करोड़) की राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए ₹1.49 करोड़ (पिछला वर्ष ₹0.83 करोड़) के समायोजन के बाद वर्ष के दौरान पंजीकृत और ईडीसी को अंतरित उधारी लागत की राशि टिप्पणी 36 के अनुसार क्रमशः ₹980. 78 करोड़ और ₹32.25 करोड़ (पिछला वर्ष ₹625.43 करोड़ और ₹75. 72 करोड़) है। इसके अतिरिक्त इंडएएस 21 के प्रावधानों के अनुसार, अस्थगित लेखा शेष क्रेडिट शेष के रूप में ₹19.20 करोड़ (पिछले वर्ष ₹78.52 करोड़) को मान्य किया गया है।

5 (i) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं. 8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोडेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

इसके अलावा, 44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।

(ii) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं।

अचल परिसंपत्तियों, जो कंपनी के नाम पर धारित नहीं है, के स्वामित्व विलेखों का विवरण निम्नानुसार है:

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी /वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3. 974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0 .01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	336.59	261.88	निजी	नहीं	06.07.2023	शीर्षक विलेख का हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	53.50	0.78	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48		सरकारी /वन विभाग	नहीं	कंपनी के गठन से शुरुआत	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.068	1.21	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	वर्ष 2012 में अधिग्रहित	5.974 हेक्टेयर की कुल भूमि में से, 3.974 हेक्टेयर के स्वामित्व विलेख पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका है और शेष 2.068 हेक्टेयर भूमि के लिए प्रक्रियाधीन है।
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.28	0.50	सरकारी भूमि	नहीं	31.10.2006	यह भूमि टीएचडीसीआईएल के नाम पर नहीं है , इसे 31.10.2006 को निदेशक पुनर्वास द्वारा तदर्थ आधार पर टीएचडीसीआईएल को सौंप दिया गया था ।
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	34.648	0.01	सरकारी /वन विभाग	नहीं	जुलाई 1988	संपत्ति हस्तांतरण के रूप में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से स्थानांतरण
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	जलमग्न भूमि	411.78	38.63	विभिन्न ग्रामीणों के नाम पर निजी भूमि	नहीं	1976 से 2006 के बीच में अधिग्रहित	निगम के नाम स्वामित्व विलेख के हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी चल रही है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	44.429	(*)	सरकार /वन विभाग	नहीं	1989 में अधिग्रहित	पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर होना बाकी है
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	485.96	309.49	उत्तर प्रदेश सरकार/ यूपीएसआईडीसी	नहीं	14.12.2013	प्रक्रियाधीन
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	178.13	48.85	सरकारी भूमि	नहीं	13.09.2021	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

तुलनपत्र में प्रासंगिक संबंधित मद	परिसंपत्ति की मद का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	जिसके नाम पर शीर्षक विलेख है	क्या स्वामित्व विलेख धारक एक प्रमोटर, निदेशक या रिश्तेदार है	आज तक धारित परिसंपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	6.88	0.96	सरकारी भूमि	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	11.54	9.77	निजी	नहीं	20.12.2021	अहस्तांतरणीय
संपत्ति, संयंत्र उपकरण	उपयोग का अधिकार – परिसंपत्ति	91	8.64	सरकारी भूमि	नहीं	01.04.2022	अहस्तांतरणीय सीबीए भूमि

(*) वित्त वर्ष 2020–21 में किया गया ₹49.03 करोड़ का प्रावधान वित्त वर्ष 2021–22 में प्रतिवर्तित कर दिया गया।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 12 फ्लैट (पिछला वर्ष 16 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य ₹0.02 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.04 करोड़) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौतियाल गांव में स्थित ₹0.001 करोड़ की लागत की 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7.(i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और संविदाकार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परियोजना के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेसर्स एचपीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 257.93 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 448 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने दिसम्बर, 2024 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल संविदाकार मैसर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। संविदाकार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) अमेलिया कोयला खदान ने दिनांक 18.02.2023 को कोयला भंडार निकालना शुरू कर दिया है। कोयला खदान की वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि (सीओडी) सीईआरसी विनियमन में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने के बाद घोषित की जाएगी। समझौते के अनुसार, खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ), मेसर्स अमेलिया कोल माइन लिमिटेड भूमि सुधार, संरचना के विघटन और खदान बंद करने (प्रगतिशील और अंतिम) गतिविधियों पर होने वाले व्यय के प्रति दायित्वों की पूर्ति के लिए जिम्मेदार है, जो अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार आवश्यक है। तदनुसार, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार एमडीओ द्वारा एस्क्रो खाते में प्रति वर्ष ₹4.14 करोड़ की राशि की योजना बनाई गई है।

(iv) वर्ष के दौरान निपटाए गए "विवाद से विश्वास" योजना और "स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति" योजना के तहत ₹113.70 करोड़ की मूल राशि और ₹63.10 करोड़ के ब्याज सहित ₹176.80 करोड़ के दावों का निपटान "संपत्ति, संयंत्र और उपकरण" के तहत ₹113.70 करोड़ की मूल राशि और "उत्पादन प्रशासन एवं अन्य व्यय" के तहत ₹63.10 करोड़ की ब्याज राशि को पूंजीकृत करके किया गया है। इसके अलावा, ₹63.10 करोड़ की ब्याज राशि के लिए, विनियामक आस्थगित खाता डेबिट शेष का सृजन किया गया है।

8. (i) दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी की एजेइंग समय–सारणी निम्नानुसार है:

परियोजना	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	5,242.87	4,541.36	2,982.28	6,228.94	18,995.45
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
परियोजना प्रगति पर है	4,634.09	3,161.53	1,421.38	4,820.51	14,037.51
परियोजना अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	–

(ii) दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार अपनी मूल लागत और पूर्णता अनुसूची से अधिक हो चुकी परियोजनाओं के लिए पूर्णता कार्यक्रम निम्नानुसार है :

परियोजना	निम्न अवधि में पूरा किया जाना है				कुल (₹ करोड़ में)
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	569.00	–	–	–	569.00
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	1279.44	800.00	476.51	–	2555.95
31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार					
पीएसपी (1000 मेगावाट)	850.00	298.86	–	–	1148.86
वीपीएचईपी (444 मेगावाट)	560.00	470.00	316.05	–	1346.05

9. दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार प्राप्य एजेइंग समय–सारणी

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझा गया	374.89	141.28	100.89	118.83	10.61	0.43	0.91	1.95	374.89
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	75.79*	–	7.16	52.40	–	0.28	–	15.95	75.79
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**450.68**	**141.28**	**108.05**	**171.23**	**10.61**	**0.71**	**0.91**	**17.90**	**450.68**

*कुल ₹90.90 करोड़ के विवादित देनदारों के विरुद्ध ₹15.11 करोड़ की प्राप्ति के बाद।

दिनांक 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

विवरण	कुल बकाया (ख)	अनबिल्ड (ग)	बिल किया गया किंतु बकाया नहीं (45 दिनों तक) (घ)	बिल और देय (ङ)					कुल (च)= (ग+घ +ङ)
				6 माह से कम	6 माह– 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य – शोध्य समझा गया	634.46	234.46	247.73	36.48	41.49	72.32	0.03	1.95	634.46
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– शोध्य समझा गया	61.46	–	–	45.51	–	–	–	15.95	61.46
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य – क्षतिग्रस्त क्रेडिट	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**695.92**	**234.46**	**247.73**	**81.99**	**41.49**	**72.32**	**0.03**	**17.90**	**695.92**

10. दिनांक 31.03.2024 और 31.03.2023 के अनुसार व्यापार देय एजिंग शेड्यूल

31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	1.51	–	–	–	1.51
(ii) अन्य	51.28	0.50	0.13	0.51	52.42
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण	भुगतान की देय तिथि (लेन–देन की तिथि) से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) एमएसएमई	2.38	–	–	–	2.38
(ii) अन्य	40.18	1.11	0.86	0.51	42.66
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई	–	–	–	–	–
(iv) विवादित बकाया – अन्य	–	–	–	–	–

11. स्ट्रक–ऑफ कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरणः

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम (पैन)	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	बकाया शेष ₹ करोड़ में		स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का प्रकटीकरण
		31.03.2024	31.03.2023	
अनंतश्री इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड (AAPCA3824J)	देय	0.02	0.02	व्यापार देय
नवेली डेकोर प्राइवेट लिमिटेड (AAFCN8799K)	देय	–	–	व्यापार देय

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के प्रावधान के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

13. चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति पर उधार के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष 2023–24	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण			अंतर की मात्रा	भौतिक विसंगतियों का कारण
		प्रतिभूतियों का विवरण	लेखा बहियों के अनुसार राशि	त्रैमासिक / विवरण में रिपोर्ट की गई राशि		
1	2	3	4	5	6	7
जून–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	163.52	163.52	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	11.27	11.27	–	शून्य
सितम्बर–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	178.23	178.23	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	4.37	0.00	4.37	यह अंतर पवन परियोजनाओं के जीबीआई के कारण है, जिन्हें बाद के चरण में लेखांकित किया गया है।
दिसंबर–23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	143.77	143.77	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	5.12	5.12	–	शून्य
मार्च–24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	कोटेश्वर परियोजना की व्यापार प्राप्तियां	131.52	131.52	–	शून्य
	एचडीएफसी	पाटन और द्वारका पवन परियोजना, ढुकवां एसएचपी और कासरगोड सौर परियोजना के व्यापार प्राप्तियां	2.51	2.51	–	शून्य

14. इंडएएस 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण ''सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण''

(क) सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) धारक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) सहायक कंपनी : टुस्को लिमिटेड

: ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड (25.03.2023 को गठित)

: टीएचडीसीआईएल – यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड (01.12.2023 को गठित)

(iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
क.	**पूर्णकालिक निदेशक**		
1	श्री. आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक *	जारी
2	श्री जे.बेहरा	निदेशक (वित्त)	29.02.2024 तक
3	श्री शैलेंद्र सिंह	निदेशक (कार्मिक)	06.06.2023 से
4	श्री भूपेंद्र गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	09.06.2023 से
ख.	**नामित निदेशक**		
1	श्री यू.के.भट्टाचार्य	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.11.2023 तक
2	श्री जयकुमार श्रीनिवासन	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
3	श्री जितेश जॉन	गैर – कार्यकारी निदेशक	30.11.2023 तक
4	श्री अनिल गर्ग	गैर – कार्यकारी निदेशक	जारी
5	श्री अजय तिवारी	गैर – कार्यकारी निदेशक	20.02.2024 से
ग.	**स्वतंत्र निदेशक**		
1	श्रीमती सजल झा	स्वतंत्र निदेशक	जारी
2	डॉ बजलकारिया जयप्रकाश नाईक	स्वतंत्र निदेशक	जारी
3	श्री केसरीदेवसिंह दिग्विजयसिंह झाला	स्वतंत्र निदेशक	11.07.2023 तक
घ.	**मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव**		
1	श्री जे. बेहेरा	मुख्य वित्तीय अधिकारी	29.02.2024 तक
2	श्रीमती रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	जारी
3	श्री अजय कुमार गर्ग	मुख्य वित्तीय अधिकारी	31.03.2024 से
सहायक कंपनी – टुस्को लिमिटेड			
1	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	जारी
2	श्री जे. बेहेरा	नामित निदेशक	29.02.2024 तक
3	श्री अनुपम शुक्ल	नामित निदेशक	जारी
4	श्री अतुल जैन	नामित निदेशक	31.12.2023 तक
5	श्री मनोज सरदाना	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15.04.2023 से
6	श्री मृदुल दुबे	मुख्य वित्तीय अधिकारी	जारी
7	श्री हिमांशु बाजपेयी	कंपनी सचिव	जारी
सहायक कंपनी – ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड			
1	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	25.03.2023 से
2	श्री ललित वर्मा	नामित निदेशक	25.03.2023 से 20.03.2024 तक
3	श्री दिनेश कुमार शर्मा	नामित निदेशक	25.03.2023 से 27.04.2023 तक, 21.03.2024 से
4	श्री कुमार शरद	नामित निदेशक	25.03.2023 से
5	श्री अतुल जैन	नामित निदेशक	25.03.2023 से 31.12.2023 तक
6	श्री नीरज वर्मा	नामित निदेशक	23.01.2024 से
7	श्री देवकीनंदन शर्मा	नामित निदेशक	21.03.2024 से
8	श्री एच. आर. शाह	नामित निदेशक	28.04.2023 से 20.03.2024 तक
सहायक कंपनी–टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड			
1	श्री आर. के. विश्नोई	अध्यक्ष	01.12.2023 से
2	श्री ए. बी. गोयल	नामित निदेशक	01.12.2023 से 29.02.2024 तक
3	श्री भूपेन्द्र गुप्ता	नामित निदेशक	01.12.2023 से
4	श्री लक्ष्मी प्रसाद जोशी	नामित निदेशक	01.12.2023 से

क्रमांक	नाम	धारित पद	अवधि
5	श्री संदीप सिंघल	नामित निदेशक	01.12.2023 से
6	श्री सुरेश चन्द्र बलूनी	नामित निदेशक	01.12.2023 से
7	श्री संदीप कुमार	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	14.12.2023 से
8	श्री ए. पी. बाजपेयी	मुख्य वित्तीय अधिकारी	14.12.2023 से
9	सुश्री साक्षी नेगी	कंपनी सचिव	14.12.2023 से

(*) 01.03.2024 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं।

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थल
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआइएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा–टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को शुरु करने के लिए सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अंतर्गत किया गया है।

संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों के छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को ₹34.08 करोड़ वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंडएएस–24 के पैराग्राफ 24 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

(₹ करोड में)

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(ख) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(i) संबंधित पक्षकार (सेवोपरांत लाभ योजनाएं) के साथ संव्यवहार (किया गया अंशदान) निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

संबंधित पक्षकार के साथ संव्यवहार	2023–24	2022–23
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	30.89	46.28
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी निश्चित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन न्यास	33.56	40.26
टीएचडीसीआईएल सेवोपरांत चिकित्सा लाभ एवं न्यास	9.77	5.98

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्तिः स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय ₹5.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2.67 करोड़) है।

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	4.64	2.30
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	0.40	0.37
3	सेवांत लाभ	––	––
4	शेयर आधारित भुगतान	––	––
	कुलयोग	**5.04**	**2.67**

(iii) उसी सरकार के नियंत्रणाधीन संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ ₹ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा / संव्यवहार की प्रकृति	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बिजली की बिक्री और अन्य प्रभार	767.64	801.06
बीएचईएल	सेवा संविदा के साथ उपकरणों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद	701.63	559.77
एनटीपीसी लिमिटेड	लाभांश	351.20	408.20
एनटीपीसी लिमिटेड	कोयले की बिक्री	368.86	–
एनटीपीसी लिमिटेड	परामर्श सेवा	14.72	20.45
एनटीपीसी लिमिटेड	प्रचार व्यय	0.39	–
सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	आईएसटीएस और अन्य प्रभार	49.86	112.64
पीजीसीआईएल	एचटी लाइनों का स्थानांतरण, परामर्श शुल्क, विद्युत लाइन डायवर्जन	28.97	72.17
उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	निर्माण कार्य	50.16	62.76
उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जल और बिजली शुल्क	24.24	–
उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	जनशक्ति आपूर्ति सेवाएँ	13.86	–
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	7.36	7.73
उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	सुरक्षा सेवाएं	7.32	4.46
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	बिजली प्रभार	0.32	0.49
उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	एसएलडीसी प्रभार	0.07	0.01
आरआईटीईएस	परामर्श सेवा	14.46	23.81
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	4.22	10.49
यूटिलिटी पावरटेक लिमिटेड, एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति आपूर्ति	13.12	3.97
आईओसीएल	ईंधन की खरीद	2.46	2.74
बीपीसीएल	ईंधन की खरीद	0.27	0.91
सीएमपीडीआईएल	परामर्श	4.86	0.60
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सौर पार्क पंजीकरण शुल्क	0.20	0.00
एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सब्सक्रिप्शन शुल्क	0.02	0.02
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई)	परामर्श	0.00	0.11
अन्य संबंधित पक्षकार	विविध	9.28	5.54

(ग) सम्बंधित पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री / खरीद के लिए वसूलनीय / (संदेय) राशि**		
	–एनटीपीसी लिमिटेड (धारक कंपनी)	(31.74)	शून्य
	–सहायक कंपनियां	शून्य	शून्य
ख	**वसूलनीय राशि**		
	–मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0.19	0.29
	–सहायक कंपनी	9.21	2.07
	–अन्य	1.32	0.33
ग.	**संदेय राशि**		
	–रोजगारोपरांत हितलाभ योजनाएं	30.20	19.98
	–एनटीपीसी लिमिटेड (लाभांश)	201.14	शून्य

(घ) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें :–

क. सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

ख. कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

15. इंड एएस 110 – समेकित वित्तीय विवरण – के अनुसार प्रकटीकरण

वर्ष 2020–21 के दौरान, दिनांक 12.09.2020 को यूपीनेडा के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मैसर्स टुस्को लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें टीएचडीसी के पास 74% और यूपीनेडा के पास 26% के रूप में 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है।

वर्ष 2022–23 के दौरान, दिनांक 25.03.2023 को आरआरईसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड का गठन किया गया है, जिसमें इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में है, जिसमें 74% इक्विटी की धारक टीएचडीसी और 26% इक्विटी की धारक आरआरईसीएल की है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, दिनांक 01.12.2023 को यूजेवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड का निगमन किया गया है, जिसमें इक्विटी भागीदारी 74:26 के अनुपात में है, जिसमें 74% इक्विटी की धारक टीएचडीसी और 26% इक्विटी की धारक यूजेवीएनएल है।

इंड–एएस 110 और कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए, टीएचडीसी ने वर्ष के दौरान समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित तुलन पत्र; लाभ और हानि का समेकित विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण; इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण; और लेखाओं के संबंध में टिप्पणी शामिल हैं।

16. इंड एएस 112 'अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण' के अनुसार प्रकटीकरण

क) i) मैसर्स टुस्को लिमिटेड, टीएचडीसी की एक सहायक कंपनी है, जिसे यूपीनेडा के साथ 74:26 (कंपनी:यूपीएनईडीए) के इक्विटी अनुपात में प्रमोट किया गया है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसके मुख्य व्यवसाय का स्थान है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे
  जब तक यूपीनेडा के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

ii) टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी मेसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड को आरआरईसीएल के साथ निगमित किया गया है, जिसमें कंपनी और आरआरईसीएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे
  जब तक आरआरईसीएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

iii) मेसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड, जो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, को यूजेवीएनएल के साथ निगमित किया गया है, जिसमें कंपनी और यूजेवीएनएल के बीच 74:26 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। निगमन या पंजीकरण का देश ही इसका मुख्य व्यवसाय स्थान है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबंधों के ब्यौरे
  जब तक यूजेवीएनएल के साथ आपसी सहमति न बन जाए, टीएचडीसीआईएल ऐसी को कार्रवाई नहीं करेगा जिससे सहायक कंपनी में शेयरधारिता 51% से कम हो जाए।

ख) गैर–नियंत्रणीय हित (एनसीआई)

सहायक कंपनियों के लिए वित्तीय सूचना, जिसमें गैर–नियंत्रणीय हित शामिल है, का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है। मैसर्स टुस्को लिमिटेड, मैसर्स ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड और मैसर्स टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के लिए प्रकट की गई राशियां अंतर–कंपनी निर्मूलन से पहले है:

संक्षिप्त तुलनपत्र

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	टुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड*	टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड**
	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार	31.03.2024 की स्थिति के अनुसार
चालू परिसंपत्तियां	16.91	22.09	0.59	10.00
चालू देयताएं	19.09	10.70	6.42	2.52
निवल चालू परिसंपत्तियां / (देयताएं)	(2.18)	11.39	(5.83)	7.48
गैर–चालू परिसंपत्तियां	225.73	137.99	9.80	2.02
गैर–चालू देयताएं	185.67	112.22	0.00	0.00
निवल परिसंपत्तियां	37.88	37.16	3.98	9.50
संचयी एनसीआई	9.85	8.70	1.03	2.47

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	टुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड*	टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड**
	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2023–24
कुल आय	0.53	0.41	0.00	0.00
वर्ष के लिए लाभ / (हानि)	(0.58)	(0.25)	(1.02)	(0.50)
अन्य विस्तृत आय / (व्यय)	–	–	–	–
एनसीआई को आबंटित लाभ / (हानि)	(0.15)	(0.06)	(0.27)	(0.13)
एनसीआई को संदत्त लाभांश	–	–	–	–

निम्नलिखित को समाप्त अवधि के लिए नकदी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	टुस्को लिमिटेड		ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड*	टीएचडीसी यूजेवीएन एनर्जी कंपनी लिमिटेड**
	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2023–24
प्रचालन गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	35.20	45.16	5.02	1.88
निवेश गतिविधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	(71.89)	(77.56)	(9.44)	(1.88)
वित्तपोषण गतिवधियों से / (में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह	36.70	29.84	5.00	10.00
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)	0.01	(2.56)	0.58	10.00

*ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड 25.03.2023 को निगमित।

**टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड 01.12.2023 को निगमित।

ग. सहायक कंपनी में मूल कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन –

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्वामित्व हित		माइनोरिटी हित		कुल	
	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)	शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन सहित शेयर पूंजी	अन्य इक्विटी (शेयर अनुप्रयोग राशि के लंबित आबंटन को छोड़कर)
1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार	29.60	(1.14)	9.10	(0.40)	38.70	(1.54)
अवधि के दौरान इक्विटी निवेश	11.10		5.20		16.30	
अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में शेयर		(1.55)		(0.55)		(2.10)
स्वामित्व हित में परिवर्तन का प्रभाव						
31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	40.70	(2.69)	14.30	(0.95)	55.00	(3.64)

17. इंडएएस 33 – 'प्रति शेयर आय (ईपीएस)' – के अनुसार प्रकटीकरण

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

विवरण	2023–24	2022–23
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (करोड़ ₹)	680.55	629.61
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (करोड़ ₹)	597.52	672.91
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक: 36658817	बेसिक: 36658817
	तनुकृत: 36658817	तनुकृत: 36658817
प्रति शेयर आय बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं।		
₹ बेसिक	185.65	171.75
₹ तनुकृत	185.65	171.75
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है		
₹ बेसिक	163.00	183.55
₹ तनुकृत	163.00	183.55
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ में	₹1000	₹ 1000

18. (क) आय कर व्यय

लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 के समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	86.04	145.72
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन		
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	17.58	(9.17)
कुल चालू का व्यय (ख)	**103.62**	**136.55**

(ख) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में ₹15.92 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष ₹17.61 करोड़) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

(राशि करोड़ ₹ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
	आस्थगित कर संपत्ति (क)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	657.92	687.02
(ii)	प्रारंभिक इंड एएस समायोजन	4.87	4.87
(iii)	ओसीआई में वर्गीकृत बीमांकिक लाभ/हानि	(4.56)	(2.04)
(iv)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	68.37	68.37
(v)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	48.56	48.56
(vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	56.64	41.52
(vii)	एमएटी क्रेडिट पात्रता	199.44	–
(viii)	भविष्य में कटौती योग्य के रूप में अनुमेय प्रारंभिक व्यय	0.42	0.04
(ix)	भविष्य में अनुमेय अनवशोषित हानियां	0.80	0.60
	उप योग – क	**1,032.46**	**848.94**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
(i)	बही मूल्यह्रास और कर मूल्यह्रास में अंतर	35.72	35.72
(ii)	कर गणना में आय के रूप में माना जाने वाले मूल्यह्रास के सापेक्ष अग्रिम	(4.72)	(4.72)
(iii)	संदिग्ध ऋणों और स्टोर के लिए प्रावधान	(0.01)	(0.01)
(iv)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	(1.24)	(1.24)
	उप योग – ख	**29.75**	**29.75**
	निवल आस्थगित कर (देयता)/परिसंपत्तियां (क–ख)	**1,002.71**	**819.19**

19. कंपनी का विभिन्न अवस्थितियों के संदर्भ में माल एवं सेवा कर प्रावधानों के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट है। उक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का जीएसटी पोर्टल पर दावा किया गया है, जिसे जीएसटी के लागू प्रावधानों के अध्यधीन भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसे लेखाबही में उपयोग के लिए उपलब्ध आईटीसी के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

20. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) दिनांक 22.01.2021 को अधिसूचित कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसरण में किसी जारी परियोजना के क्रम में किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर किसी अनुसूचित बैंक में अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया जाएगा, जो ऐसे अंतरण की तारीख से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर उपयोग की जाएगी। किसी जारी परियोजना के अलावा किसी अव्ययित सीएसआर राशि को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह की अवधि के भीतर अनूसची VII में निर्दिष्ट किसी कोष में अंतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि कंपनी सांविधि के तहत अपेक्षित से अधिक राशि व्यय करती है, तो अतिरिक्त राशि को अग्रेणीत किया जाएगा और अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ किया जाएगा।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर नकदी में व्यय की जाने वाली और व्यय की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
क	आरम्भिक शेष – अधिशेष राशि	0.45	0.97
ख	आरम्भिक शेष – अव्ययित राशि	0.98	––
ग	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के अनुसार व्यय की जाने वाली राशि	22.35	23.61
घ.	वर्ष के दौरान आरम्भिक अधिशेष राशि के सापेक्ष सेट–ऑफ के लिए विचारित राशि	0.20	0.52
ङ	वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा उपरोक्त (ग) में से व्यय किए जाने के लिए अनुमोदित राशि	22.15	23.09
च	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त बजट– आगामी वर्षों में समायोज्य	10.15	––
छ	बोर्ड द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त बजट– आगामी वर्षों में गैर–समायोज्य	1.97	––
ज	सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	0.00	––
झ	पूर्ववर्ती वर्ष के अधिक व्यय को सेट–ऑफ करने बाद व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि (ङ से ज)	34.27	23.09
ञ	(झ) के सापेक्ष वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	34.27	22.11
ट	(ख) में से वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई राशि	0.91	––
	वर्ष के दौरान नकदी में व्यय की गई कुल राशि (ञ+ट)	**35.18**	**22.11**
ठ	चालू वर्ष के बजट में से जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है (झ–ञ)	0.00	0.98
ड	आरम्भिक अव्ययित राशि (ख) में से जारी परियोजना के सापेक्ष अंत में अव्ययित शेष, जिसे भविष्य में व्यय किया जाना है	0.07	––
	जारी परियोजनाओं के सापेक्ष कुल अव्ययित राशि का अंत शेष	**0.07**	**0.98**
	भविष्य में सेट–ऑफ किए जाने के लिए अंतिम (अधिशेष) राशि (क+घ+च)	**10.40**	**(0.45)**

टिप्पणी:– अनुवर्ती वर्ष में उपलब्ध सेट–ऑफ को, भावी वर्षों में इसके समायोजन में शामिल अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए, विवेकपूर्ण मामले के रूप में किसी परिसंपत्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

01.04.2023 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2024 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
0.00	0.98	34.27	34.27	0.91	0.00	0.07	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

01.04.2022 की स्थिति के अनुसार अथशेष		वर्ष के दौरान व्यय किए जाने के लिए अपेक्षित राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अंतशेष		जारी परियोजनाओं का ब्यौरा
कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते से	कंपनी के पास	पृथक अव्ययित सीएसआर खाते में	
शून्य	शून्य	23.09	22.11	शून्य	0.98*	शून्य	सौर ऊर्जा, स्वच्छता, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका आदि के समर्थन के लिए विभिन्न परियोजनाएं

(*) दिनांक 26.04.2023 को पंजाब नेशनल बैंक के अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया गया

(घ) सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान किए गए व्यय का गतिविधि–वार विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
1.	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	5.89	2.88
2.	शिक्षा और आजीविका कार्यक्रम	12.50	10.34
3.	महिला सशक्तीकरण एवं वृद्धाश्रमों की स्थापना आदि	0.20	0.22
4.	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	1.39	0.62
5.	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	10.28	0.72
6.	सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों, युद्ध के दौरान विधवा हुई महिलाओं आदि के हितलाभ के लिए उपाय		––
7.	खेलकूद का संवर्धन	1.94	0.06
8.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष आदि	0.00	4.00
9.	अनुसूचित जाति का कल्याण		––
10.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1.96	2.38
11.	आपदाएं		––
12.	सीएसआर प्रशासनिक व्यय	1.02	0.89
	वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (1 से 12)	**35.18**	**22.11**
	कंपनी द्वारा व्यय की गई राशिः प्रत्यक्षतः	11.61	0.00
	कंपनी द्वारा व्यय की गई राशिः कंपनी द्वारा प्रायोजित लाभ–निरपेक्ष सोसायटी (सेवा–टीएचडीसी) के माध्यम से	23.57	22.11

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटीकरण:
कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर ₹5.97 करोड़ (पूंजी ₹2.24 करोड़ और राजस्व ₹3.73 करोड़) (पिछला वर्ष ₹2.70 करोड़) (राजस्व ₹2.70 करोड़) व्यय किए हैं।

21. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2023 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि करोड़ ₹ में)

		2023–24	2022–23
क.	किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i)	मूल धन	4.14	3.27
ii)	उस पर ब्याज	–	–
ख	एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	–	–
ग	देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद) परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	–	–

घ	प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	–	–
ड.	अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	–	–

22. एएस 116 – 'पट्टे' के अनुसार प्रकटीकरण

01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने एएस 116 'पट्टा', को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। इन्हें चालू वित्तीय वर्ष में अपनाया गया है।

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैव और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें पस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंडएएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की वहन राशियां हैं:

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
आरम्भिक शेष	132.93	85.68
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	26.08	49.27
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	12.42	11.04
–पट्टा देयताओं का भुगतान	14.87	13.05
–अंत शेष	**156.57**	**132.94**
–चालू	14.97	9.49
–गैर–चालू	141.60	123.45

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि करोड़ ₹ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
3 माह या कम	3.92	2.63
3–12 माह	11.75	9.83
1–2 वर्ष	19.25	13.88
2–5 वर्ष	46.31	29.42
5 वर्ष से अधिक	270.87	237.83
पट्टा देयताएं	**352.11**	**293.59**

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	20.06	18.50
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	13.20	11.04
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	2.11	2.26

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को	31 मार्च, 2023 को
पट्टों के लिए वाह्य नकदी प्रवाह	14.87	13.05
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकदी प्रवाह	2.11	2.26

23. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ संबंध में प्रकटीकरण इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास के भविष्य निधि को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्वों का वर्तमान मूल्य योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से ₹6.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10.25 करोड़) अधिक है तथा इसे बहियों में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकरणों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हक़दार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों / पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है और यह पूर्ण रूप से कार्यशील है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से यथाअभिनिश्चित दायित्व के वर्तमान मूल्य की तुलना में योजनागत परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य में कमी के भुगतान के प्रति कंपनी का दायित्व सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर, दायित्व का वर्तमान मूल्य योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से ₹11.61 करोड़ (विगत वर्ष ₹9.65 करोड़) अधिक है और इसे बही में दर्ज किया गया है।

(v) अन्य (असबाब / एलएसए / एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2024 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.03.2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)	आईएएलएम (2012–14)
छूट की दर	7.10%	7.40%	7.00%	6.75%	6.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौरा: मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देयताएं बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख़ को अनुमानित छूट दर से काम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	174.76	85.27	117.13	105.80	14.33
	{183.38}	{76.88}	{118.64}	{95.51}	{14.26}
ब्याज लागत	12.93	6.31	8.67	7.83	1.06
	{12.84}	{5.38}	{8.30}	{6.69}	{1.00}
विगत सेवा लागत					
वर्तमान सेवा लागत	3.62	19.86	6.55	3.10	2.36
	{3.29}	{18.00}	{4.51}	{2.64}	{1.20}
लाभ का भुगतान	(19.08)	(19.27)	(7.47)	(7.80)	(1.90)
	{(19.85)}	{(20.33)}	{(5.96)}	{(7.56)}	{(1.79)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.12	2.90	(9.43)	8.46	(1.17)
	{(4.90)}	{5.34}	{(8.36)}	{8.52}	{(0.35)}
वर्ष के अंत में पीवीओ	173.36	95.08	115.46	117.39	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{105.80}	{14.33}

सारणी –3

तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (सीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	173.36	95.08	115.46	117.39	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{105.80}	{14.33}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	105.78	लागू नहीं
उचित मूल्य				{96.15}	
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	105.78	शून्य
				{96.15}	
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	173.36	95.08	115.46	11.61	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{9.65}	{14.33}
अमान्य बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	173.36	95.08	115.46	11.61	14.68
	{174.76}	{85.27}	{117.13}	{9.65}	{14.33}

सारणी –4

लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(₹ करोड़ में)

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की राशि को दर्शाते हैं।)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस (पीआरएमबी)
वर्तमान सेवा लागत	3.62	19.86	6.55	3.10	2.36
	{3.29}	{18.00}	{4.51}	{2.64}	{1.20}
विगत सेवा लागत	–	–	–	–	0.00
					{0.00}
ब्याज लागत	12.93	6.31	8.67	–	1.06
	{12.84}	{5.38}	{8.30}	{0.00}	{1.00}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त	1.12	2.90	(9.43)	8.50	(1.17)
निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	{(4.90)}	{5.34}	{(8.36)}	{7.01}	{(0.35)}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी	16.55	29.07	5.79	3.10	3.42
में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	{16.13}	{28.72}	{4.46}	{2.64}	{2.20}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि करोड़ ₹ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)		पीआरएमबी		अन्य	
	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23	31.03.24	31.03.23
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(3.86)	(4.09)	(2.58)	(2.36)	(2.56)	(2.72)	(14.58)	(13.14)	(0.34)	(0.35)
0.50% की वृद्धि	4.08	4.30	2.75	2.52	2.68	2.86	15.65	14.10	0.35	0.37
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	0.76	0.81	2.76	2.53	2.68	2.87	NA	NA	NA	NA
0.50% की वृद्धि	(0.83)	(0.87)	(2.60)	(2.39)	(2.58)	(2.76)	NA	NA	NA	NA
चिकित्सा लागत / समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	15.94	14.36	0.13	0.15
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	(15.21)	(13.71)	(0.13)	(0.14)

अन्य प्रकटीकरण

(राशि करोड़ ₹ में)

उपदान	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	173.36	174.76	183.38	189.99	191.01
बीमांकिक (लाभ) / हानि	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74
बीमांकिक (लाभ) / हानि ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	1.12	(4.90)	(2.89)	(1.05)	8.74
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	16.55	16.13	16.77	17.97	19.68

(राशि करोड़ ₹ में)

अर्जित छुट्टी	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	95.08	85.27	76.88	66.18	56.07
बीमांकिक (लाभ) / हानि	2.90	5.34	8.15	6.26	11.60
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	29.07	28.72	26.28	23.42	27.71

(राशि करोड़ ₹ में)

अर्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	115.46	117.13	118.64	116.13	109.06
बीमांकिक (लाभ) / हानि	(9.43)	(8.36)	(3.21)	(0.88)	0.83
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	5.79	4.46	8.85	11.18	13.00

(राशि करोड़ ₹ में)

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	117.39	105.80	95.51	87.30	79.85
मान्यताप्राप्त बीमांकिक (लाभ / हानि)	8.50	7.01	3.29	1.34	2.76
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.10	2.64	2.61	2.95	3.07

(राशि करोड़ ₹ में)

अन्य असबाब भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	14.68	14.33	14.26	14.29	12.63
बीमांकिक (लाभ / हानि)	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त					
बीमांकिक (लाभ / हानि)	(1.17)	(0.35)	0.22	(0.20)	0.43
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि / ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	3.42	2.20	2.09	3.19	2.14

24. (क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार / अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 संशोधित बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि / समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि / समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंध वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

(ख) प्रबंधन की राय में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

25. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी सहित)

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2023–24	2022–23
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	0.21	0.17
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	0.03	0.03
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	–	–
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	–	–
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	0.12	0.12
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.05

लेखापरीक्षकों को भुगतान में पूर्ववर्ती वर्षों के संबंध में ₹ शून्य (पिछले वर्ष से संबंधित ₹ शून्य) शामिल हैं।

26. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024	31.03.2023
नकदी तथा नकदी समतुल्य	12	106.21	93.66
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	26	777.04	948.33
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		(670.83)	(854.67)

मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटीकरण का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(करोड़ ₹ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2023–24	अथशेष	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
निर्गत शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3665.88	–	3665.88	–	
गैर–चालू उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	10289.09	–	14608.21	4319.12	**वृद्धि–** बांड–₹1542.00 करोड़, सावधि ऋण (बीओबी) ₹1925.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹600.00 करोड़, सावधि ऋण (आरईसी) ₹29.41 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹461.50 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (बीओबी) – ₹125.00 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹75.00 करोड़, विश्व बैंक ₹38.79 करोड़
उधारियां– चालू	386.14	–	1320.45	945.42	**वृद्धि–** अल्पावधि ऋण (पीएनबी) ₹500.00 करोड़, अल्पावधि ऋण (बीओबी) 500.00 ₹करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹100.00 करोड़, विश्व बैंक (निवल) ₹30.14 करोड़, **चुकौती** – सावधि ऋण (पीएफसी) – ₹45.14 करोड़, सावधि ऋण (पीएनबी) ₹139.58 करोड़
पट्टा देयताएं	–	(14.87)	–	(14.87)	पट्टा देयता का भुगतान
ब्याज एवं वित्त प्रभार	–	(1109.14)	–	(1109.14)	ब्याज एवं वित्त प्रभारों का भुगतान
अनुदान	–	23.80	–	23.80	
गैर–नियंत्रित हित से पूंजी अंशदान	–	4.65	–	4.65	
संदत्त लाभांश	–	(171.44)	–	(171.44)	लाभांश
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				3997.54	

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

समूह में शामिल संस्था का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात् कुल परिसंपत्ति – कुल देयताएं		समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए अन्य विस्तृत आय में हिस्सा		समाप्त वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित अन्य विस्तृत आय के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित कुल विस्तृत आय के % के रूप में	(₹ करोड़ में)
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड								
31 मार्च, 2024	99.87%	10,543.99	100.09%	597.52	100%	(9.74)	100.09%	587.78
31 मार्च, 2023	99.92%	10427.65	100.01%	672.91	100%	(2.52)	100.01%	670.39
सहायक कंपनियां								
टुस्को लिमिटेड								
31 मार्च, 2024	0.09%	9.85	–0.03%	(0.15)	–	–	–0.03%	(0.15)
31 मार्च, 2023	0.08%	8.70	–0.01%	(0.06)	–	–	–0.01%	(0.06)
ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड								
31 मार्च, 2024	0.01%	1.03	–0.05%	(0.27)	–	–	–0.05%	(0.27)
31 मार्च, 2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड								
31 मार्च, 2024	0.02%	2.47	–0.02%	(0.13)	–	–	–0.02%	(0.13)
31 मार्च, 2023	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल								
31 मार्च, 2024	100%	10557.34	100%	596.97	100%	(9.74)	100%	587.23
31 मार्च, 2023	100%	10436.35	100%	672.85	100%	(2.52)	100%	670.33

28. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ा को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनीय बनाया जा सके।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

फॉर्म एओसी–1

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 129 की उप–धारा (3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

भाग "क": सहायक कंपनियां

(₹ करोड़ में)

1.	**सहायक कंपनी का नाम**	**टुस्को लिमिटेड**	**ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड**	**टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड**
2.	सहायक कंपनी के अधिग्रहण करने की तारीख	12.09.2020*	25.03.2023*	01.12.2023*
3.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न है	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2023 – 31.03.2024) के समान	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2023 – 31.03.2024) के समान	धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि (01.04.2023 – 31.03.2024) के समान
4.	विदेशी सहायक कंपनी के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	शेयर पूंजी	40.00	5.00	10.00
6.	आरक्षित एवं अधिशेष	(2.12)	(1.02)	(0.50)
7.	कुल परिसंपत्तियां	242.64	10.39	12.02
8.	कुल देयताएं	204.76	6.41	2.52
9.	निवेश	0.00	0.00	0.00
10.	टर्नओवर / अन्य आय	0.53	0.00	0.00
11.	कुल व्यय	1.27	1.34	0.64
12.	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	(0.74)	(1.34)	(0.64)
13.	कराधान के लिए प्रावधान	(0.16)	(0.32)	(0.14)
14.	कराधान पश्चात् लाभ/(हानि)	(0.58)	(1.02)	(0.50)
15.	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00
16.	शेयरधारिता का %	74%	74%	74%

(* निगमन की तारीख)

भाग "ख" सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यम

–शून्य–

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह0/–
(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
दिनांक : 16.05.2024
स्थान : ऋषिकेश

ह0/–
(अजय कुमार गर्ग)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह0/–
(आर. के. विश्नोई)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08534217

संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
एचसीओ एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
आईसीएआई का FRN 001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 074788

दिनांक : 16.05.2024
स्थान : लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके बाद "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ इसमें इसके बाद "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समकेति नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं (जिन्हें इसमें इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) सहित समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, समूह के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते है।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड" में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत हमारे द्वारा की गई समेकित वित्तीय विवरणो की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नहीं है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। नीचे दिए गए लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामले धारक कंपनी से संबंधित हैं क्योंकि घटक के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में लेखा परीक्षा संबंधी कोई महत्वपूर्ण मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है:

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों (यदि कोई हों) की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के जटिल और निर्णयाधीन होने के नाते, इसकी मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 33 देखें)	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियाएं अपनाई है। • ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। • सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्कों दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखांकन का सत्यापन किया है। • वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का आंकलन किया गया। उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते है।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
2.	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकास्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं • लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके प्रावधानों और आकस्मिक देयता से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आंकलन किया है। • लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता का मूल्यांकन और परीक्षण किया है। • प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। • विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेज़ों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। • प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। • जिन मामलों का प्रकटीकरण नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। • स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों की पर्याप्तता का आंकलन किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटीकरण पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से धारक कंपनी की वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 7 (i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएससी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संविदाकार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

ख) टीएचडीसीआईएल द्वारा परियोजना कार्यों के लिए उपयोग की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 1327.695 हेक्टेयर भूमि के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43 का पैरा 5(ii)। इन भूमि का स्वामित्व विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

हमने समेकित वित्तीय विवरणों में समाहित किए गए सहायक कंपनियों, जिसके वित्तीय विवरणों में उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए, ₹265.05 करोड़ की कुल परिसंपत्ति; ₹0.53 करोड़ का कुल राजस्व और ₹10.59 करोड़ की राशि का निवल नकदी प्रवाह,जिस पर समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है, दर्शाया गया है, के वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है। सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा इसके संबंधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें सौंपी गई है और जहां तक सहायक कंपनियों का संबंध है, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और महत्व सहित "अन्य लेखापरीक्षक के कार्य का उपयोग करना" संबंधी लेखांकन मानक (एसए 600) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखने के बाद लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड में यथाउल्लिखित हमारे द्वारा निष्पादित की गई प्रक्रियाओं पर आधारित है।

इस मामले पर हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ समेकित वित्तीय विवरणों और हमारी लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, और हमारा निष्कर्ष हो कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और, यदि आवश्यक हो, तो उपयुक्त कार्रवाई करें।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार है जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य विस्तृत आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह को सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

समूह में शामिल सभी कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, समूह की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रणों, जिन्हें धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया है, के लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल, कार्यरत कंपनी के रूप में समूह के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन समूह को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

समूह की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख भी, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल जिम्मेदारी है।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमे हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एस.ए. के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमः

- समेकित वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरातन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए जारी संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो समूह के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां समूह को एक प्रगतिशील संस्था के रूपमें जारी रहने से बाधित कर सकती है।
- समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर व्यापार गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त

लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई व्यापार गतिविधियों, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण करने और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई व्यापार गतिविधियां, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षक द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा की गई लेखापरीक्षा को निर्देशित करने, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

हम उन्हें, जिन्हें धारक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई ऐसी संस्था, जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं, के सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वंतत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकरण को रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथाअपेक्षित, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और अन्य मामलों संबंधी पैराग्राम में निर्दिष्ट सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, हम, यथालागू सीमा तक, यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई उक्त समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

(ख) हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में संबंधित समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से अनुरक्षित की गई संगत खाता–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) हमारी राय में उक्त समेकित वित्तीय विवरण, यथासंशोधित, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ङ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नही होते हैं।

(च) धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक "क"** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

(छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नही होते हैं। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के उपबंधों की अपेक्षाओं के अनुसरण में रिपोर्टिंग, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014, यथासंशोधित, के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया है – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 43.2 देखें।

ii. समूह का डेरिवेटिव संविदाओं सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

iv. क. कंपनी और इसकी सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनियों द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं किया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनियों ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ख. कंपनी और इसकी सहायक कंपनियां, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक

कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी या इसकी किसी सहायक कंपनियों द्वारा इस समझ, चाहे लिखित में या अन्यथा लेखबद्ध, के साथ किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित संस्था (संस्थाओं) को या में कोई भी निधि को अग्रिम या उधार या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं लिया गया है कि मध्यस्थ, किसी भी रीति से वित्तपोषण करने वाले पक्षकार ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या इसकी ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

ग. हमारे और सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनी है, जिसके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुतीकरण में कोई भी महत्वपूर्ण मिथ्याबयानी है।

घ. हमारी जांच, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी और सहायक कंपनियों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत की गई है, के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच के आधार पर, कंपनी और सहायक कंपनियों ने अपनी लेखाबहियों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित होती रही है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ किए जाने का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, अभिलेख बनाए रखने की सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी द्वारा ऑडिट ट्रेल का अभिरक्षण किया गया है।

ङ. धारक कंपनी द्वारा पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष के दौरान संदत्त लाभांश अधिनियम की धारा 123, जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है, के अनुसार है।

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है, धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अध्यधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123, जहाँ तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है, के अनुसार है।

vi. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के टिप्पणी 19 में उल्लेख किया गया है: –

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और संदत्त पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है।

(ख) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुसरण में है, जो दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार अदत्त है।

(ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में हितधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है। प्रस्तावित लाभांश की राशि, यथालागू अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में है।

2. अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश"/"सीएआरओ") के पैराग्राफ 3 (xxi) में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके लिए सीएआरओ के तहत रिपोर्टिंग लागू है, में शामिल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ रिपोर्टों में कोई आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

कृते एचसीओ एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001087C

ह0/–
(सीए के. के. लालचंदानी)
साझेदार
सदस्यता संख्याः 074788

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 16.05.2024
यूडीआईएनः 24074788BKBXDE8911

अनुलग्नक "क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

(31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को उसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1(च) में संदर्भित अनुलग्नक)

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के क्रम में, हमने उसी तारीख को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (इसमें आगे "धारक कंपनी" कहा गया है) और इसकी सहायक कंपनियों (इसमें आगे धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" कहा गया है) के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों का संबंधित निदेशक मंडल, इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए धारक कंपनी द्वारा स्थापित समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिनमें कार्य का सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चत करना शामिल हैं। इसमें अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने, लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने हमारी लेखापरीक्षा, समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में मानित रूप से निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में मार्गदर्शी टिप्पणी (द गाइडंस टिप्पणी) के अनुसरण में की है। इस मानक और मार्गदर्शी टिप्पणी की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और इनके प्रचालनीय प्रभाव के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल हैं। हमारे समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण की समझ, ऐसे जोखिम कि क्या कोई महत्वपूर्ण कमजोरी मौजूद है, का निर्धारण, तथा निर्धारित जोखिम आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य और भारत में निगमित अन्य सहायक कंपनियों के अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किया गया उनकी रिपोर्ट के 'अन्य मामले' पैराग्राफ में संदर्भित लेखा परीक्षा साक्ष्य, कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वनीय तथा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना शामिल हैं, के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा के कारण, गलतबयानी, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, का पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भावी अवधि हेतु समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अध्यधीन हो सकते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन के कारण समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों, जो भारत में

निगमित कंपनियां हैं, में सभी महत्वपूर्ण संबंधों में समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के सभी आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्ट मानदंड पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2024 को प्रभावी तरीके से लागू हैं।

अन्य मामले

धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जहां तक यह सहायक कंपनियों से संबंधित है, की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनी के लेखापरीक्षक की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कृते एचसीओ एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001087C

ह0/–

(सीए के. के. लालचंदानी)

साझेदार

सदस्यता संख्याः 074788

स्थानः लखनऊ

दिनांकः 16.05.2024

यूडीआईएनः 24074788BKBXDE8911

DGA(E)/Rep/01-50/ACS-THDC India Ltd.-CFS/2024-25/165

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महा निदेशक लेखापरीक्षा (ऊर्जा)
नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
Office of the Director General of Audit (Energy)
New Delhi

आजादी का अमृत महोत्सव

दिनांक: 17.07.2024

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,

ऋषिकेश।

विषय: 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 2023–24 के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के Consolidated Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाएं।

भवदीया,

एस. ए. पंडा

(एस. आहलादिनी पंडा)
महानिदेशक

संलग्नक: यथोपरी।

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधक वर्ग की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा–परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने यह कार्य दिनांक 16.05.2024 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, टुस्को लिमिटेड, ट्रेडको राजस्थान लिमिटेड और टीएचडीसी यूजेवीएनएल एनर्जी कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच–पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी करने या उसके अनुपूरक के रूप में आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

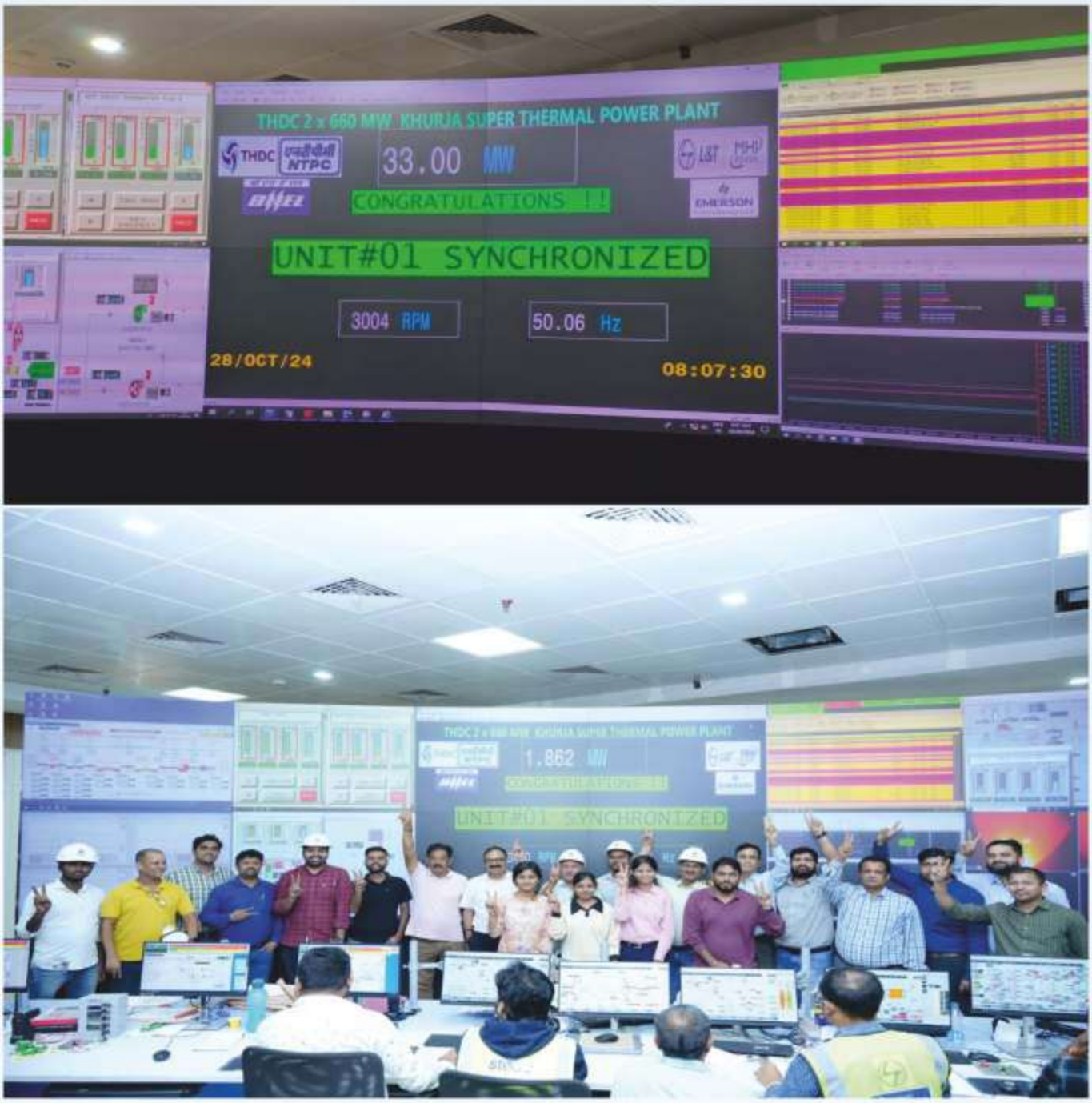
एस. ए. पंडा

(एस. आहलादिनी पंडा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 / 07 / 2024



कोटेश्वर महादेव मंदिर



खुर्जा एसटीपीपी की युनिट–। राष्ट्रीय ग्रिड के साथ 28.10.2024 को सफलतापूर्वक सिक्रोनाईज की गई



टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED
Schedule-A Mini Ratna PSU
CIN: U45203UR1988GOI009822

कारपोरेट कार्यालयः गंगा भवन, प्रगतिपुरम बाईपास रोड, ऋषिकेश–249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bypass Road, Rishikesh-249201
वेबसाईट / Website : www.thdc.co.in
@THDCIL24x7 @thdc_india_limited @THDC India Limited-Official
@THDC India Limited-Official @THDCIL_MOP

Design & Printed by : speedways46@gmail.com